उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन
मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Com-302

आयकर विधि एवा 0;ogkj

(Income Tax Law & Practice)

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY-BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. (Prof.) B.M.S. Bhadoriya
   Professor,
   MLB College Bhopal.

2. Dr. Archana Shukla
   Professor,
   MLB College Bhopal.

3. Dr. Muneshwar Singh
   Professor,
   Govt. College Mandideep.

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor,
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
   Bhopal.

2. Dr. L.S. Solanki
   Registrar,
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
   Bhopal.

3. Dr. Ratan Suryavanshi
   Director,
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
   Bhopal.

4. Dr. (Prof.) B.M.S. Bhadoriya
   Professor,
   MLB College Bhopal.

5. Dr. Archana Shukla
   Professor,
   MLB College Bhopal.

6. Dr. Muneshwar Singh
   Professor,
   Govt. College Mandideep.

COURSE WRITER

Nitin Pyarelalji Singhavi, Assistant Professor, Adarsha Science, J.B. Arts & Birla Commerce Mahavidyalaya, Dhamangaon Railway, Maharashtra.

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. (Developed by Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.) and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

VIKAS®

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

NFT-113

Published on behalf of the on MP Bhoj University (Open University), Bhopal,Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Prayagraj by Vinay Kumar, Registrar, U.P.R.T. Open University, Prayagraj – 2025

Printed by – Chandrakala Universal Pvt. Ltd. 42/7 Jawahar Lal Neharu Road Prayagraj, 211002.

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

आयकर विधि एवं व्यवहार

Syllabi	
इकाई—1 भारतीय आयकर अधिनियम 1961 का सामान्य परिचय, मूल अवधारणाएँ: आय, कृषि आय, आकस्मिक आय, गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, सकल कुल आय, कुल आय, व्यक्ति करदाता। निवास स्थान एवं कर दायित्व, कर मुक्त आयें।	**(पृष्ठ 3—44)**
इकाई—2 वेतन से आय। मकान संपत्ति से आय।	**(पृष्ठ 45—180)**
इकाई—3 व्यापार एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ, अन्य साधनों से आय।	**(पृष्ठ 181—298)**
इकाई—4 हानियों की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना, सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियाँ, आय का मिलान, व्यष्टि की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना।	**(पृष्ठ 299—380)**
इकाई—5 कर निर्धारण की कार्य विधि, उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती, कर का अग्रिम भुगतान, आयकर पदाधिकारी, अपील, पुनर्विचार व अर्थदंड।	**(पृष्ठ 381—424)**

विषय–सूची

परिचय **1**

इकाईः 1 आयकर अधिनियम 1961 का सामान्य परिचय **3–44**

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 आयकर का परिचय
1.2.1 आयकर परिचय
1.2.2 आयकर का इतिहास
1.3 आयकर अधिनियम 1961
1.3.1 आयकर अधिनियम 1961 परिचय
1.3.2 आयकर अधिनियम 1961 की विशेषताएँ
1.3.3 आयकर निर्धारण के चरण
1.4 आयकर की मूल अवधारणाएँ
1.4.1 आय धारा 2(24)
1.4.2 आय के स्त्रोत/साधन धारा 14
1.4.3 सकल आय धारा 80B(5)
1.4.4 कुल आय/कर देय आय धारा 2(45)
1.4.5 कृषि आय धारा 2(1A)
1.4.5.1 कृषि आय की विशेषताएँ
1.4.5.2 कृषि आय के स्त्रोत
1.4.5.3 अन्य कृषि आय
1.4.5.4 भूमि से संबंधित गैर कृषि आय
1.4.5.5 अंशतः कृषि आय
1.4.5.6 अंशतः कृषि एवं अंशतः गैर कृषि आय निर्धारण सारणी
1.4.6 आकस्मिक् आय
1.4.7 व्यक्ति धारा 2(31)
1.4.8 निर्धारिती/करदाता धारा 2(7)
1.4.9 कर निर्धारण वर्ष धारा 2(9)
1.4.10 गत वर्ष धारा 3
1.5 निवास स्थान तथा कर भार
1.5.1 निवास स्थानः प्रस्तावना
1.5.2 व्यक्ति
1.5.3 संयुक्त हिंदू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण धारा 6(2)
1.5.4 फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण धारा 6(2)
1.5.5 कंपनी धारा 6(3)
1.6 निवास स्थान के आधार पर कर भार धारा 5
1.7 कर मुक्त आय
1.7.1 कर मुक्त आय की प्रस्तावना
1.7.2 कर मुक्त आय धारा 10 के अंतर्गत
1.7.2.1 व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय
1.7.2.2 प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाली आय
1.7.2.3 अनिवासी करदाताओं की आय
1.7.2.4 मुक्त व्यापार क्षेत्रों (SEZ) में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रम की आय – धारा 10(A)
1.7.2.5 शत प्रतिशत निर्यात के लिए स्थापित नए औद्योगिक उपक्रम की आय – धारा 10(B)

1.8 कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर दर
1.9 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
1.10 सारांश
1.11 मुख्य शब्दावली
1.12 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.13 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाईः 2 वेतन से आय तथा मकान संपत्ति से आय **45—180**

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 वेतन से आय धारा 15–17
2.2.1 प्रस्तावना
2.2.2 वेतन का आधार धारा 15
2.2.3 वेतन का अर्थ धारा 17(1)
2.2.4 वेतन के निर्धारण के संबंध में महत्त्वपूर्ण बातें
2.2.5 भत्ते
2.2.5.1 भत्तों का वर्गीकरण
2.2.5.1.1 पूर्णतः कर मुक्त
2.2.5.1.2 आंशिक कर योग्य भत्ते
2.2.5.1.3 पूर्ण कर योग्य भत्ते
2.2.6 अनुलाभ धारा 17(2)
2.2.6.1 अनुलाभ का अर्थ तथा प्रकार
2.2.6.2 सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ
2.2.6.3 केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ धारा 17(2)(iii)
2.2.6.4 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ
2.2.6.5 अनुलाभों का मूल्यांकन
2.2.6.6 सीमांत लाभ (Fringe benefit) अथवा सुख–सुविधाएँ जो अनुलाभ के रूप में कर योग्य
2.2.6.7 विशिष्ट कर्मचारियों की स्थिति में अनुलाभ का मूल्यांकन
2.2.6.8 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ
2.2.6.9 कर्मचारी की स्थिति तथा अनुलाभ पर कर देयता
2.2.7 वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ
2.2.7.1 प्रस्तावना
2.2.7.2 कर्मचारियों की स्थिति एवं वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ दर्शक सारणी
2.2.7.3 ग्रैच्युइटी के कर मुक्त राशि के संबंध में नियम धारा 10(10)
2.2.7.4 पेंशन (निवृत्ति वेतन) धारा 10(10A)
2.2.7.5 अर्जित अवकाश वेतन धारा 10(10AA)
2.2.7.6 छँटनी की क्षतिपूर्ति
2.2.7.7 स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति
2.2.8 भविष्य निधि
2.2.8.1 भविष्य निधि का अर्थ
2.2.8.2 भविष्य निधि के प्रकार
2.2.8.3 भविष्य निधि के प्रकारों में अंतर सारणी
2.2.9 वेतन में से दी जाने वाली कटौतियाँ धारा 16
2.2.9.1 मानक कटौती धारा 16(i)
2.2.9.2 मनोरंजन भत्ता कटौती धारा 16(ii)
2.2.10 कर योग्य वेतन की गणना सारणी
2.2.11 विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन का अर्थ दर्शक सारणी
2.2.12 वेतन के हल किए उदाहरण

2.3 मकान संपत्ति से आय (धारा 22 से 27)
2.3.1 प्रस्तावना
2.3.2 किराए से दिए मकान से आय की गणना करने की विधि
2.3.3 वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अनुसार कटौतियाँ
2.3.3.1 मानक तथा प्रमाणित कटौती धारा 24(i)
2.3.3.2 ब्याज की कटौती
2.3.4 किराए से दिए मकान संपत्ति की आय के आगणन की सारणी
2.3.5 निवासी मकान संपत्ति की आय के आगणन की सारणी
2.3.6 मकान संपत्ति से कुल आय का आगणन
2.3.7 सकल वार्षिक मूल्य का आगणन
2.3.8 वार्षिक मूल्य का निर्धारण
2.3.9 मकान संपत्ति से आय के हल किए उदाहरण
2.4 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
2.5 सारांश
2.6 मुख्य शब्दावली
2.7 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.8 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई: 3 व्यापार एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय **181–298**

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ धारा 28 से 44D
3.2.1 प्रस्तावना
3.2.2 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत आय का क्षेत्र धारा 24
3.2.3 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य न होने वाली आय या प्राप्तियाँ
3.2.4 व्ययों के संबंध में स्वीकृत छूट धारा 30
3.2.5 व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत व्यय धारा 30 से 36
3.2.6 कटौती योग्य अन्य व्यय
3.2.7 स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय धारा 40
3.2.8 कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय एवं भुगतान
3.2.9 अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान
3.2.10 लेखा-पुस्तकों के अंकेक्षण की अनिवार्यता धारा 44AB
3.2.11 स्टॉक का मूल्यांकन धारा 145A
3.2.12 व्यवसाय अथवा पेशे के कर योग्य लाभों की गणना
3.2.13 ऱ्हास की दर
3.2.14 व्यवसाय के अथवा पेशे के कर योग्य लाभ की गणना सारणी
3.2.14.1 संशोधित लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते का प्रारूप
3.2.14.2 प्राप्ति अथवा भुगतान लेखा के आधार पर कर योग्य आय की गणना प्रारूप
3.2.15 व्यवहारिक प्रश्न
3.3 पूँजी लाभ धारा 45–54B
3.3.1 प्रस्तावना
3.3.2 पूँजीगत संपत्ति के प्रकार
3.3.2.1 अल्पकालीन पूँजीगत संपत्ति धारा 2(42A)
3.3.2.2 दीर्घकालीन पूँजीगत संपत्ति धारा 2(29A)
3.3.3 पूँजीगत लाभ के प्रकार
3.3.4 पूँजीगत संपत्ति का हस्तांतरण धारा 2(47)
3.3.5 पूँजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के अपवाद धारा 2(47) तथा धारा 46 एवं 47

3.3.6 पूर्ण प्रतिफल
3.3.7 संपत्ति प्राप्त करने की लागत
3.3.8 प्राप्त करने की सूचकांकित लागत
3.3.8.1 सूचकांक लागत का अर्थ
3.3.8.2 लागत स्फीती सूचकांक तथा वर्ष सारणी
3.3.8.3 सूचकांकित लागत की गणना
3.3.8.4 सूचकांकित लागत की गणना सुधार की सूचकांकित लागत
3.3.9 कर मुक्त पूँजी लाभ
3.3.9.1 निवास के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ धारा 54
3.3.9.2 कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कर मुक्त धारा 54B
3.3.9.3 एक औद्योगिक उपक्रम के भाग के रुप में भूमि तथा भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ (धारा 54D)
3.3.9.4 दीर्घकालीन संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कतिपय बॉण्डों में निवेश किए जाने पर कर मुक्त होगा धारा 54(EC)
3.3.9.5 रिहायशी मकान के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ धारा 54F
3.3.9.6 औद्योगिक उपक्रमों के बाहरी क्षेत्रों से स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ (धारा 54G)
3.3.9.7 बाहरी क्षेत्र में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कर से मुक्त है (धारा 54GA)
3.3.9.8 आवासीय संपत्ति के अंतरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर छूट
3.3.10 अल्पकालीन पूँजीगत लाभों की गणना सारणी
3.3.11 दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना सारणी
3.3.12 व्यवहारिक उदाहरण
3.4 अन्य स्त्रोतों से आय (धारा 56–59)
3.4.1 प्रस्तावना
3.4.2 अन्य साधनों से आय शीर्षक सम्मिलित मद
3.4.3 अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित विशिष्ट आय
3.4.4 अन्य स्त्रोतों से आय के लिए कटौतियाँ धारा 57
3.4.5 अन्य स्त्रोतों से आय में कटौती न मिलने वाली राशि धारा 58
3.4.6 दिखावटी लेनदेन
3.4.7 प्रतिभूतियों पर ब्याज
3.4.7.1 प्रतिभूतियों पर ब्याज का अर्थ
3.4.7.2 प्रतिभूतियों के प्रकार
3.4.7.2.1 सरकारी प्रतिभूति
3.4.7.2.2 गैर सरकारी प्रतिभूति
3.4.7.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज का सकलीकरण
3.4.7.3.1 सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज
3.4.7.3.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज
3.4.8 प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज सकलीकरण करने के सूत्र
3.4.9 अन्य साधनों से आय की गणना सारणी
3.4.10 व्यवहारिक उदाहरण
3.5 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
3.6 सारांश
3.7 मुख्य शब्दावली
3.8 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाईः 4 हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना, सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियाँ, आय का मिलान तथा व्यष्टि/व्यक्ति की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना **299–380**

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 हानियों की पूर्ति तथा हानियों को आगे ले जाना
4.2.1 प्रस्तावना
4.2.2 हानि की पूर्ति का अर्थ
4.2.3 हानि की पूर्ति की पद्धतियाँ
4.2.3.1 अंतर–स्त्रोत (Inter Head Adjustment) धारा 70
4.2.3.2 अंतर–शीर्षक (Inter Source Adjustment) धारा 71
4.2.4 विशेष व्यवहारिक सूचना
4.2.5 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना
4.2.5.1 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करने का अर्थ
4.2.5.2 हानियों को आगे ले जाना तथा समय पाबंदी
4.2.6 व्यवहारिक उदाहरण
4.3 सकल कुल आय में दी जाने वाली कटौतियाँः अध्याय VI-A
4.3.1 आय में से कटौती धारा के नियम धारा 80(A)
4.3.2 धारा 80C से धारा 80U तक दी जाने वाली कटौतियाँ
4.3.2.1 भुगतान की कटौतियाँ
4.3.2.1.1 80C जीवन बीमा प्रव्याजी, प्रमाणित प्राप्त भविष्य निधि अंशदान आदि
4.3.2.1.2 80CCC पेंशन फंड में अंशदान
4.3.2.1.3 80CCD केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना में राशि का भुगतान
4.3.2.1.4 80CCE: धारा 80C, 80CCC तथा 80CCD के अधीन कटौतियों की कुल राशि
4.3.2.1.5 80CCG: सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग करने के संबंध में
4.3.2.1.6 80D: चिकित्सा बीमा प्रव्याजी के भुगतान के संबंध में
4.3.2.1.7 80DD: यह कटौती निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर तथा उनके जीवन निर्वहन करने के लिए भुगतान
4.3.2.1.8 80DDB: विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा के संबंध में
4.3.2.1.9 80E: उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान
4.3.2.1.10 80EE: यह भुगतान की कटौती निवास के लिए क्रय किए गए गृह संपत्ति के ऋण पर ब्याज के संबंध में
4.3.2.1.11 80G: पुण्यार्थ संस्था अथवा अनुमोदित विशेष कोषों में भुगतान किए गए दान के संबंध में
4.3.2.1.12 80GG: किराए के भुगतान के संबंध में कटौती
4.3.2.1.13 80GGA: वैधानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दिए गए दानों के संबंध में
4.3.2.1.14 80GGB: भारतीय कंपनियों द्वारा राजनीतिक दल** या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान
4.3.2.1.15 80GGC: कंपनी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल** या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान
4.3.3 आय के संबंध में धारा 80IA से धारा 80RRB दी जाने वाली कटौतियाँ
4.3.3.1 80IA आधारभूत विकास उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती
4.3.3.2 80IAB विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लाभ के संबंध में कटौती
4.3.3.3 80IAC: निर्दिष्ट कारोबार के लाभों में से कटौती
4.3.3.4 80IB: अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों आदि के लाभ के संबंध में कटौती
4.3.3.5 80IBA: आवासीय परियोजना के लाभ के संबंध में कटौती
4.3.3.6 80IC: कुछ विशेष राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों या उद्यमों के संबंध में कटौती
4.3.3.7 80IE: पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती
4.3.3.8 80JJA: जैव–श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यापार से लाभ के संबंध में कटौती
4.3.3.9 80JJAA: नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती
4.3.3.10 80LA: अनुसूचित तथा विदेशी बैंक के अपतट इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के संबंध में कटौती

4.3.3.11 80P: सहकारी समितियों के लाभों से संबंधित कटौती
4.3.3.12 80PA: उत्पादक कंपनियों को पात्र कारोबार के लाभ के संबंध में कटौती
4.3.3.13 80QQB: लेखकों की रॉयल्टी की आय के संबंध में कटौती
4.3.3.14 80RRB: एकास्वाधिकार (पेटेंटी) पर अधिकार शुल्क के संबंध में कटौती
4.3.3.15 80TTA: बचत खातों पर ब्याज के संबंध में कटौती
4.3.3.16 80TTB: वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के संबंध में कटौती
4.3.3.17 80U: निःशक्त व्यक्ति की आय के संबंध में कटौती
4.3.4 व्यवहारिक प्रश्न
4.4 आय का मिलान (Clubbing of Incomes) धारा 60 से 64
4.4.1 आय मिलान का अर्थ
4.4.2 आय की मिलान के संबंध में आयकर अधिनियम में प्रावधान
4.4.3 व्यवहारिक उदाहरण
4.5 एक व्यक्ति (व्यष्टि) की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना
4.5.1 कुल आय/कर देय आय धारा–2(45)
4.5.2 गणना करने की प्रविधि
4.5.3 कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर दर
4.5.4 धारा 87(A) के अनुसार कर कटौती
4.5.5 अधिभार
4.5.6 सीमांत राहत
4.5.7 अनुविकल्पी न्यूनतम कर
4.5.7.1 अनुविकल्पी न्यूनतम कर किसे देना होता है?
4.5.7.2 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व
4.5.7.3 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व के लिए समायोजित कुल आय की गणना
4.5.8 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व का निर्धारण
4.5.9 व्यवहारिक उदाहरण
4.6 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
4.7 सारांश
4.8 मुख्य शब्दावली
4.9 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.10 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई: 5 कर निर्धारण की कार्य विधि, उद्‌गम स्थान पर कटौती, कर अग्रिम भुगतान, आयकर पदाधिकारी, अपील, पुनर्विचार व अर्थदंड **381–424**

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 कर निर्धारण कार्य विधि
5.3 आय विवरणी
5.3.1 आय विवरणी का अर्थ
5.3.2 आय विवरणी की प्रस्तुति
5.3.2.1 ऐच्छिक आय विवरणी प्रस्तुत करना धारा 139(1)
5.3.2.2 अनिवार्य आय विवरणी दाखिल करना धारा 142(2)
5.3.2.3 आय विवरणी तथा करदाता दर्शक सारणी
5.3.2.4 आय विवरणी प्रस्तुत करने के अपवाद
5.3.2.5 आय विवरणी प्रस्तुत करने की पद्धति
5.3.2.5.1 हस्तलिखित आय विवरणी प्रस्तुति
5.3.2.5.2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल हस्ताक्षर समेत एवं समंकों का इलेक्ट्रॉनिकली तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेरीफिकेशन कोड के साथ आय विवरणी प्रस्तुति
5.3.2.6 आय विवरणी (रिटर्न) ई–फाइल करने की प्रविधि
5.3.2.7 आय विवरणी ई–फाइल करने के लाभ

5.3.2.8 आय विवरणी ई–फाइल करने के लिए आयकर विभाग द्वारा दी गई सुविधाएँ
5.3.2.9 आय विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि सारणी
5.3.2.10 आय विवरणी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता
5.3.2.11 आय विवरणी देरी से प्रस्तुत करने के परिणाम
5.3.2.12 आय की संशोधित आय विवरणी धारा 139(5)
5.3.2.13 आय की दोषपूर्ण आय विवरणी धारा 139(9)
5.4 कर निर्धारण के प्रकार
5.4.1 स्वयं कर निर्धारण धारा 140(A)
5.4.2 नियमित कर निर्धारण धारा 143(1)
5.4.3 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण धारा 144
5.4.4 पुनः कर निर्धारण धारा 147
5.4.5 संरक्षणात्मक कर निर्धारण
5.5 स्थायी खाता क्रमांक धारा 139(A)
5.5.1 प्रस्तावना
5.5.2 पॅन कार्ड की अनिवार्यता
5.6 उद्गम स्थान पर कर की कटौती धारा 190
5.6.1 प्रस्तावना
5.6.2 उद्गम स्थान पर कटौती
5.6.3 उद्गम स्थान पर कर कटौती के उद्देश्य
5.6.3.1 कर चोरी की रोकथाम करना
5.6.3.2 आयकर का दायरा व्यापक करना
5.6.3.3 केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाना
5.6.3.4 कर वसूली की गति बढ़ाना
5.6.3.5 आयदाता के उत्तरदायित्व निर्धारित करना
5.6.4 उद्गम स्थान पर कटौती के शीर्षक दर तथा छूट की सारणी
5.6.5 उद्गम स्थान पर कर कटौती की संकलित कर राशि राजस्व कोष में जमा करने की मियाद
5.6.6 उद्गम स्थान पर कर कटौती के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रावधान
5.6.7 कर कटौती एवं संग्रहण खाता क्रमांक
5.6.8 उद्गम स्थान पर कर संकलन का अर्थ
5.6.9 उद्गम स्थान पर कर संकलन दर सारणी
5.7 अग्रिम कर
5.7.1 प्रस्तावना
5.7.2 आयकर अधिनियम के अनुसार अग्रिम कर के संबंध में विशेष प्रावधान
5.7.2.1 अग्रिम कर चुकाने के लिए आय का निर्धारण धारा 207
5.7.2.2 अग्रिम कर दायित्व धारा 208
5.7.2.3 अग्रिम कर की गणना धारा 209
5.7.2.4 अग्रिम कर की किश्तें तथा देय तिथियाँ
5.7.2.5 अग्रिम कर के लिए जमा धारा 219
5.7.2.6 सरकार द्वारा देय ब्याज धारा 214
5.7.2.7 करदाता का दोषी होना धारा 218
5.7.2.8 अग्रिम कर जमा कराने में दोषी हो जाने पर ब्याज
5.7.2.9 कर वसूली एवं कर वापसी
5.7.2.9.1 कर वसूली धारा 122
5.7.2.9.2 कर वापसी धारा 237

5.8 आयकर प्राधिकारी
5.8.1 प्रस्तावना
5.8.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
5.8.2.1 प्रस्तावना
5.8.2.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की संरचना
5.8.2.3 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार
5.8.3 आयकर महानिदेशक
5.8.3.1 प्रस्तावना
5.8.3.2 आयकर महानिदेशक के अधिकार एवं कार्य
5.8.4 संयुक्त कमिश्नर, उप–निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त
5.8.4.1 प्रस्तावना
5.8.4.2 संयुक्त कमिश्नर के कार्य
5.8.4.3 संयुक्त कमिश्नर के अधिकार
5.8.5 कर निर्धारण अधिकारी धारा 2(7A)
5.8.5.1 प्रस्तावना
5.8.5.2 आयकर निर्धारण अधिकारी के कार्य एवं अधिकार
5.9 अपील, पुनर्विचार एवं अर्थदंड
5.9.1 अपील
5.9.2 आयुक्त द्वारा पुनर्विचार धारा 263 तथा 264
5.9.3 आयुक्त अपील
5.9.4 अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 252
5.9.5 उच्च न्यायालय में अपील
5.9.6 सर्वोच्च न्यायालय में अपील
5.10 अर्थदंड तथा प्रावधान
5.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
5.12 सारांश
5.13 मुख्य शब्दावली
5.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.15 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

भोज विश्वविद्यालय, भोपाल के बी.कॉम. तृतीय वर्ष के **आयकर विधि एवं व्यवहार** के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।

आयकर, यह प्रत्यक्ष कर है जो आय पर लगता है। इसके लिए करदाता होना अनिवार्य है। आयकर का संचालन आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत होता है, इस अधिनियम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आयकर नियम 1962 कानून को बनाया गया है। आयकर अधिनियम 1961 में आयकर दर का उल्लेख नहीं होता, लेकिन उसका उल्लेख वार्षिक वित्तीय अधिनियम में होता है जिससे प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम 1961 को वार्षिक वित्तीय अधिनियम से संशोधित किया जाता है। आयकर विभाग सीबीडीटी के तहत् अपना कार्य करती है।

प्रस्तुत संस्करण में आयकर अधिनियम के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ, निवास स्थिति एवं कर भार, कर मुक्त आय, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय से कर योग्य आय आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य आय का निर्धारण प्रक्रिया विवेचन तथा विश्लेषण किया गया है। इसके साथ में मानी गई आय, हानि की पूर्ति एवं आगे ले जाना सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ, व्यक्ति करदाता की आय का निर्धारण, आय विवरणी की प्रस्तुति एवं कर निर्धारण कार्यविधि, उद्‌गम स्थान पर कटौती, अग्रिम कर का भुगतान, आयकर वसूली एवं वापसी, अर्थदंड एवं सजा, आयकर प्राधिकरण एवं उनकी शक्तियाँ आदि का विवेचन तथा विश्लेषण किया गया है। साथ ही, आयकर की अहम् धाराओं का उल्लेख भी किया गया है।

इस संस्करण में विषय के इकाई का प्रारंभ संबंधित इकाई की प्रस्तावना तथा उद्देश्य के साथ हुआ है। हर इकाई का विवरण सरल भाषा में किया गया है ताकि आसानी से समझ सकें। विद्यार्थियों को व्यवहारिक उदाहरण, अपनी प्रगति जाँचिए, इकाई सारांश, शब्दावली, स्वयं मूल्यांकन प्रश्न एवं सहायक पाठ्‌य सामग्री का समावेश भी किया गया है ताकि छात्रों को विषय के संबंध में अध्ययन करना सरल तथा बोधगम्य हो सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि, यह किताब विषय से संबंधित मान्यवर, प्राध्यापकगण एवं छात्रों को लाभप्रद साबित होगी। इसीलिए यह एक विनम्र प्रयास है। इस संस्करण के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि, आप उचित सुझाव देकर मुझे उपकृत करने का कष्ट करें, ताकि अगले संस्करण में सुधार कर सकें।

प्रस्तुत संस्करण मैं मेरी माँ स्व. सौ. सुशीलादेवी प्यारेलालजी सिंघवी को समर्पित करता हूँ।

धामनगांव रेलवे **नितिन प्यारेलालजी सिंघवी**

इकाई 1 आयकर अधिनियम 1961 का सामान्य परिचय (General Introduction of Indian Income Tax Act 1961)

संरचना (Structure)

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 आयकर का परिचय
1.2.1 आयकर परिचय
1.2.2 आयकर का इतिहास
1.3 आयकर अधिनियम 1961
1.3.1 आयकर अधिनियम 1961 परिचय
1.3.2 आयकर अधिनियम 1961 की विशेषताएँ
1.3.3 आयकर निर्धारण के चरण
1.4 आयकर की मूल अवधारणाएँ
1.4.1 आय धारा 2(24)
1.4.2 आय के स्त्रोत/साधन धारा 14
1.4.3 सकल आय धारा 80B(5)
1.4.4 कुल आय/कर देय आय धारा 2(45)
1.4.5 कृषि आय धारा 2(1A)
1.4.5.1 कृषि आय की विशेषताएँ
1.4.5.2 कृषि आय के स्त्रोत
1.4.5.3 अन्य कृषि आय
1.4.5.4 भूमि से संबंधित गैर कृषि आय
1.4.5.5 अंशतः कृषि आय
1.4.5.6 अंशतः कृषि एवं अंशतः गैर कृषि आय निर्धारण सारणी
1.4.6 आकस्मिक् आय
1.4.7 व्यक्ति धारा 2(31)
1.4.8 निर्धारिती/करदाता धारा 2(7)
1.4.9 कर निर्धारण वर्ष धारा 2(9)
1.4.10 गत वर्ष धारा 3
1.5 निवास स्थान तथा कर भार
1.5.1 निवास स्थानः प्रस्तावना
1.5.2 व्यक्ति
1.5.3 संयुक्त हिंदू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण धारा 6(2)
1.5.4 फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण धारा 6(2)
1.5.5 कंपनी धारा 6(3)
1.6 निवास स्थान के आधार पर कर भार धारा 5
1.7 कर मुक्त आय
1.7.1 कर मुक्त आय की प्रस्तावना

टिप्पणी

1.7.2 कर मुक्त आय धारा 10 के अंतर्गत
1.7.2.1 व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय
1.7.2.2 प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाली आय
1.7.2.3 अनिवासी करदाताओं की आय
1.7.2.4 मुक्त व्यापार क्षेत्रों (SEZ) में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रम की आय – धारा 10(A)
1.7.2.5 शत प्रतिशत निर्यात के लिए स्थापित नए औद्योगिक उपक्रम की आय – धारा 10(B)
1.8 कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर दर
1.9 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
1.10 सारांश
1.11 मुख्य शब्दावली
1.12 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.13 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय (Introduction)

सरकार द्वारा किसी भी वस्तु, आय या क्रिया पर वसूल किए जानेवाले अनिवार्य शुल्क को कर कहा जाता है। कर भार तथा दर के आधार पर कर के प्रकार तय किए जाते हैं। आयकर प्रत्यक्ष कर है, जो गत वर्ष की आय पर लगता है। स्वतंत्रता संग्राम में हुई हानि की पूर्ति के लिए भारत में आयकर का प्रारंभ 1960 में प्रथमतः किया गया। वर्तमान भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के पूर्व आयकर अधिनियम 1886, आयकर अधिनियम 1918, आयकर अधिनियम 1922 यह अधिनियम थे। आयकर अधिनियम 1961 को 1 अप्रैल 1962 से लागू (जम्मू कश्मीर समेत समूचे भारत में) किया गया। आयकर अधिनियम की कुछ मूल अवधारणाएँ हैं, जो आयकर के कार्य को सुलभ बनाती हैं। आयकर का कर दायित्व करदाता के निवासस्थान पर निर्भर होता है। इन सभी बातों का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत इकाई में विस्तार पूर्वक् किया गया है।

1.1 उद्देश्य (Objectives)

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि–

- कर का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएँ तथा प्रकार समझने में सहायक।
- आयकर का इतिहास समझने में सहायक।
- आयकर अधिनियम 1961 का परिचय तथा विशेषताएँ तथा आयकर निर्धारण के चरण समझने में सहायक।
- आयकर की मूल अवधारणाएँ समझने में सहायक।
- आयकर के निवासस्थान तथा कर भार समझने में सहायक।

1.2 आयकर का परिचय (Introduction of Income Tax)

टिप्पणी

1.2.1 आयकर परिचय (Introduction of Income Tax)

आयकर प्रत्यक्ष कर है, जो सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है। आयकर व्यक्तियों की वार्षिक आय पर लगता है, आयकर हर व्यक्ति पर गत वर्ष की आय पर लगने वाला कर है। आयकर के रूप में भुगतान किया कर व्यक्ति के विभिन्न साधनों से प्राप्त कुल आय पर लगता है।

1.2.2 आयकर का इतिहास (History of Income Tax)

देश में आयकर का पहला कानून 159 साल पहले आया था। 1857 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इससे देशभर में आंदोलन छिड़ गया। इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना के खर्च में बेहिसाब बढ़ोतरी की गई थी। 1856–57 में अंग्रेजों ने सेना पर 1 करोड़ 14 लाख पाउंड था, जो 1857–58 में बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख पाउंड तक हो गया था। इस कारण 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुँच गया था। इसलिए 1 नवंबर 1858 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार की ही हुकूमत होगी। इसी दौरान 'द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858' आया था। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत के सभी आर्थिक मामलों का नियंत्रण भारत के पहले मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) चार्ल्स वुड के हाथों में आ गया था।

1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नुकसान हुआ था। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन ने नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन, ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेन्स मेंबर (वित्त मंत्री) बना दिया गया। विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया। पहले ही बजट में पहली बार आयकर कानून का प्रस्ताव दिया गया। विल्सन का आयकर कानून ब्रिटेन के आयकर कानून की तरह ही था। जो ब्रिटेन में 1798 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी सेना का खर्च निकालने के लिए आयकर कानून बनाया था। 1860 में देश के पहले बजट में 200 रुपए से 500 रुपए तक की सालाना आय वालों पर 2% और 500 रुपए से ज्यादा कमाई पर 4% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। आयकर कानून में सेना, नौसेना और पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई थी। यह ऐसा कर था जो अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था और इसलिए इसे शक्तिशाली लोगों द्वारा विरोध किया गया था। इसके लिए 1865 में अधिनियम निरस्त कर दिया गया था। 1867 में कुछ बदलावों के साथ इसे फिर से पेश किया गया। समय के साथ नए आयकर कानून बनाए गए, जो निम्न है–

(i) आयकर अधिनियम 1886– तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डूफ्रिन ने नया आयकर अधिनियम 1886 पेश किया। यह कानून भारत का पहला व्यापक

आयकर अधिनियम था, जिसमें आयकर को स्थायी रूप प्रदान किया गया, यह अधिनियम सन् 1917 तक लागू था।

(ii) **आयकर अधिनियम 1918**– पहले विश्व युद्ध के पश्चात् धन तंगी को देखते हुए आयकर अधिनियम 1886 बदलकर नया आयकर अधिनियम 1918 बनाया गया जिसमें कर की दर अलग–अलग रखी गई एवं सुपर टैक्स लगाया गया, यह अधिनियम 1921 तक यथावत् लागू था।

(iii) **आयकर अधिनियम 1922**– अखिल भारतीय कर जाँच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सन् 1922 में आयकर अधिनियम 1922 बनाया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् कर गत वर्ष के आय पर चालू वर्ष में कर का निर्धारण किया गया और चालू वर्ष को कर निर्धारण वर्ष संबोधित किया। यह आयकर अधिनियम वर्ष 1961–62 तक लागू रहा, इसमें समय–समय पर संशोधन भी किए गए।

1.3 आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961)

1.3.1 आयकर अधिनियम 1961 परिचय (Introduction of Income Tax Act 1961)

विधि आयोग एवं जाँच समिति की शिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 भारतीय संसद में पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी होकर आज तक लागू है। यह जम्मू कश्मीर सहित समूचे भारत में लागू है। सिक्किम में आयकर अधिनियम 1961 को 1 अप्रैल 1990 से लागू किया गया।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 246(1) द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को कर लागू करने का अधिकार दिया गया, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किस प्रकार के कर लगा सकती है, इसकी सूची भारतीय संविधान की अनुसूची–VII में दी गई है, यह अनुसूची 3 भागों में है–

- **सूची I**– केंद्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर।
- **सूची II**– राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर।
- **सूची III**– समवर्ती सूचीः इस सूची में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाये जाने वाले कर।

आयकर का समावेश सूची I में 82वां मद है। इसी आधार पर केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। कृषि कर लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों को हैं, इसका उल्लेख सूची II में 46 वे मद में है।

आयकर अधिनियम 1961 को 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया है, इस अधिनियम में कुल 298 धाराएँ एवं 14 अनुसूची हैं। आयकर अधिनियम को वार्षिक वित्तीय अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है, यह बिल संसद में प्रति वर्ष वित्तीय बजट के समय रखा जाता है। संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् यह बिल वार्षिक वित्तीय कानून में परिवर्तित होता है। आयकर

की दर का उल्लेख आयकर अधिनियम में नहीं होता, यह वार्षिक वित्तीय अधिनियम में होता है। वार्षिक वित्तीय कानून दो भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग में प्रस्तावित खर्चों का अनुमान होता है तथा भाग दो में प्रस्तावित आय का अनुमान होता है। वार्षिक वित्तीय कानून अनुसूची 1 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों का उल्लेख रहता है। आयकर अधिनियम 1961 को प्रभावी अमल में लाने हेतु आयकर नियम (Income Tax Rule) 1962 पारित किया गया जिसके नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/Central Board of Direct Taxes (CBDT) को है, यह विभाग वित्त मंत्रालय के आधीन कार्य करता है।

उदारीकरण पश्चात व्यक्तिगत के दरों को निरंतर कम किया गया है। जिससे कर वंचन कम हुआ है। निगम कर की दरों को भी निरंतर कम किया गया है। परिणामस्वरूप आयकर का संग्रहण में निरंतर वृद्धि हुई है तथा आयकर की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। करदाताओं को पैन नंबर तथा कर संग्रहण के लिए टॅन नंबर भी दिया गया है। कर विवरणी को सरल बनाया गया है। वर्तमान में आयकर प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है।

1.3.2 आयकर अधिनियम 1961 की विशेषताएँ (Characteristics of Income Tax 1961)

1. आयकर प्रत्यक्ष कर है।
2. आयकर कर योग्य आय पर लगता है।
3. आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के तहत् व्यक्ति व्याख्या में सम्मिलित व्यक्ति पर आयकर लगता है।
4. गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारित होता है।
5. आयकर वसूल करने का अधिकार आयकर विभाग को है।
6. भारत में आयकर की प्रगतिशील कर दर प्रणाली अपनाई गई है।
7. आयकर विभाग का नियंत्रण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास है, यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है।
8. आयकर पर अधिभार लगाया जाता है तथा स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर आयकर एवं अधिभार पर लगाया जाता है।
9. आयकर कानून 1961 में आयकर की दर का उल्लेख नहीं होता, जबकि वार्षिक वित्तीय अधिनियम में दर का उल्लेख होता है।
10. आयकर से प्राप्त राजस्व का केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में निश्चित अनुपात में आबंटन होता है।
11. आयकर की कर मुक्त सीमा दी गई है (विशिष्ट सीमा तक आयकर नहीं लगता)।
12. आयकर अग्रिम रूप में वित्तीय वर्ष (गत वर्ष) में वसूला जाता है।
13. आयकर अधिनियमानुसार आयकर में से उद्गम स्थान पर कर कटौती (TDS) की जाती है।

1.3.3 आयकर निर्धारण के चरण (Steps of Income Tax Determination)

आयकर अधिनियम को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु पूर्ण व्यवस्थाओं को निम्न तीन चरणों मे विभक्त किया गया है–

1. **पहिला चरण–** कर योग्य आय की गणना (Computation of Taxable Income)
2. **दूसरा चरण–** कर की राशि की गणना (Computation of Tax Amount)
3. **तिसरा चरण–** कर वसूली एवं प्रशासन (Tax Recovery and Administration)

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. भारत में सर्वप्रथम आयकर ________ वर्ष में लगाया गया।
   (क) 1866 (ख) 1860
   (ग) 1886 (घ) 1961
2. वर्तमान में आयकर अधिनियम ________ से जाना जाता है।
   (क) आयकर अधिनियम 1961
   (ख) आयकर अधिनियम 1860
   (ग) आयकर अधिनियम 1918
   (घ) आयकर अधिनियम 1922
3. भारत में सर्वप्रथम आयकर ________ लगाया गया।
   (क) सर जेम्स विल्सन (ख) सर जेम्स
   (ग) सर न्यूटन (घ) सर ल्यूकस पेसिलिओ
4. वर्तमान आयकर अधिनियम ________ जाना जाता है।
   (क) आयकर अधिनियम 1922
   (ख) आयकर अधिनियम 1896
   (ग) आयकर अधिनियम 1962
   (घ) आयकर अधिनियम 1961
5. प्रत्येक वर्ष आयकर अधिनियम ________ द्वारा संशोधित किया जाता है।
   (क) आयकर नियम 1962
   (ख) वित्तीय वर्ष
   (ग) वार्षिक वित्तीय कानून
   (घ) इनमें से कोई नहीं

6. CBDT का अर्थ __________ है।
   (क) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
   (ख) केंद्रीय आयकर कर विभाग
   (ग) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड
   (घ) इनमें से कोई नहीं

1.4 आयकर की मूल अवधारणाएँ (Basic Concepts of Income Tax)

आयकर की मूल अवधारणाएँ निम्न हैं–

1. आय (Income) धारा 2(24)
2. आय के स्त्रोत (Source of Income) धारा 14
3. सकल आय (Gross Total Income) धारा 80B(5)
4. कुल आय (Total Income) धारा 2(45)
5. कृषि आय (Agriculture Income) 2(IA)
6. आकस्मिक् आय (Casual Income)
7. व्यक्ति (Person) धारा 2(31)
8. करदाता/निर्धारिती (Assess) धारा 2(7)
9. कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) धारा 2(9)
10. गत वर्ष (Previous Year) धारा 3

1.4.1 आय (Income) धारा 2(24)

आयकर अधिनियम में आय पर कर लगता है, आयकर अधिनियम 1961 में आय की विशेष परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन आय में क्या–क्या समावेशित हैं, इसका उल्लेख किया है। आयकर अधिनियम में आय की परिभाषा समावेशी है, यह परिभाषा आय के दायरे को व्यापक बनाती है तथा आय के स्वरुप में बदलाव करने की गुंजाईश देता है। वर्तमान में आय के अग्र पदों को शामिल किया गया हैं–

(i) लाभ,

(ii) लाभांश,

(iii) वेतन,

(iv) कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्राप्त अनुलाभ या वेतन के बदले प्राप्त लाभ जो धारा 17(2) एवं (3) में हैं,

(v) पूर्णार्थ अथवा धर्मदाय संस्था को प्राप्त ऐच्छिक योगदान,

टिप्पणी

(vi) कंपनी के संचालक या कर्मचारी या अधिकारी के निजी व्ययों का शोधन या क्षतिपूर्ति,

(vii) संचालक या हितसंबंधी व्यक्तियों को कंपनी द्वारा दिया गया लाभ,

(viii) प्रतिनिधि निर्धारित को प्राप्त कोई लाभ या अनुलाभ धारा 28 के अनुसार,

(ix) धारा 28 के अनुसार व्यापार एवं पेशे से लाभ तथा धारा 45 के अनुसार कोई पूँजीगत लाभ,

(x) पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति के व्यवसाय से लाभ,

(xi) लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ कार्ड सहित अन्य खेल से जीती राशि अथवा जुए से जीती राशि,

(xii) नियोक्ता को भविष्य निर्वाह निधि अथवा कर्मचारी कल्याण के स्थापित किसी फण्ड में कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान, नियोक्ता की आय होगी,

(xiii) किसी की– मेन (Key men), बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि (बोनस सह) जिस व्यक्ति के जीवन पर पॉलिसी भी न हो, वह व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित हो,

(xiv) किसी सहकारी समिति के व्यापार एवं अपने सदस्यों को ऋण सुविधा देने के व्यापार से प्राप्त लाभ,

(xv) अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रतिफल एवं अंशों का उचित बाजार मूल्य का अंतर प्रतिफल आय माना जाएगा,

(xvi) पूँजी अंतरण के करार के तहत् जो राशि अग्रिम प्राप्त होती है, बाद में अनुबंध असफल होने के कारण अग्रिम प्राप्त राशि जब्त की, तो वह अग्रिम प्राप्त करने वाले की आय मानी जाएगी,

(xvii) अशोध्य ऋण का लाभांश,

(xviii) प्राप्त वार्षिकी (Annuity) की राशि,

(xix) नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को सेवा से सेवा मुक्त करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति,

(xx) नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के सेवा शर्तों में परिवर्तन करने के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार से निर्धारिती/करदाता को प्राप्त अनुदान, रोख प्रोत्साहन आदि।

आय की विशेषताएँ

1. आय निश्चित होनी चाहिए।
2. आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए।
3. आय नियमित एवं अनियमित दोनों होती है।
4. आय यह मुद्रा में प्राप्त होना जरुरी नही है।
5. खर्चों की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाएगी।

   उदा. चिकित्सा खर्च की नियमानुसार क्षतिपूर्ति, यात्रा व्यय की क्षतिपूर्ति।

6. आय कानूनी अथवा गैरकानूनी दोनों होती है।
7. बचत को आय नहीं मानी जाएगी।
8. विवादास्पद आय जिस को प्राप्त हुई, उसकी आय मानी जाएगी।
9. निर्धारिती को आय का उद्गम हुई, लेकिन वास्तव में प्राप्त नहीं हुई, ऐसी अप्राप्त आय को आय मानी जाएगी।
10. धर्मादा को प्राप्त राशि आय नहीं मानी जाएगी।
11. आय के उद्गम स्थान पर कटौती आय मानी जाएगी।
12. नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के आयकर का शोधन किया जाता है, तो उसे कर्मचारियों की आय मानी जाएगी।
13. आय वास्तविक होनी चाहिए।
14. Pin income आय नहीं होती।

    उदा. पति ने पत्नी को रु 20,000 घर खर्च के लिए दिए उनमें सें रु 5,000 पत्नी बचाती है, तो घर खर्च राशि तथा बचाई राशि, पत्नी की आय नहीं होगी।
15. परस्पर सहायता के लिए कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का शेष (Surplus) आय नहीं मानी जाएगी।
16. आय चरणात्मक भी रह सकती है।
17. रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति से प्राप्त उपहार 25,000 रुपए तक (नगद तथा वस्तु स्वरूप) आय नहीं मानी जाएगी।
18. मूल्य वृद्धि आय नहीं होती।
19. संभावित आय जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक आय नहीं मानी जाती।
20. आय में पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं।

1.4.2 आय के स्त्रोत/साधन (Heads of Income) धारा 14

जे आय निश्चित स्त्रोत से प्राप्त होती है, वह पाँच प्रकार के होते हैं, जिसका उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 में है, वो स्त्रोत निम्न प्रकार के हैं–

(i) वेतन से आय (धारा 15–17)

(ii) मकान संपत्ति से आय (धारा 22–27)

(iii) व्यापार तथा पेशे से आय (धारा 28–44DB)

(iv) पूँजी लाभ (धारा 45–54GB)

(v) अन्य साधनों से आय (धारा 56–59)

1.4.3 सकल आय (GTI-Gross Total Income) धारा 80B(5)

आय के विभिन्न स्त्रोत की कर योग्य आय की गणना करने के पश्चात् उन सभी स्त्रोत की कर योग्य आय के योग को सकल आय कहते हैं– 80(C) से 80(U) की कटौतियाँ घटाने के पूर्व आय को सकल कुल आय कहते हैं।

टिप्पणी

सकल/कुल आय से तात्पर्य आयकर अधिनियम धारा 14 के अनुसार विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत गणना की गई आय से है जिसमें आयकर अधिनियम के अध्याय VI(A) की कोई कटौती [80(C) से 80(U)] नहीं घटाई है।

सारणी क्र. 1.1

विवरण		राशि
	वेतन से कर योग्य आय	XXX
Add	मकान संपत्ति से आय	XXX
Add	व्यापार एवं पेशे से कर योग्य आय	XXX
Add	पूँजी लाभ से कर योग्य आय	XXX
Add	अन्य साधनों से कर योग्य आय	XXX
	विभिन्न स्त्रोत से कर योग्य आय का योग	XXX
Less	हानि की पूर्ति	XXX
		XXX
Add	आय का मिलान	XXX
	सकल कुल आय	XXX

1.4.4 कुल आय/कर देय आय (Total Income/Taxable Total Income) धारा 2(45)

सकल कुल आय से 80(C) से 80(U) तक कटौतियाँ घटने के बाद जो आय शेष रहती है, उसे कर देय/कुल आय कहते हैं। इस आय पर निर्धारिती/करदाता पर आयकर की गणना होती है। कुल आय को 10 के निकटतम गुणक के रूप पूर्णांक करते हैं।

सारणी क्र. 1.2

विवरण		राशि
	वेतन से कर योग्य आय	XXX
Add	मकान संपत्ति से आय	XXX
Add	व्यापार एवं पेशे से कर योग्य आय	XXX
Add	पूँजी लाभ से कर योग्य आय	XXX
Add	अन्य साधनों से कर योग्य आय	XXX
	विभिन्न स्त्रोत से कर योग्य आय का योग	XXX
Less	हानि की पूर्ति	XXX
		XXX

Add	आय का मिलान	XXX
	सकल कुल आय	XXX
Less	धारा 80(C) से 80(U) की कटौतियाँ	XXX
	कर देय/कुल आय Taxable Total Income	XXX

1.4.5 कृषि आय (Agriculture Income) धारा 2(1A)

कृषि आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुसूची VII में सूची II में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर की सूची में 46वां पद है। अर्थात् राज्य सरकार द्वारा कृषि आय पर कर लगाया जाता है। इसलिए कृषि आय पर केंद्र सरकार द्वारा कर नहीं लगता है। वह आयकर अधिनियम धारा 10(1A) के अनुसार कर मुक्त है।

कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया तथा अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न है, उसे भी कृषि आय में शामिल किया जाता है। कृषि भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी।

1.4.5.1 कृषि आय की विशेषताएँ (Characteristics of Agriculture Income)

1. कृषि आय के लिए कृषि भूमि निर्धारिती के नाम से होनी चाहिए।
2. कृषि आय के लिए कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। (निर्धारिती की कृषि भूमि विदेश में स्थित हो, तो वहाँ की कृषि भूमि की आय भारत में कृषि आय नहीं मानी जाएगी)
3. कृषि भूमि कृषि कार्य के लिए ही प्रयुक्त होनी चाहिए।
4. कृषि कर्म से तात्पर्य भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल काटना आदि।

1.4.5.2 कृषि आय के स्त्रोत (Sources of Agriculture Income)

कृषि आय प्रमुखतः पाँच भागों में वर्गीकृत किया गया है, वे निम्नलिखित हैं–

1. कृषि भूमि किराए से देने से प्राप्त नगद अथवा उपज का समावेश कृषि आय के अंतर्गत होता है।
2. कृषि भूमि से प्राप्त उपज को बिक्री योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय कृषि आय मानी जाती है।
3. कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय।
4. कृषक् द्वारा कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त आय।

टिप्पणी

5. कृषि भूमि पर कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान से आय, जो निम्न शर्तों के आधार पर कृषि आय मानी जाएगी–
   (i) वह मकान कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त होता हो तथा वह मकान कृषि भूमि या उसके निकट स्थित होना चाहिए।
   (ii) वह मकान कृषक् के रहने के लिए तथा भंडार गृह एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होना चाहिए।
   (iii) प्रयुक्त मकान की भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता है। यदि कृषि भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लगता हो, तो वह कृषि भूमि–
      (a) कृषि भूमि गैर शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए।
      (b) नगरपालिका या छावनी (केन्टॉनमेंट बोर्ड) में स्थित हो, तो वहाँ की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए।

      अथवा

      (c) भूमि आकाशीय मार्ग से नापने पर भूमि निम्न क्षेत्र में स्थित नहीं होनी चाहिए।

सारणी क्र. 1.3

आकाशीय मार्ग से नापने से स्थानीय सीमा से भूमि का अंतर	**जनसंख्या**
कृषि क्षेत्र स्थानीय सीमा से 2 km के क्षेत्र में	एक लाख से अधिक नहीं
कृषि क्षेत्र स्थानीय सीमा से 6 km के क्षेत्र में	एक लाख से अधिक परंतु दस लाख से कम
स्थानीय सीमा से 8 km क्षेत्र में	दस लाख से अधिक

6. नर्सरी में उगाये गए छोटे पौधे तथा बीज से उपजाया छोटे पौधों की बिक्री से प्राप्त आय, कृषि आय मानी जाएगी।

1.4.5.3 अन्य कृषि आय (Other Agriculture Income)

1. कृषि कार्य के लिए उपयोग में आने वाले पशुओं को चरने हेतु स्वयं ऊगी घास अथवा जंगल किराये से देने से प्राप्त आय।
2. कृषि भूमि को गिरवी रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया हो तो, ऋणदाता के लिए वह कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया भी अन्य कृषि आय मानी जाएगी।
3. फल–फूलों की खेती से आय अथवा नर्सरी में उगाए पौधों या बीजों की बिक्री से प्राप्त आय।
4. कृषक् द्वारा उगाए जंगल या वृक्षों की लकड़ी, फल आदि बिक्री से आय।

टिप्पणी

5. कृषि कार्य में संलंग्न साझेदारी, सार्थ के साझेदारों को पूँजी पर व्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारों के लिए कृषि आय मानी जाएगी, बशर्ते कि सार्थ को ऐसे ब्याज अथवा पारिश्रमिक की कटौती व्यय रूप में मिलनी चाहिए।
6. कृषक् के प्राकृतिक आपदा के कारण हुए हानि की बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति।

1.4.5.4 भूमि से संबंधित गैर कृषि आय (Non-agricultural Income)

भूमि से संबंधित गैर कृषि आय निम्न हैं–

1. हाट बाजारों (साप्ताहिक बाजार) के काम में आने वाली भूमि से आय।
2. ईंट भट्टों से प्राप्त होने वाली आय।
3. कृषि फार्म के मेनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक।
4. मुर्गी पालन, डेरी फार्म आदि पशुपालन से प्राप्त आय।
5. मछली क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय।
6. सिंचाई के लिए कृषक् को पानी बेचने से प्राप्त आय।
7. कृषि भूमि पर खदानों से प्राप्त आय।
8. ईंट बनाने के लिए मिट्टी बेचने से प्राप्त आय।
9. खड़ी फसल के क्रेता को होने वाली आय।
10. कृषि कंपनी से प्राप्त लाभांश।
11. तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त आय।
12. समुद्र या झील के पानी से नमक उत्पाद से प्राप्त आय।
13. कृषि भूमि के अप्राप्त किराये पर ब्याज से होने वाली आय।
14. कृषक् को अधिक फसल निकालने से मिलने वाला ईनाम।

1.4.5.5 अंशतः कृषि आय (Partly Agriculture Income)

कुछ कृषि आय अंशतः कृषि और व्यापारिक मानी जाती हैं, वे निम्नलिखित हैं–

1. चाय के बागानों से चायपत्ती के उत्पादनों से आय।
2. रबड़ के बागानों से लेटैक्स या सिनेक्स से आय।
3. कॉफी के बागानों से कॉफी के उत्पादनों से आय।
4. कृषक् द्वारा कृषि उपज को अपने उत्पादन हेतु काम में लाने से आय।
5. चीनी कारखानों से आय जो स्वयं के खेतों पर गन्ना पैदा करके चीनी बनाते हैं।

1.4.5.6 अंशतः कृषि एवं अंशतः गैर कृषि आय निर्धारण सारणी (Computation Table of Partly Agriculture Income and Non-Agricultural Income)

सारणी क्र. 1.4

क्र.	उपज	कृषि आय	गैर कृषि आय
1	चाय के बागानों से चायपत्ती के उत्पादनों से आय	60%	40%
2	रबड़ के बागानों से लेटैक्स या सिनेक्स से आय	65%	35%
3a	कॉफी के बागानों से कॉफी के उत्पादनों से आय (बीज बेचकर)	75%	65%
3b	कॉफी के बागानों से कॉफी के उत्पादनों से आय (भुनकर पीसकर)	60%	40%
4	कृषक् द्वारा अपने कृषि उपज को अपने उत्पादन हेतु काम में लाने से आय।	कृषि उत्पाद के बाजार मूल्यों में से खर्च घटाकर शेष राशि	व्यापारी आय की गणना करने मे कृषि उत्पाद का उचित बाजार मूल्य घटा कर।
5	ऐसे चीनी कारखानों की आय, जो स्वयं के खेतों पर गन्ना पैदा करके चीनी बनाते हैं।	कृषि उत्पाद के बाजार मूल्यों में से खर्च घटाकर शेष राशि	व्यापारी आय की गणना करने में कृषि उत्पाद का उचित बाजार मूल्य घटा कर।

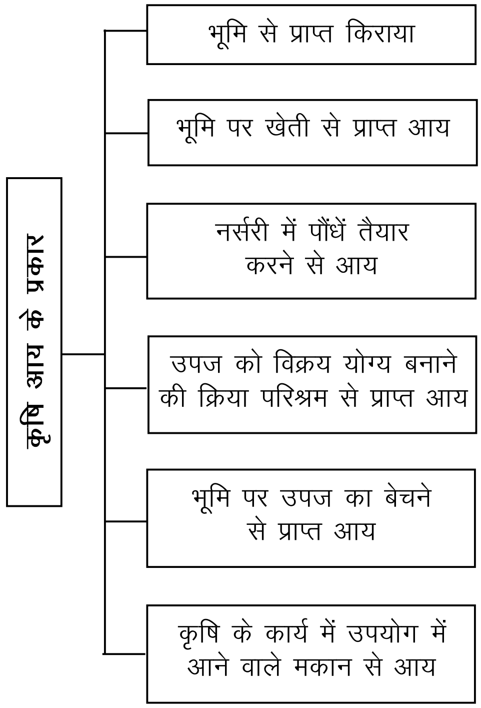

1.4.6 आकस्मिक् आय (Casual Income)

निर्धारिती/करदाता को प्राप्त वर्ग पहेली का ईनाम, घुड़दौड़, जुआ, शर्त, ताश का खेल आदि से जीती राशि की आय आकस्मिक् आय कहलाती है। यह आय अन्य साधनों से आय में सम्मिलित है। इन आयों में बारंबारता नहीं होती। आकस्मिक् आय में से खर्च की कटौती नहीं की जाती तथा आकस्मिक् आय की हानियों की पूर्ति अन्य आय में से नहीं की जाती।

आकस्मिक् आय में से रु 10,000 से अधिक नहीं हो, तो उसमें से उद्‌गम स्थान पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाती, किंतु आकस्मिक् आय रु 10,000 से अधिक होने पर उसमें से उद्‌गम स्थान पर कर कटौती की जाती है।

उदा. लॉटरी से आमदानी, घुड़दौड़ से आमदनी, पत्र-पत्रिका में छपी वर्ग पहेली में जीतने से आय, शर्त जीतने से आय, अन्य किसी की वस्तु का मिलन तथा इस तरह की आय का कराधान किसी भी आय के मद में समाविष्ट नहीं।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

7. कर निर्धारण वर्ष में करदाता के __________ वर्ष की आय पर कर निर्धारित की जाती है।

   (क) प्रस्तावित   (ख) आगम

   (ग) गत   (घ) इनमें से कोई नहीं

8. आय के साधन __________ प्रकार के हैं।

   (क) पाँच   (ख) छह

   (ग) तीन   (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

9. करदाता की सकल कुल आय में __________ शीर्षक से आय का समावेश किया जाता है।

   (क) 5 (ख) 6

   (ग) 3 (घ) 7

10. आयकर की गणना __________ पर की जाती है।

    (क) व्यापारिक लाभ (ख) स्थायी संपत्तियाँ

    (ग) आय (घ) इनमें से कोई नहीं

11. निम्न में से कौन–सी आय, आय नहीं?

    (क) वेतन (ख) पिन इनकम

    (ग) किराया (घ) व्यवसायिक लाभ

12. सकल कुल आय __________ होती है।

    (क) वेतन

    (ख) गृहसंपत्ति

    (ग) अन्य आय

    (घ) आय के पाँचों स्त्रोतों की कर योग्य आय

13. सकल कुल आय में से अध्याय VI(A) की कोई कटौती धारा 80(C) 1 से 80(U) घटाने के पश्चात् प्राप्त होने वाली आय __________ होती है।

    (क) समग्र आय (ख) आंशिक आय

    (ग) कर देय आय (घ) इनमें से कोई नहीं

14. कृषि आय की परिभाषा आयकर अधिनियम की __________ धारा में दी गई है।

    (क) 3 (ख) 2(7)

    (ग) 2(1A) (घ) 14

15. निम्न में से कौन–सी आय कृषि आय है?

    (क) दूध डेअरी से प्राप्त आय

    (ख) मुर्गी पालन से प्राप्त आय

    (ग) कृषि भूमि से प्राप्त किराया

    (घ) इनमें से कोई नहीं

16. भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको बिक्री योग्य बनाकर बेचने से आय का __________ प्रतिशत भाग कृषि आय होगा।

    (क) 60 (ख) 75

    (ग) 40 (घ) 20

17. निम्न आय में से भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं।
    (क) स्वयं ऊग आई हुई घास
    (ख) मछली क्षेत्रों की आय
    (ग) खदानों का अधिकार शुल्क
    (घ) इनमें से सभी
18. जो आय वर्ग पहेली, ईनाम, घुड़दौड़ आदि से होती है उसे __________ आय कहते हैं।
    (क) नियमित (ख) वेतन
    (ग) गृह संपत्ति (घ) आकस्मिक्
19. आकस्मिक् आय __________ राशि से अधिक नहीं हो, तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती।
    (क) 5 हजार (ख) 10 हजार
    (ग) 15 हजार (घ) 25 हजार
20. आय के साधन आयकर अधिनियम धारा __________ में उल्लेखित है।
    (क) 3 (ख) 2(7)
    (ग) 2(9) (घ) 14
21. आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी अन्य व्यक्ति पर थोप दिया जाता है, जो कार्य वह व्यक्ति नहीं करता उसे __________ करदाता माना जाता है।
    (क) माना हुआ (ख) चूक में
    (ग) फरारी (घ) इनमें से कोई नहीं

1.4.7 व्यक्ति (Person) धारा 2(31)

आयकर अधिनियम 1961 में व्यक्ति किस अवधारणा की परिभाषा दी गई नहीं है। किंतु व्यक्ति अवधारणा में किस का समावेश किया जाता है यह दिया गया है। इसलिए व्यक्ति की अवधारणा समावेशी है। अवधारणा में निम्न को समावेशित किया गया है–

(i) **एक व्यक्ति (Individual)**– जैसे– परिवेश, अपूर्वा, मयूरी आदि
(ii) हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)
(iii) कंपनी (Company)
(iv) फर्म (Firm)
(v) व्यक्तियों का संघ (Association of Person)
(vi) व्यक्तियों का समूह (Body of Individual)

(vii) **स्थानीय निकाय (Local Body)– उदा.** ग्रामपंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद् आदि।

टिप्पणी

(viii) **प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person)– उदा.** भोज विश्वविद्यालय, वैधानिक निगम–भारतीय जीवन बीमा निगम आदि।

1.4.8 निर्धारिती/करदाता (Assessee) धारा 2(7)

निर्धारिती अथवा करदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य राशि को चुकाने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त निम्न को भी आयकर करदाता में शामिल किया जाता है–

(i) जिस पर आयकर के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है।

(ii) जिस पर किसी अन्य व्यक्ति की आयकर के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

(iii) स्वयं की हानि निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है।

(iv) ऐसा व्यक्ति जिसकी आयकर वापसी के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है।

(v) ऐसा व्यक्ति जिसे माना हुआ करदाता मान लिया गया हो।

(vi) ऐसा व्यक्ति जिसे गलती से करदाता मान लिया गया हो–

- **माना हुआ करदाता (Deemed Assessee)**– जब कोई करदाता अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना गया है, उसे माना हुआ करदाता कहते हैं।

  उदा. मृत व्यक्ति का कानूनन उत्तराधिकारी, विदेशी व्यक्ति, अवयस्क अथवा पागल व्यक्ति का प्रतिनिधि।

- **चूक में करदाता (Assessee in Default)**– आयकर अधिनियम के अंतर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी अन्य व्यक्ति पर थोप दिया जाता है, जो कार्य वह व्यक्ति नहीं करता, उसे चूक में करदाता माना जाता है।

1.4.9 कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) धारा 2(9)

कर निर्धारण वर्ष में निर्धारिती/करदाता के गत वर्ष की आय पर कर निर्धारित किया जाता है। जिस वर्ष में करदाता आर्थिक वित्तीय वर्ष अथवा गत वर्ष की आय पर भुगतान किए गए कर का निर्धारण किया जाता है, उस वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं।

उदा. गत वर्ष 2018–19 है, तो कर निर्धारण वर्ष 2019–20 होगा।

1.4.10 गत वर्ष (Previous Year) धारा 3

जिस वित्तीय वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, उसे गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष वह वर्ष है, जो ठीक कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है। हर प्रकार के निर्धारिती तथा करदाता का गत वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

उदा. निर्धारण वर्ष 2019–20 है, तो गत वर्ष 2018–19 होगा।

गत वर्ष के संबंध में अपवाद–

कुछ परिस्थितियों में गत वर्ष ही कर निर्धारण वर्ष होता है, उसे गत वर्ष के संबंध में अपवाद कहते हैं, वह परिस्थितियाँ निम्न हैं–

- अनिवासी की समुद्र जहाज द्वारा आय (धारा 172)।
- हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाने वाली व्यक्ति की आय।
- ऐसे उपक्रम जो अल्प काल के लिए स्थापित किए जाते हैं (धारा 174(A))।
- कर वंचना के लिए संपत्ति का हस्तांतरण (धारा 175) व्यापार पेशे बंद होने पर (धारा–176)।

गत वर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष मे अंतर–

1. **अर्थ–** जिस वित्तीय वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, उसे गत वर्ष कहते हैं, जबकि कर निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है।
2. **वित्तीय वर्ष–** गत वर्ष वह वर्ष है, जो ठीक कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है। कर निर्धारण वर्ष यह ठीक गत वर्ष के बाद में आने वाला वित्तीय वर्ष है।
3. **कर–** गत वर्ष में उस वर्ष की आय पर अग्रिम कर शोधन होता है, गत वर्ष में उस वर्ष की आय पर जो अग्रिम कर प्राप्त हुआ है, उसका कर निर्धारण कर निर्धारण वर्ष में होता है।
4. **धारा–** आयकर **धारा 3** में गतवर्ष की परिभाषा दी गई है, जबकि आयकर धारा **2(9)** में कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा दी गई है।
5. **अपवाद–** विशेष परिस्थितियों में गत वर्ष ही कर निर्धारण वर्ष होता है तथा कर निर्धारण वर्ष का कोई अपवाद नहीं होता।
6. **नया व्यवसाय–** गत वर्ष नए व्यवसाय के लिए 12 माह से कम अवधि का हो सकता है, लेकिन कर निर्धारण वर्ष हमेशा 12 महीने का ही होता है।
7. **उदाहरण–** निर्धारण वर्ष 2019–20 है, तो गत वर्ष 2018–19 होगा तथा गत वर्ष 2018–19 हो, तो कर निर्धारण वर्ष 2019–20 होगा।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

22. 'व्यक्ति' की परिभाषा धारा ________ के तहत् है।
    (क) 2(31) (ख) 2(9)
    (ग) 3 (घ) इनमें से कोई नहीं
23. जब कोई करदाता अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है, उसे ________ करदाता कहते है।
    (क) चूक में (ख) माना हुआ
    (ग) छल (घ) इनमें से कोई नहीं
24. कर निर्धारण वर्ष की अवधि ________ होती है।
    (क) 1 जनवरी से 31 दिसंबर
    (ख) 1 जुलाई से 30 जून
    (ग) 1 अप्रैल से 31 मार्च
    (घ) इनमें से कोई नहीं
25. कर निर्धारण वर्ष 2019–20 का गत वर्ष ________ है।
    (क) 2017–18 (ख) 2018–19
    (ग) 2019–20 (घ) इनमें से कोई नहीं
26. आयकर अधिनियम की धारा 2(34) के अनुसार आय की परिभाषा ________ है।
    (क) समावेशी (ख) असमावेशी
    (ग) क्लिष्ट (घ) इनमें से कोई नहीं
27. गत वर्ष की परिभाषा आयकर अधिनियम ________ धारा में है।
    (क) 3 (ख) 2(7)
    (ग) 2(31) (घ) 14
28. आयकर अधिनियम धारा 2(31) में ________ व्यक्तियों का समावेश हैं।
    (क) 5 (ख) 3
    (ग) 7 (घ) 8
29. आयकर अधिनियम में जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, उसे ________ कहते हैं।
    (क) एक व्यक्ति (ख) भागीदार
    (ग) करदाता (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

30. गत वर्ष 2018–19 का कर निर्धारण वर्ष _______ है।

(क) 2018–19 (ख) 2017–18

(ग) 2019–20 (घ) इनमें से कोई नहीं

31. अनिवासी समुद्री जहाज द्वारा आय का गत वर्ष _______ होता है।

(क) कर निर्धारण वर्ष (ख) संभाव्य वर्ष

(ग) कार्यपालन वर्ष (घ) इनमें से कोई नहीं

1.5 निवास स्थान तथा कर भार (Residential Status and Incidence of Tax)

1.5.1 निवास स्थानः प्रस्तावना (Residential Status: Introduction)

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार हर करदाता को उसके गत वर्ष की कुल आय पर आयकर वसूला जाता है। आयकर की दर वार्षिक वित्तीय अधिनियमों में उल्लेखित होती है, उसी दर के आधार पर करदाता से कर की वसूली की जाती है।

आयकर अधिनियम धारा 5 के अनुसार करदाता का कर दायित्व कर दाता के निवास स्थान पर निर्भर होता है, निवास स्थान का आधार भारत में कर दाता गत वर्षों में अथवा उसके पूर्व के गत वर्षों में कितने दिन भारत में निवास किया (दिनों की संख्या) आयकर अधिनियम धारा 6 के अनुसार निवासियों के प्रकार निम्न हैं–

1. निवासी (Resident)–
   - (a) साधारण निवासी करदाता (Ordinary Resident)
   - (b) असाधारण निवासी करदाता (Non-ordinary Resident)
2. अनिवासी (Non-resident)

1.5.2 व्यक्ति (Individual)

आयकर अधिनियम धारा 6(1) के अनुसार एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय निम्न नियमों के आधार पर होता है–

1. आधारभूत शर्तें (Basic Conditions)
2. अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)

1. आधारभूत शर्तें (Basic Conditions)–

(i) वह (करदाता) गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं कि वह लगातार रहा हो अथवा एक स्थान पर ही रहा हो।

टिप्पणी

(ii) गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में वह कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में वह 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो।

2. अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)–

(i) वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम–से–कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। अर्थात् उसने गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम–से–कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को पूरा किया हो।

(ii) वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो।

सारणी क्र. 1.5: एक व्यक्ति (Individual) के निवास स्थान का निश्चित करने की सारणी

Determination Table of Residential Status of an Individual

क्र.	शर्तें (Conditions)		शर्त का विवरण (Particular of Conditions)	साधारण निवासी (Ordinarily Resident)	असाधारण निवासी (Non-ordinarily Resident)	अनिवासी (Non-resident)
1	आधारभूत शर्तें	(i)	वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो।	दोनों आधारभूत शर्तों में से कम–से–कम कोई एक शर्त पूरी करें। तथा साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे।	दोनों आधारभूत शर्तों में से कम–से–कम कोई एक शर्त पूरी करे।	दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी न करे।
		(ii)	वह गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो।			
2	अतिरिक्त शर्तें	(i)	वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम–से–कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो (उपर्युक्त आधारभूत शर्तों के आधार पर)	दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे।	दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्ते पूरी न करे।	इस स्थिति के अतिरिक्त शर्तें उपर्युक्त वर्णित आधारभूत शर्तें पूरी न होने पर महत्त्वहीन होगी।
		(ii)	वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो।			

सारणी क्र. 1.6: व्यक्ति करदाता की निवास स्थान निश्चित करने की संक्षिप्त सारणी

टिप्पणी

क्र.	आधारभूत शर्त		अतिरिक्त शर्त		निवास स्थान
	शर्त क्र. 1	शर्त क्र. 2	अ.शर्त क्र. 1	अ.शर्त क्र. 2	
1	पूरी करता हो	पूरी करता हो	पूरी करता हो	पूरी करता हो	साधारण निवासी
2	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	पूरी करता हो	साधारण निवासी
3	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	पूरी करता हो	पूरी करता हो	साधारण निवासी
4	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	असाधारण निवासी
5	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	असाधारण निवासी
6	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	असाधारण निवासी
7	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	पूरी करता हो	असाधारण निवासी
8	पूरी करता हो	पूरी करता हो	पूरी नहीं करता हो	पूरी नहीं करता हो	असाधारण निवासी
9	पूरी नहीं करता हो	पूरी नहीं करता हो	यह शर्त इस परिस्थिति में लागू नहीं होगी		अनिवास

साधारण निवासी (Ordinarily Resident) (व्यक्ति/Individual)

उपरोक्त आधारभूत नियम 1(i) एवं 1(ii) दोनों आधारभूत शर्तों में से कम–से–कम कोई एक शर्त पूरी करे तथा उसके साथ अतिरिक्त शर्तें 2(i) और 2(ii) दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे।

असाधारण निवासी (Non-ordinarily Resident)

उपरोक्त आधारभूत नियम 1(i) एवं 1(ii) दोनों आधारभूत शर्तों में से कम–से–कम कोई एक शर्त पूरी करे तथा अतिरिक्त शर्तें 2(i) और 2(ii) कोई एक अथवा कोई भी शर्तें पूरी न करे।

अनिवासी (Non-resident)

उपरोक्त आधारभूत नियम में 1(i) एवं 1(ii) दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी न करे तथा उसके साथ अतिरिक्त शर्ते 2(i) और 2(ii) दोनों इस स्थिति के वर्णित आधारभूत शर्तें पूरी न होने पर महत्त्वहीन होगी।

विशेष सूचना

दिनों की गणना करने के लिए व गत वर्ष में भारत में एक ही स्थान पर रहना जरुरी नहीं है और उसे भारत में लगातार रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत में रहने की कुल दिनों की गणना हेतु भारत में आने व छोड़कर जाने का दिन सम्मिलित किया जाएगा। दिन का अभिप्राय 24 घंटे से है।

1.5.3 संयुक्त हिंदू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण (Residential Status of HUF) धारा 6(2)

एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्णय निम्न नियमों के आधार पर होता है–

1. आधारभूत शर्तें (Basic Conditions)
2. अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)

1. आधारभूत शर्तें (Basic Conditions)–

(i) हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण (Control and Management of its Affairs) पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो।

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।

2. अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)–

(i) हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 10 वर्षों में से कम–से–कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो।

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरन्त पूर्व के 7 वर्षों में 730 या इससे अधिक दिन भारत मे रहा हो।

विशेष सूचनाः किसी हिंदू अविभाजित परिवार कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत से बाहर स्थित हो, वह हिंदू अविभाज्य परिवार अनिवासी माना जाएगा–

1. **साधारण निवासी (Ordinarily Resident)**– (हिंदू अविभाज्य परिवार/ Hindu Undivided Family)– उपरोक्त आधारभूत नियम 1(i) एवं 1(ii) दोनों आधारभूत शर्तों में से कम–से–कम कोई एक शर्तें पूरी करे तथा उसके साथ अतिरिक्त शर्तें 2(i) एवं 2(ii) दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे।
2. **असाधारण निवासी (Non-ordinarily Resident)**– उपरोक्त आधारभूत नियम 1(i) एवं 1(ii) दोनों आधारभूत शर्तों में से कम–से–कम कोई एक शर्तें पूरी करे तथा अतिरिक्त शर्तें 2(i) एवं 2(ii) कोई एक अथवा एक भी शर्तें पूरी न करे।
3. **अनिवासी (Non-resident)**– उपरोक्त आधारभूत नियम 1(i) एवं 1(ii) दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्तें पूरी न करे तथा उसके साथ अतिरिक्त शर्तें 2(i) एवं 2(ii) दोनों इस स्थिति के वर्णित आधारभूत शर्तें पूरी न होने पर महत्त्वहीन होगी।

1.5.4 फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण (Residential Status of Firm and Association of Persons) धारा 6(2)

1. **निवासी (Resident)**– जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो, तो वह फर्म निवासी होती है।
2. **अनिवासी (Non-resident)**– जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो, तो वह फर्म अनिवासी होगी।
3. **असाधारण निवासी (Non-ordinarily Resident)**– फर्म और व्यक्तियों के समुदाय कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं।

सारणी क्र. 1.7: फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण सारणी
Determination Table of Residential Status of Firm and Association of Persons

क्र.	प्रभावी प्रबंध/की स्थिति	फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति
1	प्रभावी प्रबंधन पूर्णतः भारत में हो।	निवासी
2	प्रभावी प्रबंधन पूर्णतः भारत मे न हो। अर्थात् भारत के बाहर हो।	अनिवासी
फर्म व व्यक्तियों का समुदाय कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं।		

1.5.5 कंपनी (Company) धारा 6(3)

कंपनी के निवास स्थान के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जाता है–

(i) निवासी कंपनी

(ii) अनिवासी कंपनी

(i) निवासी कंपनी– वह भारतीय कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाएगी जो निम्न शर्त पूरी करती हो–

(a) भारतीय कंपनी जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो।

(b) जिसका नियंत्रण एवं प्रबंधन भारत में स्थित हो अथवा प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में हो।

(ii) अनिवासी कंपनी– जो कंपनी निवासी नहीं होती, वह कंपनी अनिवासी होती है। अर्थात् अगर कोई कंपनी निवासी की शर्तें पूरी नहीं करती हो, उसे अनिवासी कंपनी कहते हैं अर्थात् जिस कंपनी की स्थापना भारतीय

कंपनी जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ हो तथा जिसका नियंत्रण एवं प्रबंधन भारत में स्थित हो अथवा प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में नहीं हो।

सारणी क्र. 1.8ः कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण सारणी
Determination Table of Residential Status of Company

क्र.	प्रभावी प्रबंध/ की स्थिति	भारतीय कंपनी जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो।	भारतीय कंपनी जिसका समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ हो।
1	प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में हो।	निवासी	निवासी
2	प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में न हो अर्थात् भारत के बाहर हो।	निवासी	अनिवासी
3	प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण आंशिक भारत में हो तथा आंशिक भारत के बाहर हो।	निवासी	अनिवासी

सारणी क्र. 1.9ः समस्त कर दाताओं की निवास स्थिति दर्शक सारणी

क्र.	करदाता के प्रकार	निवास का स्तर		
		निवासी/साधारण निवासी	**असाधारण निवासी**	**अनिवासी**
1	व्यक्ति	निवासी व्यक्ति	असाधारण निवासी व्यक्ति	अनिवासी व्यक्ति
2	हिंदु अविभाजित परिवार	निवासी हिंदु अविभाजित परिवार	असाधारण हिंदु अविभाजित परिवार	अनिवासी हिंदु अविभाजित परिवार
3	फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय	निवासी फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय	–	अनिवासी फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय
4	कंपनी	निवासी कंपनी	–	अनिवासी कंपनी
5	प्रत्येक अन्य व्यक्ति	निवासी प्रत्येक अन्य व्यक्ति	–	अनिवासी प्रत्येक अन्य व्यक्ति

टिप्पणी

1.6 निवास स्थान के आधार पर कर भार (Tax Incidence and on the Basis of Residential Status) धारा 5

आयकर अधिनियम धारा 5 के अनुसार करदाता पर करदायित्व निर्भर होता है।

सारणी क्र. 1.10: निवास स्थिति के आधार पर कर दायित्व सारणी
Tax Incidence – On the Basis of Residential Status

क्र.	आय	कर भार		
		साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1	भारत में प्राप्त आय या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय (Deemed Income) चाहे वह भारत में उपार्जित हुई हो अथवा भारत के बाहर उपार्जित हुई हो।	कर योग्य	कर योग्य	कर योग्य
2	भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय या उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाने वाली आय, चाहे भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत के बाहर प्राप्त हुई हो।	कर योग्य	कर योग्य	कर योग्य
3	भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुईं ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पेशे से हो।	कर योग्य	कर योग्य	नहीं
4	भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुईं ऐसी आय जो भारत के बाहर नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत के बाहर स्थापित पेशे से हों।	कर योग्य	नहीं	नहीं
5	गत कई वर्षों की विदेशी आय, जो गत वर्ष भारत में लाई गई हो।	नहीं	नहीं	नहीं

उदा. 1: श्री. चंद्रशेखर जिनकी आयु 41 वर्ष है, जो माऊली प्रा. लि. में कार्यरत हैं वे कभी भी भारत के बाहर नहीं गए, ऐसी स्थिति में उनकी निवास स्थिति निर्धारित करें।

उत्तर: श्री. चंद्रशेखर भारत के बाहर कभी भी नहीं गए।

टिप्पणी

गत वर्ष में भारत में कुल निवास दिनों का आगणन

	2018									2019			कुल निवास दिन
महिना	**अप्रै.**	**मई**	**जून**	**जुला.**	**अग.**	**सितं.**	**अक्तू.**	**नवं.**	**दिसं.**	**जन.**	**फर.**	**मार्च**	
भारत में निवास के दिन	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

उनका निवास गत वर्ष में 182 दिन से अधिक हैं तथा वे भारत में गत वर्ष के पूर्व चार वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक निवास है। अर्थात् वे आधारभूत दोनों शर्तें पूरी करते हैं। तथा वे भारत के बाहर कभी नहीं गए, इसलिए दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी करते हैं। इसलिए करदाता चंद्रशेखर को साधारण निवासी करदाता माना जाएगा।

उदा. 2: श्रीमान जॉन जो अमेरिकन निवासी है, वे भारत में प्रथमतः 17 मई 2018 को आए और उन्होंने 31 मार्च 2019 तक भारत में निवास किया। इस आधार पर उनकी निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

उत्तर: श्रीमान जॉन जो अमेरिकन निवासी है, वे भारत में प्रथमतः 17 मई 2018 को आए और उन्होंने 31 मार्च 2019 तक भारत में निवास किया।

गत वर्ष में भारत में कुल निवास दिनों का आगणन

	2018									2019			कुल निवास दिन
महिना	**अप्रै.**	**मई**	**जून**	**जुला.**	**अग.**	**सितं.**	**अक्तू.**	**नवं.**	**दिसं.**	**जन.**	**फर.**	**मार्च**	
भारत में निवास के दिन	—	14	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	318

भारत में उनका निवास 182 दिन से अधिक है अर्थात् वे आधारभूत शर्त क्र. 1 को पूरी करते हैं, किंतु आधारभूत शर्त क्र. 2 पूरी नहीं करतें। वे अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करतें इसलिए ट्रम्प असाधारण निवासी करदाता कहलाएँगे।

उदा. 3: श्रीमान अशोक जिन्होंने भारत को गत वर्ष के 15 वर्ष पूर्व छोड़कर इंग्लैंड जाकर बसें। उन्हें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हैं और उन्होंने गत वर्ष में भारत में 15 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक निवास किया। इस आधार पर उनकी निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

उत्तर: श्रीमान अशोक जिन्होंने भारत को गत वर्ष के 15 वर्ष पूर्व छोड़कर इंग्लैंड जाकर बसें। उन्हें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हैं और उन्होंने गत वर्ष में भारत में 15 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक निवास किया।

टिप्पणी

गत वर्ष में भारत में कुल निवास दिनों का आगणन

	2018									2019			कुल निवास दिन
महिना	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सितं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च	
भारत में निवास के दिन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	28	31	75

उनका गत वर्ष में भारत में कुल निवास 75 है अर्थात् 182 दिनों से कम तथा वे आधारभूत शर्तें क्र. 2 को भी पूरा नहीं करते। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त दानों शर्तों महत्त्वहीन हो जाती है, इसलिए वे अनिवासी करदाता माने जाएंगे।

उदा. 4: श्रीमान प्रवीण बंब जो पेशे से सनदी लेखापाल है उन्होंने भारत को 5 अक्तूबर 2018 में प्रथमतः सिग्मा फाइनांसीयल सर्विसेस लंदन, इंग्लैंड पदभार संभाला। वे गतवर्ष में 13 मार्च 2019 को 15 दिनों के लिए भारत आए। अतः इस आधार पर उनकी गत वर्ष 2018–19 के लिए निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

उत्तर: श्रीमान प्रवीण बंब की निवास स्थिति निर्धारण करने हेतु गत वर्ष 2018–19 में भारत में निवास का आगणन कर उनकी निवास स्थिति निर्धारित की जाएगी।

गत वर्ष में भारत में कुल निवास दिनों का आगणन

	2018									2019			कुल निवास दिन
महिना	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सितं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च	
भारत में निवास के दिन	30	31	30	31	31	30	10	—	—	—	—	14	207

श्रीमान प्रवीण आधारभूत शर्तें के अनुसार भारत में उनका निवास गत वर्ष 2018–19 में 182 दिन से अधिक है। तथा वे प्रथमतः भारत के बाहर पदभार संभालने हेतु 10 अक्तूबर 2018 को सिग्मा फाइनांसीयल सर्विसेस लंदन, इंग्लैंड गए। वे आधारभूत शर्त दो भी पूरी करते हैं क्योंकि उन्होंने गत वर्ष से पूर्व चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में निवास किया है तथा गत वर्ष में 60 दिन से अधिक निवास भारत में रहा हो। तथा उन्होंने अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी की है।

अर्थात् वे अतिरिक्त शर्त क्र. 1 के तहत उनका गत वर्ष से पूर्व 10 वर्षों में कम–से–कम 2 वर्ष भारत में निवास था और अतिरिक्त शर्त क्र. 2 के तहत उनका गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में निवास था। क्योंकि वे भारत के बाहर प्रथमतः गए थें।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री. प्रवीण बम साधारण निवासी करतदाता ही कहलाएंगे।

टिप्पणी

उदा. 5: निम्नलिखित जानकारी के आधार पर रमेशचंद्र का गत वर्ष 2018–19 के लिए निम्न निवास स्थिति में आय का आगणन कीजिए–

(अ) साधारण निवासी करदाता

(ब) असाधारण निवासी करदाता

(क) अनिवासी करदाता

1. दिल्ली में स्थित मकान संपत्ति का किराया ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त रु 80,000।
2. यू.एस.ए. में व्यवसाय से प्राप्त आय जो भारत से प्रबंधन होता – रु 1,20,000।
3. बेंगलुरू में स्थित व्यवसाय से आय जो ऑस्ट्रेलिया से प्रबंधन है – रु 1,80,000।
4. श्रीलंका में स्थित मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त – रु 60,000।

उत्तर: श्री. रमेशचंद्र गत वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न निवास स्थिति में आय का आगणन।

विवरण	**साधारण निवासी करदाता**	**असाधारण निवासी करदाता**	**अनिवासी करदाता**
दिल्ली में स्थित मकान संपत्ति का किराया ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त	80,000	80,000	80,000
यू.एस.ए. में व्यवसाय से प्राप्त आय जो भारत से प्रबंधन होता	1,20,000	1,20,000	–
बेंगलुरू में स्थित व्यवसाय से आय जो ऑस्ट्रेलिया से प्रबंधन है	1,80,000	1,80,000	1,80,000
श्रीलंका में स्थित मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त	60,000	–	–
कुल आय	4,40,000	3,80,000	2,60,000

उदा. 6: श्री. प्रथमेश की गत वर्ष 2018–19 की आय निम्न है–

1. यवतमाल में स्थित कृषि भूमि से आय रु 46,000।
2. नागपुर में स्थित होजीअरी व्यापार से आय जिसका प्रबंधन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से होता है रु 60,000।
3. हीरे के व्यवसाय से जापान में प्राप्त आय जिसका मुख्यालय टोकियो जापान में स्थित है रु 3,00,000।
4. नेपाल में स्थित कृषि भूमि से आय रु 1,00,000।

उत्तरः श्री. रमेशचंद्र गत वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न निवास स्थिति में आय का आगणन।

विवरण	साधारण निवासी करदाता	असाधारण निवासी करदाता	अनिवासी करदाता
यवतमाल में स्थित कृषि भूमि से आय	–	–	–
नागपुर में स्थित होजीअरी व्यापार से आय जिसका प्रबंधन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से होता है।	60,000	60,000	60,000
हीरे के व्यवसाय से जापान में प्राप्त आय जिसका मुख्यालय टोकियो जापान में स्थित है।	3,00,000	–	–
नेपाल में स्थित कृषि भूमि से आय	1,00,000	–	–
कुल आय	4,60,000	60,000	60,000

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

32. करदाता का करदायित्व ________ पर निर्भर होता है।
    (क) राष्ट्रीयता (ख) निवास
    (ग) व्यवसाय (घ) इनमें से कोई नहीं
33. संयुक्त हिंदू निवासस्थान का निर्धारण ________ के निवास के आधार पर होता है।
    (क) व्यवसाय (ख) कर्ता
    (ग) परिवार के सदस्य (घ) इनमें से कोई नहीं
34. निवासी करदाता के ________ प्रकार होते हैं।
    (क) 3 (ख) 2
    (ग) 1 (घ) 4
35. कंपनी कभी भी ________ नहीं होती हैं।
    (क) निवासी करदाता
    (ख) अनिवासी
    (ग) असाधारण निवासी करदाता
    (घ) इनमें से कोई नहीं

1.7 कर मुक्त आय (Exempted Income)

टिप्पणी

1.7.1 कर मुक्त आय की प्रस्तावना (Introduction of Exempted Income)

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर मुक्त आय का आशय उस आय से है जिस पर आयकर नहीं लगाया जाता।

कर मुक्त आय को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

1. ऐसी आय जो न तो कुल आय में शामिल की जाती है और न ही उस पर आयकर लगाया है, ऐसी आय पूर्णतः कर मुक्त आय (Fully Exempted Incomes) कहलाती है।
2. कर मुक्त आय ऐसी आय होती है, जिसे कुल आय में तो शामिल किया जाता है, लेकिन कुल आय पर लागू होने वाले आयकर की औसत दर से कर मुक्त कर दिया जाता है।
3. कुछ संस्थाओं तथा प्राधिकरणों को कर मुक्त आय पर छूट कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है।

1.7.2 कर मुक्त आय धारा 10 के अंतर्गत (Exempted Income Under Section 10)

1.7.2.1 व्यक्तियों के लिए कर मुक्त आय (Exempted Income to Individuals)

1. कृषि आय – धारा 10(i)
2. हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय – धारा 10(2)
3. यात्रा रियायत या सहायता की राशि – धारा 10(5)
4. भारतीय नागरिकों को विदेश सेवा के लिए अनुलाभ और भत्ते – धारा 10(7)
5. किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय – धारा (9)
6. सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से संबंधित वेतन – धारा 10(8)(9)
7. मृत्यु–सेवानिवृत्ति उपदान – धारा 10(10)
8. पेंशन का संराशिकृत/एकमुश्त मूल्य – धारा 10(10A)
9. अर्जित अवकाश का नकदीकरण – धारा 10(10AA)
10. कामगारों को छँटनी–क्षतिपूर्ति की राशि – धारा 10(10B)
11. भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों को प्राप्त क्षतिपूर्ति – धारा 10(BB)
12. किसी आपदा के कारण प्राप्त अथवा प्राप्य क्षतिपूर्ति की राशि 10(10BC)
13. सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से प्राप्त भुगतान – धारा 10(10C)

टिप्पणी

14. अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर – धारा 10(CC)
15. सांविधिक/वैधानिक एवं सार्वजनिक भविष्य निधि से मिला भुगतान – धारा 10(11)
16. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से मिला भुगतान – धारा 10(12)
17. अनुमोदित सुपर एन्यूएशन फंड से भुगतान
18. मकान किराया भत्ता – धारा 10(13A)
19. विशेष लाभ या भत्ते – धारा 10(14)
20. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनिमय जोखिम प्रीमियम से प्राप्त – धारा 10(14A)
21. कुछ सरकारी प्रतिभूतियों तथा जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज – धारा 10(15)
22. पट्टे के किराए का भुगतान – धारा 10(15A)
23. छात्रवृतियाँ – धारा 10(16)
24. अनुसूचित पुरुस्कार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत – धारा 10(17A)
25. केंद्र सरकार द्वारा अनुग्रह भुगतान – धारा 10(18A)
26. भूतपूर्व शासक के एक भवन का वार्षिक मूल्य – धारा 10(19A)
27. चाय बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि – धारा 10(30)
28. कुछ अन्य बोर्डों से या उनके माध्यम से प्राप्त सहायता राशि – धारा 10(31)
29. जीवन बीमा पॉलिसियों पर बोनस या अन्य प्राप्ति – धारा 10(D)
30. एक हवाई जहाज का इंजन प्राप्त करने को दिया गया भुगतान – धारा 15(A)
31. राज्य द्वारा वित्त प्रदत्त संस्थाओं के द्वारा निर्गत अधिसूचित (Bond) निर्गमन धारा 10(15)(vii)
32. पारिवारिक पेंशन – धारा 10(19)
33. अवयस्क बच्चे की 1,500 रुपए तक की आय – धारा 32
34. यूनिटों के हस्तांतरण से आय – धारा 33
35. धारा 115(O) में संदर्भित कंपनी लाभांश से आय – धारा 34
36. यूनिटों से आय – धारा 35
37. मान्य समता अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ – धारा 36
38 कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न पूँजी लाभ – धारा 37
39. एक दीर्घकालीन पूँजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय – धारा 38
40. सिक्कमी आय – धारा 10(26AAA)
41. सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान – धारा 10(11A)

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

42. सांसद सदस्यों तथा राज्यों के विधानमंडल सदस्यों को प्राप्त होने वाला भत्ता संपूर्ण कर मुक्त है, संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले सभी भत्ते कर मुक्त होते हैं तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पूर्ण कर मुक्त है – धारा 10(17)
43. भागीदारी संस्था से भागीदारों को प्राप्त आयकर मुक्त है (जिस भागीदारी आय पर कर चुकाया है) – धारा 10(2A)
44. आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कर प्रोत्साहन – धारा 10 (37A)
45. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से भुगतान (धारा 80CCD में वर्णित) – धारा 10(12A)
46. विपत्ति पर क्षतिपूर्ति – 10(10BC)
47. संसद सदस्यों तथा विधान मंडल के सदस्यों के भत्ते – धारा 10(17)
48. अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आय – धारा 10(26)
49. एजेंटों द्वारा लॉटरी से प्राप्त राशि – धारा 10(26AA)
50. कर समाकलन प्रमाणपत्र – धारा 10(28)
51. अनुसूचित जनजाति की आय 10(26)
52. लद्दाख के निवासियों की आय – धारा 10(26A)

1.7.2.2 प्राधिकरणों को प्राप्त होने वाली आय (Income Received to Authorities)

1. स्थानीय प्राधिकरणों की कुछ आय – धारा 10(20)
2. आवास प्राधिकरण की आय – धारा 10(20A)
3. स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय – धारा 10(21)
4. शिक्षा संस्था की आय – धारा 10(22)
5. चिकित्सा संस्था की आय – धारा 10(22A)
6. न्यूज एजेंसी की आय – धारा (22B)
7. क्रीड़ा संघ की आय – धारा 10(23)
8. कतिपय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित संघ की आय – धारा 10(23A)
9. सशस्त्र सेनाओं के रेजिमेंट निधि की आय – धारा 10(23AA)
10. कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित कोष की आय – धारा 10(23AAA)
11. जीवन बीमा निगम पेंशन फंड की आय – धारा 10(23AAB)
12. खादी एवं ग्रामोद्योग की आय या संघों की आय – धारा 10(23B)
13. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आय – धारा 10(23BB)

14. सार्वजनिक धर्मिक कार्यों में सलंग्न वैधानिक सत्ता की आय – धारा 10(BBA)
15. यूरोपियन आर्थिक समुदाय की आय – धारा 10(22BBB)
16. "सार्क" (SAARC) फंड की आय – धारा 10(23BBC)
17. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकारण की आय – धारा 10(23BBE)
18. केंद्रीय बिजली नियमन आयोग की आय – धारा 10(23BBG)
19. विशिष्ट पुण्यार्थ कोषों की आय – धारा (23C)
20. सहभागी फंड (म्युच्युअल फंड) की आय – धारा 10(23D)
21. विनियोजक संरक्षण निधि की कोई भी आय – धारा 10(23EA)
22. वस्तु विनिमय बाजार द्वारा स्थापित विनियोग सुरक्षा निधि भी कुछ आय पर छूट प्राप्त करने के लिए पात्र है – धारा 10(23EC)
23. वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी की लाभांश आय या दीर्घकालीन पूँजी – धारा 10(23FA)
24. वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी की लाभांश आय या दीर्घकालीन आय यदि आय किसी विशेष व्यापार या उद्योग के लिए हो – धारा 10(23FB)
25. पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय – धारा 10(24)
26. कतिपय भविष्य निधियों की आय – धारा 10(25)
27. कर्मचारी राज्य बीमा फंड की आय – धारा 10(25A)
28. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन को सांविधिक निगमों/निकायों से आय – धारा 10(26B)
29. अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितार्थ स्थापित निगम की आय – धारा 10(26BB)
30. अल्पसंख्यक कर्मचारी के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए स्थापित निगम आय – धारा 10(26BBB)
31. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितार्थ बनी सरकारी समिति की आय – धारा 10(27)
32. वैधानिक बोर्डों की आय – धारा 10(29A)

1.7.2.3 अनिवासी करदाताओं की आय (Income of Non-residential Assesses)

1. विशेष प्रतिभूतियों का ब्याज – धारा 4(i)
2. अनिवासी बाह्य खाता ब्याज – धारा 4(ii)
3. विदेशी जहाज पर नौकरी से आय – धारा 4(iii)

टिप्पणी

4. विदेशी राज्य अथवा उपक्रम की ओर से किसी भारतीय कंपनी द्वारा चुकाया गया आयकर – धारा 6(BB)
5. अनिवासी सलाहकार एवं उसके विदेशी नियोक्ता को प्राप्त फीस या पारिश्रमिक – धारा (8A) एवं 8(B)
6. अनिवासी भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त कतिपय ब्याज – धारा 10(4) तथा 4(B)
7. भारत में किसी सिनेमाटोग्राफी फिल्म की शूटिंग के संबंध में किए जाने वाले काम के लिए प्राप्त पारिश्रमिक – धारा 10(5A)
8. विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के शुल्क के लिए प्राप्त राशि – धारा 10(6A)
9. किसी अनिवासी की ओर से चुकाया गया कर – धारा 10(6B)
10. विदेशी कंपनी की तकनीकी सेवाओं से प्राप्त आय – धारा 10(2C)

1.7.2.4 मुक्त व्यापार क्षेत्रों (SEZ) में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों की आय – धारा 10(A) (Section 10(A) – Special Provision in Respect of Newly Established undertakings in Free Trade Zone FTZ)

धारा 10(A) अनुसार एफटीजेड/FTZ (मुक्त व्यापार क्षेत्र), ईएचटीपी/EHTP (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क इकाई), एसईजेड/SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) या एसटीपी/STP (सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क) में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लाभ सभी करदाताओं के लिए कुछ वस्तुओं या चीजों या सॉफ्टवेयर के निर्यात पर शर्तों के अधीन उपलब्ध हैं।

1.7.2.5 शत प्रतिशत निर्यात के लिए स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों की आय – धारा 10(B) (Section 10(B) – Special Provisions in Respect of Newly Established Hundred Percent Export-oriented undertakings)

धारा 10(B) अनुसार नई स्थापित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के संबंध में लाभ सभी करदाताओं के लिए कुछ चीजों या सॉफ्टवेयर के निर्यात पर शर्तों के अधीन उपलब्ध हैं।

सारणी क्र. 1.11: कर मुक्त आय के प्रमुख मद दर्शक सक्षिप्त सारणी

क्र.	धारा	कर मुक्त आय की मद	कर मुक्ति की सीमा
1	10(1)	कृषि आय	पूर्णतः कर मुक्त
2	10(2)	हिन्दू अविभाजित परिवार से आय	पूर्णतः कर मुक्त
3	10(2A)	साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग	पूर्णतः कर मुक्त

4	10(AA)	मुक्त व्यापार क्षेत्रों (SEZ) में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों की आय	लाभ कर मुक्त शर्तों के अधीन
5	10(10)	मृत्यु तथा अवकाश ग्रहण पर ग्रैच्यूटी	सरकारी कर्मचारी : पूर्णतः कर मुक्त गैर सरकारी कर्मचारी : धारा के प्रावधानों के तहत
6	10(10D)	जीवन बीमा से प्राप्त राशि (की मेन पॉलिसी के अतिरिक्त)	मृत्यु की दशा में पूर्णतः कर मुक्त परिपक्वता की दशा में धारा के प्रावधानों के तहत
7	10(11)	सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि	पूर्णतः कर मुक्त
8	10(11A)	सुकन्या समृद्धी खाते से भुगत	पूर्णतः कर मुक्त
9	10(13A)	मकान किराया भत्ता	अंशतः कर मुक्त (धारा के प्रावधानों के तहत)
10	10(15)	कुछ विशिष्ट अधिसूचित विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, प्रब्याजी अथवा बोनस	पूर्णतः कर मुक्त
11	10(16)	छात्रवृत्तियाँ	पूर्णतः कर मुक्त
12	10(17)	सांसदों एवं विधायकों के भत्ते	पूर्णतः कर मुक्त
13	10(17A)	पुरस्कार (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अथवा कार्य हेतु अनुमोदित)	पूर्णतः कर मुक्त
14	10(18)	वीरता चक्र पानेवाले व्यक्ति की पेंशन	पूर्णतः कर मुक्त
15	10(19)	सशस्त्र सेना के परिवारजनों को पारिवारिक पेंशन (शर्तों के अधीन)	पूर्णतः कर मुक्त
16	10(20)	स्थानीय सत्ता की आय	पूर्णतः कर मुक्त
17	10(23A)	विशिष्ट पेशेवर संस्था की आय	पूर्णतः कर मुक्त
18	10(23C)	विशिष्ट राष्ट्रीय कोषों की आय	पूर्णतः कर मुक्त
19	10(23D)	विशिष्ट पारस्पारिक कोषों की आय	पूर्णतः कर मुक्त
20	10(26)	अनुसूचित जनजाँतियों की आय (शर्तों के अधीन)	पूर्णतः कर मुक्त
21	10(29A)	सरकार द्वारा अधिसूचित परिषदों की आय	पूर्णतः कर मुक्त
22	10(30)	चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान (नवीकरण में प्रयोग होने पर)	पूर्णतः कर मुक्त

टिप्पणी

23	10(32)	नाबालिग बच्चों की आय	प्रति बच्चा महत्तम 1500 रु कर मुक्त
24	10(33)	यूनिट योजना 64 के यूनिट हस्तांतरण पर पूँजी लाभ	पूर्णतः कर मुक्त
25	10(34)	घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश	पूर्णतः कर मुक्त
26	10(35)	पारस्पारिक कोष से आय	पूर्णतः कर मुक्त
27	10(36)	पात्र समता अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	पूर्णतः कर मुक्त
28	10(37)	कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर उत्पन्न पूँजी लाभ (शर्तों के अधीन)	पूर्णतः कर मुक्त
29	10(38)	अंशों एवं यूनिटों की बिक्री पर उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ (शर्तों के अधीन)	पूर्णतः कर मुक्त
30	13(A)	राजनीतिक पार्टियों की मकान संपत्ति की आय अथवा पूँजी लाभ अथवा अन्य साधनों से आय अथवा पार्टी को प्राप्त स्वेच्छा से दिए गए चंदों की आय।	पूर्णतः कर मुक्त

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

36. जो आय न कुल आय में शामिल की जाती है और न ही उस पर आयकर लगता है, ऐसी आय को ________ कहते हैं।

    (क) अंशतः कर मुक्त (ख) पूर्णतः कर मुक्त

    (ग) पूर्णतः कर योग्य (घ) इनमें से कोई नहीं

37. कर मुक्त आय के आयकर को लेकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा ________ के तहत् प्रावधान दिए हैं।

    (क) 10 (ख) 15

    (ग) 22 (घ) 48

38. भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के प्राप्त क्षतिपूर्ति ________ आय है।

    (क) कर योग्य (ख) कर मुक्त

    (ग) संभावित (घ) इनमें से कोई नहीं

39. अवयस्क बच्चों की आय रु ________ तक कर मुक्त है।

    (क) 1,500 (ख) 3,000

    (ग) 2,50,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

40. मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों की आय ________ है।

(क) कर योग्य (ख) कर मुक्त

(ग) संभावित (घ) इनमें से कोई नहीं

41. भूतपूर्व शासक के ________ भवन का वार्षिक मूल्य कर मुक्त है।

(क) एक (ख) दो

(ग) तीन (घ) चार

1.8 कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर दर (Income Tax Rate for Assessment Year 2020–21 for Individual Assessee)

	सामान्य करदाता	**वरिष्ठ करदाता**	**अति वरिष्ठ करदाता**
करदाता आयु	गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से कम	गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम	गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष से कम
कर मुक्त आय	रु 2,50,000	रु 3,00,000	रु 5,00,000
आय स्तर व आयकर	प्रथम रु 2,50,000 आयकर दर शून्य	प्रथम रु 3,00,000 आयकर दर शून्य	रु 5,00,000 आयकर दर शून्य
	अगले रु 2,50,000 आयकर दर 5%	अगले रु 2,00,000 आयकर दर 5%	अगले रु 5,00,000 आयकर दर 20%
	अगले रु 5,00,000 आयकर दर 20%	अगले रु 5,00,000 आयकर दर	
	शेष आयकर दर 30%	शेष आयकर दर 30%	शेष आयकर दर 30%

अधिभार– आय 50 लाख रू से कम है तो अधिभार नहीं देना होंगा, अगर आय 50 लाख रु से अधिक और 1 करोड़ रु से कम है तो, लागू आयकर पर 10% अधिभार देना होगा। अगर आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो, लागू आयकर पर 15% सरचार्ज देना होगा।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर– "शिक्षा उपकर" और "माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर" के बजाय अब आयकर पर अधिभार के साथ 4% "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" देना होगा।

धारा 87A के अंतर्गत मिलने वाली छूट– जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 5 लाख रु से कम है, उन्हें 100% टैक्स रिबेट मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा रु 12,500 होगी।

टिप्पणी

1.9 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1.	(ख)	15.	(घ)	29.	(ग)
2.	(क)	16.	(ख)	30.	(ग)
3.	(क)	17.	(घ)	31.	(क)
4.	(घ)	18.	(घ)	32.	(ख)
5.	(ग)	19.	(ख)	33.	(ख)
6.	(क)	20.	(घ)	34.	(ख)
7.	(ग)	21.	(ख)	35.	(ग)
8.	(क)	22.	(क)	36.	(ख)
9.	(क)	23.	(क)	37.	(क)
10.	(ग)	24.	(ग)	38.	(ख)
11.	(ख)	25.	(क)	39.	(क)
12.	(घ)	26.	(क)	40.	(ख)
13.	(ग)	27.	(क)	41.	(क)
14.	(ग)	28.	(घ)		

1.10 सारांश (Summary)

सरकार अपने दायित्व के निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर वसूल करती है। हमारे देश में प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम आयकर 1860 में प्रथम स्वतंत्रता युद्ध (1857) में ब्रिटिश सरकार को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया। उसके पश्चात् आयकर अधिनियम को पारित किया गया तथा उनमें संशोधन किया गया तथा निरस्त कर नए आयकर अधिनियम को लागू किया गया। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 से लागू है जिससे सरकार अपने सामाजिक कार्यों को करने का प्रयास करती है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 246(1) द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को कर लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। आयकर अधिनियम में कुल 298 धाराएँ तथा 14 अनुसूचियाँ हैं। आयकर अधिनियम को वार्षिक वित्तीय अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसमें आयकर की दर दी होती है। आयकर अधिनियम को उचित तरह से संचालित करने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 2 में मूलभूत अवधारणाएँ दी हैं।

आयकर अधिनियम में निवास स्थान पर कर लगाया जाता है। इस अधिनियम में कुछ आयकर मुक्त भी की गई हैं, जो धारा 10 में उल्लेखित हैं।

टिप्पणी

1.11 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **कर:** सरकार द्वारा व्यक्तियों तथा विविध संस्थाओं से जो अनिवार्य रूप से धन वसूल किया जाता है, उसे कर कहते हैं।
- **प्रत्यक्ष कर:** प्रत्यक्ष कर जिससे वसूल किया जाता है, उसे ही वहन करना होता है।
- **अप्रत्यक्ष कर:** अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, ये पूर्णतः तथा आंशिक रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं।
- **प्रगतिशील कर:** करदाता की आय तथा उनका कर दायित्व इसमें घनात्मक संबंध होता है। अर्थात् अमीरों को अधिक और गरीबों को कम।
- **CBDT**: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
- **वार्षिक वित्तीय अधिनियम:** यह अधिनियम हर वर्ष आयकर अधिनियम को आयकर दर के लिए संशोधित करता है।
- **आयकर की मूल अवधारणाएँ:** इसमें आयकर के विभिन्न संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण होता है।

1.12 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. आयकर निर्धारण के चरण लिखिए।
2. आय की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
3. आयकर अधिनिमय में व्यक्ति से क्या अभिप्राय है?
4. कुल आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
5. कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा लिखिए।
6. कृषि आय का अर्थ लिखिए।
7. आय के स्त्रोत बताएँ।
8. गत वर्ष की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. कृषि आय अर्थ, विशेषताएँ और स्त्रोत स्पष्ट करें।
2. अंशतः कृषि आय को विस्तार से लिखिए।
3. एक व्यक्ति करदाता के निवास स्थान को निश्चित करने की शर्तें स्पष्ट कीजिए।
4. निवास स्थान के आधार पर कर भार लिखें।

टिप्पणी

1.13 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. आयकर विधान एवं लेखे – डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, डॉ. एस.पी. गोयल, (साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 60वां संशोधित संस्करण)।
2. आयकर – डॉ. ए.के. धगट, संजय भार्गव, (रमेश बुक डिपो, जयपुर)।
3. Taxation Lawas Simplified – Tarun Bansal, Dr. Monika Tushar Bohra, (Tax Guru Publication House, Delhi).
4. Income Tax : AY 2019-20 – CS K.K. Agrawal.
5. Handbook on Income Tax – CA. Raj K. Agrawal, (Bharat Law Publishers).

इकाई 2 वेतन से आय तथा मकान संपत्ति से आय (Income From Salary and Income From House Property)

संरचना (Structure)

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 वेतन से आय धारा 15–17
2.2.1 प्रस्तावना
2.2.2 वेतन का आधार धारा 15
2.2.3 वेतन का अर्थ धारा 17(1)
2.2.4 वेतन के निर्धारण के संबंध में महत्त्वपूर्ण बातें
2.2.5 भत्ते
2.2.5.1 भत्तों का वर्गीकरण
2.2.5.1.1 पूर्णतः कर मुक्त
2.2.5.1.2 आंशिक कर योग्य भत्ते
2.2.5.1.3 पूर्ण कर योग्य भत्ते
2.2.6 अनुलाभ धारा 17(2)
2.2.6.1 अनुलाभ का अर्थ तथा प्रकार
2.2.6.2 सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ
2.2.6.3 केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ धारा 17(2)(iii)
2.2.6.4 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ
2.2.6.5 अनुलाभों का मूल्यांकन
2.2.6.6 सीमांत लाभ (Fringe benefit) अथवा सुख–सुविधाएँ जो अनुलाभ के रूप में कर योग्य
2.2.6.7 विशिष्ट कर्मचारियों की स्थिति में अनुलाभ का मूल्यांकन
2.2.6.8 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ
2.2.6.9 कर्मचारी की स्थिति तथा अनुलाभ पर कर देयता
2.2.7 वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ
2.2.7.1 प्रस्तावना
2.2.7.2 कर्मचारियों की स्थिति एवं वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ दर्शक सारणी
2.2.7.3 ग्रैच्युइटी के कर मुक्त राशि के संबंध में नियम धारा 10(10)
2.2.7.4 पेंशन (निवृत्ति वेतन) धारा 10(10A)
2.2.7.5 अर्जित अवकाश वेतन धारा 10(10AA)
2.2.7.6 छँटनी की क्षतिपूर्ति
2.2.7.7 स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति
2.2.8 भविष्य निधि
2.2.8.1 भविष्य निधि का अर्थ
2.2.8.2 भविष्य निधि के प्रकार
2.2.8.3 भविष्य निधि के प्रकारों में अंतर सारणी
2.2.9 वेतन में से दी जाने वाली कटौतियाँ धारा 16
2.2.9.1 मानक कटौती धारा 16(i)
2.2.9.2 मनोरंजन भत्ता कटौती धारा 16(ii)
2.2.10 कर योग्य वेतन की गणना सारणी
2.2.11 विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन का अर्थ दर्शक सारणी
2.2.12 वेतन के हल किए उदाहरण

टिप्पणी

2.3 मकान संपत्ति से आय (धारा 22 से 27)
2.3.1 प्रस्तावना
2.3.2 किराए से दिए मकान से आय की गणना करने की विधि
2.3.3 वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अनुसार कटौतियाँ
2.3.3.1 मानक तथा प्रमाणित कटौती धारा 24(i)
2.3.3.2 ब्याज की कटौती
2.3.4 किराए से दिए मकान संपत्ति की आय के आगणन की सारणी
2.3.5 निवासी मकान संपत्ति की आय के आगणन की सारणी
2.3.6 मकान संपत्ति से कुल आय का आगणन
2.3.7 सकल वार्षिक मूल्य का आगणन
2.3.8 वार्षिक मूल्य का निर्धारण
2.3.9 मकान संपत्ति से आय के हल किए उदाहरण
2.4 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
2.5 सारांश
2.6 मुख्य शब्दावली
2.7 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.8 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय (Introduction)

वेतन तथा मकान संपत्ति से आय के शीर्षक में किन प्राप्तियों का समावेश किया जाता है तथा उनमें से कौन–सी कटौतियाँ दी जाती हैं, इसका अध्ययन प्रस्तुत इकाई में विस्तार के साथ दिया गया है। साथ ही, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत शुध्द वेतन की गणना की प्रविधि तथा मकान संपत्ति से आय की गणना की प्रविधि का विवेचन एवं विश्लेषण दिया गया है तथा इसके उदाहरण हल के साथ दिए गए हैं ताकि व्यवहारिक उपयोग का ज्ञान हासिल हो सके।

2.1 उद्देश्य (Objectives)

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि–

- वेतन का अर्थ समझने में सहायक।
- वेतन में समाविष्ट कर योग्य भत्ते, वेतन के स्थान पे लाभ एवं अनुलाभ का वेतन के आगणन में किस तरह समावेश किया जाता है, इसकी प्रविधि समझने में सहायक।
- सकल वेतन का आगणन के चरण समझने में सहायक।
- वेतन में से दी जाने वाली कटौतियाँ समझने में सहायक।
- मकान संपत्ति से आय में मकान संपत्ति का अर्थ समझने में सहायक।
- संभावित किराए का आगणन करने में सहायक।
- सकल वार्षिक मूल्य का आगणन करने में सहायक।
- वार्षिक मूल्य का आगणन करने में सहायक।
- वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली कटौतियाँ समझने में सहायक।
- मकान संपत्ति की आय की प्रविधि समझने में सहायक।

2.2 वेतन से आय (Income from Salary) धारा 15—17

टिप्पणी

2.2.1 प्रस्तावना (Introduction)

वेतन से आय आयकर अधिनियम 1961 धारा के अनुसार आय के स्त्रोत का प्रथम शीर्षक है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 एवं 17 मे "वेतन से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के प्रावधान किए गए हैं। वेतन आय से संबंधित मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं—

1. **कर्मचारी—नियोक्ता संबंध (Employee and Employer Relationship)**— वेतन प्राप्त—कर्ता एवं शोधन—कर्ता में कर्मचारी एवं नियोक्ता का संबंध होना अनिवार्य है, तब ही प्राप्त—कर्ता की आय वेतन से आय मानी जाएगी अन्यथा नहीं। सांसद एवं विधायक को प्राप्त वेतन, 'वेतन से आय' नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सरकार तथा सांसद एवं विधायक में कर्मचारी एवं नियोक्ता का संबंध नहीं होता, इसलिए सांसद एवं विधायक को प्राप्त वेतन 'अन्य साधनों से आय' मानी जाती है।
2. वेतन में मासिक वेतन, साप्ताहिक वेतन, दैनिक मजदूरी आदि का समावेश 'वेतन आय' शीर्षक के अंतर्गत ही किया जाता है।
3. विदेशी सरकार तथा विदेशी व्यवसाय के कर्मचारी भारत में कार्यरत् हैं तथा उन्हें जो उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन का भी समावेश 'वेतन से आय' शीर्षक में ही किया जाता है।
4. कर्मचारी को गत वर्ष एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त वेतन का समावेश 'वेतन से आय' शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है।
5. कर्मचारी को वर्तमान, पूर्व, भावी नियोक्ता द्वारा प्राप्त वेतन का 'वेतन से आय' शीर्षक के अंतर्गत समावेश होगा।
6. सेवा निवृत्ति वेतन का समावेश 'वेतन से आय' शीर्षक में होगा, जब वह निवृत्त कर्मचारी को प्राप्त होती है।
7. मृत कर्मचारियों के परिवार को प्राप्त होने वाली पेंशन का समावेश 'वेतन से आय' के शीर्षक में नहीं होता जबकि उसका समावेश अन्य आय के शीर्षक में होगा।
8. पेशे से प्राप्त होने वाली आय वेतन शीर्षक के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जाएगा, उसका समावेश 'व्यापार एवं पेशे से आय' शीर्षक में होगा।
9. जब नियोक्ता द्वारा कर मुक्त वेतन का भुगतान कर्मचारी को करता है, इस स्थिति में, नियोक्ता ने कर्मचारी के देय आयकर का भुगतान किया, तो उस देय आयकर का समावेश कर्मचारी के सकल आय में किया जाएगा।
10. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 के अनुसार देय वेतन अथवा प्राप्त वेतन दोनों में से जो पहले हो, उसका समावेश वेतन शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा।

टिप्पणी

11. वेतन उपार्जन स्थान भारत हो तो, इस स्थिति में विदेश में कार्यरत् सरकारी अथवा गैर–सरकारी कर्मचारियों का वेतन शीर्षक के अंतर्गत समावेश होगा।
12. वेतन वास्तविक होना चाहिए, नाममात्र नहीं।

    उदा. एक शिक्षक को शिक्षा संस्था द्वारा 25,000 वेतन दिया जाता है तथा उतना ही उससे दान में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक प्राप्त वेतन शीर्षक के अंतर्गत समावेश नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक प्राप्ति शून्य है।
13. कर्मचारी को जो वेतन देय होने के पश्चात् वह वेतन का स्वेच्छा से त्याग करता है, तो उसे आय का उपयोग माना जाएगा तथा उस वेतन का त्याग कर योग्य होगा। अगर कर्मचारी वेतन देय होने से पहले केंद्र सरकार के पक्ष में त्याग करता है, तो यह त्याग कर योग्य नहीं होगा।
14. सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में वेतन की देय तिथि जिस माह का वेतन अर्जित होता है, उस माह की आखिरी तिथि को मानी जाएगी। गैर सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में वेतन की देय तिथि जिस माह का वेतन अर्जित होता है, उसके अगले माह की पहिली तिथि को मानी जाएगी।

सारणी क्र. 2.1: कर्मचारी तथा वेतन से प्राप्त आय अवधि की सारणी

कर्मचारी	प्राप्त वेतन से आय की अवधि
सरकारी कर्मचारी	1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च
गैर सरकारी कर्मचारी	1 मार्च से अगले वर्ष की 28/29 फरवरी

2.2.2 वेतन का आधार (Basis of Salary) धारा 15

गत वर्ष में प्राप्त वेतन पर कर निर्धारण वर्ष में कराधान होता है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित आय कर योग्य होगी–

1. गत वर्ष वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्ता से प्राप्त वेतन चाहे वास्तव में प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं।
2. गत वर्ष में वर्तमान या पूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की देय राशि का भुगतान किया गया हो।
3. गत वर्ष में वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन का शोधन जिस पर पूर्व कर निर्धारण वर्षों में कराधान नहीं हुआ हो, तो उस वेतन से आय का समावेश वेतन शीर्षक में किया जाएगा तथा वह वेतन कर योग्य माना जाएगा।

   उदा. वेतनमान में बदल जो कर निर्धारण वर्ष के पूर्व से लागू किया गया है उससे प्राप्त होने वाली आय कर निर्धारण वर्ष में वेतन से आय मानी जाएगी।
4. प्राप्त अग्रिम वेतन, बोनस, कमिशन, आदि वेतन से आय मानी जाएगी।

2.2.3 वेतन का अर्थ (Meaning of Salary) धारा 17(1)

टिप्पणी

नियोक्ता से गत वर्ष कर्मचारियों को प्राप्त राशि वेतन शीर्षक के अंतर्गत समाविष्ट की जाती है, जो निम्नलिखित है–

1. वेतन, मजदूरी एवं अधि–समय वेतन (Salary, Wages and Overtime Salary)
2. कर योग्य भत्ते (Taxable Allowances)
3. प्राप्त फीस, कमिशन एवं बोनस (Received Fees, Commission and Bonus)
4. कर योग्य अनुलाभ (Taxable Perquisite)
5. अग्रिम वेतन (Advance Salary)
6. **छुट्टियों का रोकीकरण (Encashment of Leave Salary)**–
   - **(a) सेवा में रहते हुए (During Services)**– संपूर्ण राशी कर योग्य।
   - **(b) सेवा निवृत्ति के समय (At the time of Retirement)**– धारा 10(10AA) के अनुसार निश्चित सीमा तक कर मुक्त, शेष कर योग्य।
7. **स्वीकृत–मान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि (RPF – Recognized Provident Fund)**– में नियोक्ता अथवा सेवायोजक द्वारा वेतन के 12% से अधिक योगदान तथा अंशदान।
8. मान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि पर 9.5% से ज्यादा प्राप्त ब्याज।
9. **हस्तांतरित शेष (Transferred Balance)**– कर योग्य अंश का अर्थ जब अस्वीकृत कर्मचारी भविष्य निधि मान्यता प्राप्त तथा वैधानिक भविष्य निधि में रूपांतरित होती है, उस तिथि तक नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर ब्याज का योग का समावेश हस्तांतरित शेष में होता है। इस अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान पर ब्याज अन्य साधनों से आय के शीर्षक में दर्शाया जाएगा।
10. छँटनी की क्षतिपूर्ति (Retrenchment Compensation) धारा 10(AA) के अनुसार निश्चित सीमा तक कर मुक्त तथा शेष राशि कर योग्य होगी।
11. वार्षिकी सेवानिवृत्ति वेतन (Annuity and Pension)
12. **ग्रैच्युटी (Gratuity)**– ग्रैच्युटी यानि गत काल में जो सेवा कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को प्रदान की गई थी, उसका अधिमूल्यन है। जो कर्मचारी सेवा निवृत्त होते हैं, उन कर्मचारियों की सेवा कम–से–कम पाँच वर्ष होना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही ग्रैच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रैच्युटी के लिए कर्मचारी को विभागों में विभाजित किया जाता है–
    - (a) सरकारी कर्मचारी
    - (b) गैर–सरकारी कर्मचारी।

सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त ग्रैच्युटी पूर्णतः कर मुक्त होती हैं, जबकि गैर–सरकारी कर्मचारी की ग्रैच्युटी की राशि धारा 10(10)(ii) के अनुसार निश्चित सीमा तक कर मुक्त है तथा शेष राशि कर योग्य है।

टिप्पणी

13. केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन योजना में योगदान।

2.2.4 वेतन के निर्धारण के संबंध में महत्त्वपूर्ण बातें (Important Points Regarding Determination of Salary)

मूल वेतन– मूल वेतन, वेतन का अविभाज्य अंग है, यह नियोक्ता कर्मचारियों को योग्यता तथा पदभार के अनुसार देता है। मूल वेतन का प्रारूप निम्न स्वरूप का होता है–

रु 10,000 – रु 200 – रु 12,000 – रु 500 – रु 17,000

अर्थात् इस वेतन–मान में नियुक्ति के समय कर्मचारी का मूल वेतन रु 10,000 होगा। बाद के हर वर्ष रु 200 की वार्षिक वृध्दि 10 वर्ष तक प्राप्त होगी। जब उस कर्मचारी का मूल वेतन रु 12,000 होगा, उसके पश्चात् कर्मचारी को रु 500 की वार्षिक वृध्दि दी जाएगी। यह वृध्दि रु 17,000 तक दी जाएगी। वेतनमान एवं नियुक्ति तिथि के आधार पर मूल वेतन का आगणन किया जाता है।

उदा. 1: निम्नलिखित जानकारी से श्रीमान परिवेश 1 जनवरी 2020 के मूल वेतन की गणना कीजिए।

नियुक्ति 1 जनवरी 2011 को 25,000 – 1,000 – 30,000 – 2,000 – 40,000 – 10,000 – 1,00,000 पर होती है, तो 1 जनवरी 2020 में परिवेश के मूल वेतन का निर्धारण कीजिए।

उत्तर: मूल वेतन का आगणन।

मूल वेतन आगणन की सारणी

सेवा वर्ष क्र.	अवधि	वेतनमान अनुसार वेतन का आगणन	मूल वेतन
1	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2011	25,000	25,000
2	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2012	25,000 + 1,000	26,000
3	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2013	26,000 + 1,000	27,000
4	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014	27,000 + 1,000	28,000
5	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2015	28,000 + 1,000	29,000
6	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016	29,000 + 1,000	30,000
7	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017	30,000 + 2,000	32,000
8	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018	32,000 + 2,000	34,000
9	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019	34,000 + 2,000	36,000
10	1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020	36,000 + 2,000	38,000

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. वेतन से आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के अनुसार आय का __________ स्त्रोत है।

   (क) द्वितीय (ख) प्रथम

   (ग) तृतीय (घ) इनमें से कोई नहीं

2. सांसद एवं विधायक को प्राप्त वेतन __________ स्त्रोत से आय मानी जाएगी।

   (क) वेतन (ख) मकान संपत्ति

   (ग) अन्य साधन (घ) व्यापार एवं पेशा

3. निवृत्ति वेतन का समावेश __________ स्त्रोत में होता है।

   (क) वेतन (ख) मकान संपत्ति

   (ग) अन्य साधन (घ) व्यापार एवं पेशा

4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा __________ के अंतर्गत वेतन स्त्रोत के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

   (क) 15 से 17 (ख) 28 से 44

   (ग) 22 से 27 (घ) इनमें से कोई नहीं

5. सरकारी कर्मचारी की वेतन से आय की गत वर्ष की अवधि __________ है।

   (क) 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 28 या 29 फरवरी

   (ख) 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च

   (ग) 1 जनवरी से 31 दिसंबर

   (घ) इनमें से कोई नहीं

6. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा योगदान __________ प्रतिशत तक कर मुक्त है।

   (क) 15 (ख) 9.5

   (ग) 12 (घ) इनमें से कोई नहीं

7. जब अस्वीकृत कर्मचारी भविष्य निधि को मान्यताप्राप्त तथा वैधानिक भविष्य निधि में रूपांतरित किया जाता है, तो उस स्थिति तक नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर ब्याज के योग का समावेश __________ में होता है।

   (क) मूल्यांकन (ख) रेखांकन

   (ग) हस्तांतरित शेष (घ) इनमें से कोई नहीं

2.2.5 भत्ते (Allowances)

टिप्पणी

नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के आलावा उनके खर्च की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नकद राशि देता है, उसे भत्ता कहते हैं। यह भत्ते मूल वेतन में मिलाकर शोधन किए जाते हैं जो कर्मचारियों को अपना जीवनयापन उचित तरह से निर्वहन करने हेतु दिए जाते हैं, वह निम्नलिखित हैं।

2.2.5.1 भत्तों का वर्गीकरण (Classification of Allowances)

2.2.5.1.1 पूर्णतः कर मुक्त (Fully Exempted)

1. संयुक्त राष्ट्र संगठन के कर्मचारियों को प्रदत्त भत्ते;
2. भारत के बाहर सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त विदेश भत्ते;
3. उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्राप्त सत्कार भत्ता; (न्यायाधीश सेवाशर्त अधिनियम 1954 धारा 22A(2) के अनुसार)
4. जजों को क्षतिपूर्ति भत्ता;
5. कर्मचारियों को होटल, बोर्डिंग व आवास के लिए प्रितिदिन भत्ता;
6. कर्त्तव्य पालन के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिए गए विशिष्ट भत्ते। धारा 10(14)(i) (यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता (T.A. & D.A.) आदि)

2.2.5.1.2 आंशिक कर योग्य भत्ते (Partly Taxable Allowances)

1. मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)–

यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को मकान किराया भुगतान की क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। धारा 10(13A) के अनुसार निधि निश्चित सीमा तक कर मुक्त है, शेष राशि कर योग्य होती है, कर मुक्त सीमा के निर्धारण के नियम निम्नलिखित हैं–

- संबंधित अवधि में वेतन के 10% से ज्यादा चुकाया किराया।
  (दत्त किराया – वेतन के 10%)
- संबंधित अवधि में कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता।
- वेतन के 40% या अगर करदाता दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता में निवास करता है, तो वेतन के 50% या।

उपरोक्त में से कम राशि कर मुक्त भत्ता होगा

कर मुक्त HRA की राशि प्राप्त HRA में से घटाने के पश्चात् जो राशि शेष रहेगी, वह कर योग्य भत्ता होगा तथा वह कर योग्य वेतन के आगणन के लिए वेतन में समाविष्ट की जाएगी।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन।

टिप्पणी

मकान किराया भत्ते के संबंध में अन्य महत्त्वपूर्ण बातें

1. **संबंधित अवधि**— गत वर्ष में निवास के लिए मकान प्रयोग में लाया गया हो, वह अवधि।
2. अगर करदाता स्वयं के मकान में रहता हो अथवा कोई किराया नहीं देता हो, तब संपूर्ण भत्ता कर योग्य होगा।
3. अगर करदाता मकान मालिक को रु 1,00,000 ज्यादा मकान किराया दे रहा हो, तो कर मुक्त भत्ते की कटौती के लिए मकान मालिक का स्थायी खाता क्रमांक (PAN) देना अनिवार्य है।
4. अगर मकान किराया वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो पूर्णतः मकान किराया भत्ता कर योग्य होगा।

उदा. 2: निम्नलिखित जानकारी के आधार पर कर मुक्त मकान किराया भत्ता का आगणन कीजिए।

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2	परिस्थिति–3
वार्षिक वेतन	54,000	72,000	72,000
मकान किराया भत्ता	600	500	2,000
प्रति माह किराया	400	900	1,500

उत्तरः कर मुक्त मकान किराया भत्ते का आगणन।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के आधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन–

परिस्थिति–1 = 54,000 + – + – = 54,000

परिस्थिति–2 = 72,000 + – + – = 72,000

परिस्थिति–3 = 72,000 + – + – = 72,000

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2	परिस्थिति–3
कर मुक्त मकान किराया भत्ते का आगणन के नियम–			
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत) देखिए – WN 1	Nil	3,600	10,800
2. वेतन के 40 प्रतिशत	21,600	28,800	28,800
3. मकान किराया भत्ता	3,600	6,000	24,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि है, वह कर मुक्त HRA होगा	–	3,600	10,800

टिप्पणी

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1– वेतन के 10% से अधिक किराया का आगणन।

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2	परिस्थिति–3
दत्त किराया	4,800	10,800	18,000
वेतन के 10%	5,400	7,200	7,200
वेतन के 10% से अधिक किराया	–	3,600	10,800

WN 2– परिस्थिति–1 में मकान किराया– यह वेतन के 10% से अधिक नहीं है, इसलिए संपूर्ण प्राप्त HRA कर योग्य होगा।

WN 3– करदाता ने मकान कहाँ किराए से लिया है, इसका उल्लेख **उदा.** में नहीं दिया है, इसलिए करदाता दिल्ली, मुंबई, चैन्नई तथा कोलकाता में निवास नहीं करता, इस आधार पर उपरोक्त मूल्यांकन किया गया है।

उदा. 3: निम्न सूचना के आधार पर कर योग्य भत्ते की गणना कीजिए।

मूल वेतन	20,000 रु प्रति माह
महंगाई भत्ता	20% (मूल वेतन पर)
विक्रय पर कमिशन	रु 2,000 प्रति माह (निश्चित दर से प्राप्त)
मकान किराया भत्ता (HRA)	4,000 प्रति माह
दत्त किराया	6,000 प्रति माह

उत्तर: कर योग्य मकान किराया भत्ता HRA की गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

40,000 + 48,000 + 24,000 = 3,12,000

(महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन तथा विक्रय पर निश्चित प्रतिशत दर से कमिशन प्राप्त है, ऐसा गृहित)

करदाता के कर मुक्त HRA की गणना

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत) 72,000 – 31,200	40,800	
2. वेतन के 40 प्रतिशत	1,24,800	
3. मकान किराया भत्ता	48,000	
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि है, वह कर मुक्त HRA होगा	–	40,800

टिप्पणी

करदाता के कर मुक्त HRA की गणना
(वेतन में समाविष्ट किया जाने वाला HRA)

विवरण	राशि	राशि
प्राप्त HRA (4000 × 12)	48,000	
घटाएँ: कर मुक्त HRA धारा 10(13A)	40,800	
कर योग्य HRA		7,200

उदा. 4: श्री. अनूप को नियोक्ता से मूल वेतन 40,000 रु प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन पर 30% (जो सेवा शर्तों के अधीन प्राप्त) मकान किराया भत्ता रु 15,000 प्रति माह प्राप्त होता है। करदाता प्रति माह रु 22,000 किराए का भुगतान मकान मालिक को करता है, उपरोक्त जानकारी से निम्न परिस्थिति में कर मुक्त मकान किराया भत्ते का आगणन कीजिए–

- परिस्थिति–1 करदाता नागपुर में कार्यरत् है।
- परिस्थिति–2 करदाता दिल्ली में कार्यरत् है।

उत्तर: कर मुक्त मकान किराया भत्ता HRA की गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

4,80,000 + 1,44,000 + – = 6,24,000

परिस्थिति–1 – कर मुक्त HRA की गणना (नागपुर)

विवरण	राशि	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत) 2,64,000 – 62,400	2,01,600	
2. वेतन के 40 प्रतिशत (नागपुर) (2,24,000 × 40%)	2,49,600	
3. मकान किराया भत्ता	1,80,000	
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार		1,80,000

अर्थात् उपर्युक्त परिस्थिति–1 में करदाता को प्राप्त पूर्णतः HRA कर मुक्त होगा, क्योंकि प्राप्त मकान किराया भत्ता तथा कर मुक्त मकान किराया दोनों समान हैं।

1,80,000 – 1,80,000 = शून्य

टिप्पणी

परिस्थिति–2 – कर मुक्त मकान किराया भत्ता (HRA) की गणना (दिल्ली)

विवरण	राशि	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया		
(मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत)		
2,64,000 – 62,400	2,01,600	
2. वेतन के 50 प्रतिशत (दिल्ली)	3,12,000	
3. मकान किराया भत्ता	1,80,000	
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार		1,80,000

अर्थात् उपर्युक्त परिस्थिति में करदाता को प्राप्त पूर्णतः HRA कर मुक्त होगा।

उदा. 5: किरण कुमार दिल्ली SBI में प्रबंधक पद पर कार्यरत है, निम्न जानकारी से कर योग्य HRA की गणना कीजिए।

मूल वेतन रु 60,000 प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन के 40%, प्राप्त HRA रु 30,000 प्रति माह दत्त किराया रु 20,000 प्रति माह।

उत्तर: कर योग्य मकान किराया भत्ते (HRA) की गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

7,20,000 + 2,88,000 + – = 10,08,000

श्री. किरण कुमार, SBI प्रबंधक, दिल्ली: कर मुक्त HRA की गणना

विवरण	राशि	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया		
(मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत)		
2,40,000 – 1,00,800	1,39,200	
2. वेतन के 50 प्रतिशत (दिल्ली)	5,04,000	
3. मकान किराया भत्ता	3,60,000	
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार		1,39,200

टिप्पणी

श्री. किरण कुमार, SBI प्रबंधक, दिल्लीः कर योग्य HRA की गणना

विवरण	राशि
प्राप्त HRA	3,60,000
घटाएँः कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	1,39,200
कर योग्य HRA	2,20,800

उदा. 6ः श्री. अनुज मुंबई में SEBI में कार्यकारी आभियंता के पद पर कार्यरत् है, निम्न जानकारी के आधार पर कर मुक्त HRA तथा कर योग्य HRA की गणना कीजिए। मूल वेतन रु 80,000 प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन पर 50%, मकान किराया भत्ता (HRA) मूल वेतन के 40%। श्री अनुज जिस घर में निवास करता है वह उसके ससुरजी का है जहाँ वह किराए का भुगतान नहीं करता।

उत्तरः जब करदाता मकान के किराए का भुगतान नहीं करता, इस परिस्थिति में संपूर्ण प्राप्त HRA कर योग्य होगा। अर्थात् अनुज को प्राप्त मकान किराया भत्ता (HRA) (80,000 × 12 × 40%) = रु 3,84,000 कर योग्य मकान किराया भत्ता (HRA) होगा। इस स्थिति में धारा 10(13A) के अनुसार कर मुक्त मकान किराया भत्ता (HRA) नहीं रहेगा।

उदा. 7ः श्री. रामचंद्रन चेन्नई में एक निजी कंपनी में लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं, वे स्वयं के घर में निवास करते हैं, उन्हें वेतन से निम्न आय प्राप्त होती है– मूल वेतन रु 12,00,000 वार्षिक, महंगाई भत्ता रु 4,00,000 वार्षिक तथा मकान किराया भत्ता (HRA) रु 2,00,000 वार्षिक प्राप्त होता है। उपरोक्त जानकारी से कर मुक्त मकान किराया भत्ता (HRA) की गणना कीजिए।

उत्तरः जब करदाता स्वयं के घर में निवास करता है, इस स्थिति में पूर्णतः प्राप्त मकान किराया भत्ता (HRA) कर योग्य होगा। अर्थात् श्री. रामचंद्रन का कर योग्य मकान किराया भत्ता (HRA) रु 2,00,000 पूर्णतः कर योग्य है। रामचंद्रन को कर मुक्त मकान किराया भत्ता (HRA) की कटौती नहीं मिलेगी।

2. मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance) धारा 16(ii)–

नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को जन संपर्क (Public relation) सुदृढ़ बनाने के लिए दिया जाता है, यह प्रथम वेतन में सम्मिलित किया जाता है। तत्पश्चात् उसे धारा 16(ii) के अनुसार सकल वेतन में से कर मुक्त मनोरंजन भत्ता घटाया जाता है। धारा 16(ii) के अनुसार कर योग्य मनोरंजन भत्ता सरकारी कर्मचारियों के सकल वेतन में से घटाया जाता है। गैर–सरकारी कर्मचारियों को सकल वेतन में से मनोरंजन भत्ते की कटौती प्राप्त नहीं होती।

मनोरंजन भत्ते के लिए वेतन का अर्थ मूल वेतन होता है।

मनोरंजन भत्ता धारा 16(ii) के अनुसार कर मुक्त गणना करने के नियम–

टिप्पणी

(i) महत्तम रु 5,000

(ii) वेतन के 20% या

(iii) प्राप्त मनोरंजन भत्ता

उपर्युक्त (i), (ii) एवं (iii) में से कम राशि मनोरंजन भत्ते की कर मुक्त राशि होगी।

उदा. 8: श्री. राजेंद्र वर्धा में महाराष्ट्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग में व्यवसाय शिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं, उनका मूल वेतन रु 30,000 प्रति माह, मनोरंजन भत्ता रु 3,600 प्रति माह, प्राप्त मकान किराया भत्ता (HRA) रु 10,800 प्रति माह वेतन स्वरूप में प्राप्त होते हैं। श्री. राजेंद्र किराए के मकान में निवास करते हैं, जिस मकान में करदाता निवास करता है, उसका किराया प्रति माह रु 6,000 का भुगतान करदाता द्वारा किया जाता है। इस जानकारी के आधार पर सकल वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. राजेंद्र, व्यवसाय शिक्षण अधिकारी, वर्धा सकल वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	मूल वेतन (30,000 × 12)			3,60,000
+	मनोरंजन भत्ता (3,600 × 12)			43,200
+	कर योग्य HRA	1		93,600
	सकल वेतन			4,96,800

क्रियात्मक टिप्पणी (WN)

कर योग्य HRA की गणना– इस गणना के लिए सर्वप्रथम कर मुक्त HRA धारा 10 (13A) के अनुसार आगणित की जाएगी। तत्पश्चात् इस राशि को प्राप्त मकान किराया भत्ता (HRA) में से घटाया जाएगा। जो राशि शेष रहेगी, वह कर मुक्त WN रहेगी।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

3,60,000 + – + – = 3,60,000

विवरण	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत) 72,000 – 36,000	36,000
2. वेतन के 40 प्रतिशत (वर्धा) (3,60,000 × 40%)	1,44,000
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता (10,800 × 12%)	1,29,600
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	36,000

कर योग्य HRA = प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA

1,29,600 – 36,000 = 93,600

3. अन्य भत्ते (Other Allowance)–

जो अंशतः कर मुक्त हैं, उनकी सारणी निम्न है।

सारणी क्र. 2.2

क्र.	भत्ते का नाम	अधिकतम कर मुक्त राशि
1	बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता	रु 100 प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चों के लिए
2	बच्चों के छात्रावास व्यय के लिए भत्ता (भारत में कहीं भी)	रु 300 प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चों के लिए
3	जनजाति क्षेत्र भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, तथा एजेंसी क्षेत्र भत्ता	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, प. बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार राज्यों के लिए रु 200 प्रति माह कर मुक्त।
4	विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता– विशेष पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता/अधिक ऊँचाई के स्थान का भत्ता, असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता तथा पहाड़ से खिसककर नीचे गिरे हुए ढेर स्थान का भत्ता	1. मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर के निर्दिष्ट स्थान प्रति माह रु 800 कर मुक्त।
		2. जम्मू–कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र के लिए रु 7,000 प्रति माह कर मुक्त।
		3. उपरोक्त 1 तथा 2 को छोड़कर अन्य स्थान समुद्र तल से 1000 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई पर स्थित हो, तो रु 300 प्रति माह कर मुक्त।
5	विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता– सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, मरम्मत बस्ती भत्ता, तनाव क्षेत्र भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता तथा अशांत क्षेत्र भत्ता	1. छोटा अण्डमान, निकोबार, नरकोंडम टापू, उत्तरी व मध्य अण्डमान, लक्षद्वीप, मिनीकॉय टापू, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, मिज़ोराम, जम्मू–कश्मीर के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत ऊँचाई के क्षेत्र के लिए रु 1,300 प्रति माह भत्ता कर मुक्त है।
		2. भारत के महाद्वीपीय मग्नतट तथा भारत से पृथक् आर्थिक क्षेत्र में रु 1,100 प्रति माह भत्ता कर मुक्त है।

		3. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अण्डमान, मिजोरम का जिला लुंगलेई, त्रिपुरा, जम्मू–कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो उपरोक्त 1 में समाविष्ट नहीं होने की स्थिति में रु 1,050 प्रति माह भत्ता कर मुक्त है।
		4. मिजोरम का जिला आइजोल, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर (जो उपरोक्त 1 तथा 3 में समाविष्ट नहीं है), पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, हरियाणा में हिसार, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, मिजोरम एवं त्रिपुरा, कर्णप्रयाग, गौचर, चमोली, रुद्र प्रयाग तथा असकोटे क्षेत्र के लिए भत्ता रु 750 प्रति माह कर मुक्त है।
		5. कर्नाटक के शिमोगा जिले के जोग झरने का क्षेत्र रु 300 प्रति माह कर मुक्त।
		6. हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त 1, 2 तथा 3 में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र तथा समूचे असम एवं मेघालय के लिए रु 200 प्रति माह कर मुक्त।
6	यातायात संचालन में लगे हुए कर्मचारियों को प्राप्त परिवहन भत्ता	यह भत्ता समूचे भारत में यातायात संचालन में लगे हुए कर्मचारियों को प्राप्त परिवहन भत्ते के 70 प्रतिशत या रु 10,000 प्रति माह जो दोनों में से कम हो, वह कर मुक्त भत्ता रहेगा। (यह भत्ता उसी समय कर मुक्त रहेगा जब संबंधित कर्मचारी को किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं होता हो)
7	क्षतिपूरक लड़ाई मैदानी क्षेत्र का भत्ता	अरुणाचल प्रदेश के तिरप तथा चंगलॉंग जिले आदि, समूचा मणिपुर तथा नागालैंड तथा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर के कुछ क्षेत्र के लिए यह भत्ता रु 2,600 प्रति माह कर मुक्त है।
8	क्षतिपूरक लड़ाई के मैदान का संशोधित भत्ता	पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर के निर्धारित क्षेत्र तथा समूचा मिज़ोरम तथा त्रिपुरा क्षेत्र में रु 1,000 प्रति माह कर मुक्त है।
9	जवाबी कार्रवाई के लिए सेना के सदस्यों को अपने स्थायी डेरे से दूर कार्रवाई करने हेतू भत्ता	समूचे भारत में यह भत्ता सेना के जवानों को संबंधित जवाबी कार्रवाई के लिए रु 3,900 प्रति माह कर मुक्त है।
10	कार्यस्थल पर यातायात के लिए अंधे, गूंगे, बहरे तथा विकलांग कर्मचारी के टिनर भत्ता	यह भत्ता संबंधित कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने–जाने हेतु रु 3,200 प्रति माह कर मुक्त है।
11	सेना के जवानों को अति ऊँचाई वाले क्षेत्र में कार्यरत् होने पर भत्ते	1. 9,000 से 15,000 फीट ऊँचाई पर रु 1,060 प्रति माह तक कर मुक्त।
		2. 15,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर रु 1,600 प्रति माह तक कर मुक्त।

12	सशस्त्र सैन्य बलों के सदस्यों के लिए अत्यधिक सक्रिय फिल्ड एरिया भत्ता	संपूर्ण भारत में यह भत्ता रु 4,200 प्रति माह तक कर मुक्त है।
13	अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में कर्त्तव्य भत्ता	रु 3,250 प्रति माह कर मुक्त है।
14	उपद्रव नियंत्रण भत्ता	संपूर्ण भारत में रु 3,900 प्रति माह कर मुक्त है।

2.2.5.1.3 पूर्ण कर योग्य भत्ते (Fully Taxable Allowances)

1. **महंगाई भत्ता/वेतन (Dearness Allowance/Pay)**– यह भत्ता कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा महंगाई के कारण दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
2. **नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (City Compensatory Allowance)**– यह भत्ता कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा शहरों में कर्मचारियों का निर्वाह व्यय अधिक होने के कारण दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
3. **ग्रामीण भत्ता (Rural Allowance)**– ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
4. **चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance)**– नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नगद स्वरूप में चिकित्सा व्यय के लिए यह भत्ता दिया जाता है, जो खर्च हो या नहीं हो, वह पूर्णतः कर योग्य है।
5. **नौकर भत्ता (Servant Allowance)**– यह भत्ता नियोक्ता द्वारा किसी भी स्तर के कर्मचारियों को नौकरों के खर्च हेतु दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
6. **प्रॉक्टर/वार्डन भत्ता (Proctorship Allowance)**– यह भत्ता विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत् अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को छात्रावास के निरीक्षण तथा नियंत्रण कार्य हेतु दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
7. **परियोजना भत्ता (Project Allowance)**– विशिष्ट परियोजना में कार्य करने के लिए यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
8. **प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance)**– कर्मचारियों को अपने रोजाना कार्य के साथ अन्य कामों के लिए अस्थायी रूप से अन्य विभागों में, अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तब यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।
9. **अधिसमय भत्ता (Overtime Allowance)**– कर्मचारी द्वारा अपने निर्धारित समय से अतिरिक्त समय काम किया हो, तो उसके लिए यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है, जो पूर्णतः कर योग्य है।

टिप्पणी

10. टिफिन भत्ता (Tiffin Allowance)– कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर भोजन या नाश्ते के लिए जो भत्ता दिया जाता है, उसे टिफिन भत्ता कहते हैं, जो पूर्णतः कर योग्य है।

11. अन्य भत्ते (Other Allowances)– उपरोक्त भत्तों के अलावा अन्य नामों से जो भत्ते नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिए जाते हैं, वे पूर्णतः कर योग्य हैं।

उदा. पर्वतीय भत्ता, विवाह भत्ता, सेना कर्मचारियों को युद्ध क्षेत्र में रहने के लिए दिया जाने वाला भत्ता, परिवार भत्ता, अंतरिम राहत भत्ता, जलपान भत्ता आदि।

उदा. 9: श्री. रमेश एक निजी यातायात कंपनी में निरीक्षक है, उन्हें नियोक्ता से मूल वेतन रु 18,000 प्रति माह, महंगाई भत्ता रु 3,600 प्रति माह (सेवा शर्तों के अधीन नहीं), मनोरंजन भत्ता रु 500 प्रति माह, मकान किराया भत्ता रु 3,000 प्रति माह, शहर क्षतिपूर्ति भत्ता रु 400 प्रति माह, चिकित्सा भत्ता रु 300 प्रति माह, शिक्षा भत्ता एक बच्चे के लिए रु 300 प्रति माह, परियोजना भत्ता रु 200 प्रति माह, यातायात भत्ता रु 7,200 प्रति माह प्राप्त होता है।

करदाता ने गत वर्ष में आगन्तुकों के सत्कार पर रु 1,800 व्यय किए तथा मकान किराया रु 2,000 प्रति माह भुगतान किया, उनका पुत्र निजी स्कूल में पढ़ता है। करदाता ने अपनी चिकित्सा के लिए रु 1,600 खर्च किया।

उपरोक्त जानकारी से श्री. रमेश की सकल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

उत्तर: श्री. रमेश, निजी यातायात कंपनी, कोलकाता में कार्यरत, के सकल वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	मूल वेतन (18,000 × 12)			2,16,000
+	महंगाई भत्ता (3,600 × 12)			43,200
+	मनोरंजन भत्ता (500 × 12)			6,000
+	कर योग्य HRA	1		33,600
+	शहर क्षतिपूर्ति भत्ता (400 × 12)			4,800
+	चिकित्सा भत्ता (300 × 12)			3,600
+	परियोजना भत्ता (200 × 12)			2,400
+	कर योग्य परिवहन भत्ता	2		25,920

+	बच्चों के शिक्षा भत्ते की कर योग्य राशिः			
	प्राप्त शिक्षा भत्ता		3,600	
	– प्रति बच्चा रु 100 प्रति माह दो बच्चों के लिए कर मुक्त		1,200	
	कर योग्य शिक्षा भत्ता		2,400	2,400
	सकल वेतन			3,37,920

क्रियात्मक टिप्पणी (WN)

WN 1– कर योग्य मकान किराया भत्ता (HRA) की गणना

कर मुक्त मकान किराया भत्ता (HRA) धारा 10(13A) के अनुसार गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

2,16,000 + – + – = 2,16,000

विवरण	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन का 10 प्रतिशत) 24,000 – 21,600	2,400
2. वेतन का 50 प्रतिशत – (कोलकाता) (2,16,000 × 50%)	1,08,000
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता (3,000 × 12)	36,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	2,400

कर योग्य HRA= प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA

36,000 – 2,400 = 33,600

WN 2– कर योग्य परिवहन भत्ते की राशि का आगणन

(i) प्राप्त परिवहन भत्ते के 70 प्रतिशतः 7,200 × 12 × 70% = 60,480

(ii) अधिकतम 10,000 प्रति माहः 10,000 × 12 = 1,20,000

उपरोक्त और (i) में (iii) से कम राशि कर मुक्त रहेगी अर्थात् रु 60,480 कर योग्य परिवहन भत्ता = प्राप्त परिवहन भत्ता – कर मुक्त परिवहन भत्ता

86,400 – 60,480 = 25,920

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

8. निम्नलिखित में से __________ आय कर मुक्त है।

(क) महंगाई भत्ता (ख) शहर क्षतिपूर्ति भत्ता

(ग) विदेश भत्ता (घ) इनमें से कोई नहीं

9. बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता __________ बच्चों के लिए कर मुक्त है।

(क) 3 (ख) 4

(ग) 2 (घ) 1

10. बच्चों के छात्रावास के लिए अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति माह रु __________ अधिकतम कर मुक्त है।

(क) 300 (ख) 600

(ग) 200 (घ) 100

11. यातायात संचालन में नियुक्त कर्मचारी को प्राप्त परिवहन भत्ता अधिकतम रु __________ तक कर मुक्त है।

(क) 4,000 (ख) 5,000

(ग) 10,000 (घ) 12,000

12. कार्यस्थल पर यातायात के लिए अंधे, गूंगे, बहरे तथा विकलांग कर्मचारियों के लिए आने–जाने हेतु प्रति माह रु __________ कर मुक्त हैं।

(क) 4,000 (ख) 3,200

(ग) 5,200 (घ) 10,000

13. एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में वेतन रु 1,20,000 तथा मनोरंजन भत्ता रु 10,000 प्राप्त होता है तथा कर्मचारी रु 6,000 मनोरंजन पर खर्च करता है, तो धारा 16(ii) के अनुसार __________ राशि कर मुक्त होगी।

(क) 5,000 (ख) 4,000

(ग) 10,000 (घ) 12,000

14. एक सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की कटौती अधिकतम रु __________ प्राप्त होती है।

(क) 4,000 (ख) 5,000

(ग) 10,000 (घ) 12,000

15. मकान किराया भत्ता __________ परिस्थिति में पूर्ण कर योग्य होगा।

(क) मकान का किराया वेतन के 10 प्रतिशत से कम हो

(ख) मकान का किराया वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक हो

(ग) मकान का किराया वेतन का 40 प्रतिशत हो

(घ) इनमें से कोई नहीं

16. मकान किराए के लिए वेतन के अर्थ में महंगाई भत्ते का समावेश __________ हो, तो किया जाता है।

(क) सेवा शर्तों के अधीन न हो

(ख) सेवा शर्तों के अधीन हो

(ग) मूल वेतन दिया हो

(घ) इनमें से कोई नहीं

17. मकान दिल्ली स्थित हो, तो इस स्थिति में वेतन का _________ प्रतिशत नियम के तहत् राशि कर मुक्त मकान किराए भत्ते के लिए ली जाएगी।
    (क) 50 (ख) 40
    (ग) 60 (घ) 30

2.2.6 अनुलाभ (Perquisite) धारा 17(2)

2.2.6.1 अनुलाभ का अर्थ तथा प्रकार (Meaning and Types of Perquisites)

अनुलाभ का सामान्य अर्थ ऐसे लाभों से है, जो किसी कर्मचारी को अपने पद पर रहते हुए सामान्य वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करने का अधिकार होता है। अनुलाभ नगद में नहीं बल्कि वस्तु, सुविधा एवं सेवा के रूप में दिए जाते हैं। अनुलाभ नियोक्ता द्वारा किसी अनुबंध अथवा स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। आयकर में अनुलाभ को मुद्रा के रूप नापा जाता है।

अनुलाभ के प्रकार

1. सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य
2. केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ
3. सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ

विशिष्ट कर्मचारी का अर्थ/विशिष्ट कर्मचारी किसे कहते हैं?

विशिष्ट कर्मचारी जो निम्न में से कम–से–कम एक शर्त पूरी करता हो–

- वह कंपनी का संचालक हो या,
- वह जिसके पास नियोक्ता के कंपनी के कम–से–कम 20% मताधिकार वाले समता अंश हों, या,
- गत वर्ष में वेतन की मौद्रिक आय की राशि रु 50,000 से अधिक हो।

विशिष्ट कर्मचारी के लिए वेतन का अर्थ मौद्रिक वेतन से है, जो धारा 17(2)(iii)(c) के अनुसार।

वेतन का अर्थ = (मूल वेतन + कर योग्य भत्ते + बोनस + कमिशन + अन्य शोधन जो नगद रूप में दिए जाते हैं) – (धारा 16 के अनुसार मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता एवं व्यवसाय नियोजन कर की राशि)

विशेष सूचना

गत वर्ष करदाता को एक या अधिक नियोक्ता द्वारा मौद्रिक आय से है।

2.2.6.2 सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ (Taxable Perquisites to all Employee)

टिप्पणी

निम्नांकित अनुलाभ सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं–

1. किराए से मुक्त मकान की सुविधा धारा 17(2)(i)
2. रियायती किराए पर मकान की सुविधा धारा 17(2)(ii)
3. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान धारा 17(2)(iv)
4. कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान धारा 17(2)(v)
5. कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी को आबंटित या अंतरित कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति/स्वीट इक्विटी शेयर का मूल्य धारा 17(2)(vii)
6. करदाता के लिए नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवार्षिता निधि में रु 1,50,000 से अधिक राशि का अंशदान। 17(2)(vii)
7. कोई अन्य लाभ या सुविधा जिसे निर्धारित किया गया हो, धारा 17(2)(viii) – आयकर नियम 3(7) के अंतर्गत इस श्रेणी में निम्नांकित सुविधाएँ निर्धारित की गई हैं–
   - (i) ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा
   - (ii) यात्रा, पर्यटन एवं आवास स्थान (अवकाश गृह) की सुविधा
   - (iii) निःशुल्क भोजन की सुविधा
   - (iv) उपहार तथा उपहार के लिए वाउचर या टोकन की सुविधा
   - (v) क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय की सुविधा
   - (vi) क्लब संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति की सुविधा
   - (vii) चल संपत्ति के उपयोग संबंधी सुविधा
   - (viii) चल संपत्ति को कम मूल्य पर हस्तांतरण की सुविधा
   - (ix) कोई अन्य लाभ, सुविधा, सेवा, अधिकार या विशेषाधिकार का मूल्य।

2.2.6.3 केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ धारा 17(2)(iii) (Taxable Perquisites to Specified Employee Section 17(2)(iii))

निम्नलिखित अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होते हैं, अन्य गैर–विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं–

- मोटर कार की सुविधा
- गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा
- शिक्षा की सुविधा
- घरेलू नौकरों की सुविधा
- निःशुल्क परिवहन की सुविधा

2.2.6.4 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ (Tax Free Perquisites to all Employee)

1. निम्न दशाओं में रहने के लिए मकान की सुविधा–

(i) खान, समुद्र तट पर तेल खोजने के स्थान, बांध निर्माण स्थल आदि स्थानों पर कार्यरत् कर्मचारी को सुविधा, यदि–

- मकान दूर–दराज क्षेत्र में स्थित हो, अथवा
- मकान अस्थायी प्रकृति का हो एवं 800 वर्ग फुट तक का हो तथा नगर पालिका की सीमा से 8 किलोमीटर से अधिक दूर हो।

(ii) स्थानांतरण पर 90 दिन तक दो मकान देने पर एक मकान की सुविधा।

(iii) स्थानांतरण पर 15 दिन तक किसी होटल में व्यवस्था।

(iv) न्यायाधीशों को मुफ्त आवास की सुविधा।

(v) संसद के अधिकारियों को मुफ्त आवास की सुविधा।

2. बिना ब्याज अथवा रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा–

(i) यदि मूल ऋण की राशि रु 20,000 से अधिक नहीं हो।

(ii) आय कर नियम 3A में उल्लेखित बीमारी के इलाज के लिए ऋण लिया गया हो।

3. नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा रु 1,000 प्रति माह प्रति बच्चे तक।

4. कंप्यूटर एवं लैपटॉप के निजी उपयोग की सुविधा।

5. यात्रा व्यय में सहायता, निर्धारित द्वारा दिया गया कर।

6. विदेश में दी गई सुविधा।

7. गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा दिया गया कर।

8. घर से कार्यालय जाने–आने के लिए वाहन सुविधा।

9. टेलिफोन तथा मोबाईल फोन की सुविधा।

10. रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि की सुविधा।

11. कार्यालय के काम के लिए पत्रिकाएँ एवं जर्नल की सुविधा।

12. चिकित्सा सुविधाएँ, निर्धारित नियमों के अनुसार।

13. कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान।

14. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के संबंध में ली गई दुर्घटना बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान।

15. कुछ चल संपत्तियों का दस वर्ष तक उपयोग के बाद हस्तांतरण।

टिप्पणी

महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण

1. परिवार के सदस्य से आशय – अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए निम्न को परिवार का सदस्य माना जाता है–

(a) कर्मचारी का जीवन साथी

(b) कर्मचारी के बच्चे एवं उनके जीवन साथी

(c) कर्मचारी के माता–पिता

(d) कर्मचारी के नौकर एवं आश्रित व्यक्ति

2.2.6.5 अनुलाभों का मूल्यांकन (Valuation of Perquisites)

1. किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन (Valuation of RFA-Rent free Accommodation)– किराया मुक्त मकान अर्थात् नियोक्ता अपने कर्मचारियों को जो मकान सुविधा (होटल, अतिथि गृह आदि) प्रदान करते हैं तथा जो मुफ्त में दी जाती हैं, वह सुविधा दो प्रकार हैं–

(i) असुसज्जित मकान (Unfurnished House)

(ii) सुसज्जित मकान (Furnished House)

इस अनुलाभ का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है–

A. सरकारी कर्मचारी (राज्य तथा केंद्र सरकार के कर्मचारी)

B. अन्य कर्मचारी (राज्य तथा केंद्र सरकार के कर्मचारी छोड़कर)

A. सरकारी कर्मचारी– सरकारी कर्मचारी के लिए किराया मुक्त रहने की सुविधा का मूल्य निम्न होगा–

(i) असुसज्जित मकान का मूल्यांकन– सरकारी कर्मचारी के लिए यह सुविधा का मूल्यांकन सरकारी नियमों के तहत् होगा।

(ii) सुसज्जित मकान का मूल्यांकन– सुसज्जित मकान का आशय उस मकान से है जिसमें फर्निचर, रेफ्रीजरेटर, टेलीविजन, रेडिओ, एयर कंडीशनर तथा घरेलू साज आदि. इन सुविधाओं का मूल्यांकन सुविधा के परिव्यय का 10% तथा यह सुविधा नियोक्ता ने किराए पर लेकर उपलब्ध कराई गई हो, तो सुविधा का मूल्यांकन होगा।

B. गैर–सरकारी कर्मचारी– गैर–सरकारी कर्मचारियों के लिए किराया मुक्त रहने की सुविधा का मूल्य निम्न होगा–

(a) असुसज्जित मकान का मूल्यांकन–

(i) अगर निवास का स्वामी नियोक्ता हो– आबादी जनगणना 2001 के अनुसार मूल्यांकन की सुविधा के लिए आधार मानी जाएगी।

सारणी क्र. 2.3

10 लाख या उससे कम आबादी वाले शहर	10 लाख से 25 लाख तक आबादी वाले शहर	25 लाख से अधिक आबादी वाले शहर
वेतन के 7.5 प्रतिशत मकान में रहने की सुविधा का मूल्यांकन	वेतन का 10 प्रतिशत मकान में रहने की सुविधा का मूल्यांकन	वेतन का 15 प्रतिशत मकान में रहने की सुविधा का मूल्यांकन

(ii) अगर निवास का स्वामी नियोक्ता न हो– इस स्थिति में इस विधा का मूल्यांकन दत्त किराया या वेतन का 15 प्रतिशत, जो कम हो।

सुसज्जित मकान का मूल्यांकन

सारणी क्र. 2.4

विवरण	राशि
असुसज्जित मकान का मूल्यांकन	xxxx
+ फर्निचर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ नियोक्ता की हो, तो परिव्यय का 10 प्रतिशत अथवा किराए पे लेकर सुविधा दी गई हो तो वास्तविक किराया।	xxxx
सुसज्जित मकान का मूल्यांकन	xxxx

2. रियायती दर पर मकान का मूल्यांकन– (असुसज्जित घर का मूल्यांकन + फर्निचर आदि सुविधा नियोक्ता की हो, तो परिव्यय का 10 प्रतिशत अथवा किराए से सुविधा दी हो, तो वास्तविक किराया) – नियोक्ता द्वारा वसूल किया किराया = रियायती दर पर घर का मूल्यांकन।

3. यदि नियोक्ता (सरकार अथवा अन्य) द्वारा दिया गया रहने का स्थान एक होटल हो–

सारणी क्र. 2.5

विवरण	अनुलाभ का मूल्यांकन
1. स्थानांतरण की दशा में रहने का अवधि 15 दिन से अधिक न हो	अनुलाभ का मूल्य शून्य रहेगा
2. अन्य दशाओं में यह सुविधा 15 दिनों से अधिक समय के लिए दी गई हो, तो	वेतन का 24% अथवा होटल का वास्तविक किराया, दोनों में से जो कम हो वह अनुलाभ का मूल्यांकन

नोट– अगर नियोक्ता परिस्थिति 2 में कोई राशि वसूल करता है, तो उसे घटाकर शेष राशि इस सुविधा का मूल्यांकन मानी जाएगी।

4. कार्य स्थल पर रहने का मकान– कार्य स्थल पर रहने के मकान की सुविधा का मूल्य शून्य होगा, जिसकी निम्न शर्तें हैं–

परिस्थिति–A

(i) वह मकान 800 वर्ग फुट से बड़ा न हो

(ii) मकान अस्थायी प्रकृति का हो

(iii) नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से कम–से–कम आठ किलो मीटर दूर हो।

परिस्थिति–B मकान दूरस्थ क्षेत्र में हो

(i) दूरस्थ क्षेत्र का अर्थ– ऐसा क्षेत्र जो 20 हजार तक जनसंख्या के कस्बे से कम–से–कम 40 किलो मीटर दूर हो।

5. स्थानांतरण की दशा में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के स्थानांतरण के पश्चात् प्रयुक्त मकान का मूल्यांकन निम्न होगा–

(a) स्थानांतर के पश्चात् 90 दिनों तक स्थानांतरण के पूर्व स्थान पर तथा स्थानांतरण के पश्चात् स्थान पर इस सुविधा का लाभ का मूल्यांकन– स्थानांतरण के पश्चात् 90 दिनों तक कर्मचारी का अधिकार दोनों मकान के किराया मूल्य सुविधा का मूल्यांकन उपरोक्त विधि से किया जाएगा तथा जिस मकान का मूल्यांकन कम होगा, वह इस अनुलाभ का मूल्य होगा।

(b) स्थानांतर के पश्चात् 90 दिनों तक स्थानांतरण के पूर्व स्थान पर तथा स्थानांतरण के पश्चात् दोनों स्थान पर अधिकार–इस सुविधा के लाभ का मूल्यांकन– स्थानांतरण के पश्चात् 90 दिनों के बाद कर्मचारी का अधिकार दोनों मकान का किराया मूल्य सुविधा का मूल्यांकन निकाला जाएगा तथा दोनों मकान का मूल्यांकन सुविधा का मूल्यांकन माना जाएगा।

किराया से मुक्त मकान के लिए वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान।

उदा. 10: नियोक्ता द्वारा दिल्ली (जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा) रु 30,000 प्रति माह किराए पर उठाया। उसे श्री. प्रकाश को किराए मुक्त मकान सुविधा के अंतर्गत मकान प्रयुक्त करने के लिए दिया गया। श्री. प्रकाश का वार्षिक वेतन रु 30,00,000 है, तो उस मकान के किराए से मुक्त सुविधा का मूल्यांकन निम्न परिस्थितियों में कीजिए–

(a) असुसज्जित घर

(b) सुसज्जित घर (फर्निचर आदि जिसकी लागत रु 5,00,000 है)

(c) नियोक्ता असुसज्जित घर के सुविधा का रु 15,000 प्रतिमाह किराया वसूल करता है।

(d) नियोक्ता सुसज्जित मकान की सुविधा का रु 15,000 प्रतिमाह किराया वसूल करता है।

उत्तर: किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन (मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है तथा दिल्ली की आबादी 25 लाख से अधिक है, यह गृहित मान कर)

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के आधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

वेतन = 30,00,000 (वार्षिक) वेतन का कोई भी अलग से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिए वह किराया मुक्त मकान सुविधा का मूल्यांकन के लिए वेतन का अर्थ होगा।

परिस्थिति (a) असुसज्जित घर का मूल्यांकन

विवरण	राशि
वेतन का 15 प्रतिशत 30,00,000 × 15%	4,50,000
वास्तविक किराया 30,000 × 12	3,60,000
उपरोक्त दोनों में से कम असुसज्जित घर की सुविधा का मूल्य होगा	3,60,000

परिस्थिति (b) सुसज्जित घर का मूल्यांकन

असुसज्जित घर का मूल्यांकन + नियोक्ता द्वारा फर्निचर आदि सुविधा के परिव्यय मूल्य का 10 प्रतिशत

3,60,000 (परिस्थिति (b) के अनुसार) + 50,000 (फर्निचर परिव्यय मूल्य 5 लाख का 10 प्रतिशत) = 4,10,000

परिस्थिति (c) असुसज्जित घर का मूल्यांकन

जब नियोक्ता कर्मचारी से रु 15,000 प्रति माह के हिसाब से सुविधा का मूल्य वसूल करता है।

3,60,000 (परिस्थिति (a) के अनुसार) – 1,80,000 = 1,80,000 (रियायती दर पर सुविधा का मूल्य)

परिस्थिति (d) सुसज्जित घर का मूल्यांकन

जब नियोक्ता कर्मचारी से रु 15,000 प्रति माह के हिसाब से सुविधा का मूल्य वसूल करता है।

(असुसज्जित घर का मूल्यांकन + नियोक्ता द्वारा फर्निचर आदि सुविधा के परिव्यय मूल्य का 10 प्रतिशत) – नियोक्ता द्वारा वसूल सुविधा का मूल्य

(3,60,000 (परिस्थिति (a) के अनुसार) + 50,000 (फर्नीचर परिव्यय मूल्य 5 लाख का 10 प्रतिशत = 4,10,000) – 1,80,000 = 2,30,000 (रियायती दर पर सुविध का मूल्य)

उदा. 11: न्यू अपूर्व सेल्स कंपनी में श्री. लोकेश कुमार को वार्षिक वेतन 10,00,000 तथा कंपनी का मकान, किराया मुक्त मकान सुविधा के तहत् देता है, जिसका वार्षिक मूल्य रु 50,000 है, निम्न परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए–

टिप्पणी

परिस्थिति (a) जनगणना 2001 के अनुसार आबादी 10 लाख से अधिक नहीं।

परिस्थिति (b) जनगणना 2001 अनुसार 10 लाख से अधिक तथा 25 लाख तक।

परिस्थिति (c) जनगणना 2001 अनुसार 25 लाख से अधिक किराया मुक्त सुविधा का मूल्यांकन।

उत्तर: परिस्थिति (a), (b) तथा (c) किराए से मुक्त सुविधा का मूल्यांकन।

इस सुविधा का मूल्यांकन के लिए वेतन का अर्थ वार्षिक वेतन माना जाएगा, क्योंकि वेतन का अन्य स्पष्टीकरण **उदा.** में नहीं दिया है।

मकान का स्वामी नियोक्ता है, क्योंकि **उदा.** में वार्षिक मूल्य का उल्लेख है। (गृह संपत्ति की आय वार्षिक मूल्य के आधार पर निकाली जाती है, जब करदाता उस मकान संपत्ति का स्वामी हो) इसलिए वार्षिक मूल्य का इस सुविधा के मूल्य के आगणन से कोई औचित्य नहीं है–

- **परिस्थिति (a)**– जनगणना 2001 के अनुसार आबादी 10 लाख के अधिक नहीं।

  इस परिस्थिति (a) में वेतन के 7.5% अर्थात् 10,00,000 × 7.5% = 75,000
- **परिस्थिति (b)**– जनगणना 2001 के अनुसार आबादी 10 लाख से अधिक 25 लाख तक।

  इस परिस्थिति (b) में वेतन के 10% अर्थात् 10,00,000 × 10% = 1,00,000
- **परिस्थिति (c)**– जनगणना 2001 के अनुसार आबादी 25 लाख से अधिक।

  इस परिस्थिति (c) में वेतन के 15% अर्थात् 10,00,000 × 15% = 1,50,000

उदा. 12: निम्न सूचना के आधार पर अशोक लोकमत समूह में प्रबंधक पद पद पर दिल्ली में कार्यरत् है, नियोक्ता द्वारा करदाता को किराया मुक्त मकान सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

मूल वेतन रु 4,00,000 महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के आधीन) रु 1,00,000, मनोरंजन भत्ता रु 10,000, बोनस रु 2,00,000, कमिशन रु 1,00,000, फर्राश की सुविधा 6,000, बिजली का भुगतान नियोक्ता द्वारा 3,000, कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी का योगदान 30,000।

उत्तर: असुसज्जित किराया मुक्त मकान सुविधा के मूल्य का आगणन।

किराया मुक्त मकान सुविधा के मूल्य के लिए वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) + अन्य कर योग्य भत्ते + बोनस + कमिशन अन्य रोख प्राप्तियाँ।

नोट– इस सुविधा के मूल्यांकन में फर्राश सुविधा, बिजली के बिल का भुगतान, नियोक्ता का कर्मचारी के भविष्य निधि में योगदान का समावेश नहीं होगा)

वेतन = 4,00,000 + 1,00,000 + 10,000 + 2,00,000 + 1,00,000 = 8,10,000।

करदाता श्री. अशोक दिल्ली में कार्यरत् है, वहाँ की आबादी जनगणना 2001 के अनुसार 25 लाख से अधिक है, इस आधार पर सुविधा का मूल्यांकन।

नियम–इ

उदा. 13: श्री. राकेश कुमार की नई नियुक्ति भोपाल में हुई, जहाँ नियोक्ता ने उन्हें 25 दिन होटल में रहने की सुविधा दी, तत्पश्चात् उन्हें नियोक्ता द्वारा किराया मुक्त मकान की सुविधा उपलब्ध कराई, इस परिस्थिति में, निम्न सूचना के आधार पर सुविधा के उचित मूल्य का आगणन कीजिए–

(a) होटल, कमरे का किराया रु 2,000 प्रति दिन

(b) इस सुविधा के लिए वेतन रु 7,30,000

(c) राकेश कुमार से नियोक्ता ने प्रति दिन रु 400 दर से सुविधा का मूल्य वसूला।

उत्तर: होटल में सुविधा का मूल्य (रियायती दर पर)

श्री. राकेश की नई नियुक्ति है, इसलिए उन्हें 15 दिन की अवधि की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह लाभ सिर्फ कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के पश्चात् प्राप्त होता है।

इस सुविधा के लिए वेतन को सुविधा काल के अनुपात में आगणित किया जाएगा तथा उसके पश्चात् उसका मूल्य आगणित किया जाएगा–

(i) वेतन का 24 प्रतिशत $[(14{,}60{,}000 \times 25)\ 365] \times 24\% = 24{,}000$

(ii) होटल कमरे का किराया $2{,}000 \times 25 = 50{,}000$

उपरोक्त में से कम सुविधा का मूल्य होगा अर्थात् रु 24,000

24,000 में से वसूल किया गया किराया घटाया जाएगा। वह शेष मूल्य हॉटेल सुविधा का मूल्य होगा अर्थात् $24{,}000 - (400 \times 25) =$ रु 14,000

उदा. 14: देशपांडे एंड कंपनी, यवतमाल ने एक मकान रु 1,00,000 मासिक दर से किराएपे लिया, जिसमें निवासी दो इकाईयाँ थी, इसे दो कर्मचारियों को आबंटित की गई जिनका नाम चंद्रकांत तथा सूर्यकांत था।

चंद्रकांत का वार्षिक वेतन रु 10,00,000 और सूर्यकांत का वार्षिक वेतन रु 50,00,000 इस आधार पर चंद्रकांत तथा सूर्यकांत के लिए किराया मुक्त मकान का मूल्य आगणित कीजिए।

उत्तर: किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन (इस सुविधा के लिए नियोक्ता ने निवास किराये से लिया है)

वेतन का अर्थ = उदा. में दिया वेतन वार्षिक वेतन होगा, क्योंकि वेतन संबंधी अन्य बातें उल्लेखित नहीं हैं।

नियोक्ता द्वारा पूरा मकान किराए से लिया है, जिसमें दो निवासी इकाई है, उसे दो कर्मचारियों को आबंटित की जाती हैं। इसलिए वास्तविक किराए को भी दो में विभाजित किया जाएगा।

चंद्रकांत के लिए किराया मुक्त मकान सुविधा का मूल्य–

वेतन का 15 प्रतिशत या वास्तविक किराया = इन दोनों में से कम।

वेतन का 15 प्रतिशत 10,00,000 × 15% = 1,50,000

वास्तविक किराया [(1,00,000 × 12)2] = 6,00,000

उपरोक्त में से कम अर्थात् रु 1,50,000

सूर्यकांत के लिए किराया मुक्त मकान सुविधा का मूल्य–

वेतन का 15 प्रतिशत या वास्तविक किराया = इन दोनों में से कम।

वेतन का 15 प्रतिशत 50,00,000 × 15% = 7,50,000

वास्तविक किराया [(1,00,000 × 12)2] = 6,00,000

उपरोक्त में से कम अर्थात् रु 6,00,000

उदा. 15: निम्न सूचना के आधार पर रहीम को नियोक्ता से प्राप्त किराया मुक्त मकान के लिए वेतन की गणना कीजिए।

मूल वेतन = रु 4,00,000, महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल नहीं) रु 60,000, मनोरंजन भत्ता रु 40,000, बोनस रु 60,000, कमिशन रु 60,000, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के जीवन बीमा पॉलिसियों की प्रव्याजी का शोधन, नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 14 प्रतिशत की दर से अंशदान रु 1,00,000, सवारी भत्ता रु 4,200, जो कार्यस्थल पर आने–जाने के लिए व्यय किया गया है। नियोक्ता द्वारा फर्राश की सुविधा का मूल्य रु 2,400, कर्मचारी के माली के सुविधा का मूल्य रु 5,000, कर्मचारी के बिजली बिलों का भुगतान रु 10,000, नियोक्ता ने बिना ब्याज से मकान बनाने के लिए ऋण सुविधा का मूल्य रु 9,000 है।

उत्तर: रहीम को नियोक्ता से प्राप्त किराया मुक्त मकान के लिए वेतन की गणना।

इस सुविधा के लिए वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के आधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

4,00,000 + 60,000 + 40,000 + 60,000 = 5,60,000

उपरोक्त वेतन सुविधा के लिए वेतन में महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल नहीं है), नियोक्ता द्वारा जीवन बीमा प्रव्याजी का शोधन नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान, परिवहन भत्ता, सफाई कर्मचारी तथा माली की सुविधा, बिजली बिल का शोधन तथा नियोक्ता द्वारा बिना ब्याज से दिया गया ऋण का समावेश इस सुविधा के वेतन के लिए नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी

कार–सुविधा मूल्यांकन का सारणीयन प्रदर्शन

सारणी क्र. 2.6

(A) ये कार नियोक्ता की हो अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया हो		
परिस्थितियाँ	**कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक हो (छोटी कार)**	**कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो (बड़ी कार)**
(A)(i) केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए	शून्य	शून्य
(A)(ii) केवल निजी उपयोग के लिए	चलाने एवं रख–रखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया हो + कार की लागत का 10% (यदि नियोक्ता स्वामी हो) अथवा कार का किराया– कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि।	चलाने एवं रख–रखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया हो + कार की लागत का 10% (यदि नियोक्ता स्वामी हो) अथवा कार का किराया– कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि।
निजी एवं कार्यालयीन दोनों उपयोग के लिए– (A)(iii)(a) समस्त व्यय नियोक्ता वहन करे	रु 1800 प्रति माह + ड्राइवर रु 900 प्रति माह	रु 2400 प्रति माह + ड्राइवर रु 900 प्रति माह
(A)(iii)(b) निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन करे	रु 600 प्रति माह + ड्राइवर रु 900 प्रति माह	रु 900 प्रति माह + ड्राइवर रु 900 प्रति माह
(B) कार कर्मचारी की हो व खर्चे नियोक्ता वहन करें		
परिस्थितियाँ	**कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक हो (छोटी कार)**	**कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो (बड़ी कार)**
(B)(i) केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए	शून्य	शून्य
(B)(ii) केवल निजी उपयोग के लिए	वास्तविक व्यय (सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य)	वास्तविक व्यय (सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य)
(B)(iii) निजी एवं कार्यालयीन दोनों उपयोग के लिए	वास्तविक व्यय – रु 1,800 प्रति माह + ड्राइवर रु 900 प्रति माह	वास्तविक व्यय – रु 2,400 प्रति माह + ड्राइवर रु 900 प्रति माह

टिप्पणी

(C) एक से अधिक कारें निजी एवं कार्यालय उपयोग हेतु नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती हो		
परिस्थितियाँ	**कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक हो (छोटी कार)**	**कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो (बड़ी कार)**
कोई एक कार (कर्मचारी की इच्छानुसार) शेष कारें	उक्त (A)(iii) की भाँति उक्त (A)(ii) की भाँति	उक्त (A)(iii) की भाँति उक्त (A)(ii) की भाँति

कार सुविधा के मूल्यांकन के संबंध में विशेष नोट

(a) सामान्यतः 1.6 लीटर, 16 हॉर्सपावर (HP) एवं 1600 सी. सी. लगभग बराबर होते हैं।

(b) कार सुविधा की अवधि की गणना करने हेतु पूरा माह, दिनों को छोड़कर, आगणित करना चाहिए।

(c) कार कर्मचारी की हो तथा खर्च नियोक्ता वहन करता है, तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए सुविधा कर योग्य होगी। अविशिष्ट कर्मचारी के लिए सुविधा कर मुक्त होगी।

(d) कार की सुविधा नियोक्ता द्वारा किराए से ली हो तथा उसका खर्च नियोक्ता वहन करता है, तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए सुविधा कर योग्य होगी। अविशिष्ट कर्मचारी के लिए सुविधा कर मुक्त होगी।

नियोक्ता द्वारा चुकाए गए दायित्वों का मूल्य

जैसा कि यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है, जो यदि वह नहीं करता, तो कर्मचारी को चुकाना पड़ता, तो इसे अनुलाभ माना जाएगा तथा यह कर्मचारी के हाथों में कर योग्य होगा। मौद्रिक दायित्वों के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं–

(i) नियोक्ता द्वारा गैस/बिजली के बिलों का भुगतान या प्रतिपूर्ति।

(ii) बच्चों की शिक्षा के व्ययों का भुगतान या प्रतिपूर्ति।

(iii) आयकर या सेवा योजना कर का नियोक्ता द्वारा भुगतान।

इन सभी दशाओं में ऐसे मौद्रिक दायित्वों का मूल्य वह राशि होगी, जो नियोक्ता ने चुकाई है या व्यय की है तथा अनुलाभ विशिष्ट तथा गैर विशिष्ट सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा।

(i) नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई या देय जीवन बीमा किश्त/विलंबित वार्षिकी किश्त का मूल्यांकन

नियोक्ता द्वारा करदाता के जीवन बीमा हेतु या एक वार्षिकी के अनुबंध हेतु चुकाई गई या देय राशि जो प्रमाणित भविष्य निधि अथवा अनुमोदित सुपर एनुएशन फंड अथवा डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड से न दी गई हो, चाहे सीधे या किसी अन्य कोष से दी गई हो/देय हो, कर योग्य अनुलाभ मानी जाएगी और कर्मचारी

टिप्पणी

के वेतन में जोड़ी जाएगी। इस दशा में, नियोक्ता द्वारा की गई वास्तविक राशि अनुलाभ का मूल्य होगा।

यदि नियोक्ता किसी विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत बीमे की किश्त का भुगतान करता है, जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, फीडेलिटी गारंटी योजना, तो इसे अनुलाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये योजनाएँ सामान्यतः नियोक्ता के हित में होती हैं।

कर्मचारी के जीवन पर नियोक्ता द्वारा चुकाई गई जीवन बीमा किश्त निःसंदेह कर्मचारी के लिए अनुलाभ है। अतः यह उसके सकल वेतन में शामिल किया जाएगा। चूँकि, जीवन बीमा किश्त का भुगतान कर्मचारी की ओर से किया गया है तथा उसकी कुल आय में यह राशि शामिल की जा चुकी है, अतः ऐसे कर्मचारी को धारा 80C के अंतर्गत कटौती का लाभ लेने का अधिकार होगा।

(ii) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त किसी अन्य लाभ, सुविधा आदि का मूल्यांकन (Treatment of any other benefit amenity etc. provided by the employer) Rule 3(7)(ix) – नियम 3(7)(ix)–

सभी कर्मचारियों के लिए प्रवर्तनीय है। इस नियम के अनुसार – नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अन्य लाभ अथवा सुविधा, अधिकार या विशेषाधिकार का मूल्य निर्धारण, नियोक्ता को आने वाली लागत में कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान को घटा कर किया जाएगा। परंतु, यह नियम नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के टेलीफोन (मोबाईल फोन सहित) पर किए गए वास्तविक व्ययों पर लागू नहीं होगा।

2.2.6.6 सीमांत लाभ (Fringe benefit) अथवा सुख–सुविधाएँ जो अनुलाभ के रूप में कर योग्य (Marginal Gains or Amenities Taxable as Perquisites)

सीमांत लाभ अथवा सुख–सुविधाएँ जो सभी कर्मचारियों के हाथों में अनुलाभ के रूप में कर योग्य हैं–

1. ब्याज मुक्त अथवा रियायती दर पर ऋण (Interest Free or Concessional Loans (नियम 3(7)(i))– यदि नियोक्ता या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण देता है, तो इस सुविधा के मूल्य की गणना उस ब्याज की राशि के बराबर हो जाएगी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) उसी प्रकार के ऋण पर वार्षिक दर से लेता है। यदि कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य से ब्याज के रूप में कोई राशि वसूल की गई है, तो इसे प्रस्तुत गणना की गई राशि में से घटा दिया जाएगा।

निम्नलिखित दशाओं में यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को ऐसे ऋण की राशि दी गई है, तो इस सुविधा का मूल्य शून्य होगा–

यदि गत वर्ष में ऋणों के योग्य की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं है।

यदि ऋण नियम 3A में वर्णित बीमारियों (**उदा.** कैन्सर, एड्स, क्षय रोग आदि) के इलाज हेतु दिया गया है। यदि कर्मचारी को चिकित्सा बीमा होने पर कुछ राशि प्राप्त होती है, तो इस मद पर उसे उस सीमा तक छूट नहीं मिलेगी।

2. कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा छुट्टियों में घूमने, यात्रा करने, ठहरने आदि पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय अथवा व्ययों की प्रतिपूर्ति का मूल्य (नियम 3(7)(iii))– इन फायदों का मूल्य निम्न प्रकार से किया जाएगा।

सारणी क्र. 2.7

परिस्थितियाँ	फायदे या सुख–सुविधा का मूल्य
(a) जब यह सुविधा नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से प्रदान नहीं की जाती है।	(a) इस सुविधा का मूल्य उस राशि के बराबर होगा जिस पर अन्य संस्थाएँ आम जनता को सेवा प्रदान करती हैं।
(b) जब कर्मचारी कर्त्तव्य पालन के संबंध में दौरे पर हो और उसके साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों का व्यय नियोक्ता वहन करे।	(b) व्यय की गई वास्तविक राशि।
(c) यदि कर्त्तव्यपालन संबंधी दौरे को अवकाश के रूप में बढ़ा दिया जाए।	(c) बढ़ाई हुई अवधि के संबंधी में व्यय की गई राशि।
(d) किसी अन्य दशा में, जब यह सुविधा कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को दी गई हो।	(d) नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि।

यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से इस संबंध में कोई राशि वसूल की है, तो प्रस्तुत मूल्यांकन से उसे घटा दिया जाएगा।

3. मुफ्त भोजन तथा एल्कोहल रहित पेय पदार्थों का मूल्यांकन (नियम 3(7)(iii)) मुफ्त भोजन, चाय तथा नाश्ते इत्यादि का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा–

सारणी क्र. 2.8

परिस्थितियाँ	लाभ का मूल्य
(a) कार्य के घंटों के दौरान चाय या नाश्ते की सुविधा।	(a) शून्य।
(b) नियोक्ता द्वारा कार्यशील घंटों के दौरान मुफ्त भोजन तथा एल्कोहल रहित पेय पदार्थों की सुविधा जो दूरस्थ स्थान पर दी गई हो।	(b) शून्य।

(c) नियोक्ता द्वारा कार्यशील के घंटों के दौरान मुफ्त भोजन तथा एल्कोहल रहित पेय–पदार्थों की सुविधा यदि– (i) कार्यालय या व्यावसायिक भवन के भीतर दी गई है। (ii) पूर्वदत्त अहस्तांतरणीय प्रमाणक (वाउचर्स) के द्वारा दी गई है, जिनका उपयोग केवल भोजनालय में ही किया जा सकता है।	(c) यदि प्रति भोजन का मूल्य 50 रुपए तक है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य होगा। परंतु रु 50 प्रति भोजन से अधिक मूल्य होने की स्थिति में आधिक्य राशि कर योग्य होगी।
(d) किसी अन्य स्थिति में।	(d) नियोक्ता द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि जिसमें से इस सुविधा के लिए कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी।

मुफ्त भोजन के संबंध में यदि नियोक्ता ने रु 50 से अधिक प्रति भोजन की सुविधा दी है और इस संबंध में कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है, तो अनुलाभ का मूल्यांकन करते समय यह राशि घटा दी जाएगी।

4. उपहार वा वाउचर या टोकन की सुविधा (नियम 3(7)(iv))– यदि कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा कोई उपहार, वाउचर या टोकन जिससे कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य विशेष अवसरों पर उपहार प्राप्त कर सके, तो ऐसी सुविधा का मूल्य उस उपहार की राशि के बराबर माना जाएगा। परंतु, यदि गत वर्ष के दौरान ऐसे उपहार, वाउचर या टोकन का कुल योग मिलाकर 5,000 से कम है, तो ऐसे अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा।

5. क्रेडिट कार्ड्स पर व्यय (नियम 3(7)(v))–

सारणी क्र. 2.9

परिस्थितियाँ	लाभ का मूल्य
(a) जब किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक शुल्क पर व्यय किया गया है जो कि नियोक्ता द्वारा प्रदत्त क्रेडिट कार्ड से चार्ज किया जाता है तथा ऐसे व्यय की गई राशि का भुगतान अथवा उसकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर दी जाती है।	(a) नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई अथवा प्रतिपूर्ति की गई राशि सुविधा का मूल्य माना जाएगा।
(b) यदि प्रस्तुत (a) के अंतर्गत किए गए व्यय कर्मचारी द्वारा कर्त्तव्य पालन के संबंध में किए गए हों।	(b) सुविधा का मूल्य शून्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।

टिप्पणी

6. क्लब की सदस्यता तथा क्लब में किए जाने वाले व्यय (नियम 3(7)(vi))–

सारणी क्र. 2.10

परिस्थितियाँ	लाभ का मूल्य
(a) जब किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी क्लब में वार्षिक या सामायिक फीस को शामिल करते हुए किए गए ऐसे व्यय जिनका भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर दी जाए और ऐसे व्यय कर्त्तव्य पालन से संबंधित न हों।	(a) नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई अथवा प्रतिपूर्ति की गई वास्तविक राशि सुविधा का मूल्य होगी।
(a) यदि प्रस्तुत (a) में वर्णित व्यय पूर्ण रूप से तथा विशेष रूप से कर्त्तव्य पालन के संबंध में किए गए हैं।	(a) सुविधा का मूल्य शून्य होगा बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।

7. चल संपत्ति का उपयोग (Use of Movable Assets (नियम 3(7)(vii)))– यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य (Member of Household) को कई ऐसी चल संपत्ति (जिसका स्वामी नियोक्ता है अथवा उसने किराए पर ली हुई है) उपयोग के लिए देता है, तो इस अनुलाभ का मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा।

सारणी क्र. 2.11

परिस्थितियाँ	लाभ का मूल्य
(a) लैपटॉप तथा कंप्यूटर्स का प्रयोग	(a) शून्य
(b) लैपटॉप तथा कंप्यूटर्स के साथ–साथ नियमों में वर्णित संपत्तियों के अलावा अन्य चल संपत्ति जिनका स्वामी नियोक्ता है।	(b) संपत्ति की वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत वार्षिक।
(c) यदि चल संपत्ति नियोक्ता द्वारा किराए पर ली गई है।	(c) इसी संपत्ति का नियोक्ता द्वारा दत्त अथवा देय किराए की राशि।

8. किसी चल संपत्ति का हस्तांतरण (Transfer of any Movable Assets (नियम 3(8)(viii)))– यदि नियोक्ता द्वारा अपनी कोई चल संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरित की जाती है, तो उस अनुलाभ की गणना निम्न प्रकार की जाएगी–

टिप्पणी

सारणी क्र. 2.12

हस्तांतरित संपत्ति	लाभ का मूल्य
(a) कंप्यूटर्स तथा इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ	(a) ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत में से नियोक्ता द्वारा जितनी अवधि में इस संपत्ति का उपयोग किया गया है, उस अवधि का पूर्ण प्रतिवर्ष के लिए 50% की दर से क्रमागत अवक्षयण पद्धति (WDV) के आधार पर अवक्षयण की राशि घटाने के बाद निकाली गई राशि अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी।
(b) मोटर कार	(b) मोटर कार की वास्तविक लागत में से जितनी अवधि के मोटर कार का नियोक्ता द्वारा उपयोग किया गया है, उतनी अवधि का पूर्ण प्रतिवर्ष के लिए 20% की दर से क्रमागत अवक्षयण पद्धति के आधार पर अवक्षयण की राशि घटाने के बाद निकाली गई राशि अनुलाभ का मूल्य होगी।
(c) अन्य कोई चल संपत्ति	(c) संपत्ति की वास्तविक लागत में से नियोक्ता द्वारा जितनी अवधि के लिए संपत्ति का प्रयोग किया गया है, उस अवधि का पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 10% की दर से सीधी रेखा अवक्षयण पद्धति के आधार पर अवक्षयण की राशि घटाने के बाद गणना की गई राशि अनुलाभ का मूल्य होगी।

2.2.6.7 विशिष्ट कर्मचारियों की स्थिति में अनुलाभ का मूल्यांकन (Valuation of Perquisites in Case of Specified Employee)

1. कार मूल्यांकन– कार की सुविधा का मूल्यांकन। कार मूल्यांकन सारणी देखें।

2. पानी, बिजली तथा गैस की मुफ्त आपूर्ति– एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को मुफ्त गैस, बिजली व पानी की सुविधा प्रदान की गई है, तो कर्मचारियों के वेतन में शामिल किए जाने वाले अनुलाभ का मूल्य ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है।

सारणी क्र. 2.13

स्थिति	अनुलाभ का मूल्य
(a) यदि नियोक्ता गैस, बिजली, पानी का उत्पादक है अर्थात् अपने संसाधनों से देता है (बाहर की किसी एजेंसी से क्रय नहीं करता)।	(a) यदि नियोक्ता के द्वारा वहन की गई प्रति इकाई लागत को कर्मचारी के लिए कर योग्य मूल्य माना जाएगा।
(b) अन्य किसी स्थिति में।	(b) इन सुविधाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं को नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि।

3. निःशुल्क शिक्षा (नियम 3(5))–

सारणी क्र. 2.14

परिस्थितियाँ	लाभ का मूल्य
(a) जब शिक्षा संस्था स्वयं नियोक्ता की हो और उसका संचालन एवं प्रबंधन नियोक्ता द्वारा ही किया जाता हो।	(a) उसी स्थान पर समान अवसर की अन्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा की लागत। यदि शिक्षा सुविधाएँ कर्मचारी के बच्चे को दी गई हैं (परिवार का अन्य कोई सदस्य इसमें नहीं आता) तो उसका अनुलाभ शून्य होगा, यदि शिक्षा की ऐसी लागत प्रति बच्चा 1,000 रुपए प्रति माह से अधिक न हो।
(b) जब कर्मचारी के परिवार के अन्य किसी भी व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा सुविधा अन्य किसी शिक्षा संस्था में दी जा रही हो।	(b) उसी स्थान पर समान प्रकार की अन्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा की लागत। यदि शिक्षा सुविधाएँ कर्मचारी के बच्चे को दी गई हैं (परिवार का अन्य कोई सदस्य इसमें नहीं आता) तो उसका अनुलाभ शून्य होगा, यदि शिक्षा की ऐसी लागत प्रति बच्चा 1,000 रुपए प्रति माह से अधिक न हो।
(c) अन्य मामलों में मुफ्त या रियायती दर पर शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान। यदि इस व्यय का कुछ भाग कर्मचारी से वसूल किया जाता हो, तो वह राशि उस अनुलाभ के मूल्य से घटा दी जाती है।	(c) नियोक्ता द्वारा इस संबंध में किया गया व्यय।
(d) जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का शिक्षा शुल्क स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भरता हो।	(d) प्रत्यक्ष रूप से भरा गया शुल्क सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा।

अगर कोई वसूली नियोक्ता द्वारा की जाती है, तो उसे उपरोक्त मूल्यांकन में से घटाकर शेष राशि इस सुविधा का मूल्यांकन माना जाएगा।

विशेष सूचना

बच्चों में सौतेला बच्चा और गोद लिए बच्चों का समावेश होता है। पोता या पोती का समावेश नहीं होता।

4. यातायात उद्यमों द्वारा वाहन की सुविधा (नियम 3(6))– कोई उपक्रम या व्यवसायी, जो माल व सवारियों को लाने–ले–जाने के कार्य में संलग्न है, अपने कर्मचारियों या उनके परिवार के किसी सदस्य को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर यातायात की सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसी सुविधा का कर योग्य मूल्य वह होगा जो उस उपक्रम द्वारा सामान्य जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता है।

5. सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली तथा अन्य घरेलू नौकर की मुफ्त सेवा (नियम 3(3))– एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को घरेलू नौकरों की सुविधा भी प्रदान की जाती है। घरेलू नौकरों में सफाई कर्मचारी (फर्राश), चौकीदार, माली या अन्य कोई घरेलू नौकर, जैसे रसोईया सम्मिलित है। इनकी नियुक्ति नियोक्ता द्वारा भी की जा सकती है तथा स्वयं कर्मचारी द्वारा भी। इन सुविधाओं के मौद्रिक मूल्यांकन के निम्नलिखित नियम हैं–

(a) **नियोक्ता द्वारा नौकर की नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया जाना**– फर्राश, माली, रसोईया, चौकीदार एवं अन्य घरेलू नौकर आदि। चौकीदार में दरबान एवं सुरक्षागार्ड इत्यादि आते हैं। नियोक्ता द्वारा माली, रसोईया, चौकीदार एवं अन्य किसी नौकर को भुगतान की वास्तविक राशि अथवा नियोक्ता को इन नौकरों के संबंध में आई कुल लागत कर्मचारी के लिए अनुलाभ का कर योग्य मूल्य माना जाएगा, किंतु ऐसा मकान जो नियोक्ता का है, उससे लगे बगीचे, तरण–ताल या अन्य स्थान के रख–रखाव के व्यय कर्मचारी के वेतन में नहीं जोड़ेगे अर्थात् उसे अनुलाभ नहीं माना जाएगा।

(b) **नौकर की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा, पारिश्रमिक का भुगतान नियोक्ता द्वारा अथवा पारिश्रमिक का भुगतान भी कर्मचारी द्वारा तथा उसकी प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा होना**– सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए (धारा 17(2)(iv)) के अंतर्गत संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। इस संबंध में भी मकान स्वयं कर्मचारी का हो, नियोक्ता का या किराए पर लेकर दिया हो।

6. चिकित्सा सुविधा (धारा 17(2) के अनुसार)– यह एक कर मुक्त अनुलाभ है। इसका विस्तृत विवरण कर मुक्त अनुलाभों के शीर्षक के अंतर्गत किया है। कभी–कभी यह अनुलाभ सामान्य अनुलाभ होता है तथा कभी–कभी यह विशिष्ट अनुलाभ होता है। सामान्य अथवा विशिष्ट अनुलाभ के रूप में यह कर योग्य होता है। इस अनुलाभ पर कर लगाने संबंधी प्रावधान निम्न हैं–

(a) यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की किसी भी डॉक्टर द्वारा की गई चिकित्सा के बिल कर्मचारी के नाम हैं तथा नियोक्ता इन बिलों का भुगतान करता है अथवा इन बिलों के भुगतान की प्रतिपूर्ति करता है, तो एक वर्ष में 15,000 रुपए से अधिक की प्रतिपूर्ति अथवा भुगतानित राशि सामान्य अनुलाभ की भाँति सामान्य एवं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ हैं। (कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में यह राशि कर योग्य होगी)।

(b) यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की किसी भी डॉक्टर द्वारा की गई चिकित्सा के बिल नियोक्ता के नाम हैं तथा नियोक्ता इन बिलों का भुगतान करता है अथवा इन बिलों के भुगतान की प्रतिपूर्ति करता है, तो एक वर्ष में 15,000 रुपए से अधिक भुगतानित या प्रतिपूर्ति राशि विशिष्ट अनुलाभ की भाँति विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है। (कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में यह राशि कर योग्य होगी)।

(c) **चिकित्सा सुविधा के मूल्यांकन के लिए परिवार का आशय–** एक व्यक्ति, उसका जीवन साथी तथा खुद के बच्चे तथा एक व्यक्ति के माता–पिता, भाई एवं बहन अथवा इनमें से कोई एक जो पूर्णतः एवं मुख्यतः उस व्यक्ति पर आश्रित है।

2.2.6.8 सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ (Tax Free Perquisites to all Employee)

कर मुक्त अनुलाभ (सभी कर्मचारियों के लिए) (Tax Free Perquisites for all Employees)–

1. **चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति–**

(a) चिकित्सा सुविधा– नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य को मुफ्त चिकित्सा सुविधा कर मुक्त अनुलाभ है।

(b) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति– यदि नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा के निजी अस्पताल तथा डॉक्टर के संबंध में व्यय का भुगतान किया जाता है, तो कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में यह राशि कर योग्य होगी।

2. **मनोरंजन सुविधा–** नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के समूह को उपलब्ध मनोरंजन की सुविधा कर मुक्त अनुलाभ है, बशर्ते यह सुविधा चुनिंदा कर्मचारियों के लिए सीमित न हों।

3. **कर्मचारियों का प्रशिक्षण–** कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नियोक्ता द्वारा किया जाने वाला व्यय अथवा रिफ्रेशर कोर्स की फीस का भुगतान, कर मुक्त अनुलाभ है।

4. नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स तथा समान सुविधाएँ प्रदान करना कर मुक्त हैं।

5. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से उसके टेलीफोन (मोबाइल फोन सहित) के व्यय कर मुक्त हैं।

6. **नियोक्ता का अंशदान–** कर्मचारी के अनुमोदित सुपर एन्युएशन कोष में नियोक्ता का अंशदान बशर्ते यह अंशदान प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है।

7. कर्मचारी के संबंध में दुर्घटना बीमा पर नियोक्ता द्वारा चुकाई गई प्रव्याजी अनुलाभ नहीं है।

8. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति धारा 10(16) के अंतर्गत कर मुक्त है।

9. **कर्मचारियों को प्रदत्त भोजन तथा पेय पदार्थ–** कर्मचारियों को प्राप्त निम्न सुविधाएँ कर मुक्त हैं–

(a) कार्यशील घंटों के दौरान नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया मुफ्त भोजन तथा अमादक पेय पदार्थ–

(i) कार्यालय अथवा व्यापारिक भवन में, अथवा

(ii) पूर्वदत्त वाउचर्स के द्वारा जो अहस्तांतरणीय है तथा भोजन स्थल पर प्रयोगार्थ हो। बशर्ते ऐसे भोजन का मूल्य प्रति भोजन 50 रुपए तक हो।

(b) कार्यशील घंटों के दौरान कोई चाय अथवा नाश्ता।

(c) किसी दूरस्थ क्षेत्र अथवा समुद्रतट से दूर प्रतिष्ठान में कार्यशील घंटों के दौरान मुफ्त भोजन तथा अमादक पेय पदार्थ।

10. **कर्मचारी को ऋण**– निम्नलिखित स्थितियों में करदाता को ब्याज मुक्त अथवा रियायती दर पर ऋण की सुविधा कर मुक्त होगी–

(a) यदि ऋण की राशि लघु हो तथा कुल मिलाकर 20,000 रुपए से अधिक नहीं है।

(a) आयकर अधिनियम के नियम 3A में वर्णित बीमारियों के इलाज हेतु उपलब्ध ऋण। परंतु यदि किसी चिकित्सा बीमा योजना के द्वारा ऋण की प्रतिपूर्ति की गई है, तो वह राशि कर मुक्त नहीं होगी।

11. **भारत के बाहर प्रदत्त अनुलाभ**– सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जो भारत के नागरिक हैं, भारत के बाहर अपनी सेवाएँ देते हुए दिया जाने वाला अनुलाभ धारा 10(7) के अंतर्गत कर मुक्त है।

12. **किराया मुफ्त मकान/वाहन सुविधा**– सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त किराया, मुफ्त आवास तथा वाहन की सुविधाएँ कर योग्य अनुलाभ नहीं हैं।

13. **संसद के अधिकारियों को प्रदत्त आवास**– किसी संसद के अधिकारी, केंद्रीय मंत्री अथवा विपक्ष के नेता को प्राप्त आवास की मुफ्त सुविधा कर योग्य अनुलाभ नहीं है।

14. **दूरस्थ क्षेत्र में आवास की सुविधा**– यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रहने का मकान ऐसे स्थान पर दिया गया है जो खदान स्थल अथवा समुद्र के किनारे, तेल निकालने के स्थल, कोई बाँध अथवा विद्युत परियोजना स्थल के पास है, तो ऐसी सुविधा कर मुक्त अनुलाभ होगी बशर्ते–

(a) यह आवास अस्थायी प्रकृति का है और 800 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में नहीं है। इसके साथ ही, किसी नगर पालिका तथा महानगर पालिका अथवा छावनी बोर्ड की सीमाओं से कम–से–कम 8 कि.मी. दूर है, अथवा

(b) यह मकान दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है।

15. **कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा**– यदि कर्मचारी के बच्चे नियोक्ता द्वारा संचालित तथा स्वामित्व वाली शिक्षा संस्था में मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं अथवा किसी अन्य शिक्षा संस्था में कर्मचारी के ऐसे नियोक्ता की सेवा में होने के

टिप्पणी

कारण बच्चे मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं, तो ऐसे अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा यदि प्रति बच्चा ऐसी शिक्षा की लागत प्रति माह 1,000 रुपए से अधिक नहीं है।

16. नियोक्ता से स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा किराए पर लिए गए लैपटॉप तथा कंप्यूटर्स का कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रयोग।

17. **अवकाश यात्री रियायत (LTC – Leave Travel Concession)–** नियोक्ता से प्राप्त अवकाश यात्रा रियायत निर्धारित सीमा तक कर मुक्त है। नियम–

(a) नियोक्ता से प्राप्त राशि

(b) कर्मचारी द्वारा यात्रा पर वास्तविक व्यय की गई राशि

(c) सारणी में वर्णित राशि उपरोक्त में से कम

सारणी क्र. 2.15: यात्रा साधन तथा छूट राशि की सारणी

यात्रा का साधन	छूट की राशि
1. हवाई जहाज द्वारा यात्रा	सबसे छोटे रास्ते से राष्ट्रीय परिवहन के विमान की मितव्ययी श्रेणी का किराया अथवा वास्तविक राशि या दोनों में से जो कम हो।
2. रेल यात्रा	सबसे छोटे रास्ते से रेल का प्रथम श्रेणी का किराया अथवा वास्तव में व्यय की गई राशि या दोनों में से जो कम हो।
3. यदि यात्रा आरंभ करने का स्थान गंतव्य स्थान पूर्णतः या अंशतः रेल पथ से जुड़े हुए नहीं हैं तथा यात्रा के इन दो स्थानों के बीच–	
(a) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध है।	(a) सबसे छोटे रास्ते में प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए की राशि अथवा वास्तविक राशि या दोनों में से जो कम हो।
(b) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है।	(b) सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकुलित प्रथम श्रेणी का किराया यह मानते हुए कि यात्रा रेल द्वारा की गई है अथवा वास्तविक राशि या दोनों में से जो कम हो।
4. यदि यात्रा आरंभ करने का स्थान गंतव्य स्थान पूर्णतः रेल पथ से जुड़े हैं, लेकिन यात्रा हवाई जहाज को छोड़कर अन्य किसी साधन से की गई है।	सबसे छोटे रास्ते में वातानुकुलित प्रथम श्रेणी अथवा वास्तव में दोनों में से कम किराया राशि।

18. अमौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर कर्मचारी के लिए कर मुक्त अनुलाभ है (10(10cc))–

(A) भारत में चिकित्सा सुविधाएँ– निम्नलिखित स्थितियों में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएँ अथवा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति कर मुक्त अनुलाभ माने जाएँगे–

1. किसी कर्मचारी को अथवा उसके परिवार के सदस्यों को नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा का मूल्य शून्य होगा।
2. निम्नलिखित के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि–
   (a) किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक या अन्य किसी चिकित्सालय में अधिकतम रुपए पर किया गया व्यय। परंतु निम्नलिखित स्थितियों में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किया गया व्यय पूर्णतः कर मुक्त अनुलाभ होगा–
      (i) कर्मचारी द्वारा सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा सरकार अनुमोदित किसी अस्पताल में अपना या अपने परिवार के सदस्य पर किया गया वास्तविक व्यय।
      (ii) इस संबंध में कर्मचारी द्वारा अपनी आय की विवरणी के साथ चिकित्सालय का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें चिकित्सा की गई बीमारी अथवा रोग का उल्लेख हो तथा चिकित्सा के लिए चुकाई गई राशि की रसीद भी संलग्न हो।
   (b) केंद्र सरकार अथवा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान।
   (c) प्रस्तुत (b) में उल्लेखित किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान।

(B) भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा– नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य को भारत के बाहर चिकित्सा पर किया गया निम्न व्यय कर मुक्त अनुलाभ है–

1. किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य की भारत के बाहर की गई चिकित्सा पर व्यय भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा स्वीकृत सीमा तक कर मुक्त होगा।
2. यदि विदेश में चिकित्सा के संबंध में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य (जिसकी चिकित्सा की गई हो) तथा उसके साथ उसकी परिचर्या करने के लिए गए हुए एक व्यक्ति के ठहरने का व्यय नियोक्ता करता है, तो ऐसे व्यय की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा तक कर मुक्त होगी।

टिप्पणी

3. बीमार व्यक्ति (कर्मचारी अथवा उसके परिवार का सदस्य) तथा उसकी देखभाल करने हेतु उसके साथ विदेश गए एक परिचारक (Attendant) का यात्रा व्यय। यह राशि केवल उस स्थिति में कर मुक्त होगी यदि कर्मचारी की सकल कुल आय (इस अनुलाभ का मूल्य शामिल करने से पूर्व) 2,00,000 रुपए से अधिक नहीं है। अन्य शब्दों में, यदि कर्मचारी की सकल कुल आय उसके तथा परिचारक के विदेश यात्रा के मूल्य को शामिल करने से पूर्व 2,00,000 रुपए से अधिक है, तो यह सुविधा कर योग्य अनुलाभ हो जाएगी।

2.2.6.9 कर्मचारी की स्थिति तथा अनुलाभ पर कर देयता (Employee Status and Tax Liability on Perquisites)

सारणी क्र. 2.16

	अनुलाभ	विशिष्ट कर्मचारी	विशिष्ट कर्मचारी छोड़कर अन्य कर्मचारी
1.	सफाई कर्मी, चौकीदार, माली, निजी सहायक आदि। खर्च का भुगतान तथा प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा–		
	(i) नियोक्ता द्वारा नियुक्त	कर योग्य	कर मुक्त
	(ii) कर्मचारी द्वारा नियुक्त	कर योग्य	कर योग्य
2.	गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा खर्च का भुगतान तथा प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा–		
	(i) नियोक्ता के नाम पर कनेक्शन	कर योग्य	कर योग्य
	(ii) नियोक्ता द्वारा पूर्ति	कर योग्य	कर मुक्त
3. (a)	शिक्षा सुविधा– शिक्षा संस्था नियोक्ता की है या वह उसका खर्च करता है अथवा किसी अन्य शिक्षा संस्था द्वारा मुफ्त शिक्षा, बशर्ते वहाँ शिक्षा नियोक्ता के यहाँ नियोजन के कारण प्रदान की जा रही है–		
	(i) शिक्षा सुविधा कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा परिव्यय मूल्य रु 1,000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है	कर मुक्त	कर मुक्त
	(ii) शिक्षा सुविधा परिवार के अन्य सदस्यों को	कर योग्य	कर मुक्त
3. (b)	अन्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा सुविधा	कर योग्य	कर मुक्त
4.	बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा	कर योग्य	कर योग्य
5.	टेलीफोन	कर मुक्त	कर मुक्त

टिप्पणी

6.	चल संपत्ति का उपयोग (कार छोड़कर)	कर योग्य	कर योग्य
7.	चल संपत्ति का हस्तांतरण	कर योग्य	कर योग्य
8.	कार—	कर योग्य	कर योग्य
	(i) कार नियोक्ता की है अथवा किराए से लेकर सुविधा दी हो।	कर योग्य	कर मुक्त
	(ii) कार कर्मचारी की है	कर योग्य	कर योग्य
9.	यातायात सुविधा	कर योग्य	कर मुक्त

उदा. 16: श्री. नारायणदास, नागपुर की एक निजी कंपनी में मैनेजर पद पर हैं। उन्हें प्रति माह रु 1,00,000 मूल वेतन, रु 1,000 मनोरंजन भत्ता तथा रु 3,000 महंगाई भत्ता मिलता है—

1. उनकी अपनी मकान संपत्ति है, उसमें कंपनी ने उन्हें निम्नलिखित सुविधा दे रखी है—
   (a) एक माली, एक सफाई कर्मचारी, एक चौकीदार तथा एक घरेलू नौकर जिन्हें क्रमशः 300, 400, 2,200 तथा रु 1,200 प्रति माह वेतन मिलता है।
   (b) एक जुलाई 2018 से उन्हें मुफ्त प्रयोग के लिए शीतपेटी (रेफ्रीजरेटर) उपलब्ध कराई है, जिसकी लागत रु 16,800 है।
2. उनके निम्न दायित्वों का कंपनी ने भुगतान किया है—
   (a) गैस, बिजली, पानी के बिलों का भुगतान रु 30,000
   (b) रोटरी क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क रु 2,000
3. कंपनी ने उन्हें निजी कार्य के लिए एक बड़ी कार की सुविधा मुहैया की है, उसके साथ एक चालक भी दिया है, इन सुविधाओं का संपूर्ण खर्च कंपनी वहन करती है।
4. कंपनी ने उन्हें 300 अंश रु 200 प्रति अंश प्रति दर से आबंटित किए हैं, जबकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति के दिन उचित बाजार मूल्य 240 प्रति अंश था।
5. उनका पुत्र कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ता है। कंपनी द्वारा हर छात्र पर रु 12,000 वार्षिक व्यय किया जाता है। यदि, उसे नागपुर में इसी स्तर के स्कूल में भेजा जाता तो रु 10,000 एक वर्ष में व्यय होता।
6. वह छुट्टी में दार्जिलिंग गए, वहाँ कंपनी के अतिथिगृह में ठहरे तथा निवास के स्थान के संबंध में रु 10,000 बचाए।

कर निर्धारण वर्ष 2019—20 के लिए नारायणदास के सकल वेतन की गणना कीजिए।

टिप्पणी

उत्तरः श्री. नारायणदास, नागपुर के सकल वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	मूल वेतन (1,00,000 × 12)			12,00,000
+	महंगाई भत्ता (6,000 × 12)			72,000
+	मनोरंजन भत्ता (1,000 × 12)			12,000
+	अनुलाभ			
+	बड़ी कार चालक समेत निजी कार्य के लिए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।			
	(2,400 + 900 × 12)			39,600
+	माली (300 × 12)			3,600
+	चौकीदार (2,200 × 12)			26,400
+	सफाई कर्मचारी (400 × 12)			4,800
+	घरेलु नौकर (1,200 × 12)			14,400
+	रेफ्रीजरेटर सुविधा 9 माह के लिए (जितने माह प्रयुक्त किया हो, उस अनुपात में)			
	(16,800 × 10% × 9)			1,260
+	**मुफ्त शिक्षाः** करदाता कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में अपने पुत्र को पढ़ाता है, जिसका वार्षिक खर्च प्रति बच्चा रु 12,000 है अर्थात् (1,200 × 12) प्रति माह रु 1,000 इस अनुलाभ का मूल्य शून्य है, क्योंकि यह अनुलाभ प्रति बच्चा रु 1,000 तक शिक्षा खर्च कर मुक्त है।			NIL
+	**अतिथिगृह खर्चः** करदाता कंपनी के अतिथिगृह में ठहरे तथा रहने के स्थान के संबंध में रु 10,000 बचाए। इस सुविधा का मूल्य होगा।			10,000
+	**करदाता को कंपनी द्वारा रियायती दर पर अंश आबंटितः**			
	बाजार मूल्य (रु 240 × 300 अंश)		72,000	
	घटाएँः कर्मचारियों द्वारा शोधन (रु 200 × 300 अंश)		60,000	12,000
+	करदाता के गैस, बिजली, पानी के बिलों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया। इस सुविधा का मूल्य वास्तविक भुगतान होगा।			30,000
+	रोटरी क्लब की सदस्यता का शोधन			2,000
	सकल वेतन			14,28,060

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

18. निजी अस्पताल के बिलों की क्षतिपूर्ति __________ राशि तक कर मुक्त होती है।

    (क) रु 10,000 (ख) रु 15,000

    (ग) रु 20,000 (घ) शून्य

19. जब कार कर्मचारी की हो एवं वह खर्चा नियोक्ता वहन करे, तो इस स्थिति में निजी एवं कार्यालयीन दोनों उपयोग के लिए छोटी कार चालक समेत सुविधा दी गई हो, तो उसका प्रति माह मूल्य __________ होगा।

    (क) रु 1,800 (ख) रु 2,400

    (ग) रु 2,700 (घ) रु 3,300

20. ब्याज मुक्त अथवा रियायती दर पर ऋण हो, तो __________ बैंक की ब्याज दर इस सुविधा के मूल्य के लिए लिया जाता है।

    (क) भारतीय स्टेट बैंक (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक

    (ग) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (घ) बैंक ऑफ बड़ौदा

21. मुफ्त में भोजन की सुविधा प्रति भोजन रु __________ तक कर मुक्त है।

    (क) 40 (ख) 80

    (ग) 50 (घ) 100

22. विशिष्ट कर्मचारी में __________ का समावेश होता है।

    (क) मौद्रिक कर योग्य वेतन रु 50,000 से अधिक

    (ख) कर्मचारी जो नियोक्ता कंपनी का संचालक भी है

    (ग) कर्मचारी जिसके पास नियोक्ता कंपनी के कम–से–कम 20 प्रतिशत अधिकार वाले समता अंश हैं

    (घ) इनमें से सभीं

23. शिक्षा सुविधा कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा देने हेतु नियोक्ता खुद शिक्षा संस्था का संचालन करता है अथवा किसी शिक्षा संस्था द्वारा मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है, तो ऐसी संस्थाओं का परिव्यय मूल्य रु __________ प्रति माह, प्रति बच्चे तक कर मुक्त है।

    (क) 1,000 (ख) 5,000

    (ग) 2,000 (घ) 3,000

2.2.7 वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ (Profit in Lieu of Salary)

2.2.7.1 प्रस्तावना (Introduction)

टिप्पणी

वेतन के स्थान पर लाभ निम्न हैं–

1. ग्रैच्युइटी
2. पेंशन तथा पेंशन की एकमुश्त राशि
3. अर्जित अवकाश वेतन
4. छँटनी के कारण क्षतिपूर्ति
5. स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति
6. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से प्राप्त राशि

उपरोक्त प्राप्तियाँ वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ हैं। ये कुछ स्थितियों में निर्धारित राशि तक कर मुक्त हैं। इसके लिए कर्मचारियों की स्थिति निम्न सारणी में दी गयी है।

2.2.7.2 कर्मचारियों की स्थिति एवं वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ दर्शक सारणी (Table of Employee Status and Profit in Lieu of Salary)

सारणी क्र. 2.17

	कर्मचारी की स्थिति	अर्जित अवकाश वेतन	ग्रैच्युइटी	पेंशन की एकमुश्त राशि
1	सरकारी कर्मचारी (राज्य और केंद्र)	सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारी
2	स्थानीय संस्था के कर्मचारी	गैर–सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारी
3	वैधानिक संस्था के कर्मचारी	गैर–सरकारी कर्मचारी	गैर सरकारी कर्मचारी	सरकारी कर्मचारी
4	अन्य कर्मचारी	गैर–सरकारी कर्मचारी	गैर सरकारी कर्मचारी	गैर सरकारी कर्मचारी

2.2.7.3 ग्रैच्युइटी के कर मुक्त राशि के संबंध में नियम धारा 10(10) (Rules Regarding Computation Tax Free Amount of Gratuity Section 10(10A))

ग्रैच्युइटी वह राशि है जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त पुरानी सेवा की सराहना के रूप में दी जाती है।

इस वेतन के स्थान पर लाभ के लिए कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी तथा गैर–सरकारी कर्मचारी, इन दो वर्ग में विभाजित किया गया है। गैर–सरकारी

कर्मचारी के लिए ग्रॅच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 तथा जो ग्रॅच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 में समाविष्ट नहीं होते हैं, ऐसे कर्मचारी।

सारणी क्र. 2.18

सरकारी कर्मचारी धारा 10(10)(i)	गैर–सरकारी कर्मचारी
सभी प्राप्तियाँ कर मुक्त	निम्न में से कम राशि कर मुक्त– 1. हर वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन 2. अधिकतम सीमा रु 2 लाख – पूर्व में प्राप्त की गई कर मुक्त राशि 3. प्राप्त राशि उपरोक्त में से कम कटौती योग्य

विशेष सूचना

1. गैर–सरकारी कर्मचारी जिन्हें ग्रैच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 में आनेवाले कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि पूरे वर्ष + एक वर्ष आदि शेष अवधि 6 माह से अधिक है।

   वेतन का अर्थः अंतिम माह का मूल वेतन + महंगाई भत्ता।

   15 दिन के वेतन की गणनाः वेतन × $\frac{15}{16}$

2. गैर–सरकारी कर्मचारी जिन्हें ग्रैच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 में नहीं आनेवाले कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि पूरे वर्ष में माह को छोड़ दिया जाता है।

   वेतन का अर्थः मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निर्धारित दर से कमिशन।

   औसत वेतनः 10 माह के वेतन के आधार पर।

2.2.7.4 पेंशन (निवृत्ति वेतन) धारा 10(10A) (Pension Section 10(10A))

कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् पूर्व सेवा के प्रतिफल में जो भुगतान किया जाता है, उसे पेंशन कहते हैं। पेंशन को अराशिकृत पेंशन तथा सहराशिकृत पेंशन (एकमुश्त पेंशन) में विभाजित किया जाता है–

1. **अराशिकृत पेंशन**– यह सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों कर्मचारियों को कर योग्य होती है।
2. पेंशन की एकमुश्त राशि में कर मुक्त राशि से संबंधित नियम निम्नलिखित सारणी में दर्शित किए गए हैं।

टिप्पणी

सारणी क्र. 2.19

सरकारी कर्मचारी	गैर सरकारी कर्मचारी
सभी प्राप्तियाँ कर मुक्त	1. जिन्हें ग्रैच्युइटी मिली है, जितनी पेंशन पाने का अधिकार है उससे $\frac{1}{3}$ (एक तिहाई भाग) हिस्से की पेंशन की एकमुश्त राशि तक कर मुक्त।
	2. जिन्हें ग्रैच्युइटी नहीं मिली है, जितनी पेंशन पाने का अधिकार है उससे $\frac{1}{2}$ (आधा भाग) हिस्से की पेंशन की एकमुश्त राशि तक कर मुक्त।

2.2.7.5 अर्जित अवकाश वेतन धारा 10(10AA) (Earn Leave Salary Section 10(10AA))

सेवा काल के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश लेने के अधिकार होते हैं। कर्मचारी या तो छुट्टी का लाभ उठाता है या यदि वह छुट्टियाँ या तो समाप्त हो जाती है या फिर कर्मचारी उनके बदले में नगद राशि लेता है या वह संचित राशि होती है और सेवानिवृत्ति के बाद या मृत्यु होने के पश्चात् उसके बदले में नगद राशि प्राप्त की जाती है। अर्थात् अर्जित अवकाश वेतन की दो पद्धतियाँ होती हैं–

(a) **सेवा काल के दौरान अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त करना–** सेवा काल के दौरान अर्जित अवकाश के वेतन से प्राप्त राशि पूर्णतः कर योग्य होती है।

(b) **सेवा निवृत्ति के पश्चात् अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त करना–** सेवा निवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् अर्जित अवकाश के वेतन से प्राप्त कर मुक्त राशि के नियम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं।

सेवा निवृत्ति के पश्चात् अर्जित अवकाश वेतन की कर मुक्त राशि संबंधी नियम दर्शक सारणी

सरकारी कर्मचारी	गैर–सरकारी कर्मचारी
सभी प्राप्तियाँ कर मुक्त	1. दस माह का औसत वेतन
	2. मान्य अवधि का वेतन
	3. अधिकतम 3 लाख – पहले ली गई कर मुक्त राशि
	4. प्राप्त राशि
	उपरोक्त में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी

1. **वेतन का अर्थ–** मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + विक्रय पर निर्धारित दर से कमिशन।
2. **औसत वेतन–** गत दस माह के वेतन के आधार पर।

3. **मान्य अवधि**– प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 30 दिन।
4. **सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश वेतन**– सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्राप्त राशि पूर्णतः कर मुक्त है।

   [(औसत वेतन × प्रति वर्ष 30 दिन का अवकाश × सेवा काल पूर्ण वर्षों में) – पूर्व में रोकीकरण की गई सेवा] 30 दिन

2.2.7.6 छँटनी की क्षतिपूर्ति (Compensation on Retrenchment)

किसी कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिसूचना के अधीन या किसी स्थाई आदेश के अधीन या किसी सेवा अनुबंध या अन्य प्रकार से सेवा कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कम किया जाता है, उसे छँटनी कहते हैं। छँटनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की कर मुक्त राशि का आगणन की सारणी इस प्रकार हैं।

सरकारी कर्मचारी एवं गैर–सरकारी कर्मचारी–

1. प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का औसत वेतन
2. अधिकतम रु 5 लाख
3. प्राप्त राशि

उपरोक्त राशियों में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी–

1. **वेतन का अर्थ**– मूल वेतन + मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक + भत्ते + रहने का मकान, पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधा, अन्य सुविधा एवं सुविधाएँ, रियायती दर पर खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं का मूल्य + यात्रा रियायत।

   इसके लिए वेतन में बोनस, पेंशन फंड में नियोक्ता का अंशदान तथा नौकरी समाप्त होने के पश्चात् दी जाने वाले ग्रैच्युइटी की राशि का समावेश नहीं होगा।
2. **औसत वेतन**– पिछले तीन माह के वेतन के आधार पर।
3. **मान्य अवधि**– पूरे वर्ष + यदि शेष अवधि छह माह से अधिक है, तो पूर्ण वर्ष समझकर मान्य अवधि का आगणन किया जाएगा।

2.2.7.7 स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति (Compensation on Voluntary Retirement Scheme)

जब कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से अपने कार्य से अवकाश ग्रहण करता है, तो उसे स्वेच्छा अवकाश ग्रहण कहते हैं। यह 'गोल्डन हैंड शेक' योजना के अंतर्गत आता है। इस संबंध में कर मुक्त राशि का आगणन निम्न सारणी में दर्शित है।

सरकारी कर्मचारी एवं गैर–सरकारी कर्मचारी–

1. प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 3 माह का वेतन।
2. सुपरऐन्युशन की स्थिति में अवकाश ग्रहण की स्थिति घटाकर शेष अवधि का वेतन।
3. प्राप्त राशि
4. अधिकतम 5 लाख रुपए।

उपरोक्त राशियों में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी–

1. **वेतन का अर्थ**– मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + बिक्री पर निर्धारित दर से कमिशन।
2. **मान्य अवधि**– पूरे वर्ष माह छोड़ दिए जाते हैं।

2.2.8 भविष्य निधि (Provident Fund)

2.2.8.1 भविष्य निधि का अर्थ (Meaning of Provident Fund)

भविष्य निधि योजना कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित राशि हर माह कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि के लिए अंशदान के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जाती है। कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर नियोक्ता द्वारा भी भविष्य निधि में अंशदान किया जाता है। ये सभी अंशदान मिलाकर निक्षेप अथवा विनियोग के रूप में रखे जाते हैं और इन विनियोगों पर अर्जित ब्याज की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाती है। इसका विवरण इस प्रकार किया जा सकता है–

(a) कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान उसकी अपनी आय में से होता है। अतः ऐसे अंशदान पर कराधान का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आय की संपूर्ण राशि पर पहले ही कर का भुगतान हो चुका होता है। वास्तव में ऐसे मामलों में कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि पर सकल कुल आय में, से उसे ATC के अंतर्गत कटौती दी जाती है।

(b) नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान कर्मचारी के वेतन के अतिरिक्त होता है। अतः यह कर्मचारी के लिए प्राप्त की गई समझी जाने वाली आय होती है। यद्यपि यह आय उसे तत्काल उपलब्ध नहीं होती। ऐसी आय एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है।

(c) भविष्य निधि खाते में जमा किए जाने वाले ब्याज की आय कर्मचारी के वेतन से आय के अतिरिक्त होती है। ऐसी आय भी एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त है।

2.2.8.2 भविष्य निधि के प्रकार (Kinds of Provident Fund)

भविष्य निधि के प्रकार निम्नलिखित हैं–

1. **वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund (SPF))–** यह निधि भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अधीन स्थापित की गई है। यह भविष्य निधि मुख्य रुप से सरकारी कर्मचारियों/अर्द्धसरकारी कर्मचारियों, किसी विधान द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है।
2. **प्रमाणित भविष्य निधि (Recognized Provident Funds (RPF))–** प्रमाणित भविष्य निधि योजना एक ऐसी योजना है, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधान लागू हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो 20 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता है, तो

अपने उपक्रम की स्थापना के 3 वर्षों के बाद उसको भविष्य निधि 1952 के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना तथा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि प्रारंभ करना अनिवार्य है। यदि नियोक्ता और कर्मचारी चाहें तो 20 से कम संख्या होने पर भी अथवा उपक्रम के स्थान के 3 वर्ष पूरे होने से पहले भी ऐसी भविष्य निधि योजना प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प को अपनाना होता है–

(a) भविष्य निधि आयुक्त द्वारा भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अधीन स्थापित सरकारी योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा

(b) वे अपने ही संगठन में एक भविष्य निधि योजना आरंभ कर सकते हैं और उसके लिए भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

3. **अप्रमाणित कर्मचारी भविष्य निधि (URPF – Un-Recognized Provident Fund)–** किसी प्रतिष्ठान में नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा प्रारंभ की गई भविष्य निधि योजना जो चाहे भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो अथवा नहीं, परंतु आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं हो, तो इसे अप्रमाणित भविष्य निधि कहा जाएगा।

4. **सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF – Public Provident Fund)–** यह योजना सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम 1968 के अंतर्गत संचालित है। जनता का कोई भी सदस्य जो सेवारत हो अथवा नहीं, इस निधि में अंशदान दे सकता है। इसलिए स्वयंरोजगार वाले व्यक्ति भी इस निधि में अंशदान कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, यह ऐसी योजना है, जिसमें करदाता का अपना ही अंशदान होता है, कर्मचारी अन्य भविष्य निधि योजनाओं में अपने अंशदान के अतिरिक्त सार्वजनिक भविष्य निधि में भी धन राशि जमा कर सकता है। इस योजना में नियोक्ता का कोई अंशदान नहीं होता।

2.2.8.3 भविष्य निधि के प्रकारों में अंतर सारणी (Table : Difference between Types of Provident Fund)

सारणी क्र. 2.20

विवरण	वैधानिक भविष्य निधि (SPF)	प्रमाणित भविष्य निधि (RPF)	अप्रमाणित भविष्य निधि (URPF)	सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
1. कर्मचारी करदाता का अंशदान की कटौती	धारा 80 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर सकल कुल आय में से कटौती उपलब्ध है।	धारा 80 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर सकल कुल आय में से कटौती उपलब्ध है।	धारा 80 के अंतर्गत कोई कटौती स्वीकृत नहीं है।	धारा 80 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर सकल कुल आय में से कटौती उपलब्ध है।

टिप्पणी

2. नियोक्ता का अंशदान	पूर्णतः कर मुक्त	वेतन के 12% तक कर मुक्त। इससे अधिक राशि को सकल वेतन में शामिल किया जाएगा।	कर मुक्त नहीं है।	इस निधि में कोई भी करदाता अपना अंशदान कर सकता है। चाहे वह वेतन भोगी हो या नहीं हो। अर्थात् नियोक्ता का इससे कोई संबंध नहीं।
3. भविष्य निधि पर ब्याज	पूर्णतः कर मुक्त	धारा 10 के अधीन प्रति वर्ष 9.5% तक कर मुक्त। इससे अधिक जमा ब्याज सकल वेतन में सम्मिलित किया जाता है।	कर मुक्त नहीं है।	पूर्णतः कर मुक्त।
4. सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति पर प्राप्त एकमुश्त राशि	पूर्णतः कर मुक्त धारा – 10(11) के अंतर्गत	कुछ शर्तों के अधीन कर मुक्त।	कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान की संचित राशि कर योग्य नहीं है, नियोक्ता का अंशदान तथा उस पर ब्याज की संचित राशि (आज तक) वेतन के स्थान पर लाभ के रुप में कर योग्य होगी। कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज (आज तक) अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी।	पूर्णतः कर मुक्त धारा – 10(11) के अंतर्गत।

वेतन अर्थ– मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में समाविष्ट) + कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमिशन।

2.2.9 वेतन में से दी जाने वाली कटौतियाँ धारा 16 (Deduction from Salary Section 16)

टिप्पणी

2.2.9.1 मानक कटौती (Standard Deduction) धारा 16(i)

यह कटौती कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्य पूर्ति खर्च के लिए दी जाती है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए अधिकतम रु 40 हजार या सकल वेतन, इनमें से जो कम हो, उसकी कटौती दी जाती है। इस कटौती के पश्चात् वेतन से आय ऋणात्मक नहीं रहनी चाहिए।

2.2.9.2 मनोरंजन भत्ता कटौती (Entertainment Allowance Deduction) धारा 16(ii)

मनोरंजन भत्ते की कटौती मात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए मिलती है, गैर–सरकारी कर्मचारी को नहीं। कटौती राशि संबंधी नियम निम्नलिखित हैं–

(i) प्राप्त मनोरंजन भत्ता

(ii) मूल वेतन के 20 प्रतिशत

(iii) अधिकतम 5 हजार रुपए

उपरोक्त में से कम राशि कटौती योग्य होगी।

मनोरंजन भत्ता कटौती के लिए वेतन का अर्थ : सिर्फ मूल वेतन है।

नियोजन/व्यवसाय कर कटौती (Employment/Professional Tax Deduction) 16(iii)– किसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा यह कर लगाया जाता है, जिसकी कटौती अधिकतम रु 2,500 तब दी जाती है (जब यह कर नियोक्ता भरता है, तो सर्वप्रथम वेतन में मिलाया जाएगा तथा उसके पश्चात् इसकी कटौती दी जाएगी)।

2.2.10 कर योग्य वेतन की गणना सारणी (Computation of Taxable Salaries)

सारणी क्र. 2.21

	+ –	विवरण	राशि
1		'मूल वेतन' तथा पूर्णतया कर योग्य भत्ते	XXXX
2	+	आंशिक कर मुक्त भत्तों, जैसे मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युइटी, अवकाशों का नकदीकरण, क्षतिपूर्ति आदि में से कर मुक्त हिस्सा घटाकर शेष	XXXX
3	+	नियोक्ता का प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में वेतन के 12 से अधिक अंशदान तथा फण्ड पर 9.5% की दर से अधिक दर की ब्याज	XXXX

टिप्पणी

4	+	समस्त अनुलाभों का नियमानुसार मूल्यांकन	XXXX
5	+	वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ	XXXX
		सकल या कुल वेतन (Total or Gross Salaries) घटाएँ धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ	XXXX
	–	(i) प्रमाणित कटौती (Standard Deduction) 16(i)	XXXX
		(ii) मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती (यदि है) 16(ii)	XXXX
	+	(iii) व्यवसाय कर (Tax on Employment) 16(iii)	XXXX
		कर योग्य वेतन (Taxable Salaries)	XXXX

2.2.11 विभिन्न उद्देश्यों के लिए वेतन का अर्थ दर्शक सारणी (Table: Meaning of Salary for Various Purpose)

सारणी क्र. 2.22

उद्देश्य	वेतन अर्थ
वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना के लिए	मूल वेतन, महंगाई वेतन, मजुरी, अग्रिम वेतन, वेतन का बकाया शेष (Arrears), वार्षिकी पेंशन, ग्रैच्युईटी, शुल्क, कमिशन, बोनस, कर योग्य भत्ते, वेतन के स्थान पर लाभ, अनुलाभ, प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में नियोक्ता का वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान, मान्यताप्राप्त भविष्य निधि निर्वाह निधि पर 9.5 प्रतिशत से अधिक दर से मिला ब्याज, अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि, प्रमाणित होने पर हस्तांतरित शेष (नियोक्ता का योगदान तथा उसका ब्याज)।
किराया मुक्त मकान अथवा किराए से रियायत पर मकान सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए	मूल वेतन, महंगाई वेतन, कर योग्य भत्ते, कमिशन, बोनस, रोकड़ भुगतान किंतु निम्न छोड़कर महंगाई भत्ता यदि निवृत्ति लाभ में शामिल नहीं हो, तो कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान। कर मुक्त भत्ते तथा अनुलाभों का मूल्य।
मकान किराया भत्ते की कर मुक्त कटौती आगणित करने के लिए	मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, (सेवा निवृत्ति लाभ में समावेश हो, तो इस उद्देश्य के लिए वेतन में मिलाया जाएगा) कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर कमिशन निम्न छोड़कर– अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस, अतिरिक्त कमिशन, अनुलाभ तथा समस्त अन्य प्राप्तियाँ।
प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में नियोक्ता के अंशदान की कटौती योग्य राशि आगणित करने के लिए	मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, (सेवा निवृत्ति लाभ में समावेश हो, तो इस उद्देश्य के लिए वेतन में मिलाया जाएगा) कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर कमिशन निम्न छोड़कर– अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस, अतिरिक्त कमिशन, अनुलाभ तथा समस्त अन्य प्राप्तियाँ।
मनोरंजन भत्ता	सिर्फ मूल वेतन।

टिप्पणी

विशिष्ट कर्मचारी धारा 17(2)(iii)(c) के लिए रु 50 हजार वेतन में समाविष्ट होने वाले मद	मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य कर योग्य भत्ते लाभ जो नगद प्राप्त हुए हों, बोनस, कमिशन आदि तथा अन्य सभी मौद्रिक प्राप्तियाँ जो सकल वेतन में शामिल हों, परंतु धारा 16 के अंतर्गत कटौतियाँ घटाने के बाद इस आशय के लिए वेतन में वे अनुलाभ शामिल नहीं होंगे जो मुद्रा में प्राप्त नहीं होते हैं।
विशेष सूचना: महंगाई वेतन हमेशा मूल वेतन ही माना जाता है।	

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

24. जिन कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी प्राप्त नहीं होती, उन कर्मचारियों को प्राप्त एकमुश्त पेंशन की __________ राशि कर मुक्त होती है।

    (क) कुल पेंशन का 1/3 हिस्सा

    (ख) कुल पेंशन का 1/2 हिस्सा

    (ग) कुल पेंशन का 1/4 हिस्सा

    (घ) कुल पेंशन का 2/3 हिस्सा

25. गैर–सरकारी कर्मचारियों को ग्रैच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिकतम राशि की सीमा __________ है।

    (क) रु 10,00,000 (ख) रु 2,50,000

    (ग) रु 20,00,000 (घ) रु 5,00,000

26. __________ को भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय–समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं।

    (क) पेंशन

    (ख) पेंशन की एकमुश्त राशि

    (ग) ग्रैच्युइटी

    (घ) इनमें से कोई नहीं

27. कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश वेतन के बदले में प्राप्त राशि की अधिकतम कर मुक्त राशि __________ है।

    (क) रु 2,00,000 (ख) रु 3,00,000

    (ग) रु 4,00,000 (घ) रु 5,00,000

28. छँटनी के कारण प्राप्त राशि की अधिकतम कर मुक्त राशि __________ है।

    (क) रु 2,00,000 (ख) रु 3,00,000

    (ग) रु 4,00,000 (घ) रु 5,00,000

टिप्पणी

29. स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि अधिकतम __________ कर मुक्त है।

(क) रु 2,00,000 (ख) रु 3,00,000

(ग) रु 4,00,000 (घ) रु 5,00,000

30. सेवा निवृत्ति के पश्चात् मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से प्राप्त __________ राशि कर मुक्त है।

(क) रु 5,00,000 (ख) रु 10,00,000

(ग) रु 20,00,000 (घ) संपूर्ण

2.2.12 वेतन के हल किए उदाहरण (Solve Problem on Salary)

उदा. 17: श्रीमती राधाकिसन एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं जिनका वेतन प्रति माह रु 40,000 तथा मनोरंजन भत्ता प्रति माह रु 7,000 प्राप्त होता है। उन्हें 2 माह के वेतन के बराबर बोनस तथा एक माह के वेतन के बराबर कमिशन मिल रहा है। उन्होंने गत वर्ष में नियोजन करके रु 2,500 चुकाए हैं।

उन्हें रायपुर में एक किराए से मुक्त सुसज्जित मकान भी दिया है, जिसके लिए कंपनी रु 1,80,000 वार्षिक मकान किराया तथा 17,400 फर्निचर के भुगतान कर रही है। इस मकान के संबंध में रु 36,000 बिजली व पानी का व्यय भी कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

करदाता को कंपनी द्वारा गत वर्ष में 300 दिन 80 रुपए प्रति भोजन लागत का कार्यालय समय में कार्यस्थल पर भोजन दिया गया। कंपनी ने उसे रु 20 प्रति भोजन वसूल किए।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्रीमती राधाकिसन के कर योग्य वेतन की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

उत्तर: श्रीमती राधाकिसन, रायपुर के कर देय वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	मासिक वेतन (40,000 × 12)			4,80,000
+	बोनस 2 माह के वेतन के बराबर वेतन का अर्थ मूल वेतन (40,000 × 2)			80,000
+	मनोरंजन भत्ता (7,000 × 12)			84,000
+	कमिशन एक माह के मासिक वेतन के बराबर (40,000 × 1)			40,000
+	किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन	1		1,20,000
+	नियोक्ता द्वारा बिजली एवं पानी के व्यय का शोधन पूर्णतः कर योग्य			36,000
+	नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर भोजन सुविधा	2		3,000
	सकल वेतन			8,43,000

–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)		40,000	
	2. नियोजन कर – धारा 16(ii)			
	अधिकतम 2,500 तक कटौती योग्य		2,500	42,500
	कर योग्य वेतन			8,00,500

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: किराया मुक्त सुसज्जित मकान सुविधा का मूल्यांकन (नियोक्ता ने मकान संपत्ति किराए पर लेकर करदाता को सुविधा प्रदान की है।)

किराया से मुक्त मकान के लिए वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

4,80,000 + 80,000 + 40,000 + 84,000 = 6,84,000

विवरण	राशि
वेतन 15 प्रतिशत 6,84,000 × 15%	1,02,600
वास्तविक किराया	1,80,000
उपरोक्त दोनों में से कम असुसज्जित घर की सुविधा का मूल्य होगा	1,02,600
+ फर्निचर सुविधा के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया किराया	17,400
सुसज्जित घर का मूल्यांकन	1,20,000

WN 2: रियायतीय दर पर नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर भोजन सुविधा का मूल्य–

नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों को भोजन सुविधा समान रूप से उपलब्ध कराई गई हो, तो उस सुविधा का मूल्य रु 50 प्रति भोजन कर मुक्त है। अगर भोजन सुविधा का मूल्य रु 50 से अधिक है, तो वह राशि नियोक्ता के वेतन में जोड़ी जाएगी। अगर, कुछ राशि नियोक्ता इस सुविधा के सबंध में वसूल करता है, तो वह राशि उसमें से घटाई जाएगी।

नियोक्ता द्वारा भोजन सुविधा का लागत मूल्य रु 80 प्रति भोजन × 300 दिन	24,000
– कर मुक्त राशि रु 50 प्रति भोजन रु 50 प्रति भोजन × 300 दिन	15,000
सुविधा का मूल्य	9,000
घटाएँ: नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूल की गई राशि रु 20 प्रति भोजन 20 × 300 दिन	– 6,000
रियायती दर पर भोजन सुविधा का मूल्य	3,000

टिप्पणी

उदा. 18: श्री. प्रेमनाथ को रु 60,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है, उसको वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता, रु 10,000 प्रति माह मकान किराया भत्ता और रु 2,000 प्रति माह वार्डन भत्ता मिलता है। गत वर्ष 2018–19 में वह तीन माह के लिए भारत के बाहर रहा था और इस अवधि का वेतन तथा भत्ता उसको भारत के बाहर ही दिए गए। जितने दिन वह भारत के बाहर रहा, उतने दिन का वार्डन भत्ता उसे नहीं दिया गया। उसने अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान का किराया प्रति माह रु 8,000 भुगतान किया। उसके पास अपना एक स्कूटर भी है, जिसको वह भारत में अपनी सेवा के संबंध में प्रयोग करता है, जिसके लिए कोई सवारी भत्ता नहीं मिलता है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उसकी वेतन शीर्षक से आय आगणित कीजिए।

उत्तर: श्री. प्रेमनाथ, धामणगाँव के कर देय वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (60,000 × 12)			7,20,000
+	महंगाई भत्ता वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर (7,20,000 × 10%)			72,000
+	मकान किराया भत्ता	1		1,03,200
+	वार्डन भत्ता (2,000 × 9)			18,000
	सकल वेतन			9,13,200
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			8,73,200

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: कर योग्य HRA की गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

7,20,000 + 72,000 + – = 7,92,000

करदाता के कर मुक्त HRA की गणना।

विवरण	राशि	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया– (मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत) 96,000 – 79,200	16,800	
2. वेतन के 40 प्रतिशत– (7,92,000 × 40%)	3,16,800	
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता– (10,000 × 12)	1,20,000	
उपरोक्त में से कम कर मुक्त धारा 10(13A)		16,800

कर योग्य HRA = प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA

1,20,000 – 16,800 = 1,03,200

टिप्पणी

उदा. 19: श्री. अमरनाथ को रु 36,000 प्रति माह वेतन तथा वेतन के 10 प्रतिशत महँगाई भत्ता मिलता है। उन्हें रु 16,000 प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में 3 माह के वेतन के बराबर श्री. अमरनाथ को बोनस मिला। उन्हें घाटंजी कस्बे (जिसकी जनसंख्या 2 लाख लोकसंख्या से कम हैं) में किराए से मुक्त एक असुसज्जित रहने का मकान भी मिला हुआ है जिसका उचित किराया प्रति माह रु 5,000 है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उनकी वेतन शीर्षक से आय की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. अमरनाथ, घाटंजी के कर देय वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (36,000 × 12)			4,32,000
+	महंगाई भत्ता वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर (4,32,000 × 10%)			43,200
+	बोनस (36,000 × 3) 3 माह के वेतन के बराबर			1,08,000
+	मनोरंजन भत्ता (वार्षिक)			16,000
+	किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य	1		41,700
	सकल वेतन			6,40,900
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ 1. मानक कटौती – धारा 16(i)			– 40,000
	कर योग्य वेतन			6,00,900

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: कर योग्य असुसज्जित किराया मुक्त मकान सुविधा के मूल्य की गणना (मकान का स्वामी नियोक्ता है तथा कस्बे की जनसंख्या 10 लाख से कम है।)

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

4,32,000 + 1,08,000 + 16,000 = 5,56,000

महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, इसलिए उसे वेतन के अर्थ में समाविष्ट नहीं किया।

असुसज्जित घर का मूल्यांकन– अगर मकान संपत्ति का स्वामी नियोक्ता है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जिस कस्बे या शहर की अबादी 10 लाख या उससे कम हो, तो वेतन का 7.5 प्रतिशत उस सुविधा का मूल्यांकन होगा। अर्थात् 5,56,000 × 7.5% = रु 41,700 इस सुविधा का मूल्यांकन होगा।

उदा. 20: श्री. योगीनाथ एक निजी कंपनी में प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। उन्हें नियोक्ता से प्रति माह वेतन रु 40,000 प्राप्त होता। गत वर्ष में उन्हें वेतन के अतिरिक्त दो माह के वेतन के बराबर बोनस प्राप्त हुआ है। नियोक्ता द्वारा करदाता को एक मकान प्रति माह रु 2,800 किराए से लेकर दिया है। इस सुविधा के संबंध

में नियोक्ता द्वारा श्री. योगीनाथ से रु 900 प्रति माह वसूल किए जाते हैं। योगीनाथ का एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तथा उसके खर्च के लिए नियोक्ता ने गत वर्ष में 28,000 रुपए का भुगतान किया है। नियोक्ता ने योगीनाथ को कार के इंजिन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक की सुविधा चालक समेत निजी कार्यों के लिए मुहैया कराई है। उस कार का संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा किया जाता है तथा इस सुविधा के संबंध में नियोक्ता प्रति माह रु 900 वसूल करता है। योगीनाथ को मनोरंजन भत्ता रु 1,600 प्राप्त होता है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए श्री. योगीनाथ के वेतन से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

उत्तरः श्री. योगीनाथ, जबलपूर के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (40,000 × 12)			4,80,000
+	बोनस (40,000 × 2) 2 माह के वेतन के बराबर			80,000
+	मनोरंजन भत्ता (1600 × 12)			18,200
+	किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य	1		22,800
+	विदेश में पढ़नेवाले बेटे के खर्च का भुगतान पूर्णतः कर योग्य			28,000
+	कार की सुविधा का मूल्य	2		21,600
	सकल वेतन			6,50,600
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ 1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			6,10,600

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: कर योग्य किराया मुक्त मकान सुविधा के मूल्य की गणना (मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है।)

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

4,80,000 + 80,000 + 19,200 = 5,79,200

विवरण	राशि
वेतन 15 प्रतिशत 5,79,200 × 15%	86,880
वास्तविक किराया 2,800 × 12	33,600
उपरोक्त दोनों में से कम असुसज्जित घर की सुविधा का मूल्य होगा	33,600
घटाएँः नियोक्ता द्वारा सुविधा के बदले में वसूली 900 × 12	– 10,800
रियायती दर पर किराया मुक्त मकान सुविधा का मूल्य	22,800

टिप्पणी

WN 2: रियायती दर पर कार सुविधा का मूल्य (नियोक्ता कार के इंजिन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक की सुविधा चालक समेत, संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा किया जाता है।)

विवरण	राशि
कार के इंजिन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक (1800 × 12)	21,600
+ चालक (900 × 12)	10,800
कार की सुविधा का मूल्य	32,400
घटाएँ: वसूली 900 × 12	– 10,800
रियायती दर पर कार सुविधा का मूल्य	21,600

उदा. 21: श्री. गोपीनाथ, नई दिल्ली (25 लाख से अधिक) की एक निजी कंपनी में प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। उन्हें नियोक्ता से मासिक वेतन रु 80,000 तथा महंगाई भत्ता मासिक वेतन के 20 प्रतिशत प्राप्त होता है जो सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। उन्हें शहर क्षतिपूर्ति भत्ता रु 8,000, चिकित्सा भत्ता 12,000, बोनस 32,000, कमिशन रु 8,000 प्राप्त होते हैं। उन्हें नियोक्ता के स्वामी वाला एक किराए से मुक्त असुसज्जित मकान भी मिला है जिसका उचित किराया मूल्य रु 1,20,000 वार्षिक है, उसे मुफ्त में एक सफाई कर्मचारी, एक रसोइया तथा एक माली मिला है, जिसका वेतन क्रमशः रु 600, रु 1,400, रु 500 मासिक है। श्री. गोपीनाथ को निजी प्रयोग के लिए बिजली मुफ्त मिली है, जिसके बिल का भुगतान गत वर्ष नियोक्ता द्वारा रु 12,000 किया है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए श्री. गोपीनाथ की वेतन से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

उत्तर: श्री. गोपीनाथ, नई दिल्ली के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (80,000 × 12)			9,60,000
+	महंगाई भत्ता मासिक वेतन का 20 प्रतिशत (9,60,000 × 20%)			1,92,000
+	शहर क्षतिपूर्ति भत्ता (CCA)			8,000
+	चिकित्सा भत्ता			12,000
+	कमिशन			8,000
+	बोनस			32,000
+	किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य	1		1,53,000
+	सफाई कर्मचारी, रसोइया तथा माली की सुविधा विशेष कर्मचारी होने के कारण स्वामी द्वारा किया गया ये सुविधा शोधन कर योग्य है। सफाई कर्मचारी, रसोइया तथा माली की सुविधा के शोधन की राशि प्रति माह क्रमशः (600, 1,400 तथा रु 500 है) कुल राशि प्रति माह रु 2,500 × 12			30,000

टिप्पणी

+	नियोक्ता द्वारा मकान बिजली बिल का भुगतान पूर्णतः कर योग्य			12,000
	सकल वेतन			14,07,000
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ 1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			13,67,000

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: कर योग्य असुसज्जित किराया मुक्त मकान सुविधा के मूल्य की गणना (मकान का स्वामी नियोक्ता है तथा नई दिल्ली शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक)।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

9,60,000 + 8,000 + 12,000 + 32,000 + 8,000 = 10,20,000

असुसज्जित घर का मूल्यांकन– अगर मकान संपत्ति का स्वामी नियोक्ता है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली शहर की अबादी 25 लाख से अधिक होने से वेतन का 15 प्रतिशत उस सुविधा का मूल्यांकन होगा।

अर्थात् 10,20,000 × 15% = रु 1,53,000 इस सुविधा का मूल्यांकन होगा।

उदा. 22: श्री. नरेश एक निजी कंपनी में कार्यरत् है। उन्हें वेतन प्रति माह रु 25,000, मनोरंजन भत्ता प्रति माह रु 800, चिकित्सा भत्ता प्रति माह रु 600 एवं शिक्षा भत्ता प्रति माह रु 200 एक बच्चे के लिए प्राप्त होते हैं, उन्हें वेतन के स्थान पर लाभ रु 15,000 प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा नरेश को रु 4 लाख का ऋण/4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर से 1/4/2018 को मकान निर्माण के लिए दिए। नियोक्ता द्वारा नरेश के टेलिफोन बिल का भुगतान किया, जो टेलिफोन नरेश के निवासस्थान पर स्थित है।

नरेश ने गत वर्ष मनोरंजन के लिए रु 6,000 का भुगतान किया, चिकित्सा व्यय पर वास्तविक खर्च रु 5,000 है तथा रु 1,300 का भुगतान व्यवसाय कर के रूप में नियोक्ता ने उनके वेतन में से कटौती की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

उपरोक्त जानकारी से नरेश का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर देय वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. नरेश के कर देय वेतन की गणना।

टिप्पणी

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	वेतन (25,000 × 12)			3,00,000
+	मनोरंजन भत्ता (800 × 12)			9,600
+	वैद्यकीय भत्ता (600 × 12) पूर्ण कर योग्य			7,200
+	शिक्षा भत्ता (200 × 12 × 1)		2,400	
	घटाएँः कर मुक्त प्रति बच्चा 100 रु प्रति माह (100 × 12 × 1) अधिकतम दो बच्चों के लिए		1,200	
				1,200
+	वेतन स्थान पर लाभ			15,000
+	रियायती दर पर प्राप्त ऋण पर ब्याज का कर योग्य हिस्सा धारा 3(7)(i)			
	ऋण की राशि पर ब्याज (1/4/2018 से 31/03/2019) अवधि का ब्याज अर्थात् पूर्ण वर्ष का ब्याज स्टेट बँक ऑफ इंडिया की दर के अनुसार ब्याज (4,00,000 × 10%)		40,000	
	घटाएँः नियोक्ता द्वारा वसूल किया ब्याज (4,00,000 × 4%)		16,000	
				24,000
+	नियोक्ता द्वारा निवास स्थान पर स्थित टेलिफोन बिल का भुगतान			कर मुक्त
	सकल वेतन			3,57,000
–	कटौतियाँ धारा 16 के अनुसार			
	1. मानक कटौती धारा 16(i)		40,000	
	+ 2. मनोरंजन भत्ता धारा 16(ii) मनोरंजन भत्ते की कटौती मात्र सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होती है, गैर–सरकारी कर्मचारियों को नहीं		Nil	
	+ 3. नियोजन कर धारा 16(iii)		1,300	
				41,300
	कर देय वेतन			3,15,700

क्रियात्मक टिप्पणी

चिकित्सा भत्ता रु 600 प्रति माह करदाता को प्राप्त होता है। उसमें से करदाता ने खर्च की रु 5,000 राशि की कटौती प्राप्त नहीं होगी।

टिप्पणी

उदा. 23: श्री. आलोक जो, आरको ट्रान्सपोर्ट कंपनी के उत्तरी व मध्य अण्डमान में चालक पद पर कार्यरत् है उन्हें कंपनी की ओर से निम्नलिखित प्राप्तियाँ होती हैं– वेतन प्रति माह रु 40,000, महंगाई भत्ता प्रति माह रु 3,000, एक माह के वेतन के बराबर बोनस, दूरस्थ बस्ती भत्ता प्रति माह रु 3,000, कर्तव्य पर व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के लिए भत्ता प्रति माह रु 6,000, तीन बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा भत्ता प्रति माह कुल रु 390 प्राप्त होते हैं। श्री. आलोक का पुत्र छात्रावास में शिक्षा के लिए रहता है और उसके छात्रावास व्यय पूर्ति के लिए 800 प्राप्त होते हैं तथा मनोरंजन भत्ते के रु 900 प्रति माह प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. आलोक कर योग्य वेतन की गणना।

आरको ट्रान्सपोर्ट कंपनी के उत्तरी व मध्य अण्डमान में चालक पद पर कार्यरत् है।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	वेतन (40,000 × 12)			4,80,000
+	महंगाई भत्ता (3,000 × 12)			36,000
+	बोनस (एक माह के वेतन के बराबर)			40,000
+	**दूरस्थ भत्ता:** प्राप्त		36,000	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii) के अनुसार रु 1,300 प्रति माह उत्तरी व मध्य अण्डमान A क्षेत्र में समाविष्ट है। (1300 × 12)		15,600	
				20,400
+	चालक (ड्राइवर) ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता प्राप्त (6,000 × 12)		72,000	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii)	1	50,400	
				21,600
+	शिक्षा भत्ता तीन बच्चों के लिए प्रति माह रु 390 प्राप्त (390 × 12)		4,680	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(iii) प्रति बच्चा रु 100 (100 × 12 × 2) अधिकतम 2 बच्चों के लिए		2,400	
				2,280
+	छात्रावास भत्ता प्राप्त (800 × 12)		9,600	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii) प्रति बच्चा रु 300 (300 × 12 × 1) अधिकतम 2 बच्चों के लिए		3,600	

				6,000
+	मनोरंजन भत्ता			10,800
	सकल वेतन			6,17,080
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			5,77,080

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: चालक (ड्राइवर) ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्तों के कर योग्य राशि की गणना।

प्राप्त भत्तों का 70 प्रतिशत: 72,000 × 70% = रु 50,400

अधिकतम 10 हजार रु प्रति माह 10,000 × 12 = रु 1,20,000

उपरोक्त में से कम कर मुक्त धारा 10(14)(ii) के अनुसार अर्थात् रु 50,400।

उदा. 24: श्री. राजेंद्र कुमार जो, हिंदुस्तान ट्रान्सपोर्ट कंपनी, कवर्धा में चालक पद पर कार्यरत् हैं, उन्हें कंपनी की ओर से निम्नलिखित प्राप्तियाँ होती हैं– मूल वेतन प्रति माह रु 30,000, महंगाई भत्ता प्रति माह रु 1,000 (सेवा शर्तों में शामिल नहीं), महंगाई वेतन प्रति माह रु 1,000, मकान किराया भत्ता प्रति माह रु 6,000, चलते ट्रक पर कर्त्तव्य के व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के लिए भत्ता प्रति माह रु 10,000, दो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा प्रति माह शिक्षा भत्ता कुल रु 240 प्राप्त होते हैं। श्री. राजेंद्र कुमार के दो पुत्र छात्रावास में शिक्षा के लिए रहते हैं और उसकी व्यय पूर्ति के लिए प्रति बच्चा रु 700 प्रति माह छात्रावास भत्ता प्राप्त होता है। जनजाति क्षेत्रों के लिए रु 700 प्रति माह भत्ता प्राप्त होता है। साथ ही करदाता को रु 200 सवारी भत्ता प्रति माह प्राप्त होता है जो व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

श्री. राजेंद्र कुमार ने अपने रहने के लिए एक मकान कवर्धा में रु 8,000 प्रति माह किराए से लिया है। वह मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में मूल वेतन तथा महंगाई वेतन का 15 प्रतिशत अंशदान करता है तथा नियोक्ता भी इतना ही अंशदान करता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर राजेंद्र कुमार के कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. राजेंद्र कुमार, कवर्धा के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (30,000 × 12)			3,60,000
+	महंगाई वेतन (3,000 × 12)			36,000
+	महंगाई भत्ता (1,000 × 12)			12,000

टिप्पणी

+	चालक (ड्राइवर) ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता प्राप्त (10,000 × 12)		1,20,000	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii)	1	84,000	
				36,000
+	शिक्षा भत्ता दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा, प्रति माह रु 240 प्राप्त (240 × 12 × 2)		5,760	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii) प्रति बच्चा रु 100 (100 × 12 × 2) अधिकतम 2 बच्चों के लिए		2,400	
				3,360
+	छात्रावास भत्ता प्राप्त दो बच्चों के लिए (700 × 12 × 2)		16,800	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii) प्रति बच्चा रु 300 (300 × 12 × 2) अधिकतम 2 बच्चों के लिए		7,200	
				9,600
+	जनजाति क्षेत्र भत्ता प्राप्त (700 × 12)		8,400	
	– कर मुक्त धारा 10(14)(ii) (200 × 12)		2,400	
				6,000
+	मकान किराया भत्ता कर योग्य राशि	2		15,600
+	नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान	3		11,880
	सकल वेतन			4,90,440
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			4,50,440

क्रियात्मक टीप

WN 1: चालक (ड्राइवर) ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्तों के कर योग्य राशि की गणना।

प्राप्त भत्ता का 70 प्रतिशत: 1,20,000 × 70% = रु 84,000

अधिकतम 10 हजार रु प्रति माह 10,000 × 12 = रु 1,20,000

उपरोक्त में से कम कर मुक्त धारा 10(14)(ii) के अनुसार अर्थात् रु 84,000

WN 2: कर योग्य HRA की गणना: कर मुक्त HRA धारा 10(13A) के अनुसार गणना

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

3,60,000 + 36,000 + – + – = 3,96,000

विवरण	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन का 10 प्रतिशत) 96,000 – 39,600	56,400
2. वेतन का 40 प्रतिशत – [कवर्धा] (3,96,000 × 40%)	1,58,400
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता (6,000 × 12)	72,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	56,400

कर योग्य HRA= प्राप्त HRA – कर मुक्त

HRA: 72,000 – 56,400 = 15,600

WN 3: नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + कमिशन + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से नगद में प्राप्त भुगतान

3,60,000 + 36,000 + – + – = 3,96,000

वेतन का 15 प्रतिशत: 3,96,000 × 15% = रु 59,400

– वेतन का 12 प्रतिशत: 3,96,000 × 12% = रु 47,520

नियोक्ता का भविष्य निर्वाह निधि में कर योग्य हिस्सा वेतन का 12 प्रतिशत से अधिक योगदान अर्थात्: (59,400 – 47,520) = रु 11,880

उदा. 25: श्री. रमाकांत प्रति माह रु 48,000 वेतन प्राप्त करता है, जिसका 20 प्रतिशत वह मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करता है जबकि नियोक्ता 15 प्रतिशत अंशदान करता है। नियोक्ता ने रमाकांत को दिल्ली में किराए से मुक्त रहने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। उसने अपने नियोक्ता से रु 64,000 बोनस भी प्राप्त किया है। मान्यता प्राप्त भविष्य निधि पर 10 प्रतिशत की दर से रु 4,000 ब्याज भी प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर रमाकांत के कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. रमाकांत, दिल्ली के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (48,000 × 12)			5,76,000
+	बोनस			64,000
+	किराया मुक्त मकान सुविधा मूल्य (दिल्ली)	1		96,000
+	नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान	2		17,280

+	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 9.5 प्रतिशत से अधिक प्राप्त ब्याज		4,000	
	घटाएँ: मान्यता प्राप्त भविष्य निधि पर कर मुक्त ब्याज 9.5 प्रतिशत		3.800	
				200
	सकल वेतन			7,53,480
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			7,13,480

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन (मकान का स्वामी नियोक्ता का है)

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

5,76,000 + 64,000 = रु 6,40,000

वेतन 15 प्रतिशत 6,40,000 × 15% = रु 96,000

WN 2: नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + कमिशन + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से नगद में प्राप्त भुगतान

5,76,000 + – + – + – = 5,76,000

वेतन के 15 प्रतिशत: 5,76,000 × 15% = रु 86,400

– **वेतन के 12 प्रतिशत:** 5,76,000 × 12% = रु 69,120

नियोक्ता का भविष्य निर्वाह निधि में कर योग्य हिस्सा वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक योगदान अर्थात्: (86,400 – 69,120) = रु 17,280

उदा. 26: श्री. उमाकांत प्रति माह रु 48,000 वेतन प्राप्त करता है, जिसका 20 प्रतिशत वह भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1925 के तहत भविष्य निधि में अंशदान करता है। जबकि नियोक्ता 15 प्रतिशत अंशदान करता है। नियोक्ता ने रमाकांत को दिल्ली में किराए से मुक्त रहने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। उसने अपने नियोक्ता से 64 हजार बोनस भी प्राप्त किया है। भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1925 के तहत भविष्य निधि पर 10 प्रतिशत की दर से रु 4,000 ब्याज भी प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर रमाकांत के कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. उमाकांत, दिल्ली के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 कर निर्धारण वर्षः 2019–20

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	वेतन (48,000 × 12)			5,76,000
+	बोनस			64,000
+	किराया मुक्त मकान सुविधा मूल्य (दिल्ली)	1		96,000
	सकल वेतन			7,36,000
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			6,96,000

टिप्पणी

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन (मकान का स्वामी नियोक्ता का है)

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर योग्य भत्ता + बोनस + कमिशन + नगद में प्राप्त भुगतान

5,76,000 + 64,000 × रु 16,40,000

वेतन का 15 प्रतिशत 6,40,000 × 15% = रु 96,000

WN 2: नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान, यह भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत है, इसलिए कर मुक्त है।

WN 3: भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1925 (यह वैधानिक भविष्य निर्वाह निधि है) के अंतर्गत निधि पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त है।

उदा. 27: श्रीमती शशिबाला, उदयपुर को प्रति माह रु 1,00,000 वेतन, प्रति माह रु 10,000 महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) प्राप्त होता है। वह अपने वेतन का 15 प्रतिशत भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान करती है तथा उनका नियोक्ता 15 प्रतिशत अंशदान भविष्य निर्वाह निधि में करता है। भविष्य निर्वाह निधि पर 15 प्रतिशत की दर से रु 45,000 ब्याज गत वर्ष प्राप्त हुआ है। उसे प्रति माह रु 4,000 मकान किराया भत्ता मिलता है। वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान का किराया प्रति माह रु 12,000 देता है। उसके कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य वेतन की गणना निम्न परिस्थितियों में कीजिए–

परिस्थिति–1: अगर भविष्य निधि वैधानिक हो।

परिस्थिति–2: अगर भविष्य निधि मान्यता प्राप्त हो।

परिस्थिति–3: अगर भविष्य निधि अप्रमाणित हो।

उत्तरः परिस्थिति–1: अगर भविष्य निधि वैधानिक है।

श्रीमती शशिबाला, उदयपुर के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (1,00,000 × 12)			12,00,000
+	महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) (10,000 × 12)			12,000
+	कर योग्य मकान किराया भत्ता (उदयपुर)	1		36,000
+	वैधानिक भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	2		कर मुक्त
+	वैधानिक भविष्य निधि पर प्राप्त ब्याज	3		कर मुक्त
	सकल वेतन			12,48,000
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			– 40,000
	कर योग्य वेतन			12,08,000

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: कर योग्य HRA की गणनाः कर मुक्त HRA धारा 10(13A) के अनुसार गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

12,00,000 + 1,20,000 + – + – = 13,20,000

विवरण	राशि
1. वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन का 10 प्रतिशत) 1,44,000 – 1,32,000	12,000
2. वेतन का 40 प्रतिशत – [उदयपुर] (13,20,000 × 40%)	5,28,000
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता (4,000 × 12)	48,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	12,000

कर योग्य HRA= प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA : 48,000 – 12,000 = 36,000

WN 2: नियोक्ता का वैधानिक भविष्य निधि में अंशदान पूर्णतः कर मुक्त होता है, क्योंकि वहाँ भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1925 लागू है।

WN 3: वैधानिक भविष्य निर्वाह निधि में प्राप्त ब्याज पूरी तरह कर मुक्त है।

परिस्थिति–2: अगर भविष्य निधि मान्यता प्राप्त है।

श्रीमती शशिबाला, उदयपुर के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

टिप्पणी

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (1,00,000 × 12)			12,00,000
+	महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) (10,000 × 12)			12,000
+	कर योग्य मकान किराया भत्ता (उदयपुर)	1		36,000
+	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता का 12 प्रतिशत से अधिक योगदान	2		39,600
+	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि पर ब्याज 9.5 प्रतिशत से अधिक प्राप्त	3		16,500
	सकल वेतन			13,04,100
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ 1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			12,64,100

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: कर योग्य HRA की गणना: कर मुक्त HRA धारा 10 (13A) के अनुसार गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

12,00,000 + 1,20,000 + – + – = 13,20,000

विवरण	राशि
1. वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन का 10 प्रतिशत) 1,44,000 – 1,32,000	12,000
2. वेतन के 40 प्रतिशत – [उदयपुर] (13,20,000 × 40%)	5,28,000
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता (4,000 × 12)	48,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	12,000

कर योग्य HRA = प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA: 48,000 – 12,000 = 36,000

WN 2: नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान।

टिप्पणी

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + कमिशन + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से नगद में प्राप्त भुगतान

12,00,000 + 1,20,000 + – + – = 13,20,000

नियोक्ता का योगदानः 13,20,000 × 15 = 1,98,000

नियोक्ता का कर मुक्त योगदानः 13,20,000 × 12% = 1,58,400

नियोक्ता का कर योग्य योगदानः (नियोक्ता का वास्तविक योगदान – वेतन का 12 प्रतिशत) 1,98,000 – 1,58,400 = 39,600

WN 3ः भविष्य निर्वाह निधि में प्राप्त ब्याज 9.5 प्रतिशत से अधिक कर योग्य है।

प्राप्त ब्याज 15 प्रतिशत से रु 45,000

9.5 प्रतिशत दर से कर मुक्त ब्याज रु 28,500

कर योग्य ब्याज (प्राप्त ब्याज – कर मुक्त ब्याज 9.5 प्रतिशत)

45,000 – 28,500 = 16,500

परिस्थिति–3ः अगर भविष्य निधि अमान्यता प्राप्त है।

श्रीमती शशिबाला, उदयपुर के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (1,00,000 × 12)			12,00,000
+	महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) (10,000 × 12)			12,000
+	कर योग्य मकान किराया भत्ता (उदयपुर)	1		36,000
+	अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान तथा उसका ब्याज अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि मान्यता प्राप्त होगी, उस समय हस्तांतरित शेष के वेतन शीर्षक में जोड़ा जाएगा तथा कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज अन्य साधनों की आय में कर योग्य होगा।			Nil
	सकल वेतन			12,48,000
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			12,08,000

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1ः कर योग्य HRA की गणनाः कर मुक्त HRA धारा 10 (13A) के अनुसार गणना।

टिप्पणी

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

12,00,000 + 1,20,000 + – + – = 13,20,000

विवरण	राशि
1. वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन का 10 प्रतिशत) 1,44,000 – 1,32,000	12,000
2. वेतन का 40 प्रतिशत – [उदयपुर] (13,20,000 × 40%)	5,28,000
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता (4,000 × 12)	48,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	12,000

कर योग्य HRA = प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA : 48,000 – 12,000 = 36,000

उदा. 28: श्री. गणेश निजी कंपनी में कार्यरत् है, उसे गत वर्ष 2018–19 में निम्न आय प्राप्त हुई है–

1. वेतन प्रति माह रु 90,000
2. दो माह के वेतन के बराबर बोनस
3. घोड़ा भत्ता रु 1,500 प्रति माह
4. विशेष भत्ता रु 1,200 प्रति माह
5. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान वेतन का 15 प्रतिशत।
6. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 9.5 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज रु 56,000।
7. कार्यालय में मुफ्त भोजन सभी को दिया जाता है, जिसकी लागत प्रति भोजन रु 30 है।
8. नियोक्ता द्वारा गणेश को निजी एवं कार्यालयीन प्रयोग हेतु 1.6 लि. से कम क्षमता वाली कार प्रदान की है। निजी प्रयोग का व्यय वह अपनी जेब से करता है।

उत्तर: श्री. गणेश के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	वेतन (90,000 × 12)			10,80,000
+	बोनस			1,80,000
+	घोड़ा भत्ता (1500 × 12)			18,000
+	विशेष भत्ता (1200 × 12)			14,400

टिप्पणी

+	नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान (नियोक्ता का योगदान 15 प्रतिशत तथा कर मुक्त 12 प्रतिशत अर्थात् 3 प्रतिशत अधिक है। इस स्थिति में 3 प्रतिशत वेतन के कर योग्य योगदान रहेगा) (10,80,000 × 3%)			32,400
+	कार्यस्थल पर मुफ्त में भोजन, प्रति भोजन लागत रु 50 तक कर मुक्त भत्ता **उदा.** में प्रति भोजन लागत रु 30 दी है जो रु 50 से कम है।			Nil
+	नियोक्ता द्वारा करदाता को 1.6 लि. क्षमता से कम छोटी कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो निजी तथा कार्यालयीन कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। करदाता निजी प्रयोग के लिए स्वयं खर्च वहन करता है। ऐसी स्थिति में रु 600 प्रति माह इस सुविधा का मूल्य होगा। (600 × 12)			7,200
	सकल वेतन			13,32,000
−	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ 1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			12,92,000

उदा. 29: एक कंपनी जयराम, चेन्नई को रु 20,00,000 वार्षिक पैकेज पर नौकरी पर रखा है। इस पैकेज का विभाजन निम्न लिखित है–

1. मूल वेतन रु 9,60,000
2. विशेष भत्ता रु 5,28,000
3. यातायात भत्ता रु 38,400
4. टेलिफोन सुविधा रु 9,600
5. मकान किराया भत्ता रु 2,40,000
6. अनुमोदित अधिवार्षिता निधि में अंशदान रु 2,00,000
7. नाश्ते की सुविधा रु 24,000

जयराम प्रति माह रु 30,000 मकान किराए का भुगतान करता है तथा नियोक्ता रु 2,500 वार्षिक नियोजन कर की कटौती करता है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर जयराम, चेन्नई के कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. जयराम, चेन्नई के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन			9,60,000
+	विशेष भत्ता			5,28,000
+	यातायात भत्ता			38,400
+	टेलिफोन सुविधा			कर मुक्त
+	मकान किराया भत्ता	1		Nil
+	नियोक्ता का अधिवार्षिता निधि में अंशदान रु 1,50,000 तक कर मुक्त			
	2,00,000 – 1,50,000 = 50,000			50,000
	सकल वेतन			15,76,400
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			15,36,400

WN 1: कर योग्य HRA की गणनाः कर मुक्त HRA धारा 10(13A) के अनुसार गणना।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

9,60,000 + – + – + – = 9,60,000

विवरण	राशि
1. वेतन का 10 प्रतिशत से अधिक दिया गया मकान किराया (मकान किराया – वेतन के 10 प्रतिशत)	
3,60,000 – 96,000	2,64,000
2. वेतन के 50 प्रतिशत – [चेन्नई] (9,60,000 × 50%)	4,80,000
3. प्राप्त मकान किराया भत्ता	2,40,000
उपर्युक्त 1, 2 तथा 3 में से जो कम राशि कर मुक्त HRA होगा, धारा 10(13A) के अनुसार	2,40,000

कर योग्य HRA= प्राप्त HRA – कर मुक्त HRA : 2,40,000 – 2,40,000 = Nil

उदा. 30: श्री. आनंद, नागपुर के सरकारी महाविद्यालय में सहयोगी प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं (नागपुर की कुल आबादी जनगणना 2001 के अनुसार 25 लाख से अधिक है) श्री. आनंद का मूल वेतन रु 14,900, 10 माह के लिए तथा रु 15,300 दो माह के लिए था। आनंद को प्रति माह रु 2,000 महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल नहीं) तथा शहर क्षतिपूर्ति भत्ता रु 100 प्रति माह प्राप्त होता है।

टिप्पणी

नियोक्ता द्वारा करदाता को किराया मुक्त सुसज्जित मकान दिया गया है, जो संस्था की संपत्ति नहीं है जिसका किराया मूल्य रु 2,500 प्रति माह है तथा उन्हें 1.4 लि. क्षमता वाली मोटार कार कॉलेज तथा निजी कार्यों के लिए नियोक्ता द्वारा दी गई है। उसके साथ चालक (Driver) की सुविधा भी दी गई है, इस सुविधा का पूरा व्यय कॉलेज द्वारा वहन किया जाता है।

इसके साथ ही आनंद को नियोक्ता की ओर से माली, पहरेदार (Watchman) तथा घरेलू नौकर की सुविधा मुहैया की गई है, जिसका खर्च प्रति माह रु 150 प्रति व्यक्ति है, जो संस्था द्वारा वहन किया जाता है, करदाता खुद तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कर्मचारी भविष्य निधि में 10% अंशदान करते हैं। गत वर्ष 2018–19 में रु 1,000 की किताबें तथा रु 500 नियोजन कर (Employment Tax) का शोधन किया गया है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए आनंद के वेतन से आय की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. आनंद, नागपुर के कर योग्य वेतन की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (14,900 × 10 + 15,300 × 2)			1,79,600
+	महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल नहीं) (2,000 × 12)			24,000
+	शहर क्षतिपूर्ति भत्ता (100 × 12)			1,200
+	किराया मुक्त सुसज्जित मकान सुविधा का मूल्य	1		27,520
+	कार के अनुलाभ का मूल्य	2		32,400
+	माली की सुविधा का मूल्य			1,800
+	चौकीदार की सुविधा का मूल्य			1,800
+	घरेलू नौकर की सुविधा का मूल्य			1,800
	सकल वेतन			2,48,520
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)		40,000	
	+ 2. व्यवसाय अथवा नियोजन कर–धारा 16(ii)		500	40,500
	कर योग्य वेतन			2,08,520

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: भाटक मुक्त सुसज्जित घर का मूल्यांकन

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में समाविष्ट हो तो) + कर योग्य अन्य भत्ते + बोनस + कमिशन + प्राप्त नगद

टिप्पणी

वेतन का अर्थ = – 1,79,600 + – + 1,200 + – + – + – = 1,80,800

1. वेतन का 15% = 1,80,800 × 15% = 27,120

2. अधिकतम किराया (2,500 × 12) = 30,000

उपरोक्त में से कम अर्थात् 27,120 यह किराया मुक्त असुसज्जित घर का मूल्यांकन होगा।

सुसज्जित घर का मूल्यांकन = असुसज्जित घर का मूल्यांकन + फर्निचर के लागत मूल्य के 10% अर्थात् 27,120 + (4,000 × 10%) = 27,120 + 400 = 27,520।

WN 2: श्री. आनंद को रोख वार्षिक प्राप्ति 50,000 से अधिक है, इसलिए करदाता विशिष्ट कर्मचारी होने के कारण नियम 3(2) के अनुसार कार का मूल्यांकन होगा। (अनुलाभ के लिए वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + लाभ जो नगद प्राप्त हुए हैं + बोनस + कमिशन + अन्य रोख मौद्रिक प्राप्तियाँ किंतु धारा 16 के अंतर्गत कटौतियाँ घटाने के बाद इसमें कोई भी अनुलाभ का मूल्य शामिल नहीं होगा, जो मुद्रा में प्राप्त नहीं होता।

करदाता को 1.4 लि. इंजन क्षमता वाली कार निजी तथा कार्यालयीन कामों के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसका पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता हैं। इसका मूल्यांकन निम्न प्रकार से है–

1.4 लि. कार प्रति माह रु 1,800 (1,800 × 12)	= रु 21,600
ड्राइवर प्रति माह रु 900 (900 × 12)	= रु 10,800
यह कार के अनुलाभ का मूल्यांकन	= रु 32,400

WN 3: वैधानिक भविष्य निधि (SPF) में नियोक्ता का अंशदान पूर्णतः कर मुक्त है।

WN 4: करदाता ने रु 1,000 की जो किताबें खरीदी हैं, उन किताबों की कटौती प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि करदाता को स्वतंत्र रूप से इन सभी खर्चों के लिए भुगतान किया गया हो या नहीं, उसके लिए धारा 16(i) के अनुसार प्रमाणित अथवा मानक कटौती दी जाती है।

उदा. 31: श्री. डाहाके जो परिवहन कंपनी में चालक पद पर कार्यरत हैं, वे अमान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, उन्हें मूल वेतन 8,000 प्रति माह की दर से 1 जनवरी 2018 से वेतन प्राप्त होता है। उन्हें मूल वेतन पर 10% की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त होता है, जो उनकी सेवा शर्तों में शामिल है। साथ ही साथ मकान किराया भत्ता रु 1,200 प्रति माह प्राप्त होता है तथा वे रु 2,000 प्रति माह की दर से किराए का शोधन करते हैं। वे अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि में स्वयं 10% तथा नियोक्ता 20% की दर से अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करते हैं। उन्हें नियोक्ता द्वारा व्यक्तिगत क्लबों के बिल का भुगतान की क्षतिपूर्ति रु 19,000 प्राप्त होती है। इसके आलावा उन्हें प्रति माह वाहन भत्ता रु 400 प्राप्त होता है।

टिप्पणी

वे 1/1/2019 को 28 वर्ष 9 माह के पश्चात् अपनी सेवा से अवकाश ग्रहण करते हैं। उन्हें भविष्य निर्वाह निधि से रु 1,50,000 प्राप्त होते हैं तथा उसमें रु 15,000 का योगदान कर्मचारी का है तथा उस पर रु 21,000 ब्याज के प्राप्त हुए हैं। नियोक्ता का योगदान रु 60,000 तथा उस पर ब्याज रु 54,000 है। उन्हें ग्रेच्युइटी के रु 1,60,000 प्राप्त हुए हैं तथा उन्हें रु 3,000 की पेंशन प्रति माह प्राप्त है। 1/3/2019 को वे अपनी आधी पेंशन की एकमुश्त राशि रु 1,20,000 प्राप्त करते हैं।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री. डाहाके का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर देय वेतन का आगणन करें।

उत्तरः श्री. डाहाके के करदेय वेतन का आगणन।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	वेतन (8,000 × 9)			72,000
+	महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) (वेतन का 10%) (72,000 × 10%)			7,200
+	कर योग्य मकान किराया भत्ता	1		720
+	क्लब के बिल की क्षतिपूर्ति			19,000
+	परिवहन भत्ता	2		1,080
+	निवृत्ति वेतन (पेंशन) तीन माह (3,000 × 2 + 1,500 × 1)			7,500
+	कर योग्य ग्रैच्युइटी की राशि	3		36,800
+	एकमुश्त पेंशन की कर योग्य राशि	4		40,000
+	नियोक्ता का अमान्यता प्राप्त भविष्य निर्वाह निधि में योगदान (URPF) निवृत्ति के समय प्राप्त			60,000
+	नियोक्ता का अमान्यता प्राप्त भविष्य निर्वाह निधि के योगदान पर ब्याज निवृत्ति के समय प्राप्त			54,000
	सकल वेतन			2,98,300
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ 1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			2,58,300

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: मकान किराया भत्ते की कर मुक्त राशि का धारा 10(13A) के अनुसार आगणन

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

72,000 + 7,200 + – = रु 79,200

(i) वेतन के 10% से अधिक मकान किराए का भुगतान = वास्तविक मकान किराया – वेतन के 10% = 18,000 – (79,200 × 10) = 18,000 – 7,920 = 10,080

(ii) प्राप्त मकान किराया भत्ता = 10,800

(iii) वेतन के 40% = (79,200 × 40%) = 31,680

उपरोक्त राशि में से कम धारा 10(13A) के अनुसार कर मुक्त मकान किराया भत्ता होगा अर्थात् रु 10,080

कर योग्य मकान किराया भत्ता = प्राप्त भत्ता – कर मुक्त भत्ता

10,800 – 10,080 = 720

WN 2: करदाता एक परिवहन कंपनी में कार्यरत है, इसलिए उसे प्राप्त भत्ते के 70% या अधिकतम प्रति माह रु 10,000 या दोनों में से जो कम हो, कर मुक्त होता है। धारा 10(14) के अनुसार

अधिकतम रु 10,000 प्रति माह परिवहन भत्ता = 10,000 × 9 = 90,000 या

3,600 के 70% कर मुक्त = 2,520 दोनों में से कम कर मुक्त अर्थात रु 2,520

कर योग्य परिवहन भत्ता = प्राप्त भत्ता – कर मुक्त भत्ता

3600 – 2520 = 1,080

WN 3: कर योग्य ग्रैच्युइटी का आगणन धारा 10(10)(ii) के अनुसार।

सर्वप्रथम कर मुक्त ग्रैच्युइटी का आगणन धारा 10(10)(ii) के अनुसार किया जाएगा।

कर्मचारी गैर–सरकारी कर्मचारी है, इसलिए ग्रैच्युइटी के भुगतान के लिए ग्रैच्युइटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त ग्रैच्युइटी निम्न प्रकार से आगणित की जाती है–

नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर आधे माह के औसत वेतन के हिसाब से अथवा

अधिकतम रु 2,00,000 अथवा वास्तविक प्राप्त ग्रैच्युइटी की राशि।

ग्रैच्युइटी के लिए पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर गणना की जाएगी, अगर शेष सेवा माह में रही हो, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। (जब कर्मचारी को ग्रैच्युइटी अधिनियम 1972 लागू नहीं होता) सेवा काल 28 वर्ष 9 माह है। इसलिए कर्मचारी की सेवा 28 वर्ष ली जाएगी।

औसत वेतनः औसत वेतन की गणना पिछले 10 माह के वेतन के आधार पर की जाएगी।

प्रतिमाह वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन हो तो) + कर्मचारी द्वारा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत की राशि

प्रति माह वेतन का अर्थ = 8,000 + 800 = 8,800

टिप्पणी

कर मुक्त ग्रेच्युइटी का आगणन नियमों के अनुसार निम्न हैं–

(i) प्राप्त ग्रेच्युइटी की राशि = रु 1,60,000

(ii) नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर आधे माह के औसत वेतन के हिसाब से गणना।

28 वर्ष 9 माह की सेवा है, लेकिन ग्रेच्युइटी के लिए 28 वर्ष की सेवा का आधार लिया जाएगा।

अर्थात् 28 वर्ष प्रतिवर्ष 15 दिन के हिसाब से कर मुक्त ग्रेच्युइटी की गणना की जाएगी।

(28 / 2)माह × 8,800 = रु 1,23,200

(iii) अधिकतमः रु 20,00,000

उपरोक्त (i), (ii), (iii) में से सबसे कम राशि यह कर मुक्त ग्रेच्युइटी होगी अर्थात् रु 1,23,200

कर योग्य ग्रेच्युइटी = प्राप्त ग्रेच्युइटी – कर मुक्त ग्रेच्युइटी

1,60,000 – 1,23,200 = रु 36,800

WN 4: कर योग्य एकमुस्त पेंशन का आगणन

धारा 10(10A) के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त पेंशन की कर मुक्त राशि का आगणन निम्न है–

करदाता यह गैर–सरकारी कर्मचारी है तथा उसे ग्रेच्युइटी प्राप्त होती है, तो पेंशन की एकमुस्त राशि का एक तृतीयांश राशि कर मुक्त रहती है, अर्थात् (1,20,000 × 1 / 3) = 80,000 कर मुक्त होगी।

विशेष टिप्पणी

1,20,000 यह कुल देय पेंशन के हैं, इसलिए 1,20,000 को 2 से गुणा कर कुल पेंशन की राशि आगणित की गई। उसके पश्चात् कर मुक्त पेंशन का आगणन किया गया है।

WN 5: करदाता को अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि से प्राप्त राशि में शामिल करदाता के योगदान पर ब्याज वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसे अन्य साधानों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

उदा. 32: श्री. आत्मानंद एक निजी कंपनी में अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं। 30 नवंबर 2018 को कार्यालय में अपने कर्त्तव्य पर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें उनकी मृत्यु के पूर्व गत वर्ष निम्न प्राप्तियाँ हुई हैं – मूल वेतन प्रति माह रु 15,000 (1 / 1 / 2018 से), महंगाई भत्ता मूल वेतन के 100 प्रतिशत (सेवा शर्तों में शामिल), मकान किराया भत्ता प्रति माह रु 9,000 (वह प्रति माह रु 3,000 किराए का भुगतान करता था), उसे प्रति माह दो बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्रति बच्चा रु 130 प्राप्त होते है। वह और उसका नियोक्ता दोनों स्वतंत्र रूप से भविष्य निर्वाह निधि में वेतन के 10 प्रतिशत योगदान करते थे। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए आत्मानंद के कर योग्य वेतन की गणना कीजिए।

टिप्पणी

उत्तरः श्री. आत्मानंद के करदेय वेतन का आगणन।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	मूल वेतन (15,000 × 8)			1,20,000
+	महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में शामिल) (वेतन के 100%) (1,20,000 × 100%)			1,20,000
+	कर योग्य मकान किराया भत्ता	1		24,000
+	बच्चों का शिक्षा भत्ता प्राप्त (130 × 2 × 8)		2,080	
	घटाएँः प्रति बच्चा रु 100 कर मुक्त अधिकतम 2 बच्चों के लिए (100 × 2 × 8)		1,600	
				480
	सकल वेतन			2,64,480
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			2,24,480

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: मकान किराया भत्ते की कर मुक्त राशि का धारा 10(13A) के अनुसार आगणन।

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के आधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

1,20,000 + 1,20,000 + – = रु 2,40,000

(i) वेतन के 10% से अधिक मकान किराए का भुगतान = वास्तविक मकान किराया – वेतन के 10% = 72,000 – 24,000 = 48,000

(ii) प्राप्त मकान किराया भत्ता = 72,000

(iii) वेतन के 40% = (2,40,000 × 40%) = 57,600

उपरोक्त राशि में से कम धारा 10(13A) के अनुसार कर मुक्त मकान किराया भत्ता होगा अर्थात् रु 48,000।

कर योग्य HRA = प्राप्त भत्ता – कर मुक्त भत्ता रु 72,000 – 48,000 = 24,000।

उदा. 33: श्री. हरिराम जो पुणे स्थित एक निजी कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत् हैं, उनका प्राप्ति शोधन लेखा गत वर्ष 2018–19 का निम्न लिखित है।

टिप्पणी

प्राप्ति	राशि	शोधन	राशि
प्रारंभिक शेष (1/4/2018)	51,200	किराया का भुगतान	28,000
मूल वेतन	2,90,000	कार खरीद	3,00,000
महंगाई भत्ता	1,34,000	कार मरम्मत खर्च	34,000
मकान किराया भत्ता	64,000	मा. भविष्य निधि में योगदान	40,600
चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति	40,000	मासिक बचत अधिकोष में	36,000
नियोक्ता से प्राप्त (प्रतिपूर्ति निजी अस्पताल की है)		अस्पताल के चिकित्सा खर्च का भुगतान	52,000
दोस्त से कर्ज	18,000	नियोजन कर	2500
नियोक्ता से ब्याज मुक्त ऋण	1,00,000	यूटीआई पारस्परिक कोष में विनियोग	15,000
भविष्य निर्वाह निधि से कर्ज	87,000	बीमा प्रव्याजी का शोधन	25,000
		5 वर्षीय निक्षेप	5,000
		घरेलू खर्च	1,92,000
		अंतिम रोक शेष	54,100
	7,84,200		7,84,200

अन्य जानकारी

1. नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में हरिराम के अंशदान के बराबर है।
2. नियोक्ता हरिराम के निजी खर्च का भुगतान प्रत्यक्ष करता है–
    - निवास का गैस तथा बिजली बिल रु 12,000 (60 प्रतिशत निजी कार्य शेष कार्यालयीन कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है।)
    - हरिराम अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे की शादी के लिए विदेश जाते हैं, उसका खर्च रु 1,68,500।
    - हरिराम के क्रेडिट कार्ड का भुगतान रु 75,500।
    - घरेलू नौकर का वेतन रु 2,000 प्रति माह, एक माह का बोनस तथा वेतन के 8 प्रतिशत घरेलू नौकर के भविष्य निधि में योगदान।
3. भारतीय स्टेट बैंक की दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर हरिराम के कर देय वेतन की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

उत्तरः श्री. हरिराम, पुणे के करदेय वेतन का आगणन।

टिप्पणी

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	मूल वेतन			2,90,000
+	महंगाई भत्ता			1,34,000
+	कर योग्य मकान किराया भत्ता	1		64,000
+	नियोक्ता का 12 प्रतिशत से अधिक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान			
	नियोक्ता का योगदान		40,600	
	घटाएँ: वेतन के 12% कर मुक्त (2,90,000 × 12%)		34,800	
				5,800
+	नियोक्ता द्वारा गैस, बिजली बिल का भुगतान:			
	भुगतान की राशि (कर्मचारी के निजी कार्य का भुगतान कर योग्य)		12,000	
	घटाएँ: कार्यालयीन कार्य हेतु प्रयुक्त (12,000 × 40%)		4,800	
				7,200
+	विदेश दौरे का खर्च (निजी) का भुगतान नियोक्ता द्वारा संपूर्ण कर योग्य			1,68,500
+	नियोक्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर योग्य			75,500
+	नियोक्ता द्वारा ब्याज मुक्त ऋण पर ब्याज का मूल्य (भारतीय स्टेट बैंक की दर से किया जाएगा जो 10% है) (1,00,000 × 10%)			10,000
+	नियोक्ता से प्राप्त (प्रतिपूर्ति निजी अस्पताल की है) कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से पूर्णतः कर योग्य			40,000
+	नियोक्ता के द्वारा घरेलू नौकर का वेतन तथा बोनस का भुगतान कर योग्य अनुलाभ हैं, इसमें नियोक्ता के द्वारा घरेलू नौकर के भविष्य निधि में योगदान का समावेश नहीं होगा।			
	(2,000 × 12) + 2,000 = 26,000			26,000
	सकल वेतन			8,21,000
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)			40,000
	कर योग्य वेतन			7,81,000

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: मकान किराया भत्ते की कर मुक्त राशि का धारा 10(13A) के अनुसार आगणन

वेतन का अर्थ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + कर्मचारियों द्वारा बिक्री पर निश्चित कमिशन

2,90,000 + – + – = रु 2,90,000

(i) वेतन के 10% से अधिक मकान किराए का भुगतान = वास्तविक मकान किराया – वेतन के 10% = 28,000 – 29,000 = Nil वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक किराया का भुगतान नहीं होने के कारण पूरा मकान किराया भत्ता कर योग्य होगा अर्थात् प्राप्त भत्ता रु 64,000 कर योग्य है।

उदा. 34: श्री. एस. कुमार एक निजी बैंक में बैंगलुरु में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2013 को रु 20,000 – 500 – 22,000 – 2000 – 32,000 – 1,500 – 42,000 के वेतनमान पर हुई। उन्हें एक जुलाई 2018 को 2 वेतन वृद्धि के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर पदोन्नति मिली। उन्हें महंगाई भत्ता वेतन का 62 प्रतिशत, मकान किराया भत्ता वेतन का 15 प्रतिशत प्राप्त होता है। उन्हें छोटी कार निजी तथा कार्यालयीन कार्य के लिए दी जाती है। वह कार रु 8,000 प्रति माह किराए से लेकर सुविधा दी गई है। साथ ही, रु 5,000 प्रति माह वेतन तथा रु 10,000 बोनस चालक को दिया गया है। इस सुविधा का पूरा खर्च नियोक्ता वहन करता है। उन्हें गत वर्ष उल्लेखनीय कार्य के लिए रु 39,000 की सोने की अंगूठी कंपनी द्वारा उपहार में दी गई। गत वर्ष नियोक्ता द्वारा नियोजन कर रु 2,500 वेतन में से काटे गए। उपरोक्त जानकारी के आधार पर एस. कुमार का कर देय वेतन की गणना कीजिए।

उत्तर: पूर्व तैयारी : मूल वेतन का निर्धारण।

वर्ष क्र.	अवधि	गणन कार्य	मूल वेतन
1	1/7/2013 से 30/06/2014	20,000	20,000
2	1/7/2014 से 30/06/2015	20,000 + 500	20,500
3	1/7/2015 से 30/06/2016	20,500 + 500	21,000
4	1/7/2016 से 30/06/2017	21,000 + 500	21,500
5	1/7/2017 से 30/06/2018	21,500 + 500	22,000
6	1/7/2018 से 30/06/2019	22,000 + 2,000 + (2,000 × 2)	28,000

उत्तर: श्री. एस. कुमार, बेंगलुरु के कर देय वेतन का आगणन।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	मूल वेतन			
	22,000 × 3 माह		66,000	
	+ 28,000 × 9 माह		2,52,000	
				3,18,000
+	महंगाई भत्ता (मूल वेतन के 62%)			
	3,18,000 × 62%			1,97,160
+	मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर योग्य (करदाता कोई भी किराया देता नहीं, क्योंकि **उदा.** में किराए के भुगतान की कोई भी राशि नहीं दी गई है।)			47,700
+	निजी तथा कार्यालयीन कार्य के लिए प्रयुक्त छोटी मोटर कार चालक के साथ सुविधा का मूल्यांकन (खर्च नियोक्ता द्वारा वहन)	1		
	कार की सुविधा मूल्य (1,800 × 12)		21,600	
	+ चालक का वेतन (900 × 12)		10,800	
				32,400
+	उपहार पूर्णतः कर योग्य			39,000
	सकल वेतन			6,34,260
–	धारा 16 के अनुसार कटौतियाँ			
	1. मानक कटौती – धारा 16(i)		40,000	
	+ नियोजन कर		2,500	
				42,500
	कर योग्य वेतन			5,91,760

टिप्पणी

क्रियात्मक टिप्पणी

WN 1: नियोक्ता द्वारा चालक को दिया गया वेतन तथा बोनस के अलावा अन्य बातों को अनुलाभ के लिए शामिल नहीं किया जाता।

उदा. 35: श्री. राजेंद्रप्रकाश एक कंपनी में अधीक्षक के पद पर कार्यरत् हैं। उन्होंने 25 वर्ष सेवा के पश्चात् 1 नवंबर 2018 को सेवा से निवृत्ति ले ली। 1 अगस्त 2017 से उनका वेतनमान 36,000 – 1,800 – 2,860 हो गया था तथा उन्हें 3,600 मासिक महंगाई भत्ता मिलता था, जो सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में शामिल है। निवृत्ति के समय उनका सात माह का अर्जित अवकाश था (30 दिन प्रति वर्ष के आधार पर) जो मान्यता प्राप्त था। अतः उन्हें रु 2,64,600 वेतन तथा रु 25,200 महंगाई भत्ता भुगतान हुआ। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए अर्जित

अवकाश के नगद भुगतान के संबंध में कर मुक्त राशि की गणना कीजिए। यदि वह जनवरी 2019 को एक कंपनी में रु 45,000 प्रति माह पर कार्यरत् हो गए।

टिप्पणी

उत्तरः कर मुक्त अर्जित अवकाश की राशि का आगणन।

औसत वेतन की गणना

वेतन का अर्थः मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + बिक्री पर निर्धारित दर से कमिशन

मूल वेतन = (36,000 × 7) + (37,800 × 3) = 2,52,000 + 1,13,400 = 3,65,400

3,65,400 + (3,600 × 10) = 4,01,400

दस माह का औसत वेतन = 40,140

कर मुक्त अर्जित अवकाश राशि की गणना के नियम–

(i) दस माह का औसत वेतन = 40,140 × 10 = 4,01,400

(ii) मान्य अवधि का वेतन = 40,140 × 7 = 2,80,980

(iii) अधिकतम रु 3,00,000 (पूर्व में ली गई कर मुक्त राशि घटाई जाएगी)

(iv) प्राप्त राशि = 2,64,600 + 25,200 = 2,89,800

उपरोक्त में से कम राशि धारा 10(10AA) कर मुक्त रहेगी। अर्थात् रु 2,80,980 कर मुक्त अर्जित सेवा का मूल्य होगा।

उदा. 36: श्री. जनार्दन ओएनजीसी में कार्यरत् हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण किया है, उन्हें 12 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। उनकी निवृत्ति आयु 60 वर्ष है। निवृत्ति के समय उनकी आयु 45 वर्ष थी। वह कंपनी में 20 वर्ष कार्य कर चुके हैं। निवृत्ति के समय उनका मासिक वेतन निम्न है–

(i) मूल वेतन रु 20,000

(ii) महंगाई भत्ता (50 प्रतिशत निवृत्ति लाभ में शामिल किया जाता है) रु 12,000

(iii) मकान किराया भत्ता रु 6,000

(iv) सवारी भत्ता 1600

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर योग्य क्षतिपूर्ति की राशि गणना कीजिए।

उत्तरः जनार्दन की स्वेच्छा निवृत्ति क्षतिपूर्ति की कर योग्य राशि का आगणन।

वेतन का अर्थः मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अधीन) + बिक्री पर निर्धारित दर से कमिशन

मूल वेतन = 20,000 + (12,000 × 50%) = 20,000 + 6,000 = 26,000

पूर्ण सेवा अवधि = 20 वर्ष

शेष सेवाकाल = 15 वर्ष या 180 माह

टिप्पणी

नियमः

(i) क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि = 12,00,000

(ii) शेष सेवा काल के लिए प्रति वर्ष 3 माह का वेतन

26,000 × 20 वर्ष × 3 माह = 15,60,000

(iii) निवृत्ति के पूर्व माह में शेष सेवा काल × औसत वेतन

180 माह × 26,000 = 46,80,000

(iv) अधिकतम 5 लाख

उपरोक्त में से कम राशि कर मुक्त होगी धारा 10 (10C) अर्थात् रु 5,00,000

कर योग्य राशि = प्राप्त राशि – कर मुक्त राशि

= 12,00,000 – 5,00,000

= रु 7,00,000

कर योग्य राशि रु 7,00,000 रहेगी।

2.3 मकान संपत्ति से आय (Income From House Property (धारा 22 से 27))

2.3.1 प्रस्तावना (Introduction)

मकान संपत्ति से आय–यह आयका दूसरा स्त्रोत है। इस आय की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. 'मकान संपत्ति से आय' के लिए करदाता को संबंधित गृह संपत्ति का अथवा मकान संपत्ति का स्वामी होना अनिवार्य है।
2. 'मकान संपत्ति से आय' में मकान संपत्ति से संलग्न जमीन का भी समावेश होता है।
3. मकान संपत्ति का बिना प्रतिफल से कोई करदाता अपने जीवनसाथी तथा अपने बच्चों को हस्तांतरित करता है, ऐसी स्थिति में हस्तांतरण करने वाला ही उस संपत्ति का स्वामी समझा जाएगा।
4. अगर मकान संपत्ति गिरवी रखी गई हो, इस स्थिति में गिरवी रखने वाला मकान संपत्ति का स्वामी होगा, जिसके पास मकान संपत्ति गिरवी रखी है, वह संपत्ति का स्वामी नहीं होगा।
5. करदाता अपने मकान संपत्ति में खुद का व्यवसाय तथा पेशा चलाता है, तो उस संपत्ति की आय का समावेश मकान संपत्ति से आय के शीर्षक में नहीं होगा, इस आय का समावेश व्यापार तथा पेशे से आय के शीर्षक अंतर्गत होगा।
6. करदाता का एक निवासी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य तथा कर मुक्त होगा।

टिप्पणी

7. भारतीय रियासत के राजा के पास एक महल का वार्षिक मूल्य शून्य तथा कर मुक्त होगा।
8. विदेश में निवास के लिए प्रयुक्त 'मकान संपत्ति से आय' कर योग्य होगी।
9. शिकमी किराएदार/उपकिराएदार (Sub-tenant) से प्राप्त किराया 'मकान संपत्ति से आय' के शीर्षक के अंतर्गत समाविष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। शिकमी किराएदार से प्राप्त किराया 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अंतर्गत समाविष्ट होगा।
10. व्यवसाय के कर्मचारियों को स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व की गृह संपत्ति किराए से दी हो तो उससे होने वाली आय, 'मकान संपत्ति से आय' शीर्षक के अंतर्गत समाविष्ट नहीं होगी, बल्कि वह आय 'व्यापार एवं पेशे से आय' में समाविष्ट की जाएगी।
11. अगर मकान मालिक ने मकान कुछ सुविधाओं के साथ किराए से दिया हो, जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट आदि। उन सुविधाओं का मूल्य प्राप्त/प्राप्य किराए में से कम कर जो शेष रहेगा, उसे मकान संपत्ति से आय मानी जाएगी।
12. Paying Guest से प्राप्त किराया 'मकान संपत्ति से आय' शीर्षक में समाविष्ठ नहीं होगी, उसका समावेश अन्य साधनों से आय शीर्षक में किया जाएगा।
13. मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ तथा स्थानीय संस्था की 'मकान संपत्ति से आय' कर मुक्त होगी।
14. वैज्ञानिक संस्था की मकान संपत्ति से आय कर मुक्त होगी।
15. शैक्षिक संस्था तथा हॉस्पिटल की मकान संपत्ति से आय कर मुक्त होगी।
16. पंजीकृत राजनीतिक दल की मकान संपत्ति से आय कर मुक्त होगी।
17. व्यापारी की सुविधा अथवा सुरक्षा के लिए किराए से दी गई संपत्तियों से प्राप्त किराया 'मकान संपत्ति से आय' नहीं होगी। वह आय 'व्यापार एवं पेशे से आय' शीर्षक अंतर्गत आय होगी।

2.3.2 किराए से दिए मकान के आय की गणना करने की विधि (Calculation Method : Rented House Property)

धारा 23 के अनुसार किराए से दिए मकान की आय वार्षिक मूल्य के आधार पर की जाती है।

वार्षिक मूल्य आगणन करने की प्रविधि

1. **मकान संपत्ति के संभावित मूल्य का आगणन**– नगर पालिका मूल्य तथा उचित मूल्य, इनमें से जो भी ज्यादा हो, अगर वह मकान संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत होगा, तो वह संभावित मूल्य मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता।

$ER = MV \text{ or } FRV \text{ whichever is higher} \leq SR$

टिप्पणी

MV = Municipal Value,

FRV = Fair Rental Value,

SR = Standard Rent,

ER = Expected Rent.

2. प्राप्त एवं प्राप्य किराया (Received or Receivable Rent) तथा संभावित किराया, इन दोनों में से अधिकतम राशि गृह संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य (GAV – Gross Annual Value) कहलाएगा। (धारा 23)

विशेष टिप्पणी

(a) अगर कोई मकान संपत्ति पूरे साल खाली रहती है, तो उसका सकल वार्षिक मूल्य शून्य होगा।

(b) गत वर्ष में मकान संपत्ति कुछ माह खाली रही हो, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त तथा प्राप्य किराया ही सकल वार्षिक मूल्य रहेगा।

3. सकल वार्षिक मूल्य धारा 23 के अनुसार मकान संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित मकान संपत्ति पर दिया गया नगर पालिका कर का भुगतान किया गया, तो उसकी कटौती मिलेगी। (वह किसी भी वर्ष से संबंधित हो) तथा उसमें से अप्राप्त किराया जो नियम 4 की पूर्ति होती हो, तो उसे भी कटौती मिलेगी। कटौत घटाने के पश्चात् जो राशि शेष रहती है, उसे वार्षिक मूल्य (Annual Value) कहते हैं।

2.3.3 वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अनुसार कटौतियाँ (Deduction from Annual Value Section 24)

वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अनुसार कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं जो निम्न हैं–

2.3.3.1 मानक तथा प्रमाणित कटौती (Standard Deduction) धारा 24(i) के अनुसार

धारा 24(a): इसके अनुसार शुद्ध वार्षिक मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य के 30%, (स्वयं के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति के लिए यह कटौती प्राप्त नहीं होती, अर्थात् किराए से दिए गए मकान संपत्ति के लिए ही प्राप्त होती है।)

2.3.3.2 ब्याज की कटौती (Deduction of Interest)

(i) धारा 24(b): इस धारा के अनुसार मकान संपत्ति के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज के लिए यह कटौती प्राप्त होती है। यह कटौती किराया तथा स्वयं निवास के लिए निर्माण की मकान संपत्ति दोनों पर प्राप्त होती है।

(ii) (a) 1 अप्रैल 1999 के पूर्व मकान संपत्ति के लिए ऋण लिया हो, तो ब्याज की कटौती रु 30,000 तक मिलेगी।

1 अप्रैल 1999 से करदाता के निवास के लिए मकान संपत्ति निर्माण हेतु लिए कर्ज पर अधिकतम 2 लाख तक की कटौती प्राप्त होती है,

टिप्पणी

बशर्ते यह कटौती उसी समय प्राप्त होती है, जब कर्ज लेने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर मकान निर्माण का कार्य पूरा होना अनिवार्य है।

किराए के लिए मकान निर्माण हेतु लिए कर्ज के लिए उपरोक्त सीमा नहीं है, पूरे ब्याज की कटौती मिलती है।

ब्याज का भुगतान किया हो या नहीं, तो भी यह कटौती प्राप्त होती है।

अगर कर्ज मकान नूतनीकरण के लिए लिया गया है, तो उस कर्ज पर ब्याज अधिकतम रु 30,000 तक प्राप्त होगा।

(b) निर्माण के पूर्व मकान संपत्ति पर लिए गए कर्ज पर ब्याज के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं। मकान निर्माण के पूर्व कर्ज पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती संबंधित गत वर्ष में प्राप्त नहीं होती। जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति निर्माण हुआ हो, तो उस गत वर्ष से 5 वर्ष तक निर्माण के पूर्व भुगतान किए गए ब्याज की कटौती पांच समान किश्तों में प्राप्त होगी।

2.3.4 किराए से दिए मकान संपत्ति की आय के आगणन की सारणी (Table: Computation of Income from Rented House Property)

सारणी क्र. 2.23

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्य (MV)		xxxx	
	(ii) उचित किराया		xxxx	
	उपरोक्त (i) तथा (ii) में से अधिक किंतु अगर मानक किराया दिया हो, तो उससे अधिक राशि संभावित किराया नहीं होगा। किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, तो मानक किराया दिया जाएगा।			
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR			
	(iii) संभावित किराया		xxxx	
	(iv) प्राप्त अथवा प्राप्य किराया		xxxx	
	सकल वार्षिक मूल्य (**GAV** – Gross Annual Value)			
	उपरोक्त (iii) तथा (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य रहेगा। धारा 23 के अनुसार			xxxx

टिप्पणी

–	**घटाएँ:** धारा 23 के अनुसार– (i) गत वर्ष में शोधन किए गए नगरपालिका कर (ii) अप्राप्त किराया, जो नियम 4 की शर्तें पूरी करता हो।		xxxx xxxx	(–) xxxx
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (**AV** – Annual Value)			xxxx
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ (i) मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30% (ii) किराए के मकान संपत्ति के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज़ पर ब्याज की कटौती धारा 24(b) (iii) निर्माण के पूर्व भुगतान किए गए कर्ज पर ब्याज (जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति निर्माण हुआ हो, तो उस गत वर्ष से 5 वर्ष तक निर्माण के पूर्व भुगतान किए गए ब्याज की कटौती पांच समान किश्तों में प्राप्त होगी।)		xxxx xxxx xxxx	(-) xxxx
				xxxx
+	नियम 4 के अनुसार मान्य अप्राप्त किराए की कटौती के पश्चात् गत वर्षों में अप्राप्त किराया प्राप्त हुआ हो, तो उस किराए में से 30% मानक कटौती घटाकर शेष राशि जिस वर्ष अप्राप्त किराया प्राप्त हुआ है, उस गत वर्ष में मकान संपत्ति की आय में समाविष्ट किया जाएगा। धारा 25(b)			(+) xxxx
				xxxx
	किराए से दिए गए मकान संपत्ति की आय कर योग्य है।			xxxx

विशेष टिप्पणी

1. अगर गत वर्ष में निवासी मकान संपत्ति से हानि हो, तो उस वर्ष के किराए से घटाई जाएगी। उसके पश्चात् जो मकान संपत्ति से आय होगी, वह कर योग्य होगी। (ऋणात्मक नहीं रही तो)
2. करदाता एक से अधिक मकान संपत्ति निवास के लिए प्रयुक्त करता हो, तो उसकी एक ही निवास मकान संपत्ति को निवासी मकान संपत्ति मानी जाएगी। अन्य मकान संपत्तियों के आय की गणना किराए पर दी गई मकान संपत्ति के आधार पर की जाएगी। करदाता अपने विवेक के अनुसार कोई भी एक मकान संपत्ति निवासी संपत्ति में ले सकता है।

3. गत वर्ष के पूर्व मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति से हानि हुई हो, उस गत वर्ष के पश्चात् 8 वर्षों में हानि की पूर्ति की जा सकती है।

2.3.5 निवासी मकान संपत्ति की आय के आगणन की सारणी (Table: Computation of Income from Residential House Property)

सारणी क्र. 2.24

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (AV – Annual Value)			शून्य
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ			
	+ (i) निवासी मकान संपत्ति के निर्माण के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज की कटौती 2 लाख तक प्राप्त होगी तथा नूतनीकरण के लिए लिए गए कर्ज के लिए ब्याज की कटौती रु 30,000 तक प्राप्त होगी धारा 24(b)		xxxx	
	(ii) निर्माण के पूर्व भुगतान किए गए कर्ज पर ब्याज (जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति निर्माण हुआ हो, तो उस गत वर्ष से 5 वर्ष तक निर्माण के पूर्व भुगतान किए गए ब्याज की कटौती पांच समान किश्तों में प्राप्त होगी।)		xxxx	
				(-) xxxx
	निवासी मकान संपत्ति की आय कर योग्य है।			(-) xxxx

विशेष टिप्पणी

1. निवासी मकान संपत्ति में से नगर पालिका कर तथा मानक कटौती की कटौती नहीं दी जाएगी।
2. निवासी संपत्ति के निर्माण कार्य के लिए अगर ब्याज पर अनुमोदित संस्थाओं से कर्ज लिया गया है तो उसी समय निवासी संपत्ति की आय ऋणात्मक रहेगी।

टिप्पणी

2.3.6 मकान संपत्ति से कुल आय का आगणन (Calculation of Total Income from House Property)

सारणी क्र. 2.25

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	किराए के मकान से कर योग्य आय			xxxx
–	निवासी मकान संपत्ति से आय हर स्थिति में वह शून्य या ऋणात्मक रहेगी।			xxxx
	मकान संपत्ति की कुल कर योग्य आय।			xxxx

2.3.7 सकल वार्षिक मूल्य का आगणन (GAV – Gross Annual Value)

उदा. 1: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. संजय की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 60,000, उचित किराया रु 72,000 तथा वास्तविक किराया रु 64,000

उत्तर: संजय की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		60,000	
	(ii) उचित किराया		72,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक संभावित किराया होगा		72,000	
	(iv) वास्तविक किराया		64,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			72,000

उदा. 2: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. नमन की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 40,000, उचित किराया रु 48,000 तथा वास्तविक किराया रु 56,000।

उत्तर: श्री. नमन की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		40,000	
	(ii) उचित किराया		48,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक संभावित किराया होगा		48,000	
	(iv) वास्तविक किराया		56,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			56,000

उदा. 3: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. रमन की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 70,000, उचित किराया रु 64,000 तथा वास्तविक किराया रु 60,000।

उत्तर: श्री. रमन की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		70,000	
	(ii) उचित किराया		64,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक संभावित किराया होगा		70,000	
	(iv) वास्तविक किराया		60,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			70,000

मानक किराया दिया हो या किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो

उदा. 4: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. चमन की मकान संपत्ति जो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् आती है, उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 15,000, उचित किराया रु 18,000, मानक किराया रु 15,000 तथा वास्तविक किराया रु 20,000।

उत्तर: श्री. चमन की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन।

टिप्पणी

(मानक किराया दिया हो)

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		15,000	
	(ii) उचित किराया		18,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		18,000	
	संभावित मूल्य मानक किराए से अधिक नहीं होगा मानक किराया		15,000	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR		15,000	
	(iv) वास्तविक किराया		20,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			20,000

उदा. 5: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. कनक की मकान संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् आती है, उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 13,000, उचित किराया रु 14,000, मानक किराया रु 17,500 तथा वास्तविक किराया रु 15,000।

उत्तर: श्री. कनक की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन।

(मानक किराया दिया हो)

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		13,000	
	(ii) उचित किराया		14,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		14,000	
	संभावित मूल्य मानक किराए से अधिक नहीं होगा मानक किराया		17,500	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR		14,000	
	(iv) वास्तविक किराया		15,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			15,000

उदा. 6: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. गगन की मकान संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् आती है, का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

टिप्पणी

नगर पालिका मूल्यांकन रु 17,500, उचित किराया रु 15,000, मानक किराया रु 18,000 तथा वास्तविक किराया रु 16,000।

उत्तर: श्री. कनक की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन:

(मानक किराया दिया हो)

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		17,500	
	(ii) उचित किराया		15,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		17,500	
	संभावित मूल्य मानक किराए से अधिक नहीं होगा मानक किराया		18,000	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR		17,500	
	(iv) वास्तविक किराया		16,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			17,500

उदा. 7: निम्नलिखित सूचना के आधार पर सौ. सुमन की मकान संपत्ति जो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् आती है, उस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 15,000, उचित किराया रु 18,000, मानक किराया रु 20,000 तथा वास्तविक किराया रु 16,000 है।

उत्तर: सौ. सुमन की मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य का आगणन:

(मानक किराया दिया हो)

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		15,000	
	(ii) उचित किराया		18,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		18,000	
	संभावित मूल्य मानक किराए से अधिक नहीं होगा मानक किराया		20,000	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR		18,000	
	(iv) वास्तविक किराया		16,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			18,000

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

31. आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय __________ है।
    (क) रहने का मकान
    (ख) कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन
    (ग) गोदाम
    (घ) मकान में ये सभी सम्मिलित हैं
32. स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय __________ होती है।
    (क) शुद्ध लाभ (ख) उचित किराया
    (ग) नगर पालिका मूल्य (घ) शून्य
33. __________ मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है।
    (क) फार्म हाउस (ख) राजा का महल
    (ग) व्यापारिक भवन (घ) ये सभीं
34. मकान संपत्ती से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार होता है।
    (क) नगर पालिका मूल्य (ख) प्राप्त किराया
    (ग) मानक किराया (घ) वार्षिक मूल्य
35. मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी।
    (क) गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया गया
    (ख) गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया
    (ग) गत वर्ष में देय
    (घ) इनमें से किसी को नहीं
36. किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है, तो इस नियम के आधार पर जो किराया होता है, उसे __________ कहते हैं।
    (क) नगर पालिका मूल्य (ख) प्राप्त किराया
    (ग) मानक किराया (घ) वार्षिक मूल्य
37. मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य रु 50,000, उचित किराया रु 60,000 तथा मानक किराया रु 48,000 हो, तो संभावित किराया __________ होगा।
    (क) रु 50,000 (ख) रु 48,000
    (ग) रु 60,000 (घ) रु 20,000
38. मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य रु 48,000, उचित किराया रु 60,000 तथा मानक किराया रु 72,000 हो, तो संभावित किराया __________ होगा।
    (क) रु 50,000 (ख) रु 48,000
    (ग) रु 60,000 (घ) रु 20,000

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

39. मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य रु 80,000, उचित किराया रु 60,000 तथा मानक किराया रु 1,10,000 हो, तो संभावित किराया __________ होगा।

(क) रु 80,000 (ख) रु 1,10,000

(ग) रु 60,000 (घ) रु 90,000

40. नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 10 प्रतिशत के बराबर रु 50,000 हो, तो नगर पालिका मूल्य __________ होगा।

(क) रु 2,00,000 (ख) रु 3,00,000

(ग) रु 4,00,000 (घ) रु 5,00,000

2.3.8 वार्षिक मूल्य का निर्धारण (NAV – Net Annual Value)

उदा. 8: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. कमल की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 50,000, उचित किराया रु 60,000, प्राप्त किराया रु 57,600, इस मकान संपत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, इसके अनुसार इस संपत्ति का मानक किराया रु 40,000 है। गत वर्ष में नगर पालिका कर रु 5,600 कमल द्वारा नगर पालिका को भुगतान किया है।

उत्तर: श्री. कमल की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		50,000	
	(ii) उचित किराया		60,000	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		60,000	
	संभावित मूल्य मानक किराए से अधिक नहीं होगा मानक किराया		40,000	
	ER = MV or FRV whichever is higher $\leq$ SR		40,000	
	(iv) प्राप्त किराया		57,600	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			57,600
–	गत वर्ष में मकान के स्वामी द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर			5,600
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)			57,600

टिप्पणी

उदा. 9: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्रीमती विमल की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

उचित किराया रु 50,000, नगर पालिका मूल्यांकन रु 54,000, प्राप्त किराया रु 60,000 है। गत वर्ष नगर पालिका कर रु 10,800 श्रीमती विमल द्वारा नगर पालिका को भुगतान किया है।

उत्तर: श्रीमती विमल की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		54,000	
	(ii) उचित किराया		50,000	
	(iii) संभावित किराया उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		54,000	
	(iv) प्राप्त किराया		60,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			60,000
–	गत वर्ष मकान के स्वामी द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर			10,800
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)			49,200

उदा. 10: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. कमल की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

उचित किराया रु 56,000, नगर पालिका मूल्यांकन रु 58,000, प्राप्त किराया रु 55,200 है। गत वर्ष में नगरपालिका कर रु 11,600 कमल द्वारा नगर पालिका को भुगतान किया है।

उत्तर: श्री. कमल की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		58,000	
	(ii) उचित किराया		56,000	
	(iii) संभावित किराया उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक होगा		58,000	
	(iv) प्राप्त किराया		55,200	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			58,000
–	गत वर्ष में मकान के स्वामी द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर			11,600
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)			46,400

टिप्पणी

उदा. 11: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्रीमती किरण की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 50,000, प्राप्त किराया रु 60,000 है। मानक किराया रु 48,000, गत वर्ष नगरपालिका कर रु 12,000 किराएदार ने नगर पालिका को भुगतान किया है।

उत्तर: श्रीमती किरण की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन		50,000	
	(ii) उचित किराया		–	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक नही होगा : मानक किराया		5,000 48,000	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR		48,000	
	(iv) प्राप्त किराया		60,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा			60,000
–	गत वर्ष मकान के किराएदार ने नगर पालिका कर का भुगतान किया है, इसलिए कटौती नहीं मिलेगी			–
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)			60,000

उदा. 12: निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. किशोर की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारीत कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन रु 52,000, प्राप्त किराया रु 4,000 प्रति माह। मानक किराया रु 54,000, गत वर्ष का नगर पालिका कर रु 1,400, श्री. किशोर ने नगर पालिका को भुगतान किया है। मकान 1/10/2018 को बनकर तैयार हुआ।

उत्तर: श्री. किशोर की मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन 6 माह का क्योंकि घर 1/10/2018 को बनकर तैयार हुआ है। (52,000 ÷ 2)		26,000	
	(ii) उचित किराया		–	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक नहीं होगा : मानक किराया		26,000 27,000	

	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	26,000	
	(iv) प्राप्त किराया 4,000 × 6	24,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा		26,000
–	गत वर्ष मकान के स्वामी द्वारा नगर पालिका कर का भुगतान		2,800
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)		23,200

विभिन्न परिस्थितियों में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना

1. मकान संपत्ति गत वर्षों में पूरे साल किराए से दी हो तथा कोई भी अप्राप्त तक किराया न हो।

उदा. 13: निम्न परिस्थितियों में मकान के वार्षिक मूल्य गणना कीजिए।

विवरण	**परिस्थिति–1**	**परिस्थिति–2**
नगर पालिका मूल्यांकन	2,00,000	2,00,000
उचित किराया	2,40,000	2,40,000
मानक किराया	1,80,000	2,80,000
प्राप्त किराया	2,64,000	1,92,000
नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 10%	स्वामी द्वारा भुगतान	किराएदार द्वारा भुगतान

उत्तर: परिस्थिति 1 तथा 2 में मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	**विवरण**	**परिस्थिति–1**	**परिस्थिति–2**
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन	2,00,000	2,00,000
	(ii) उचित किराया	2,40,000	2,40,000
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक नही होगा : मानक किराया	2,40,000 1,80,000	2,40,000 2,80,000
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	1,80,000	2,40,000
	(iv) प्राप्त किराया	2,64,000	1,92,000
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा	2,64,000	2,40,000
–	परिस्थिति–1 में गत वर्ष मकान के स्वामी ने नगर पालिका कर का भुगतान (नगर पालिका मूल्यांकन के 10%)	(–) 20,000	
	परिस्थिति–2 में गत वर्ष किराएदार द्वारा नगर पालिका कर का भुगतान		–
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)	2,44,000	2,40,000

टिप्पणी

2. मकान संपत्ति गत वर्षों में जो पूरे वर्ष या कुछ माह खाली हो–

(i) मकान पूरे वर्ष खाली रहा है, इस स्थिति में मकान का सकल वार्षिक मूल्य शून्य होगा।

(ii) यदि मकान किराए पर दिया हो, किंतु वह गत वर्ष कुछ माह खाली रहा हो, इस स्थिति में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया संभावित किराए से कम है, तो भी सकल वार्षिक मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य किराया होगा।

विशेष सूचना

उपरोक्त स्थिति में सकल वार्षिक मूल्य में से मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में चुकाए गए नगर पालिका कर की राशि घटाने के पश्चात् शेष राशि मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा।

उदा. 14: निम्न परिस्थितियों में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
संभावित किराया	2,00,000	2,00,000
प्राप्त किराया	20,000 प्रति माह	20,000 प्रति माह
नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 10%	स्वामी द्वारा भुगतान	स्वामी द्वारा भुगतान
मकान खाली रहने की अवधि	1 माह	3 माह

उत्तर: परिस्थिति 1 तथा 2 में मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
	संभावित किराया	2,00,000	2,00,000
	प्राप्त किराया	2,20,000	1,80,000
	सकल वार्षिक मूल्य	2,20,000	1,80,000
	यदि मकान किराए पर दिया हो, किंतु वह गत वर्ष कुछ माह खाली रहा हो, इस स्थिति में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया संभावित किराए से कम है, तो भी सकल वार्षिक मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य किराया होगा।		
–	नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 10 प्रतिशत	18,000	18,000
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	2,02,000	1,62,000

3. मकान संपत्ति जो किराए से दी हो, जो पूर्ण वर्ष खाली न हो तथा अप्राप्त किराया।

इस स्थिति में, मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य स्थिति क्रमांक 1 (मकान संपत्ति गत वर्षों में पूरे साल किराए से दी हो तथा कोई भी अप्राप्त किराया

टिप्पणी

न हो) जैसा किया जाएगा। इस स्थिति में, अप्राप्त किराया की राशि की कटौती तभी दी जाएगी, जब अप्राप्त किराया की राशि नियम 4 की शर्तें पूरी करती हो। अगर नहीं की जाती है, तो अप्राप्त किराया की कटौती नहीं मिलेगी।

उदा. 15: निम्न परिस्थितियों में मकान के वार्षिक मूल्य गणना कीजिए।

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
नगर पालिका मूल्यांकन	3,00,000	3,00,000
उचित किराया	3,60,000	3,60,000
मानक किराया	3,20,000	3,20,000
प्राप्त किराया	40,000 प्रति माह	40,000 प्रति माह
नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 20%	स्वामी द्वारा भुगतान	स्वामी द्वारा भुगतान
अप्राप्त किराया	80,000	80,000
नियम 4 के शर्तों की पूर्ति	नहीं की जाती	की जाती है

उत्तर: परिस्थिति 1 तथा 2 में मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन	3,00,000	3,00,000
	(ii) उचित किराया	3,60,000	3,60,000
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक नही होगा : मानक किराया	3,60,000 3,20,000	3,60,000 3,20,000
	ER = MV or FRV whichever is higher $\leq$ SR	3,20,000	3,20,000
	(iv) प्राप्त/प्राप्य किराया	4,80,000	4,80,000
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा	4,80,000	4,80,000
–	नगर पालिका कर का भुगतान	60,000	60,000
	+ अप्राप्त किराया – नियम 4 की पूर्ति की जाती है, तो कटौती मिलेगी अन्यथा नहीं	–	80,000
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	4,20,000	3,40,000

4. मकान संपत्ति जो किराए से दी है जो कुछ समय के लिए खाली हो तथा अप्राप्त किराया हो।

टिप्पणी

इस स्थिति में, सकल वार्षिक मूल्य स्थिति 2 के अनुसार आगणित किया जाएगा। सकल वार्षिक मूल्य में से मकान स्वामी द्वारा भुगतान किए गए तथा अप्राप्त किराया के बारे में नियम 4 की पूर्ति होती है, तो कटौती दी जाएगी।

उदा. 16: निम्न परिस्थितियों में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
नगर पालिका मूल्यांकन	4,00,000	4,00,000
उचित किराया	3,60,000	3,60,000
मानक किराया	5,00,000	5,00,000
प्राप्त किराया	60,000 प्रति माह	60,000 प्रति माह
नगर पालिका कर का भुगतान	30,000 स्वामी द्वारा तथा 30 हजार किराएदार द्वारा भुगतान	30,000 स्वामी द्वारा तथा 30 हजार किराएदार द्वारा भुगतान
अप्राप्त किराया	80,000	80,000
नियम 4 के शर्तों की पूर्ति	नहीं की जाती	की जाती है
मकान संपत्ति खाली रहने की अवधि	2 माह	2 माह

उत्तर: परिस्थिति 1 तथा 2 में मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का आगणन।

+ –	विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन	4,00,000	4,00,000
	(ii) उचित किराया	3,60,000	3,60,000
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक नही होगा : मानक किराया	3,60,000 5,00,000	3,60,000 5,00,000
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	3,60,000	3,60,000
	(iv) प्राप्त/प्राप्य किराया	6,00,000	6,00,000
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा	6,00,000	6,00,000
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया	30,000	30,000
	+ अप्राप्त किराया – नियम 4 की पूर्ति की जाती है तो कटौती मिलेगी अन्यथा नहीं	–	60,000
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	5,70,000	5,10,000

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

41. मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा वार्षिक मूल्य के _________ होती है।

    (क) 20% (ख) 25%

    (ग) 30% (घ) 40%

42. नरेश ने मई 2017 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा, गत वर्ष 2018–19 में ऋण पर रु 2,10,000 ब्याज दिया, इस स्थिति में धारा 24(b) के अनुसार अधिकतम कटौती _________ होगी।

    (क) रु 2,00,000 (ख) रु 3,00,000

    (ग) रु 4,00,000 (घ) रु 5,00,000

43. महेश ने मई 2017 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा, गत वर्ष 2018–19 में ऋण पर रु 1,80,000 ब्याज दिया इस स्थिति में धारा 24(b) के अनुसार कटौती _________ होगी।

    (क) रु 2,00,000 (ख) रु 1,80,000

    (ग) रु 4,80,000 (घ) रु 5,00,000

44. गणेश ने 1 अप्रैल 1999 के पहले ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा, गत वर्ष 2018–19 में ऋण पर रु 1,80,000 ब्याज दिया, इस स्थिति में धारा 24(b) के अनुसार अधिकतम कटौती _________ होगी।

    (क) रु 30,000 (ख) रु 2,00,000

    (ग) रु 1,80,000 (घ) इनमें से कोई भी नहीं

45. रोहन ने मई 2017 में ऋण लेकर स्वयं के रहने के मकान का नवीनीकरण किया, गत वर्ष 2018–19 में ऋण पर रु 50,000 ब्याज दिया इस स्थिति में धारा 24(b) के अनुसार अधिकतम कटौती _________ होगी।

    (क) रु 2,00,000 (ख) रु 30,000

    (ग) रु 50,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

46. विजय ने मई 2017 में ऋण लेकर किराए से देने के लिए मकान खरीदा, गत वर्ष 2018–19 में ऋण पर रु 2,10,000 ब्याज दिया, इस स्थिति में धारा 24(b) के अनुसार कटौती _________ होगी।

    (क) रु 2,00,000 (ख) रु 2,10,000

    (ग) रु 30,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

47. भवन निर्माण के पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि की कटौती _________ गत वर्ष के लिए प्राप्त होती है।

    (क) 5 वर्ष (ख) 3 वर्ष

    (ग) 4 वर्ष (घ) 2 वर्ष

48. धारा 24(2)(b) के अनुसार पूरे वर्ष खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य __________ होगा।

(क) नगर पालिका मूल्य (ख) उचित मूल्य

(ग) शून्य (घ) मानक मूल्य

49. एक कमान का वार्षिक मूल्य रु 4,00,000 है, तो धारा 24(a) के अनुसार वैधानिक कटौती __________ होगी।

(क) रु 4,00,000 (ख) रु 2,00,000

(ग) रु 1,20,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

50. नियम 4 के अनुसार अप्राप्त किराए की गत वर्ष के पूर्व गत वर्षं में कटौती प्राप्त होती है, वह किराया गत वर्ष में रु 50,000 वसूल होते हैं, इस स्थिति में मकान संपत्ति से शुद्ध आय __________ होगी।

(क) रु 35,000 (ख) रु 15,000

(ग) रु 50,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

2.3.9 मकान संपत्ति से आय के हल किए उदाहरण (Solved Problem on Income from House Property)

मकान संपत्ति के निर्माण पूर्व भुगतान किए ब्याज की कटौती के संबंध में।

उदा. 17: श्री. ओमप्रकाश की एक मकान–संपत्ति है, जो रहने के लिए किराए पर दी गई है, किराए पर दी हुई संपत्ति का पूर्ण विवरण निम्न है–

(i) नगर पालिका किराया मूल्य रु 17,000 प्रति माह।

(ii) वास्तविक किराया जो वसूल हुआ रु 18,000 प्रति माह।

(iii) किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत देय किराया रु 17,000 प्रति माह।

इसी प्रकार के मकान का देय किराया रु 18,000 प्रति माह।

उसने नगर पालिका मुल्यांकन का 15% स्थानीय कर एवं नगर पालिका मूल्यांकन का 2% शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस चुकाया।

मकान संपत्ति का निर्माण सितंबर 2013 में प्रारंभ हुआ तथा फरवरी 2016 में पूर्ण हुआ। उसने मकान संपत्ति के निर्माण के लिए ऋण लिया, जिस पर 31–03–2015 तक रु 4,00,000 ब्याज चुकाया तथा रु 1,00,000 ब्याज गत वर्ष में चुकाया। अग्नि बीमा प्रीमियम रु 4,000 प्रति वर्ष चुकाया।

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान–संपत्ति से आय की गणना कीजिए।

टिप्पणी

उत्तर: श्री. ओमप्रकाश के मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन	2,04,000	
	(ii) उचित किराया	–	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक नही होगा : मानक किराया	2,04,000 2,04,000	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	2,04,000	
	(iv) प्राप्त/प्राप्य किराया	2,16,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा	2,16,000	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया (15% + 2%) = 17%		
	अर्थात 2,04,000 × 17 = 34,680	34,680	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)		1,81,320
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	1. मानक कटौती – वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत धारा 24(a)	54,396	
	2. गत वर्ष में चुकाया गया ब्याज धारा 24(b)	1,00,000	
	3. गृहनिर्माण के पूर्व शोधन किए गए ब्याज की कटौती (जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति तैयार हुई, उस गत वर्ष से 5 समान किश्तों में मकान संपत्ति के तैयार होने पूर्व शोधन किए ब्याज की कटौती मिलेगी) 4,00,000 ÷ 5	80,000	
			2,34,396
	गृह संपत्ति से आय		(–) 53,076

किश्तों में लिए कर्ज पर ब्याज तथा ब्याज की कटौती

उदा. 18: भारतीय जीवन बीमा निगम ने राम को निवासी मकान बनवाने के लिए रु 8,00,000 का ऋण 12% वार्षिक ब्याज दर से दिया। ऋण किश्तों में निम्न प्रकार से है–

- प्रथम किश्त 1–7–2012 को रु 2,50,000
- दूसरी किश्त 1–4–2014 को रु 3,00,000
- तीसरी किश्त 1–8–2014 को रु 2,50,000

टिप्पणी

मकान नवंबर 2014 में बनकर तैयार हुआ। मकान स्वयं के रहने के काम आता है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में ब्याज की कटौती की राशि की गणना कीजिए। ऋण में से अभी कुछ भी लौटाया नहीं है।

उत्तरः निवासी मकान संपत्ति पर ब्याज कटौती की गणना।

धारा 24(b) के अनुसार

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि
धारा 24(b) मकान संपत्ति के निर्माण पूर्व अवधि का ब्याज (1/7/2012 – 1/3/2014) 52,500 (क्रियात्मक टिप्पणी देखें) (जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति तैयार हुई, उस गत वर्ष से 5 समान किश्तों में मकान संपत्ति के तैयार होने पूर्व शोधन किए ब्याज की कटौती मिलेगी) 52,500 ÷ 5 = 10,500	10,500
+ गत वर्ष 2018–19 का ब्याज (8,00,000 × 12%)	96,000
कुल ब्याज	1,06,500
कटौती के लिए पात्र ब्याज निवासी मकान के लिए वास्तविक तथा अधिकतम 2,00,000 इनमें से जो कम हो, उसकी कटौती धारा 24(b) के अंतर्गत प्राप्त होगी। 1,06,500 और 2,00,000 इन दोनों में से कम	1,06,500

ब्याज की गणनाः मकान निर्माण के पूर्व 2,50,000 × 12% × 1.75 = 52,500

1.75 वर्ष = 21 माह (1–7–2012 से 31–3–2014 तक)

उदा. 19: भारतीय जीवन बीमा निगम ने राम को निवासी मकान बनवाने के लिए रु 32,00,000 का ऋण 12% वार्षिक की दर से देना स्वीकार किया। ऋण किश्तों में निम्न प्रकार से है–

- प्रथम किश्त 1–7–2012 को रु 10,00,000
- दूसरी किश्त 1–4–2014 को रु 12,00,000
- तीसरी किश्त 1–8–2014 को रु 10,00,000

मकान नवंबर 2014 में बनकर तैयार हुआ। मकान स्वयं के रहने के काम आता है। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में ब्याज की कटौती की राशि की गणना कीजिए। ऋण में से अभी कुछ भी लौटाया नहीं है।

उत्तरः निवासी मकान संपत्ति पर ब्याज कटौती की गणना।

धारा 24(b) के अनुसार

टिप्पणी

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि
धारा 24(b) मकान संपत्ति के निर्माण पूर्व अवधि का ब्याज (1/7/2012 – 1/3/2014) 2,10,000 (जिस गत वर्ष में मकान संपत्ति तैयार हुई उस गत वर्ष से 5 समान किश्तों में मकान संपत्ति के तैयार होने पूर्व शोधन किए ब्याज की कटौती मिलेगी) 2,10,000 ÷ 5 = 42,000	42,000
+ गत वर्ष 2018–19 का ब्याज (32,00,000 × 12%)	3,84,000
कुल ब्याज	4,26,000
कटौती के लिए पात्र ब्याज निवासी मकान के लिए वास्तविक तथा अधिकतम 2,00,000 इनमें से जो कम हो उसकी कटौती धारा 24(b) के अंतर्गत प्राप्त होगी। 4,26,000 और 2,00,000 इन दोनों में से कम	2,00,000

ब्याज की गणनाः मकान निर्माण के पूर्व 10,00,000 × 12% × 1.75 = 2,10,000

1.75 वर्ष = 21 माह (1–7–2012 से 31–3–2014 तक)

मकान संपत्ति का संयुक्त उपयोगः निवास तथा किराए पर

उदा. 20: निम्न सूचनाओं के आधार पर श्री. अमर के मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए।

आधा मकान स्वयं रहने के लिए तथा आधा मकान किराए से दिया है। उस आधे मकान का मासिक किराया रु 15,000 है। मकान का नगर पालिका मूल्य रु 1,50,000 है, जिस पर 20% की दर से नगर पालिका कर चुकाया गया तथा गत वर्ष में मकान संपत्ति निर्माण के लिए दिए गए कर्ज पर ब्याज रु 2,00,000 चुकाया है।

उत्तरः श्री. अमर के मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त आधे मकान संपत्ति की आयः		
	वार्षिक मूल्य	शून्य	
	घटाएँः धारा 24 के अनुसार कटौती		
	धारा 24(b) के अनुसार मकान निर्माण के लिए कर्ज के ब्याज की कटौती, 2,00,000 × ½	1,00,000	
	(A) स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त आधे मकान संपत्ति की आय		(–) 1,00,000

टिप्पणी

	किराए से दिए गए आधे मकान का मूल्यांकन		
	(i) नगर पालिका मूल्यांकन 3,00,000 × ½	1,50,000	
	(ii) उचित किराया	–	
	(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में से अधिक किंतु संभावित किराया मानक किराया से अधिक, नहीं होगाः मानक किराया	1,50,000 –	
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	1,50,000	
	(iv) प्राप्त/प्राप्य किराया	1,80,000	
	उपरोक्त (iii) और (iv) में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य होगा	1,80,000	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया (3,00,000 × 20% ×1/2)	30,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)		1,50,000
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	1. मानक कटौती – वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत धारा 24(a) (1,50,000 × 30%)	45,000	
	2. ब्याज की कटौती (2,00,000 × 1/2)	1,00,000	
			1,45,000
	(B) किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय		5,000
	मकान संपत्ति से कुल आय		
	(A) स्वंय के रहने के लिए प्रयुक्त आधे मकान संपत्ति की आय		(–) 1,00,000
	(B) किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय		5,000
	मकान संपत्ति से कुल आय		95,000

उदा. 21: निम्न सूचनाओं के आधार पर श्री. रोहन की मकान संपत्ति से आय की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए गणना कीजिए।

मकान का दो तिहाई हिस्सा स्वयं रहने के काम आता है। मकान का एक तिहाई हिस्सा रु 15,000 मासिक किराए पर दिया गया है। गत वर्ष में किराए पर दिया गया हिस्सा तीन माह खाली रहा तथा किराएदार ने एक माह का किराया नहीं दिया। मकान मालिक अप्राप्य किराए के संबंध में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कर सका। नगर पालिका कर रु 1,08,000 चुकाए तथा नगरपालिका मूल्य रु 3,60,000 है। गत वर्ष में रु 60,000 का ब्याज मकान संपत्ति के निर्माण के लिए गए कर्ज पर भुगतान किया है।

उत्तरः श्री. रोहन के मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	किराए से दिए गए एक तिहाई हिस्सा मकान से आय की गणना		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	1,80,000	
	प्राप्त/प्राप्य किराया (तीन माह के लिए मकान खाली था, इस स्थिति में सकल वार्षिक मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य किराया ही होगा अर्थात् (1,80,000 – 45,000) 1,35,000	1,35,000	
	सकल वार्षिक मूल्य	1,35,000	
–	नगर पालिका कर (1,08,000 × 1/3)	(–) 36,000	
	किराए के मकान का वार्षिक मूल्य	99,000	
	– धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँः		
	मानक कटौती – वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत धारा 24(a) (99,000 × 30%)	29,700	
	+ ब्याज की कटौती धारा 24(b) (60,000 × 1/3)	20,000	
			49,700
	स्वयं के निवास के लिए मकान का वार्षिक मूल्य	शून्य	
	– धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	ब्याज की कटौती धारा 24(b) (60,000 × 2/3)	40,000	
			(–) 40,000
	मकान संपत्ति से कुल आय		9,700

गत वर्ष में कुछ समय के लिए मकान संपत्ति स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त की गई तथा कुछ माह किराए पर दी गई हो, तो इस स्थिति में मकान संपत्ति कुछ माह खाली हो।

उदा. 22: निम्न सूचनाओं से मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

नगर पालिका मूल्यांकन – रु 2,40,000 उचित किराया – रु 3,60,000, मानक किराया रु 3,00,000 है। मकान चार माह स्वयं के रहने के काम आया, तत्पश्चात् इसे निम्न किराए से दिया–

परिस्थिति–1: रु 30,000 प्रति माह

प्ररिस्थिति–2: रु 45,000 प्रति माह

मकान मालिक ने नगर पालिका कर चुकायाः रु 30,000।

उत्तर: परिस्थिति 1 तथा 2 में मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का आगणन।

टिप्पणी

+ −	विवरण	परिस्थिति–1	परिस्थिति–2
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	3,00,000	3,00,000
	प्राप्त / प्राप्य किराया	2,40,000	3,60,000
	उपरोक्त में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य	3,00,000	3,60,000
−	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया	30,000	30,000
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)	2,70,000	3,30,000

क्रियात्मक टिप्पणी

ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं होगा, जो गत वर्ष में कुछ समय के लिए निवास तथा कुछ समय के लिए किराए से दिया गया हो। इस स्थिति में, उसका मूल्यांकन किराए से दिए गए मकान के आधार पर किया जाएगा।

करदाता एक से ज्यादा मकान संपत्ति निवास के लिए प्रयुक्त करता हो।

उदा. 23: श्री. गजानन के दो मकान के स्वामी हैं, जिनमें वह स्वयं रहते हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

प्रथम मकान का उचित किराया रु 2,40,000, व्दितीय मकान का उचित किराया रु 24,000, उचित किराए का 10% नगर पालिका का कर चुकाया।

प्रथम मकान के क्रय के लिए 10/4/2017 को लिए गए ऋण पर गत वर्ष में रु 4,40,000 ब्याज चुकाया। उसने 1/4/2017 को दूसरा मकान बनाने के लिए रु 80,000 का ऋण 15% ब्याज पर लिया, जो दिसंबर 2017 में बनकर तैयार हो गया। वह 2017–18 में ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, अतः इस वर्ष उसने दो वर्ष के ब्याज का भुगतान किया रु 25,200, अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया प्रथम रु 2,800 तथा द्वितीय मकान रु 400, करदाता प्रथम मकान को धारा 23(2) की छूट के लिए चुनता है।

उत्तर: श्री. गजानन की मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ −	विवरण	राशि	राशि
	प्रथम मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य (जो करदाता धारा 23(2) के अंतर्गत निवास की छूट के लिए चुनता है) उसका वार्षिक मूल्य	शून्य	
−	**घटाएँ:** धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	धारा 24(b) के अनुसार निवास के लिए चुने गए मकान संपत्ति पर ब्याज:		

टिप्पणी

	वास्तविक तथा अधिकतम 2,00,000 इनमें से जो कम हो, उसकी कटौती मिलेगी		
	वास्तविक ब्याज 4,40,000 तथा अधिकतम 2,00,000 इनमें से कम	(–) 2,00,000	
	निवास के लिए चुने गए मकान संपत्ति से आय		(–) 2,00,000
	निवास के लिए उपयुक्त दूसरे मकान का मूल्यांकन किराए से दी मकान संपत्ति के तहत् होगा।		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	24,000	
	प्राप्त / प्राप्य किराया	–	
	सकल वार्षिक मूल्य (उपरोक्त में से कम)	24,000	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया	2,400	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)	21,600	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 6,480	
	ऋण पर ब्याज धारा 24(b) क्रिया टिप्पणी देखें	(–) 12,000	
	निवास के लिए उपयुक्त दूसरे मकान का मूल्य		3,120
	मकान संपत्ति से आय		1,96,880

क्रियात्मक टिप्पणी

मकान संपत्ति पर ब्याज की ही कटौती मिलती है, उस ब्याज का गत वर्ष में भुगतान किया हो या नहीं, लेकिन बकाया ब्याज पर जुर्माने की कटौती नहीं मिलती। **उदा.** में 2 वर्ष का ब्याज जुर्माने समेत रु 25,200 दिया है। कर्ज की राशि 15 प्रतिशत ब्याज से रु 80,000 है। 80,000 × 15% = रु 12,000।

पूर्व गत वर्ष में अप्राप्त किराया गत वर्ष में प्राप्त हुआ हो, लेकिन करदाता ने वह संपत्ति बेच दी हो, तो इस स्थिति में मकान संपत्ति से आय।

उदा. 24: श्रीमती सोनम को कर निर्धारण वर्ष 2015–16 में न वसूल हुए किराए के संबंध में रु 1,00,000 की कटौती दी गई थी। गत वर्ष 2018–19 में किराएदार से उसने 80,000 वसूल कर लिए तथा वसूली व्यय 20,000 हुए।

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य राशि बताए।

यदि श्रीमती सोनम 2017–18 में यह मकान बेच दे, तो क्या आपके उत्तर में कोई अंतर होगा?

उत्तर: यदि अप्राप्त किराए के संबंध में किसी वर्ष कटौती मिलती है और भविष्य में इसमें से कोई राशि प्राप्त हो जाती है, तो यह राशि 'मकान संपत्ति से

टिप्पणी

आय' शीर्षक में कर योग्य है। अप्राप्त किराए की राशि वसूल करने के संबंध में खर्चे की कोई कटौती नहीं मिलती, परंतु वसूल हुई राशि में से धारा 25(A) के अनुसार 30% मानक कटौती के रूप में कटौती योग्य है। अतः कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में 80,000 में से 24,000 की कटौती मिलेगी और रु 56,000 कर योग्य राशि होगी।

यदि उस गत वर्ष में जिसमें अप्राप्त किराए की राशि वसूल हो रही है करदाता मकान का स्वामी नहीं रहता तो भी, उसे प्राप्त राशि को अपनी कर योग्य आय में शामिल करना होगा।

बकाया किराया प्राप्त हुआ हो।

उदा. 25: श्री. अमरचंद ने अपना मकान श्री. बबन को 1/4/2011 को रु 9,000 प्रति माह पर पांच वर्ष के लिए किराए पर दिया। पांच वर्ष के पश्चात् श्री. बबन मकान खाली करने से मना करता है। अतः श्री. अमरचंद ने मकान खाली करवाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया, जिस पर उसे 1,000 खर्च आया। बाद में श्री. अमरचंद इस बात पर राजी हो गया कि यदि श्री. बबन 1/4/2016 से रु 12,000 मासिक किराया दे, तो 1/4/2016 से किराएदारी का पट्टा पाँच वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। श्री. बबन ने इसे स्वीकार कर लिया और 1/4/2016 से 31/3/2018 तक का बकाया किराया 1/6/2018 को दे दिया।

गत वर्ष में श्री. अमरचंद ने स्थानीय कर रु 18,000, अग्नि बीमा प्रव्याजी रु 2,400 तथा भूमि किराया रु 1,500 का शोधन किया।

उपर्युक्त जानकारी से कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए श्री. अमरचंद की मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. अमरचंद की मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	प्राप्त/प्राप्य किराया (नगर पालिका मूल्य, उचित किराया तथा मानक किराया नहीं दिया है, इस स्थिति में प्राप्त किराया ही सकल वार्षिक मूल्य होगा) 12,000 × 12	1,44,000	
	सकल वार्षिक मूल्य	1,44,000	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया	(–) 18,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	1,26,000	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 37,800	
		88,200	88,200

टिप्पणी

+	बकाया किराया प्राप्त करार के तहत् 1/4/2016 से 31/03/2018 तक 24 माह के लिए – प्रति माह रु 30,000, 72,000 में से 30 प्रतिशत की मानक कटौती प्राप्त होगी अर्थात् 72,000 – (72,000 × 30%) = 50,400	50,400	50,400
	मकान संपत्ति से आय		1,38,600

मकान सहस्वामी का हो इस स्थिति में मकान संपत्ति से आय

उदा. 26: तीन मित्र राम, लक्ष्मण तथा भरत एक मकान संपत्ति के बराबर के स्वामी है, जिसमें छह समान इकाईयाँ हैं। प्रत्येक एक–एक इकाई अपने खुद के निवास में प्रयुक्त है। शेष तीन इकाइयाँ रु 18,000 प्रति माह किराए पर दी गई हैं मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य रु 12,00,000 है तथा गत वर्ष में नगर पालिका मूल्यांकन कर रु 2,40,000 भुगतान किया है। अन्य व्ययों में संग्रहण व्यय रु 18,000, बीमा प्रव्याजी रु 21,000, तथा 1997 में मकान निर्माण के लिए ऋण का ब्याज रु 3,90,000 है।

गत वर्ष 2018–19 में किराए से दी गई एक इकाई तीन माह के लिए खाली थी, श्री. लक्ष्मण अपने निवास की इकाई में (8) आठ माह तक नहीं रह सका, क्योंकि उसका तबादला अन्य शहर में हुआ। उसके स्वामित्व की अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। राम, लक्ष्मण तथा भरत की अन्य कर योग्य आय रु 2,70,000, रु 3,00,000 तथा रु 3,60,000 क्रमशः है। उपरोक्त जानकारी से तीनों मित्रों की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान संपत्ति से कर योग्य आय तथा उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर: किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	6,00,000	
	प्राप्त किराया 18,000 × 3 × 12 = 6,48,000		
	– अप्राप्त किराया 18,000 × 3 = 54,000	5,94,000	
	(सकल वार्षिक मूल्य – अप्राप्त किराया होने से प्राप्त किराया ही उस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य होगा)		
	सकल वार्षिक मूल्य	5,94,000	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया 2,40,000 × ½	(–) 1,20,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	4,74,000	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		

	मानक कटौती धारा 24(ǒ) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 1,42,200	
	ऋण पर ब्याज किराए से दिया है, इसलिए कोई भी सीमा नहीं 3,90,000 × ½	(–) 1,95,000	
		1,36,800	
	किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय		1,36,800
	राम, लक्ष्मण तथा भरत का किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय में हिस्सा समान है		
	रु 1,36,800 / 3 = रु 45,600 का हिस्सा प्रति सहस्वामी होगा		

राम, लक्ष्मण तथा भरत की मकान संपत्ति की आय।

विवरण	राम	लक्ष्मण	भरत
वार्षिक मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
घटाएँ: धारा 24 के अनुसार ब्याज की कटौती (3,90,000 × ½) / 3 = 65,000 राम, लक्ष्मण तथा भरत ने गत वर्ष में ऋण पर ब्याज का प्रति व्यक्ति ने रु 65,000 का शोधन किया, लेकिन मकान ऋण 1 / 4 / 1999 के पूर्व का है, इसलिए प्रति सहस्वामी को ब्याज की कटौती अधिकतम रु 30,000 तक ही प्राप्त होगी, रु 65,000 की नहीं	(–) 30,000	(–) 30,000	(–) 30,000
निवासी मकान संपत्ति से आय	(–) 30,000	(–) 30,000	(–) 30,000

राम, लक्ष्मण तथा भरत के कुल आय की गणना।

विवरण	राम	लक्ष्मण	भरत
निवासी मकान संपत्ति से आय	(–) 30,000	(–) 30,000	(–) 30,000
किराए से दी गई निवासी इकाई से आय का हिस्सा	45,600	45,600	45,600
मकान संपत्ति से लाभ	15,600	15,600	15,600
+ अन्य कर योग्य आय	2,70,000	3,00,000	3,60,000
कुल कर योग्य आय	2,85,600	3,15,600	3,75,600

क्रियात्मक टिप्पणी

श्री. लक्ष्मण का अन्य शहर में स्थानांतरण होने के कारण उसकी निवासी इकाई 8 माह खाली थी, उसकी कोई भी कटौती नहीं मिलेगी।

उदा. 27: सीता, गीता और नीता एक मकान संपत्ति के बराबर के स्वामी हैं, जिसमें छह समान इकाईयाँ हैं। प्रत्येक एक–एक इकाई अपने खुद के निवास में प्रयुक्त है। शेष तीन इकाइयाँ रु 6,000 प्रति माह किराए पर दी गई हैं। मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्य रु 4,00,000 है तथा गत वर्ष में नगर पालिका

मूल्यांकन कर रु 80,000 भुगतान किया है। अन्य व्ययों में संग्रहण व्यय रु 6,000, बीमा प्रव्याजी रु 7,000, तथा 1997 में मकान निर्माण के लिए लिए ऋण का ब्याज रु 1,30,000 है।

टिप्पणी

गत वर्ष 2018–19 में किराए से दी गई एक इकाई तीन माह के लिए खाली थी, श्री. लक्ष्मण अपने निवास की इकाई में (8) आठ माह तक नहीं रह सका, क्योंकि उसका तबादला अन्य शहर में हुआ। उसके स्वामित्व की अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। राम, लक्ष्मण तथा भरत की अन्य कर योग्य आय रु 90,000, रु 3,00,000 तथा रु 1,20,000 क्रमशः है। उपरोक्त जानकारी से तीनों मित्रों की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान संपत्ति से कर योग्य आय तथा उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तरः किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	2,00,000	
	प्राप्त किराया 6,000 × 3 × 12 = 2,16,000		
	– अप्राप्त किराया 6,000 × 3 = 18,000	1,98,000	
	(सकल वार्षिक मूल्य – अप्राप्त किराया होने से प्राप्त किराया ही उस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य होगा)		
	सकल वार्षिक मूल्य	1,98,000	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया 80,000 × 1/2	(–) 40,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	1,58,000	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 47,400	
	ऋण पर ब्याजः किराए से मकान दिया है, इसलिए कोई भी सीमा नहीं 1,30,000 × 1/2	(–) 65,000	
		45,600	
	किराए से दि गई मकान संपत्ति से आय		45,600
	राम, लक्ष्मण तथा भरत का किराए से दी गई मकान संपत्ति से आय में हिस्सा समान है		
	रु 45,600/3 = रु 15,200 का हिस्सा प्रति सहस्वामी होगा		

सीता, गीता और नीता की मकान संपत्ति की आय (निवासी इकाई 50 प्रतिशत प्रयुक्त)।

टिप्पणी

विवरण	राम	लक्ष्मण	भरत
वार्षिक मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
घटाएँ: धारा 24 के अनुसार ब्याज की कटौती 1,30,000 × 1/2 × 1/3 = 21,667 राम, लक्ष्मण तथा भरत ने गत वर्ष में ऋण पर ब्याज का प्रति व्यक्ति ने रु 21,667 का शोधन किया गया। लेकिन मकान ऋण 1/4/1999 के पूर्व का है इसलिए प्रति सहस्वामी को ब्याज की कटौती अधिकतम रु 30,000 तक ही प्राप्त होगी	(–) 21,667	(–) 21,667	(–) 21,666
निवासी मकान संपत्ति से आय	(–) 21,667	(–) 21,667	(–) 21,666

सीता, गीता और नीता की कुल आय की गणना।

विवरण	राम	लक्ष्मण	भरत
निवासी मकान संपत्ति से आय	(–) 21,667	(–) 21,667	(–) 21,666
किराए से दी गई निवासी इकाई से आय का हिस्सा	15,200	15,200	15,200
मकान संपत्ति से हानि	(–) 6,467	(–) 6,467	(–) 6,466
+ अन्य कर योग्य आय	90,000	1,00,000	1,20,000
कुल कर योग्य आय	83,533	93,533	1,13,534

क्रियात्मक टिप्पणी

श्री. गीता अन्य शहर में स्थानांतरण होने के कारण उसकी निवासी इकाई 8 माह खाली थी, उसकी कोई भी कटौती नहीं मिलेगी।

मकान गिरवी रखकर बेटे के विवाह के लिए कर्ज लिया, उसके ब्याज के भुगतान के संबंधन में उदाहरण।

उदा. 28: श्री. सुनील एक निवासी मकान का स्वामी है, कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए विवरण निम्न है।

नगर पालिका मूल्य – रु 1,32,000, उचित किराया – रु 1,44,000, मानक किराया – रु 1,08,000, वास्तविक किराया रु 1,11,600, नगर पालिका कर का भुगतान रु 26,400 भूमि कर का भुगतान रु 180, वास्तविक रूप में चुकाया संग्रहण व्यय रु 900 है तथा निर्माण हेतु उधार ली गई राशि पर ब्याज का शोधन रु 15,000।

करत्तदाता ने संपत्ति रु 36,000 में गिरवी रखी है। वह यह राशि अपनी बेटे की शादी के लिए व्यय करता है।

उपरोक्त जानकारी से मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए।

उत्तरः सुनील की मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	1,08,000	
	प्राप्त/प्राप्य किराया	1,11,600	
	उपरोक्त में से अधिक सकल वार्षिक मूल्य	1,11,600	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा किया गया	26,400	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	85,200	85,200
–	**घटाएँः** धारा 24 के अनुसार कटौती		
	मानक कटौती, वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत धारा 24(a)	25,560	
	ब्याज की कटौती धारा 24(b)	15,000	
			40,560
			44,640

टिप्पणी

क्रियात्मक टिप्पणी

बेटे के विवाह के लिए मकान संपत्ति गिरवी रखकर लिया गया ऋण कटौती योग्य नहीं है।

ब्याज का शोधन विदेशी फर्म को टी.डी.एस. की कटौती किए बगैर तथा उसका प्रतिनिधि भारत में नहीं हो, इस स्थिति में मकान संपत्ति की आय का मूल्यांकन तथा विधवा से उपहार में प्राप्त मकान के ऐवज में करदाता द्वारा विधवा को शोधन की गई जीवन–यापन का भुगतान।

उदा. 29: श्री. प्रेमकिसन गुलाबपुरा स्थित तीन मकानों का स्वामी है, निम्न जानकारी के अधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए।

प्रेमकिसन को प्रथम मकान एक विधवा ने इस शर्त पर उपहार में दिया कि जब तक वह जीवित रहेगी, तब तक उसके जीवन–यापन के लिए प्रति वर्ष रु 36,000 का भुगतान करना होगा। वह मकान रु 6,900 प्रति माह किराए पर दिया है और उस पर नगर पालिका कर रु 9,000 चुकाया।

द्वितीय मकान का वार्षिक नगर पालिका मूल्य 44,400 एवं मानक किराया रु 45,000 है। यह मकान रु 4,500 प्रति माह किराए से दिया है तथा किराएदार ने मरम्मत व्यय का दायित्व अपने सर पर लिया है, उसका नगर पालिका कर रु 6,000 प्रेमकिसन ने चुकाए हैं।

तृतीय मकान 1 जनवरी 2013 को न्यूयॉर्क (अमेरिका) की एक फर्म से रु 4,50,000 का कर्ज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर से लिया है। इस ऋण के

टिप्पणी

ब्याज पर टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई तथा उसका कोई भी प्रतिनिधि भारत में नहीं है। इस मकान का नगर पालिका मूल्य रु 24,000 प्रति वर्ष है तथा उस पर 10 प्रतिशत दर से नगर पालिका कर लगाया जाता है, किंतु गत वर्ष में नगर पालिका कर का शोधन नहीं किया। 1 अप्रैल 2018 को अदत्त ऋण की राशि रु 3,60,000 थी तथा गत वर्ष में इस ऋण की मूल राशि में से कोई भुगतान नहीं किया। यह मकान प्रेमकिसन अपने परिवार के साथ निवास के लिए प्रयुक्त करता है।

उत्तरः श्री. प्रेमकिसन की मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	प्रथम मकान संपत्ति से आय		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	–	
	प्राप्त किराया 6,900 × 12 = 82,800	82,800	
	सकल वार्षिक मूल्य	82,800	
–	नगर पालिका कर का भुगतान सिर्फ स्वामी द्वारा	9,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)	73,800	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 22,140	
	विधवा के वार्षिक भार की कटौती स्वीकृत नहीं है	––	
	प्रथम मकान संपत्ति से आय		51,660
	द्वितीय मकान संपत्ति से आय		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	44,400	
	प्राप्त किराया 4,500 × 12 = 54,000	54,000	
	सकल वार्षिक मूल्य	54,000	
–	नगर पालिका कर	6,000	
		48,000	
–	धारा 24 के अनुसार कटौतियाँः		
	मानक कटौती वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत	14,400	
	द्वितीय मकान संपत्ति से आय		33,600
	तृतीय मकान संपत्ति से आय – निवास के लिए प्रयुक्त		
	वार्षिक मूल्य शून्य		शून्य
–	धारा 24 के अनुसार कटौतियाँः		
	ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क के फर्म को भुगतान किए गए ब्याज पर टी.डी.एस. नहीं		

टिप्पणी

	काटा गया तथा उसका कोई भी प्रतिनिधि भारत में नहीं है।	–	–
	मकान संपत्ति से कुल आय		85,260

क्रियात्मक टिप्पणी

द्वितीय मकान के लिए किराएदार द्वारा मरम्मत का दायित्व खुद पर लेने के बावजूद मानक कटौती प्राप्त होगी।

व्यवसाय के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति की स्थिति में मकान संपत्ति से आय की गणना।

उदा. 30: श्री. अनंतनाथ, अनंतपुर स्थित चार मकानों का स्वामी है, उनका नगर पालिका मूल्यांकन क्रमशः रु 30,000, रु 24,000, रु 18,000, रु 36,000 है। वह प्रथम मकान में रहता है, दूसरे मकान में वह अपना व्यापार चलाता है। तीसरा मकान उसने रु 1,200 प्रति माह किराए पर दिया है। 1 अप्रैल 2013 को चौथे मकान के निर्माण के लिए उसने ऋण लिया है। उस मकान का निर्माण 1 मई 2013 को प्रारंभ हुआ है तथा 31 जनवरी 2015 को समाप्त हुआ है। यह मकान 1 फरवरी 2015 को रु 1,800 प्रति माह से किराए से दिया है। गत वर्ष में उसने ऋण पर रु 24,000 का ब्याज दिया है तथा निर्माण के पूर्व गत वर्षों में 2013–14 तथा 2014–15 में उसने रु 4,500 तथा रु 4,200 का ब्याज चुकाया है। नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 10 प्रतिशत लगता है। उसका भुगतान गत वर्ष में किया गया हैं। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. अनंतनाथ, अनंतपुर की मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	प्रथम मकान संपत्ति से आय निवास के लिए प्रयुक्त वार्षिक मूल्य	शून्य	
–	**घटाएँ:** धारा 24 के अंतर्गत कटौती		
	ब्याज की कटौती धारा 24(b)	–	शून्य
	प्रथम मकान संपत्ति से आय		
	द्वितीय मकान संपत्ति व्यवसाय व पेशे के लिए प्रयुक्त, इसलिए उस संपत्ति की आय मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत पूर्णतः कर योग्य नहीं		–
	तृतीय मकान संपत्ति किराए से		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	18,000	
	प्राप्त किराया 1,200 × 12 = 14,400	14,400	
	सकल वार्षिक मूल्य	18,000	

टिप्पणी

–	नगर पालिका कर का नगर पालिका मूल्यांकन के 10%	1,800	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	16,200	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 4,860	
	तृतीय मकान संपत्ति से आय		11,340
	चतुर्थ मकान संपत्ति से आय		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	18,000	
	प्राप्त किराया 1,800 × 12 = 21,600	21,600	
	सकल वार्षिक मूल्य	21,600	
–	नगर पालिका कर	1,800	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	19,800	
–	धारा 24 के अनुसार कटौतियाँ:		
	मानक कटौती वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत धारा 24(a)	(–) 5,940	
	गत वर्ष में चुकाए गए ब्याज की कटौती	(–) 2,400	
	मकान संपत्ति जिस गत वर्ष निर्माण हुई उसके पूर्व शोधन किए गए ब्याज की कटौती 5 समान किश्तों में प्राप्त होगी – टिप्पणी देखें	(–) 900	
	चतुर्थ मकान संपत्ति से आय	10,560	10,560
	मकान संपत्ति से कर योग्य आय		21,900

क्रियात्मक टिप्पणी

मकान संपत्ति जिस गत वर्ष निर्माण हुई, उसके पूर्व शोधन किए गए ब्याज की कटौती 5 समान किश्तों में प्राप्त होगी। मकान संपत्ति के लिए ऋण 1 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया है, वह मकान संपत्ति 5 वर्षों के भीतर निर्माण होनी चाहिए, तभी कटौती प्राप्त होती है। करदाता ने मकान संपत्ति का निर्माण कार्य 31 जनवरी 2015 को समाप्त हुआ, अर्थात् 5 वर्षों के भीतर। इसलिए जिस वर्ष मकान संपत्ति का निर्माण कार्य पूरा हुआ, उस गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में चुकाए गए ब्याज की कटौती जिस गत वर्ष में मकान कार्य समाप्त हुआ, उस गत वर्ष से 5 समान किश्तों में कटौती प्राप्त होगी।

मकान गत वर्ष 2014–15 में तैयार हुआ है, उसके पूर्व दिए गए ब्याज रु 4,500 है। इस ब्याज की पाँच समान किश्तों में अर्थात् 4,500 ÷ 5 = रु 900 की कटौती जिस गत वर्ष में मकान कार्य पूरा हुआ है, उस गत वर्ष से 5 वर्ष प्राप्त होगी, वह गत वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 है।

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 का गत वर्ष 2018–19 है जो 5 वर्षों के भीतर का गत वर्ष है, इसलिए वह कटौती प्राप्त होगी।

टिप्पणी

जब करदाता को मकान संपत्ति का किराया सुविधा मूल्य के साथ प्राप्त होता हो, इस स्थिति में मकान संपत्ति की आय।

उदा. 31: श्री. अरविंद, दिल्ली में एक मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन रु 1,50,000 है, उचित किराया रु 2,00,000, मानक किराया रु 1,80,000 है। यह मकान संपत्ति रु 1,50,000 वार्षिक किराए से दी है। मकान स्वामी द्वारा देय नगर पालिका कर रु 10,000 है, किंतु मकान के स्वामी ने किराएदार से समझौता किया है कि किराएदार नगर पालिका कर का सीधा भुगतान नगर पालिका को करेगा। मकान का स्वामी किराएदार को सुविधाओं पर एक समझौते के तहत् निम्न व्यय करता है:

पानी व्यय – रु 2,000, उद्वाहक (लिफ्ट) रख–रखाव खर्च – रु 2,000, जीने की रोशनी पर व्यय – रु 1,600, माली का वेतन – रु 2,400।

मकान का स्वामी मरम्मत के खर्च रु 90,000, माल गुजारी – रु 3,000, संग्रहण व्यय – रु 4,000, जिस भूमि पर मकान बना है, उसे क्रय करने का कानूनी व्यय रु 48,000, इन किए खर्चों के कटौतियों की माँग करता है।

उत्तर पूर्व तैयारी: उपरोक्त उदाहरण में किराया संयुक्त दिया है उस किराए में से जो सुविधाएँ समझौते के तहत दी गई हैं, उन सुविधाओं का मूल्य किराए में से कम किया जाएगा। शेष राशि यह मकान किराया होगी।

यहाँ अरविंद ने पानी व्यय, उद्वाहक रखरखाव पर व्यय, जीने की रोशनी पर व्यय तथा माली का वेतन कुल प्राप्त किराए में से घटाया जाएगा।

1,80,000 – (2,000 + 2,000 + 1,600 + 2,400) = 1,72,000 शुध्द प्राप्त किराया।

उत्तर: श्री. अरविंद, दिल्ली की मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	1,80,000	
	शुद्ध प्राप्त किराया – पूर्व तैयारी देखें	1,72,000	
	सकल वार्षिक मूल्य	1,80,000	
–	नगर पालिका कर का शोधन किराएदार द्वारा किया इसलिए कटौती नहीं मिलेगी	–	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य/वार्षिक मूल्य (Annual Value)	1,80,000	
–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य के 30%	(–) 54,000	
	मकान संपत्ति से आय		1,26,000

दो मकान जिसमें से एक मकान स्वयं निवास के लिए और दूसरा निवास हेतु किराए के लिए दिया हो, इस स्थिति में मूल्यांकन।

टिप्पणी

उदा. 32: श्री. राहुल, दिल्ली के निवासी हैं, उनके दो मकान दिल्ली में स्थित हैं जिनका विवरण निम्न है।

विवरण	मकान संपत्ति क्र. 1	मकान संपत्ति क्र. 2
किराया नियंत्रण अधिनिमय के अंतर्गत मानक किराया	1,52,000	1,44,000
नगर पालिका मूल्यांकन	1,60,000	1,80,000
उचित किराया	2,00,000	2,40,000
वास्तविक किराया	—	1,80,000
गत वर्ष में भुगतान किया गया नगर पालिका कर	24,000	29,000
अग्नि बीमा प्रव्याजी	2,000	18,000
पानी सुविधा कर देय किंतु अदत्त	2,400	3,000
मकान संपत्ति के निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज	90,000	23,000
पट्टे का किराया	3,000	3,000
मकान संपत्ति का उपयोग	स्वयं के निवास के लिए	निवास के हेतु किराए से

उत्तर: श्री. राहुल, दिल्ली के मकान संपत्ति से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	राशि	राशि
	प्रथम मकान जो स्वयं के निवास के लिए करदाता प्रयुक्त करता है, उसका वार्षिक मूल्य	शून्य	
–	धारा 24 के अनुसार कटौती		
	ब्याज की कटौती	(–) 90,000	
	प्रथम मकान जो स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त है, उस मकान संपत्ति से आय		(–) 90,000
	किराए में दिए गए मकान संपत्ति की आय की गणना		
	ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR	1,44,000	
	शुद्ध प्राप्त किराया	1,80,000	
	सकल वार्षिक मूल्य	1,80,000	
–	नगर पालिका कर का शोधन किराएदार द्वारा किया किया, इसलिए कटौती नहीं मिलेगी	(–) 29,000	
	शुद्ध वार्षिक मूल्य / वार्षिक मूल्य (Annual Value)	1,51,000	

टिप्पणी

–	धारा 24 के अंतर्गत कटौतियाँ		
	मानक कटौती धारा 24(a) वार्षिक मूल्य का 30%	(–) 45,300	
	ब्याज की कटौती धारा 24(b)	(–) 23,000	
	किराए से मकान संपत्ति से आय		82,700
	मकान संपत्ति की कुल कर देय आय		(–) 7,300

2.4 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1.	(ख)	18.	(घ)	35.	(ख)
2.	(ग)	19.	(ग)	36.	(ग)
3.	(क)	20.	(क)	37.	(ख)
4.	(क)	21.	(ग)	38.	(ग)
5.	(ख)	22.	(घ)	39.	(क)
6.	(ग)	23.	(क)	40.	(घ)
7.	(ग)	24.	(ख)	41.	(ग)
8.	(ग)	25.	(ग)	42.	(क)
9.	(ग)	26.	(क)	43.	(ख)
10.	(क)	27.	(ख)	44.	(क)
11.	(ग)	28.	(घ)	45.	(ख)
12.	(ख)	29.	(घ)	46.	(ख)
13.	(क)	30.	(घ)	47.	(क)
14.	(ख)	31.	(घ)	48.	(ग)
15.	(ख)	32.	(घ)	49.	(ग)
16.	(ख)	33.	(घ)	50.	(क)
17.	(क)	34.	(ग)		

2.5 सारांश (Summary)

वेतन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवाओं के बदले में भुगतान किया गया पारिश्रमिक है। इसमें नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुलाभों का भी समावेश होता है तथा वेतन के स्थान पर लाभ का भी समावेश होता है। इस शीर्षक के अंतर्गत भुगतान करने वाला तथा उसे प्राप्त करने वाला इनमें नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध होना अनिवार्य है। अगर यह संबंध नहीं है, तो उस संबंध की आय इस शीर्षक में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

उदा. विधायक तथा सांसद को मिलनेवाला वेतन। यह वेतन अन्य साधनों से आय के शीर्षक में समाविष्ट किया जाता है। वेतन में कर योग्य भत्ते मिलाए जाते हैं तथा अनुलाभ जो कर मुक्त नहीं हैं, उसे वेतन की गणना करने के लिए मिलाया जाता है। अनुलाभ के लिए कर्मचारियों को दो हिस्सों में विभाजित किया है–

1. विशेष कर्मचारी, तथा
2. अविशिष्ट कर्मचारी।

वेतन के स्थान के अनुलाभ में अवकाश वेतन, ग्रैच्युइटी, पेंशन, स्वेच्छा निवृत्ति की क्षतिपूर्ति, छँटनी के कारण क्षतिपूर्ति आदि का समावेश होता है।

वेतन में से धारा 16 के तहत् कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं। धारा 16(1) के अनुसार मानक कटौती : सकल वेतन तथा अधिकतम रु 40,000 इनमें से जो कम राशि हो, उसकी कटौती दी जाती है। धारा 16(2) के अनुसार मनोरंजन भत्ते की कटौती सिर्फ सरकारी कर्मचारी को दी जाती है, गैर–सरकारी कर्मचारी को नहीं। मनोरंजन भत्ते की कटौती की राशि वेतन के 20 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 हजार दोनों में से जो कम हो, उसकी कटौती मिलती है। मनोरंजन भत्ता सर्वप्रथम वेतन में मिलाया जाता है, उसके पश्चात् इसकी कटौती दी जाती है।

मकान संपत्ति से आय की गणना के लिए करदाता को मकान संपत्ति का स्वामी होना अनिवार्य है, मकान संपत्ति गणना करने के लिए सर्वप्रथम संभावित किराया आगणित किया जाता है, उसके पश्चात् सकल वार्षिक मूल्य आगणित किया जाता है। सकल वार्षिक मूल्य में से मकान स्वामी द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर तथा धारा 4 की पूर्ति के अनुसार अप्राप्त किराया घटाकर जो शेष रहता है, उसे वार्षिक मूल्य कहते हैं। वार्षिक मूल्य में से किराए से दिए मकान के लिए धारा 24 के अनुसार मानक कटौती वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत तथा ब्याज की कटौती दी जाती है। मकान निवास के लिए प्रयुक्त है, तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य होगा। उस मकान निर्माण हेतु लिए गए लिए ऋण के लिए धारा 24 के तहत् कटौती दी जाती है।

2.6 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **वेतनः** नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक।
- **मूल वेतनः** कर्मचारियों के वेतन के आगणन के लिए मूल वेतन का निर्धारण आवश्यक होता है। मूल वेतन यानि जिस वेतनमान में कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, उस वेतनमान के अनुसार निर्धारित किया गया वेतन।
- **भत्तेः** नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनका जीवन–यापन उचित तरह से हो, इसलिए नियम के तहत् वेतन के अलावा जो मौद्रिक शोधन किया जाता हैं, उसे भत्ते कहते हैं। यह भत्ते कर योग्य, कर मुक्त, आंशिक कर योग्य होते हैं।

- **अनुलाभः** जब नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच हुए समझौते के अनुसार अथवा नियोक्ता स्वेच्छा से मौद्रिक शोधन के अलावा अन्य तरह से जो सुविधा उपलब्ध कराता है, उसे अनुलाभ कहते हैं।
- **सकल वेतनः** धारा 16 के अनुसार अनुज्ञेय कटौती करने के पूर्व का वेतन सकल वेतन होता है।
- **शुद्ध वेतनः** धारा 16 के अनुसार अनुज्ञेय कटौती करने के पश्चात् का वेतन शुद्ध वेतन होता है।
- **मानक कटौतीः** वेतन में से धारा 16(i) के अनुसार सकल वेतन या अधिकतम रु 40,000 इनमें से जो कम हो, उसकी कटौती दी जाती है। यह कटौती कर्मचारियों के अपने कर्त्तव्य निर्वाह के लिए होने वाले खर्च के भुगतान के लिए दी जाती है। यह खर्च हो या नहीं हो, तब भी दी जाती है।
- **नगर पालिका मूल्यः** नगर पालिका मूल्य मकान संपत्ति का वह मूल्य है जो नगर पाालिका द्वारा कर नगर पालिका कर निर्धारण के लिए निश्चित किया जाता है।
- **उचित किराया मूल्यः** समान मकान संपत्ति का उसी परिसर में प्राप्त होने वाला किराया उचित किराया मूल्य होता है।
- **मानक किरायाः** किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार जो किराया होता है, उसे मानक किराया कहते हैं।
- **संभावित किरायाः** ER = MV or FRV whichever is higher ≤ SR
- **सकल वार्षिक मूल्यः** संभावित किराया व प्राप्त किराया इनमें से अधिक राशि सकल वार्षिक मूल्य होती है।
- **वार्षिक मूल्यः** सकल वार्षिक मूल्य में से स्वामी द्वारा भुगतान किया गया नगर पालिका कर तथा नियम 4 के अनुसार अनुज्ञेय अप्राप्त किराया की कटौती पश्चात् जो मूल्य होता है, उसे वार्षिक मूल्य कहते हैं।
- **मकान संपत्ति की मानक कटौतीः** मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत।

2.7 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. वेतन शीर्षक की आय में किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन की विधि लिखें।
2. मकान किराए भत्ते के नियम लिखें।
3. मनोरंजन भत्ते की कटौती के संबंध में नियम लिखें।
4. सकल वेतन में से दी जानेवाली मानक कटौती का अर्थ स्पष्ट करें।
5. कर मुक्त भत्ते के पाँच पद लिखें।

टिप्पणी

6. धारा 17(1) के अनुसार वेतन में शामिल होने वाले पद लिखें।
7. हस्तांतरित शेष का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
8. विशिष्ट कर्मचारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
9. अनुलाभ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
10. सभी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अनुलाभों में से कर योग्य अनुलाभ के पाँच पद लिखिए।
11. विशिष्ट कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अनुलाभों में से से कर योग्य अनुलाभ लिखें।
12. सभी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अनुलाभों में से कर मुक्त अनुलाभ के पद लिखें।
13. वार्षिक मूल्य की गणना की विधि स्पष्ट कीजिए।
14. मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली मानक कटौती स्पष्ट कीजिए।
15. मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य में से मकान संपत्ति के निर्माण हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में नियम लिखें।
16. संभावित किराया किस तरह से आगणित किया जाता है, इसकी विधि स्पष्ट करें।
17. राजेंद्र की निम्न सूचनाओं के आधार पर कर योग्य मकान किराया भत्ते की गणना कीजिए।

    मूल वेतन रु 60,000 प्रति माह, महंगाई भत्ता रु 10,000 प्रति माह, मकान किराया भत्ता रु 8,000 प्रति माह प्राप्त होता है तथा उन्होंने गत वर्ष में रु 12,000 प्रति माह किराया दिया।

    (**उत्तर**: रु 24,000)
18. श्री. मनमोहन नागपूर में रहते हैं, उन्हें मूल वेतन रु 2,00,00, महंगाई वेतन रु 2,00,000 तथा मकान किराया भत्ता रु 1,50,000 वार्षिक प्राप्त होते हैं। वे वार्षिक रु 1,80,000 मकान किराया का भुगतान करते हैं। इस जानकारी के आधार पर कर योग्य मकान किराया भत्ते की गणना कीजिए।

    (**उत्तर**: रु 10,000)
19. श्री. अनंतनाथ एक निजी कंपनी में व्यवस्थापन के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें प्रति माह रु 15,00,000 वेतन प्राप्त होता है। वे प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि के सदस्य हैं, जिसमें स्वयं तथा नियोक्ता वेतन के 15 प्रतिशत अंशदान करते हैं। गत वर्ष उनके भविष्य निर्वाह निधि में रु 1,00,00 शेष पर रु 12,000 जमा किया गया है। इस जानकारी के आधार पर वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की कर योग्य गणना कीजिए।

    (**उत्तर**: रु 7,900)

20. नरेंद्रनाथ एक बैंक में अधिकारी हैं, उन्हें रु 52,000 मासिक वेतन तथा रु 2,000 मासिक महंगाई भत्ता मिलता है तथा रु 1,600 मासिक मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उन्हें गत वर्ष तीन माह के बराबर बोनस मिला। वे बैंक द्वारा रु 8,000 मासिक किराए पर लिए गए मकान में रहते हैं।

    उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उनके वेतन की गणना कीजिए।

    (**उत्तरः** रु 15,800)

21. शुभम हिंगणघाट के जिलाधीश हैं, वह एक सुसज्जित बंगले में निवास कर रहे है, जो उन्हें सरकार द्वारा किराए से मुक्त दिया है। उनका वेतन रु 1,50,000 मासिक है। सरकार के नियमों के अनुसार असुसज्जित बंगले का किराया रु 2,00,00 प्रति माह है, परंतु उसका उचित किराया मूल्य रु 7,500 मासिक है। उन्हें रु 1,20,000 मूल्य का फर्निचर दिया गया है। आयकर के लिए किराया मुक्त मकान के अनुलाभ का मूल्य आगणित कीजिए।

    (**उत्तरः** रु 36,000)

22. इरफान एक निजी कंपनी में कार्यरत् हैं। उन्हें कार्य के स्थान पर तथा कार्य के समय में कंपनी ने गत वर्ष में 100 दिन के रु 60 प्रति भोजन के हिसाब से मुफ्त भोजन दिया। कर योग्य अनुलाभ बताएं।

    (**उत्तरः** रु 1,00,000)

23. योगेंद्र धामणगांव में रु 24,000 मासिक वेतन पर कार्यरत है, नियोक्ता ने रु 28,000 मासिक किराया भत्ता दिया और 4,000 रु मासिक किराया देते हैं। उनके द्वारा बिक्री पर दो प्रतिशत कमिशन मिलता है, गत वर्ष में उन्होंने कुल की बिक्री रु 12,000 है। सकल वेतन की गणना कीजिए।

    (**उत्तरः** रु 3,28,000)

24. एक मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य रु 72,000 है। निम्न कटौतियाँ माँगी गई हैं–
    - मकान मरम्मत – रु 2,000
    - नगर पालिका कर का भुगतान – रु 6,000
    - मकान की मरम्मत के लिए गए ऋण की राशि पर ब्याज – रु 40,000
    - बीमा प्रीमियम बकाया – रु 1,000

    (**उत्तरः** रु 10,400)

25. निम्नलिखित सूचना के आधार पर वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए–
    - वास्तविक वार्षिक किराया – रु 24,000
    - उचित वार्षिक किराया – रु 28,000
    - प्रमापित किराया वार्षिक – रु 20,000

    (**उत्तरः** रु 24,000)

26. निम्न जानकारी के आधार पर मकान का वार्षिक मूल्य आगणित कीजिए–
    - उचित किराया – रु 1,20,000
    - वास्तविक किराया – रु 1,50,000
    - नगर पालिका मूल्यांकन – रु 30,000

    (**उत्तर**: रु 1,20,000)

27. श्री. नगदनारायण एक मकान संपत्ति के स्वामी हैं, जिसका वार्षिक किराया योग्य मूल्य रु 80,000 है, गत वर्ष उसे रु 7,000 मासिक किराए से दिया है। उन्होंने निम्नलिखित खर्चों का दावा किया–
    - नगर पालिका मूल्यांकन – रु 8,000
    - किराया वसूली व्यय – रु 6,000

    मकान पर अधिभार (जो वसीयतनामे में प्राप्त है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है कि रु 12,000 वार्षिक जीवन–यापन के लिए करदाता की सौतेली माँ को देना है।) गत वर्ष में यह मकान एक माह खाली था।

    उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना कीजिए।

    (**उत्तर**: रु 48,200)

28. निम्नलिखित सूचना के आधार पर श्री. मगन की मकान संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् आती है, का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए। नगर पालिका मूल्यांकन रु 35,000, उचित किराया रु 30,000, मानक किराया रु 36,000 तथा वास्तविक किराया रु 32,000।

    (**उत्तर**: रु 35,000)

29. निम्नलिखित सूचना के आधार पर सौ. कुसुम की मकान संपत्ति जो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् आती है, उस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए। नगर पालिका मूल्यांकन रु 45,000, उचित किराया रु 54,000, मानक किराया रु 60,000 तथा वास्तविक किराया रु 48,000 है।

    (**उत्तर**: रु 54,000)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय कौनसी है, यह विस्तार के साथ स्पष्ट कीजिए।
2. वैधानिक भविष्य निर्वाह निधि, प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि तथा सार्वजनिक भविष्य निधि में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कर योग्य भत्ते सविस्तार लिखें।
4. विशिष्ट कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अनुलाभों को सविस्तार लिखें।
5. वेतन के स्थान पर प्राप्त लाभ विस्तार के साथ बताए।

6. किराए से दिए गए मकान संपत्ति से आय के निर्धारण की विधि सविस्तर लिखे।

7. मकान निर्माण के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज जो मकान निर्माण के पूर्व भुगतान किए गए हैं, उस संबंध में कटौती के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट करें।

8. प्रशांत अमरावती जिसकी जनसंख्या रु 10,000 से अधिक है, उस शहर में कार्यरत् है। करनिर्धारण वर्ष 2019–20 में उनकी आय निम्न है। मूल वेतन प्रतिमाह रु 16,000 है। महंगाई भत्ता प्रतिमाह रु 4,000 (40 प्रतिशत अवकाश ग्रहण में जोड़ा जाता है), बोनस एक माह के मूल वेतन के बराबर, कमिशन रु 9,000 वार्षिक, मनोरंजन भत्ता रु 1,000 प्रति माह, नियोक्ता द्वारा दिए गए किराए मुक्त मकान का उचित किराया मूल्य रु 40,000 वार्षिक है तथा उन्हें रु 40,000 लागत के फर्निचर की सुविधा दी गई है। इस जानकारी के आधार पर वेतन की गणना कीजिए।

   (**उत्तर** रु 2,65,820)

9. अंबर कंपनी ने अमित को दिल्ली में रु 7,00,000 वार्षिक पैकेज पर प्रबंधक पद पर नियुक्त किया है। कंपनी द्वारा रु 7,00,000 पैकेज का विभाजन निम्न है–

   - मूल वेतन – रु 3,00,000
   - यातायात भत्ता – रु 20,000
   - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति – रु 15,000
   - विशेष भत्ता – रु 2,00,000
   - मकान किराया भत्ता – रु 1,44,000
   - मान्यता प्राप्त ग्रैच्युइटी फंड में जमा – रु 21,000

   कर्मचारी ने रु 15,000 मासिक किराया दिया तथा गत वर्ष रु 2,500 नियोजन कर उनके वेतन में से काटे गए।

   उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। (**उत्तर** रु 4,92,600)

10. श्री. नृसिंह एक कंपनी में 1 जनवरी 2015 को रु 22,000–400–30,000 के वेतनमान पर नियुक्त हुए। उन्हें वेतन का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें रु 15,000 प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। सेवा शर्तों के अनुसार उसे कंपनी के ग्राहकों की आवभगत करनी होती है। उन्हें कंपनी की ओर से रु 3,200 प्रति माह मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। उन्होंने रहने के लिए रु 8,000 प्रति माह की दर से मकान किराए से लिया है। कंपनी द्वारा उन्हें सफाई कर्मचारी, रसोइया तथा बागवान दिए गए हैं, जिसका वेतन कंपनी हरेक के लिए रु 200 खर्च करती है। कंपनी की ओर से दो मोटर कार, एक बड़ी और एक छोटी दे रखी है, जो निजी उपयोग में भी आती है। कंपनी केवल कार्यालयीन प्रयोग

के खर्च वहन करती है। बड़ी कार का मूल्य रु 6,00,000 तथा छोटी कार का मूल्य रु 3,00,000 है। इन कारों के खर्चे रु 80,000 तथा रु 60,000 क्रमशः है। प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में कर्मचारी और नियोक्ता 8.33 प्रतिशत अंशदान करते हैं। यह मानते हुए वेतन प्रति माह के अंत में देय होता है। कर्मचारी तथा नियोक्ता के बीच हुए समझौते के अनुसार देय आयकर कंपनी द्वारा चुकाया जाएगा। कंपनी ने इस शर्त के अधीन गत वर्ष करदाता को देय कर का रु 50,000 भुगतान किया है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर 2019–20 के लिए वेतन की गणना कीजिए।

(**उत्तर**: रु 7,17,400)

11. श्रीमान दिग्विजय को निम्न आय गत वर्ष 2018–19 में प्राप्त होती है–

- प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में कर्मचारी का अंशदान रु 30,000 घटाने के बाद शुद्ध मूल वेतन – रु 2,70,000
- नियोक्ता का मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में रु 30,000 का अंशदान
- मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में 9.5 प्रति वर्ष ब्याज दर से रु 28,500
- शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता – रु 10,000
- यात्रा भत्ता – रु 2,400
- बोनस – 15,000

अकोला में रहने का असुसज्जित मकान जिसके लिए नियोक्ता रु 7,500 प्रति माह किराया देता है, परंतु केवल रु 6,000 प्रति माह उसके वेतन में से काटे जाते हैं।

मुफ्त गैस, बिजली, नियोक्ता द्वारा रु 15,000 प्रति माह की लागत पर प्रदत्त है। नियोक्ता ने एक छोटी कार व्यापारिक तथा उसके निजी काम के लिए दे रखी है, परंतु निजी काम का व्यय करदाता स्वयं वहन करता है।

(**उत्तर**: रु 3,45,000)

निम्न सूचनाओं के आधार पर श्री. जनार्दन के मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। आधा मकान स्वयं रहने के लिए तथा आधा मकान किराए से दिया है। उस आधे मकान का मासिक किराया रु 7,500 है। मकान का नगर पालिका मूल्य रु 75,000 है, जिस पर 20% की दर से नगर पालिका कर चुकाया गया तथा गत वर्ष मकान संपत्ति निर्माण के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज रु 1,00,000 चुकाया है।

(**उत्तर**: रु 42,500)

12. श्री. ओमपुरी की एक मकान–संपत्ति है, जो रहने के लिए किराए पर दी गई है, किराए पर दी हुई संपत्ति का पूर्ण विवरण निम्न है – नगर पालिका किराया मूल्य रु 17,000 प्रति माह। वास्तविक किराया जो वसूल हुआ रु 18,000 प्रति माह। किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत देय किराया रु 17,000 प्रति माह। इसी प्रकार के मकान का देय किराया रु 18,000

प्रति माह है। उसने नगर पालिका मूल्यांकन का 10% स्थानीय कर एवं नगर पालिका मूल्यांकन का 7% शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस चुकाया। मकान संपत्ति का निर्माण सितंबर 2013 में प्रारंभ हुआ तथा फरवरी 2016 में पूर्ण हुआ। उसने मकान संपत्ति के निर्माण के लिए ऋण लिया, जिस पर 31–03–2015 तक रु 4,00,000 ब्याज चुकाया तथा रु 1,00,000 ब्याज गत वर्ष चुकाया। अग्नि बीमा प्रीमियम रु 4,000 प्रति वर्ष चुकाया। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान–संपत्ति से आय की गणना कीजिए।

(**उत्तरः** (–) रु 53,076)

निम्न परिस्थितियों में मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

विवरण	**परिस्थिति–1**	**परिस्थिति–2**
नगर पालिका मूल्यांकन	4,00,000	4,00,000
उचित किराया	4,80,000	4,80,000
मानक किराया	3,60,000	3,60,000
प्राप्त किराया	5,28,000	3,84,000
नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन का 10%	स्वामी द्वारा भुगतान	किराएदार द्वारा भुगतान

(**उत्तरः** रु 4,88,000)

14. श्री. चहल, दिल्ली के निवासी हैं, उनके दो मकान दिल्ली में स्थित हैं जिनका विवरण निम्न हैं–

विवरण	**मकान संपत्ति क्र. 1**	**मकान संपत्ति क्र. 2**
किराया नियंत्रण अधिनिमय के अंतर्गत मानक किराया	3,04,000	2,88,000
नगर पालिका मूल्यांकन	3,20,000	3,60,000
उचित किराया	4,00,000	4,80,000
वास्तविक किराया	–	3,60,000
गत वर्ष में भुगतान किया गया नगर पालिका कर	48,000	58,000
अग्नि बीमा प्रव्याजी	4,000	36,000
पानी सुविधा कर देय किंतु अदत्त	4,800	6,000
मकान संपत्ति के निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज	1,80,000	46,000
पट्टे का किराया	8,000	6,000
मकान संपत्ति का उपयोग	स्वयं के निवास के लिए	निवास के हेतु किराए से

(**उत्तरः** (–) रु 14,600)

15. श्री. बलवीर का दिल्ली में एक मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन रु 3,00,000 है, उचित किराया रु 4,00,000 मानक किराया रु 3,60,000 है। यह मकान संपत्ति रु 3,00,000 वार्षिक किराए से दी है। मकान स्वामी द्वारा देय नगर पालिका कर रु 20,000 है, किंतु मकान के स्वामी ने किराएदार से समझौता किया है कि किराएदार नगर पालिका कर का सीधा भुगतान नगर पालिका को करेगा। मकान का स्वामी किराएदार को सुविधाओं पर एक समझौते के तहत् निम्न व्यय करता है। पानी व्यय – रु 4,000, उद्वाहक (लिफ्ट) रख–रखाव खर्च – रु 4,000, जीने की रोशनी पर व्यय – रु 3,200, माली का वेतन – रु 4,800, मकान का स्वामी मरम्मत के खर्च रु 1,80,000, माल गुजारी – रु 6,000, संग्रहण व्यय – रु 8,000, जिस भूमि पर मकान बना है, उसे क्रय करने का कानूनी व्यय रु 96,000 इन किए गए खर्चों की कटौतियों की माँग करता है।

    (**उत्तरः** रु 2,52,000)

2.8 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. आयकर विधान एवं लेखे – डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, डॉ. एस.पी. गोयल, (प्रकाशक–साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 60 वां संशोधित संस्करण)
2. आयकर – डॉ. ए.के. धगट, संजय भार्गव, (प्रकाशक – रमेश बुक डिपो, जयपुर)
3. Taxation Laws Simplified – Tarun Bansal, Dr. Monika Tushar Bohra, (Publisher – Tax Guru Publication House, Delhi.)
4. Income Tax: AY 2019-20 - CA K.K. Agrawal.
5. Handbook on Income Tax - CA. Raj K. Agrawal, (Publisher – Bharat Law Publishers)
6. Income Tax Act 1961
7. Income Tax Rules 1962
8. Law & Practice of Income Tax in India, Bhagwati Prasad.
9. Direct Tax Law – Dinkar Pagare (Publisher – Sultan Chand & Sons, New Delhi).

टिप्पणी

इकाई 3 व्यापार एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय (Income from Business and Profession Capital Gain and Income from Other Sources)

संरचना (Structure)

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ धारा 28 से 44D
  3.2.1 प्रस्तावना
  3.2.2 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत आय का क्षेत्र धारा 24
  3.2.3 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य न होने वाली आय या प्राप्तियाँ
  3.2.4 व्ययों के संबंध में स्वीकृत छूट धारा 30
  3.2.5 व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत व्यय धारा 30 से 36
  3.2.6 कटौती योग्य अन्य व्यय
  3.2.7 स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय धारा 40
  3.2.8 कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय एवं भुगतान
  3.2.9 अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान
  3.2.10 लेखा-पुस्तकों के अंकेक्षण की अनिवार्यता धारा 44AB
  3.2.11 स्टॉक का मूल्यांकन धारा 145A
  3.2.12 व्यवसाय अथवा पेशे के कर योग्य लाभों की गणना
  3.2.13 ऱ्हास की दर
  3.2.14 व्यवसाय के अथवा पेशे के कर योग्य लाभ की गणना सारणी
    3.2.14.1 संशोधित लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते का प्रारूप
    3.2.14.2 प्राप्ति अथवा भुगतान लेखा के आधार पर कर योग्य आय की गणना प्रारूप
  3.2.15 व्यवहारिक प्रश्न
3.3 पूँजी लाभ धारा 45—54B
  3.3.1 प्रस्तावना
  3.3.2 पूँजीगत संपत्ति के प्रकार
    3.3.2.1 अल्पकालीन पूँजीगत संपत्ति धारा 2(42A)
    3.3.2.2 दीर्घकालीन पूँजीगत संपत्ति धारा 2(29A)
  3.3.3 पूँजीगत लाभ के प्रकार
  3.3.4 पूँजीगत संपत्ति का हस्तांतरण धारा 2(47)
  3.3.5 पूँजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के अपवाद धारा 2(47) तथा धारा 46 एवं 47
  3.3.6 पूर्ण प्रतिफल
  3.3.7 संपत्ति प्राप्त करने की लागत
  3.3.8 प्राप्त करने की सूचकांकित लागत
    3.3.8.1 सूचकांक लागत का अर्थ
    3.3.8.2 लागत स्फीती सूचकांक तथा वर्ष सारणी
    3.3.8.3 सूचकांकित लागत की गणना
    3.3.8.4 सूचकांकित लागत की गणना सुधार की सूचकांकित लागत

टिप्पणी

3.3.9 कर मुक्त पूँजी लाभ
3.3.9.1 निवास के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ धारा 54
3.3.9.2 कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कर मुक्त धारा 54B
3.3.9.3 एक औद्योगिक उपक्रम के भाग के रुप में भूमि तथा भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ (धारा 54D)
3.3.9.4 दीर्घकालीन संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कतिपय बॉण्डों में निवेश किए जाने पर कर मुक्त होगा धारा 54(EC)
3.3.9.5 रिहायशी मकान के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ धारा 54F
3.3.9.6 औद्योगिक उपक्रमों के बाहरी क्षेत्रों से स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ (धारा 54G)
3.3.9.7 बाहरी क्षेत्र में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कर से मुक्त है (धारा 54GA)
3.3.9.8 आवासीय संपत्ति के अंतरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर छूट
3.3.10 अल्पकालीन पूँजीगत लाभों की गणना सारणी
3.3.11 दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना सारणी
3.3.12 व्यवहारिक उदाहरण
3.4 अन्य स्त्रोतों से आय (धारा 56–59)
3.4.1 प्रस्तावना
3.4.2 अन्य साधनों से आय शीर्षक सम्मिलित मद
3.4.3 अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित विशिष्ट आय
3.4.4 अन्य स्त्रोतों से आय के लिए कटौतियाँ धारा 57
3.4.5 अन्य स्त्रोतों से आय में कटौती न मिलने वाली राशि धारा 58
3.4.6 दिखावटी लेनदेन
3.4.7 प्रतिभूतियों पर ब्याज
3.4.7.1 प्रतिभूतियों पर ब्याज का अर्थ
3.4.7.2 प्रतिभूतियों के प्रकार
3.4.7.2.1 सरकारी प्रतिभूति
3.4.7.2.2 गैर सरकारी प्रतिभूति
3.4.7.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज का सकलीकरण
3.4.7.3.1 सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज
3.4.7.3.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज
3.4.8 प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज सकलीकरण करने के सूत्र
3.4.9 अन्य साधनों से आय की गणना सारणी
3.4.10 व्यवहारिक उदाहरण
3.5 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
3.6 सारांश
3.7 मुख्य शब्दावली
3.8 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.9 सहायक पाठ्य सामग्री

3.0 परिचय (Introduction)

व्यापार एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय शीर्षक में किन प्राप्तियों का समावेश किया जाता है तथा उनमें से कौन–सी कटौतियाँ दी जाती हैं, इसका अध्ययन प्रस्तुत इकाई में विस्तार के साथ दिया गया है। साथ ही, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यापार एवं पेशे से आय, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों

से आय की गणना की प्रविधि का विवेचन एवं विश्लेषण दिया गया है। इसके साथ ही, उदाहरण हल के साथ दिए गए हैं ताकि व्यवहारिक उपयोग का ज्ञान हासिल हो सके।

3.1 उद्देश्य (Objectives)

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि–

- व्यवसाय तथा पेशे से लाभ तथा अधिलाभ का अर्थ समझने में सहायक।
- व्यवसाय तथा पेशे से लाभ के आगणन में किस तरह समावेश किया जाता है, इसकी प्रविधि समझने में सहायक।
- व्यवसाय तथा पेशे से आय में से स्वीकृत व्यय तथा अस्वीकृत व्यय समझने में सहायक।
- पूँजी लाभ का अर्थ तथा प्रकार समझने में सहायक।
- सूचकांकित लागत का आगणन की प्रविधि समझने में सहायक।
- पूँजी लाभ का आगणन करने की प्रविधि समझने में सहायक।
- अन्य स्त्रोतों से आय का अर्थ एवं संबंधित मद समझने में सहायक।
- प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय की प्रविधि समझने में सहायक।
- अन्य साधनों से आय की आगणन करने की प्रविधि समझने में सहायक।

3.2 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ धारा 28 से 44D (Profits and Gains of Business or Profession)

3.2.1 प्रस्तावना (Introduction)

व्यवसाय तथा पेशे से आय आयकर अधिनियम धारा 14 के अनुसार तृतीय शीर्षक है। इस शीर्षक में व्यापार, वाणिज्य निर्माण तथा पेशे से आय का समावेश होता है–

(i) व्यवसाय (Business)– आयकर अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय का क्षेत्र विस्तृत है तथा जीविकोपार्जन के सभी कार्य व्यवसाय कहलाते हैं।

टिप्पणी

(ii) पेशा (Profession)– आयकर अधिनियम की धारा 2(36) में पेशे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इस धारा में तो केवल इतना ही लिखा है कि पेशे में धंधा शामिल हैं, इन शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है–

- **पेशा (Profession)**– जो कार्य पूर्णतः बुध्दि कुशलता पर आधारित होता है।

  उदा. डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अंकेक्षक आदि।

- **धंधा या वृत्ति (Vocation)**– धंघा एक ऐसा कार्य है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा व्यतीत करता है तथा जो उसकी उपजीविका का प्रमुख साधन है।

  उदा. लेखक, धार्मिक कार्य करने वाला पंडित आदि।

3.2.2 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत आय का क्षेत्र (Scope of Incomes Under the Head Profits and Gains of Business or Profession) धारा 24

1. व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ धारा 28(i)

   एक करदाता द्वारा गत वर्ष संचालित व्यापार या पेशे से प्राप्त आयगत प्राप्तियाँ इस शीर्षक में कर योग्य होती है, जैसे–

   (i) व्यापारी द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त राशि

   (ii) सेवाएँ देने के बदले में प्राप्त राशि

   (iii) कमिशन, बट्टा, ब्याज आदि की राशि

   (iv) व्यवसाय में कार्यरत् कर्मचारियों को मकान किराए पर देने से प्राप्त राशि

   (v) पेशेवर व्यक्ति को पेशे के परिणामस्वरूप प्राप्त राशि जैसे–

   - किसी डॉक्टर को मरीज से प्राप्त फीस,
   - वकील को अपने मुवक्किल से प्राप्त फीस

2. व्यवसाय से संबंधित क्षतिपूर्ति की राशि धारा 28(ii)–

   (i) कंपनी के प्रबंध का अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति धारा 28(ii)(a) 8(b)

   (ii) एजेंसी की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति धारा 28(i)(c)

   (iii) सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति धारा 28(i)(d)

3. व्यापार एवं संघों की आय धारा 28(iii)

4. आयात अनुज्ञा–पत्र के विक्रय से लाभ धारा 28(iii)

टिप्पणी

5. नकद सहायता धारा 28(iii)(b)– भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निर्यात के संबंध में किसी व्यक्ति को प्राप्त अथवा प्राप्य नकद सहायता की राशि इस शीर्षक में कर योग्य होगी।
6. सीमा–शुल्क या उत्पाद–शुल्क ड्रॉ-बैक की राशि धारा 28(iii)(c)
7. ड्यूटी अधिकार (एनटाइटलमेंट) पासबुक योजना के हस्तांतरण पर लाभ धारा 28(iii)(d)

   एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध ड्यूटी अधिकार (एनटाइटलमेंट) पासबुक योजना के हस्तांतरण से होने वाला लाभ कर योग्य होता है।
8. व्यवसाय या पेशे के अनुलाभ धारा 28(iv)
9. साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, ब्याज, बोनस, कमिशन आदि धारा 28(v)
10. समझौते के अंतर्गत नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त/प्राप्य कोई भी राशि धारा 28(v)(a)–
    (i) किसी व्यवसाय के संबंध में क्रिया–कलाप नहीं करने, अथवा
    (ii) वस्तुओं के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण अथवा सेवाओं का प्रावधान करने में सहायक साबित होने की संभावना वाले किसी व्यवहार–ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, ट्रेडमार्क, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार अथवा समान प्रकृति के किसी अन्य व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक अधिकार अथवा सूचना या तकनीक को नहीं बाँटना।
11. व्यापार तथा पेशे से कार्य करने के संबंध में करदाता को मिलने वाली कोई सुविधा तथा अनुलाभ।

    उदा. कंपनी के वकील को कर मुक्त निवास, उसका समावेश वकील के पेशे से आय में किया जाएगा।
12. एक निर्यातक को उपलब्ध शुल्क मुक्त पुर्नपूर्ति प्रमाणपत्र हस्तांतरण होने वाला लाभ।
13. प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि धारा 28(vi)।
14. समझौते के अंतर्गत नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त/प्राप्य कोई भी राशि धारा 28(v)(a)।
15. मकान संपत्ति की प्राप्तियाँ–
    (i) उक्त मकान का कोई भाग ऐसे कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाता है, जिसका वहाँ रहना व्यापार के संचालन के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया, व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाएगी।
    (ii) उक्त मकान का कोई भाग व्यापार को कुशलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा, पोस्ट ऑफिस, कोतवाली केंद्रीय एक्साइज कार्यालय अथवा रेल्वे स्टाफ क्वार्टर्स की स्थापना के लिए सरकार को उपलब्ध करा दिया जाता है, तो ऐसे

मकान संपत्ति की आय व्यापार की आय के रूप में कर योग्य होगी।

टिप्पणी

16. अवैध व्यापार की आय
17. सट्टे के व्यवहारों की आय
18. अन्य कर योग्य आय–
    (i) पूर्व में स्वीकृत छूट या कटौती की वसूली धारा 41(1)(a) & (b)
    (ii) न्हास योग्य संपत्तियों के संबंध में उत्पन्न संतुलित प्रभार धारा 41(4)
    (iii) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में आने वाली संपत्ति के संबंध में संतुलित प्रभार धारा 41(2)
    (iv) डूबित ऋण की वसूली धारा 41(4)
    (v) विशेष संचय का आहरण धारा 36(1)(8)
    (vi) अंशतः कृषि आय एवं अंशतः व्यापारिक आय

(a) कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की आय बाजार मूल्य से तात्पर्य–

- यदि ऐसी उपज प्रायः बाजार में बिकती है, तो उसका औसत बाजार मूल्य तथा
- यदि ऐसी उपज प्रायः बाजार में नहीं बिकती है, तो निम्न राशियों के योग को बाजार मूल्य माना जाता है–
  - कृषि संबंधी खर्चे,
  - भूमि का लगान व किराया,
  - कर, निर्धारण अधिकारी की राय में उचित लाभ की राशि

(b) चाय बगानों की आय (नियम 8)– संबंधित कुल आय में से 60% कृषि आय तथा 40% व्यापारी आय होगी।

(c) रबर उत्पाद से आय (नियम 8)– संबंधित कुल आय में से 65% कृषि आय तथा 35% व्यापारी आय होगी।

(d) कॉफी बगानों की आय (नियम 7B)– संबंधित एकुण आय में से 75% कृषि आय तथा 25% व्यापारी आय होगी–

(i) भारतीय लेखक को पुस्तक लेखन अधिकार–शुल्क की आय
(ii) बीमा कमिशन की आय

परिकल्पित कटौती (Adhoc Deduction)

जीवन बीमा एजेंट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एजेंट, डाकघर सरकारी प्रतिभूतियों के एजेंट तथा अधिसूचित पारस्परिक कोष के एजेंट के व्ययों के लिए स्वीकृत कटौतियाँ।

टिप्पणी

सारणी क्र. 3.1

विवरण	कटौती की राशि
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एजेंट, डाकघर सरकारी प्रतिभूतियों के एजेंट तथा अधिसूचित पारस्परिक कोष के एजेंट के व्ययों के लिए स्वीकृत कटौतियाँ।	एजेंट 60,000 से कम कमिशन होने पर यदि वह लेखे नही रखते है, तो उनको सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत की दर से तदर्थ कटौती स्वीकृत की जाएगी।
प्रथम जीवन बीमा एजेंट।	प्रथम वर्ष के कमिशन पर 50 प्रतिशत की कटौती, नूतनीकरण के कमिशन पर 15 प्रतिशत की कटौती।

1. सार्वजनिक भविष्य निधि, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय बचत पत्र–अष्टम निर्गमन, राष्ट्रीय बचत–योजना, अधिसूचित पारस्परिक कोषों, पोस्ट ऑफिस के आवर्ती खातों, पोस्ट ऑफिस की मासिक आय खाता योजना एवं पोस्ट ऑफिस की सावधिक जमा खातों में जमा लाने वाले एजेंट्स को भी रु 60,000 से कम कमिशन होने पर यदि वे विस्तृत लेखे नहीं रखते हों, तो उनको सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत की दर से तदर्थ कटौती स्वीकृति की जाएगी।

2. यदि कोई एजेंट जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विशिष्ट प्रतिभूतियाँ एवं अधिसूचित पारस्परिक कोष में से दो या अधिक के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा अलग-अलग कमिशन प्राप्त करता है, तो कटौती के लिए उसका सभी स्त्रोतों से प्राप्त कमिशन रु 60,000 से कम रहना चाहिए।

3. यदि कोई जीवन बीमा एजेंट उसके द्वारा अर्जित कमिशन के संबंध में किए जाने वाले व्ययों का लेखा नहीं रखता है तथा उसका कुल कमिशन रु 60,000 से कम होता है, तो उसे ऐसे कमिशन में से निम्न प्रकार तदर्थ कटौती स्वीकृत की जाएगी–

(i) यदि प्रथम वर्ष का कमिशन एवं नवीनीकरण का कमिशन अलग-अलग ज्ञात हो–

- प्रथम वर्ष के कमिशन पर 50 प्रतिशत की कटौती तथा
- नवीनीकरण के कमिशन पर 15 प्रतिशत की कटौती

(ii) यदि प्रथम वर्ष का कमिशन एवं नवीनीकरण का कमिशन अलग-अलग ज्ञात नहीं हो–

- ऐसी स्थिति में कमिशन की संपूर्ण राशि पर 1/3 अर्थात् 33.33 प्रतिशत दर से कटौती स्वीकृत की जाएगी। संपूर्ण कमिशन में बोनस कमिशन सम्मिलित नहीं होगा।

व्यवहारिक सूचना

यदि प्रथम वर्ष का कमिशन एवं नवीनीकरण का कमिशन अलग-अलग ज्ञात हो अथवा यदि प्रथम वर्ष का कमिशन एवं नवीनीकरण का कमिशन अलग-अलग ज्ञात नहीं हो, ऐसी स्थिति में, कटौती की राशि रु 20,000 से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी

अन्य महत्त्वपूर्ण बातें

1. अवैध व्यवसाय की आय आयकर के उद्देश्य से अवैध तथा अनैतिक व्यवसाय या पेशे के लाभ भी इसी शीर्षक में कर योग्य होते हैं।
2. यदि करदाता के एक से अधिक व्यवसाय हैं, तो प्रत्येक व्यवसाय से आय की गणना अलग-अलग की जाती है। तत्पश्चात् सट्टे के व्यवसाय की आय को अन्य व्यवसायों की आय से अलग जोड़कर इस शीर्षक की आय ज्ञात की जाती है।
3. कर निर्धारण अधिकारी को काल्पनिक, अनुमानित अथवा भावी लाभों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है, वह केवल वास्तविक लाभों पर ही कर लगा सकता है।
4. यदि किसी व्यवसाय में हानि हो, तो इसकी पूर्ति अन्य व्यवसायिक लाभों से की जा सकती है, सट्टे के व्यवसाय के लाभों से नहीं, परंतु सामान्य व्यवसाय की हानि की पूर्ति सट्टे के लाभों से की जा सकती है।
5 भविष्य निधि में जमा करवाने के लिए कर्मचारी के अंशदान की उसके वेतन से काटी गई राशि करदाता के व्यवसाय की आय मानी जाती है। इस राशि को संबंधित खाते में निर्धारित तिथियों तक जमा करवाने पर करदाता की व्यय के रूप में स्वीकृत कटौती मान ली जाती है। यदि कर्मचारी के भविष्यनिधि खाते में निर्धारित तिथि के बाद में राशि जमा कराई जाती है, तब ऐसी जमा की राशि की छूट स्वीकृत नहीं की जाती है।
6. व्यवसाय के बंद होने के पश्चात् संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभों पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता है, परंतु व्यापारिक स्टॉक को अलग से बेचने पर इस पर होने वाले लाभ को व्यापार का लाभ माना जाएगा। वह व्यापार संपूर्ण वर्ष चलाना आवश्यक नहीं होता।
7. इस शीर्षक के अंतर्गत आय कर योग्य करने के लिए आवश्यक है कि गत वर्ष किसी भी समय व्यापार चलाया गया हो, संपूर्ण वर्ष व्यापार का चलाना आवश्यक नहीं है।
8. व्यापार के लाभकारक स्वामी पर कर लगता है न कि कानूनी स्वामी पर जैसे– बेनामी सौदा।
9. एकाकी व्यवहार के लाभों की गणना करते समय उस व्यवहार से संबंधित सभी व्ययों को घटा दिया जाता है, भले ही उसमें से कुछ व्यय लेखा वर्ष से पहले हुए हों।
10. इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सामान्य सिध्दांतों का पालन करना आवश्यक है ताकि वास्तविक लाभों की राशि ज्ञात की जा सके।
11. प्रतिभूतियों के व्यवसाय से आय।
12. अभिगोपन कमिशन।

13. **लेखांकन की पध्दतियाँ**— व्यवसाय के कर योग्य लाभों की गणना करने के लिए वाणिज्य के सिध्दांत तथा लेखांकन की विधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3.2.3 व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य न होने वाली आय या प्राप्तियाँ (Incomes or Receipts not Taxable under the Head)

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करते समय निम्नांकित आयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है—

1. व्यक्तिगत संबंधों के कारण प्राप्त भेंट अथवा उपहार प्राप्त कर्ता की कर योग्य आय नहीं होती है, इसलिए किसी भी शीर्षक में कर योग्य नहीं होती है।
2. आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नांकित आय कर मुक्त होती है—
   (a) कृषि आय
   (b) हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार के लाभों में प्राप्त हिस्सा
   (c) साझेदारी फर्म के लाभों में साझेदार को प्राप्त हिस्सा
   (d) कलाकारों को विशेष पुरस्कारों से प्राप्त राशि
   (e) धारा 10(a), 10(b) तथा 10(c) में वर्णित कर अवकाश वर्षों के लाभ
3. मकान किराए पर देने के व्यवसाय से होने वाले लाभ मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होते हैं, यदि करदाता अपने कर्मचारियों को अपनी मकान संपत्ति किराए पर देता है, तो ऐसे कर्मचारियों से प्राप्त किराया व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य होती है।
4. घुड—दौड़ हेतु घोड़े रखने के व्यवसाय से हुई आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है।
5. जुआ, लॉटरी, वर्ग—पहेली, ताश का खेल आदि क्रियायों से होनेवाली आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है, परंतु लॉटरी के टिकिट खरीद कर बेचने वालों की आय व्यवसाय या पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य होती है।

3.2.4 व्ययों के संबंध में स्वीकृत छूट (Allowable Deductions for Expenses) धारा 30

व्यवसाय में किए गए व्यय पूँजीगत हो सकते हैं अथवा आयगत व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित आयगत व्यय सामान्यतः स्वीकृत व्यय होते हैं, जबकि पूँजीगत व्ययों को कुछ परिस्थितियों में ही कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणी

इसी प्रकार हानियाँ भी आयगत तथा पूँजीगत होती हैं। आयगत हानियों की कटौती व्यापार अथवा पेशे के कर योग्य लाभों की गणना के लिए स्वीकृत की जाती है। व्ययों की कटौती संबंधी प्रावधानों को निम्नांकित पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है–

(i) संपत्तियों पर ह्रास की छूट (धारा 32)

(ii) पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु स्वीकृत व्यय–
- चाय, कॉफी एवं रबर विकास खाते की छूट
- स्थल प्रत्यावर्तन कोष की छूट

(iii) व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत व्यय

(iv) कटौती योग्य अन्य आय

(v) अस्वीकृत व्यय

3.2.5 व्यवसाय संचालन के लिए स्वीकृत व्यय धारा 30 से 36 (Deduction Allowable for Operating Expenses)

व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 30 से 36 के अंतर्गत कुछ व्ययों को स्पष्टतः कटौती योग्य घोषित किया गया है जो निम्न हैं–

1. भवन का किराया कर, दर, मरम्मत एवं बीमा व्यय (धारा 30) व्यवसाय अथवा पेशे के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले भवन के संबंध में किए गए निम्नांकित व्ययों की कटौती स्पष्टतः स्वीकृत है–
   - चालू मरम्मत के लिए किया गया व्यय
   - भू-लगान तथा सीनीय कर
   - बीमा प्रव्याजी
   - वास्तविक किराया
2. मशीनरी, संयंत्र तथा फर्निचर पर व्यय धारा 31
3. स्टॉक का बीमा प्रीमियम धारा 36(1)(i) तथा (i)(a)
4. कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम धारा 36(1)(i) तथा (i)(b)
5. कर्मचारियों को बोनस या कमिशन धारा 36(1)(ii)
6. उधार पूँजी पर ब्याज धारा 36(1)(iii)
7. कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखे गए अनुमोदित कोषों में अंशदान धारा 36(1)(iv) तथा (v)
8. शून्य कूपन बॉण्ड के निर्गम पर बट्टा की अनुपातिक आधार पर कटौती। धारा 36(1)(iii)(a)
9. कर्मचारियों में परिवार नियोजन प्रोत्साहित करने पर किए गए व्यय। यह व्यय केवल कंपनी करदाताओं के लिए ही स्वीकृत होता है। आयगत व्यय की

संपूर्ण राशि तथा पूँजीगत व्यय की 1/5 राशि प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों में स्वीकृत की जाती है धारा 36(1)(ix)

10. बैंक से नकद आहरण करने पर देय कर की कटौती
11. प्रतिभूति लेनदेन (STT) कर की कटौती
12. विभिन्न प्रकार के कोषों में कर्मचारियों द्वारा अंशदान
13. पशुओं के संबंध में हानि धारा 36(1)(vi)
14. डूबित ऋण धारा 36(1)(vii)

3.2.6 कटौती योग्य अन्य व्यय (Other Allowable Expenses)

निम्नांकित व्ययों की कटौती आवश्यक शर्तों के पूरी होने पर निर्धारित राशि तक स्वीकृत की जाती है–

1. **वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (धारा 35)**– करदाता द्वारा किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर लागत व्यय पूर्णतः स्वीकृत हैं तथा अनुमोदित अनुंसंधान संस्थान अथवा किसी विश्वविद्यालय को अनुसंधान करने हेतु दिए गए भुगतान के 150 प्रतिशत की कटौती स्वीकृत हैं।

   तथा

   अनुमोदित संसाधन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अथवा अन्य किसी संस्था को सामाजिक विज्ञान अथवा, सांख्यिकीय किसी विषय पर अनुसंधान के लिए शोधन की राशि की शत-प्रतिशत कटौती योग्य।

   तथा

   भूमि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त करदाता द्वारा अपने व्यापार के संबंध में अनुसंधान पर किए गए पूँजीगत व्यय की संपूर्ण राशि स्वीकृत है।

   अथवा

   करदाता द्वारा किसी अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशाला या मान्य विश्वविद्यालय अथवा भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) को भुगतान की राशि के 150 प्रतिशत कर योग्य होगी।

2. **एकस्व तथा कृति–स्वामित्व पर व्यय (धारा 35A)**– ऐसे व्यय के 14 समान किश्तों में 14 वर्ष लगातार पाँच वर्ष तक कटौती योग्य होगा।
3. दूर-संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के व्यय (धारा 35ABB)
4. विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर पूँजीगत व्ययों के संबंध में कटौती (धारा 35AD)
5. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संघों या संस्थाओं को भुगतान (धारा 35CCA)
6. कृषि परियोजना विस्तार पर व्यय (धारा 35CCC) परियोजना विस्तार व्यय राशि के 150 प्रतिशत कटौती प्राप्त होगी।

टिप्पणी

7. कौशल विकास परियोजना पर व्यय (धारा 35CCD) परियोजना व्यय राशि के 150 प्रतिशत कटौती प्राप्त होगी।
8. प्रारंभिक व्यय के संबंध में कटौती (कटौती 35D) एक भारतीय कंपनी अथवा अन्य किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रारंभिक व्यय के संबंध में व्यय के 1/5 हिस्से का प्रति वर्ष लगातार पाँच वर्ष तक कटौती योग्य होगा।
9. कंपनी एकीकरण या पृथक्कीकरण के मामले में व्ययों का परिशोधन (धारा 35DD) ऐसे व्यय के 1/5 हिस्से का प्रति वर्ष लगातार पाँच वर्ष तक कटौती योग्य होगा।
10. ऐच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत व्ययों का परिशोधन (धारा 35DDA) ऐसे व्यय के 1/5 हिस्से का प्रति वर्ष लगातार पाँच वर्ष तक कटौती योग्य होगा।
11. कुछ खनिजों की खोज आदि पर व्यय (धारा 35E) ऐसे व्यय के 1/10 हिस्से का प्रति वर्ष लगातार दस वर्ष तक कटौती योग्य होगा।
12. **डूबित ऋण**– डूबित ऋण की राशि संपूर्ण कटौती योग्य है। इसके लिए व्यापार शुरू रहना अनिवार्य है, बंद व्यापार के डूबित ऋण की कटौती नहीं मिलती।
13. **डूबित ऋण के लिए आयोजन**– बैंकिंग व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय को इस संबंध की कटौती प्राप्त नहीं होती–
    (i) भारतीय बैंकों की दशा में शहरी बैंकों के लिए आय के 8.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण बैंकों के लिए आय के 10 प्रतिशत तक कटौती प्राप्त होती है।
    (ii) विदेशी बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय निगम तथा राज्य औद्योगिक विनियोग निगम तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आय के 5 प्रतिशत।

    (**आय का अर्थ**– जिसमें धारा 80C से 80U की स्वीकृत कटौतियाँ तथा यह कटौती न घटी हो)
14. **विनिर्दिष्ट संस्था का विशेष संचयन**– मान्य व्यवसाय के लाभों के महत्तम 20 प्रतिशत के बराबर या वास्तविक, दोनों में से कम।
15. **पेंशन योजना में अंशदान**– नियोक्ता द्वारा पेंशन योजना में वेतन के (महंगाई भत्ते समेत अगर वह सेवा शर्तों में शामिल हो तो) महत्तम 10 प्रतिशत तक अंशदान अथवा वास्तविक या दोनों में से कम कटौती योग्य।
16. **अतिथि गृह**– अतिथि गृह के पूँजीगत व्यय छोड़कर आयगत व्यय कटौती योग्य।

3.2.7 स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय (Expenses Expressly Disallowed) धारा 40

टिप्पणी

आयकर अधिनियम की धारा 40 के अनुसार व्यापार अथवा पेश के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित व्ययों को नहीं घटाया जाता है—

1. तकनीकी सेवाओं के लिए भारत के बाहर देय या किसी अनिवासी को देय ब्याज, रॉयल्टी फीस धारा 40(a)(i), अगर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई हो तो।
2. किसी निवासी की दशा में स्त्रोत पर कर की कटौती के प्रावधानों का पालन धारा 40(a)(ia), अगर उद्गम स्थान पर नियम के अनुसार कर की कटौती नहीं की गई हो, तो व्यय के 30 प्रतिशत अस्वीकृत होगा।
3. व्यवसाय या पेशे के लाभों पर कर धारा 40(a)(iia), व्यवसाय या पेशे के लाभों पर आरोपित कोई कर या दर की राशि के लिए कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।
4. आयकर तथा धनकर की राशि का भुगतान तथा उन पर चुकाया गया अर्थदण्ड एवं ब्याज स्वीकृत नहीं।
5. राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी लाइसेंस फीस, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा प्रभार या अन्य कोई शुल्क या प्रभार की राशि जो राज्य सरकार किसी राज्य सरकार उपक्रम से लेती है।
6. भारत के बाहर देय वेतन जिस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई हो, धारा 40(a)(iii)।
7. कर्मचारियों के लिए रखे गए फण्ड आदि में अंशदान धारा 40(a)(iv) कर्मचारियों को भुगतान के पूर्व उद्गम स्थान पर कटौती नहीं करने पर अस्वीकृत।
8. स्वयं पर पूँजी पर ब्याज।
9. स्वयं स्वेच्छा से करदाता कर्मचारियों के अनुलाभों पर आयकर का शोधन करता है, धारा 40(a)(v)।
10. फर्म के साझेदार को 12 प्रतिशत से अधिक दर से साझेदार के ऋण पर दिया गया ब्याज धारा 40(b), अगर संबंधित ब्याज के शोधन का उल्लेख भागिता करार में हो, तो उसकी कटौती मिलेगी अन्यथा नहीं।

    फर्म द्वारा सक्रिय साझेदार को दिया गया वेतन, बोनस अथवा पारिश्रमिक अस्वीकृत होगा। सक्रिय साझेदार को वेतन आदि की कटौती तभी प्राप्त होगी, जब संबंधित उल्लेख भागिता करार में हो।
11. रिश्तेदारों को अत्यधिक शोधन।
12. किसी व्यय के भुगतान के संबंध में एक दिन में रु 10,000 से अधिक रोख शोधन अस्वीकृत। अगर वह शोधन वाहनों के चलाने, किराए पर देने के

टिप्पणी

संबंध में किया गया है, तो उस भुगतान के संबंध में एक दिन में रु 35,000 से अधिक रोख शोधन अस्वीकृत।

13. ग्रैच्युइटी के लिए आयोजन अस्वीकृत।
14. प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए व्यय।
15. कोई व्यय जो व्यापार से संबंधित न हो।
16. लाभ-हानि खाते में दर्ज पुरानी हानियाँ।
17. ख्याति प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान।

3.2.8 कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय एवं भुगतान (Expenses and Payment not Deductable in Certain Circumstances)

1. विशिष्ट व्यक्तियों को भुगतान धारा 40A(2)– रिश्तेदार आदि को बाजार भाव से अधिक भुगतान कटौती योग्य नहीं।
2. रु 20,000 से अधिक राशि के भुगतान के संबंध में धारा 40A(3)।
3. ग्रैच्युइटी के लिए आयोजन धारा 40A(7)।
4. गैर मान्यता प्राप्त कुछ कोषों में नियोक्ता का अंशदान या भुगतान धारा 40A(9)।
5. कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व पर किए गए व्यय।

3.2.9 अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान (Other Important Provisions)

1. लेखा-पुस्तकों की अनिवार्यता धारा 44AA के अनुसार निम्न प्रकार के व्यवसायियों के लिए लेखा-पुस्तकें रखना अनिवार्य है–

   (a) **विनिर्दिष्ट पेशेवर व्यक्तियों के लिए–** वकालत, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, शिल्पकला, लेखाकर्म, तकनीकी, परामर्श, आंतरिक साज-सज्जा अथवा बोर्ड द्वारा अधिसूचित अन्य किसी पेशे में लगे हुए व्यक्ति के लिए पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों का रखना आवश्यक है, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के अनुसार उनकी कुल आय की गणना कर सके। धारा 44 AA(1)।

   (b) विशिष्ट पेशा करने वाले ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी पिछले तीन गत वर्षों में किसी भी वर्ष में, पेशे से सकल प्राप्तियाँ रु 1,50,000 से अधिक थीं, अथवा नए स्थापित पेशे की दशा में ऐसे पेशे से सकल प्राप्तियाँ रु 1,50,000 से अधिक होने की संभावना है, तो निर्धारित खाता पुस्तकें तथा प्रपत्र रखने होंगे। ऐसे व्यक्ति को निम्न खाता पुस्तकें तथा प्रपत्र रखने होंगे–

   - रोकड़ पुस्तक
   - पूँजी (यदि खाता पुस्तकें व्यापारिक पद्धति से रखी जाती हैं।)
   - खतावनी

टिप्पणी

- रु 25 से अधिक के बिल की कार्बन प्रति
- प्राप्त मूल बिजक
- रु 50 अधिक के खर्च की रसीदें

2. अन्य गैर-निर्दिष्ट पेशेवर व्यक्तियों के लिए—
   (a) गत वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे की आय निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए रु 2,50,000 से अधिक रही हो।

   अथवा

   (b) उसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ रु 25,00,000 से अधिक रही हों।
   (c) यदि वह व्यवसाय या पेशा गत वर्ष में नया स्थापित किया हुआ हो, तो उस व्यक्ति की ऐसे व्यवसाय या पेशे से आय अथवा उसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ उपर्युक्त सीमाओं से अधिक होने की संभावना हो।
3. यदि व्यवसाय या पेशे के लाभों को धारा 44AD या 44AE या 44ADA या 44BBB के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक करदाता के लाभ मान लिया गया हो तथा वह करदाता यह दावा करे कि उस गत वर्ष में उसकी आय इस प्रकार माने गए लाभों से कम है। बोर्ड किसी भी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय या पेशे की प्रकृति को देखते हुए उस व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली लेखा-पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों को निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इनमें रखा जाने वाला विवरण, इनके रखे जाने की विधि एवं प्रारूप इनका रखे जाने का स्थान तथा इनको रखे जाने की अवधि भी निर्धारित कर सकता है। धारा 44AA(3) तथा (4)।

3.2.10 लेखा-पुस्तकों के अंकेक्षण की अनिवार्यता धारा 44AB (Compulsory Audit of Books of Account Section 44AB)

निम्न परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है—

(i) यदि वह व्यक्ति व्यवसाय में सलंग्न है तथा किसी भी गत वर्ष में उसकी कुल बिक्री अथवा आवर्त अथवा सकल प्राप्तियाँ 1 करोड़ रुपए से अधिक हों। यदि पात्र व्यवसाय का लाभ धारा 44AD के अनुसार अनुमानित आय के आधार ज्ञात किए जाते हैं, तो उसकी गत वर्ष की कुल बिक्री 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, तो अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं।

(ii) पेशा करने वाले व्यक्ति जिनकी गत वर्ष में आय तथा कुल प्राप्तियाँ 50 लाख रुपए से अधिक हों, तो उन्हें अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है।

(iii) यदि व्यवसाय या पेशे के लाभों को धारा 44AD या 44ADA तथा 44AE के अनुसार करदाता इन धाराओं में उल्लेखित व्यापार एवं पेशे के लाभ इन धाराओं के अंतर्गत माने गए लाभों से कम होने का दावा करता है, तो ऐसे करदाता को अपने लेखा-पुस्तकों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है।

3.2.11 स्टॉक का मूल्यांकन धारा 145A (Valuation of Stock Section 145A)

आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी की सहमति के बिना स्टॉक मूल्यांकन पध्दति में बदलाव नहीं किया जा सकता। सामान्य नियम के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन बाजारमूल्य तथा पुस्तकी मूल्य इनमें से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

3.2.12 व्यवसाय अथवा पेशे के कर योग्य लाभों की गणना (Computation Table of Profits from Business or Profession)

1. **गत वर्ष (Previous Year)**– पुराने व्यापार के लिए 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक तथा नए व्यापार के लिए उसकी स्थापना से आगामी 31 मार्च तक।
2. **अंतिम खाते (Final Accounts)**– व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में सकल प्राप्तियों पर कर नहीं लगाया जाता है, किंतु शुद्ध लाभों पर कर लगाया जाता है। कर योग्य लाभों की गणना निम्नांकित खातों की सहायता से की जाती है–
   (i) **लाभ-हानि खाता**– यह खाता व्यापारिक एवं निर्माण संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है।
   (ii) **आय-व्यय खाता**– यह खाता पेशेवर व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है।
   (iii) **प्राप्ति एवं भुगतान खाता**– यह खाता नकद लेनदेनों का सारांश होता है तथा पेशेवर व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है।
3. खातों में आयकर की दृष्टि से संशोधन।

3.2.13 ह्रास की दर (Rate of Depreciation)

सारणी क्र. 3.2: कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए ह्रास की दर सारणी

खण्ड	संपत्ति के प्रकार	अपलिखित मूल्य पर ह्रास की दर 1/4/2017 से प्रभावित
	1. मृत संपत्ति–	
	(a) भवन	
खण्ड–1	मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाला भवन (होटल तथा छात्रावास के भवनों को छोड़कर)	5%
खण्ड–2	मुख्यतः रहने के प्रयोग में नहीं आने वाले भवन ऊपर उपवाक्य– (1) तथा नीचे उपवाक्य (2) को छोड़कर	10%
खण्ड–3	(i) जलापूर्ति परियोजनाओं या जल शुध्दिकरण प्रणाली में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीन लगाने के लिए प्रयुक्त भवन जो 1 सितंबर 2002 या इसके पश्चात् क्रय किया गया हो तथा जो आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के व्यवसाय हेतु प्रयुक्त हो।	40%
	(ii) पूर्णतया अस्थायी निर्माण, जैसे लकड़ी का ढाँचा	
	(b) फर्निचार एवं फिटिंग	
खण्ड–1	फर्निचर एवं फिटिंग्स के लिए केवल एक खण्ड है। इसमें बिजली की फिटिंग्स जैसे– बिजली का तार, बटन, अन्य सामान तथा पंखे आदि सम्मिलित हैं।	10%
	(c) मशीनरी एवं प्लाण्ट	
खण्ड–1	(i) सामान्य दर– प्लांट या मशीन के लिए विशेष दर नहीं दी गई हो, तो ह्रास की सामान्य दर	15%
	(ii) विशेष दर– मोटर कार जिसे किराए पर नहीं चलाया जाता हो तथा गैर-पेशेवार करदाता के लिए कार्यालय में काम में आनेवाली पुस्तकें	15%
	(iii) मोटर बस, मोटर लॉरी तथा मोटर कार जो किराए पर चलाई जाती है।	30%
	(iv) हवाई जहाज तथा हवाई इंजन	40%
	(v) पेशे के लिए पुस्तकें जिनका वार्षिक प्रकाशन होता है तथा अन्य पुस्तकें	40%
	(vi) कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेअर	40%
	(vii) प्रदूषण नियंत्रण तथा वातावरण संरक्षण यंत्र	40%

टिप्पणी

	(viii) जीवन-रक्षक चिकित्सीय उपकरण	40%
	(ix) अक्षय ऊर्जा यंत्र	40%
	(d) जहाज	
खण्ड–1	(i) समुद्र में चलने वाला जहाज	25%
	(ii) आंतरिक पानी पर चलने वाला जहाज तथा स्पीड बोट	20%
	2. अमृत संपत्ति– तकनीकी ज्ञान, एकस्व, प्रतिलिपिधिकार, ट्रेड मार्क, विशेषाधिकार, अन्य व्यवसायिक या व्यापारिक अधिकार, जो इसी प्रकृति के हों आदि जिन्हें 31 मार्च 1998 के पश्चात् प्राप्त किया गया हो।	25%

ऱ्हास के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ

- निर्माण या उत्पादन कार्य के लिए उत्पादक नई मशीन अथवा प्लांट खरीदता है, तो 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ऱ्हास स्वीकृत होगा। (अगर यह मशीन या प्लांट गत वर्ष में प्राप्त 180 दिनों से कम समय के लिए हो तो 10 प्रतिशत से अतिरक्त ऱ्हास प्राप्त होगा।)
- 31/3/2015 के पश्चात् उद्यमी अपना निर्माण या उत्पादन आंध्र प्रदेश, बिहार तथा तेलंगना राज्य में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में करता हो, तो अतिरिक्त ऱ्हास 35 प्रतिशत दर से होगा। (अगर यह मशीन या प्लांट गत वर्ष में प्राप्त 180 दिनों से कम समय के लिए हो, तो 17.5 प्रतिशत से अतिरक्त ऱ्हास प्राप्त होगा।)

3.2.14 व्यवसाय के अथवा पेशे के कर योग्य लाभ की गणना सारणी (Computation of Profit from Business and Profession)

3.2.14.1 संशोधित लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते का प्रारूप (Proforma of Revised Profit & Loss Account or Income & Expenditure Account)

सारणी क्र. 3.3

विवरण	राशि	राशि
लाभालाभ लेखानुसार लाभ तथा आय-व्यय लेखानुसार अधिशेष		XXX
(+) लाभालाभ लेखा के अनुसार तथा आय-व्यय लेखे के अनुसार जो खर्च विकलित (डेबिट) किए गए हैं, जो अमान्य तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ लेखे में तथा आय-व्यय लेखे में दर्ज नहीं तथा अस्पष्टीकृत आय–		
1. व्यक्तिगत खर्च	XXX	
2. आयकर	XXX	

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

3. पूँजी खर्च	XXX	
4. संचिती को स्थानांतरण	XXX	
5. अमान्य खर्च	XXX	
6. अंतिम स्टॉक का कम मूल्यांकन अथवा प्रारंभिक स्टॉक का अधिक मूल्यांकन	XXX	
7. गत वर्ष के संबंधित जो खर्च नहीं है	XXX	
8. हानियाँ जो अस्वीकृत है, लेकिन जिन्हें गत वर्ष के लाभालाभ लेखा में डेबिट किया है। आदि	XXX	
9. अस्पष्टीकृत आय	XXX	
		(+) XXX
(–) लाभालाभ लेखानुसार तथा आय-व्यय लेखे के अनुसार जो खर्च विकलित नहीं किए गए हैं, किंतु मान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ तथा आय-व्यय लेखे में दर्ज हैं, लेकिन उनका समावेश इस शीर्षक में नहीं होता है–		XXX
1. स्वीकृत व्यय जो लाभ-हानि खाते अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट अथवा दर्ज़ नहीं हैं।	XXX	
2. स्वीकृत हानियाँ जो लाभ-हानि खाते में अथवा आय-व्यय खाते में डेबिट नहीं किए गए है अथवा दर्ज़ नहीं हैं।	XXX	
3. ऐसी आय जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं, लेकिन जो लाभ-हानि खाते में तथा आय-व्यय खाते में क्रेडिट अथवा दर्ज है।	XXX	
4. ऐसी प्राप्तियाँ जो पूर्णतः कर मुक्त हैं, लेकिन उन्हें लाभ-हानि खातों में क्रेडिट की गई है अथवा दर्ज़ है।	XXX	
5. अंतिम स्टॉक का अधिक मूल्यांकन अथवा प्रारंभिक स्टॉक का कम मूल्यांकन।	XXX	
		(–) XXX
व्यवसाय तथा पेशे से कर योग्य आय		XXX

सूचना: यदि हानि हो, तो ऋणात्मक (–) तथा लाभ हो, तो धनात्मक (+)।

3.2.14.2 प्राप्ति अथवा भुगतान लेखा के आधार पर कर योग्य आय की गणना प्रारूप (Computation of Taxable Profits from Business or Profession for the Assessment Year….)

सारणी क्र. 3.4

विवरण	राशि	राशि
पेशे या व्यवसाय से सकल प्राप्तियाँ–		
1.	XXX	
2.	XXX	
3.	XXX	
4.	XXX	
		XXX
घटाएँ: पेशे या व्यवसाय से संबंधित मान्य खर्च–		
1.	XXX	
2.	XXX	
3.	XXX	
4.	XXX	
		(–) XXX
पेशे या व्यवसाय से लाभ		XXX

3.2.15 व्यवहारिक प्रश्न (Practical Problems)

उदा. 1: निम्न मद भारतीय आय कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्वीकृत है या नहीं, सकारण स्पष्ट करें–

(i) साइन बोर्ड की लागत

(ii) स्टॉक के अग्नि बीमा प्रव्याजी का शोधन

(iii) व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ चलाए गए दावे का व्यय।

(iv) व्यापार का कमिशन।

(v) अधिविकर्ष पर ब्याज का शोधन।

(vi) मनोरंजन व्यय का शोधन।

(vii) कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु किए गए पूँजीगत व्यय।

(viii) नया टेलिफोन लगवाने में व्यय।

(ix) कर्मचारी द्वारा किया गया गबन।

(x) कारखाने के एक कर्मचारी की विधवा तथा बच्चों को स्वेच्छा से दी गई पेंशन।

टिप्पणी

(xi) पूँजी प्राप्त करने के लिए, लिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज।

(xii) राजनीतिक पार्टी को दान।

(xiii) नया साझेदारी प्रलेख तैयार करने के लिए वकील को दी गई फीस।

(xiv) हड़ताल को वापस लेने के लिए श्रमिक संघ के नेता को दी गई रिश्वत।

(xv) करदाता के पुत्र को कार्यालय में कार्य करने के बदले में दिया गया उचित वेतन।

(xvi) अतिरिक्त कार्य करने के लिए साझेदार को बोनस।

(xvii) पत्नि से लिए गए ऋण पर ब्याज का शोधन

(xviii) डॉक्टर द्वारा अपने मरीजों के लाभ के लिए मासिक पत्रिका के चंदे का शोधन।

(xix) कार्यालय में कम्प्यूटर, वातानुकुलन यंत्र (एसी), फिक्चर्स आदि की मरम्मत पर खर्च।

(xx) गत वर्ष शाखा बंद होने के बाद उसके संबंध में किए गए व्यय।

उत्तरः

(i) साइन बोर्ड की लागत— साइन बोर्ड का लागत खर्च, यह पूँजीगत व्यय है। उसमें से आयगत व्यय समझकर नियमानुसार अपलेखित किया जाएगा।

(ii) स्टॉक के अग्नि बीमा प्रव्याजी का शोधन— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

(iii) व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ चलाए गए दावे का व्यय— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

(iv) व्यापार का कमिशन— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

(v) अधिविकर्ष पर ब्याज का शोधन— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

(vi) मनोरंजन व्यय का शोधन— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

(vii) कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु किए गए पूँजीगत व्यय— यह कटौती केवल कंपनी करदाता को स्वीकृत है।

आयगत व्यय हो तो उसी गत वर्ष में कटौती योग्य होगा।

यदि पूँजीगत व्यय है, तो पाँच समान किश्तों में पाँच वर्ष तक स्वीकृत होगा। (पूँजीगत व्यय के 20 प्रतिशत)

(viii) नया टेलिफोन लगवाने में व्यय— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

टिप्पणी

(ix) **कर्मचारी द्वारा किया गया गबन**— यह हानि पूर्णतः आयगत हानि है, इसलिए कर्मचारी द्वारा किए गए गबन की हानि पूर्णतः स्वीकृत है।

(x) **कारखाने के एक कर्मचारी की विधवा तथा बच्चों को स्वेच्छा से दी गई पेंशन**— यह भुगतान करदाता द्वारा अनिवार्य नहीं है, इसलिए अस्वीकृत है।

(xi) **पूँजी प्राप्त करने के लिए, लिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज**— यह खर्च पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए पूर्ण भुगतान राशि स्वीकृत है।

(xii) **राजनीतिक पार्टी को दान**— यह व्यवसायिक खर्च नहीं है, इसलिए इस खर्च की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन धारा 80GGC के अंतर्गत सकल आय में से कटौती प्राप्त होगी।

(xiii) **नया साझेदारी प्रलेख तैयार करने के लिए वकील को दी गई फीस**— यह खर्च पूर्णतः स्वीकृत है। (धारा 37 के अनुसार)

(xiv) **हड़ताल को वापस लेने के लिए श्रमिक संघ के नेता को दी गई रिश्वत**— यह व्यवसायिक खर्च नहीं है, इसलिए अस्वीकृत।

(xv) **करदाता के पुत्र को कार्यालय में कार्य करने के बदले में दिया गया उचित वेतन**— यह राशि उचित शोधन होने के कारण स्वीकृत आय गत व्यय है।

(xvi) **अतिरिक्त कार्य करने के लिए साझेदार को बोनस**— यह खर्च उसी समय स्वीकृत होगा, जब इस संबंध में साझेदारी प्रलेख में उसका उल्लेख हो।

(xvii) **पत्नि से लिए गए ऋण पर ब्याज का शोधन**— पूर्णतः कटौती योग्य है।

(xviii) **डॉक्टर द्वारा अपने मरीजों के लाभ के लिए मासिक पत्रिका के चंदे का शोधन**— यह पेशे के संबंध में है, इसलिए स्वीकृत व्यय है।

(xix) **कार्यालय में कम्प्यूटर, वातानुकुलन यंत्र (एसी), फिक्चर्स आदि की मरम्मत पर खर्च**— व्यवसाय तथा पेशे के संचालन संबंधी होने के कारण आयगत व्यय होगा, इसलिए स्वीकृत।

(xx) **गत वर्ष में शाखा बंद होने के बाद उसके संबंध में किए गए व्यय**— शाखा बंद होना यानि व्यापार बंद होना नहीं, इसलिए खर्च स्वीकृत।

उदा. 2: निम्नलिखित व्यय तथा हानि को व्यापार या पेशे से आय की गणना में स्वीकृत किया जाएगा अथवा नहीं, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए—

(i) बैंक में कैश जमा करने के लिए जाते समय कैशियर से हजार रूपए की राशि लुटेरों ने छीन ली।

(ii) एक कर्मचारी को समय से पूर्व सेवा समाप्ति पर दी गई क्षतिपूर्ति की राशि।

(iii) सीमा अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित माल के आयात करने पर लगाया गया जुर्माना।

टिप्पणी

(iv) इमारत निर्माण पर किया गया व्यय।

(v) तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गत वर्ष एकमुश्त राशि का शोधन।

(vi) गत वर्ष आयकर निर्धारण संबंधी संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पर किया गया खर्च।

उत्तरः

(i) बैंक में कैश जमा करने के लिए जाते समय कैशियर से हजार रूपए की राशि लुटेरों ने छीन ली– आयगत हानि है, क्योंकि कर्मचारी अपने कार्य का निर्वहन करते समय हुई है, इसलिए यह हानि पूर्णतः स्वीकृत है।

(ii) एक कर्मचारी को समय से पूर्व सेवा समाप्ति पर दी गई क्षतिपूर्ति की राशि– यह पूर्णतः आयगत व्यय है, इसलिए स्वीकृत।

(iii) सीमा अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित माल के आयात करने लगाया गया जुर्माना– यह पूर्णतः अस्वीकृत है, क्योंकि प्रतिबंधित आयात के संबंध में है।

(iv) इमारत निर्माण पर किया गया व्यय– यह पूँजीगत व्यय है। इस पर ऱ्हास स्वीकृत होगा।

(v) तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गत वर्ष एकमुश्त राशि का शोधन– धारा 32(1) के अनुसार तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भुगतान की एकमुश्त राशि के 25 प्रतिशत दर से अपलेखन स्वीकृत।

(vi) गत वर्ष आयकर निर्धारण संबंधी संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पर किया गया खर्च– यह खर्च पूर्णतः स्वीकृत, क्योंकि सामान्य खर्च है।

उदा. 3: श्री. आलोकनाथ एक व्यापार के मालिक हैं, उनका 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्न है:

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रतिस्थापना व्यय	9,600	सकल लाभ	7,01,680
किराया, दर एवं कर	5,800	सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त सकल ब्याज	10,800
सामान्य व्यय	1,500	संपत्ति से प्राप्त किराया	10,800
घरेलू व्यय	1,03,460		
कमिशन	3,000		
छूट	9,00		
संदिग्ध ऋणार्ध संचिती	2,400		
डाक खर्च	540		
कानूनी खर्च	900		
विज्ञापन	3,100		
अग्नि बीमा प्रव्याजी (स्टॉक)	720		
जी.एस.टी.	2,900		

टिप्पणी

मरम्मत एवं नवीनीकरण (निजी निवास के संबंध में)	1,260		
मोटर कार बिक्री पर हानि (निजी संपत्ति)	3,600		
जीवन बीमा प्रव्याजी (आलोकनाथ के स्वयं के जीवन पर)	3,580		
पूँजी पर ब्याज	2,180		
अंकेक्षक को फीस का भुगतान	600		
अधिकोष ऋण पर ब्याज	2,760		
ऱ्हास के लिए प्रयोजन	5,000		
आयकर के लिए प्रयोजन	7,800		
शुध्द लाभ (पूँजी खाते में हस्तांतरित)	5,61,680		
	7,23,280		7,23,280

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) गत वर्ष वास्तविक डूबित ऋण रु 550 था।

(ii) गत वर्ष आयकर का भुगतान रु 4,200 किया।

(iii) आयकर अधिनियमानुसार स्वीकृत ऱ्हास रु 3,400।

(iv) विज्ञापन में रु 1,100, नई शाखा खालेने के संबंध में किए गए विशेष अभियाने से संबंधित है।

(v) कानूनी व्यय व्यापार चिन्ह बचाने के संबंध में है।

(vi) श्री. आलोकनाथ अपना व्यापार संचालित करते हैं, उस भवन का आधा हिस्सा वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करते हैं। किराए की राशि रु 4,800 किराए में सम्मिलित है।

उत्तरः श्री. आलोकनाथ की व्यवसाय से कर योग्य आय गणनाः

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		5,61,680
जोड़ो (+) लाभ-लाभ लेखा के अनुसार जो खर्च विकलित (डेबिट) किए गए हैं, जो अमान्य है तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ लेखे में दर्ज नहीं हैं तथा अस्पष्टीकृत आय।		
+ किराया दर एवं कर (किराए के भवन का आधा हिस्सा करदाता द्वारा अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है)		
4,800 × हिस्सा = 2,400 व्यक्तिगत खर्च है। इसलिए अस्वीकृत	2,400	
+ घरेलू खर्च = 2,400 व्यक्तिगत खर्च है, इसलिए अस्वीकृत	1,03,460	
+ डूबित ऋण के लिए प्रयोजन अस्वीकृत व्यय	2,400	

टिप्पणी

+ मोटर कार बिक्री पर हानि जो निजी प्रयोग में थी, वह व्यवसाय से संबंधित नहीं है, इसलिए अस्वीकृत	3,600	
+ मरम्मत एवं नवीनीकरण जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है, इसलिए अस्वीकृत व्यय	1,260	
+ आलोकनाथ के जीवन बीमा प्रव्याजी का शोधन व्यक्तिगत खर्च है, इसलिए अस्वीकृत व्यय	3,580	
+ पूँजी पर ब्याज अस्वीकृत व्यय	2,180	
+ ऱ्हास का प्रयोजनः लाभ-हानि लेखा के अनुसार	5,000	
+ आयकर का प्रयोजन अस्वीकृत	7,800	
		(+) 1,31,680
		6,93,360
घटाएँ (–) लाभालाभ लेखोनुसार तथा आय-व्यय लेखे के अनुसार जो खर्च विकलित नहीं किए गए हैं, किंतु मान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ में दर्ज हैं, लेकिन उनका समावेश इस शीर्षक में नहीं होता है।		
+ वास्तविक डूबित कर्ज़ स्वीकृत हानि है	1,100	
+ आयकर नियम के अनुसार स्वीकृत ऱ्हास	3,400	
+ सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज (इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं)	10,800	
+ मकान संपत्ति से आय (इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं)	10,800	
		(–) 26,100
व्यवसाय से कर योग्य आय		6,27,260

उदा. 4: श्री. मुरली प्रसाद जो एक व्यवसाय के मालिक है, उनका लाभ-हानि लेखा निम्न है, उस आधार पर व्यापार व पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय का आगणना कीजिए।

लाभ-हानि खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

विवरण	राशि	विवरण	राशि
वेतन	83,000	सकल लाभ	7,05,000
स्वामी का वेतन	10,000	प्राप्त किराया	50,000
बीमा एवं कर	5,200	अधिकोष से प्राप्त ब्याज	10,000
विज्ञापन	1,05,000	डूबित ऋण वसूल (3000 जो पूर्व में अमान्य थे)	5,000
बिजली व्यय	11,100	निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त	37,500

टिप्पणी

वारंटी के अंतर्गत वस्तुओं के दावों पर खर्च	7,500		
जीवन बीमा प्रव्याजी का भुगतान	3,200		
अशोध्य ऋण	2,500		
अशोध्य ऋण संचय का प्रयोजन	3,000		
ऋण पर ब्याज	16,000		
पूँजी पर ब्याज	8,000		
जी.एस.टी. नियम के उल्लंघन पर अर्थदंड	5,000		
ऱ्हास	18,000		
शुद्ध लाभ पूँजी खाते को स्थानांतरित	5,30,000		
	8,07,500		8,07,500

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) गत वर्ष के अंतिम विज्ञापन के लिए खर्च किया गया जिसमें नगद भुगतान रु 25,000 का समावेश था।

(ii) गत वर्ष विक्रय के लक्ष्य को पूरा करने के पश्चात् रु 45,000 मोटर साइकिल उपहार में प्राप्त हुई।

(iii) आयकर अधिनियमानुसार स्वीकृत ऱ्हास रु 15,300।

(vi) कर निर्धारण अधिकारी को रु 1,00,000 का सोना किस स्त्रोत से खरीदा गया, इस संबंध में करदाता से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

(v) वर्ष के अंतिम दिन कैशियर द्वारा रु 200 नकद गबन।

उत्तरः श्री. मुरली प्रसाद की व्यवसाय से कर योग्य आय गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		5,30,000
जोड़ो (+) लाभालाभ लेखा के अनुसार जो खर्च विकलित (डेबिट) किए गए हैं, जो अमान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ लेखे में दर्ज नहीं हैं तथा अस्पष्टीकृत व्यय		
व्यवसाय स्वामी का वेतन अस्वीकृत खर्च	10,000	
+ व्यवसाय स्वामी का जीवन बीमा प्रव्याजी का भुगतान, व्यक्तिगत खर्च, इसलिए अस्वीकृत	3,200	
+ डूबित ऋण के लिए प्रयोजन अस्वीकृत व्यय	3,000	
+ पूँजी पर ब्याज	8,000	
+ जी.एस.टी. पर अर्थदंड अस्वीकृत व्यय	5,000	
+ लाभालाभ लेखा के अनुसार ऱ्हास	18,000	
+ विज्ञापन एकमुश्त 25,000 का शोधन अमान्य, क्योंकि 10 हजार रुपए से अधिक का शोधन शतप्रतिशत अमान्य है।	25,000	

+ अस्पष्टीकृत आय	1,00,000	
+ विक्रय लक्ष्य पूर्ण करने पर प्राप्त उपहार का मूल्य	45,000	
		(+) 2,17,200
		7,47,200
घटाएँ (–) लाभालाभ लेखा नुसार तथा आय-व्यय लेखे के अनुसार जो खर्च विकलित नहीं किए गए हैं, किंतु मान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ लेखे में दर्ज है, लेकिन उनका समावेष इस शीर्षक में नहीं होता है।		
+ आयकर नियम के अनुसार स्वीकृत ऱ्हास	15,300	
+ नगद राशि में गबन अस्वीकृत	200	
+ गत वर्ष का अस्वीकृत डूबित ऋण वसूल	3,000	
+ अधिकोष से प्राप्त ब्याज (इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं)	10,000	
+ मकान संपत्ति से आय (इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं)	50,000	
		(–) 78,500
व्यवसाय से कर योग्य आय		6,68,500

उदा. 5: श्री. वीरेंद्र सेहवाग जो एक व्यवसाय के मालिक हैं, उनका व्यापार तथा लाभ-हानि लेखा निम्न है, उस आधार पर व्यापार व पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय का आगणन कीजिए।

व्यापार तथा लाभ-हानि खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारंभिक रहतियाँ	10,75,000	विक्रय	1,20,60,000
खरीदी / क्रय	84,50,100	अंतिम रहतियाँ	6,65,000
आगत वाहन व्यय	72,500		
सकल लाभ	31,27,400		
	1,27,25,000		1,27,25,000
वेतन	5,60,000	सकल लाभ	31,27,400
किराया	14,00,000	बहन से प्राप्त उपहार	15,000
ब्याज	3,25,000	चिट फंड से लाभ व्यवसाय की निधि से	45,000
अशोध्य ऋण	16,000	अशोध्य ऋण की वसूली	6,000

टिप्पणी

विज्ञापन	75,000	कमिशन	21,000
सामान्य व्यय	1,50,000		
भवन की मरम्मत	17,800		
बाढ़ से रहतियाँ की हानि	15,000		
ख्याति प्रयुक्त करने के लिए दिया गया भुगतान	20,000		
शुद्ध लाभ पूँजी खाते को स्थानांतरित	6,35,600		
	32,14,400		32,14,400

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) व्यवसाय भवन का किराया प्रति माह रु 1,00,000 है। करार के तहत् भवन की मरम्मत का खर्च भवन स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) आगत वाहन व्यय में 1 हजार रुपए देरी से माल उठाने के संबंध में जुर्माना।

(iii) करदाता को रु 60 हजार का ऱ्हास आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकृत है।

(iv) प्रारंभिक तथा अंतिम रहतियों का वास्तविक मूल्यांकन क्रमशः 11 लाख तथा 7 लाख 25 हजार रुपए है।

(v) ब्याज के शोधन के संबंध में जानकारी निम्न है–

- क्रियाशील पूँजी के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज रु 1,17,000।
- व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज रु 50,000।

(vi) सामान्य व्यय में निम्न खर्चों का समावेश है–

- दीवानी मामले के संबंध में कानूनी खर्च 18,000 जिसका निर्णय करदाता के पक्ष में लगा।
- दीवानी मामले के संबंध में कानूनी खर्च 25,000 जिसका निर्णय करदाता के पक्ष में लगा।

(vii) वेतन में 80 हजार रु वेतन का भुगतान निकटतम रिश्तेदारों को दिया गया है जो सामन्य शोधन से 25 प्रतिशत है।

(viii) वसूल किए गए अशुद्ध ऋण रु 5,000 में रु 1,000 ब्याज का समावेश है।

(ix) 17 दिसंबर को व्यापारी वस्तु की गाड़ी किराया रु 30,000 का नगद शोधन।

टिप्पणी

उत्तर: श्री. वीरेंद्र सेहवाग की व्यवसाय से कर योग्य आय गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		6,35,600
जोड़ो (+) लाभालाभ लेखा के अनुसार जो खर्च विकलित (डेबिट) किए गए हैं, जो अमान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ लेखे में दर्ज नहीं हैं तथा अस्पष्टीकृत आय।		
व्यवसाय भवन का अधिक दिया हुआ किराया (14,00,000 – 12,00,000)	2,00,000	
+ व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज का शोधन अस्वीकृत	50,000	
+ डूबित ऋण वसूल	16,000	
+ भवन की मरम्मत (मरम्मत खर्च मालिक द्वारा वहन किया जाता है) इसलिए अस्वीकृत	17,800	
+ निकटतम रिश्तेदारों को वेतन में 25 प्रतिशत अधिक शोधन (80,000 × 25 125)	20,000	
+ अंतिम रहतियाँ का कम मूल्यांकन	60,000	
		(+) 3,63,800
		9,99,400
घटाएँ (–) लाभालाभ लेखानुसार तथा आय-व्यय लेखे के अनुसार जो खर्च विकलित नहीं किए गए हैं, किंतु मान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो लाभालाभ तथा आय-व्यय लेखे में दर्ज हैं, लेकिन उनका समावेश इस शीर्षक में नहीं होता है।		
+ आयकर नियम के अनुसार स्वीकृत न्हास	60,000	
+ बहन से प्राप्त उपहार व्यक्तिगत प्राप्ति	15,000	
+ प्रारंभिक रहतियाँ का अधिमूल्यांकन	25,000	
		(–) 1,00,000
व्यवसाय से कर योग्य आय		8,99,400

क्रियाशील टिप्पणी

1. प्रयुक्त ख्याति के लिए शोधन स्वीकृत खर्च है।
2. बहन से प्राप्त उपहार व्यक्तिगत प्राप्ति है।
3. भवन मरम्मत मालिक द्वारा वहन की जाती है, इसलिए अस्वीकृत।
4. आगत वाहन व्यय में 1 हजार रूपए देरी से माल उठाने के संबंध में जुर्माना स्वीकृत है, क्योंकि उसका संबंध व्यवसाय संचालन के संबंध में है।
5. व्यक्तिगत प्रयोग हेतु लिए गए कर्ज पर ब्याज अस्वीकृत है।

टिप्पणी

6. निकटतम रिश्तेदार को सामान्य वेतन से अधिक शोधन रु 20,000 अस्वीकृत है।
7. डूबित ऋण वसूली में ब्याज का समावेश है, जो स्वीकृत प्राप्ति है।
8. आगत वाहन व्यय का शोधन रु 30,000 स्वीकृत है, क्योंकि ऐसे एकमुश्त शोधन की राशि रु 35,000 तक महत्तम स्वीकृत होती है।

उदा. 6: श्री. प्रवीण गांधी, यवतमाल जो सनदी लेखापाल है, उन्होंने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित आय-व्यय खाता बनाया है–

आय-व्यय खाता 31 मार्च 2019
को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	राशि	आय	राशि
कार्यालय व्यय	20,000	अंकेक्षण शुल्क	7,41,000
कर्मचारी वेतन	10,000	जीजाजी से प्राप्त उपहार	10,100
किताबें (वार्षिक प्रकाशन के अतिरिक्त)	1,000	प्राप्त लाभांश	16,000
निजी व्यय	4,34,000	पूँजी संपत्ति के विक्रय पर लाभ	12,900
सुरक्षा कोष में दान	1,000	कर परामर्श शुल्क	8,00,000
आयकर	2,26,600		
कार व्यय	4,000		
आय का व्यय पर आधिक्य	8,83,400		
	15,80,000		15,80,000

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) कार का उपयोग निजी तथा कार्यालयीन कार्य में समान है, कार्यालयीन कार्यों के लिए स्वीकृत ऱ्हास रु 500 है।

(ii) कार्यालीयन कर्मचारी वेतन मेंघरेलू नौकर तथा माली के वेतन का समावेश रु 2,000 है।

(iii) कार्यालयीन भवन क्रय करने के लिए ऋण लिया है।

(iv) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत ऱ्हास 10 प्रतिशत तथा फर्नीचर पर 10 प्रतिशत तथा पुस्तकों पर 40 प्रतिशत है।

(v) भवन जिसका अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल 2018 को रु 1,60,000 था यह भवन करदाता कार्यालयीन काम हेतु प्रयुक्त करता है, इसके अतिरिक्त फर्निचर लागत रु 60,000 है, जिसका अपलिखित मूल्य रु 40,000 है।

टिप्पणी

उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रवीण गांधी के पेशे से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. प्रवीण गाँधी, यवतमाल की पेशे से कर योग्य आय गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
आय पर व्यय का आधिक्य		8,83,400
जोड़ो (+) आय-व्यय लेखा के अनुसार जो खर्च विकलित (डेबिट) किए गए हैं, जो अमान्य हैं तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो आय-व्यय लेखे में दर्ज नहीं हैं।		
घरेलू कर्मचारियों का वेतन	2,000	
+ व्यक्तिगत खर्च अस्वीकृत	4,34,000	
+ सुरक्षा कोष में दान इसकी कटौती धारा 80G में मिलेगी	1,000	
+ आयकर व्यक्तिगत खर्च इसलिए अस्वीकृत	2,26,600	
+ कार व्यय पेशे से संबंधित स्वीकृत	2,000	
+ किताबें वार्षिक प्रकशन के अतिरिक्त	1,000	
		(+) 6,66,600
		15,50,000
घटाएँ (–) आय-व्यय लेखे के अनुसार जो खर्च विकलित नहीं किए गए हैं, किंतु मान्य है तथा ऐसी प्राप्तियाँ जो आय-व्यय लेखे में दर्ज हैं, लेकिन उनका समावेश इस शीर्षक में नहीं होता है।		
+ आयकर नियम के अनुसार कार का स्वीकृत न्हास	1,000	
+ न्हास भवन पर 80,000 × 10%	8,000	
+ न्हास फर्निचर पर 20,000 × 10%	2,000	
+ न्हास पुस्तकों पर 1,000 × 40%	400	
+ जीजाजी से प्राप्त उपहार (व्यक्तिगत प्राप्ति)	10,100	
+ लाभांश (अन्य स्त्रोत से आय)	16,000	
+ संपत्ति विक्रय पर लाभ (पूँजी लाभ)	12,900	
		(–) 50,400
पेशे से कर योग्य आय		14,99,600

टिप्पणी

उदा. 7: श्रीमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का प्राप्ति शोधन लेखा निम्न है।

प्राप्ति शोधन खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्ति	राशि	शोधन	राशि
शेष	25,000	दवाखाने का किराया	45,000
परामर्श शुल्क	1,50,000	दवाओं का क्रय	95,000
व्हिज़िट शुल्क	1,12,500	कर्मचारियों का वेतन	60,000
प्राप्त भेट एवं उपहार	20,000	शल्य यंत्र क्रय	1,00,000
दवाओं की बिक्री	1,05,000	मोटर कार व्यय	20,000
अंशों पर प्राप्त लाभांश	15,000	मोटर कार का क्रय	3,50,000
अंश बिक्री से प्राप्त राशि	2,50,000	घरेलू व्यय	17,500
NSC से प्राप्त ब्याज	15,000	शेष	5,000
	6,92,500		6,92,500

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) कार का उपयोग निजी तथा कार्यालयीन कार्य में समान है, कार डिसंबर 2018 में खरीदी की थी।

(ii) घर खर्च में रु 17,000 के जीवन बीमा प्रव्याजी के शामिल हैं।

(iii) उपहारों में रु 7,500 रिश्तेदारों से प्राप्त शामिल है।

(iv) रहतियाँ 1/4/2018 रु 10,000

(v) रहतियाँ 31/3/2019 रु 12,000

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पेशे से आय की गणना कीजिए।

उत्तर: डॉ. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पेशे से कर योग्य आय गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
पेशे से प्राप्तियाँ		
परामर्श शुल्क	1,50,000	
+ विज़िट फी	1,12,500	
+ भेट तथा उपहार 20,000 – 7,500 रिश्तेदारों से उपहार	1,2,500	
+ दवाओं की बिक्री	1,05,000	
		3,80,000
घटाएँ (–) पेशे के व्यय		
+ अस्पताल का किराया	45,000	

+ उपभुक्त दवाएँ	75,000	
+ कर्मचारियों का वेतन	60,000	
+ शल्य यंत्र पर ह्रास 1,00,000 × 15%	15,000	
+ मोटार कार पर ह्रास (मोटार कार गत वर्ष 180 दिनों से कम दिनों के लिए प्रयोग में थी, इसलिए सामान्य ह्रास दर से 50 प्रतिशत ह्रास मान्य होगा)		
3,50,000 × 7.5% × = 13,125	13,125	
+ मोटर कार खर्च 20,000 × = 10,000	10,000	
		(–) 2,18,125
पेशे से कर योग्य आय		1,61,875

क्रियात्मक टिप्पणी

भेंट तथा उपहार	रु 20,000
– रिश्तेदार से प्राप्त उपहार	रु 7,500
पेशे से प्राप्त भेंट तथा उपहार	रु 12,500

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. एक इंजीनियर का कार्य __________ के अंतर्गत आता है।
   (क) व्यापार (ख) व्यवसाय
   (ग) पेशा (घ) इनमें से कोई नहीं
2. व्यापार की आय गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का __________ हिस्सा स्वीकृत है।
   (क) 1/5 (ख) 2/5
   (ग) 3/5 (घ) 4/5
3. व्यापार से आय की गणना में __________ स्वीकृत होता है।
   (क) अशोध्य ऋण संचय (ख) संदिग्ध ऋण
   (ग) वास्तविक डूबित ऋण (घ) इनमें से सभीं
4. अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में __________ कटौती प्राप्त होती है।
   (क) शतप्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत
   (ग) 150 प्रतिशत (घ) इनमें से कोई नहीं
5. माल भाड़े का भुगतान 30 हजार रुपए नगद में भुगतान किया, तो __________ राशि अस्वीकृत व्यय होगी।
   (क) भुगतान राशि के 50 प्रतिशत (ख) वास्तविक भुगतान
   (ग) शून्य (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

6. धारा 44AB के अंतर्गत __________ से कुल बिक्री अधिक होगी, तो अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है।
   (क) 40 लाख (ख) 50 लाख
   (ग) 1 करोड़ (घ) इनमें से कोई नहीं
7. साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों को पूँजी पर दिया गया ब्याज __________ प्रतिशत तक स्वीकृत है।
   (क) 15 (ख) 12
   (ग) 18 (घ) इनमें से कोई नहीं
8. 31 मार्च 2017 को सोनाटा लिमिटेड कंपनी ने एक लाख रूपये प्रारंभिक व्यय किया, तो रु __________ राशि की कटौती कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में प्राप्त होगी।
   (क) 20,000 (ख) 30,000
   (ग) 15,000 (घ) इनमें से कोई नहीं
9. विनिर्दिष्ट संस्था द्वारा विशेष संचय में हस्तांतरित राशि के संबंध में मान्य व्यवसाय के लाभों के __________ प्रतिशत अधिकतम राशि तक कटौती योग्य है।
   (क) 15 (ख) 12
   (ग) 20 (घ) इनमें से कोई नहीं
10. परिवार नियोजन पर पूँजीगत व्यय __________ समान वार्षिक किश्तों में कटौती के रूप में स्वीकृत है।
   (क) 5 (ख) 7
   (ग) 10 (घ) 15
11. बैंक की ग्रामीण शाखाओं के लिए औसत अग्रिम के __________ प्रतिशत तक कटौती स्वीकृति योग्य है।
   (क) 8.5 (ख) 10
   (ग) 5 (घ) इनमें से कोई नहीं
12. निवासी को भुगतान उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के बिना ऐसी स्थिति में __________ प्रतिशत तक राशि अस्वीकृत है।
   (क) 15 (ख) 20
   (ग) 30 (घ) इनमें से कोई नहीं
13. करदाता द्वारा कृषि परियोजना पर किए गए व्यय के संबंध में __________ प्रतिशत तक राशि कटौती स्वीकृत है।
   (क) 100 (ख) 50
   (ग) 150 (घ) इनमें से कोई नहीं
14. धारा 44AD के अंतर्गत अनुमानित आय के आधार पर गत वर्ष की कुल बिक्री रु __________ से अधिक नहीं है, तो खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं।
   (क) 1 करोड़ (ख) 2 करोड़
   (ग) 50 लाख (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

15. धारा 44AD के अंतर्गत अनुमानित आय के आधार पर गत वर्ष में पेशेवर व्यक्ति की आय रु __________ से अधिक नहीं है, तो खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं।
    (क) 1 करोड़ (ख) 2 करोड़
    (ग) 50 लाख (घ) इनमें से कोई नहीं
16. कंपनी करदाता द्वारा अधिसूचित कौशल विकास योजना पर व्यय किया गया, तो उस व्यय के संबंध में __________ राशि की कटौती मिलेगी।
    (क) 100 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत
    (ग) 150 प्रतिशत (घ) इनमें से कोई नहीं
17. करदाता द्वारा ग्राम विकास के लिए स्थापित शहरी गरीब उन्मूलन कोष में दिया अनुदान __________ राशि तक कटौती योग्य है।
    (क) 100 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत
    (ग) 150 प्रतिशत (घ) इनमें से कोई नहीं
18. चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता या रबर विकास खाता में जमा की गई राशि या ऐसे व्यापार के लाभ के __________ के बराबर, जो कम हो, उसकी कटौती मिलेगी।
    (क) 100 प्रतिशत (ख) 40 प्रतिशत
    (ग) 80 प्रतिशत (घ) इनमें से कोई नहीं
19. कर्मचारी के संबंध में परिवार नियोजन व्यय की कटौती __________ करदाता को प्राप्त होती है।
    (क) व्यक्ति करदाता (ख) फर्म
    (ग) हिंदु अविभाजित परिवार (घ) कंपनी
20. डॉक्टर को उनके मरीज द्वारा प्राप्त उपहार __________ है।
    (क) अन्य साधनों आय (ख) व्यक्तिगत उपहार
    (ग) पेशे से आय (घ) इनमें से कोई नहीं

3.3 पूँजी लाभ (Capital Gain) धारा 45–54B

3.3.1 प्रस्तावना (Introduction)

पूँजी लाभ आय का चौथा शीर्षक है, इस शीर्षक में संपत्ति हस्तांतरण से होने वाले लाभ तथा हानि का समावेश होता है।

पूँजीगत संपत्ति (धारा 2(14)) (Capital Asset)– पूँजीगत संपत्ति का अर्थ है करदाता द्वारा रखी गई किसी भी प्रकार की संपत्ति चाहे वह व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा नहीं, परंतु पूँजीगत संपत्ति में निम्नलिखित शामिल नहीं है–

1. कोई व्यापारिक रहतियाँ, उपभोग्य स्टोर्स या कच्चा माल जो करदाता के व्यापार अथवा पेशे के प्रयोजन से रखा गया हो, क्योंकि इन पर व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर लगता है।

2. व्यक्तिगत संपत्ति (Personal Effects) अर्थात् करदाता या उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा (जो उस पर आश्रित है) निजी प्रयोग हेतु रखी गई चल संपत्ति (पहनने के वस्त्र, फर्निचर सहित) परंतु निम्नलिखित संपत्तियों को "निजी संपत्ति" नहीं माना जाएगा, भले ही ये चल संपत्ति है और निजी प्रयोग हेतु रखी गई हों–

(a) मूर्तियाँ,

(b) पेन्टिंग्स,

(c) पुरातात्विक संग्रह,

(d) ड्रॉइंग्स,

(e) आभूषण

(f) कला का कोई कार्य।

1. मकान संपत्ति जिसमें करदाता रहता है जो उसके द्वारा ही निजी उपयोग में रहती है, परंतु यह निजी संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह अचल संपत्ति है।

2. निजी संपत्तियाँ निःसंदेह संपत्तियाँ हैं, परंतु पूँजीगत लाभ के उद्देश्य से यह पूँजीगत संपत्ति नहीं है। इसी प्रकार व्यापारिक रहतिया इत्यादि संपत्ति है, परंतु पूँजीगत लाभ के उद्देश्य से पूँजीगत संपत्ति नहीं है।

3. आभूषणों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) सोना, चाँदी, प्लेटिनम या अन्य बहुमूल्य धातु या अन्य कोई मिश्रित धातु (Alloy) जिसमें एक या अधिक बहुमूल्य धातुएँ हों, से निर्मित आभूषण चाहे वह किसी बहुमूल्य या अर्द्ध–बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हों या नहीं और चाहे वे पहनने के वस्त्रों से सिले हों या नहीं।

(ii) बहुमूल्य या अर्द्ध–बहुमूल्य पत्थर चाहे किसी फर्नीचर में बर्तन या अन्य धातु के जड़े हों या नहीं या किसी पहनने की पोशाक में सिले हों या न हों।

(iii) भारत में कृषि भूमि जो शहरी कृषि भूमि नही है। अन्य शब्दों में, यह ग्रामीण कृषि भूमि होनी चाहिए।

3.3.2 पूँजीगत संपत्ति के प्रकार (Types of Capital Assets)

पूँजीगत संपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं।

3.3.2.1 अल्पकालीन पूँजीगत संपत्ति धारा 2(42A) (Short Term Capital Assets Section 2(42A)

हस्तांतरण की तिथि से तुरंत पूर्व अधिकतम 36 माह के लिए करदाता द्वारा रखी गई पूँजीगत संपत्ति को अल्पकालीन पूँजीगत संपत्ति कहते हैं, परंतु निम्नलिखित संपत्तियों को अल्पकालीन संपत्ति माना जाएगा यदि इनको हस्तांतरण से ठीक पूर्व अधिकतम एक वर्ष (36 माह के बजाय) की अवधि के लिए रखा गया हो–

(a) एक कंपनी में धारित समता या पूर्वाधिकार अंश,

(b) भारत में मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय में सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ,

टिप्पणी

(c) धारा 10(23D) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट अथवा म्यूचुअल फंड की यूनिट,

(d) ज़ीरो कूपन बॉण्ड में शामिल।

पूँजीगत संपत्ति के धारण की अवधि की गणना करने के लिए जिस तारीख को संपत्ति हस्तांतरित की गई है, उस तिथि को छोड़ दिया जाना चाहिए। अर्थात् यदि संपत्ति की बिक्री की तिथि 1–12–2018 है, तो संपत्ति धारण की अवधि की गणना 30–11–2018 तक की जाएगी।

3.3.2.2 दीर्घकालीन पूँजीगत संपत्ति धारा 2(29A) (Long Term Capital Assets Section 2(29A))

इसका अर्थ उस पूँजीगत संपत्ति से है जो अल्पकालीन पूँजीगत संपत्ति नहीं है। अन्य शब्दों में, यदि संपत्ति 36 महीनों या 12 महीनों (जो भी स्थिति हो) से अधिक के लिए करदाता द्वारा धारण की गई हो, तो ऐसी संपत्ति दीर्घकालीन पूँजीगत संपत्ति मानी जाएगी।

3.3.3 पूँजीगत लाभ के प्रकार (Types of Capital Gain)

चूँकि पूँजीगत संपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अतः पूँजीगत लाभ भी दो प्रकार के होते हैं अर्थात्–

(i) अल्पकालीन पूँजी लाभ धारा 2(42B) के अनुसार अल्पकालीन पूँजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ।

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ धारा 2(42B) के अनुसार दीर्घकालीन पूँजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजीगत लाभों के बीच स्पष्ट अंतर करना आवश्यक होता है, क्योंकि अल्पकालीन पूँजीगत लाभ पर किसी अन्य आय की ही भाँति आयकर की सामान्य दर पर कर लगता है जबकि दीर्घकालीन पूँजीगत लाभों पर रियायती दर से कर लगता है।

3.3.4 पूँजीगत संपत्ति का हस्तांतरण धारा 2(47) (Transfer of Capital Assets Section 2(47))

पूँजीगत संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण के अंतर्गत निम्न सम्मिलित हैं–

1. संपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग
2. संपत्ति में किसी अधिकार की समाप्ति
3. किसी विधान के अधीन संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण
4. जहाँ स्वामी द्वारा संपत्ति को अपने व्यापार के रहतिए के रुप में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन
5. जीरो कूंपन बॉण्ड की परिपक्वता या विक्रय पर

6. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53A में उल्लेखित प्रकृति के अनुबंध के आंशिक निष्पादन में ली जाने वाली या रखी जाने वाली किसी अचल संपत्ति के धारण की स्वीकृति में संबंधित व्यवहार, अथवा
7. ऐसा कोई व्यवहार चाहे वह किसी सहकारी समिति, कंपनी या अन्य व्यक्तियों के संघ में अंश प्राप्त कर के सदस्य बनने के द्वारा हो या किसी अनुबंध या व्यवस्था या किसी अन्य रीति से हो जिसका प्रभाव हस्तांतरण वाला हो या जो किसी अचल संपत्ति को रखने में सहायक हो।

3.3.5 पूँजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के अपवाद धारा 2(47) तथा धारा 46 एवं 47 (Exception for Transfer of Capital Assets Section 2(47), 46 & 47)

हस्तांतरण की परिभाषा धारा 2(47) में दी गई है जबकि धारा 46 तथा 47 के अंतर्गत उन व्यवहारों को लिया गया है, जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता है। निम्नलिखित व्यवहारों में यद्यपि हस्तांतरण है, परंतु पूँजीगत लाभ के उद्देश्यों के लिए इन्हें हस्तांतरण नहीं माना गया है–

(i) जब एक कंपनी के विसर्जन पर उसकी संपत्तियाँ अंशधारियों में विभाजित है, तो ऐसे विभाजन को कंपनी के हाथों में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता।

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक बँटवारे पर संपत्तियों का वितरण।

(iii) एक अखण्डनीय प्रन्यास, वसीयत अथवा उपहार के अधीन संपत्ति का हस्तांतरण।

(iv) एक कंपनी द्वारा इनकी 100 प्रतिशत सहायक कंपनी को पूँजीगत संपत्ति का हस्तांतरण यदि सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है।

(v) एक सहायक कंपनी द्वारा इसके 100 प्रतिशत सूत्रधारी कंपनी को पूँजीगत संपत्ति का हस्तांतरण यदि सूत्रधारी कंपनी एक भारतीय कंपनी है।

(vi) एकीकरण (Amalgamation) की किसी योजना के अंतर्गत एकीकरण करने वाली कंपनी द्वारा एकीकरण की जानेवाली कंपनी को पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते एकीकरण की जानेवाली एक भारतीय कंपनी हो।

(vii) दो विदेशी कंपनियों के बीच एकीकरण (Amalgamation) की किसी योजना के अंतर्गत एक विदेशी कंपनी द्वारा दूसरी विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी के अंशों का हस्तांतरण यदि–

- एकीकरण करने वाली कंपनी (Amalgamation Company) के कम-से-कम 25 प्रतिशत अंशधारी विदेशी एकीकरण की जाने वाली कंपनी के अंशधारी बने रहते हैं,

  तथा

- उस देश में जिसमें एकीकरण करने वाली कंपनी समामेलित है, ऐसे हस्तांतरण से होने वाले पूँजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है।

टिप्पणी

(viii) किसी बैंकिंग कंपनी की केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति एवं लागू की गई योजना के अधीन किसी अन्य बैंकिंग कंपनी संस्था के साथ एकीकरण की दशा में पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण।

(ix) किसी अवलयन (Demerger) में अविलयित कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते परिणामी कंपनी भारतीय कंपनी है।

(x) किसी अविलयन में अविलयित विदेशी कंपनी द्वारा प्रमाणी विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी के अंशो का हस्तांतरण बशर्तें–

- अविलयित विदेशी कंपनी के कम-से-कम 75 प्रतिशत मूल्य के अंशों के अंशधारी प्रमाणी विदेशी कंपनी के अंशधारी बन रहे हैं।
- अविलयित विदेशी कंपनी जहाँ वह समामेलित है, अंशों के हस्तांतरण पर होने वाले लाभ कर योग्य नहीं हैं।

(xi) किसी पूर्ववर्ती सहकारी समिति द्वारा व्यवसाय का पुनर्गठन होने पर पूँजी संपत्ति का उत्तरवर्ती सहकारी बैंक को हस्तांतरण।

(xii) किसी पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के व्यवसाय का पुनर्गठन होने पर किसी भी पूँजीगत संपत्ति के रूप में पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में एक अंश या अंशों का किसी अंशधारी द्वारा हस्तांतरण बशर्ते ऐसा हस्तांतरण उसे उत्तरवर्ती सहकारी बैंक में अंश या अंशों के आबंटन के प्रतिफल में किया गया है।

(xiii) विलयन की किसी योजना के अंतर्गत प्रमाणी कंपनी द्वारा विलयित कंपनी के अंशधारियों को अंशों का कोई हस्तांतरण या निर्गमन, यदि हस्तांतरण या निर्गमन उपक्रम के विलयन के फलस्वरूप किया गया हो।

(xiv) एकीकरण की किसी योजना में अंशधारी द्वारा एकीकरण करने वाली कंपनी में उसके द्वारा धारित अंशों का कोई हस्तांतरण यदि–

- यह हस्तांतरण एकीकरण की जाने वाली कंपनी में उसके किसी अंश या अंशों के आबंटन के फलस्वरूप किया गया हो,

  तथा
- एकीकरण की गई कंपनी एक भारतीय कंपनी हो।

  अंशधरियों द्वारा प्राप्त प्रतिफल अंशों में होना चाहिए। यदि प्रतिफल में अंशों के अतिरिक्त कुछ भी शामिल हैं, जैसे–

  बॉण्ड्स तथा ऋण पत्र, तो इसको हस्तांतरण माना जाएगा और पूँजी लाभ होगा।

(xv) धारा 115AC(1) के अधीन वर्णित बॉण्ड्स या वैश्विक जमा रसीदों (GDR – Global Depository Receipts) का विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के बॉण्ड्स/जीडीआर बॉण्डों, अंशों का अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को भारत के बाहर किया गया हस्तांतरण।

टिप्पणी

(xvi) 1–3–1970 से पूर्व भारत में बाहरी कृषि भूमि का कोई हस्तांतरण।

(xvii) किसी ऐसी पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण जो कोई कलाकृति, पुरातात्विक, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्रॉइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी या प्रिंट है तथा जो सरकार को या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आर्ट गैलरी या ऐसी अन्य सार्वजनिक म्यूजियम अथवा संस्था जिसे केंद्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व या समस्त भारत में किसी राज्य या राज्यों के लिए ख्याति का घोषित करें।

(xviii) किसी कंपनी के बॉण्ड या ऋणपत्रों, स्कंद या जमा प्रमाण पत्रों का किसी भी रूप में उसी कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन द्वारा हस्तांतरण।

(xix) धारा 115AC(1)(a) में संदर्भित बॉण्डों का किसी कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन द्वारा हस्तांतरण।

(xx) रुग्ण औद्योगिक कंपनीज (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (SICA) की धारा 18 के अंतर्गत तैयार एवं स्वीकृत किसी योजना के अधीन एक औद्योगिक कंपनी की भूमि के रुप में पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण, यदि ऐसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी श्रमिकों की सहकारी समिति द्वारा प्रबंध की गई हो।

(xxi) फर्म द्वारा संचालित व्यापार में कंपनी द्वारा फर्म के उत्तराधिकार के परिणामस्वरुप फर्म द्वारा कंपनी को पूँजीगत संपत्ति या अमूर्त संपत्ति हस्तांतरण, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं–

- व्यापार में संबंधित फर्म या व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जैसी भी स्थिति हो) की सभी संपत्तियाँ एवं दायित्व उत्तराधिकार से ठीक पूर्व कंपनी की संपत्तियाँ एवं दायित्व बन गई हों।
- फर्म के सभी साझेदार उत्तराधिकार से तुरंत पूर्व उसी अनुपात में कंपनी के अंशधारी बन जाएँ जिस अनुपात में उनके पूँजी खाते उत्तराधिकार की तिथि को फर्म के खाते में हैं।
- फर्म के साझेदारों की कंपनी में कुल अंशों के आबंटन के अतिरिक्त अन्य किसी रुप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त न हो।
- फर्म के साझेदारों की कंपनी में कुल अंशधारिता कंपनी में कुल मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से कम न हों और उनकी अंशधारिता उत्तराधिकार की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए इसी रुप में बनी रहे।

(xxii) जहाँ एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान अपने द्वारा संचालित व्यापार में किसी कंपनी को उत्तराधिकार देता है जिसके फलस्वरुप एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान किसी पूँजी संपत्ति या अमूर्त संपत्ति कंपनी को बेचता है या अन्य प्रकार से हस्तांतरण करता है, यदि निम्न शर्तें पूरी होती हैं–

- व्यापार में संबंधित फर्म या व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जैसी भी स्थिति हो) की सभी संपत्तियाँ एवं दायित्व उत्तराधिकार से ठीक पूर्व कंपनी की संपत्तियाँ एवं दायित्व बन गई हों।
- कंपनी में एकल स्वामी की अंशधारिता कुल मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से कम न हो और उसकी इस प्रकार की अंशधारिता उत्तराधिकार की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए बनी रहे।

  तथा
- एकल स्वामी कंपनी में अंशों के अतिरिक्त किसी भी अन्य रुप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त न करे।

(xxiii) प्रतिभूति उधार योजना 1977 के अधीन करदाता द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों को उधार पर देने के बारे में उधार लेने वाले व्यक्ति के साथ किए गए किसी प्रसंविदा।

अथवा

व्यवस्था (जो कि SEBI या RBI के द्वारा इस संबंध के निर्गमित दिशा–निर्देशों के अधीन हो) के अंतर्गत कोई हस्तांतरण।

(xxiv) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत रिवर्स मॉर्टगेज व्यवहार में पूँजी संपत्ति का हस्तांतरण।

यह उल्लेखनीय है कि इन व्यवहारों को पूँजीगत लाभ के उद्देश्यों से संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता।

विशेष सूचना

पूँजीगत लाभ उस गत वर्ष में उत्पन्न होना चाहिए जिसमें हस्तांतरण हुआ हो– सामान्यतः पूँजी लाभ उस गत वर्ष में उत्पन्न होता है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो, भले ही हस्तांतरण का प्रतिफल बाद के किसी वर्ष में प्राप्त या वसूल हुआ है। फिर भी, तीन ऐसे अपवाद हैं जहाँ पूँजी लाभ हस्तांतरण वाले वर्ष में करयोग्य न होकर किसी अन्य वर्ष में करयोग्य होता है।

उपरोक्त नियम के अपवाद निम्न हैं–

(a) अग्नि या अन्य आपदा द्वारा किसी पूँजी संपत्ति की क्षति या विनाश।

(b) पूँजी संपत्ति का व्यापारिक रहतियाँ में परिवर्तन ।

(c) किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण।

3.3.6 पूर्ण प्रतिफल (Full Value of Consideration)

पूर्ण प्रतिफल का आशय उस राशि से है जिस पर संपत्ति बेचने का अनुबंध हुआ है तथा यदि संपत्ति का विनिमय किया गया है, तो विनिमय से प्राप्त विनिमय तिथि को उचित मूल्य को पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा।

टिप्पणी

जब कर्मचारी को कंपनी द्वारा (ESOP-Employees Stock Option Plan) के अंतर्गत अंश ऋणपत्र हस्तांतरित होते हैं, तो हस्तांतरण तिथि को बाजार मूल्य प्रतिफल माना जाएगा।

भूमि अथवा भवन का हस्तांतरण स्टैम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य अगर विक्रय प्रतिफल से कम हो, तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा या स्टैंप ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य प्रति फल के 105 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, तो प्रतिफल की राशि को पूर्ण प्रतिफल माना जाएगा।

ऐसे अंश जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, तो बाजार मूल्य पूर्ण प्रतिफल समझा जाएगा। पूँजी संपत्ति का पूर्ण प्रतिफल का निर्धारण ज्ञात नहीं हो, तो बाजार मूल्य ही उसका मूल्य माना जाएगा।

3.3.7 संपत्ति प्राप्त करने की लागत (Cost of Asset Acquisition)

(a) हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण/आंशिक बँटवारे पर संपत्ति के वितरण पर,
(b) किसी उपहार अथवा वसीयत के अधीन,
(c) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण,
(d) कंपनी के समापन पर संपत्तियों के वितरण पर,
(e) किसी खण्डनीय या अखण्डनीय न्यास के हस्तांतरण पर,
(f) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा इसकी सूत्रधारी कंपनी को हस्तांतरण पर अथवा इसके विपरीत स्थिति पर (*Vice-versa*)
(g) धारा 47(VI) के अधीन कुछ शर्तों का पालन करते हुए, दो भारतीय कंपनियों के एकीकरण की किसी योजना में संपत्तियों के हस्तांतरण पर,
(h) एक बैंकिंग कंपनी के अन्य बैंकिंग संस्था के साथ एकीकरण की योजना में बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग संस्था को पूँजी संपत्ति के हस्तांतरण पर,
(i) एक व्यापारिक पुनर्गठन में पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा उत्तरवर्ती सहकारी बैंक को पूँजी संपत्ति के हस्तांतरण पर,
(j) हिंदू–अविभाजित परिवार के एक सदस्य द्वारा स्वतः प्राप्त संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवर्तन करने पर प्राप्त राशि।

प्राप्त लागत के संबंध में व्यवहारिक सूचनाएँ

1. कंपनी में अंशों को प्राप्त करने की परिव्यय अधिकार अंशों को प्राप्त करने की लागत– प्रमाणी कंपनी में अंशों को प्राप्त करने की लागत (धारा 49(2c))– विलयित कंपनी में करदाता द्वारा धारित अंशों को प्राप्त करने की लागत वह आनुपातिक राशि होगी जो अविलयन में हस्तांतरित संपत्तियों के शुद्ध मूल्य और ऐसे अविलयन से ठीक पूर्व अविलयित कंपनी के शुद्ध मूल्य का अनुपात है।

टिप्पणी

दूसरे शब्दों में–

$$\text{अंशों को प्राप्त करने की लागत} = \frac{\text{प्रमाणी कंपनी में करदाता द्वारा धारिक अंशों को प्राप्त करने की लागत।}}{\text{अविलयित/अविलयन में हस्तांतरित संपत्तियों का शुद्ध पुस्तकीय मूल्य, अविलयन से ठीक पूर्व अविलयन कंपनी का शुद्ध मूल्य।}}$$

इस धारा के लिए शुद्ध मूल्य का अर्थ होगा अविलयन से ठीक पूर्व अविलयित, कंपनी की लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित दत्त अंश पूँजी तथा सामान्य संचय का योग–

- यदि परिणामी कंपनी के अंशों को बाद में हस्तांतरित किया जाता है, तो फिर पूँजी लाभ के स्वभाव का निर्धरण करने हेतु उस अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें यह अंश अविलयित कंपनी के पास रहे थे, धारा 2(42A)

2. अधिकार अंशों को प्राप्त करने की लागत धारा 55(2)(aa)– यदि कोई करदाता कुछ अंशों को धारण करने के कारण किन्हीं अतिरिक्त अंशों में अभिदान करने के लिए अधिकृत हो जाता है, तो–

- मूल अंशों को प्राप्त करने की लागत मूल अंशों के लिए वास्तव में भुगतान की गई राशि होगी।
- यदि करदाता प्रस्तुत अधिकार के आधार पर अधिकार अंशों में अभिदान करता है, तो ऐसे अंशों को प्राप्त करने की लागत वह राशि होगी जो उनसे अधिकार अंशों को प्राप्त करने के लिए वास्तव में भुगतान की है।
- यदि यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग दिया गया हो, तो ऐसे अंशों को प्राप्त करने के अधिकार की लागत शून्य मानी जाएगी।
- ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिनके पक्ष में अधिकार त्याग दिया गया हो, उस व्यक्ति के लिए अंशों को प्राप्त करने की लागत वह राशि होगी, जो उसने अंशों को प्राप्त करने के लिए कंपनी को चुकाई है तथा वह राशि जो अधिकार त्यागने वाले व्यक्ति को चुकाई है।

3. बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत (धारा 55(2)(aa)(iiia))– बोनस अंशों या बिना किसी भुगतान के आबंटित की गई किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को प्राप्त करने की लागत 1–4–2001 अथवा उसके बाद बिना किसी भुगतान के तथा कोई अन्य वित्तीय संपत्ति की धारिता के आधार पर यदि करदाता को कोई वित्तीय संपत्ति अर्थात् अंश या अन्य कोई प्रतिभूति आबंटित की गई है, तो उसको प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाएगी तथा बोनस अंशों या प्रतिभूति के हस्तांतरण पर प्राप्त संपूर्ण विक्रय प्रतिफल पूँजी लाभ माना जाएगा, परंतु यदि करदाता को 1/4/2001 से पहले बोनस अंशों का आबंटन हुआ है, तो भले ही

इन अंशों की लागत शून्य हो, करदाता को यह विकल्प होगा कि वह 1/4/2001 को अंशों के बाजार मूल्य को ऐसे बोनस अंशों को प्राप्त करने की लागत माने।

3.3.8 प्राप्त करने की सूचकांकित लागत (Indexed Cost of Acquisition)

3.3.8.1 सूचकांक लागत का अर्थ (Meaning of Indexed Cost)

प्राप्त करने की सूचकांकित लागत का अर्थ वह धनराशि है, जो संपत्ति को प्राप्त करने की लागत के उसी अनुपात में निकाली जाएगी, जो संपत्ति को हस्तांतरण करने वाले वर्ष में लागत स्फीति सूचकांक का अनुपात उस प्रथम वर्ष के लागत स्फीति सूचकांक में है, जिसमें करदाता ने संपत्ति प्राप्त की थी या फिर 1/4/2001 का सूचकांक, जो भी बाद में पड़ता हो।

3.3.8.2 लागत स्फीती सूचकांक तथा वर्ष सारणी (Table: Cost Inflation Index and Year)

सारणी क्र. 3.5

वर्ष	लागत स्फीति सूचकांक (CII)
2001—02	100
2002—03	105
2003—04	109
2004—05	113
2005—06	117
2006—07	122
2007—08	129
2008—09	137
2009—10	148
2010—11	167
20011—12	184
20012—13	200
20013—14	220
20014—15	240
20015—16	254
20016—17	264
20017—18	272
20018—19	280

सूचनाः किसी गत वर्ष के संबंध में लागत स्थिति सूचकांक से आशय उस सूचकांक से है जो केंद्र सरकार द्वारा उस गत वर्ष से पूर्व वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय) में उस वर्ष की औसत वृद्धि के 75 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए घोषित किया जाए।

3.3.8.3 सूचकांकित लागत की गणना (Computation of Indexed Acquisition)

इस प्राप्त करने की सूचकांकित परिभाषा के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करने की लागत को सूचकांकित किया जाता है।

परिभाषा के विश्लेषण से इस बात का संकेत मिलता है कि प्राप्त करने की लागत के सूचकांकन के लिए तीन महत्त्वपूर्ण बातें हैं–

(i) प्राप्त करने की लागत।

(ii) गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांरित की गई है।

(iii) उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीती सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीती सूचकांक जो बाद में हो।

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है।}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीती सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीती सूचकांक जो बाद में हो।}}$$

सूचनाः परंतु यदि करदाता द्वारा संपत्ति 1/4/2001 से पूर्व प्राप्त की गई है, तो वह 1/4/2001 को संपत्ति के बाजार मूल्य को प्राप्ति की लागत का विकल्प चुन सकता है। इस दशा में सूचकांकन निम्न प्रकार किया जाएगा।

3.3.8.4 सूचकांकित लागत की गणना सुधार की सूचकांकित लागत (Computation of Indexed Cost of Improvement)

सुधार की सूचकांकित लागत का अर्थ उस राशि से है जो सुधार की लागत उसी अनुपात में है और जो अनुपात संपत्ति के हस्तांतरण वाले वर्ष के लागत स्फीति सूचकांक का सुधार वाले के लागत स्फीति सूचकांक के साथ है।

जैसा कि सुधार की लागत के अंतर्गत यदि 1/4/2001 से कोई व्यय किया गया है तो उस पर ध्यान नहीं देते। अतः केवल 1/4/2001 के पश्चात् सुधार की लागत जो करदाता ने वहन की है, उसको सूचकांकित किया जाएगा। परंतु यदि करदाता ने धारा 49(1) में दिए गए किसी तरीके से संपत्ति को पूर्व

स्वामी से प्राप्त किया है, तो पूर्व स्वामी द्वारा 1/4/2001 के बाद सुधार पर किए गए व्ययों को भी सूचकांकित किया जाएगा।

धारा 55 के अंतर्गत सुधार की लागत

सुधार की लागत (धारा 55(1)(b))– ऐसी पूँजी संपत्ति के संबंध में जो व्यापार की साख़ या कोई व्यापार करने का अधिकार या किसी वस्तु या किसी चीज के उत्पादन निर्माण या प्रसंस्करण का अधिकार हो, शून्य होगी।

किसी अन्य संपत्ति के संबंध में– जहाँ पूँजी संपत्ति 1/4/2001 से पहले पूर्व स्वामी

अथवा

करदाता की संपत्ति बन गई थी, तो 1/4/2001 को या उसके बाद पूँजी संपत्ति में कोई वृद्धि परिवर्तन में किया गया संपूर्ण पूँजीगत व्यय जो पूर्व स्वामी या करदाता ने वहन किया हो। 1/4/2001 से पूर्व करदाता या पूर्व स्वामी द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, चाहे करदाता 1/4/2001 के बाजार मूल्य का विकल्प चुने अथवा नहीं।

अन्य दशाओं में अर्थात् 1/4/2001 के बाद प्राप्त की गई संपत्तियों के मामले में करदाता द्वारा अपनी संपत्ति बनने के बाद पूँजीगत संपत्ति में कोई परिवर्तन या वृद्धि करने में किए गए समस्त पूँजीगत व्यय को तथा यदि पूँजीगत संपत्ति धारा 49(1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति के द्वारा करदाता की संपत्ति बनी हो, तो पूर्व स्वामी द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय को भी सुधार की लागत माना जाएगा।

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{सुधार की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है।}}{\text{सुधार करने वाले वर्ष की लागत स्फीती सूचकांक।}}$$

3.3.9 कर मुक्त पूँजी लाभ (Exempted Capital Gain)

धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, तथा 54G के अंतर्गत कर मुक्त पूँजी लाभ।

3.3.9.1 निवास के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ धारा 54 (Profit on Sale of the Property Used for Residence Section 54)

भवनों अथवा उससे लगी हुई भूमि के हस्तांतरण तथा इसके रिहायशी मकान होने के कारण (जिसमें होने वाली आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है) एक व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार को होने वाले दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पर उस सीमा तक छूट प्राप्त होगी जिस सीमा तक पूँजी लाभ का निवेश हस्तांतरण की तिथि के पूर्व एक वर्ष के भीतर तथा बाद में दो वर्षों की अवधि के भीतर हस्तांतरण न किया जाए।

यदि नई संपत्ति को इसको प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इस हस्तांतरण पर पूँजी लाभ की गणना के उद्देश्य से इस मकान संपत्ति को प्राप्त करने की लागत में से पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया जाएगा, जिसको इस धारा के अंतर्गत पहले छूट दी गई थी। इस हस्तांतरण से होने वाला पूँजी लाभ सदैव अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा–

- हस्तांतरित की गई संपत्ति एक रिहायशी मकान है, जिसकी आय मकान संपत्ति से आय के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।
- हस्तांतरित की गई संपत्ति एक दीर्घकालीन पूँजी संपत्ति है और इसलिए इस पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ होगा।
- संपत्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति अथवा एक अन्य रिहायशी मकान क्रय/निर्माण किया है।
- करदाता ने निर्धारित अवधि के भीतर एक अन्य रिहायशी मकान क्रय/निर्माण किया है।

यदि यह सभी चारों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो करदाता धारा – 54 के अंतर्गत कर से छूट का दावा कर सकता है–

(i) यदि पूँजी लाभ की राशि नए मकान की लागत के बराबर है अथवा उससे कम है, तो संपूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

(ii) यदि पूँजीगत लाभ की राशि नए मकान की लागत से अधिक है, तो नए मकान की लागत की सीमा तक पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

अन्य शब्दों में, पूँजी लाभ उस सीमा तक कर मुक्त होगा जितना एक नए मकान के क्रय में अथवा निर्माण में निवेशित कर दिया गया है।

क्रय किए अथवा निर्मित कराए मकान को उसके क्रय अथवा निर्माण की तिथि से तीन वर्षों के भीतर हस्तांतरित करने के परिणाम–

इस स्थिति में, ऐसे हस्तांतरण पर पूँजी लाभ की गणना करने के उद्देश्य से, नए मकान की लागत में से पहले धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त किया गया पूँजी लाभ घटाया जाएगा तथा नए मकान के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ सदैव अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।

पूँजी लाभ योजना

इस योजना में जमा राशि का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर किसी रिहायशी मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु न किए जाने का परिणाम – इस दशा में प्रयुक्त नहीं की गई ऐसी राशि उस गत वर्ष में पूँजी लाभ के रुप में कर योग्य होगी जिसमें मूल संपत्ति हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होती हो तथा यह उस गत वर्ष का दीर्घकालीन पूँजी लाभ होगा। ऐसी स्थिति में करदाता पूँजी लाभ खाता योजना से धन राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा–

(a) पूँजीगत लाभ योजना 1988 में उपयोग में नही लाई जमा राशि पर ऐसे व्यक्ति पर जिसकी धारा 54, 54B, 54D, 54F, तथा 54G के अंतर्गत निर्धारित 2/3 वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, कर

टिप्पणी

नहीं लगाया जा सकता है। इस राशि पर वैध उत्तराधिकारी पर भी कर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उपयोग में नहीं लाई गई जमा राशि उसकी आय की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि वह उसको विरासत में प्राप्त संपदा मात्र है।

(b) सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण करके हस्तांतरण की दशा में नई संपत्ति प्राप्त करने की 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष अवधि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की तिथि से प्रारंभ होगी। इस प्रकार पूँजीगत लाभ खाता योजना के अंतर्गत राशि उस गत वर्ष का आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि तक जमा कराई जा सकती है जिसमें क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है।

3.3.9.2 कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कर मुक्त धारा 54B (Capital Gain Exempted on Transfer of Land used for Agriculture Purpose Section 54B)

धारा 54B के अंतर्गत कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर कर मुक्त होगा–

(i) कृषि भूमि का हस्तांतरण एक व्यक्ति द्वारा किया गया है न कि किसी HUF अथवा अन्य करदाता द्वारा।

(ii) कृषि भूमि, व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता द्वारा हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व के वर्षों के दौरान कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो रही थी।

(iii) करदाता ने मूल कृषि भूमि के हस्तांतरण की तिथि के पश्चात् दो वर्षों के भीतर एक अन्य कृषि भूमि (शहरी अथवा ग्रामीण) क्रय कर ली थी–

- कृषि भूमि, का हस्तांतरण प्राप्त करने के तीन वर्षों के बाद
  अथवा पूर्व हो सकता है, परंतु इसका प्रयोग करदाता अथवा उसके माता-पिता द्वारा हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व कम-से-कम दो वर्षों के दौरान कृषि कार्यों में किया जाना आवश्यक है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ कर मुक्त है, यदि धारा 10(37) के अंतर्गत वर्णित शर्तें पूरी हो जाती हैं।

कर मुक्त कटौती की राशि

(i) यदि पूँजी लाभ की राशि नई कृषि भूमि की लागत के समान है अथवा कम है, तो संपूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

(ii) यदि पूँजी लाभ की राशि नई कृषि भूमि की लागत से अधिक है, तो नई कृषि भूमि की गत की सीमा तक पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

विशेष टिप्पणी

यदि नई कृषि भूमि क्रय किए जाने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर हस्तांतरित कर दी जाती है तो उसके परिणाम इस दशा में पूँजी लाभ जो पूर्व में धारा 54B के अंतर्गत कर मुक्त हो गया था, उसको नई कृषि भूमि पर पूँजी लाभ ज्ञात किया जाएगा जों कि अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।

3.3.9.3 एक औद्योगिक उपक्रम के भाग के रुप में भूमि तथा भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ (धारा 54D) (Capital Gain on Compulsory Acquisition of Land and Building Forming Part of an Industrial Undertaking Section 54D)

करदाता से संबंधित किसी औद्योगिक उपक्रम के भाग के रुप में, किसी विधान के अंतर्गत, भूमि अथवा भवनों के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूँजी लाभ कर मुक्त होगा यदि निम्न शर्तें पूरी हो जाती हैं–

(i) हस्तांतरण संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के रुप में,

(ii) हस्तांतरित की गई संपत्ति भूमि अथवा भवन है तथा करदाता से संबंधित औद्योगिक उपक्रम का भाग है,

(iii) ऐसे भूमि अथवा भवन हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व कम-से-कम दो वर्षों के लिए करदाता द्वारा औद्योगिक उपक्रम के व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे थे,

(iv) भूमि अथवा भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजी लाभ अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन हो सकता है, परंतु भवन व्यापार में प्रयुक्त हो रहा है अतः यह ऱ्हास योग्य संपत्ति है और इसलिए इस पर अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा भले ही भवन को 3 वर्षों से अधिक रखा गया हो। भूमि पर ऱ्हास नहीं लगता। अतः दीर्घकालीन/अल्पकालीन पूँजी लाभ व गणना हेतु भूमि को रखने की अवधि महत्त्वपूर्ण है।

अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में कटौती की राशि

(a) यदि पूँजी लाभ की राशि नई संपत्ति की लागत के समान है अथवा कम है, तो संपूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

(b) यदि पूँजी लाभ की राशि नई संपत्ति की लागत से अधिक है, तो नई संपत्ति की लागत की सीमा तक पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

अतः पूँजी लाभ की वह राशि जो औद्योगिक उपक्रम हेतु नई भूमि/भवन को क्रय/निर्माण करने में विनियोग कर दी जाती है, आयकर से मुक्त होगी।

3.3.9.4 दीर्घकालीन संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कतिपय बॉण्डों में निवेश किए जाने पर कर मुक्त होगा धारा 54(EC) (Capital Gains on Transfer of long-term Assets will be Exempt from Tax on Investment in Certain Bonds Section 54(EC))

किसी पूँजी संपत्ति के हस्तांतरण पर उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 54(EC) के अंतर्गत कर मुक्त होगा–

(i) हस्तांतरित की गई संपत्ति दीर्घकालीन संपत्ति है तथा इसलिए दीर्घकालीन पूँजी लाभ है।

(ii) संपत्ति किसी भी करदाता द्वारा हस्तांतरित की गई है।

(iii) करदाता ने हस्तांतरण की तिथि के बाद 6 महीनों के भीतर पूँजी लाभ को विनिर्दिष्ट दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेशित कर दिया है।

टिप्पणी

(iv) ऐसी दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट संपत्तियों की लागत, जिन पर धारा 54(EC) के अंतर्गत कर छूट हेतु विचार किया जाता है, पर धारा 80(C) के संदर्भ में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

कटौती की मात्रा

(a) यदि पूँजी लाभ की राशि दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट संपत्ति जिनको हस्तांतरण की तिथि से 6 माह के भीतर प्राप्त किया गया है, यदि लागत के समान अथवा कम है, तो संपूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

(b) यदि पूँजी लाभ की राशि दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट संपत्तियों की लागत से अधिक की सीमा तक पूँजी लाभ कर मुक्त होगा। अर्थात् पूँजी लाभ उस सीमा तक कर मुक्त होगा, जितना हस्तांतरण की तिथि से 6 माह के भीतर दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट संपत्तियों में निवेशित कर दिया गया है।

करदाता द्वारा इस धारा के अंतर्गत जिस वित्तीय वर्ष में संपत्ति हस्तांतरित की गई है,

तथा उसके तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष में मिलाकर रु 50 लाख से अधिक विनियोग नहीं कर सकेगा।

बॉण्डों में निवेश 50 लाख रुपए तक सीमित है

निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉण्ड से तात्पर्य है जो विनियोग तिथि से 3 वर्ष तक जिसका विमोचन नहीं किया जाता। बॉण्ड के नाम–

1. भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (INHA)
2. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन निगम (REC)
3. पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन (PFC)
4. द इंडियन रेलवे फाइनेन्स कार्पोरेशन (IRFC)

3.3.9.5 रिहायशी मकान के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ धारा 54F (Capital Gains on Transfer of Property other than Residential House Section 54F)

किसी एक व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में रिहायशी मकान संपत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण पर उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पूर्ण रुप से कर मुक्त होगा।

यदि संपूर्ण शुध्द विक्रय प्रतिफल हस्तांतरण की तिथि से एक वर्ष पूर्व अथवा बाद में दो वर्षों के भीतर एक रिहायशी मकान को क्रय करने में अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद तीन वर्षों के भीतर एक रिहायशी मकान के निर्माण में निवेशित कर दिया जाए। यदि शुध्द विक्रय प्रतिफल का कोई अंश विनियोजित किया गया है, तो पूँजीगत लाभ अनुपातिक रुप से कर मुक्त होगा।

पूँजीगत लाभ की अनुपातिक रुप से कर मुक्त राशि वह होगी, जो हस्तांतरित की गई संपत्ति के शुध्द प्रतिफल का नए मकान में विनियोजित राशि अनुपात में निकलती है, इसका सूत्र निम्नलिखित है–

टिप्पणी

$$\text{कर मुक्त राशि} = \frac{\text{पूँजी लाभ} \times \text{नए मकान की लागत}}{\text{शुध्द विक्रय प्रतिफल}}$$

धारा 54F के अंतर्गत कर से छूट उपलब्ध होगी, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों–

(i) संपत्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति अथवा HUF द्वारा किया जाता है।

(ii) हस्तांतरित की गई संपत्ति एक दीर्घकालीन पूँजी संपत्ति है।

(iii) हस्तांतरित की गई संपत्ति एक रिहायशी मकान के अलावा कोई अन्य पूँजी संपत्ति है।

(iv) करदाता ने निर्धारित अवधि के भीतर एक रिहायशी मकान क्रय कर लिया है अथवा बनवा लिया है।

(v) धारा 54(F) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए क्रय किए गए मकान को छोड़कर करदाता के पास मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर एक से अधिक रिहायशी मकान नहीं है।

(vi) करदाता के द्वारा एक निश्चित समय के भीतर कोई अन्य मकान प्राप्त अथवा निर्माण नहीं कराना चाहिए। यह व्यवस्था की गई है कि मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि के बाद दो वर्षों के भीतर करदाता को कोई अन्य मकान क्रय नहीं करना चाहिए।

अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद तीन वर्षों के भीतर कोई अन्य रिहायशी मकान निर्मित नहीं कराना चाहिए (प्राप्त की गई नई संपत्ति को छोड़कर)।

धारा 54F के अनुसार कटौती की मात्रा

(a) यदि मूल संपत्ति को शुध्द विक्रय प्रतिफल नए मकान की लागत के समान अथवा उससे कम है, तो संपूर्ण पूँजी लाभ कर मुक्त होगा।

(b) यदि मूल संपत्ति का शुध्द विक्रय प्रतिफल नए मकान की लागत से अधिक है, तो कर से छूट उस अनुपात में दी जाएगी, जो नए मकान की लागत का शुध्द विक्रय प्रतिफल है। अर्थात् इसकी गणना निम्न प्रकार की जाएगी–

$$\text{कर मुक्त राशि} = \frac{\text{पूँजी लाभ} \times \text{नए मकान की लागत}}{\text{शुध्द विक्रय प्रतिफल}}$$

पूँजी लाभ खाता योजना में निवेश की गई राशि को निर्धारित अवधि के भीतर रिहायशी मकान के क्रय पर निर्माण हेतु पूर्णतः या आंशिक रुप से उपयोग में न लाए जाने के परिणाम– इस प्रकार उपयोग में नहीं लाई गई अनुपातिक राशि जिस पर धारा 54F के अंतर्गत पहले छूट दी जा चुकी है, जिस गत वर्ष में मूलसंपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है, उस वर्ष दीर्घकालीन पूँजी लाभ के रुप में कर योग्य होती (इसमें पूँजी लाभ खाता योजना में निक्षेप की तिथि से तीन वर्ष नहीं देखे जाते) ऐसी स्थिति में, करदाता को योजना में निक्षेप की गई राशि को आहरित करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी

3.3.9.6 औद्योगिक उपक्रमों के बाहरी क्षेत्रों से स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ (धारा 54G) (Section 54(G) – Capital Gains on Transfer of Property on Transfer from Outside Areas of Industrial Undertakings)

औद्योगिक उपक्रम के बाहरी क्षेत्रों से स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ सभी श्रेणी के करदाताओं की दशा में कर मुक्त है। कर से छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध है–

(a) हस्तांतरण उपक्रम को एक बाहरी क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में स्थनांतरित करने के दौरान अथवा परिणामस्वरूप हुआ है। अन्य क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है, जो बाहरी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

बाहरी क्षेत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जो नगर निगम अथवा नगर पालिका की सीमाओं के भीतर है तथा जिसको केंद्रीय सरकार जनसंख्या, उद्योगों के केंद्र को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र तथा अन्य संबंधित घटकों के उचित नियोजन की आवश्यकता समझते हुए सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजन हेतु बाहरी क्षेत्र घोषित करे।

(b) **हस्तांतरित संपत्ति–** मशीनरी, प्लांट, भवन, भूमि अथवा बाहरी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम के व्यापार में प्रयुक्त भवन या भूमि में कोई अधिकार है।

(c) हस्तांतरित संपत्ति पर पूँजी लाभ अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन हो सकता है। सामान्यतः यह अल्पकालीन पूँजी लाभ ही होगा, क्योंकि औद्योगिक उपक्रम में प्रयुक्त अधिकांश संपत्तियाँ ह्रास योग्य होती हैं।

(d) हस्तांतरण की तिथि से पूर्व एक वर्ष के भीतर अथवा बाद में 3 वर्षों के भीतर पूँजी लाभ का उपयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु किया जाना जाहिए।

विनिर्दिष्ट उद्देश्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(i) जिस क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को स्थानांतरित किया जाना है, उसमें उपक्रम के व्यापार के उद्देश्य के लिए नई मशीनरी अथवा प्लांट का क्रय।

(ii) उस अन्य क्षेत्र में करदाता के व्यापार हेतु भवन अथवा भूमि को प्राप्त करना अथवा भवन का निर्माण करना।

(iii) पुराने उपक्रम के स्थानांतरण तथा उसके क्षेत्र में स्थापना पर व्यय, अथवा

(iv) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय करना जो इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों।

3.3.9.7 बाहरी क्षेत्र में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ कर से मुक्त है (धारा 54GA) (Capital Gains on Transfer of Assets on Transfer of Industrial undertaking to any Special Economic Zones Outside the Territory are Exempt from Tax under Section 54(GA))

किसी औद्योगिक उपक्रम को बाहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानांतरित किए जाने के दौरान फर्निचर तथा फिटिंग्स को छोड़कर अन्य स्थाई

संपत्तियों के हस्तांतरण पर उत्पन्न पूँजी लाभ सभी श्रेणी के करदाताओं की दशा में कर मुक्त है।

3.3.9.8 आवासीय संपत्ति के अंतरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर छूट (Exemption on Capital Gains on Transfer of Residential Property)

अंतरिम संपत्ति का तात्पर्य आवासीय पूँजी संपत्ति जो मकान या प्लॉट हो सकता है, जिसका अंतरण 1/4/2017 के पूर्व होनी चाहिए।

कर छूट की शर्ते–

(i) करदाता द्वारा आय विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक शुद्ध प्रतिफल मान्य कंपनी के समता अंशों में विनियोग करना होगा।

अगर शुद्ध प्रतिफल पूरा विनियोग किया गया, तो शतप्रतिशत छूट मिलेगी अन्यथा अनुपातिक छूट मिलेगी।

(ii) यह विनियोग तिथि से 1 वर्ष के अंदर करना होगा।

नई संपत्ति को प्राप्त करने अथवा पूँजी लाभ की राशि को जमा अथवा विनियोग करने की अवधि में वृद्धि

धारा 54H के अनुसार 54, 54B, 54D, 54EC तथा 54F में उल्लिखित करदाता द्वारा नई संपत्ति को प्राप्त करने की अवधि।

(अर्थात् 6 माह, संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से पूर्व एक वर्ष अथवा बाद में दो/तीन वर्ष)

अनिवार्य अधिग्रहण की स्थिति में हस्तांतरण उस वर्ष में होता है, जिस वर्ष संपत्ति विधान द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई हो, परंतु पूँजी लाभ उस गत वर्ष में होता है जिस वर्ष क्षतिपूर्ति की राशि आंशिक या पूर्ण रुप से प्राप्त हुई हो।

3.3.10 अल्पकालीन पूँजीगत लाभों की गणना सारणी (Table: Computation of Short Term Capital Gain)

सारणी क्र. 3.6: अल्पकालीन पूँजी लाभ की गणना सारणी

विवरण	राशि	राशि
प्रतिफल का मूल्य		XXX
(–) घटाएँ		
(i) हस्तांतरण के संबंध	XXX	
(ii) प्राप्त करने का व्यय	XXX	
(iii) सुधार परिव्यय	XXX	
		(–) XXX
सकल अल्पकालीन लाभ		XXX
(–) घटाएँ		

(i) कृषि भूमि के हस्तांतरण की छूट धारा 54(B)	XXX	
(ii) भूमि व भवन की अनिवार्यता अधिग्रहण की छूट 54(D)	XXX	
(iii) बाहरी क्षेत्र से गैर-बाहरी क्षेत्र में ले जाने के संबंध में संपत्तियों की धारा 54(G) हस्तांतरण संबंधी छूट	XXX	
(iv) बाहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम SEZ में स्थापित करने के संबंध में छूट धारा 54(GA)	XXX	
		(–) XXX
अल्पकालीन कर योग्य पूँजी लाभ		XXX

3.3.11 दीर्घकालीन पूँजी लाभ की गणना सारणी (Table: Computation of Long Term Capital Gain)

सारणी क्र. 3.7

विवरण	राशि	राशि
प्रतिफल का मूल्य		XXX
(–) घटाएँ		
(i) हस्तांतरण के संबंध	XXX	
(ii) प्राप्त करने का व्यय	XXX	
(iii) सुधार परिव्यय	XXX	
		(–) XXX
सकल दीर्घकालीन लाभ		XXX
(–) घटाएँ		
(i) निवास मकान के हस्तांतरण से छूट धारा 54	XXX	
(ii) कृषि भूमि के हस्तांतरण की छूट धारा 54(B)	XXX	
(iii) भूमि व भवन की के अनिवार्यता अधिग्रहण की छूट 54(D)	XXX	
(iv) दीर्घकालीन पूँजी संपत्तियाँ हस्तांतरण लाभ को निर्दिष्ट दीर्घकालीन लाभ में विनियोग करने से प्राप्त छूट धारा 54(EC)	XXX	
(v) पूँजी लाभ से निवासी मकान में विनियोग से छूट धारा 54(F)	XXX	
(vi) बाहरी क्षेत्र से गैर-बाहरी क्षेत्र में ले जाने के संबंध में संपत्तियों की धारा 54(G) हस्तांतरण संबंधी छूट	XXX	
(vii) बाहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम SEZ में स्थापित करने के संबंधी छूट धारा 54(GA)	XXX	
		(–) XXX
दीर्घकालीन कर योग्य पूँजी लाभ		XXX

विशेष सूचना

पूँजी लाभ के लिए आय कर के दर–

(i) अल्पकालीन पूँजी लाभ पर आय कर दर 15 प्रतिशत

(ii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर आय कर दर 20 प्रतिशत

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

21. पूँजीगत लाभ __________ भागों में विभाजित किया है।

(क) दो (ख) तीन

(ग) चार (घ) पांच

22. __________ का समावेश पूँजीगत संपत्ति में नहीं होता।

(क) भूमि (ख) गहने

(ग) व्यापारिक माल का रहतिया (घ) व्यापार की ख्याति

23. __________ का समावेश पूँजीगत संपत्ति में नहीं होता है।

(क) व्यक्तिगत उपयोग की कार (ख) घरेलू फर्निचर

(ग) व्यापारिक माल (घ) इनमें से सभी

24. __________ का समावेश पूँजीगत संपत्ति में होता है।

(क) पुरातत्वीय संग्रह (ख) गहने

(ग) मूर्तियाँ (घ) इनमें से सभी

25. __________ का समावेश पूँजीगत संपत्ति में नहीं होता है।

(क) कपड़े (ख) घरेलू फर्निचर

(ग) घरेलू प्रयोग के बिजली यंत्र (घ) इनमें से सभीं

26. __________ का समावेश पूँजीगत संपत्ति में होता है।

(क) कंपनी के अंश (ख) पट्टाधारी का अधिकार

(ग) निर्माण करने का अधिकार (घ) इनमें से सभीं

27. वित्तीय संपत्ति छोड़कर अन्य संपत्ति जो करदाता के पास हस्तांतरण के पूर्व __________ माह की अवधि से अधिक नहीं हो, तो वह अल्पकालीन लाभ समझा जाएगा।

(क) 12 (ख) 24

(ग) 36 (घ) इनमें से सभीं

28. वित्तीय संपत्ति जो करदाता के पास हस्तांतरण के पूर्व __________ माह की अवधि से अधिक नहीं हो, तो वह अल्पकालीन लाभ समझा जाएगा।

(क) 12 (ख) 24

(ग) 36 (घ) इनमें से सभीं

29. वित्तीय संपत्ति जो करदाता के पास हस्तांतरण के पूर्व __________ माह की अवधि से अधिक हो, तो वह दीर्घकालीन लाभ समझा जाएगा।

    (क) 12 (ख) 24

    (ग) 36 (घ) इनमें से सभीं

30. वित्तीय संपत्ति छोड़कर अन्य संपत्ति जो करदाता के पास हस्तांतरण के पूर्व __________ माह की अवधि से अधिक हो, तो वह दीर्घकालीन लाभ समझा जाएगा।

    (क) 12 (ख) 24

    (ग) 36 (घ) इनमें से सभीं

31. वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक __________ है।

    (क) 100 (ख) 200

    (ग) 280 (घ) 272

32. __________ वित्तीय वर्ष में लागत वृद्धि सूचकांक 100 है।

    (क) 2001 (ख) 2018

    (ग) 2019 (घ) 2010

33. एक मकान संपत्ति का 2001—2002 में उचित मूल्य 10,00,000 था। वर्ष 2018—19 के लागत वृद्धि सूचकांक के आधार के अनुसार इस संपत्ति का मूल्य रु __________ रहेगा।

    (क) 10,00,000 (ख) 18,00,000

    (ग) 28,00,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

34. एक व्यक्ति करदाता को दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर धारा 111A के अनुसार __________ प्रतिशत दर से आयकर लगेगा।

    (क) 10 (ख) 15

    (ग) 20 (घ) इनमें से कोई नहीं

35. एक व्यक्ति करदाता को अल्पकालीन पूँजी लाभ पर __________ प्रतिशत दर से आयकर लगेगा।

    (क) 10 (ख) 15

    (ग) 20 (घ) इनमें से कोई नहीं

36. जिस संपत्ति पर घास लगाया जाता है, उस संपत्ति का पूँजी लाभ __________ कालीन होता है।

    (क) अल्प (ख) दीर्घ

    (ग) (क) तथा (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

37. __________ व्यवहार हस्तांतरण श्रेणी में नहीं आता।

    (क) उपहार (ख) वसीयत

    (ग) (क) तथा (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

38. एक मकान संपत्ति का 2001–2002 में उचित मूल्य 5,00,000 था, वर्ष 2018–19 के लागत वृद्धि सूचकांक के आधार के अनुसार इस संपत्ति का मूल्य रु __________ रहेगा।
    (क) 10,00,000 (ख) 18,00,000
    (ग) 14,00,000 (घ) इनमें से कोई नहीं
39. पूँजी लाभ का उदय संपत्ति के __________ पश्चात् होता है।
    (क) व्यापारिक माल (ख) हस्तांतरण
    (ग) निर्माणकार्य (घ) इनमें से कोई नहीं
40. पूँजी लाभ का उदय संपत्ति के __________ पश्चात् होता है।
    (क) व्यापारिक माल (ख) हस्तांतरण
    (ग) निर्माणकार्य (घ) इनमें से कोई नहीं
41. धारा 54 __________ है।
    (क) भूमि विक्रय के संबंध में
    (ख) अंश विक्रय के संबंध में
    (ग) रहवासी मकान विक्रय के संबंध में
    (घ) इनमें से कोई नहीं
42. धारा 54 के अंतर्गत __________ विनियोग कटौती योग्य है।
    (क) रहवासी मकान क्रय के संबंध में
    (ख) अंश विक्रय के संबंध में
    (ग) कृषि भूमि क्रय के संबंध में
    (घ) इनमें से कोई नहीं
43. धारा 54B के अंतर्गत __________ विनियोग कटौती योग्य है।
    (क) रहवासी मकान क्रय के संबंध में
    (ख) अंश विक्रय के संबंध में
    (ग) कृषि भूमि क्रय के संबंध में
    (घ) इनमें से कोई नहीं
44. धारा 54EC के अंतर्गत __________ विनियोग कटौती योग्य है।
    (क) रहवासी मकान क्रय के संबंध में
    (ख) अंश विक्रय के संबंध में
    (ग) कृषि भूमि क्रय के संबंध में
    (घ) इनमें से कोई नहीं

3.3.12 व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

उदा. 8: श्रीमान दिनानाथ ने एक मकान संपत्ति रु 3,30,000 में 5 सितंबर 1978 को खरीदी की, उस संबंध में इस मकान विस्तार हेतु निम्न खर्च किए–

टिप्पणी

(i) पहली मंजिल का निर्माण 1980–81 में किया, जिसकी लागत रु 2,25,000 है।

(ii) दूसरी मंजिल का निर्माण 2004–05 में किया, जिसकी लागत रु 5,25,000 है।

(iii) मकान संपत्ति का विस्तार 2012–13 में किया, जिसकी लागत रु 12,60,000 है।

1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित मूल्य रु 19,65,000 था। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को अपनी मकान संपत्ति रु 1,02,00,000 में बेची। उस घर के हस्तांतरण के संबंध में रु 1,80,000 खर्च आया।

उपर्युक्त जानकारी के आधार पर श्रीमान दिनानाथ के पूँजी लाभ की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

(CII: 2001–02 = 100, 2004–05 = 113, 2012–13 = 200, 2018–19 = 280)

उत्तरः श्रीमान दिनानाथ की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफलः		1,02,00,000
– स्थानांतरण व्यय		1,80,000
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		1,00,20,000
–संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 1 देखें	55,02,000	
– संपत्ति सुधार (2004–05) करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 2 देखें	13,00,885	
– संपत्ति सुधार (2012–13) करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 3 देखें	17,64,000	
		85,66,885
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		14,53,115

– संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के पूर्व खरीदी है, इसलिए 1 अप्रैल 2001 का उचित मूल्य के आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के पूर्व खरीदी है, इसलिए 1 अप्रैल 2001 का उचित मूल्य के आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

टिप्पणी

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहिली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीती सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीती सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{19{,}65{,}000 \times 280}{100} = \mathbf{55{,}02{,}000}$$

क्र. 2: संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत (2004–05)

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{सुधार की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{सुधार करने वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}$$

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{5{,}25{,}000 \times 280}{113} = \mathbf{13{,}00{,}885}$$

क्र. 3: संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत (2012–13)

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{सुधार की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{सुधार करने वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}$$

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{12{,}60{,}000 \times 280}{200} = \mathbf{17{,}64{,}000}$$

उदा 9: कु. शीतल ने एक मकान संपत्ति रु 6,00,000 में 1 अगस्त 2006 में खरीदी, जिसके पंजीयन के लिए रु 20,000 खर्च किया। उस ने 15 अप्रैल 2012 को मकान संपत्ति के सुधार के लिए 1,00,000 खर्च किए। वह मकान संपत्ति 1 दिसंबर 2018 को रु 30 लाख में बेची, जिसके लिए उन्होंने रु 50,000 की दलाली श्री. देशमुख को दी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2001 – 02 = 100, 2006 – 07 = 122, 2012 – 13 = 200, 2018 –19 = 280)

टिप्पणी

उत्तर: कु. शीतल की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफल:		30,00,000
– स्थानांतरण व्यय		50,000
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		29,50,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 1 देखें	14,22,951	
– संपत्ति सुधार (2012–13) करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 2 देखें	1,40,000	
		15,62,951
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		13,87,049

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के बाद खरीदी है, इसलिए खरीदी दिनांक 1 जून 2006 है, उस आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{6,20,000 \times 280}{122} = \mathbf{14,22,951}$$

टिप्पणी

क्र. 2: संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत (2012–13)

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{सुधार की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{सुधार करने वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक}}$$

$$\text{संपत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत} = \frac{1,00,000 \times 280}{200} = \mathbf{1,40,000}$$

उदा. 10: श्रीमती सुनंदा ने एक जमीन 1973–74 में रु 3,00,000 में खरीदी थी, उसे 1 जनवरी 1999 को अपने बालिग बेटे अशोक के नाम वह जमीन स्थानांतरित की जिसका बाजार मूल्य उस समय रु 8,50,000 था। 1/4/2001 को उस जमीन का उचित मूल्य रु 35,00,000 था, वह जमीन अशोक ने गत वर्ष 15 दिसंबर 2018 को रु 1,08,50,000 में बेची। उसके लिए उसे रु 8,50,000 स्थानांतरण खर्च आया।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2001–02 = 100, 2018–19 = 280)

उत्तर: श्रीमती सुनंदा की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफल:		1,08,50,000
– स्थानांतरण व्यय		8,50,000
शुद्ध बिक्रय प्रतिफल		1,00,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियाकात्मक टिप्पणी 1 देखें		– 98,00,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		2,00,000

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के पहले स्थानांतरित हुई है, इसलिए दिनांक 1 अप्रैल 2001 के मूल्य को सूचकांकित मूल्य के लिए आधार माना जाएगा। उस आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

टिप्पणी

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{35,00,000 \times 280}{100} = \mathbf{98,00,000}$$

उदा. 11: श्रीमती काननबाला ने एक जमीन 1973–74 में रु 6,00,000 में खरीदी थी, उसे 1 जनवरी 1999 को अपने बालिग बेटी कुमारी अनुजा के नाम वह जमीन स्थानांतरित की जिसका बाजार मूल्य उस समय रु 10,00,000 था। 1/4/2001 को उस जमीन का उचित मूल्य रु 35,00,000 था, वह जमीन अनुजा ने गत वर्ष 15 दिसंबर 2018 को रु 1,50,50,000 में बेची। उसके लिए हस्तांतरण शुल्क रु 10,50,000 आया।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2001–02 = 100, 2018–19 = 280)

उत्तर: कुमारी अनुजा की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफल:		1,50,50,000
– स्थानांतरण व्यय		10,50,000
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		1,40,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 1 देखें		– 98,00,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		42,00,000

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के पहले स्थानांतरित हुई है, इसलिए दिनांक 1 अप्रैल 2001 के मूल्य को सूचकांकित मूल्य के लिए आधार माना जाएगा। उस आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{35,00,000 \times 280}{100} = \mathbf{98,00,000}$$

उदा. 12: मिस्टर शुभम ने शुभम अपार्टमेंट, पुणे में एक फ्लैट 10 जून 2004 को खरीदा जिसका क्रय मूल्य रु 15,00,000 था, तथा स्थानांतरण पंजीयन शुल्क रु 1,00,000 शुभम ने किया। वह फ्लैट उसने रु 50,00,000 में गत वर्ष 2018–19 में 5 जनवरी 2019 को बेचा।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2001–02 = 100, 2004–05 = 113, 2018–19 = 280)

उत्तर: मिस्टर शुभम की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफल:		50,00,000
– स्थानांतरण व्यय		–
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		50,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 1 देखें		–39,64,602
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		10,35,398

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के बाद स्थानांतरित हुई है, इसलिए दिनांक 10 जून 2004 मूल्य को सूचकांकित मूल्य के लिए आधार माना जाएगा। उस आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{16{,}00{,}000 \times 280}{113} = \mathbf{39{,}64{,}602}$$

उदा. 13: श्री. लक्ष्मण ने 10 अगस्त 2016 को रु 6,00,000 में एक पूँजी संपत्ति क्रय की, उन्होंने 5 अगस्त 2018 को व्यापारी रहतिया में परिवर्तित कर दीं। उस समय उसका उचित बाजार मूल्य रु 9,00,000 था, उसे उसने 5 फरवरी 2019 को रु 5,50,000 में बेच दिया।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. लक्ष्मण की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
व्यापार व पेशे से आय		
विक्रय मूल्य – उचित मूल्य		
11,00,000 – 9,00,000		2,00,000
पूँजी लाभ		
विक्रय मूल्य	9,00,000	
– प्राप्ति की लागत	6,00,000	
अल्पकालीन पूँजी लाभ		3,00,000
कुल आय		5,00,000

उदा. 14: श्रीमान पवन ने नागपुर का एक रिहायशी मकान जो उसने 17 अगस्त 2009 में रु 2,00,000 में प्राप्त किया था, उसे 18 जनवरी 2019 में रु 40,00,000 में बेचा। उसने 12 मार्च 2019 को रु 35,00,000 में एक रिहायशी मकान यवतमाल में क्रय किया।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2009–10 = 148, 2018–19 = 280)

टिप्पणी

उत्तरः श्री. पवन की पूँजी लाभ से करयोग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफलः		40,00,000
– स्थानांतरण व्यय		–
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		40,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 1 देखें		– 3,78,378
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से करयोग्य आय		36,21,622
– नए रिहायशी मकान की खरीद 12 मार्च 2019 को धारा 54 के अनुसार छूट		– 35,00,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से करयोग्य आय		1,21,622

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के बाद खरीदा, इसलिए स्थानांतरित हुई है, इसलिए दिनांक 17 अगस्त 2009 के मूल्य को सूचकांकित मूल्य के लिए आधार माना जाएगा। इस आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{2,00,000 \times 280}{148} = \mathbf{3,78,378}$$

उदा. 15: श्रीमान रमन ने कानपुर का एक रिहायशी मकान जो उसने 17 अगस्त 2009 में रु 2,00,000 में प्राप्त किया था, उसे 18 जनवरी 2019 में रु 40,00,000 में बेचा। उसने 12 मार्च 2019 को रु 20,00,000 पूँजी लाभ योजना में जमा किए।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2009–10 = 148, 2018–19 = 280)

उत्तरः श्री. रमन की पूँजी लाभ से करयोग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफलः		40,00,000
– स्थानांतरण व्यय		–
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		40,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य क्रियात्मक टिप्पणी 1 देखें		– 3,78,378
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		36,21,622
– पूँजी लाभ योजना में 12 मार्च 2019 को धारा 54 के अनुसार छूट		– 20,00,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		16,21,622

क्रियात्मक टिप्पणी

क्र. 1: संपत्ति वित्तीय वर्ष 2001–02 के बाद खरीदा, इसलिए स्थानांतरित हुई है, इसलिए दिनांक 17 अगस्त 2009 के मूल्य को सूचकांकित मूल्य के लिए आधार माना जाएगा। इस आधार पर सूचकांकित मूल्य आगणित किया जाएगा।

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{\text{प्राप्त करने की लागत} \times \text{गत वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक जिसमें संपत्ति हस्तांतरित की है}}{\text{उस वर्ष का जिसमें करदाता द्वारा संपत्ति पहली बार प्राप्त की गई है, उस वर्ष की लागत स्फीति सूचकांक अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो बाद में हो}}$$

$$\text{संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत} = \frac{2,00,000 \times 280}{148} = \mathbf{3,78,378}$$

उदा. 16: अमन ने एक कृषि भूमि 2007–08 में रु 10,00,000 में खरीदी। उस कृषि भूमि को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 17 अप्रैल 2018 को रु 35,00,000 में बेची। उस भूमि को बेचकर 25 दिसंबर 2018 को रु 10,00,000 में दूसरी कृषि भूमि खरीद ली।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2007–08 = 129, 2018–19 = 280)

टिप्पणी

उत्तरः श्री. अमन की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफलः		35,00,000
–हस्तांतरण शुल्क		–
शुध्द विक्रय प्रतिफल		35,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य		–21,70,543
		13,29,457
– नई कृषि भूमि की खरीद 25 दिसंबर 2018 धारा 54B के अनुसार छूट		10,00,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		3,29,457

उदा. 17: श्रीमान चमन ने श्रीनगर का एक रिहायशी मकान जो उसने 2001–02 में रु 2,00,000 में निर्माण किया, उसे 18 जनवरी 2019 में रु 20,00,000 में बेचा। उसने 12 मार्च 2019 को रु 14,00,000 में नया मकान खरीदी। मकान के क्रय–विक्रय पर 2 प्रतिशत दलाली दी तथा नए मकान का पंजीयन शुल्क रु 40,000 है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2001–02 = 100, 2018–19 = 280)

उत्तरः श्री. चमन की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
विक्रय प्रतिफलः		20,00,000
– दलाली 20,00,000 × 2%		40,000
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		19,60,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य		– 5,60,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से करयोग्य आय		14,00,000
– नए रिहायशी मकान की खरीदी 12 मार्च 2019 को धारा 54 के अनुसार छूट	14,00,000	
दलाली 15,00,000 × 2%	30,000	
पंजीयन शुल्क	40,000	
		14,70,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		20,000

टिप्पणी

उदा. 18: श्री. अनंतनाथ ने कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में रिहायशी मकान के संपत्ति की बिक्री के संबंध में निम्न सूचना प्रदान की।

विवरण	राशि
31 दिसंबर 1999 में मकान खरीदा	2,00,000
2001–02 में मकान का उचित मूल्य	4,50,000
मकान की बिक्री 5 अगस्त 2018	48,00,000
सितंबर 2018 में नया रिहायशी मकान खरीदा	22,00,000
जनवरी 2019 में धारा 54EC के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉण्ड में विनियोग	11,00,000

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2001–02 = 100, 2018–19 = 280)

उत्तर: श्री. अनंतनाथ की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
मकान बिक्री 5 अगस्त 2018		48,00,000
– हस्तांतरण शुल्क		–
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		48,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य		– 12,60,000
		35,40,000
– नए मकान का क्रय सितंबर 2018 धारा 54 के अनुसार छूट	22,00,000	
– जनवरी 2019 में धारा 54EC के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉण्ड में विनियोग	11,00,000	
		33,00,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		2,40,000

उदा. 19: मिस्टर रामनाथ ने गत वर्ष 2004–05 में रु 2,00,000 के गहने खरीदे तथा गत वर्ष 2010–11 में उन्होंने रु 1,00,000 के और गहने खरीद लिए। वे गहने क्रमशः 5,00,000 तथा 21,00,000 में गत वर्ष 2018–19 में बेचे। गहनों को हस्तांतरित करने पर सुनार की दलाली 1 प्रतिशत है। उन्होंने 15 मई 2019 को पूँजी लाभ खाता योजना में 4,00,000 तथा 2,00,000 की राशि 15/11/2019 को उसी खाते में जमा कराई। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को निवासी घर बनाने हेतु रु 5,00,000 में प्लॉट खरीदा।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी से लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2004–05 = 113, 2010–11 = 167, 2018–19 = 280)

टिप्पणी

उत्तरः श्री. रामनाथ की पूँजी लाभ से कर योग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
गहनों की बिक्रीः		
– 2004–05 में क्रय गहनों की	5,00,000	–
+ 2010–11 में क्रय गहनों की	21,00,000	
		26,00,000
– सुनार की दलाली 1 प्रतिशत		26,000
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		25,74,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य		
2004–05	4,95,575	
2010–11	1,67,665	– 6,63,240
		19,10,760
– दीर्घकालीन पूँजी लाभ की कटौती 54F के अनुसार	6,68,098	
		6,68,098
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से करयोग्य आय		12,46,662

क्रियात्मक टिप्पणी

धारा 54F की कटौती प्राप्त करने के लिए पूँजी लाभ खाता योजना के अंतर्गत संबंधित कर निर्धारण वर्ष की आय विवरणी आयकर विभाग को प्रस्तुत करने के पूर्व जमा होनी चाहिए। अन्यथा कटौती नहीं मिलेगी।

उदा. में 15 मई 2019 को जो रु 4,00,000 पूँजी लाभ खाते में जमा किए गए है, उसकी कटौती मिलेगी रु 2,00,000 की नहीं, क्योंकि यह राशि आय विवरणी प्रस्तुत करने के अंतिम सीमा के पश्चात् जमा की गई है अर्थात् 15 नवंबर 2019।

उदा. 20: श्रीमान नयन प्रसाद तीन मकानों का स्वामी है, जो अमरावती में स्थित हैं।

मकान क्रमांक	क्रय तिथि	मूल्य	विक्रय तिथि	मूल्य
1	1 अप्रैल 2008	5,15,000	23 मई 2018	25,00,000
2	30 मई 2018	15,00,000	1 मार्च 2019	17,10,000
3	निवासी मकान (1 मार्च 1998)	4,00,000	–	–

उपरोक्त व्यवहारों से नयन प्रसाद के पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

(CII: 2008–09 = 137, 2018–19 = 280)

उत्तरः श्रीमान नयन प्रसाद के पूँजी लाभ की गणना।

टिप्पणी

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
प्रथम मकान बिक्री से लाभः दीर्घकालीन लाभ क्योंकि संपत्ति 36 माह से अधिक काल के लिए थी		
विक्रय प्रतिफल		25,00,000
– हस्तांतरण शुल्क		–
शुद्ध विक्रय प्रतिफल		25,00,000
– संपत्ति प्राप्त करने का सूचकांकित मूल्य		
2008–09		8,65,150
दीर्घकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		16,34,850
मकान संपत्ति क्रमांक 2: संपत्ति खरीदी दिनांक 31 मई 2018 तथा बिक्री 1 मार्च 2019 अर्थात् करदाता के पास यह मकान संपत्ति 9 माह के लिए थी, जो 36 माह की अवधि से कम है। इसलिए यह लाभ अल्पकालीन लाभ होगा।		
विक्रय प्रतिफल		17,10,000
– हस्तांतरण शुल्क		–
शुध्द विक्रय प्रतिफल		17,10,000
– क्रय मूल्य		15,00,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ से कर योग्य आय		2,10,000

3.4 अन्य स्त्रोतों से आय (Income from Other Sources) (धारा 56–59)

3.4.1 प्रस्तावना (Introduction)

अन्य स्त्रोतों से आय– यह आय का पाँचवा तथा अंतिम शीर्षक है, इसमें वह सभी आय सम्मिलित होती है, जिस आय का समावेश वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे से आय तथा पूँजी लाभ में नहीं होता है, इन सभी आय का समावेश अन्य स्त्रोतों से आय में ही होता है।

3.4.2 अन्य साधनों से आय शीर्षक सम्मिलित मद (Income Chargeable Under the Head "Income from other Sources")

अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः शामिल होने वाली अन्य आय में निम्नलिखित कुछ ऐसी आय का वर्णन किया गया है, जो सामान्यतः अन्य साधनों से अन्य शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है तथा विनिर्दिष्ट चार शीर्षकों में से किसी में नहीं आती–

टिप्पणी

1. किसी किराएदार द्वारा मकान संपत्ति को पुनः किराए (Sub-letting) पर उठाने से आय
2. आकस्मिक आय (लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहेली, ताश का खेल, अन्य खेल से जीती राशि) रु 10,000 तक टी.डी.एस. नहीं काटा जाता है, अधिक हो तो टी.डी.एस. की कटौती की जाती है।
3. बीमा का कमिशन
4. पारिवारिक भत्ता/पेंशन (मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों द्वारा प्राप्त भुगतान)
5. संचालक मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए संचालक को प्राप्त फीस
6. बैंक निक्षेपों/कंपनी में निक्षेपों पर ब्याज
7. ऋण पर ब्याज
8. अप्रकट स्त्रोतों से आय
9. संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक
10. विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों पर ब्याज
11. नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से किसी शिक्षक को प्राप्त परीक्षक पारिश्रमिक, गेस्ट लेक्चर्स का मानधन आदि।
12. जिस समय अप्रमाणित भविष्यनिधि में कर्मचारीं के अंशदान की एकत्रित राशि का एकमुश्त भुगतान देय हो जाता है, उस तिथि तक का कुल ब्याज
13. खाली पड़े भूखण्ड का किराया
14. भारत के बाहर स्थित किसी कृषि भूमि से आय
15. रॉयल्टी की आय यदि यह व्यापार अथवा पेशे से आय से संबंधित नहीं हो तो
16. बैंकर्स के गारंटर के रूप में संचालक को प्राप्त कमिशन
17. एक नई कंपनी के अंशों के अभिगोपन के लिए संचालक को प्राप्त कमिशन
18. एक संचालक जो संबंधित अनुबंध के अधीन कंपनी का कर्मचारी या सेवक नहीं है, उसको दी गई ग्रैच्यूइटी
19. खनन के अधिकार शुल्क से प्राप्त आय
20. बाजारों, मछली के तालाबों, घाटों या लंगर के अधिकारों से आय
21. चराने का अधिकार देने से आय
22. अग्रिम कर की आधिक्य राशि पर सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज
23. व्यापार की समाप्ति के पश्चात् आय
24. होटल के बैरे को प्राप्त बख़्शीस
25. राष्ट्रीय बचत योजना में जमा (मूल धन तथा ब्याज)
26. बिना प्रतिफल से प्राप्त राशि

27. बिना स्टैंप ड्यूटी से स्थानांतरित संपत्ति रु 50,000 से अधिक है, तो स्टैंप ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य
28. फर्निचर, मशीनरी, प्लांट आदि किराए से देने पर प्राप्त किराया
29. भारत में खेलने के लिए चुने गए क्रिकेट खिलाड़ियों की आयः भारत में खेले गए टेस्ट के फीस के 25 प्रतिशत कर योग्य होगी। विदेश में खेले गए टेस्ट के फीस के 50 प्रतिशत कर योग्य होगी।
30. बिना प्रतिफल से प्राप्त रु 50,000 से अधिक प्राप्त नगद राशि।

3.4.3 अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित विशिष्ट आय (Specific Income Included under Income from Other Sources (Section 56(2))

ऐसी अनेक आय है, जो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। ये निम्नलिखित हैं–

(a) धारा 115–0 में संदर्भित लाभांशों के अतिरिक्त कोई लाभांश,

(b) लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल तथा किसी प्रकार के अन्य खेल, जुआ अथवा किसी भी रुप या प्रकृति की शर्त लगाने से जीत तथा

(c) किसी भविष्य निधि अथवा कर्मचारियों हेतु किसी अन्य कल्याण निधि में करदाता द्वारा कर्मचारी के अंशदान के रूप में प्राप्त कोई राशि बशर्ते यह व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं है।

(d) प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय बशर्ते यह आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है।

(e) मशीनरी, प्लांट अथवा फर्निचर जो करदाता के हैं तथा किराए पर उठाए गए हैं, उससे आय बशर्ते यह आय व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं।

(f) यदि करदाता अपनी मशीनरी प्लांट अथवा फर्निचर और भवनों को भी किराए पर देता है और ऐसे भवनों का किराए पर दिया जाना उक्त मशीनरी, प्लांट या फर्निचर के किराए पर दिए जाने से पृथक् नहीं है, तो ऐसे किराए से होने वाली आय बशर्ते यह आय व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है।

(g) महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त राशि जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी शामिल है, बशर्ते यह आय वेतन अथवा व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है।

(h) कोई भी धन राशि जिसका योग रु 50,000 से अधिक है अथवा अचल संपत्ति अथवा अचल संपत्ति को छोड़कर अन्य कोई संपत्ति जो एक व्यक्ति अथवा HUF को बिना किसी प्रतिफल के अथवा स्टाम्प शुल्क मूल्य अथवा उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्राप्त हुई हो।

(i) धारा 145A(b) में संदर्भित क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज पर से आय।

टिप्पणी

3.4.4 अन्य स्त्रोतों से आय के लिए कटौतियाँ धारा 57 (Deduction from Income from Other Sources Section 57)

स्वीकृत कटौतियाँ – धारा 57 के अंतर्गत अन्य स्त्रोतों से आय शीर्षक की कर योग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं–

1. लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में करदाता द्वारा व्यय की गई उचित राशि जो कमिशन या पारिश्रमिक के रूप में किसी व्यक्ति को ब्याज संग्रह करने के बदले में दी गई हो, परंतु एक विदेशी कंपनी को यह कटौती नहीं दी जाती।
2. भविष्य निर्वाह निधि आदि में कर्मचारियों का अंशदान नियोक्ता की आय मानी गई, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि संबंधित फण्ड में कर्मचारियों के खाते में देय तिथि तक जमा कर दी गई है, तो कटौती योग्य मानी जाएगी।
3. मशीनरी, प्लांट तथा फर्निचर भवन के साथ अथवा भवन के बिना किराए से देने पर प्राप्त आय, जो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। उस संबंध में मरम्मत व्यय, बीमा प्रीमियम तथा ऱ्हास कटौती योग्य होगी।
4. मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी अथवा उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त परिवार पेंशन के संबंध में आय की अथवा रु 15,000 इन दोनों में से जो कम होगी, वह कटौती योग्य होगी।
5. शिकमी किराएदार से प्राप्त किराया अन्य साधनों से आय होगा, उसमें से मकान मालिक को चुकाया किराया तथा मरम्मत व्यय आदि कटौती योग्य होगा।
6. क्षतिपूर्ति या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज की राशि में से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत कटौती योग्य होगा।

3.4.5 अन्य स्त्रोतों से आय में कटौती न मिलने वाली राशि धारा 58 (Deduction not Allowed from Income from Other Sources Section 58)

(i) करदाता का व्यक्तिगत व्यय

(ii) भारत के बाहर दिया हुआ ब्याज जिस पर कर चुकाया नहीं हो अथवा टीडीएस काटा न हो

(iii) यदि किसी व्यय की 10,000 या रु 35,000 से अधिक राशि का अकाऊंट पेई चेक अथवा अकाऊंट पेई बैंक ड्राफ्ट से न किया गया शोधन

(iv) लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ आदि के संबंध में व्यय अथवा हानि की कटौती नहीं मिलती

(v) कर मुक्त आय के संबंध में किए गए व्यय की कटौती नहीं मिलती

3.4.6 दिखावटी लेनदेन (Bond Washing Transactions)

जो लेनदेन करदाता अपने आय को कम करने के लिए निश्चित तिथि के पूर्व प्रतिभूति या संपत्ति का स्थानांतरण अपने निकटतम व्यक्तियों के नाम करता है तथा उसके पश्चात् वह पुनः अपने नाम पर कर लेता है, जिस कारण करदाता का दायित्व कम हो, ऐसे व्यवहारों को दिखावटी लेनदेने कहते हैं। यह करवंचन कर निर्धारण अधिकारियों के ध्यान में आने के पश्चात् उस लेनेदेन को संबंधित हस्तांतरणकर्ता को अपने आकस्मिक् आय में जोड़ना होता है।

3.4.7 प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Securities)

3.4.7.1 प्रतिभूतियों पर ब्याज का अर्थ (Meaning of Interest on Securities)

जो प्रतिभूतियाँ विनियोग के रूप में करदाता द्वारा खरीदी गई है, उन पर प्राप्त ब्याज 'अन्य साधनों से आय' होगी। जो प्रतिभूतियाँ व्यापारी रहतियाँ के रूप में हों, उन पर प्राप्त ब्याज 'व्यापार व पेशे से आय' में सम्मिलित होगी।

3.4.7.2 प्रतिभूतियों के प्रकार (Kinds of Security)

3.4.7.2.1 सरकारी प्रतिभूति (Government Security)

जो प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाती हैं, उसे सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार निम्न हैं–

1. कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति (Tax Free Government Security)
2. कर योग्य सरकारी प्रतिभूति (Less Tax Government Security)

1. **कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति (Tax Free Government Security)**– कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में उन सभी प्रतिभूतियों का समावेश होता है, जो धारा 10(15) में उल्लेखित है तथा उसमें उल्लेखित प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज पूर्णतः कर मुक्त होता है। इस ब्याज का समावेश करदाता की कर योग्य आय की गणना में समावेशित नहीं किया जाता। कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां निम्न हैं–

   (a) सभी करदाताओं के लिए–

   - 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिक प्रमाणपत्र
   - राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980
   - विशेष वाहक बॉन्ड्स, 1991
   - 10 वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट
   - 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट
   - 10 वर्षीय राष्ट्रीय प्लान सर्टिफिकेट
   - 12 वर्षीय राष्ट्रीय प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट
   - 7 वर्षीय तथा 12 वर्षीय पोस्ट ऑफिस बचत पत्र

- पोस्ट ऑफिस बचत खाताः व्यक्तिगत खाते पर अधिकतम रु 3,500 तथा संयुक्त खाते पर अधिकतम रु 7,000 तक राशि कर मुक्त होगी
- 10 वर्षीय / 15 वर्षीय पोस्ट ऑफिस संचयी सावधि जमा खाता
- पोस्ट ऑफिस बचत पत्र (स्थायी जमा नियम 1968) के अंतर्गत स्थायी जमा योजना
- राष्ट्रीय बचत पत्र जो (स्थायी जमा नियम 1968) के अंतर्गत स्थायी जमा योजना।
- विशेष जमा खाता 1981
- पोस्ट ऑफिस का सर्वसाधारण खाते परवेज अधिकतम रु 5,000 तक
- स्वर्ण निक्षेप योजना 1954 के अंतर्गत जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड्स।
- ऐसे बॉन्ड जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। भारत में अनिवासी या असाधारण निवासी को Offshore Banking Unit में 31 / 03 / 2005 के पश्चात् जमा की गई राशि पर प्राप्त ब्याज।

(b) सिर्फ एक व्यक्ति करदाता तथा हिंदू अविभाजित परिवार करदाताओं के लिए 7% परिवार पूँजी विनियोग बॉन्ड्स पर ब्याज कर मुक्त है।

(c) अनिवासी करदाताओं के लिए अधिसूचित बॉन्ड्स पर ब्याज।

(d) सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के करदाताओं के लिए अधिसूचित बॉन्ड्स तथा ऋणपत्रों पर ब्याज।

(e) भोपाल त्रासदी पीड़ितों के लिए वेलफेयर कमिशनर के पास जो प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक में हैं उस पर ब्याज।

2. **कर योग्य सरकारी प्रतिभूति (Less Tax Government Security)**– वह प्रतिभूतियाँ जो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गई है तथा उन प्रतिभूतियों पर ब्याज कर योग्य होता है, परंतु उनके ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता तथा उन्हें सकल नहीं किया जाता, उन्हें कर योग्य सरकारी प्रतिभूति कहते हैं।

   अपवाद: कर योग्य सरकारी प्रतिभूति के ब्याज पर टीडीएस की कटौती की जाती है तथा ब्याज को सकल करना होता है, ऐसी प्रतिभूति निम्न है– 8% बचत कर योग्य बॉन्ड 2003 पर प्राप्त ब्याज गत वर्ष में रु 10,000 से अधिक हो, तो ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर कटौती की जाएगी।

3.4.7.2.2 गैर सरकारी प्रतिभूति (Non-government Security)

जो प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अलावा अन्य संस्थाएँ निर्गमित करती हैं, उन्हें गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ कहते हैं। गैर-सरकारी प्रतिभूति के प्रकार निम्न हैं–

(i) कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूति (Tax Free Non-government Security)

(ii) कर योग्य गैर-सरकारी प्रतिभूति (Less Tax Non-government Security)

(i) कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूति (Tax Free Non-government Security)– कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त नहीं होता है, इन प्रतिभूतियों पर जो ब्याज दिया जाता है, इस पर आयकर के लिए टीडीएस नहीं काटा जाता, उस ब्याज का टीडीएस देय संस्था द्वारा चुकाया जाता है।

(b) कर योग्य गैर-सरकारी प्रतिभूति (Less Tax Non-government Security)– इस प्रतिभूति से प्राप्त ब्याज कर योग्य होता है।

3.4.7.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज का सकलीकरण (Gross-up Interest on Securities)

प्रतिभूतियों पर ब्याज का सकलीकरण– जब प्रतिभूतियों पर भुगतान किए ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, उस समय ब्याज का सकलीकरण किया जाता है। सकलीकरण निम्न स्थितियों में किया जाता हैं।

3.4.7.3.1 सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (Interest on Government Securities)

सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज कभी भी सकलीकरण नहीं किया जाता है। चाहे वे प्रतिभूतियाँ कर मुक्त हो तथा कर योग्य हों।

अपवादः 8% बचत कर योग्य बॉन्ड 2003 पर प्राप्त ब्याज गत वर्ष में रु 10,000 से अधिक हो, तो ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, इसलिए 8% बचत कर योग्य बॉन्ड 2003 पर प्राप्त ब्याज का सकलीकरण किया जाएगा।

3.4.7.3.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (Interest on Non-government Securities)

गैर-सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज का सकलीकरण निम्न परिस्थितियों में किया जाता है–

1. कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज हमेशा सकल बनाया जाएगा (चाहे ब्याज की राशि दी हो अथवा ब्याज का दर)
2. कर योग्य गैर-सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज तभी सकल किया जाता है, जब ब्याज की राशि दी हो अन्यथा नहीं (प्रतिभूति पर ब्याज का दर दिया हो, तो सकलीकरण नहीं किया जाएगा)।

3.4.8 प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज सकलीकरण करने के सूत्र (Formula of Gross-up Interest on Securities)

एक व्यक्ति की दशा में प्रतिभूति पर ब्याज सकलीकरण करने के सूत्र निम्न हैं–

(i) कर योग्य गैर-सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि दी हो, तभी ब्याज का सकलीकरण किया जाता है। इसका सूत्र निम्न है–

$$\text{सकल ब्याज} = \frac{(\text{प्राप्त शुद्ध ब्याज} \times 100)}{100-10 \text{ या } 90}$$

(ii) कर योग्य गैर-सरकारी ऋण पत्र वैधानिक निगम तथा बॉन्ड्स का ब्याज सकलीकरण तभी किया जाता है जब ब्याज की राशि दी हो। इसका सूत्र निम्न हैं–

$$\text{सकल ब्याज} = \frac{(\text{प्राप्त शुद्ध ब्याज} \times 100)}{100-10 \text{ या } 90}$$

चाहे वे प्रतिभूतियाँ सूचित हों या असूचित हों।

3.4.9 अन्य साधनों से आय की गणना सारणी (Table: Computation of Income from other Sources)

सारणी क्र. 3.8

विवरण	राशि	राशि
सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश		xxx
भारतीय कंपनी से 10 लाख से अधिक प्राप्त लाभांश		xxx
विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश		xxx
स्थायी निक्षेप से प्राप्त लाभांश		xxx
आकस्मिक् आय		xxx
पारिवारिक पेंशन		xxx
संयुक्त किराया		xxx
शिकमी किराएदार से प्राप्त किराया (खर्च घटाने के पश्चात्)		xxx
मशीनरी, प्लांट तथा फर्नीचर से प्राप्त किराया (खर्च तथा ऱ्हास घटाने के पश्चात्)		xxx
अधिकार शुल्क प्रतिलिपिधिकार से प्राप्त आय (खर्च घटाने के पश्चात्)		xxx
भारत के बाहर कृषि भूमि से आय		xxx

टिप्पणी

भूमि से किराया, कृषि भूमि छोड़कर		xxx
परीक्षक का मानदेय		xxx
अन्य मानदेय		xxx
मान्य आय		xxx
अस्पष्टीकृत आय		xxx
उपहार		xxx
संसदों तथा विधायकों का वेतन, दैनिक व अन्य भत्ते छोड़कर		xxx
अन्य साधनों से सकल आय		xxx
घटाएँः धारा 57 के अनुसार कटौतियाँ		xxx
अन्य साधनों से कर योग्य आय		xxx

विशेष सूचनाएँ

1. **रिश्तेदार का अर्थ**– करदाता तथा जीवनसाथी के माता–पिता, भाई–बहन तथा उनके जीवनसाथी, बच्चे तथा उनके जीवनसाथी का समावेश होता है।
2. **नगद प्राप्तियाँ**– धारा 56(2)(x)(a) के अनुसार सभी नगद प्राप्तियों का योग बगैर प्रतिफल के रु 50,000 तक कर मुक्त है।
3. **अचल संपत्तियाँ**– धारा 56(2)(x)(b) के अनुसार अचल संपत्तियों का मूल्य रु 50,000 से कम हो जो बगैर प्रतिफल से प्राप्त हुई हो, तो स्टैम्प ड्यूटी का मूल्य उसका मूल्यांकन होगा। अथवा अगर अचल संपत्ति का मूल्य रु 50,000 से ज्यादा हो, और वह कम प्रतिफल में प्राप्त की गई हो, तो स्टैम्प ड्यूटी का मूल्य यह उसका मूल्य होगा तथा कम प्रतिफल में प्राप्त की गई हो तो उचित प्रतिफल जो स्टैम्प ड्यूटी मूल्य से निर्धारित होता है तो वह अंतर मूल्य होगा उपर्युक्त आगणित मूल्य ही कर योग्य होगा।
4. **चल संपत्तियाँ**– धारा 56(2)(x)(c) के अनुसार सभी चल संपत्तियाँ जिनका उचित बाजार मूल्य रु 50,000 से कम हो जो बिना प्रतिफल से प्राप्त हुई हो तो, वह कर मुक्त होगा। अन्यथा कर योग्य होगा। चल संपत्तियों में अंश, प्रतिभूतियाँ, गहने, कलाकृतियाँ आदि का समावेश होता है।
5. आकस्मिक् आय अगर 10 हजार रु से अधिक हो, तो 30 प्रतिशत दर से आयकर की उद्गम स्थान पर कटौती की जाएगी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

45. 'अन्य साधनों की आय' आय का __________ स्त्रोत है।

(क) प्रथम (ख) द्वितीय

(ग) चतुर्थ (घ) पंचम

46. __________ का समावेश अन्य साधनों की आय शीर्षक में नहीं होता।
    (क) आकस्मिक् आय (ख) सहकारी संस्था का लाभांश
    (ग) व्यापार तथा पेशे से आय (घ) उपकिराएदार से प्राप्त किराया
47. अन्य साधनों से आय __________ है।
    (क) आय का प्रमुख साधन (ख) शेष आय
    (ग) एक ही स्त्रोत से आय (घ) नियमित आय
48. __________ अन्य साधनों की आय के अंतर्गत कर योग्य नहीं है।
    (क) सहकारी संस्था का लाभांश (ख) भारतीय कंपनी का लाभांश
    (ग) विदेशी कंपनी का लाभांश (घ) वर्ग पहेली से प्राप्त ईनाम
49. आकस्मिक् आय पर आयकर दर __________ प्रतिशत है।
    (क) 10 (ख) 5
    (ग) 30 (घ) 15
50. कर युक्त गैर-सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 4,500 है, तो अन्य साधनों की आय में रु __________ राशि कर योग्य होगी।
    (क) 4,500 (ख) 5,000
    (ग) 5,200 (घ) इनमें से कोई नहीं
51. कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 6,300 है, तो अन्य साधनों की आय में रु __________ राशि कर योग्य होगी।
    (क) 6,300 (ख) 8,000
    (ग) 7,000 (घ) इनमें से कोई नहीं
52. 10 प्रतिशत कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति रु 45,000 है, तो अन्य साधनों की आय में रु __________ राशि कर योग्य होगी।
    (क) 4,500 (ख) 5,000
    (ग) 5,200 (घ) इनमें से कोई नहीं
53. 10 प्रतिशत कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति रु 45,000 है, तो अन्य साधनों की आय में रु __________ राशि कर योग्य होगी।
    (क) 4,500 (ख) 5,000
    (ग) 5,200 (घ) शून्य
54. 10 प्रतिशत कर युक्त सरकारी प्रतिभूति रु 4,500 है, तो अन्य साधनों की आय में रु __________ राशि कर योग्य होगी।
    (क) 4,500 (ख) 5,000
    (ग) 5,200 (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

55. श्रीमती अरुणा को अपने पति की मृत्यु के पश्चात् वार्षिक रु 30,000 पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है, तो कटौती योग्य पेंशन रु __________ रहेगी।

(क) 15,000 (ख) 30,000

(ग) 10,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

56. श्रीमती करुणा को अपने पति की मृत्यु के पश्चात् वार्षिक रु 60,000 पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है, तो कटौती योग्य पेंशन __________ रहेगी।

(क) 15,000 (ख) 30,000

(ग) 10,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

57. श्री. अरुण को अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् वार्षिक रु 45,000 पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है, तो कटौती योग्य पेंशन __________ रहेगी।

(क) 15,000 (ख) 30,000

(ग) 10,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

58. सांसद का वेतन __________ से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।

(क) वेतन (ख) व्यापार तथा पेशे

(ग) अन्य साधनों (घ) इनमें से कोई नहीं

59. प्राप्त पारिवारिक पेंशन में से महत्तम कटौती __________ प्राप्त होती है।

(क) रु 15,000

(ख) पारिवारिक पेंशन के 30 प्रतिशत

(ग) प्राप्त पारिवारिक पेंशन

(घ) इनमें से कोई नहीं

60. करदाता प्रतिभूति पर ब्याज का कर दायित्व कम करने के लिए ब्याज की देय तिथि के पूर्व प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, उसके पश्चात् उन प्रतिभागियों को करदाता पुनःब्याज की देय तिथि के पश्चात् क्रय कर अपने नाम करता है, उसे __________ कहते हैं।

(क) व्यवसायिक व्यवहार (ख) पारिवारिक व्यवहार

(ग) दिखावटी लेनदेन (घ) इनमें से कोई नहीं

61. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा 94 __________ से संबंधित है।

(क) वेतन

(ख) व्यापार तथा पेशे

टिप्पणी

(ग) दिखावटी लेनदेन

(घ) इनमें से कोई नहीं

62. पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से प्राप्त ब्याज एक व्यक्तिगत करदाता रु __________ राशि तक कर मुक्त है।

(क) 3,500 (ख) 7,000

(ग) 15,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

63. पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से प्राप्त ब्याज एक व्यक्तिगत करदाता रु __________ राशि तक करमुक्त है।

(क) 3,500 (ख) 7,000

(ग) 15,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

64. अस्पष्टीकृत आय का समावेश __________ से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।

(क) वेतन (ख) व्यापार तथा पेशे

(ग) अन्य साधनों (घ) इनमें से कोई नहीं

65. भारत में खेले गए टेस्ट मैचों की प्राप्त शुल्क में से __________ प्रतिशत कर योग्य आय है।

(क) 25 (ख) 50

(ग) 100 (घ) इनमें से कोई नहीं

66. भारत के बाहर खेले गए टेस्ट मैचों की प्राप्त फीस में से __________ प्रतिशत कर योग्य आय है।

(क) 25 (ख) 50

(ग) 100 (घ) इनमें से कोई नहीं

67. लॉटरी, घुड़दौड़, वर्गपहेली, जुआ आदि पर रु __________ से अधिक आय होने पर उद्‌गम स्थान पर आयकर की कटौती की जाती है।

(क) 3,500 (ख) 7,000

(ग) 15,000 (घ) 10,000

68. लॉटरी, घुड़दौड़, वर्गपहेली, जुआ आदि पर __________ प्रतिशत दर से आयकर लगाया जाता है।

(क) 30 (ख) 15

(ग) 10 (घ) 20

69. रु __________ राशि अधिक बिना प्रतिफल से प्राप्त नगद उपहार के कर योग्य है।

(क) 50,000 (ख) 70,000

(ग) 15,000 (घ) 1,00,000

टिप्पणी

70. करदाता के रिश्तेदारों में उपहार के __________ का समावेश नहीं होता है।

(क) करदाता तथा जीवनसाथी के माता-पिता

(ख) करदाता तथा जीवनसाथी के सगे भाई-बहन

(ग) करदाता के पुत्र-पुत्री तथा उनके जीवनसाथी

(घ) करदाता तथा जीवनसाथी के मित्र परिवार

3.4.10 व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

उदा. 21: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. देवेन्द्र का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 56,000

(ii) घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 2,000

(iii) मिजोरम राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 6,000

(iv) घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 98,000

(v) वर्ग पहेली से जीत की राशि रु 5,000

(vi) दुबई के मित्र से उपहार से प्राप्त राशि रु 2,00,000

(vii) पत्ते के खेल से जीत की राशि रु 5,000

अन्य जानकारी

श्री. देवेन्द्र ने लॉटरी खरीदने के लिए रु 2,000 तथा घुड़दौड़ से शर्त के लिए रु 4,000 का भुगतान किया।

उत्तर: श्री. देवेन्द्र के अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि	1		80,000
घुड़दौड़ से जीत की राशि	2		2,000
मिजोरम राज्य लॉटरी से जीत की राशि	3		6,000
घुड़दौड़ से जीत की राशि	4		1,40,000
वर्ग पहेली से जीत की राशि	5		5,000
दुबई के मित्र से उपहार में प्राप्त राशि	6		2,00,000
पत्ते के खेल से जीत की राशि			5,000
अन्य साधनों से कुल आय			4,38,000

क्रियात्मक टिप्पणी (WN)

1. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि का सकलीकरण क्योंकि लॉटरी से जीत की राशि रु 10,000 से अधिक है, इसलिए उद्‌गम स्थान पर 30 प्रतिशत आयकर की कटौती की गई है।

   सूत्रः (जीत की राशि × 100)/(100–उद्‌गम स्थान पर कटौती)

   (56,000 × 100)/70 = रु 80,000

2. घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 10,000 से अधिक नहीं है, इसलिए उद्‌गम स्थान पर कटौती नहीं की गई है। इसलिए सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।

3. मिजोरम राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 10,000 से अधिक नहीं है, इसलिए उद्‌गम स्थान पर कटौती नहीं की गई है। इसलिए सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।

4. घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 10,000 से अधिक है, इसलिए उद्‌गम स्थान पर कटौती की जाएगी तथा सकलीकरण किया जाएगा।

   सूत्रः (जीत की राशि × 100)/(100–उद्‌गम स्थान पर कटौती)

   (98,000 × 100)/70 = रु 1,40,000

5. वर्ग पहेली से जीत की राशि रु 10,000 से अधिक नहीं है, इसलिए उद्‌गम स्थान पर कटौती नहीं की गई है। इसलिए सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।

6. दुबई के मित्र से उपहार में प्राप्त राशि यह कर योग्य रहेगी क्योंकि वह रिश्तेदार नहीं।

7. श्री. देवेन्द्र ने लॉटरी खरीदने के लिए रु 2,000 तथा घुड़दौड़ से शर्त के लिए रु 4,000 का भुगतान किया। इसकी कटौती धारा 57 अनुज्ञेय नहीं हैं।

उदा. 22: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. प्रकाश का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) 40,000 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट से आय धारा 10(35) में उल्लेखित यूनिट से आय रु 10,000।

(ii) पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु 10,000।

(iii) 10% पुणे कॉर्पोरेशन के रु 1,40,000 कर मुक्त ऋणपत्र।

(iv) 14% महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के रु 60,000 कर मुक्त ऋणपत्र।

(v) यस बैंक में रु 1,00,000 के स्थायी निक्षेप पर 8% दर से प्राप्त ब्याज।

टिप्पणी

उत्तरः श्री. प्रकाश के अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
40,000 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट से आय धारा 10(35) में उल्लेखित यूनिट से आय रु 10,000			कर मुक्त
पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु 10,000 (रु 3,500 तक धारा 10(35) के अनुसार कर मुक्त है)		10,000 – 3,500	6,500
10% पुणे कॉर्पोरेशन के रु 1,40,000 के कर मुक्त ऋणपत्र प्राप्त ब्याज (1,40,000 × 10%) = 14,000 (गैर-सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति के ब्याज का दर तथा ब्याज की राशि दी जाती है, ऐसी दोनों स्थितियों में सकलीकरण किया जाएगा।) (14,000 × 100)70 = रु 20,000			20,000
14% महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के रु 60,000 कर मुक्त ऋणपत्र। (60,000 × 14%) = रु 8,400 (इस प्राप्त ब्याज का सकलीकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रतिभूति सरकारी है)			8,400
यस बैंक में रु 1,00,000 के स्थायी निक्षेप पर 8% दर से प्राप्त ब्याज। (1,00,000 × 8%) = रु 8,000			8,000
अन्य साधनों से कुल आय			42,900

उदा. 23: निम्न जानकारी के आधार पर कुमारी अनुपमा का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) सीमा पब्लिक लि. कंपनी की 10% पूर्वाधिकार अंश पर सकल लाभांश प्राप्त रु 24,00,000

(ii) अस्पष्टीकृत आय रु 14,000

(iii) मशीनरी के किराए से प्राप्त आय रु 60,000

(iv) संचालक मानधन रु 8,000

(v) बैंक में स्थायी निक्षेप पर प्राप्त ब्याज रु 6,400

(vi) नागालैंड राज्य लॉटरी से जीत की शुद्ध राशि रु 14,000

(vii) चराने के लिए किराए से दी जमीन से प्राप्त आय रु 12,000

अतिरिक्त जानकारी

कुमारी अनुपमा ने मशीनरी जो किराए से दी है, उसके लिए निम्न कटौती की मांग की है–

(a) मशीनरी पर स्वीकृत ऱ्हास रु 4,000

(b) मशीनरी पर बीमा प्रव्याजी का शोधन रु 500

टिप्पणी

उत्तरः कुमारी अनुपमा के अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
सीमा पब्लिक लि. कंपनी की 10% पूर्वाधिकार अंश पर सकल लाभांश प्राप्त		24,00,000	
घटाएँः कर मुक्त लाभांश धारा 10(34) के अनुसार		–10,00,000	14,00,000
अस्पष्टीकृत आय			14,000
मशीनरी के किराए से प्राप्त आय 60,000		60,000	
घटाएँः ऱ्हास तथा मशीनरी पर बीमा प्रव्याजी का शोधन 4,000 + 500 = 4,500		– 4,500	55,500
संचालक मानधन			8,000
बैंक में स्थायी निक्षेप पर प्राप्त ब्याज			6,400
नागालैंड राज्य लॉटरी से जीत की शुद्ध राशि 14,000 सकलीकरण किया जाएगा			
(14,000 × 100) / 70 = रु 20,000			20,000
चराने के लिए किराए से दी जमीन से प्राप्त आय			12,000
अन्य साधनों से कुल आय			15,15,900

उदा. 24ः निम्न जानकारी के आधार पर श्रीमती वसुंधरा का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 14,000

(ii) शिक्मी किराएदार से प्राप्त किराया रु 21,000 (शिक्मी किराए मकान का खर्च रु 1,000)

(iii) विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश रु 52,000

(iv) पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु 2,500

(v) चांदुर बाजार के जमीन से प्राप्त आय रु 10,000

(vi) संचालक मानधन प्राप्त रु 10,000

(vii) प्राप्त स्वर्ण निक्षेप योजना, 2015 से प्राप्त ब्याज रु 12,000

(viii) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त ब्याज रु 20,000

उत्तरः श्रीमती वसुंधरा के अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 14,000 का सकलीकरण किया जाएगा			
(14,000 × 100) / 70 = रु 20,000			20,000

टिप्पणी

शिक्मी किराएदार से प्राप्त किराया रु 21,000 (शिक्मी किराए मकान का खर्च रु 1,000)		21,000	
घटाएँ: शिक्मी किराए मकान का खर्च		1,000	20,000
विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश रु 52,000			
पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु 2,500 (धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक कर मुक्त)			कर मुक्त
चांदुर बाजार के जमीन से प्राप्त आय (कृषि भूमि का उल्लेख नहीं है, इसलिए कर योग्य)			10,000
संचालक मानधन प्राप्त			10,000
प्राप्त स्वर्ण निक्षेप योजना, 2015 से प्राप्त ब्याज रु 12,000 (धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त)			कर मुक्त
12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त ब्याज रु 20,000 (धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त)			कर मुक्त
अन्य साधनों से कुल आय			60,000

उदा. 25: निम्न जानकारी के आधार पर श्रीमती शीतल का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) संचालक मानधन प्राप्त रु 10,000

(ii) पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु 3,000

(iii) सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश रु 7,000

(iv) समता अंश पर प्राप्त ब्याज रु 14,000

(v) नारायणगांव की कृषि जमीन से प्राप्त आय रु 20,000

(vi) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 28,000

(vii) श्रीमती शीतल को परिवार पेंशन योजना से प्राप्त राशि रु 33,000 वार्षिक।

(viii) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त ब्याज रु 45,000

उत्तर: श्रीमती शीतल के अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
संचालक मानधन प्राप्त			10,000
पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु 3,000 धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक कर मुक्त एक व्यक्ति करदाता के लिए।			कर मुक्त
सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश			7,000
समता अंश पर प्राप्त ब्याज रु 14,000			कर मुक्त
धारा 10(34) के अनुसार 10 लाख तक लाभांश कर मुक्त			

नारायणगांव की कृषि जमीन से प्राप्त आय रु 20,000 धारा 10(1) के अनुसार भारत में स्थित कृषि भूमि से आय कर मुक्त			कर मुक्त
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 28,000 राशि रु 10,000 से अधिक है, इसलिए सकलीकरण किया जाएगा (28,000 × 100)/70 = रु 40,000			40,000
श्रीमती शीतल को प्राप्त परिवार पेंशन योजना में से कर योग्य राशि।	1		22,000
12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त ब्याज रु 45,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त।			कर मुक्त
अन्य साधनों से कुल आय			79,000

क्रियात्मक टिप्पणी

धारा 57 के अनुसार पारिवारिक पेंशन की कर योग्य राशि का आगणन–

(a) प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अर्थात् = रु 11,000

(b) महत्तम कर मुक्त राशि रु 15,000

उपरोक्त (a) एवं (b) में से कम राशि कर मुक्त होगी।

कर योग्य पारिवारक पेंशन =

प्राप्त पारिवारिक पेंशन – कर मुक्त राशि

33,000 – 11,000 = 22,000

विशेष सूचना

पारिवारिक पेंशन संघ के सशस्त्र बल या अर्ध सैनिक बल के किसी सदस्य के विधवा या उसके बच्चे या नामांकित वारिस को प्राप्त होती है, तो बशर्ते सदस्य की मृत्यु कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई हो, तो धारा 10(19) के अनुसार कर मुक्त होगी अन्यथा नहीं।

उदा. 26: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. सोहनलाल जो राज्यसभा के सांसद है, उनका कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) सांसद वेतन रु 50,000 प्रति माह

(ii) लोकसभा में लोकसभा उपस्थिति भत्ता प्रति उपस्थिति रु 600 (करदाता 200 दिन लोकसभा में उपस्थित थे)

(iii) स्टेशनरी भत्ता प्रति रु 15,000 प्रति माह

(iv) सहायक भत्ता प्रति रु 30,000 प्रति माह

(v) धुलाई भत्ता प्रति रु 50,000 प्रति तीन माह

टिप्पणी

(vi) कार्यालय भत्ता प्रति रु 45,000 प्रति माह

(vii) सांसद क्षेत्र कार्य भत्ता प्रति रु 45,000 प्रति माह

(viii) सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश रु 12,00,000

(ix) भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश रु 38,00,000

(x) धामनगांव की कृषि जमीन से प्राप्त आय की रु 40,000

(xi) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 1,12,000

उत्तर: सांसद सोहनलाल की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
सांसद वेतन रु 50,000 प्रति माह 50,000 × 12 = रु 6,00,000			6,00,000
लोकसभा में लोकसभा उपस्थिति भत्ता प्रति उपस्थिति रु 600 (करदाता 200 दिन लोकसभा में उपस्थित थे)			कर मुक्त
स्टेशनरी भत्ता प्रति रु 15,000 प्रति माह			
सहायक भत्ता प्रति रु 30,000 प्रति माह			
धुलाई भत्ता प्रति रु 50,000 प्रति तीन माह			
कार्यालय भत्ता प्रति रु 45,000 प्रति माह			
सांसद क्षेत्र कार्य भत्ता प्रति रु 45,000 प्रति माह			
सांसद तथा विधायकों को प्राप्त उक्त सभी भत्ते धारा 10(17) के अनुसार कर मुक्त हैं।			
सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश			12,00,000
भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश रु 38,00,000 धारा 10(34) के अनुसार रु 10,00,000 तक कर मुक्त है। 38,00,000 – 10,00,000			28,00,000
धामनगांव की कृषि जमीन से प्राप्त आय की रु 40,000 धारा 10(1) के अनुसार कर मुक्त है।			
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 1,12,000 जीत की राशि रु 10,000 से अधिक होने के कारण सकलीकरण किया जाएगा। (1,12,000 × 100) / 70 = रु 1,60,000			1,60,000
अन्य साधनों से कुल आय			47,60,000

उदा. 27: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. दिनेश का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए–

(i) उन्होंने रु 10,000 प्रति माह पर एक मकान किराए पर लिया एवं उसे पुनः रु 12,000 प्रति माह पर दिया

टिप्पणी

(ii) इसके अतिरिक्त उनके निजी स्वामित्व के मकान से भी रु 8,30,000 किराया प्राप्त हुआ

(iii) एक भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश रु 90,000

(iv) श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय रु 88,000

(v) विधानसभा के सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन रु 50,000 प्रति माह तथा दैनिक उपस्थिति भत्ता कुल रु 1,20,000

(vi) घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 56,000

(vii) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 1,12,000

(viii) हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त हिस्सा रु 40,000

(ix) सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश रु 5,40,000

(x) कृषि भूमि से आय रु 5,20,000

(xi) इंडिया टुडे में प्रकाशित लेखों से सकल आय रु 44,000

(xii) पाठ्य पुस्तक के लेखक के संबंध में प्राप्त एकमुश्त अधिकार शुल्क रु 2,00,000 (इस संबंध में टाइपिस्ट व्यय तथा दूरध्वनि क्रमशः रु 28,000 तथा रु 2,000 है)

(xiii) सुकन्या समृद्धि खाते में जमा ब्याज रु 5,000

उत्तरः सांसद सोहनलाल की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
उन्होंने रु 10,000 प्रति माह पर एक मकान किराए पर लिया एवं उसे पुनः रु 12,000 प्रति माह पर दिया			
प्राप्त किराया		1,44,000	
– दत्त किराया		1,20,000	24,000
निजी स्वामित्व के मकान से भी 8,30,000 किराया प्राप्त हुआ, यह आय अन्य साधनों से आय के शीर्षक अंतर्गत कर योग्य नहीं है। यह आय मकान संपत्ति से आय इस शीर्षक के अंतर्गत धारा 22 के अंतर्गत कर योग्य है।			–
एक भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश रु 90,000 धारा 10(34) के अनुसार रु 10 लाख तक कर मुक्त है।			कर मुक्त
श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय रु 88,000 धारा 10(1) के अनुसार भारत में स्थित कृषि भूमि से आय कर मुक्त है, विदेशों में स्थित कृषि भूमि से आय नहीं।			88,000

टिप्पणी

विधानसभा के सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन रु 50,000 प्रति माह 50,000 × 12 = रु 6,00,000			6,00,000
दैनिक उपस्थिति भत्ता कुल रु 1,20,000			कर मुक्त
सांसद तथा विधायकों को सभी प्रकार के प्राप्त भत्ते धारा 10(17) के अनुसार कर मुक्त है।			
घुड़दौड़ से जीत की राशि रु 56,000			
जीत की राशि रु 10,000 से अधिक होने के कारण सकलीकरण किया जाएगा।			
(56,000 × 100)/70 = रु 80,000			80,000
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी से जीत की राशि रु 1,12,000			
जीत की राशि रु 10,000 से अधिक होने के कारण सकलीकरण किया जाएगा।			
(1,12,000 × 100)/70 = रु 1,60,000			1,60,000
हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त हिस्सा रु 40,000 धारा 10(2) के अनुसार कर मुक्त			कर मुक्त
सहकारी संस्था से प्राप्त लाभांश			5,40,000
कृषि भूमि से आय रु 5,20,00			कर मुक्त
धारा 10(1) के अनुसार कर मुक्त			44,000
इंडिया टुडे में प्रकाशित लेखों से सकल आय			
पाठ्य पुस्तक के लेखक के संबंध में प्राप्त एकमुश्त अधिकार शुल्क		2,00,000	
–इस संबंध में टाइपिस्ट व्यय तथा दूरध्वनि क्रमशः रु 28,000 तथा रु 2,000 है		30,000	1,70,000
सुकन्या समृद्धि खाते में जमा ब्याज रु 5,000			
धारा 10(11A) के अनुसार कर मुक्त			कर मुक्त
अन्य साधनों से कुल आय			17,06,000

उदा. 28: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. धर्मेंद्र को गत वर्ष अपने विवाह वर्षगाँठ पर रिश्तेदार तथा मित्र परिवार की ओर से निम्न उपहार प्राप्त हुए, उसमें से कर योग्य उपहार की निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए गणना कीजिए–

(i) श्री. धर्मेंद्र को अपने चचेरे भाई उमेश से रु 1,00,000 की हीरे की अंगूठी उपहार में प्राप्त हुई।

(ii) श्री. धर्मेंद्र को अपनी धर्मपत्नि के चचेरे भाई प्रमोद से उपहार में नगद रु 31,000 प्राप्त।

(iii) श्री. धर्मेंद्र को मामी ससुर से नगद में प्राप्त उपहार रु 68,000।

(iv) श्री. धर्मेंद्र को पारिवारिक मित्र श्री. रमन से नगद में उपहार रु 62,000।

(v) श्री. जीतेंद्र को पारिवारिक मित्र श्री. मुकेश से उपहार में रु 33,000 का TV प्राप्त।

(vi) श्री. धर्मेंद्र को अपने सास-ससुर से रु 50,000 का उपहार नगद में प्राप्त।

(vii) श्री. धर्मेंद्र को अपनी साली से रु 31,000 का उपहार प्राप्त।

(viii) श्री. धर्मेंद्र को अपने माता-पिता से रु 31,000 का उपहार प्राप्त।

(ix) श्री. धर्मेंद्र को अपने पुत्र से रु 21,000 उपहार में प्राप्त।

उत्तर: श्री. धर्मेंद्र की कर योग्य उपहार की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
श्री. धर्मेंद्र को अपने चचेरे भाई उमेश से रु 1,00,000 की हीरे की अंगूठी उपहार में प्राप्त हुई। उपहार रु 50,000 से अधिक होने के कारण कर योग्य। (चचेरे भाई का आयकर के अनुसार रिश्तेदारी में समावेश नहीं होता)			1,00,000
श्री. धर्मेंद्र को अपनी धर्मपत्नि के चचेरे भाई प्रमोद से उपहार नगद रु 31,000 प्राप्त।		31,000	
श्री. धर्मेंद्र को मामी ससुर से नगद में प्राप्त उपहार रु 68,000		68,000	
श्री. धर्मेंद्र को पारिवारिक मित्र श्री. रमन से नगद में उपहार रु 62,000		62,000	
बिना प्रतिफल से प्राप्त कुल नगद राशि रु 50,000 से अधिक कर योग्य			1,61,000
श्री. जीतेंद्र को पारिवारिक मित्र श्री. मुकेश से उपहार में रु 33,000 का TV प्राप्त चल संपत्ति होने के कारण रु 50,000 से कम राशि कर मुक्त			कर मुक्त
श्री. धर्मेंद्र को अपने सास-ससुर से रु 50,000 का उपहार नगद में प्राप्त। (सास-ससुर का आयकर के अनुसार रिश्तेदारी में समावेश होता है, इसलिए कर मुक्त)			कर मुक्त
श्री. धर्मेंद्र को अपनी साली से रु 31,000 का उपहार प्राप्त। (साली का आयकर के अनुसार रिश्तेदारी में समावेश होता है, इसलिए कर मुक्त)			कर मुक्त
श्री. धर्मेंद्र को अपने माता-पिता से रु 31,000 का उपहार प्राप्त। (माता-पिता का आयकर के अनुसार रिश्तेदारी में समावेश होता है, इसलिए कर मुक्त)			कर मुक्त
श्री. धर्मेंद्र को अपने पुत्र से रु 21,000 उपहार में प्राप्त। (माता-पिता का आयकर के अनुसार रिश्तेदारी में समावेश होता है, इसलिए कर मुक्त)			कर मुक्त
कर योग्य उपहार की कुल राशि			2,61,000

क्रियात्मक टिप्पणी

टिप्पणी

कर योग्य उपहार की गणना के लिए नियम–

1. **रिश्तेदार का अर्थ**– करदाता तथा जीवनसाथी के माता-पिता, भाई-बहन तथा उनके जीवनसाथी, बच्चे तथा उनके जीवनसाथी का समावेश होता है।
2. **नगद प्राप्तियाँ**– धारा 56(2)(x)(a) के अनुसार सभी नगद प्राप्तियों का योग बगैर प्रतिफल के रु 50,000 तक कर मुक्त है।
3. **अचल संपत्तियाँ**– धारा 56(2)(x)(a) के अनुसार अचल संपत्तियों का मूल्य रु 50,000 से कम हो जो बगैर प्रतिफल से प्राप्त हुई हो, तो स्टैम्प ड्यूटी का मूल्य उसका मूल्यांकन होगा अथवा अगर अचल संपत्ति का मूल्य रु 50,000 से ज्यादा हो और वह कम प्रतिफल में प्राप्त की गई हो, तो स्टैम्प ड्यूटी का मूल्य यह उसका मूल्य होगा तथा कम प्रतिफल में प्राप्त की गई हो और उचित प्रतिफल जो स्टैम्प ड्यूटी मूल्य से निर्धारित होता है, तो वह अंतर मूल्य होगा। उपर्युक्त आगणित मूल्य ही कर योग्य होगा।
4. **चल संपत्तियाँ**– 56(2)(x)(c) के अनुसार सभी चल संपत्तियाँ जिनका उचित बाजार मूल्य रु 50,000 से कम हो जो बिना प्रतिफल से प्राप्त हुई हो, तो वह कर मुक्त होगा अन्यथा कर योग्य होगा चल संपत्तियों में अंश, प्रतिभूतियाँ, गहने, कलाकृतियाँ आदि का समावेश होता है।

उदा. 29: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. रोहित के गत वर्ष में विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 9% सरकारी ऋण पत्र रु 50,000

(ii) 11% कानपुर कॉरपोरेशन बोर्ड बॉन्ड्स रु 40,000

(iii) 12% चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड रु 60,000

(iv) 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज रु 10,000

(v) 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट रु 10,000

(vi) 8% इंग्लैंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स रु 30,000

(vii) SBI से प्राप्त सकल ब्याज रु 39,000

उपरोक्त जानकारी से रोहित की अन्य साधनों से आय की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. रोहित की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
9% सरकारी ऋण पत्र रु 50,000 50,000 × 9% = 4,500			4,500
11% कानपुर कॉरपोरेशन बोर्ड बॉन्ड्स रु 40,000 40,000 × 11% = 4,400			4,400

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

12% चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड रु 60,000 60,000 × 12% = 7,200			7,200
7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज रु 10,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त			कर मुक्त
7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट रु 10,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त			कर मुक्त
8% इंग्लैंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स रु 30,000 30,000 × 8% = 2,400			2,400
SBI से प्राप्त सकल ब्याज रु 39,000			39,000
अन्य साधनों से कर योग्य आय			57,500

उदा. 30: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. रोशन के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 9% गैर-सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति रु 50,000 (असूचित)

(ii) 7% मोहता मिल्स ऋणपत्र रु 15,000

(iii) 10% चेन्नई पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड की कर मुक्त प्रतिभूति रु 36,000

(iv) 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज रु 10,000

(v) 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट रु 10,000

(vi) डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,000

(vii) कल्पतरु कर्मचारी सहकारी पत संस्था से प्राप्त लाभांश रु 9,000

(viii) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 10,000

(ix) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 7,000

(x) 10% कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बॉन्ड्स 20,000

उपरोक्त जानकारी से श्री. रोशन की अन्य साधनों से आय की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. रोशन की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
9% गैर-सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति रु 50,000 (असूचित) गैर-सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति होने के कारण सकलीकरण किया जाएगा। ब्याज (50,000 × 9%) = रु 4,500 (4,500 × 100) / 90 = रु 5,000			5,000
7% मोहता मिल्स ऋणपत्र रु 15,000 (15,000 × 7%) = रु 1,050			1,050

10% चेन्नई पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड की कर मुक्त प्रतिभूति रु 36,000 गैर-सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति होने के कारण सकलीकरण किया जाएगा। ब्याज (36,000 × 10%) = रु 3,600 (3,600 × 100) / 90 = रु 4,000			4,000
7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज रु 10,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त			कर मुक्त
7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट रु 10,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त			कर मुक्त
डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,000 धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक प्राप्त ब्याज कर मुक्त			कर मुक्त
कल्पतरु कर्मचारी सहकारी पत संस्था से प्राप्त लाभांश धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक प्राप्त ब्याज कर मुक्त			9,000
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 10,000 धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक प्राप्त ब्याज कर मुक्त			कर मुक्त
राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 7,000 धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक प्राप्त ब्याज कर मुक्त			कर मुक्त
10% कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बॉन्ड्स 20,000 सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति होने के कारण सकलीकरण नहीं किया जाएगा। (20,000 × 10%) = रु 2,000			2,000
अन्य साधनों से कुल आय			21,050

उदा. 31: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. पारसमल के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 10% सरकारी प्रतिभूति रु 2,20,000

(ii) 10% वाणिज्यिक प्रतिभूति रु 8,00,000

(iii) मुंबई केमिकल्स लिमिटेड प्रतिभूति प्राप्त सकल ब्याज रु 16,000

(iv) मध्य प्रदेश राज्य सरकार की प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 14,000

(v) बजाज पब्लिक लिमिटेड के ऋणपत्र पर प्राप्त ब्याज रु 14,400

(vi) डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,000

(vii) धामनगांव एज्युकेशन सोसाइटी कर्मचारी सहकारी पत संस्था से प्राप्त लाभांश रु 14,000

(viii) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 30,000

टिप्पणी

(ix) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 37,000

(x) 10% मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बॉन्ड्स रु 50,000

उपरोक्त जानकारी से श्री. पारसमल की अन्य साधनों से आय की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. पारसमल की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
10% सरकारी प्रतिभूति रु 2,20,000 सरकारी प्रतिभूति होने के कारण सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।			
(2,20,000 × 10%) = रु 22,000			22,000
10% वाणिज्यिक प्रतिभूति रु 8,00,000 यह प्रतिभूति गैर-सरकारी कर योग्य प्रतिभूति है, क्योंकि कर मुक्त का उल्लेख नहीं है। इसलिए ब्याज का दर देने के कारण सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं			
(8,00,000 × 10%) = रु 80,000			80,000
मुंबई केमिकल्स लिमिटेड प्रतिभूति प्राप्त सकल ब्याज रु 16,000 ब्याज सकल होने से सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।			16,000
मध्य प्रदेश राज्य सरकार की प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 14,000 यह प्रतिभूति सरकारी होने के कारण सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।			14,000
बजाज पब्लिक लिमिटेड के ऋणपत्र पर प्राप्त ब्याज रु 14,400 गैर-सरकारी कर योग्य प्रतिभूति है, क्योंकि कर मुक्त का उल्लेख नहीं है, इसलिए जब ब्याज की राशि दी जाती है, तब उसे सकलीकरण किया जाता है।			
(14,400 × 100) / 90 = रु 16,000			16,000
डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,000 धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक प्राप्त ब्याज कर मुक्त।			कर मुक्त
धामनगांव एज्युकेशन सोसाइटी कर्मचारी सहकारी पत संस्था से प्राप्त लाभांश			14,000
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 30,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त।			कर मुक्त
राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 37,000 धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त।			कर मुक्त

टिप्पणी

10% मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बॉन्ड्स रु 50,000 सरकारी प्रतिभूति होने के कारण सकलीकरण करने की आवश्यकता नहीं।			
(50,000 × 10%) = रु 5,000			5,000
अन्य साधनों से कुल आय			1,64,000

उदा. 32: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. माणिकचंद के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग से प्राप्ति निम्न हैं–

(i) सरकारी कर युक्त प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 16,000

(ii) यवतमाल नगर पालिका द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 14,400

(iii) किरण केमिकल्स लिमिटेड प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 14,400 (असूचीबद्ध)

(iv) गुजरात पेंट्स के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 14,400 (सूचीबद्ध)

(v) राम बंधु फाइनांस लिमिटेड के कर मुक्त ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 14,400

(vi) डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,500

(vii) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 37,000

उपरोक्त जानकारी से श्री. माणिकचंद की अन्य साधनों से आय की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. माणिकचंद की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
सरकारी कर युक्त प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 16,000 सकलीकरण नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सरकारी प्रतिभूति है।			16,000
यवतमाल नगर पालिका द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 14,400 यह प्रतिभूति गैर-सरकारी प्रतिभूति है, इसलिए सकलीकरण किया जाएगा, क्योंकि ब्याज की राशि दी है।			
(14,400 × 100) / 90 = रु 16,000			16,000
किरण केमिकल्स लिमिटेड प्रतिभूति प्राप्त ब्याज रु 14,400 (असूचीबद्ध), यह प्रतिभूति गैर-सरकारी प्रतिभूति है, इसलिए सकलीकरण किया जाएगा, क्योंकि ब्याज की राशि दी है।			
(14,400 × 100) / 90 = रु 16,000			16,000
गुजरात पेंट्स के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 14,400 (सूचीबद्ध) यह प्रतिभूति गैर-सरकारी प्रतिभूति है, इसलिए सकलीकरण किया जाएगा, क्योंकि ब्याज की राशि दी है।			
(14,400 × 100) / 90 = रु 16,000			16,000

राम बंधु फाइनांस लिमिटेड के कर मुक्त ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 14,400 यह प्रतिभूति गैर-सरकारी प्रतिभूति है, इसलिए सकलीकरण किया जाएगा, क्योंकि ब्याज की राशि दी है। (14,400 × 100) / 90 = रु 16,000			16,000
डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,500 धारा 10(15) के अनुसार रु 3,500 तक प्राप्त ब्याज कर मुक्त।			कर मुक्त
राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 37,000 धारा 10(15) के अनुसार प्राप्त ब्याज कर मुक्त।			कर मुक्त
अन्य साधनों से कुल आय			80,000

उदा. 33: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. सोहन के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग निम्न हैं–

(i) 8% सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 50,000 (जिसे 1 जून 2017 में खरीदा था)

(ii) 7.5% सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ रु 40,000 (जो 1 फरवरी, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष में 1 अक्तूबर, 2018 को 5,000 मुनाफे पर बेच दिया)

(iii) 10% कर युक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 30,000 (जो 1 सितंबर, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष में 1 मार्च, 2019 को 2,000 घाटे पर बेच दिया)

(iv) 10% कर युक्त बॉन्ड्स रु 80,000 (जिसे 1 फरवरी, 2018 में खरीदा था)

(v) 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स रु 60,000 (जो 1 जून, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष में 5 दिसंबर, 2018 को बेच दिया)

(vi) 7% पूँजी विनियोग बॉन्ड्स, 1 जून 2002 के पूर्व जारी पर प्राप्त ब्याज रु 2,5000

(vii) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 4,000

(viii) स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, 1991 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 4,000

(ix) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर ब्याज रु 3,000

(x) रिलायंस लिमिटेड के 12% पूर्वाधिकार अंश रु 50,000 (जिसे 1 जुलाई, 2018 में खरीदा था)

(xi) रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 75,000 (जिसे 1 दिसंबर, 2018 में खरीदा था)

अतिरिक्त सूचनाएँ

(a) ब्याज तथा लाभांश 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय होगा।

(b) बैंक द्वारा ब्याज एवं लाभांश राशि संकलन पर 2% कमिशन लेता है।

टिप्पणी

(c) बैंक सभी प्रतिभूतियाँ का क्रय–विक्रय मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी में हुआ है।

(d) रिलायंस लि. के 12% ऋणपत्र रु 75,000 (जिसे 1 दिसंबर, 2018 में खरीदा था) उसके लिए रु 50,000 9% की दर से बैंक से कर्ज लिया था।

उपरोक्त जानकारी से श्री. सोहन की अन्य साधनों से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

उत्तरः श्री. सोहन की अन्य साधनों से आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	WN	राशि	राशि
8% सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 50,000 (जिसे 1 जून 2017 में खरीदा था)	1		4,000
7.5% सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ रु 40,000	2		कर मुक्त
10% कर युक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 30,000	3		3,000
10% कर युक्त बॉन्ड्स रु 80,000	4		8,000
9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स रु 60,000	5		2,700
7% पूँजी विनियोग बॉन्ड्स, 1 जून 2002 के पूर्व जारी पर प्राप्त ब्याज रु 25,000	6		कर मुक्त
राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 4,000	7		कर मुक्त
स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, 1991 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 4,000	8		कर मुक्त
पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर ब्याज रु 3,000	9		कर मुक्त
रिलायंस लिमिटेड के 12% पूर्वाधिकार अंश रु 50,000	10		कर मुक्त
रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 75,000	11		4,500
ब्याज तथा लाभांश से कुल आय			22,200
– धारा 57 के अनुसार कटौतियाँ			
बैंक द्वारा ब्याज संकलन पर कमिशन	12	408	
+ रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 75,000 के लिए रु 52,000 9% दर से कर्ज पर ब्याज की कटौती	13	1,500	
			1,908
अन्य साधनों से कुल आय			20,292

क्रियात्मक टिप्पणी

1. **ब्याज का आगणन**– 8% सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 50,000 (जिसे 1 जून 2017 में खरीदा था) पूरे वर्ष का ब्याज, क्योंकि यह प्रतिभूति करदाता के

पास 1 जुलाई तथा 1 जनवरी देय तिथि पर थी, इसलिए पूरे वर्ष का ब्याज प्राप्त होंगा।

50,000 × 8% = 4,000 (सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज का सकलीकरण नहीं किया जाता)

2. 7.5% सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ रु 40,000 (जो 1 फरवरी, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष 1 अक्तूबर, 2018 को 5,000 मुनाफे पर बेच दिया) धारा 10(15) कर मुक्त।
3. 10% कर युक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 30,000 (जो 1 सितंबर, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष 1 मार्च, 2019 को 2,000 घाटे पर बेच दिया) प्रतिभूति करदाता के पास 1 जुलाई तथा 1 जनवरी देय तिथि पर थी, इसलिए पूरे वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। 30,000 × 10% = 3,000 कर युक्त प्रतिभूति का ब्याज दर दिया गया हो, तो सकलीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें से टीडीएस नहीं काटा गया है।
4. 10% कर युक्त बॉन्ड्स रु 80,000 (जिसे 1 फरवरी, 2018 में खरीदा था, जिसे 1 फरवरी, 2018 में खरीदा था) प्रतिभूति करदाता के पास 1 जुलाई तथा 1 जनवरी देय तिथि पर थी, इसलिए पूरे वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। 80,000 × 10% = 8,000 कर युक्त प्रतिभूति का ब्याज दर दिया गया हो तो सकलीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें से टीडीएस नहीं काटा गया है।
5. 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स रु 60,000 (जो 1 जून, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष में 5 दिसंबर, 2018 को बेच दिया) प्रतिभूति करदाता के पास 1 जुलाई 2018 की देय तिथि पर थी, किंतु 31 जनवरी 2019 की देय तिथि पर नहीं थी, इसलिए सिर्फ 6 माह का ब्याज प्राप्त होगा।

   (60,000 × 9% × 6) / 12 = 2,700
6. 7% पूँजी विनियोग बॉन्ड्स, 1 जून 2002 के पूर्व जारी पर प्राप्त ब्याज रु 2,5000 धारा 10(15) कर मुक्त।
7. राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 4,000 धारा 10(15) कर मुक्त।
8. स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, 1991 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 4,000 धारा 10(15) कर मुक्त।
9. पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर ब्याज रु 3,000 धारा 10(15) कर मुक्त।
10. रिलायंस लिमिटेड के 12% पूर्वाधिकार अंश रु 50,000 (जिसे 1 जुलाई, 2018 में खरीदा था) धारा 10(34) कर मुक्त रु 10,00,000 तक।
11. रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 75,000 (जिसे 1 दिसंबर, 2018 में खरीदा था) प्रतिभूति करदाता के पास 1 जनवरी के देय तिथि पर थी, इसलिए सिर्फ 6 माह का ब्याज प्राप्त होगा।

(75,000 × 12% × 6) / 12 = रु 4,500

12. बैंक द्वारा ब्याज एवं लाभांश राशि संकलित करने पर 2% कमिशन वसूल करता है। यह कटौती सिर्फ शुद्ध ब्याज संकलन पर प्राप्त होती है, अर्थात् टीडीएस काटने के पश्चात् राशि पर टीडीएस दर 10% है। धारा 10(15) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा लाभांश धारा 10(34) कर मुक्त है। उसके संकलन के संबंध में कटौती प्राप्त नहीं होती।

(4,000 + (3,000 − 300) + (8,000 − 800) + (2,700 − 270) + (4,500 − 450))

(4,000 + 2,700 + 7,200 + 2,430 + 4,050 = 20,380) = रु 20,380

बैंक द्वारा वसूल किया गया शुद्ध ब्याज तथा लाभांश बैंक कमिशन = 408

13. रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 75,000 (जिसे 1 दिसंबर, 2018 में खरीदा था) उसके लिए 50,000 रु 9% की दर से बैंक से कर्ज लिया था।

(50,000 × 9% × 4) / 12 = 1,500

3.5 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1.	(ग)	25.	(घ)	49.	(ग)
2.	(घ)	26.	(घ)	50.	(ख)
3.	(ग)	27.	(ग)	51.	(ग)
4.	(क)	28.	(क)	52.	(ख)
5.	(ग)	29.	(क)	53.	(घ)
6.	(ग)	30.	(ग)	54.	(क)
7.	(ख)	31.	(क)	55.	(ग)
8.	(क)	32.	(क)	56.	(क)
9.	(ग)	33.	(ग)	57.	(क)
10.	(क)	34.	(ग)	58.	(ग)
11.	(घ)	35.	(ख)	59.	(क)
12.	(ग)	36.	(क)	60.	(ग)
13.	(ग)	37.	(ग)	61.	(ग)
14.	(ख)	38.	(ग)	62.	(क)
15.	(ग)	39.	(ख)	63.	(क)
16.	(ग)	40.	(ख)	64.	(क)
17.	(क)	41.	(ग)	65.	(क)
18.	(ख)	42.	(क)	66.	(ख)

19.	(घ)	43.	(ग)	67.	(घ)
20.	(ग)	44.	(घ)	68.	(क)
21.	(क)	45.	(घ)	69.	(क)
22.	(ग)	46.	(ग)	70.	(घ)
23.	(घ)	47.	(ख)		
24.	(घ)	48.	(ख)		

3.6 सारांश (Summary)

व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य अथवा व्यापार वाणिज्य या निर्माण कार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य सम्मिलित है तथा पेशे से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें उच्च शिक्षा, बौद्धिक क्षमता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में व्यवसायिक शुद्ध लाभ निकालने हेतु व्यापार तथा लाभ-हानि लेखा तैयार किया जाता है। पेशे में आय का खर्च पर आधिक्य/Surplus अथवा खर्च का आय पर आधिक्य/Deficit आगणित करने के लिए आय व्यय लेखा तैयार किया जाता है। लाभ-हानि तथा सरप्लस/डिफिसिट निकालते समय कुछ आय एवं खर्च जो आयकर अधिनियम, के अनुसार मान्य होते हैं अथवा अमान्य होते हैं। साथ ही कुछ आय एवं खर्च व्यवसाय/पेशे से संबंधित होते हैं, लेकिन जिसका उल्लेख लाभ-हानि लेखा तथा आय-व्यय लेखा में नहीं होता है। इनका समायोजन कर आयकर अधिनियम के अनुसार व्यवसाय तथा पेशे से आय का निर्धारण किया जाता है।

संपत्ति हस्तांतरण से होने वाले लाभ तथा हानि का समावेश पूँजी लाभ में होता है। कोई भी संपत्ति चाहे किसी व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा नहीं तो भी पूँजी संपत्ति मानी जाएगी। परंतु रहतिया, उपभोग के सामान, व्यक्तिगत संपत्ति जैसे फर्निचर, घरेलू बर्तन आदि, भारत में स्थित कृषि भूमि, गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल वेयर बॉन्ड्स तथा स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड्स का समावेश पूँजी संपत्ति में नहीं होता।

पूँजी संपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं–

1. अल्पकालीन तथा
2. दीर्घकालीन

अल्पकालीन पूँजी संपत्ति में उन संपत्तियों के हस्तांतरण का समावेश होता है, जिसका संपत्ति हस्तांतरण तिथि से तुरंत पूर्व अधिकतम 36 माह के लिए करदाताओं द्वारा रखी गई संपत्ति है, उसे अल्पकालीन पूँजी संपत्ति मानी जाएगी। मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी में सूचिबद्ध अंश के लिए अधिकतम 36 माह के बदले 12 माह की सीमा है।

अल्पकालीन पूँजी संपत्ति होने वाली लाभ-हानि को अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जाएगा। जो संपत्तियाँ उपरोक्त सीमा से अधिक समय के लिए होती हैं, उसे

टिप्पणी

दीर्घकालीन संपत्तियाँ कहते हैं। इन संपत्तियों के हस्तांतरण से लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहलाता है। पूँजी संपत्ति हस्तांतरण करने के पश्चात् हानि हुई हो, तो उसे आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अग्रेषित किया जाता है।

पूँजी लाभ का आगणन करने के लिए प्राप्त प्रतिफल में से संपत्ति हस्तांतरण का खर्च घटाने के पश्चात्, जो राशि प्राप्त होती है, उसे शुद्ध प्रतिफल कहते हैं। शुद्ध प्रतिफल में से संपत्ति प्राप्त करने की लागत आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सूचकांकित कर तथा सुधार किया हो, तो उसे आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सूचकांकित कर आगणित राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि में से आयकर अधिनियम प्रावधानों के अनुसार उस राशि का विनियोग किया हो, तो उसे घटाने के पश्चात् शेष राशि पूँजी लाभ कहलाता है, जिस पर आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आयकर का निर्धारण किया जाता है।

अन्य साधन से आय, आय का पाँचवा शीर्षक है, जो आय वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय तथा पेशे से आय एवं पूँजी लाभ में जो आय सम्मिलित नहीं होती, ऐसे शेष आय का समावेश इस शीर्षक के अंतर्गत होता है।

उदा. आकस्मिक् आय, प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, पारिवारिक पेंशन, शिक्मी किराएदार से प्राप्त किराया, फर्निचर, मशीनरी तथा प्लांट से प्राप्त किराया, बैंक से प्राप्त ब्याज, सहकारी संस्था से प्राप्त ब्याज, विदेशी कंपनी से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, उपहार (रिश्तेदारों को छोड़कर), अस्पष्टीकृत आय, सांसदों तथा विधायकों का वेतन, उत्तर पत्रिका मूल्यांकन मानदेय, पेपर सेटिंग मानदेय, प्रतिलिपि अधिकार से प्राप्त शुल्क, अधिकार शुल्क से प्राप्त शुल्क, किताबें लिखने से प्राप्त पारिश्रमिक, पत्र–पत्रिकाओं में लिखने का मानदेय, कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिए किराए से दी गई जमीन से प्राप्त आय, संचालक शुल्क आदि।

प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं, सरकारी तथा गैर-सरकारी, वह दो प्रकारों में विभाजित होते हैं, कर मुक्त तथा कर युक्त प्रतिभूति। कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ पर प्राप्त ब्याज धारा 10(15) के अनुसार कर मुक्त होते हैं। कर युक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की नहीं जाती तथा उनसे प्राप्त ब्याज का सकलीकरण किया नहीं जाता। कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज का सकलीकरण किया जाता है, चाहे ब्याज का दर या ब्याज की राशि दी हो, इस प्रतिभूति के ब्याज राशि पर टीडीएस ब्याज देने वाली संस्था खुद अपनी ओर से राजकोष में जमा कराती है। कर युक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज पर विनियोक्ता पर टीडीएस देय होता है। इस ब्याज का शोधन टीडीएस काटने के बाद संस्था द्वारा किया जाता है। प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज सकलीकरण उसी समय किया जाएगा, जब इन प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि देय होगी, ब्याज की दर नहीं। प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज में से धारा 57 के अनुसार अनुज्ञेय कटौती मान्य होगी।

टिप्पणी

3.7 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **व्यवसाय से आय**: व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य या निर्माणकार्य अथवा व्यापार वाणिज्य या निर्माणकार्य की प्रकृति का कोई भी साहसिक कार्य सम्मिलित है।
- **पेशा**: पेशे से तात्पर्य ऐसे कार्य हैं, जिनमें उच्च शिक्षा, बौद्धिक क्षमता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है।
- **प्रारंभिक व्यय**: प्रारंभिक व्यय का तात्पर्य उन व्यय से है, जो नया व्यापार एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व किए जाते हैं।

  अथवा पुरानी व्यवसाय की दशा में प्रारंभिक व्यय से तात्पर्य उन व्यय से है, जो पुराने उद्योग के विस्तार पर या नई औद्योगिक इकाई लगाने पर किए जाते हैं।
- **परिकल्पित आय**: अनुमानित आय 'प्रिज़्मटीव आय' परिकल्पित आय के निर्धारण के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने तथा ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती है। जो धारा 44AD, 44ADA तथा 44AE में उल्लेखित व्यवसाय एवं पेशा तथा प्रावधान के अनुसार संबंधित व्यवसाय एवं पेशा के आय का अनुमान लगाया जाता है उसे परिकल्पित आय कहते हैं। (जो पात्र करदाता इस योजना को स्वीकृत करता है, उसी करदाता के लिए परिकल्पित आय उक्त नियम के तहत् निकाली जाएगी।)
- **परिकल्पित कर**: अनुमानित कर/प्रिज्मटीव टैक्सको परिकल्पित आय के आधार पर आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार जो कर लगाया जाता है, उसे अनुमानित कर कहते हैं। यह स्कीम खासतौर पर छोटे व्यवसायी या छोटे करदाता के लिए होती है।
- **पूँजी लाभ**: संपत्ति हस्तांतरण से होनेवाले लाभ तथा हानि का समावेश पूँजी लाभ में होता है।
- **अल्पकालीन पूँजी संपत्ति**: जो संपत्तियाँ हस्तांतरण तिथि से तुरंत पूर्व अधिकतम 36 माह के लिए करदाताओं द्वारा रखी गई संपत्ति है, उस संपत्ति को अल्पकालीन पूँजी संपत्ति माना जाएगा। अल्पकालीन पूँजी संपत्ति से होने वाले लाभ-हानि को अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जाएगा। मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी में सूचीबद्ध अंश के लिए अधिकतम 36 माह के बदले 12 माह की सीमा है।
- **दीर्घकालीन पूँजी संपत्ति**: जो संपत्तियाँ हस्तांतरण तिथि से तुरंत पूर्व न्यूनतम 36 माह से अधिक समय के लिए करदाताओं द्वारा रखी गई संपत्ति है, उसे दीर्घकालीन पूँजी संपत्ति मानी जाएगी। दीर्घकालीन पूँजी संपत्ति होने वाली लाभ-हानि को दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना जाएगा। मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी में सूचिबद्ध अंश के लिए यह समय–सीमा न्यूनतम 36 माह से अधिक के बदले 12 माह की सीमा हैं।

टिप्पणी

- **सूचकांकित लागतः** संपत्ति प्राप्त करने की सूचकांकित लागत वह धनराशि है, जो संपत्ति प्राप्त करने की लागत के उसी अनुपात में निकाली जाएगी जो संपत्ति को हस्तांतरण करने वाले वर्ष में लागत स्फीति सूचकांक है।
- **सुधार की सूचकांकित लागतः** सुधार की सूचकांकित लागत वह धनराशि है, जो संपत्ति सुधार की लागत के उसी अनुपात में निकाली जाएगी, जो संपत्ति को हस्तांतरण करने वाले वर्ष में लागत स्फीति सूचकांक है।
- **अन्य साधनों से आयः** जो आय वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे से आय तथा पूँजी लाभ में समावेशित नहीं होती, उस आय का समावेश अन्य साधनों से आय में होता है। यह आय शेष आय होती है।
- **आकस्मिक् आयः** इस आय में लॉटरी, घुड़दौड़, शर्त, जुआ, ताश के खेल, वर्ग पहेली आदि के ईनाम तथा जीत की राशि का समावेश होता है।
- **कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँः** यह प्रतिभूतियाँ वे होती हैं, जिनका निर्गमन केंद्र तथा राज्य सरकार करती हैं, जिस पर विनियोक्ता को प्राप्त ब्याज धारा 10(15) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त होता है।
- **कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँः** यह प्रतिभूतियाँ वे होती हैं, जिनका निर्गमन केंद्र तथा राज्य सरकार करती हैं, जिस पर विनियोक्ता को प्राप्त ब्याज में से टीडीएस नहीं काटा जाता है। ब्याज पूर्ण रूप से कर योग्य होता है।
- **कर मुक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँः** यह प्रतिभूतियाँ वे होती हैं जिनका निर्गमन गैर-सरकारी संस्था करती हैं जिन पर विनियोक्ता को प्राप्त ब्याज टीडीएस देना नहीं होता। इस ब्याज पर टीडीएस प्रतिभूति निर्गमित करने वाली संस्था भुगतान करती है। इन प्रतिभूतियों के ब्याज के दर अथवा ब्याज राशि भी हो, तो इन दोनों स्थितियों में संकलीकरण किया जाएगा।
- **कर युक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँः** यह प्रतिभूतियाँ वे होती हैं जिनका निर्गमन गैर-सरकारी संस्था करती है, जिस पर विनियोक्ता को प्राप्त ब्याज पर टीडीएस देना होता है। इस ब्याज का शोधन टीडीएस काटने के बाद संस्था द्वारा किया जाता है। इन प्रतिभूतियों के ब्याज के दर हैं, तो संकलीकरण नहीं किया जाएगा, किंतु ब्याज राशि दी हो तो संकलीकरण किया जाएगा।
- **दिखावटी लेनदेनः** करदाता प्रतिभूति पर ब्याज का कर दायित्व कम करने के लिए ब्याज की देय तिथि के पूर्व प्रतिभूतियों का नाममात्र विक्रय करता है, तत्पश्चात् उन प्रतिभागियों को करदाता पुनःब्याज की देय तिथि के पश्चात् क्रय कर अपने नाम करता है, इन व्यवहारों को दिखावटी लेनदेन कहते हैं।

3.8 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. ऐसे चार व्ययों के नाम लिखिए जो व्यवसाय के कर योग्य लाभों की गणना में स्पष्टतया स्वीकृत हैं।
2. व्यवसाय के कर योग्य लाभों की गणना में स्वीकृत कोई चार करों के नाम लिखिए।
3. व्यवसाय या पेशे की कर योग्य आय की गणना करते समय ऐसे कौन से व्यय हैं जिनकी कटौती भुगतान करने के आधार पर स्वीकृत होती है।
4. एक करदाता भारत में चाय उगाने एवं निर्माण व्यवसाय में सलंग्न है, इस करदाता की आय का कितना भाग कर योग्य होगा?
5. प्रारंभिक व्यय से क्या आशय है और इस संबंध में छूट किस प्रकार मिलती है?
6. मकान संपत्ति की आय को व्यापार या पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कब सम्मिलित किया जाता है?
7. पूँजी लाभ का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
8. पूँजी लाभ के प्रकार लिखिए।
9. पूँजी संपत्ति के हस्तांतरण धारा 2(47) का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
10. प्राप्त करने की लागत को सूचकांकित करने का अर्थ लिखें।
11. सुधार की सूचकांक लागत लिखें।
12. पूँजी लाभ में धारा 54 क्या है?
13. पूँजी लाभ में धारा 54EC क्या है?
14. पूँजी लाभ में धारा 54F क्या है?
15. अन्य साधनों से आय के अंतर्गत कर योग्य पाँच मद लिखें।
16. दिखावटी लेन देन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
17. अन्य साधनों से आय में से धारा 57 के अंतर्गत दी जानेवाली कटौतियाँ बताएँ।
18. कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के पाँच मद लिखें।
19. सकलीकरण का अर्थ बताएँ।
20. आकस्मिक् आय का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

टिप्पणी

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. एक व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना करने में कौन से व्यय स्पष्टतयास्वीकृत हैं?
2. लाभ का अर्थ क्या है तथा पूँजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है?
3. पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण का अर्थ तथा अपवाद स्पष्ट कीजिए।
4. करदाता के लिए वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं तथा उस संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
5. अन्य साधनों से आय का अर्थ स्पष्ट कर उसमें सम्मिलित होने वाले मद लिखें।
6. प्रतिभूतियों के विभिन्न प्रकार तथा किन प्रतिभूतियों का किस परिस्थिति में सकलीकरण किया जाता है, यह स्पष्ट करें।
7. कर मुक्त प्रतिभूतियों में समाविष्ट होने वाली प्रतिभूतियों के विभिन्न मद को लिखें।

व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

उदा. 1. निम्नलिखित व्ययों की कटौती के संबंध में आय कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए–

(i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय।

(ii) पेटेंट राइट खरीदने के पूँजीगत व्यय।

(iii) औद्योगिक जानकारी प्राप्त करने पर व्यय।

(iv) प्रारम्भिक व्यय।

(v) मनोरंजन संबंधी खर्चे।

(vi) गत वर्ष व्यापार की एक शाखा बंद होने के बाद उसके संबंध में किए गए व्यय।

(vii) कार्यालय में वातानुकूलित यंत्र की वृहत् मरम्मत पर व्यय।

(viii) अतिरिक्त कार्य करने के लिए साझेदार को बोनस।

(ix) साझेदारी प्रलेख को लिखवाने के लिए एक वकील को दी गई फीस।

(x) पुत्र को दिया गया वेतन जो कार्यालय में कार्य कर रहा है, वेतन उचित है?

(xi) हड़ताल को वापस कराने के लिए एक श्रमिक नेता को दी गई राशि।

(xii) पत्नि से लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाया।

(xiii) पुत्री को कार्यालय भवन का चुकाया गया किराया। भवन पुत्री को उसकी शादी पर उपहार में दिया था।

(xiv) अपने मरीजों के लाभ के लिए डॉक्टर ने मैगजीनों को चन्दा दिया।

(xv) राजनितिक पार्टी को दान।

उदा. 2: श्री. सुनील चव्हाण एक व्यापार के मालिक हैं, उनका 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्न है।

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रतिस्थापना व्यय	14,400	सकल लाभ	10,52,520
किराया, दर एवं कर	8,700	सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त सकल ब्याज	16,200
सामान्य व्यय	2,250	संपत्ति से प्राप्त किराया	16,200
घरेलू व्यय	1,55,190		
कमिशन	4,500		
छूट	1,350		
संदिग्ध ऋणार्थ संचिती	3,600		
डाक खर्च	810		
कानूनी खर्च	1,350		
विज्ञापन	4,650		
अग्नि बीमा प्रव्याजी (स्टॉक)	1,080		
जी.एस.टी.	4,350		
मरम्मत एवं नवीनीकरण (निजी निवास के संबंध में)	1,890		
मोटर कार बिक्री पर हानि (निजी संपत्ति)	5,400		
जीवन बीमा प्रव्याजी (आलोकनाथ के स्वयं के जीवन पर)	5,370		
पूँजी पर ब्याज	3,270		
अंकेक्षक को फीस का भुगतान	900		
अधिकोष ऋण पर ब्याज	4,140		
ऱ्हास के लिए प्रयोजन	7,500		
आयकर के लिए प्रयोजन	11,700		
शुध्द लाभ (पूँजी खाते में हस्तांतरित)	8,42,520		
	10,84,920		10,84,920

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) गत वर्ष वास्तविक डूबित ऋण रु 825 था।

(ii) गत वर्ष आयकर का भुगतान रु 6,300 किया।

(iii) आयकर अधिनियमानुसार स्वीकृत ऱ्हास रु 5,100।

(iv) विज्ञापन में रु 1,650, नई शाखा खालेने के संबंध में किए गए विशेष अभियान से संबंधित है।

(v) कानूनी व्यय व्यापार चिन्ह बचाने के संबंध में है।

(vi) श्री. आलोकनाथ जहाँ अपना व्यापार संचालित करते हैं, उस भवन का आधा हिस्सा वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करते हैं। किराए की राशि 7,200 किराए में सम्मिलित है।

(**उत्तरः** रु 10,00,890)

उदा. 3: श्री. चवन्नी प्रसाद जो एक व्यवसाय के मालिक हैं, उनका लाभ-हानि लेखा निम्न है, उस आधार पर व्यापार व पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय का आगणन कीजिए।

लाभ-हानि खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

विवरण	राशि	विवरण	राशि
वेतन	2,07,500	सकल लाभ	17,62,500
स्वामी का वेतन	25,000	प्राप्त किराया	1,25,000
बीमा एवं कर	13,000	अधिकोष से प्राप्त ब्याज	25,000
विज्ञापन	2,62,500	डूबित ऋण वसूल (7,500 जो पूर्व में अमान्य थे)	12,500
बिजली व्यय	27,750	निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त	93,750
वारंटी के अंतर्गत वस्तुओं के दावों पर खर्च	18,750		
जीवन बीमा प्रव्याजी का भुगतान	8,000		
अशोध्य ऋण	6,250		
अशोध्य ऋण संचय का प्रयोजन	7,500		
ऋण पर ब्याज	40,000		
पूँजी पर ब्याज	20,000		
जी.एस.टी. नियम के उल्लंघन पर अर्थदण्ड	12,500		
ऱ्हास	45,000		
शुद्ध लाभ पूँजी खाते को स्थानांतरित	13,25,000		
	20,18,750		20,18,750

टिप्पणी

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) गत वर्ष अंतिम विज्ञापन के लिए खर्च किया गया जिसमें नगद भुगतान रु 62,500 का समावेश था।

(ii) गत वर्ष विक्रय के लक्ष्य को पूरा करने के पश्चात् रु 1,12,500 मोटरसाइकिल उपहार में प्राप्त हुई।

(iii) आयकर अधिनियमानुसार स्वीकृत ऱ्हास रु 38,250।

(iv) कर निर्धारण अधिकारी को रु 2,50,000 का सोना किस स्त्रोत से खरीदा गया, इस संबंध में करदाता से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

(v) वर्ष के अंतिम दिन कैशियर द्वारा रु 500 नकद गबन।

(**उत्तर**: रु 16,71,250)

उदा. 4: श्री. सचिन तेंडुलकर जो एक व्यवसाय के मालिक हैं, उनका व्यापार तथा लाभ-हानि लेखा निम्न है, उस आधार पर व्यापार व पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत आय का आगणन कीजिए।

**व्यापार तथा लाभ-हानि खाता 31 मार्च 2019
को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारंभिक रहतियाँ	16,12,500	विक्रय	1,80,90,000
खरीदी/क्रय	1,26,75,150	अंतिम रहतियाँ	9,97,500
आगत वाहन व्यय	1,08,750		
सकल लाभ	46,91,100		
	1,90,87,500		1,90,87,500
वेतन	8,40,000	सकल लाभ	46,91,100
किराया	21,00,000	बहन से प्राप्त उपहार	22,500
ब्याज	4,87,500	चिट फंड से लाभ व्यवसाय की निधि से	67,500
अशोध्य ऋण	24,000	अशोध्य ऋण की वसूली	9,000
विज्ञापन	1,12,500	कमिशन	31,500
सामान्य व्यय	2,25,000		
भवन की मरम्मत	26,700		
बाढ़ से रहतियाँ की हानि	22,500		
ख्याति प्रयुक्त करने के लिए दिया गया भुगतान	30,000		
शुद्ध लाभ पूँजी खाते को स्थानांतरित	9,53,400		
	48,21,600		48,21,600

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) व्यवसाय भवन का किराया प्रति माह रु 1,50,000 है। करार के तहत् भवन की मरम्मत का खर्च भवन स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) आगत वाहन व्यय में रु 1,500 देरी से माल उठाने के संबंध में जुर्माना।

(iii) करदाता को रु 90,000 का ऱ्हास आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकृत है।

(iv) प्रारंभिक तथा अंतिम रहतिया का वास्तविक मूल्यांकन क्रमशः रु 16,50,00 तथा रु 10,87,500 है।

(v) ब्याज के शोधन के संबंध में जानकारी निम्न है–

- क्रियाशील पूँजी के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज रु 1,75,500।
- व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज रु 75,000।

(vi) सामान्य व्यय में निम्न खर्चों का समावेश है–

- दीवानी मामले के संबंध में कानूनी खर्च रु 24,000 जिसका निर्णय करदाता के पक्ष में लगा।
- दीवानी मामले के संबंध में कानूनी खर्च रु 37,500 जिसका निर्णय करदाता के पक्ष में लगा।

(vii) वेतन में रु 1,20,000 वेतन का भुगतान निकटतम रिश्तेदारों को दिया गया है जो सामान्य शोधन से 25 प्रतिशत है।

(viii) वसूल किए गए अशुद्ध ऋण रु 7,500 में रु 1,500 ब्याज का समवेश है।

(ix) 17 दिसंबर को व्यापारी वस्तु के गाड़ी किराया रु 35,000 का नगद शोधन।

(**उत्तरः** 13,59,100)

उदा. 5: श्री. विवेक बरलोटा, यवतमाल जो सनदी लेखापाल है, उन्होंने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित आय-व्यय खाता बनाया है।

आय-व्यय खाता 31 मार्च 2019
को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	राशि	आय	राशि
कार्यालय व्यय	30,000	अंकेक्षण क्षुल्क	11,11,500
कर्मचारी वेतन	15,000	जीजाजी से प्राप्त उपहार	15,150
किताबें (वार्षिक प्रकाशन के अतिरिक्त)	1,500	प्राप्त लाभांश	24,000
निजी व्यय	6,51,000	पूँजी संपत्ति के विक्रय पर लाभ	19,350
सुरक्षा कोष में दान	1,500	कर परामर्श शुल्क	12,00,000

आयकर	3,39,900		
कार व्यय	6,000		
आय का व्यय पर आधिक्य	13,25,100		
	23,70,000		23,70,000

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) कार का उपयोग निजी तथा कार्यालयीन कार्य में समान है, कार्यालयीन कार्यों के लिए स्वीकृत ऱ्हास रु 750 है।

(ii) कार्यालयीन कर्मचारी वेतन में घरेलू नौकर तथा माली के वेतन का समावेश रु 3,000 है।

(iii) कार्यालय भवन क्रय करने के लिए ऋण लिया है।

(iv) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत ऱ्हास 10 प्रतिशत, फर्निचर पर 10 प्रतिशत तथा पुस्तकों पर 40 प्रतिशत है।

(v) भवन जिसका अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल 2018 को रु 2,40,000 था, यह भवन करदाता कार्यालयीन काम हेतु प्रयुक्त करता है, इसके अतिरिक्त फर्निचर लागत रु 90,000 है, जिसका अपलिखित मूल्य रु 60,000 है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर विवेक बरलोटा के पेशे से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

(**उत्तर**: रु 21,89,400)

उदा. 6: सौ. डॉक्टर प्रणीता ओसवाल का प्राप्ति शोधन लेखा निम्न है।

प्राप्ति शोधन खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्ति	राशि	शोधन	राशि
शेष	37,500	दवाखाने का किराया	67,500
परामर्श शुल्क	2,25,000	दवाओं का क्रय	1,42,500
व्हिज़ीट शुल्क	1,68,750	कर्मचारियों का वेतन	90,000
प्राप्त भेट एवं उपहार	30,000	शल्य यंत्र क्रय	1,50,000
दवाओं की बिक्री	1,57,500	मोटर कार व्यय	30,000
अंशों पर प्राप्त लाभांश	22,500	मोटर कार का क्रय	5,25,000
अंश बिक्री से प्राप्त राशि	3,75,000	घरेलू व्यय	26,250
NSC से प्राप्त ब्याज	22,500	शेष	7,500
	10,38,750		10,38,750

अतिरिक्त सूचनाएँ

(i) कार का उपयोग निजी तथा कार्यालयीन कार्य में समान है, कार डिसंबर 2018 में खरीदी की थी।

(ii) घर खर्च में रु 22,500 के जीवन बीमा प्रव्याजी के शामिल हैं।

(iii) उपहारों में रु 11,250 रिश्तेदारों से प्राप्त शामिल हैं।

(iv) रहतियाँ 1/4/2018 रु 15,000

(v) रहतियाँ 31/3/2019 रु 18,000

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पेशे से आय की गणना कीजिए।

(**उत्तर**: रु 2,42,812)

उदा. 7: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. अरुण शौरी का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए।

5 अक्टूबर 2018 को कृषि भूमि के विक्रय से सकल प्राप्ति रु 18,00,000 थी। भूमि के विक्रय के संबंध में विक्रय मूल्य का 2% दलाली भुगतान किया गया। यह कृषि भूमि करदाता ने 2004–05 में रु 50,000 में खरीदी थी। करदाता ने 15 मार्च 2019 को रु 3,00,000 में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि खरीदी।

(CII = 2004–05 – 113, 2018–19 – 280)

(**उत्तर**: रु 13,40,106)

उदा. 8: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. साईनाथ का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

18 अक्तूबर 2018 को मकान संपत्ति विक्रय से रु 27,00,000 प्राप्त हुए थे। वह मकान उन्हें पिताजी के वसीयत से 12 अगस्त 1999 में प्राप्त हुआ था, जिसे उसने रु 30,000 में 1 अगस्त 1995 में खरीदा था। इस मकान संपत्ति का उचित मूल्य 1 अप्रैल 2001 को रु 60,000 था। मकान संपत्ति में करदाता ने 2004–05 में रु 50,000 का खर्च मरम्मत के लिए किया।

(CII = 2004–05 – 113, 2018–19 – 280)

(**उत्तर**: रु 9,17,246)

उदा. 9: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्रीमती सीमा का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्रीमती सीमा ने 1 जून 2006 को एक कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में रु 2,00,000 में क्रय किया। वह जमीन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 जनवरी 2019 को अधीनस्थ की, जिसकी क्षतिपूर्ति में सीमा को रु 12,00,000 का भुगतान 1 जनवरी 2019 को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया। श्रीमती सीमा ने रु 5,00,000 पूँजी लाभ योजना के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2019–20 की आय विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत करने के पूर्व जमा किया।

(CII = 201–02 – 100, 2006–07 – 122, 2018–19 – 280)

(**उत्तर**: रु 2,40,984)

टिप्पणी

उदा. 10: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्रीमती मोना का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्रीमती मोना ने 1 जून 2006 को एक कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में रु 3,00,000 में क्रय की तथा उसके पंजीयन के लिए रु 10,000 का भुगतान किया। संपत्ति सुधार के लिए 15 जनवरी 2013 में रु 50,000 संपत्ति सुधार के लिए खर्च किए। वह संपत्ति 1 मार्च 2018 को रु 15,00,000 में बेची जिसके लिए उन्हें रु 25,000 स्थानांतरण खर्च आया।

(CII = 2001–02 – 100, 2006–07 – 122, 2012–13 – 200, 2018–19 – 280)

(**उत्तर**: रु 6,93,525)

उदा. 11: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्रीमती कविता का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्रीमती कविता ने 1 जून 1987 को एक कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में रु 3,00,000 में क्रय किया। वह कृषि जमीन कविता ने अपनी पुत्री कुमारी रुचि को 1 जनवरी 1999 को स्थानांतरण किया जिसका 1 अप्रैल 2001 को उचित मूल्य रु 17,50,000 था। वह भूमि रुचि ने 15 जनवरी 2018 को रु 75,25,000 में बेची, उसके लिए उसे रु 5,25,000 स्थानांतरण खर्च आया।

(CII = 201–02 – 100, 2018–19 – 280)

(**उत्तर**: रु 21,00,000)

उदा. 12: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. नवल का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. नवल ने 10 अक्तूबर 2016 को रु 12,00,000 में पूँजी संपत्ति क्रय की, उन्होंने वह पूँजी संपत्ति 25 मई 2018 को व्यापारी रहतियाँ में परिवर्तित कर दी। उस समय का उसका उचित बाजार मूल्य रु 18,00,000 था। उसे उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को रु 22,00,000 में बेचा।

(**उत्तर**: रु 10,00,000)

उदा. 13: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. भंवरलाल का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. भंवरलाल ने एक मकान संपत्ति 17 अक्तूबर 2009 में रु 6,00,000 में क्रय किया। उसे 18 दिसंबर 2018 में रु 1,20,00,000 में बेचा। करदाता ने 12 फरवरी 2019 में रु 1,05,00,000 में एक रिहायशी मकान धामनगांव में क्रय किया।

(CII = 2009–10 – 148, 2018–19 – 280)।

(**उत्तर**: रु 3,64,866)

टिप्पणी

उदा. 14: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. कांतिलाल का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. कांतिलाल ने एक मकान संपत्ति 28 अक्टूबर 2009 में रु 6,00,000 में क्रय किया, उसे 18 सितंबर 2018 में रु 1,20,00,000 में बेचा। करदाता ने 12 फरवरी 2019 में रु 60,00,000 में पूँजी लाभ योजना में जमा किए।

(CII = 2009–10 – 148, 2018–19 – 280)

(**उत्तर:** रु 48,64,866)

उदा. 15: निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर श्री. नमन का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. नमन ने एक कृषि भूमि 2007–08 में रु 25,00,000 में क्रय की तथा उसे 18 अप्रैल 2018 में रु 87,50,000 में बेचा। करदाता ने 12 जनवरी 2019 में रु 25,00,000 में नई कृषि भूमि का क्रय किया।

(CII = 2007–08 – 129, 2018–19 – 280)

(**उत्तर:** रु 8,23,645)

उदा. 16: निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर श्री. रोहन का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. रोहन ने एक मकान संपत्ति 2001–02 में रु 3,00,000 में निर्माण किया। उसे 18 नवंबर 2018 में रु 30,00,000 में बेचा। करदाता ने 12 मार्च 2019 में रु 21,00,000 में एक रिहायशी मकान अमरावती में क्रय किया। मकान के क्रय – बिक्री व्यवहार पर 2 प्रतिशत दलाली का भुगतान किया। नए रिहायशी मकान के पंजीयन के लिए रु 60,000 का भुगतान किया।

(CII = 2001–02 – 148, 2018–19 – 280)

(**उत्तर:** रु 15,000)

उदा. 17: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. शंभूनाथ का कर निर्धारण वर्ष 2019– 20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. शंभूनाथ ने 31 दिसंबर 1993 को एक मकान का क्रय रु 7,00,000 में किया जिसका 2001–02 में उचित मूल्य रु 15,75,000 था। वह मकान उन्होंने 12 अप्रैल 2018 को रु 1,44,00,000 में बेचा। श्री. शंभूनाथ ने 18 नवंबर 2018 को एक नए रिहायशी मकान का क्रय रु 22,00,000 में किया तथा 29 जनवरी 2019 को धारा 54EC के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड में रु 38,50,000 का विनियोग किया।

(CII = 2001–02 – 148, 2018–19 – 280)

(**उत्तर:** रु 8,40,000)

उदा. 18: निम्नलिखित तथ्य के आधार पर श्री. आलोकनाथ का कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

श्री. आलोकनाथ ने गत वर्ष 2004–05 में रु 5,00,000 के तथा गत वर्ष 2010–11 में रु 2,50,000 के गहने खरीदे। उन्हें गत वर्ष 2018–19 में क्रमशः रु 12,50,000 तथा रु 27,50,000 में बेचे। गहने बेचने पर सुनार की दलाली 1 प्रतिशत है। करदाता ने 15 मई 2019 को पूँजी लाभ खाता योजना में रु 10,00,000 तथा रु 5,00,000 की राशि 15 नवंबर 2019 को उसी खाते में जमा कराई। करदाता ने 28 फरवरी 2019 को निवासी घर बनाने हेतु एक प्लॉट रु 12,50,000 में खरीदा।

(CII = 2004–05 – 113, 2010–11 – 167, 2018–19 – 280)

(**उत्तर:** रु 31,06,655)

उदा. 19: श्री. मोहित के गत वर्ष के विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 9% सरकारी ऋण पत्र रु 25,000

(ii) 11% नागपुर कॉरपोरेशन बोर्ड बॉन्ड्स रु 20,000

(iii) 12% चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स रु 30,000

(iv) 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज रु 20,000

(v) 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट रु 30,000

(vi) 8% इंग्लैंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स रु 15,000

(vii) SBI से प्राप्त ब्याज रु 19,500

उपरोक्त जानकारी से रोहित की अन्य साधनों से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

(**उत्तर:** रु 28,750)

उदा. 20: श्री. मोहन के गत वर्ष 2018–19 के विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 9% गैर-सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति रु 1,00,000 (असूचित)

(ii) 7% मोहता मिल्स ऋणपत्र रु 30,000

(iii) 10% चेन्नई केमिकल्स लिमिटेड की कर मुक्त प्रतिभूति रु 72,000

(iv) 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज रु 20,000

(v) 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट रु 20,000

(vi) डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 7,000

(vii) कर्मचारी सहकारी पत संस्था से प्राप्त लाभांश रु 18,000

(viii) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 20,000

(ix) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 14,000

(x) 10% महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बॉन्ड्स रु 40,000

टिप्पणी

उपरोक्त जानकारी से श्री. मोहन की अन्य साधनों से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

(**उत्तर**: रु 34,100)

उदा. 21: श्री. तुषार के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 10% सरकारी कर मुक्त प्रतिभूति रु 4,40,000

(ii) 10% वाणिज्यिक प्रतिभूति रु 16,00,000

(iii) मुंबई केमिकल्स लिमिटेड प्रतिभूति प्राप्त सकल ब्याज रु 32,000

(iv) मध्य प्रदेश राज्य सरकार की प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 28,000

(v) बजाज पब्लिक लिमिटेड के ऋणपत्र पर प्राप्त ब्याज रु 28,800

(vi) डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 6,000

(vii) धामनगांव एज्युकेशन सोसाइटी कर्मचारी सहकारी पत संस्था से प्राप्त लाभांश रु 28,000

(viii) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 60,000

(ix) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 17,000

(x) 10% मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड बॉन्ड्स रु 1,00,000

उपरोक्त जानकारी से श्री. तुषार की अन्य साधनों से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

(**उत्तर**: रु 3,36,500)

उदा. 22: श्री. रामानंद सागर के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग से प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) सरकारी कर युक्त प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 24,000

(ii) यवतमाल नगर पालिका द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 21,600

(iii) किरण केमिकल्स लिमिटेड प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज रु 21,600 (असूचीबद्ध)

(iv) गुजरात पेंट्स के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 21,600 (सूचीबद्ध)

(v) राम बंधु फाइनेंस लिमिटेड के कर मुक्त ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज रु 21,600

(vi) डाकघर संचय बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज रु 3,500

(vii) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 37,000

उपरोक्त जानकारी से श्री. रामानंद सागर की अन्य साधनों से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

(**उत्तर**: रु 1,20,000)

उदा. 23: श्री. कमल के गत वर्ष 2018–19 में विनियोग तथा प्राप्तियाँ निम्न हैं–

(i) 8% सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 1,00,000 (जिसे 1 जून 2017 में खरीदा था)

(ii) 7.5% सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ रु 80,000 (जो 1 फरवरी, 2017 में खरीदा था जिसे गत वर्ष 1 अक्तूबर, 2018 को रु 10,000 मुनाफे से बेच दिया)

(iii) 10% कर युक्त गैर-सरकारी प्रतिभूतियाँ रु 60,000 (जो 1 सितंबर, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष में 1 मार्च, 2019 को रु 4,000 घाटे में बेच दिया)

(iv) 10% कर युक्त बॉन्ड्स रु 1,60,000 (जिसे 1 फरवरी, 2018 में खरीदा था)

(v) 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स रु 1,20,000 (जो 1 जून, 2017 में खरीदा था, जिसे गत वर्ष में 5 दिसंबर, 2018 को बेच दिया)

(vi) 7% पूँजी विनियोग बॉन्ड्स, 1 जून 2002 के पूर्व जारी, पर प्राप्त ब्याज रु 5,000

(vii) राष्ट्रीय स्वर्ण बॉन्ड्स, 1980 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 14,000

(viii) स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, 1991 के अंतर्गत प्राप्त ब्याज रु 24,000

(ix) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर ब्याज रु 3,000

(x) रिलायंस लिमिटेड के 12% पूर्वाधिकार अंश रु 1,00,000 (जिसे 1 जुलाई, 2018 में खरीदा था)

(xi) रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 1,50,000 (जिसे 1 दिसंबर, 2018 में खरीदा था)

अतिरिक्त सूचनाएँ

- ब्याज तथा लाभांश 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय होगा।
- बैंक द्वारा ब्याज एवं लाभांश राशि जमा करने पर 2% कमिशन वसूल किया जाता है।
- बैंक सभी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय मान्यता प्राप्त स्कंध विपणी में हुआ है।
- रिलायंस लिमिटेड के 12% ऋणपत्र रु 1,50,000 (जिसे 1 दिसंबर, 2018 में खरीदा था) उसके लिए रु 1,00,000 9% की दर से बैंक से कर्ज लिया था।

उपरोक्त जानकारी से श्री. सोहन की अन्य साधनों से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए।

(**उत्तर:** रु 40,584)

टिप्पणी

3.9 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. आयकर विधान एवं लेखे – डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, डॉ. एस.पी. गोयल, (प्रकाशक–साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 60 वां संशोधित संस्करण)
2. आयकर – डॉ. ए.के. धगट, संजय भार्गव, (प्रकाशक–रमेश बुक डिपो, जयपुर)
3. Taxation Laws Simplified – Tarun Bansal, Dr. Monika Tushar Bohra, (Publisher – Tax Guru Publication House, Delhi.)
4. Income Tax: AY 2019-20 – CS K.K. Agrawal
5. Handbook on Income Tax – CA. Raj K. Agrawal, (Publisher – Bharat Law Publishers)
6. Income Tax Act 1961
7. Income Tax Rules 1962
8. Law and Practice of Income Tax in India, Bhagwati Prasad.
9. Direct Tax Law – Dinkar Pagare (Publisher – Sultan Chand & Sons, New Delhi).

इकाई 4 हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना, सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियाँ, आय का मिलान तथा व्यष्टि/व्यक्ति की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना (Set Off and Carry Forward of Losses, Deductions from Gross Total Income, Clubbing of Income, Computation of Total Income and Tax Liability of an Individual)

टिप्पणी

संरचना (Structure)

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 हानियों की पूर्ति तथा हानियों को आगे ले जाना
4.2.1 प्रस्तावना
4.2.2 हानि की पूर्ति का अर्थ
4.2.3 हानि की पूर्ति की पद्धतियाँ
4.2.3.1 अंतर–स्त्रोत (Inter Head Adjustment) धारा 70
4.2.3.2 अंतर–शीर्षक (Inter Source Adjustment) धारा 71
4.2.4 विशेष व्यवहारिक सूचना
4.2.5 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना
4.2.5.1 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करने का अर्थ
4.2.5.2 हानियों को आगे ले जाना तथा समय पाबंदी
4.2.6 व्यवहारिक उदाहरण
4.3 सकल कुल आय में दी जाने वाली कटौतियाँः अध्याय VI-A
4.3.1 आय में से कटौती धारा के नियम धारा 80(A)
4.3.2 धारा 80C से धारा 80U तक दी जाने वाली कटौतियाँ
4.3.2.1 भुगतान की कटौतियाँ
4.3.2.1.1 80C जीवन बीमा प्रव्याजी, प्रमाणित प्राप्त भविष्य निधि अंशदान आदि
4.3.2.1.2 80CCC पेंशन फंड में अंशदान
4.3.2.1.3 80CCD केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना में राशि का भुगतान
4.3.2.1.4 80CCE: धारा 80C, 80CCC तथा 80CCD के अधीन कटौतियों की कुल राशि
4.3.2.1.5 80CCG: सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग करने के संबंध में
4.3.2.1.6 80D: चिकित्सा बीमा प्रव्याजी के भुगतान के संबंध में
4.3.2.1.7 80DD: यह कटौती निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर तथा उनके जीवन निर्वहन करने के लिए भुगतान
4.3.2.1.8 80DDB: विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा के संबंध में
4.3.2.1.9 80E: उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान

4.3.2.1.10 80EE: यह भुगतान की कटौती निवास के लिए क्रय किए गए गृह संपत्ति के ऋण पर ब्याज के संबंध में

4.3.2.1.11 80G: पुण्यार्थ संस्था अथवा अनुमोदित विशेष कोषों में भुगतान किए गए दान के संबंध में

4.3.2.1.12 80GG: किराए के भुगतान के संबंध में कटौती

4.3.2.1.13 80GGA: वैधानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दिए गए दानों के संबंध में

4.3.2.1.14 80GGB: भारतीय कंपनियों द्वारा राजनीतिक दल** या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान

4.3.2.1.15 80GGC: कंपनी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल** या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान

4.3.3 आय के संबंध में धारा 80IA से धारा 80RRB दी जाने वाली कटौतियाँ

4.3.3.1 80IA आधारभूत विकास उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती

4.3.3.2 80IAB विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लाभ के संबंध में कटौती

4.3.3.3 80IAC: निर्दिष्ट कारोबार के लाभों में से कटौती

4.3.3.4 80IB: अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों आदि के लाभ के संबंध में कटौती

4.3.3.5 80IBA: आवासीय परियोजना के लाभ के संबंध में कटौती

4.3.3.6 80IC: कुछ विशेष राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों या उद्यमों के संबंध में कटौती

4.3.3.7 80IE: पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती

4.3.3.8 80JJA: जैव–श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यापार से लाभ के संबंध में कटौती

4.3.3.9 80JJAA: नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती

4.3.3.10 80LA: अनुसूचित तथा विदेशी बैंक के अपतट इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के संबंध में कटौती

4.3.3.11 80P: सहकारी समितियों के लाभों से संबंधित कटौती

4.3.3.12 80PA: उत्पादक कंपनियों को पात्र कारोबार के लाभ के संबंध में कटौती

4.3.3.13 80QQB: लेखकों की रॉयल्टी की आय के संबंध में कटौती

4.3.3.14 80RRB: एकास्वाधिकार (पेटेंटी) पर अधिकार शुल्क के संबंध में कटौती

4.3.3.15 80TTA: बचत खातों पर ब्याज के संबंध में कटौती

4.3.3.16 80TTB: वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के संबंध में कटौती

4.3.3.17 80U: निःशक्त व्यक्ति की आय के संबंध में कटौती

4.3.4 व्यवहारिक प्रश्न

4.4 आय का मिलान (Clubbing of Incomes) धारा 60 से 64

4.4.1 आय मिलान का अर्थ

4.4.2 आय की मिलान के संबंध में आयकर अधिनियम में प्रावधान

4.4.3 व्यवहारिक उदाहरण

4.5 एक व्यक्ति (व्यष्टि) की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना

4.5.1 कुल आय / कर देय आय धारा–2(45)

4.5.2 गणना करने की प्रविधि

4.5.3 कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर दर

4.5.4 धारा 87(A) के अनुसार कर कटौती

4.5.5 अधिभार

4.5.6 सीमांत राहत

4.5.7 अनुविकल्पी न्यूनतम कर

4.5.7.1 अनुविकल्पी न्यूनतम कर किसे देना होता है?

4.5.7.2 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व

4.5.7.3 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व के लिए समायोजित कुल आय की गणना

4.5.8 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व का निर्धारण
4.5.9 व्यवहारिक उदाहरण
4.6 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
4.7 सारांश
4.8 मुख्य शब्दावली
4.9 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.10 सहायक पाठ्य सामग्री

4.0 परिचय (Introduction)

हानियों की पूर्ति किस तरह से की जाती है तथा उन्हें अग्रेषित कितने वर्ष तक किया जा सकता है, इसका अध्ययन प्रस्तुत इकाई में किया गया है तथा अध्याय VI के अंतर्गत सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही, आय का मिलान किस तरह से करदाता की आय में किया जाता है, इन प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा एवं व्यष्टि/व्यक्ति की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना की प्रविधि का अध्ययन किया जाएगा। इन सभी पर व्यवहारिक उदाहरण हल के साथ दिए गए हैं ताकि व्यवहारिक उपयोग का ज्ञान हासिल हो सके।

4.1 उद्देश्य (Objectives)

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि–

- हानि की पूर्ति का अर्थ समझने में सहायक।
- हानि को आगे ले जाने का अर्थ समझने में सहायक।
- हानि की पूर्ति की प्रविधि समझने में सहायक।
- हानियों की पूर्ति तथा हानियों को आगे ले जाने के आयकर अधिनियम के प्रावधानों को समझने में सहायक।
- आय मिलान का अर्थ तथा प्रविधि समझने में सहायक।
- सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों के संबंध में आयकर प्रावधानों को समझने में सहायक।
- व्यष्टि/व्यक्ति के कुल आय की गणना की प्रविधि समझने में सहायक।
- व्यष्टि/व्यक्ति के करदायित्व की गणना की प्रविधि समझने में सहायक।

4.2 हानियों की पूर्ति तथा हानियों को आगे ले जाना (Set off and Carry Forward of Losses)

4.2.1 प्रस्तावना (Introduction)

करदाता को हर कर निर्धारण वर्ष में हर स्त्रोतों से लाभ ही हो, यह संभव नहीं हो पाता। कभी–कभी करदाता की ऋणात्मक आय भी होती है। अर्थात् हानि भी होती

है। इन हानियों की पूर्ति तथा हानियों को आगे ले जाने की छूट आयकर अधिनियम में दी गई है।

टिप्पणी

4.2.2 हानि की पूर्ति का अर्थ (Meaning of Set off of Losses)

जिस गत वर्ष में जिस शीर्षक के अंतर्गत हानि हुई है, उस हानि को उसी शीर्षक में से हानि की पूर्ति करनी चाहिए। अगर, वह हानि उसी शीर्षक में से पूर्ति नहीं होती है, तो उसी वर्ष अन्य शीर्षकों की आय में से उसकी पूर्ति की जाती है, इसे ही हानियों की पूर्ति कहा जाता है। जब उसी शीर्षक में से तथा उसी वर्ष के अन्य शीर्षकों में से हानि की पूर्ति नहीं हो पाने पर उसे अगले कर निर्धारण वर्ष में अग्रेषित किया जाता है, इसे हानि को आगे ले जाना कहते हैं।

4.2.3 हानि की पूर्ति की पद्धतियाँ (Methods of Set off of Losses)

1. अंतर–स्त्रोत (Inter Head Adjustment) धारा 70
2. अंतर–शीर्षक (Inter Source Adjustment) धारा 71

4.2.3.1 अंतर–स्त्रोत (Inter Head Adjustment) धारा 70

जब हानि की पूर्ति उसी स्त्रोत से की जाती है जिसके अंतर्गत हानि हुई है, उसे अंतर–स्त्रोत हानि की पूर्ति कहते हैं।

उदा. मकान संपत्ति से हुई हानि। उस वर्ष के अन्य मकान संपत्ति की आय में से समायोजित करना।

अंतर–स्त्रोत हानि की पूर्ति के अपवाद

1. आयकर अधिनियम धारा 73 के अनुसार सट्टे के व्यवसाय की हानि को केवल सट्टे के लाभों में से ही समायोजित की जा सकती है। अन्य व्यवसायिक लाभ से नहीं की जा सकती।
2. आयकर अधिनियम धारा 74A के अनुसार घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने संबंधी व्यवसाय की हानि केवल घुड़दौड़ व्यवसाय की आय में से ही समायोजित की जा सकती है।
3. आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त आय की हानि का समायोजन किसी भी कर योग्य आय से नहीं किया जा सकता।
4. आयकर अधिनियम धारा 58 के अनुसार आकस्मिक् हानि का समायोजन किसी भी आकस्मिक् आय से नहीं किया जाता। आकस्मिक् आय से उसका व्यव्य घटाया नहीं जाता तथा यह आय कभी भी ऋणात्मक नहीं रहती।
5. दीर्घकालीन हानि की पूर्ति अल्पकालीन आय में से नहीं की जाती, उसे दीर्घकालीन आय में से ही समायोजित करना होता है, लेकिन अल्पकालीन हानि की पूर्ति अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आय में से किया जाता है।
6. व्यापार एवं पेशे से हानि का समायोजन वेतन से आय के शीर्षक में से नहीं की जाती।

7. साझेदारी फर्म की आय फर्म स्वयं अपनी आय से पूर्ति कर सकती है। साझेदार अपने हिस्से की हानि व्यक्तिगत आय से पूर्ति नहीं कर सकते।
8. व्यक्तियों के समुदाय तथा व्यक्तियों के समूह की हानियाँ आय व्यक्ति के समुदाय तथा व्यक्ति के समूह की अन्य आय से समायोजित की जा सकती है, किंतु उस आय का समायोजन व्यक्ति के समुदाय तथा व्यक्तियों का समूह के सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत आय में से पूर्ति करने का अधिकार नहीं है।

4.2.3.2 अंतर–शीर्षक (Inter Source Adjustment) धारा 71

जब किसी हानि की पूर्ति अंतर–स्त्रोत से नहीं होती, अर्थात् जिस आय शीर्षक के अंतर्गत हानि हुई है, उसकी पूर्ति उसी शीर्षक के अंतर्गत अन्य आय में से नहीं होती, तब उसी कर निर्धारण वर्ष में अन्य शीर्षकों से उस हानि की पूर्ति की जाती है, उसे अंतर–शीर्षक हानि की पूर्ति कहते हैं।

उदा. मकान संपत्ति हानि की पूर्ति जब उसी शीर्षक के अंतर्गत अर्थात् मकान संपत्ति की अन्य आय से हानि की पूर्ति नहीं होती, तब उसी कर निर्धारण वर्ष में उसकी पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से की जाती है।

4.2.4 विशेष व्यवहारिक सूचना (Special Practical Instruction)

1. मकान संपत्ति की हानि अन्य मकान संपत्ति की आय से की जाती है। अगर उसमें से हानि की पूर्ति नहीं होती है, तो अन्य शीर्षक की आय में से दो लाख रुपए तक उसकी पूर्ति की जाती है।
2. व्यापार व पेशे की हानि अन्य व्यापार तथा पेशे की आय से की जाती है, किंतु वेतन से आय छोड़कर अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय का समायोजन किया जाता है।
3. सट्टे की हानि सट्टे के अन्य व्यापार के लाभ में से ही की जा सकती है।
4. निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से ही की जाती है।
5. अल्पकालीन हानि की पूर्ति अन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आय से ही की जाती है।
6. दीर्घकालीन हानि की पूर्ति सिर्फ दीर्घकालीन आय से ही की जाती है।
7. आकस्मिक् हानि की पूर्ति अन्य आकस्मिक् या किसी भी आय से नही की जाती।
8. घुड़दौड़ के लिए घोड़े के रख–रखाव, व्यवसाय की हानि पूर्ति घुड़दौड़ के व्यवसाय के ही आय में से की जाती है।

4.2.5 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना (Carry Forward and Set off Losses)

टिप्पणी

4.2.5.1 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करने का अर्थ (Carry Forward Losses and Set off of Losses)

यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में इतनी अधिक हानि कि आयकर अधिनियम के तहत् उसे उसी वर्ष अंतर–स्त्रोत तथा अंतर शीर्षक से समयोजित नहीं किया जाता है, तब उसे अगले कर निर्धारण वर्ष की आय में से समायोजित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है, उसे हानियों को आगे ले जाना कहते हैं तथा इन अग्रेषित हानियों को आयकर अधिनियमानुसार पूर्ति की जाती है। सभी हानियों को आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अग्रेषित नहीं किया जाता। उनमें से कुछ हानियों को ही अग्रेषित किया जाता है, वे हानियाँ निम्नलिखित हैं–

1. मकान संपत्ति से हानि धारा 71B
2. व्यवसाय पेशे की हानियाँ धारा 72 एवं 73
3. पूँजी हानियाँ धारा 74
4. घुड़दौड़ के घोड़े रखने की हानियाँ धारा 74A(3)b
5. सट्टा व्यापार की हानियाँ धारा 73(2)
6. निर्दिष्ट व्यवसाय की हानियाँ धारा 73A(2)
7. धारा 75AD में संदर्भ में उल्लेखित हानि।

4.2.5.2 हानियों को आगे ले जाना तथा समय पाबंदी (Carry Forward Losses and Time Limit)

1. मकान संपत्ति की हानि को अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में मकान संपत्ति की आय में से समायोजित किया जा सकता है।
2. व्यापार व पेशे की हानि को अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में व्यापार व पेशे की आय में से समायोजित किया जा सकता है।
3. सट्टा व्यापार की हानि को अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में सट्टा व्यापार की आय में से समायोजित किया जा सकता है।
4. निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि को निर्दिष्ट व्यवसाय की आय में से समायोजित किया जा सकता है।
5. अल्पकालीन हानि को अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लाभ में से समायोजित किया जा सकता है।
6. दीर्घकालीन हानि को अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में दीर्घकालीन लाभ में से समायोजित किया जा सकता है।
7. घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हानि को अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में घुड़दौड़ की आय में से समायोजित किया जा सकता है।

टिप्पणी

विशेष संकल्पना

अशोधित ऱ्हास (Unabsorbed Depreciation)

अशोधित ऱ्हास किसी गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे के कर योग्य लाभ न होने के कारण अथवा कम होने के कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत ऱ्हास की कुल राशि न घटाई जा सकी तो जितनी राशि न घटाई जा सके, उसे करदाता की अन्य कर योग्य आय में से घटा देते हैं। अगर कोई अन्य आय न होने के कारण अथवा कम होने के कारण ऱ्हास की राशि की कटौती नहीं मिल पाती है, तो शेष बची हुई राशि को अशोधित ऱ्हास कहते हैं। अशोधित ऱ्हास की पूर्ति के लिए आगे ले जा सकता है। अशोधित ऱ्हास की पूर्ति किसी भी शीर्ष की आय से की जा सकती है।

4.2.6 व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

उदा. 1: 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री. विपिन जैन की आय का विवरण निम्न प्रकार से है–

1. मकान संपत्ति से आय (हानि) : रु 12,000
2. विविध ऋणों पर ब्याज की आय : रु 6,000
3. अनाज के व्यापार से लाभ : रु 5,80,000
4. सार्थ में हानि का हिस्सा : रु 36,000
5. सट्टे की हानि : रु 6,400
6. लाभांश सकल : रु 10,000
7. अल्पकालीन पूँजी लाभ : रु 12,000
8. लघु उद्योग से हानि : रु 28,000
9. कृषि भूमि से आय : रु 9,000
10. दीर्घ कालीन पूँजी लाभ : रु 12,000

विविध हानियों की आयों से पूर्ति करते हुए सकल कुल आय की गणना कीजिए तथा अग्रेषित हानि की राशि बताएँ।

उत्तर: श्री. विपिन जैन के सकल कुल आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	मकान संपत्ति से आय (हानि)			(–) 12,000
+	व्यापार तथा पेशे से आय			
	अनाज के व्यवसाय से आय		5,80,000	
	– सार्थ की हानि का हिस्सा (अंतर–स्त्रोत हानि की पूर्ति)		(–) 28,000	
				5,52,000

+	पूँजी लाभः			
	अल्प कालीन (STCG)		3,000	
	+ दीर्घ कालीन (LTCG)		12,000	
				15,000
+	अन्य साधनों से आयः			
	विविध ऋणों पर प्राप्त ब्याज की आय		6,000	
	+ लाभांश कर मुक्त		–	
				6,000
	सकल कुल आय			5,61,000

क्रियात्मक टिप्पणी

1. सट्टे की हानि रु 6,400 अग्रेषित की जाएगी।
2. फर्म की हानि फर्म अपनी हानि की पूर्ति के लिए उसे अगले 8 वर्ष तक आगे ले जाएगी।

उदा. 2: निम्न जानकारी के आधार पर राघव के सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कीजिए–

1. शुद्ध कर देय वेतन : रु 1,35,000
2. मकान संपत्ति से आय (क्र. 1) : रु 50,500
3. मकान संपत्ति से आय (क्र. 2) हानि : रु 23,500
4. सट्टे व्यवसाय से लाभ : रु 75,000
5. दीर्घकालीन पूँजी लाभ : रु 55,000
6. दीर्घकालीन पूँजी हानि : रु 20,000
7. प्रतिभूति पर प्राप्त ब्याज : रु 22,500

उत्तर: श्री. राघव के सकल कुल आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	कर देय वेतन			1,35,000
+	मकान संपत्ति से आय			
	संपत्ति क्र. 1 से आय		50,500	
	– संपत्ति क्र. 2 की हानि		(–) 23,500	
	मकान संपत्ति से कर देय आय			27,000
+	व्यापार तथा पेशे से आयः			75,000
	सट्टेबाजी व्यवसाय से			

+	पूँजी लाभः दीर्घ कालीन लाभ (LTCG) – दीर्घकालीन हानि (LTCG)		55,000 (–) 20,000	35,000
+	अन्य साधनों से आयः प्रतिभूति पर ब्याज से आय			22,500
	सकल कुल आय			2,94,500

हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना...

टिप्पणी

अशोधित ऱ्हास तथा व्यापारिक हानि

उदा. 3: गत वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए श्रीमान आर्य की आय का विवरण निम्न प्रकार से है।

विवरण	गत वर्ष	
	2017–18	**2018–19**
व्यापारिक लाभ हानि ऱ्हास पूर्व	(–) 1,10,000	70,000
चालू ऱ्हास	40,000	36,000
अन्य साधनों से आय	60,000	80,000

उपरोक्त जानकारी से कर निर्धारण वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के लिए श्रीमान आर्य की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. आर्य के सकल कुल आय की गणना।

गत वर्षः 2017–18 **कर निर्धारण वर्षः 2018–19**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
+	अन्य साधनों से आयः		60,000	
–	व्यापार की हानि 1,10,000 है, किंतु रु 60,000 का ही अंतर शीर्षक समायोजन होगा, क्योंकि रु 60,000 ही उपलब्ध है, शेष राशि हानि की पूर्ति के लिए अग्रेषित की जाएगी धारा 71			
	प्रतिभूति पर ब्याज से आय		(–) 60,000	Nil
	सकल कुल आय			Nil

क्रियात्मक टिप्पणी

1. व्यवसाय से हानि अग्रेषित

   (1,10,000 – 60,000) = रु 50,000

2. अशोधित ऱ्हास अग्रेषित = रु 40,000 क्योंकि चालू वर्ष के ऱ्हास के लिए कोई भी आय उपलब्ध नहीं है।

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

श्री. आर्य के सकल कुल आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	व्यवसाय से लाभ		70,000	
	– चालू ह्रास		36,000	
			34,000	
	– व्यवसाय की अग्रेषित हानि 50,000 है, लेकिन उसे समायोजित करने के लिए रु 34,000 ही उपलब्ध है। शेष राशि अगले कर निर्धारण वर्ष के लिए अग्रेषित की जाएगी।		34,000	Nil
+	अन्य साधनों से आयः		80,000	
	– अशोधित ह्रास		(–) 40,000	40,000
	सकल कुल आय			40,000

क्रियात्मक टिप्पणी

1. व्यवसाय से अग्रेषित हानि केवल व्यापार के लाभ से ही की जाती है, किसी अन्य आय से नहीं अतः कर निर्धारण वर्ष 2018–19 की रु 16,000 हानि अग्रेषित रहेगी (कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए)।
2. अशोधित ह्रास की पूर्ति किसी भी आय में से की जाती है, इसलिए उसे कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में अन्य साधनों से आय में समायोजित की गई है।

उदा. 4: कर निर्धारण अधिकारी ने श्रीमान् अमर की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कुल आय रु 7,00,000 निर्धारित की, बाद में ज्ञात हुआ कि उसने कर निर्धारण वर्ष के समय निम्न बातों पर विचार नहीं किया–

1. चालू वर्ष का ह्रास : रु 24,000
2. अग्रेषित अशोधित ह्रास : रु 30,000
3. कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से अग्रेषित व्यापार की अशोधित हानि : रु 6,000

उपरोक्त जानकारी से कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए श्रीमान् अमर की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

श्री. अमर की सकल कुल आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	व्यवसाय से लाभ			7,00,000
	– चालू ह्रास			(–) 24,000
				6,76,000
	– व्यवसाय की अग्रेषित हानि			(–) 6,000
				6,70,000
	– अग्रेषित अशोधित ह्रासः			(–) 30,000
	सकल कुल आय			6,40,000

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. दीर्घकालीन पूँजी की हानि की पूर्ति __________ वर्ष तक अग्रेषित की जा सकती है।

   (क) 4 (ख) 6

   (ग) 8 (घ) 10

2. सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति __________ से की जा सकती है।

   (क) सट्टा व्यापार की आय से

   (ख) गैर-सट्टा व्यापार की आय से

   (ग) आय के किसी भी शीर्षक से

   (घ) आय के किसी भी शीर्षक से नहीं

3. सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति __________ वर्ष तक अग्रेषित की जा सकती है।

   (क) 4 (ख) 6

   (ग) 8 (घ) 10

4. दीर्घकालीन पूँजी की हानि की __________ से पूर्ति की जाती है।

   (क) अल्पकालीन पूँजी लाभ से (ख) दीर्घकालीन पूँजी लाभ से

   (ग) अन्य साधनों की आय से (घ) इनमें से कोई नहीं

4.3 सकल कुल आय में दी जाने वाली कटौंतियाँ: अध्याय VI-A (Deduction to be Made from Gross Total Income – Chapter VI-A)

4.3.1 आय में से कटौती धारा के नियम धारा 80(A) (Deduction from Income Section 80(A))

1. धारा 80C से 80U के अंतर्गत कटौतियों की कुल राशि किसी भी स्थिति में करदाता की सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। निम्न आय का समावेश कटौतियों के लिए नहीं किया जाता है–
   - धारा 111A में वर्णित दीर्घकालीन पूँजी का लाभ तथा अल्पकालीन पूँजी लाभ, लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ आदि को छोड़कर।
   - धारा 115A से 115AD, 115BBA तथा 115D से संबंधित आय को छोड़कर।
2. यदि व्यक्तियों का संघ (BOI) तथा व्यक्तियों का समूह (AOP) ने धारा 80G, धारा 80GGA, धारा 80GGC, धारा 80IA, धारा 80 IC एवं धारा 80IE के अंतर्गत अपनी सकल आय में गणना करने के लिए कटौती की हो, तो व्यक्तियों का संघ तथा व्यक्तियों के समूह के सदस्यों को प्राप्त अपने हिस्से की आय में से आय की दोबारा कटौती प्राप्त नहीं होगी।
3. यदि करदाता ने धारा 10AA, 80IA तथा 80RRB के अंतर्गत इन आय की कटौती किसी भी कर निर्धारण वर्ष में ली हो, तो इन प्रावधानों के तहत् कटौती नहीं मिलेगी।

4.3.2 धारा 80C से धारा 80U तक दी जाने वाली कटौतियाँ (Allowed Deduction Section 80(C) to Section 80(U))

धारा 80C से धारा 80U तक दी जाने वाली कटौतियों को दो भागों में बाँटा जाता है जो निम्न हैं–

1. भुगतान के आधार पर कटौतियाँ
2. आय के आधार पर कटौतियाँ

4.3.2.1 भुगतान की कटौतियाँ (Deduction for Payment)

4.3.2.1.1 80C जीवन बीमा प्रव्याजी, प्रमाणित प्राप्त भविष्य निधि अंशदान आदि (Section 80(C) : Deduction for Life Insurance Policy Premium, Contribution towards Recognised Provident Fund etc.)

जीवन बीमा प्रव्याजी, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान, सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान आदि के लिए भुगतान की कटौती प्राप्त होती है–

पात्र करदाता– एक व्यक्ति करदाता तथा हिंदू अविभाजित परिवार।

अधिकतम पात्रता राशि– अर्हता पात्र वास्तविक भुगतान की राशि या अधिकतम रु 1,50,000 या उपरोक्त दोनों में से कम राशि कटौती योग्य होगी।

कटौती के लिए पात्र भुगतान

(i) जीवन बीमा की प्रव्याजी का भुगतान एक व्यक्ति करदाता के स्वयं, जीवनसाथी, अपने बच्चों (विवाहित पुत्री सहित) के जीवन बीमा पॉलिसी प्रव्याजी का भुगतान। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के कर्ता ने सदस्यों के जीवन पर दी गई प्रव्याजी का शोधन–

   (क) 31/03/2012 के पश्चात् निकाली गई जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी मूल्य के 10% तक प्रव्याजी कटौती योग्य होगी।

   (ख) 01/04/2012 के पूर्व निकाली गई जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी मूल्य के 20% तक प्रव्याजी कटौती योग्य होगी।

   (ग) 31/03/2013 के पश्चात् निकाली गई जीवन बीमा पॉलिसी मूल्य के 15 प्रतिशत कटौती योग्य।

(ii) करदाता स्वयं तथा जीवनसाथी तथा बच्चों के जीवन पर स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) के अनुबंध को चालू रखने के लिए किया गया भुगतान, सरकारी कर्मचारी के वेतन में स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) के लिए गत वर्ष काटी गई राशि अधिकतम वेतन के 1/5 तक सीमित है।

(iii) वैधानिक भविष्य निधि में अंशदान।

(iv) प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान।

(v) सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान अपने तथा जीवनसाथी तथा अपने बच्चों के खातों में जमा राशि।

(vi) अनुमोदित निवृत्ति कोष में कर्मचारी का अंशदान।

(vii) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों अथवा अधिसूचित जमा योजना में विनियोग।

(viii) राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गम (viii) तथा (ix) में विनियोग।

टिप्पणी

(ix) यूनिट लिंक बीमा योजना 1971 में करदाता स्वयं के जीवन तथा जीवन साथी तथा खुद के बच्चे के जीवन पर अंशदान।

(x) निवासी मकान क्रय तथा निर्माण करने के लिए ऋण के शोधन की राशि।

(xi) राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गम (viii) तथा (ix) पर प्राप्त ब्याज।

(xii) नाबार्ड के अधिसूचित बॉन्ड से प्राप्त राशि

(xiii) पोस्ट ऑफिस के 5 वर्षीय मियादी खाते में जमा राशि।

(xiv) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2014 के अधीन जमा राशि।

(xv) सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराई गई राशि आदि।

4.3.2.1.2 80CCC पेंशन फंड में अंशदान (Section 80(CCC) : Contribution towards Pension Fund)

पात्र करदाताः एक व्यक्ति

कटौती की मात्राः रु 1,50,000 तक सीमित है, यह सीमा 80C के तहत् सीमा में समावेश है। इस भुगतान के लिए करदाता 80C के अतिरिक्त सीमा नहीं दी गई है।

4.3.2.1.3 80CCD केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना में राशि का भुगतान (Section 80(CCD): Contribution to Pension Scheme of Central Government)

पात्र करदाताः एक व्यक्ति

कटौती की मात्राः केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना में राशि का भुगतान करने के पश्चात् एक सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कोई भी एक व्यक्ति को इस भुगतान की कटौती प्राप्ति निम्न प्रकार से होती है–

1. एक व्यक्ति सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारी–

   (i) गत वर्ष में जमा की राशि या उसके वेतन के 10% या

   (ii) अधिकतम रु 50,000

   उपरोक्त में से कम राशि की कटौती प्राप्त होती है।

2. अन्य कोई एक व्यक्ति–

   (i) सकल कुल आय के 20% वास्तविक भुगतान या

   (ii) अधिकतम रु 50,000

   उपरोक्त में से कम राशि की कटौती प्राप्त होती है।

4.3.2.1.4 80CCE: धारा 80C, 80CCC तथा 80CCD के अधीन कटौतियों की कुल राशि (Section 80(CCE) : Total Deduction Section 80(C), 80(CCC) and 80(CCD)

धारा 80C, 80CCC तथा 80CCD के अधीन कटौतियों की कुल राशि रु 1,50,000 से अधिक नहीं होगी—

पात्र करदाताः एक व्यक्ति

कटौती की मात्राः वास्तविक राशि अथवा अधिकतम राशि रु 1,50,000 इन दोनों में से कम

4.3.2.1.5 80CCG: सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग करने के संबंध में (Section 80(CCG) : Investment Made in Listed Equity Share)

सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग करने के संबंध में कटौती प्राप्त होती है—

पात्र करदाताः निवासी व्यक्ति

कटौती की सीमाः सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग राशि के 50% या अधिकतम रु 25,000 जो इनमें से कम हो।

कटौती की शर्तें

1. करदाता की सकल कुल आय 12 लाख से अधिक नहीं हो

   तथा
2. विनियोग सूचीकृत साधारण अंशों में हो

   तथा
3. **विनियोग बिक्री पर पाबंदी**— यह पाबंदी की समयावधि (लॉकिंग पीरियड) 3 वर्ष है, अगर करदाता लॉकिंग पीरियड के पहले अंश की बिक्री करता है, तो कटौती की राशि उस वर्ष की आय मानी जाएगी।

4.3.2.1.6 80D: चिकित्सा बीमा प्रव्याजी के भुगतान के संबंध में (Section 80(D) : Deduction for Medical Insurance Premium)

पात्र करदाता— एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार

भुगतान के नियम— इस संबंध में प्रव्याजी का शोधन धनादेश, बैंक ड्राफ्ट तथा डिजिटल भुगतान माध्यम से होना चाहिए अन्यथा इस भुगतान की कटौती नहीं मिलेगी।

इस भुगतान के संबंध में विशेष ध्यान देने वाली बातः अगर कोई करदाता नगद राशि में भुगतान करता है, तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी—

(i) एक व्यक्ति करदाता— करदाता की आयु गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से कम—

टिप्पणी

(क) करदाता स्वयं, जीवनसाथी तथा अपने बच्चों की चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का शोधन करता है, तो वास्तविक प्रव्याजी या अधिकतम रु 25,000 इन दोनों में से जो कम हो, उसकी कटौती मिलेगी।

(ख) करदाता अपने माता-पिता के चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का भुगतान करता है, तो भुगतान की राशि या अधिकतम रु 25,000 इनमें से जो कम हो, उसकी कटौती प्राप्त होगी। यह कटौती (क) में उल्लेखित कटौती के अलावा होगी।

(ii) करदाता अगर वरिष्ठ नागरिक तथा अति वरिष्ठ है, करदाता की आयु गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से अधिक है, तो उसे चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का वास्तविक भुगतान तथा अधिकतम 50 हजार रुपए, इन दोनों में से कम राशि की कटौती प्राप्त होगी।

(iii) हिंदु अविभाजित परिवार के संबंध में चिकित्सा बीमा प्रव्याजी के नियम–

(क) परिवार के सदस्यों के लिए वास्तविक भुगतान राशि या अधिकतम 25 हजार रुपए तक सीमित।

(ख) परिवार में वरिष्ठ, अति वरिष्ठ नागरिक हो, तो वास्तविक भुगतान राशि या अधिकतम 50 हजार रुपए तक सीमित।

विशेष सूचना

यदि परिवार का कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक तथा अति वरिष्ठ नागरिक है और उनका चिकित्सा बीमा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 50 हजार रूपए उपरोक्त सीमा के तहत् कटौती प्राप्त होगी।

भारतीय निवासी एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार करदाता को स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक जाँच पड़ताल के लिए भुगतान की कटौती 80D के तहत् करदाता स्वयं, जीवनसाथी अपने बच्चे तथा माता-पिता के लिए किया गया भुगतान कटौती योग्य है। इसकी कटौती 80D के अलावा स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होगी। इसका समावेश 80D की सीमा में ही किया जाएगा। इस संबंध में नियमः वास्तविक भुगतान या अधिकतम रु 5,000 दोनों में से जो कम हो वह राशि कटौती योग्य होगी। यह राशि नगद रूप में भुगतान करने पर भी कटौती प्राप्त होगी।

4.3.2.1.7 80DD: यह कटौती निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर तथा उनके जीवन निर्वहन करने के लिए भुगतान (Section 80(DD) : Deduction for Medical Treatment of Dependent Handicapped)

यह कटौती निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर तथा उनके जीवन निर्वहन करने के लिए भुगतान सरकार द्वारा अनुमोदित खातों में किए गए जमा राशि के संबंध में प्राप्त होती है।

पात्र करदाताः निवासी एक व्यक्ति करदाता तथा हिंदू अविभाजित परिवार।

यह कटौती करदाता पर आश्रित निःशक्त के संबंध में उपचार परिचर्या, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए किए गए भुगतान तथा दिव्यांग व्यक्ति के जीवन–यापन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोष में जमा राशि के संबंध में प्राप्त होगी। कटौती की राशि के संबंध में नियम निम्न हैं–

- **सामान्य निःशक्तताः** अधिकतम रु 75,000
- **गंभीर निःशक्तताः** अधिकतम रु 1,25,000

यह कटौती प्राप्त करने के लिए निःशक्तता का प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर आय विवरण के साथ जोड़ना अनिवार्य है।

4.3.2.1.8 80DDB: विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा के संबंध में (Section 80(DDB) : Deduction for Expenditure on Specified Diseases)

विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा के संबंध में भुगतान की कटौती प्राप्त होती है–

पात्र करदाताः भारतीय निवासी एक व्यक्ति करदाता तथा हिंदू अविभाजित परिवार।

भारतीय निवासी एक व्यक्ति करदाता स्वयं या जीवनसाथी या आश्रिक बच्चे माता-पिता तथा भाई-बहनें इनके निर्दिष्ट रोग तथा व्याधि के उपचार के संबंध में प्राप्त होती हैं जो नियम 11DD में उल्लेखित हैं।

हिंदू अविभाजित परिवार कर्ता स्वयं या HUF के पारिवारिक सदस्य तथा जिनका जीवन–यापन हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता पर आश्रित है, के लिए भुगतान की राशि की कटौती प्राप्त होगी जो नियम 11DD में उल्लेखित हैं।

कटौती भुगतान की राशि की सीमा

(i) गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु, वास्तविक भुगतान या रु 40,000 जो दोनों में से कम हो।

(ii) गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम वास्तविक भुगतान या रु 1,00,000 जो दोनों में से कम हो।

(iii) गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक वास्तविक भुगतान या रु 1,00,000 जो दोनों में से कम हो।

4.3.2.1.9 80E: उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान (Section 80(E) : Deduction for Payment of Interest on Loan for Higher Education)

पात्र करदाताः एक व्यक्ति

पात्र ऋणः यह कर्ज वित्तीय संस्थाओं से या अनुमोदित धर्मादाय संस्थाओं से कर्ज पर ब्याज के भुगतान के संबंध में प्राप्त होती है। यह कर्ज करदाता स्वयं जीवनसाथी, अपने बच्चे या करदाता किसी विद्यार्थी का वैधानिक संरक्षक हो, इन सदस्यों के लिए, लिए गए कर्ज ब्याज के लिए पात्र हैं।

कटौती योग्य राशिः गत वर्ष में करदाताओं द्वारा भुगतान की ब्याज की संपूर्ण राशि कटौती योग्य है, यह कटौती 7 वर्ष तक स्वीकृत है। अगर

करदाता द्वारा ऋण का शोधन 7 गत वर्षों के पूर्व किया जाता है, तो ब्याज शोधन की कटौती जिस गत वर्ष में ऋण का शोधन किया जाता है, उस गत वर्ष तक प्राप्त होगी।

4.3.2.1.10 80EE: यह भुगतान की कटौती निवास के लिए क्रय किए गए गृह संपत्ति के ऋण पर ब्याज के संबंध में (Section 80(EE) : Deduction for Payment of Interest on Loan for Acquiring Residential House Property)

पात्र करदाता: एक व्यक्ति

शर्तें

(i) यह कटौती निवास के लिए क्रय किए गए मकान संपत्ति पर लिए कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए प्राप्त होती है।

(ii) यह कटौती मकान संपत्ति के लिए कर्ज 1/04/2016 से 31/03/2017 अवधि के बीच लिए गए मकान संपत्ति कर्ज के लिए प्राप्त होगी।

(iii) स्वीकृत कर्ज की राशि रु 35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) मकान संपत्ति का मूल्य रु 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

(v) **कटौती प्राप्त राशि:** वास्तविक शोधन अथवा अधिकतम रु 50 हजार दोनों में जो कम होगी, उस राशि की कटौती प्राप्त होगी।

4.3.2.1.11 80G: पुण्यार्थ संस्था अथवा अनुमोदित विशेष कोषों में भुगतान किए गए दान के संबंध में (Section 80(G) : Deduction for Payment of Donation towards Charitable Institution and Approved Specific Fund)

पात्र करदाता: सभी करदाता

दान को दो भागों में बाँटा जाता है–

(i) बिना सीमा वाले दान

(ii) सीमा वाले दान

बिना सीमा वाले दान का अर्थ: ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा नहीं होती।

सीमा वाले दान: ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा होती है।

कटौती योग्य राशि का आशय: सकल कुल आय में से निम्न घटाने के बाद शेष राशि के 10 प्रतिशत कटौती योग्य राशि होगी–

(i) दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ तथा

(ii) धारा 80C से 80U तक वर्णीत कटौतियाँ (धारा 80G को छोड़कर)

(A) बिना सीमा वाले दानः बिना सीमा वाले दानों को भी कटौती योग्य राशि के लिए दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है–

1. योग्य राशि के 100 प्रतिशत कटौती योग्य
2. योग्य राशि के 50 प्रतिशत कटौती योग्य

1. बिना सीमा वाले दान जिनकी 100 प्रतिशत कटौती स्वीकृत है–

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

(ii) प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

(iii) प्रधानमंत्री का आमीनिया भूकंप सहायता कोष

(iv) अफ्रीका फण्ड (सार्वजनिक अंशदान – भारत)

(v) सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

(vi) भारतीय विश्वविद्यालय
अथवा राष्ट्रीय (प्रतिष्ठा) महत्त्व की शिक्षा संस्था

(vii) महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का भूचाल से राहत कोष

(viii) जिला साक्षरता समिति

(ix) नैशनल ब्लड ट्रान्सफ्यूज़न काउंसिल
अथवा स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्यूज़न काउंसिल

(x) गरीबों को चिकित्सा राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष

(xi) सेना तथा हवाई सेना का केंद्रीय राहत कोष तथा भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े का परोपकारी कोष

(xii) मुख्यमंत्री आन्ध्र प्रदेश का साइक्लोन राहत कोष

(xiii) बीमारियों का राष्ट्रीय सहायता कोष

(xiv) मुख्यमंत्री अथवा लेफ्टीनेंट गवर्नर का राहत कोष

(xv) राष्ट्रीय खेल कोष

(xvi) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष

(xvii) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन निधि

(xviii) गुजरात में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोष

(xix) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्ताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास

(xx) राष्ट्रीय बाल कोष

(xxi) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष**

टिप्पणी

(xxii) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में निवासी करदाता द्वारा दाता

(xxiii) राष्ट्रीय औषधि दुरूपयोग नियंत्रण निधि में दान।

विशेष सूचना**

उपरोक्त सूची में से (xxi) तथा (xxii) में कंपनी द्वारा CRS कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत राशि में से दान देने पर कटौती नहीं मिलेगी।

2. बिना सीमा वाले दान जिनकी 50 प्रतिशत कटौती स्वीकृत है–

(i) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष

(ii) प्रधानमंत्री का अकाल सहायता कोष

(iii) इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट

(iv) राजीव गांधी फाउंडेशन

(B) **सीमा वाले दानः** सीमा वाले दानों को भी कटौती योग्य राशि के लिए दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है–

1. योग्य राशि के 100 प्रतिशत कटौती योग्य
2. योग्य राशि के 50 प्रतिशत कटौती योग्य

1. सीमा वाले दान जिनकी 100 प्रतिशत कटौती स्वीकृत है

(i) परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु सरकार को अथवा किसी अनुमोदित स्थानीय संस्था को, संस्था अथवा संघ को दिया गया दान।

(ii) एक कंपनी के रूप में करदाता द्वारा गत वर्ष के दौरान, भारतीय ओलिम्पक संघ अथवा कोई अन्य संघ अथवा भारत में स्थापित तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी संस्था को निम्न उद्देश्यों से दी गई कोई राशि–

(a) भारत में खेलकूद हेतु आधारभूत संरचना का विकास।

(b) भारत में खेलकूद प्रायोजित करना।

2. सीमा वाले दान जिनकी 50 प्रतिशत कटौती स्वीकृत है

(i) अनुमोदित धर्मदाय संस्था तथा संघ को दिया गया दान।

(ii) कोई अन्य कोष अथवा संस्था जो धारा 80G(5) की शर्तों को पूरा करता हो।

(iii) भारत में किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को जिसका उद्देश्य गृह आवास की आवश्यकता को पूरा करना हो अथवा शहरों, कस्बों तथा गाँवों का नियोजन, विकास तथा सुधार करना हो अथवा दोनों कार्यों को पूरा करना हो।

(iv) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित निगम को दान।

(v) अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, ऐतिहासिक, कलात्मक दृष्टि से अहम् स्थान अथवा राज्यभर में अहम् धार्मिक स्थलों की मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए दान।

4.3.2.1.12 80GG: किराए के भुगतान के संबंध में कटौती (Section 80(GG) : Deduction for Payment of Rent)

पात्र करदाताः एक व्यक्ति जो गैर वेतनभोगी करदाता हो अथवा वेतन पाने वाला ऐसा व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता हो तथा उसे HRA नहीं मिलता हो, उस संबंध में मकान किराए का भुगतान।

कटौती की सीमाः निम्न में से सबसे कम राशि कटौती योग्य होगी–

(i) कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक दत्त किराया राशि (दत्त किराया – कुल आय का 10 प्रतिशत)

(ii) कुल आय के 25 प्रतिशत

(iii) प्रति माह 5 हजार रुपए।

कुल आय का अर्थः यहाँ कुल आय से तात्पर्य सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की स्वीकृत कटौतियाँ (किंतु धारा 80GG की कटौती छोड़कर) तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा 111A वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ घटाने के बाद बची हुई आय।

निम्न स्थितियों में यह कटौती नहीं मिलेगी–

1. यदि नियोक्ता से किराए से मुक्त रहने का मकान मिला हो।
2. करदाता अपने निवासी मकान में निवास करता हो।
3. अगर करदाता स्वयं अथवा उसका जीवनसाथी का अथवा अवयस्क बच्चे का अथवा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य का कोई निवासी मकान हो, जहाँ करदाता रहता है, तो इसकी कटौती नहीं मिलेगी।

4.3.2.1.13 80GGA: वैधानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दिए गए दानों के संबंध में (Section 80(GGA) : Deduction in Respect of Certain Donation for Scientific Research or Rural Development)

पात्र करदाताः सभी करदाता

कटौती राशिः सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज, सामाजिक विज्ञान, सांख्यिकीय विज्ञान, ग्राम विकास स्थानीय संस्था, नगरों की गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्रीय कोष आदि संस्थानों को दी गई दान की राशि के 100 प्रतिशत।

शर्तः यह दान 10 हजार रु से अधिक दिया जाता है, और वह नगद दी जाती है, तो कटौती नहीं मिलेगी।

4.3.2.1.14 80GGB: भारतीय कंपनियों द्वारा राजनीतिक दल** या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान (Section 80(GGB) : Deduction in Respect of Contribution Made by Indian Company the Other than Companies to Political Party** and Election Trust)

पात्र करदाताः भारतीय कंपनी

कटौती की सीमाः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में वर्णित निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

शर्तः यदि दान नगद दिया जाता है, तो कटौती नहीं मिलेगी।

4.3.2.1.15 80GGC: कंपनी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल** या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान (Section 80(GGC): Deduction in Respect of Contribution Given by Any Person the Other than Companies to Political Party** and Election Trust)

पात्र करदाताः कोई भी व्यक्ति (जो स्थानीय निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति एवं भारतीय कंपनी को छोड़कर अन्य करदाता)।

कटौती की सीमाः राजनीतिक दल तथा निर्वाचन ट्रस्ट को दिए गए दान की राशि।

शर्तः यदि दान नगद दिया जाता है, तो कटौती नहीं मिलेगी।

(****राजनीतिक दल का तात्पर्यः** जो दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में पंजीकृत है।)

सारणी क्र. 4.1: भुगतान के संबंध में दी जाने वाले कटौतियों की धारा, पुत्र करदाता तथा विवरण सारणी

क्र.	धाराएँ	कटौती का विवरण	पात्र करदाता तथा कटौती की राशि
1	80C	जीवन बीमा प्रीमियम, मान्यताप्राप्त भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गम VII तथा IX आदि।	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति तथा HUF **कटौती की राशिः** वास्तविक पात्र भुगतान या अधिकतम रु 1,50,000 तक इन दोनों में से कम
2	80CCC	भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फण्ड में अंशदान	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति **कटौती की राशिः** 80C में अधिकतम रु 1,50,000 में समाविष्ट
3	80CCD	केंद्र सरकार की पेंशन योजना में जमा	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति **कटौती की राशिः** (i) कर्मचारी अंशदान तथा वेतन के 10 प्रतिशत इनमें से जो कम हो।

			(ii) नियोक्ता का अंशदान तथा वेतन के 10 प्रतिशत इनमें से जो कम हो। (iii) अन्य व्यक्तिः सकल कुल आय का 20 प्रतिशत।
4	80CCE	धाराएँ 80C, 80CCC एवं 80CCD में कटौतियों का योग	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति **कटौती की राशिः** अधिकतम रु 1,50,000
5	80CCG	सूचीकृत समता अंशों में विनियोग।	**पात्र करदाताः** निवासी व्यक्ति **कटौती की राशिः** विनियोजित राशि का 50 प्रतिशत या रु 25,000 जो कम हो।
6	80D	चिकित्सा बीमा प्रव्याजी के संबंध में कटौती (रोकड़ में किया गया भुगतान अमान्य)	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति तथा HUF **कटौती की राशिः** (क) एक व्यक्ति करदाता– (i) स्वयं जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चे अधिकतम रु 25,000 तक (ii) माता-पिता अधिकतम रु 25,000 तक उपरोक्त (i) राशि छोड़कर (iii) वरिष्ठ तथा अतिवरिष्ठ नागरिक अधिकतम रु 50,000 (ख) हिंदू अविभाजित परिवार– (i) हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों का बीमा प्रीमियम अधिकतम रु 25,000 (ii) हिंदू अविभाजित परिवार में वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ सदस्य के सदस्य के लिए बीमा प्रीमियम अधिकतम रु 50,000 (ग) एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों का बीमा न होने पर वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिक के लिए अधिकतम रु 50,000 उपरोक्त सीमा में समाविष्ठ (घ) स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल– (i) स्वयं जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चे अधिकतम रु 5,000 तक उपरोक्त सीमा में समाविष्ट, रोकड़ में किया गया भुगतान मान्य।
7	80DD	निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर व्यय तथा उनके जीवन निर्वाह के लिए किए गए जमा के संबंध में	**पात्र करदाताः** एक निवासी व्यक्ति तथा HUF **कटौती की राशिः** (i) निःशक्तता अधिकतम रु 75,000 (ii) गंभीर निःशक्तता रु 1,25,000

टिप्पणी

8	80DDB	विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा पर व्यय	**पात्र करदाताः** भारतीय निवासी एक व्यक्ति तथा HUF **कटौती की राशिः** (i) गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से कम आयु, वास्तविक भुगतान या रु 40,000 जो दोनों में से कम हो। (ii) गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम वास्तविक भुगतान या रु 1,00,000 जो दोनों में से कम हो। (iii) गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक वास्तविक भुगतान या रु 1,00,000 जो दोनों में से कम हो।
9	80E	उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति अपने तथा जीवनसाथी तथा अपने बच्चे तथा रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान **कटौती की राशिः** संपूर्ण ब्याज की राशि लगातार 7 वर्ष प्राप्त होगी, अगर पूर्व के ऋण का शोधन जिस गत वर्ष में होता है, उस गत वर्ष तक।
10	80EE	मकान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति **कटौती की राशिः** रु 50,000
11	80G	पुण्यार्थ संस्थाओं तथा विशेष कोषों को दिए गए दान	**पात्र करदाताः** सभी करदाता **कटौती की राशिः** नियमानुसार
12	80GG	गैर वेतन भोगी व्यक्ति तथा HRA न पाने वाले वेतन भोगी व्यक्ति का मकान किराया	**पात्र करदाताः** एक व्यक्ति **कटौती की राशिः** जिन्हें HRA प्राप्त नहीं होता, ऐसे कर्मचारी के लिए कुल आय से 10 प्रतिशत से अधिक दत्त किराया या कुल आय का 25 प्रतिशत या प्रतिमाह रु 5,000 इनमें से कम।
13	80GGA	वैधानिक अनुसंधान तथा ग्राम विकास के लिए दिए गए दान।	**पात्र करदाताः** सभी करदाता **कटौती की राशिः** शतप्रतिशत
14	80GGB	राजनीतिक तथा निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान	**पात्र करदाताः** भारतीय कंपनी **कटौती की राशिः** शतप्रतिशत
15	80 GGC	राजनीतिक तथा निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान	**पात्र करदाताः** स्थानीय निकाय, कृत्रिम व्यक्ति एवं भारतीय कंपनी को छोड़कर अन्य करदाता **कटौती की राशिः** शतप्रतिशत

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

5. धारा 80D के तहत् वरिष्ठ नागरिक व्यक्ति करदाता को __________ सीमा तक अधिकतम कटौती प्राप्त होती है।

   (क) 25,000 (ख) 5,000

   (ग) 50,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

6. धारा 80C के तहत् करदाता को __________ सीमा तक अधिकतम कटौती प्राप्त होती है।

   (क) 25,000 (ख) 5,000

   (ग) 50,000 (घ) 1,50,000

7. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान धारा __________ के अनुसार शतप्रतिशत सकल कुल आय में से कटौती मिलती है।

   (क) 80C (ख) 80G

   (ग) 80D (घ) 80DD

8. चिकित्सा बीमा हेतु किए गए भुगतान की कटौती __________ धारा के अनुसार प्राप्त होती है।

   (क) 80C (ख) 80G

   (ग) 80D (घ) 80DD

9. उच्च शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती __________ धारा के अनुसार प्राप्त होती है।

   (क) 80C (ख) 80E

   (ग) 80DDB (घ) 80DD

10. अरविंद ने अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की रु 15,000 नगद में भुगतान किया, उसकी कटौती धारा 80D के अनुसार __________ प्राप्त होगी।

    (क) 25,000 (ख) 5,000

    (ग) 50,000 (घ) शून्य

11. __________ से आय में से 80G की कटौती नहीं दी जाती।

    (क) वेतन (ख) मकान संपत्ति

    (ग) दीर्घकालीन पूँजी लाभ (घ) इनमें से कोई नहीं

टिप्पणी

4.3.3 आय के संबंध में धारा 80IA से धारा 80RRB दी जाने वाली कटौतियाँ (Deduction in Respect of Income from Section 80(IA) to Section 80(RRB))

आय के संबंध में दी जाने वाली कटौतियों में 80IA से 80U तक की कटौतियों का समावेश होता है। यदि करदाता देय तिथि तक धारा 139(1) के अंतर्गत अपनी आय विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है, तो 80IA से 80RRB तक की कटौतियाँ नहीं मिलेंगी।

4.3.3.1 80IA आधारभूत विकास उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती (Section 80(IA) : Deduction in Respect Profits of Infrastructure Development)

पात्र करदाताः सभी करदाता

पात्रता के उपक्रमः यह कटौती आधारभूत विकास उपक्रमों से अर्जित किए लाभों के संबंध में होते हैं। पात्र उपक्रम निम्न हैं–

1. आधारभूत संरचना
2. औद्योगिक पार्क
3. विद्युत उपक्रम
4. विद्युत उत्पादित करने वाले प्लांट का पुनर्निर्माण या पुनः चालू करना।

सारणी क्र. 4.2

क्र.	उपक्रम	शर्तें	कटौती
1	आधारभूत संरचनाः विकास, विकास एवं प्रचालन, प्रचालन एवं अनुरक्षण	आधारभूत सुविधाएँ 1 अप्रैल 1995 को या उसके बाद प्रारंभ होनी चाहिए। यदि कोई उपक्रम 1/4/2017 के पश्चात् यह कार्य करता है, तो कटौती नहीं मिलेगी।	लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक प्राप्त लाभों के 100 प्रतिशत
2	औद्योगिक पार्क	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पार्क में 31 मार्च 1997 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2011 के पूर्व SEZ: 31 मार्च 1999 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2001 के पूर्व उक्त स्थिति में स्थापित औद्योगिक पार्कों को ही कटौती प्राप्त होगी	लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक प्राप्त लाभों के 100 प्रतिशत
3	विद्युत उपक्रम	(i) उपक्रम 31 मार्च 1993 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2017 के पूर्व भारत में किसी क्षेत्र में विद्युत	लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक प्राप्त लाभों के 100 प्रतिशत

		उत्पादन तथा वितरण का कार्य आरंभ करता है। (ii) उपक्रम 31 मार्च 1999 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2017 के पूर्व नई वितरण लाइनों का जाल बिछाता है। (iii) उपक्रम 31 मार्च 2004 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2017 के पूर्व विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण।	
4	विद्युत उत्पादित करने वाले प्लांट या पुनः चालू करना	(i) यह कटौती भारतीय कंपनी के उपक्रम के लिए ही प्राप्त होती है। (ii) भारतीय कंपनी विद्युत उत्पादित करने वाले प्लांट के पुनर्निमाण या उसे पुनः चालू करने के लिए स्थापित की गई है। शर्ते निम्न हैं– (a) भारतीय कंपनी 30/11/2005 के पूर्व स्थापित की गई हो। (b) इस कंपनी में 50 से अधिक समता अंश सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों के पास होने चाहिए। (c) कंपनी बनाने का उद्देश्य प्लांट को उधार देने वाले धनकों के हित की रक्षा करनी चाहिए। (iii) ऐसी भारतीय कंपनी की स्थापना 31/12/2005 के पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होनी चाहिए। (iv) उपक्रम को 31 मार्च 2011 के पूर्व उत्पादन तथा वितरण कार्य प्रारंभ करना होगा।	लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक प्राप्त लाभों के 100 प्रतिशत। **नोटः** 1. करदाता यह कार्य प्रारंभ करता है, उसके प्रथम 15 कर निर्धारण वर्षा के अंदर कोई भी लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक कटौती की माँग कर सकता है। 2. कटौती के लिए करदाता को योग्यता प्राप्त अंकेक्षक से अंकेक्षण प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत करना होगा। 3. 31 मार्च 2005 के पश्चात् अधिसूचित SEZ को कटौती नहीं मिलेगी।

टिप्पणी

4.3.3.2 80IAB विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लाभ के संबंध में कटौती (Section 80(IAB) : Deduction in Respect Profits of Special Economic Zone (SEZ))

पात्र करदाताः विकासकर्ता

क्र.	उपक्रम	शर्तें	कटौती
1	विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)	SEZ अधिनियम 2005 के अंतर्गत 31 मार्च 2005 के पश्चात् अधिसूचित किसी विशेष क्षेत्र का विकास करता है	लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक प्राप्त लाभों के 100 प्रतिशत प्रथम 15 कर निर्धारण वर्षों के अंदर कोई भी लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक कटौती की माँग कर सकता है।

4.3.3.3 80IAC: निर्दिष्ट कारोबार के लाभों में से कटौती (Section 80(IAC) : Deduction in Respect Profits of Specified Business)

पात्र करदाताः ऐसी कंपनियाँ या सीमित दायित्व वाली साझेदारी जो 1 अप्रैल 2016 के पश्चात् परंतु 1 अप्रैल 2021 के पूर्व निगमित की जाती है तथा कर निर्धारण वर्ष संबंधित गत वर्षों में उनके कारोबार का कुल टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर मंत्रालयी बोर्ड से पात्र संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे आशय के कारोबार से जो उत्पादन प्रक्रिया या सेवाओं के नवप्रवर्तन, विकास या सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना होती है, ऐसे मानक वाले कारोबार को इस धारा के तहत् कटौती मिलती है।

कटौती की मात्राः ऐसे व्यवसाय के लाभों के 100 प्रतिशत।

कटौती की अवधिः लगातार तीन कर निर्धारण वर्ष (प्रथम 7 कर निर्धारण वर्षों के अंदर कोई भी लगातार 9 कर निर्धारण वर्षों तक कटौती की माँग कर सकता है।)

कटौती की सीमाः लाभ के 100 प्रतिशत

शर्तेंः

1. यह स्टार्टअप का विद्यमान व्यवसाय किसी भी पूर्व व्यवसाय का विभाजन तथा पुनर्गठन से स्थापित नहीं हो।
2. इस स्टार्टअप में पूर्व प्रयोग में ली गई किसी भी मशीन या प्लांट 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। (यह शर्त विदेश से पुरानी आयातित मशीन या प्लांट पर लागू नहीं होगा।)

4.3.3.4 80IB: अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों आदि के लाभ के संबंध में कटौती (Section 80(IB) : Deduction in Respect Profits of Various Project of Infrastructure Development)

सारणी क्र. 4.3

क्र.	उपक्रम तथा उत्पादन आरंभ करने की अवधि तथा उपक्रम का स्थान तथा करदाता	कटौती
1	खनिज तेल के उत्पादन के संबंधित उपक्रम 31 मार्च 1997 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2017 से पूर्व भारत में कहीं भी स्थित सभी प्रकार के करदाताओं के लिए	प्रथम सात कर निर्धारण वर्षों तक लाभ के 100 प्रतिशत कटौती
2	प्राकृतिक गैस का व्यवसायिक उत्पादन NELP-VIII आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2009 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2017 से पूर्व भारत में कहीं भी स्थित सभी प्रकार के करदाताओं के लिए योग्य।	प्रथम सात कर निर्धारण वर्षों तक लाभ के 100 प्रतिशत कटौती
3	आवासीय परियोजना 30 सितंबर 1998 के बाद तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व अनुमोदित भारत में कहीं भी स्थित, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए A (**विभिन्न शर्तों के अधीन)	लाभ के 100 प्रतिशत कटौती
4	खाद्यान्न की उठाई भराई, भंडारण और परिवहन के संबंधित व्यापार 31 मार्च 2001 के बाद प्रारंभ। भारत में कहीं भी स्थित, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए योग्य। कर निर्धारण वर्ष 2005–06 से यह कटौती ऐसे उपक्रम के लिए भी दी जाती है जो फल तथा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारोबार में कार्य करती है तथा 21 मार्च 2009 के पश्चात् मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुटपालन, डेअरी तथा मरीन प्रोडक्ट के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारोबार में कार्य करती है, उन्हें भी कटौती प्राप्त है।	प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्षों तक लाभ के 100 प्रतिशत कटौती अगले पाँच कर निर्धारण वर्षों तक– (i) यदि उपक्रम कंपनी कोई है, तो लाभ के 30 प्रतिशत कटौती। (ii) कंपनी छोड़कर अन्य करदाताओं का उपक्रम है, तो लाभ के 25 प्रतिशत कटौती।

सूचना: उपरोक्त सारणी में दर्शित ** विभिन्न शर्तों के अधीन शर्ते निम्न हैं–

1. आवासीय परियोजना, स्थानीय संस्था द्वारा 31 मार्च 2008 से पूर्व अनुमोदित हो।
2. आवासीय परियोजना के प्लॉट का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम नहीं हो।

3. शहरों की सीमा तथा अंतर–
   (i) यह आवासी परियोजना दिल्ली या मुंबई इन शहरों की सीमा से 25 कि. मी. के अंदर स्थित हो तथा इकाई का Built-up Area एक हजार वर्ग फीट से अधिक नहीं हो।
   (ii) अन्य नगर के लिए इकाई का Built-up Area एक हजार 500 वर्ग फीट से अधिक नहीं हो।
4. आवासीय परियोजना का आरंभ 30 सितंबर 1998 के पश्चात् हो।
5. आवासीय परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2004 से पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई हो, तो ऐसी आवासीय परियोजना 31 मार्च 2008 तक आवासीय परियोजना पूरी हो जानी चाहिए।
6. यदि आवासीय परियोजना 31 मार्च 2004 के पश्चात् परंतु 1 अप्रैल 2005 से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की जाती है, तो उसे जिस वर्ष स्वीकृति दी गई है, उसकी समाप्ति से चार वर्ष के भीतर आवासीय परियोजना पूरी हो जानी चाहिए।
7. यदि आवासीय परियोजना 31 मार्च 2005 के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तो समाप्ति के पाँच वर्ष के भितर आवासीय परियोजना पूरी होनी चाहिए।
8. आवासीय परियोजना में समाविष्ट दुकान एवं अन्य व्यापारिक अथवा व्यवसायिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र आवासीय परियोजना का तीन प्रतिशत या पाँच हजार वर्ग फीट जो दोनों में अधिक हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए।
9. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक आवासीय इकाई का क्रय नहीं करना चाहिए।

   शर्तें: निम्न शर्तों के अधीन उपरोक्त आबंटन होना चाहिए–
   (i) जिस व्यक्ति को आवासीय इकाई आबंटित की गई है, उस व्यक्ति के जीवनसाथी या बच्चों को आबंटन नहीं करना चाहिए।
   (ii) हिंदू अविभाजित परिवार जिसका वह कर्ता है, उस परिवार में आबंटन न किया जाए।

4.3.3.5 80IBA: आवासीय परियोजना के लाभ के संबंध में कटौती (Section 80(IBA) : Deduction in Respect Profits of Residential Project)

पात्र करदाता: सभी करदाता

टिप्पणी

सारणी क्र. 4.4

क्र.	उपक्रम	शर्ते	कटौती
1	आवासीय परियोजना	केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा 1 जून 2016 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2020 के पूर्व अनुमोदित होनी चाहिए तथा परियोजना की तिथि 5 वर्ष में पूरी होनी चाहिए। **आवासीय परियोजना के प्लॉट का क्षेत्रफल तथा इकाई का आकारः** (i) चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई में आवासीय परियोजना के प्लॉट का क्षेत्रफल कम-से-कम 1 हजार वर्ग मीटर तथा इकाई का क्षेत्रफल अधिकतम 30 वर्ग मीटर (ii) **अन्य स्थानः** (चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई छोड़कर) आवासीय परियोजना के प्लॉट का क्षेत्रफल कम-से-कम 2 हजार वर्ग मीटर तथा इकाई का क्षेत्रफल अधिकतम 60 वर्ग मीटर **शर्तः** इस परियोजना में किसी भी व्यक्ति को आवासीय इकाई आबंटित की गई है, तो उस व्यक्ति के जीवनसाथी तथा अवयस्क बच्चे को अन्य इकाई आबंटित नहीं की जाएगी।	आवासीय परियोजना के लाभ का 100 प्रतिशत

4.3.3.6 80IC: कुछ विशेष राज्यों में स्थापित कुछ उपक्रमों या उद्यमों के संबंध में कटौती (Deduction in Respect Profits of Establishment Specified Enterprise or Venture in Specified State)

पात्र करदाताः सभी करदाता जिनका उपक्रम हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल राज्य में यह कार्य 6 जनवरी 2003 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल 2012 से पूर्व स्थापित किया हो।

कटौती का उद्देश्यः यह कटौती करदाता द्वारा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा, या औद्योगिक पार्क, या सॉफ्टवेअर प्रौद्योगिकी पार्ट या औद्योगिक क्षेत्र या थिम पार्क (बोर्ड द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार) किसी वस्तू या चीज **(13वीं अनुसूची में उल्लेखित चीजों को छोड़कर)** का निर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या उत्पादन सारवान विस्तार** करता है, तो यह कटौती मिलेगी तथा **14वीं अनूसूची में वर्णित वस्तू या चीज** का निर्माण या उत्पादन करता है या उस अनुसूची में वर्णित कोई प्रक्रिया प्रारंभ करता है या निर्माण या उत्पादन या प्रक्रिया का सारवान विस्तार** करता है, तो उसे कटौती मिलेगी।

कटौती की मात्रा एवं अवधि

(i) प्रथम 5 कर निर्धारण वर्षों के लिए लाभ के 100 प्रतिशत।

(ii) अगले 5 वर्षों तक–

(a) उपक्रम किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो लाभ के 30 प्रतिशत।

(b) उपक्रम अन्य किसी (कंपनी छोड़कर) द्वारा किया जाता है, तो लाभ का 25 प्रतिशत।

सारवान विस्तार ** अर्थः से तात्पर्य प्रथम दिन प्लांट एवं मशीन के पुस्तकी मूल्य (बिना अवक्षयण घटाए) में कम–से–कम 50 प्रतिशत की वृद्धि से है।

4.3.3.7 80IE: पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों की लाभों के संबंध में कटौती (Section 80(IE)) : Deduction in Respect Profits of Establishment Specified Enterprise or Venture in Eastern State)

पूर्वोत्तर राज्यों का अर्थः पूर्वोत्तर राज्यों में सात राज्यों का समावेश होता है, उन्हें सात बहनों के नाम से जाना जाता है। इनमें आसाम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड का समावेश हैं।

पात्र करदाताः सभी करदाता।

कटौती का आधारः पूर्व राज्यों में स्थापित उपक्रम 1 अप्रैल 2007 के पश्चात् परंतु 1 अप्रैल 2017 से पूर्व। यह उपक्रम मान्य किसी वस्तु का उत्पादन तथा निर्माणकर्ता है किसी मान्य वस्तू के उत्पादन या निर्माण का सारवान विस्तार'' करता है तथा कोई मान्य व्यवसाय चलाता है।

सारवान विस्तार ** अर्थः से तात्पर्य गत वर्ष के प्रथम दिन प्लांट एवं मशीन के पुस्तकी मूल्य (बिना अवक्षयण घटाए) में कम–से–कम 25 प्रतिशत की वृद्धि से है।

कटौती की शर्तेः

(i) यह व्यवसाय पुराने व्यवसाय का समापन अथवा अनुर्गठन से नहीं बना हो।

(ii) इस नवस्थापित व्यवसाय में पुराने परिधि वाले किसी भी मशीन तथा प्लांट का 20 प्रतिशत से अधिक हस्तांतरण से न बना हो।

(iii) इस उपक्रम का अंकेक्षण पात्र अंकेक्षक से कराना चाहिए तथा आय विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिकली आयकर विभाग को प्रस्तुत करनी चाहिए।

कटौती की राशिः ऐसे उपक्रम के लाभों का प्रथम 10 कर निर्धारण वर्षों तक (इस उपक्रम की आय में धारा 10AA या धाराएँ 80C से 80U में कोई कटौती नहीं मिलेगी)।

कटौती के लिए मान्य व्यवसायः होटल (कम-से-कम Two Star श्रेणी का होना चाहिए), साहसिक खेल जिसमें रोप वे भी शामिल है। नर्सिंग होम जिसमें कम-से-कम 25 बेड की व्यवस्था हो, वृद्धाश्रम चलाना, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रशिक्षण चलाना या हार्डवेअर का निर्माण करना, जैविक तंत्रज्ञान तथा प्रशिक्षण – होटल प्रबंधन, कैटरिंग एण्ड फुड क्राफ्ट, नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल, सिविल एविएशन, फैश़न डिज़ाइनिंग, औद्योगिक प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास से संबंधित हो।

4.3.3.8 80JJA: जैव–श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के व्यापार से लाभ के संबंध में कटौती (Section 80(JJA) : Deduction in Respect Profits of Bio-Degradable Waste)

पात्र करदाताः सभी करदाता

कटौती का उद्देश्यः जैविक उर्वरक, जैव नाशक जीवमार या अन्य जैव कर्मक का उत्पादन। बायोगैस तैयार करने, इंधन के लिए गुटिका बनाने के लिए या कार्बनिक खाद तैयार करने के लिए जैव श्रेणी करणीय अविशिष्ट के संग्रह व प्रसंस्करण आदि से संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण पूरक जैविक उत्पाद तैयार करने हेतु।

कटौती की मात्राः प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्षों तक पर्यावरण पूरक जैविक उत्पाद के व्यवसाय से संबंध में लाभ के 100 प्रतिशत।

4.3.3.9 80JJAA: नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती Section 80(JJAA) : Deduction in Respect Employment of New Workmen

पात्र करदाताः सभी करदाता जिनके व्यवसाय से आय हो तथा खातों का अंकेक्षण धारा 44AB के अंतर्गत कराना अनिवार्य है।

कटौती की शर्तेः यह व्यवसाय, पुराने व्यवसाय का समापन, विभाजन तथा पुनः निर्माण से न बना हो। यह व्यवसाय करदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण के रूप में या किसी व्यवसाय के पुनर्गठन के फलस्वरूप न बना हो। करदाताओं को आय विवरणी इलेक्ट्रॉनिकली आयकर विभाग ने अंकेक्षण प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पारिश्रमिक का शोधन भुगतान पाने वाले के खातों में धनादेश बैंक ड्राफ्ट तथा डिज़िटल माध्यम से किया जाना चाहिए।

कटौती की मात्राः अतिरिक्त कर्मचारी लागत के 30 प्रतिशत।

अतिरिक्त कर्मचारी का परिव्यय

(a) नए व्यवसाय के संबंध में पहले वर्ष में नियुक्त किए गए और जिन्हें उपरोक्त उल्लेखित पद्धति से भुगतान किया गया हो।

(b) विद्यमान व्यवसाय के संबंध में गत वर्ष के अंतिम दिन जितने कर्मचारी थे, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है, तो अतिरिक्त कर्मचारी की लागत शून्य मानी जाएगी।

टिप्पणी

अतिरिक्त कर्मचारी का अर्थ

इसका तात्पर्य उन कर्मचारियों से है, जिनकी नियुक्ति गत वर्ष में की गई है और उनके कारण पिछले गत वर्ष के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है, परंतु इनमें निम्न कर्मचारियों का समावेश नहीं होगा—

(i) ऐसा कर्मचारी जिसका पारिश्रमिक प्रतिमाह सकल 25 हजार रूपए से अधिक हो।

(ii) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत नए नियुक्त कर्मचारियों का पेंशन स्कीम में अंशदान होना चाहिए।

(iii) गत वर्ष में 240 दिन से कम अवधि के लिए नियुक्त कोई कर्मचारी। (कर निर्धारण वर्ष 2019—20 से करदाता वस्त्र, फूटवेअर, चमड़े के उत्पादों से संबंधित है, तो नियोजन अवधि 240 दिन की अपेक्षा 150 दिन होगी।)

पारिश्रमिक का अर्थ

नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान तथा कर्मचारी की छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति, VRS के कारण अवकाश ग्रहण करने पर भुगतान या अर्जित अवकाश वेतन का भुगतान आदि का पारिश्रमिक में समावेश नहीं होगा।

4.3.3.10 80LA: अनुसूचित तथा विदेशी बैंक के अपतट इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की आय के संबंध में कटौती (Section 80(LA): Deduction in Respect of Certain Incomes of Offshore Banking units or International Financial Services Center)

पात्र करदाताः अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक।

कटौती का उद्देश्यः अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित अपतट इकाई, जिनका उद्देश्य वित्तीय सेवा देने के संबंध में होता है, उन्हें यह कटौती मिलती है।

कटौती की मात्रा

(i) प्रथम 5 कर निर्धारण वर्षों की आय के 100 प्रतिशत।

(ii) अगले 5 कर निर्धारण वर्षों की आय के 50 प्रतिशत।

कटौती की शर्त

कटौती प्राप्त करदाता ने आय विवरणी के साथ योग्यता प्राप्त अंकेक्षक की कटौती की माँग सही है, के सबंध में प्रमाण पत्र तथा अधिकोष नियमन अधिनियम 1949 की धारा 23(1)(a) अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के पत्र की प्रति।

टिप्पणी

4.3.3.11 80P: सहकारी समितियों के लाभों से संबंधित कटौती (Section 80(P) : Deduction in Respect of Co-operative Society Income)

पात्र करदाताः सहकारी समितियाँ

कटौती की मात्राः

(i) कृषि विपणन, डेअरी आदि क्रियाओं से आय का 100 प्रतिशत।

(ii) अन्य क्रियाओं की आय में से 50 हजार रुपए तक।

(iii) उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थिति में अन्य क्रियाओं की आय में से 1 लाख रुपए तक।

(iv) किसी सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश अथवा ब्याज की आय का 100 प्रतिशत।

4.3.3.12 80PA: उत्पादक कंपनियों को पात्र कारोबार के लाभ के संबंध में कटौती (Section 80(PA) : Deduction in Respect of Specified Manufacturing Business Income)

पात्र करदाताः उत्पादक कंपनियाँ जिनकी गत वर्ष में कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए या इससे कम।

कटौती की मात्राः लाभों के 100 प्रतिशत।

4.3.3.13 80QQB: लेखकों की रॉयल्टी की आय के संबंध में कटौती (Section 80(QQB): Deduction in Respect of Royalty/ Copyright Income to Author)

पात्र करदाताः एक निवासी व्यक्ति लेखक।

कटौती का संबंधः पुस्तक के संबंध में स्वामित्व या कॉपीराइट की फीस चाहे एकमुश्त या अन्यथा प्राप्त हो।

कटौती की मात्राः ऐसी संपूर्ण आय या 3 लाख रुपए, इन दोनों में से जो कम हो।

(यदि स्वामित्व या कॉपिराइट फीस एकमुश्त प्रतिफल में प्राप्त नहीं है तथा फीस या अधिकार शुल्क की दर पुस्तक के मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक है, तो इस आधिक्य के संबंध में कटौती नहीं मिलेगी।)

कटौती की शर्त

1. पुस्तक साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप की कृति हो, इन पुस्तकों में निर्देशिका, समीक्षा, डायरी, मार्गदर्शिका, जनरल, पत्र–पत्रिका आदि का समावेश नहीं होता है।
2. करदाता को आय विवरणी के साथ निर्धारित फॉर्म में अधिकार शुल्क प्राप्त प्रमाण पत्र जोड़ना होता है।

4.3.3.14 80RRB: एकास्वाधिकार (पेटेंटी) पर अधिकार शुल्क के संबंध में कटौती (Section 80(RRB): Deduction in Respect of Royalty Income from Patent to Patentee)

पात्र करदाताः एक निवासी व्यक्ति जो एकास्वाधिकारी (पेटेंटी) हो।

कटौती का संबंधः व्यक्ति द्वारा किया गया आविष्कार का असली एवं मूल आविष्कारक होता है तथा जिनका नाम एकस्व अधिनियम 1970 के अनुसार एकस्व रजिस्टर में दर्ज हो।

कटौती की आयः एकस्व अधिनियम 1970 के अधीन 31 मार्च 2003 के पश्चात् किसी एकस्व के स्वामित्व के रूप में कोई आय।

कटौती की मात्राः ऐसी संपूर्ण आय या 3 लाख रुपए इन दोनों में से जो कम हो।

कटौती की शर्तः करदाता को आय विवरणी के साथ निर्धारित फॉर्म में एकस्व अधिकार शुल्क प्राप्त प्रमाण पत्र जोड़ना होगा तथा एकस्व अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र जोड़ना होगा।

4.3.3.15 80TTA: बचत खातों पर ब्याज के संबंध में कटौती (Section 80 (TTA): Deduction in Respect of Interest on Deposit in Saving Account)

पात्र करदाताः एक निवासी व्यक्ति तथा HUF

कटौती का संबंधः बचत खातों पर ब्याज।

कटौती की मात्राः निम्न में से कम राशि की कटौती मिलेगी–

(i) वास्तविक प्राप्त ब्याज

(ii) अधिकतम 10 हजार

4.3.3.16 80TTB: वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के संबंध में कटौती (Section 80 (TTB): Deduction in Respect of Interest on Deposit in Case of Senior Citizen)

पात्र करदाताः वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिक।

कटौती का संबंधः वरिष्ठ नागरिकों को बैंक, डाकघर, बैंक, व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज।

कटौती की मात्राः निम्न में से कम राशि की कटौती मिलेगी–

(i) वास्तविक प्राप्त ब्याज

(ii) अधिकतम 50 हजार

4.3.3.17 80U: निःशक्त व्यक्ति की आय के संबंध में कटौती (Section 80 (U): Deduction in Respect of Income of Handicapped)

पात्र करदाताः भारत निवासी एक व्यक्ति, जिसे चिकित्सा प्राधिकारी ने निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित किया है।

कटौती की मात्राः

1. सामान्य निःशक्तता : 75 हजार रुपए
2. गंभीर निःशक्तता : 1 लाख 25 हजार रुपए

कटौती की शर्तः

आयकर विवरणी के साथ चिकित्सा प्राधिकारी का निःशक्तता प्रमाण पत्र जोड़ना अनिवार्य।

सारणी क्र. 4.5: आय के संबंध में दी जाने वाले कटौतियों की धारा, पात्र करदाता तथा विवरण सारणी

क्र.	धाराएँ	कटौती का विवरण	पात्र करदाता तथा कटौती
1	80IA	अवसंरचना विकास उपक्रमों आदि लाभों के संबंध में	सभी करदाताओं के लिए **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 10 कर निर्धारण वर्ष के लिए
2	80IB	विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकास के लाभों के संबंध में	विकासकर्ता **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 10 कर निर्धारण वर्ष के लिए
3	80AIC	पात्र स्टार्टअप कारोबारों के लाभों के संबंध में	कंपनी या सीमित दायित्ववाली साझेदारी (LLP) **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 3 कर निर्धारण वर्ष के लिए
4	80IB	गैर अवसंरचना विकास उपक्रमों के लाभ (खनिज तेल के उत्पाद में लगे उपक्रम, आवासीय परियोजना तथा खाद्यानों की उठाई–धराई), भण्डारण एवं परिवहन व्यापार संबंधी	सभी करदाताओं के लिए
5	80IBA	आवासीय परियोजना के लाभ	सभी करदाता
6	80IC	विशेष राज्यों (उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश) में स्थापित उद्यम के लाभ संबंधी	सभी करदाता **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 5 कर निर्धारण वर्ष के लिए अगले 5 वर्ष कंपनी के लिए 30 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 25 प्रतिशत

टिप्पणी

7	80IE	पुर्वोत्तर राज्यों (आसाम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा तथा नागालैंड) में स्थापित उपक्रमों के लाभों संबंधी	सभी करदाता **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 10 कर निर्धारण वर्ष के लिए
8	80JJA	जैव श्रेणीकरण अवशिष्ट के संग्रहण तथा प्रसंस्करण	सभी करदाता **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 10 कर निर्धारण वर्ष के लिए
9	80JJAA	नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में	सभी करदाता **कटौती की राशिः** वेतन के 30 प्रतिशत 3 कर निर्धारण वर्ष तक
10	80LA	अनुसूचित तथा विदेशी बैंकों के अपतट इकाई के आय के संबंध	अनुसूचित तथा विदेशी बैंक **कटौती की राशिः** लाभ के शतप्रतिशत 5 कर निर्धारण वर्ष के लिए तथा अगले 5 कर निर्धारण वर्ष के लिए 50 प्रतिशत।
11	80P	सहकारी समितियों की आय के संबंध में	सहकारी समितियाँ
12	80PA	उत्पादक कंपनी को पात्र करभारों के लाभ के संबंध में	उत्पादक कंपनी
13	80QQB	पुस्तकों के अधिकार शुल्क के संबंध में	एक निवासी व्यक्ति लेखक **कटौती की राशिः** 3 लाख रु तक
14	80RRB	एकस्व / पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार एकस्व रजिस्टर में दर्ज	एकस्वी, पेटेंटी **कटौती की राशिः** 3 लाख रु तक
15	80TTA	बचत खातों के ब्याज के संबंध में	एक व्यक्ति एवं HUF **कटौती की राशिः** 10 हजार रु तक
16	80TTB	ब्याज की आय के संबंध में	वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिक **कटौती की राशिः** 50 हजार रु तक
17	80U	निःशक्त व्यक्तियों की आय के संबंध में	निःशक्त व्यक्ति करदाता **कटौती की राशिः** निःशक्तता 75 हजार रु तथा गंभीर निःशक्तता 1 लाख 25 हजार रु

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

12. वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के सबंध में धारा 80TTB के तहत् अधिकतम कटौती रु __________ है।

    (क) 25,000 (ख) 5,000

    (ग) 50,000 (घ) इनमें से कोई नहीं

13. धारा 80U के तहत् गंभीर निःशक्त करदाता को __________ की कटौती मिलती है।

    (क) 75,000 (ख) 1,25,000

    (ग) 50,000 (घ) 1,50,000

14. श्रीमान् सूरदास पूर्णतः अंधे हैं, उन्हें धारा 80U के अनुसार __________ की कटौती प्राप्त होती है।

    (क) 75,000 (ख) 1,25,000

    (ग) 1,00,000 (घ) 1,50,000

15. एक निवासी व्यक्ति जो लेखक है, उसे वैज्ञानिक पुस्तक पर 5 लाख रु अधिकार शुल्क के प्राप्त होते हैं, धारा 80QQB के अनुसार __________ की कटौती प्राप्त होगी।

    (क) 3,00,000 (ख) 2,00,000

    (ग) 5,00,000 (घ) 10,00,000

16. एक अनिवासी व्यक्ति जो लेखक है, उसे वैज्ञानिक पुस्तक पर 5 लाख रु अधिकार शुल्क के प्राप्त होते हैं, धारा 80QQB के अनुसार __________ की कटौती प्राप्त होगी।

    (क) 3,00,000 (ख) 2,00,000

    (ग) 5,00,000 (घ) शून्य

17. पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों के संबंध में धारा __________ के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है।

    (क) 80IC (ख) 80E

    (ग) 80IE (घ) 80JJA

18. एकस्व अधिकार से प्राप्त अधिकार के शुल्क के संबंध में कटौती __________ धारा के अंतर्गत प्राप्त होती है।

    (क) 80RRB (ख) 80QQB

    (ग) 80TTB (घ) 80TTA

19. धारा 80TTA के अंतर्गत बचत खातों पर प्राप्त ब्याज से अधिकतम आय __________ रु तक कटौती योग्य है।

    (क) 10,000 (ख) 20,000

    (ग) 50,000 (घ) 25,000

4.3.4 व्यवहारिक प्रश्न (Practical Problems)

धारा 80C के संबंध में

उदा. 5: श्रीमान् धनंजय एक सार्वजनिक कंपनी में प्रबंधक पद पर कार्यरत् हैं। उनके विवरण से धारा 80C के अंतर्गत कटौती ज्ञात कीजिए–

1. स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी की प्रव्याजी (पॉलिसी 2014 में ली गई) रु 66,000 का शोधन। (बीमा पॉलिसी मूल्य रु 5,00,000)
2. अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 3,000
3. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 40,000
4. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII में विनियोग रु 18,000
5. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII पर अर्जित ब्याज रु 12,000
6. धनंजय की माँ की जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का धनंजय द्वारा भुगतान रु 7,000
7. मकान निर्माण के लिए बैंक से लिया ऋण का भुगतान रु 42,000

उत्तरः श्री धनंजय द्वारा किए गए भुगतान का 80C के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का आगणन।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	शोधन राशि	कटौती पात्र राशि
स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी की प्रव्याजी (पॉलिसी 2014 में ली गई) रु 66,000 का शोधन। (बीमा पॉलिसी मूल्य रु 5,00,000)	66,000	
जीवन बीमा पॉलिसी 2014 में ली गई है, इसलिए पॉलिसी मूल्य के 15 प्रतिशत अधिकतम कटौती प्राप्त होगी रु 5,00,000 × 15% = 75,000		
अधिकतम रु 75,000 या वास्तविक भुगतान रु 66,000 इन दोनों में से कम कटौती के लिए पात्र राशि रहेगी		66,000
अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 3,000 (कटौती पात्र नहीं है)	3,000	–
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 40,000 (अधिकतम रु 1,50,000 तक पूर्णतः कटौती योग्य)	40,000	40,000
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII में विनियोग रु 18,000 कटौती के लिए पात्र है।	18,000	18,000
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII पर अर्जित ब्याज रु 12,000 यह ब्याज (NSC) पत्र रोकीकरण करने के पश्चात् प्राप्त होता है तथा यह ब्याज (NSC) VIII में पुनर्विनियोजित होता है, क्योंकि (NSC) VIII पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। इसलिए उसे पुनर्विनियोजित माना गया है।	12,000	12,000

धनंजय की माँ की जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का धनंजय द्वारा भुगतान रु 7,000 कटौती राशि के लिए पात्र नहीं है।	7,000	–
मकान निर्माण के लिए बैंक से लिया ऋण का भुगतान रु 42,000 कटौती के लिए पात्र है।	42,000	42,000
80C के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र राशि		1,78,000
कटौती की राशि की गणनाः		
कटौती के लिए पात्र राशि	1,78,000	
अधिकतम कटौती	1,50,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		1,50,000

हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना...

टिप्पणी

उदा. 6: श्रीमान् निरंजन एक निजी बैंक में प्रबंधक पद पर कार्यरत् हैं। उनके विवरण से धारा 80C के अंतर्गत कटौती ज्ञात कीजिए–

1. स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी की प्रव्याजी (पॉलिसी 2011 में ली गई) रु 33,000 का शोधन। (बीमा पॉलिसी मूल्य रु 3,00,000)
2. अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 3,000
3. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 40,000
4. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII में विनियोग रु 18,000
5. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII पर अर्जित ब्याज रु 12,000
6. धनंजय के पिता की जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का धनंजय द्वारा भुगतान रु 14,000
7. मकान निर्माण के लिए बैंक से लिया ऋण का भुगतान रु 42,000

उत्तरः श्री धनंजय द्वारा किए गए भुगतान का 80C के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का आगणन।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	शोधन राशि	कटौती पात्र राशि
स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी की प्रव्याजी (पॉलिसी 2014 में ली गई) रु 33,000 का शोधन। (बीमा पॉलिसी मूल्य 3,00,000)	33,000	
जीवन बीमा पॉलिसी 2011 में ली गई है, इसलिए पॉलिसी मूल्य के 20 प्रतिशत अधिकतम कटौती प्राप्त होगी 3,00,000 × 20% = 60,000		
अधिकतम 60,000 या वास्तविक भुगतान रु 33,000 इन दोनों में से कम कटौती के लिए पात्र राशि रहेगी		33,000
अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 3,000 (कटौती पात्र नहीं है)	3,000	–
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 40,000 (अधिकतम रु 1,50,000 तक पूर्णतः कटौती योग्य)	40,000	40,000

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII में विनियोग रु 18,000 कटौती के लिए पात्र है।	18,000	18,000
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII पर अर्जित ब्याज रु 12,000 यह ब्याज (NSC) पत्र रोकीकरण करने के पश्चात् प्राप्त होता है तथा यह ब्याज (NSC) VIII में पुनर्विनियोजित होता है, क्योंकि (NSC) VIII पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। इसलिए उसे पुनर्विनियोजित माना गया है।	12,000	12,000
धनंजय की माँ की जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का धनंजय द्वारा भुगतान रु 14,000 कटौती राशि के लिए पात्र नहीं है।	14,000	–
मकान निर्माण के लिए बैंक से लिया ऋण का भुगतान रु 42,000 कटौती के लिए पात्र है।	42,000	42,000
80C के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र राशि		1,45,000
कटौती की राशि की गणनाः		
कटौती के लिए पात्र राशि	1,45,000	
अधिकतम कटौती	1,50,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		1,45,000

उदा. 7: श्रीमान प्रदीप एक निजी कंपनी में प्रबंधक पद पर कार्यरत् हैं। उनके विवरण से धारा 80C के अंतर्गत कटौती ज्ञात कीजिए–

1. मकान निर्माण कार्य के लिए, लिए गए ऋण का भुगतान रु 1,60,000 है जिसमें रु 60,000 ब्याज के शामिल हैं।
2. करदाता ने स्वयं के जीवन पर ली गई पॉलिसी के प्रीमियम का शोधन रु 20,000 है।
3. राष्ट्रीय बचत पत्र IX रु 10,000
4. पारिवारिक लाभ फण्ड में अंशदान रु 1,000
5. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम पर अर्जित ब्याज रु 3,000
6. भाई के जीवन पर ली गई पॉलिसी का प्रीमियम रु 5,000
7. प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में प्रदीप का अंशदान रु 3,000 (नियोक्ता द्वारा उतना ही अंशदान किया जाता है)

उत्तरः श्री. प्रदीप द्वारा किए गए भुगतान का 80C के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का आगणन।

टिप्पणी

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	शोधन राशि	कटौती पात्र राशि
मकान निर्माण कार्य के लिए, लिए गए ऋण का भुगतान रु 1,60,000 है जिसमें रु 60,000 ब्याज के शामिल हैं। 1,60,000 – 60,000 = 1,00,000		
80C में सिर्फ ऋण की मूल धन की वापसी कटौती मिलती है, ब्याज की नहीं	1,00,000	1,00,000
करदाता ने स्वयं के जीवन पर ली गई पॉलिसी के प्रीमियम का शोधन रु 20,000 है।	20,000	20,000
राष्ट्रीय बचत पत्र IX रु 10,000	10,000	10,000
पारिवारिक लाभ फण्ड में अंशदान रु 1,000 कटौती नहीं मिलती	1,000	–
राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम पर अर्जित ब्याज रु 3,000 (पुनर्विनियोजित)	3,000	3,000
भाई के जीवन पर ली गई पॉलिसी का प्रीमियम रु 5,000 कटौती नहीं मिलती	5,000	–
प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में प्रदीप का अंशदान रु 3,000 (सिर्फ करदाता के ही अंशदान कटौती मिलती है, नियोक्ता की नहीं)	3,000	3,000
80C के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र राशि		1,36,000
कटौती की राशि की गणनाः		
कटौती के लिए पात्र राशि	1,36,000	
अधिकतम कटौती	1,50,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		1,36,000

धारा 80D के संबंध में उदाहरण

उदा. 8: श्रीमान् अमित ने धारा 80D के अंतर्गत चेक द्वारा चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का शोधन किया है, उस आधार पर कटौती की राशि की गणना कीजिए–

1. स्वयं तथा पत्नि के चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का शोधन रु 18,000।
2. पिता के चिकित्सा बीमा प्रीमियम का शोधन रु 34,000 है। (जिनकी आयु 72 वर्ष है)
3. स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल में वे पत्नि तथा स्वयं के लिए रु 2,000 तथा पिता के लिए रु 8,000।

उत्तर: श्री अमित द्वारा किए गए भुगतान का 80D के अंतर्गत कटौती योग्य राशि का आगणन।

टिप्पणी

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	शोधन राशि	कटौती पात्र राशि
स्वयं तथा पत्नि के चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का शोधन रु 18,000 (अधिकतम कटौती रु 25,000 तक)	18,000	
+ स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल व्यय अधिकतम रु 5,000 तक सीमित		
पत्नी तथा स्वयं के लिए	+ 2,000	20,000
पिता के चिकित्सा बीमा प्रीमियम का शोधन रु 34,000 है। (जिनकी आयु 72 वर्ष है) अतिरिक्त कटौती अधिकतम रु 50,000 तक।	34,000	
+ स्वास्थ्य निवारक जाँच–पडताल व्यय अधिकतम रु 5,000 तक सीमित (5,000 – 2,000) = 3,000		
करदाता ने अपने पिता के लिए रु 8,000 का व्यय स्वास्थ्य निवारण जाँच–पडताल के लिए किया है, उसे पूर्ण राशि की कटौती नहीं मिलेगी जो अधिकतम 5,000 में से जो शेष बचा है, उतनी ही कटौती मिलेगी।	3,000	37,000
80D के अंतर्गत कटौती		57,000

क्रियात्मक टिप्पणी

स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल में वे पत्नि तथा स्वयं के लिए रु 2,000 तथा पिता के लिए रु 8,000 संरक्षणात्मक स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल में वे अधिकतम रु 5,000 तक (जिसका समावेश रु 25,000 में होता है, उसके अलावा अतिरिक्त कटौती प्राप्त नहीं होती, अगर वरिष्ठ नागरिक है, तो स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल का समावेश रु 50,000 के अंतर्गत होगा, लेकिन रु 5,000 के अधिकतम सीमा के अधीन)।

धारा 80D एवं 80DD के संबंध में उदाहरण

उदा. 9: श्री. केवलनाथ गत वर्ष 2018–19 की आय निम्न है–

1. सकल वेतन रु 4,00,000
2. मकान संपत्ति का शुद्ध वार्षिक मूल्य रु 2,00,000
3. व्यापार से लाभ रु 4,40,000

गत वर्ष में अपनी पत्नि के स्वाथ्य बीमा की प्रव्याजी रु 30,000 चेक द्वारा चुकाया तथा उसी वर्ष पत्नि के बीमारी पर रु 15,000 का दावा बीमा कंपनी ने स्वीकृत किया। केवलनाथ का अविवाहित भाई पूर्णतः उसी पर आश्रित है तथा वह गंभीर निःशक्त है। उस पर केवलनाथ ने रु 38,000 खर्च किए।

उपरोक्त जानकारी से कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. केवलनाथ के कर योग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	शोधन राशि	कटौती पात्र राशि
वेतन	4,00,000	
– मानक कटौती	40,000	
वेतन से शुद्ध आय		3,60,000
+ मकान संपत्ति से आयः शुद्ध वार्षिक मूल्य	2,00,000	
– मानक कटौती वार्षिक मूल्य के 30%	60,000	
मकान संपत्ति से आय		1,40,000
व्यवसाय व पेशे से आय		4,40,000
सकल कुल आय		9,40,000
– अध्याय VI के अनुसार धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ		
धारा 80D के अंतर्गत (चिकित्सा बीमा प्रव्याजी पर जिसका शोधन धनादेश से किया है, ऐसे भुगतान अधिकतम रु 25,000 तक कटौती योग्य वह भुगतान करदाता जीवनसाथी, बच्चे के चिकित्सा के संबंध में प्राप्त होती है। अगर माता–पिता के लिए वह बीमा हो, तो अधिकतम रु 25,000 माता–पिता वरिष्ठ तथा अति वरिष्ठ नागरिक हो, तो अधिकतम कटौती रु 50,000 रहेगी, जो अतिरिक्त रहेगी।)		
पत्नि के चिकित्सा संबंधी बीमा प्रव्याजी का शोधन	30,000	
अधिकतम कटौती	25,000	
उपरोक्त दोनों में से कम की कटौती प्राप्त		(–) 25,000
धारा 80DD के अंतर्गत कटौती		(–)1,25,000
केवलनाथ का अविवाहित भाई पूर्णतः उसी पर आश्रित है तथा वह गंभीर निःशक्त है। इसलिए उसे रु 1,25,000 की कटौती प्राप्त होगी। खर्च और कटौती का इसमें सबंध नहीं।		
80D के अंतर्गत कटौती		7,90,000

टिप्पणी

क्रियात्मक टिप्पणी

करदाता को चिकित्सा बीमा की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है, तो उसका समावेश आय में नहीं किया जाएगा।

धारा 80DDB के संबंध में उदाहरण

उदा. 10: श्री ओंकारेश्वर एक कर्मचारी है, उनके पिता उन पर आश्रित नहीं हैं तथा उनकी पुत्री अधिसूचित बीमारी से पीड़ित है, उसने चिकित्सा पर निम्नलिखत खर्च किए–

टिप्पणी

1. खुद के इलाज के लिए रु 1,00,000
2. नियोक्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त रु 40,000
3. पुत्र की बीमारी पर इलाज खर्च रु 80,000
4. बीमा कंपनी से उपरोक्त खर्च की क्षतिपूर्ति प्राप्त रु 36,000
5. पिता के इलाज पर खर्च रु 40,000
6. उपरोक्त खर्च की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से प्राप्त रु 12,000

उपरोक्त जानकारी के आधार पर धारा 80DDB के अंतर्गत कटौती की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. केवलनाथ के 80DDB के अंतर्गत कटौती की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	**शोधन राशि**	**कटौती पात्र राशि**
खुद के इलाज के लिए रु 1,00,000	1,00,000	
पुत्र की बीमारी का इलाज रु 40,000	80,000	
पिता के इलाज का खर्च अमान्य, क्योंकि वह केवलनाथ पर आश्रित नहीं	–	
कुल इलाज खर्च	1,80,000	
अधिकतम कटौती	40,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		40,000
– बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति		
खुद के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा से प्राप्त क्षतिपूर्ति	40,000	
पुत्र के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा से प्राप्त क्षतिपूर्ति	36,000	
	76,000	76,000
कटौती योग्य राशि से प्राप्त क्षतिपूर्ति ज्यादा है, इसलिए कोई भी कटौती 80DDB के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगी।		
80DDB के अंतर्गत कटौती		–

उदा. 11: श्री. राघेश्वर एक कर्मचारी है, उनकी माँ उन पर आश्रित नहीं है तथा उनकी पुत्री अधिसूचित बीमारी से पीड़ित है, उसने चिकित्सा पर निम्नलिखत खर्च किए–

1. खुद के इलाज के लिए रु 25,000
2. नियोक्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त रु 10,000
3. पुत्र की बीमारी पर इलाज खर्च रु 20,000

4. बीमा कंपनी से उपरोक्त खर्च की क्षतिपूर्ति प्राप्त रु 9,000
5. पिता के इलाज पर खर्च रु 10,000
6. उपरोक्त खर्च की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से प्राप्त रु 3,000

उपरोक्त जानकारी के आधार पर धारा 80DDB के अंतर्गत कटौती की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. राघेश्वर के 80DDB के अंतर्गत कटौती की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	शोधन राशि	कटौती पात्र राशि
खुद के इलाज के लिए रु 25,000	25,000	
पुत्र की बीमारी पर इलाज रु 20,000	20,000	
माता के इलाज का खर्च अमान्य, क्योंकि वह केवलनाथ पर आश्रित नहीं	–	
कुल इलाज खर्च	45,000	
अधिकतम कटौती	40,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		40,000
– बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति		
खुद के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा से प्राप्त क्षतिपूर्ति	10,000	
पुत्र के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा से प्राप्त क्षतिपूर्ति	9,000	
	19,000	19,000
कटौती योग्य राशि से प्राप्त क्षतिपूर्ति ज्यादा है, इसलिए कोई भी कटौती 80DDB के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगी।		
80DDB के अंतर्गत कटौती		21,000

धारा 80E के संबंध में उदाहरण

उदा. 12: श्री. अशोककुमार की गत वर्ष 2018–19 के लिए सकल कुल आय रु 5,20,000 है, उनके पुत्र को आईआईएम, अहमदाबाद में दाखिला मिला, उसके लिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से रु 6,00,000 कर्ज गत वर्ष लिया। उन्होंने गत वर्ष ब्याज के लिए रु 70,000 तथा मूल धन के रु 55,000 का शोधन किया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. अशोककुमार के कर योग्य आय की गणना।

टिप्पणी

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
सकल कुल आय		5,20,000
अध्याय VI के अंतर्गत कटौती		
पुत्र के उच्च स्तर पढ़ाई के लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती		70,000
शुद्ध करदेय आय		4,50,000

धारा 80G के संबंध में उदाहरण

उदा. 13: श्री. राजकुमार की सकल कुल आय रु 10,00,000, कर निर्धारण वर्ष 2019–20 की है। उन्होंने निम्नलिखित दान धनादेश द्वारा दिए। निम्न जानकारी के अधार पर कटौती योग्य दान की राशि का आगणन कीजिए तथा कर योग्य आय बताएँ–

1. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष में दान रु 25,000
2. सांप्रदायिक सद्भावना के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को दान रु 20,000
3. राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, शिक्षा संस्थान को दान रु 20,000
4. राष्ट्रीय बाल कोष को दान रु 10,000
5. धामणगाँव नगर परिषद् को परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु दान रु 80,000
6. अधिसूचित अल्पसंख्यक जाति निगम रु 50,000

उत्तर: श्री. मनोजकुमार के कर योग्य आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि	राशि
सकल कुल आय			10,00,000
– अध्याय VI के अंतर्गत 80 की कटौती			
80G की कटौती			
बिना सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती हैः	दान राशि	पात्र राशि	
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष में दान	25,000	25,000	
सांप्रदायिक सद्भावना के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को दान	20,000	20,000	
राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, शिक्षा संस्थान को दान	20,000	20,000	
राष्ट्रीय बाल कोष को दान रु	10,000	10,000	
(क) बिना सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती है	75,000	75,000	

टिप्पणी

(ख) सीमा वाले दान जिनकी 50 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है			
धामणगाँव नगर परिषद् को परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु दान	80,000	40,000	
अधिसूचित अल्पसंख्यक जाति निगम	50,000	25,000	
	1,30,000	65,000	
(ख) के लिए सीमा कुल आय के 10 प्रतिशत अर्थात् 10 लाख के 10 प्रतिशत अर्थात् रु 1,00,000 तक दान की कटौती प्राप्त होगी			
सीमा वाले दान जिनकी 50 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है	65,000		
अधिकतम कटौती आय के 10 प्रतिशत	1,00,000		
(ग) उपर्युक्त दोनों में से कम की कटौती 80G के अंतर्गत प्राप्त होगी		65,000	
(क) बिना सीमा वाले दान		75,000	
+ (ग) सीमा वाले दान		65,000	
कुल कटौती योग्य दान			1,40,000
शुद्ध कर देय आय			8,60,000

उदा. 14: निम्न जानकारी के आधार पर धारा 80G के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना कीजिए–

1. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान रु 10,000
2. प्रधानमंत्री राहत कोष में दान रु 10,000
3. स्वच्छ गंगा निधि में दान रु 10,000
4. स्वच्छ भारत कोष में दान रु 10,000

उत्तर: धारा 80G के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि	राशि
– अध्याय VI के अंतर्गत 80 की कटौती			
80G की कटौती			
बिना सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती है:	दान राशि	पात्र राशि	
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	10,000	10,000	
प्रधानमंत्री राहत कोष में दान	10,000	10,000	
स्वच्छ गंगा निधि में दान	10,000	10,000	
स्वच्छ भारत कोष में दान	10,000	10,000	
(क) बिना सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती है:	40,000	40,000	40,000

टिप्पणी

उदा. 15: निम्न जानकारी के आधार पर धारा 80G के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना कीजिए—

1. जवाहरलाल नेहरु स्मृति कोष में दान रु 10,000
2. प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में दान रु 10,000
3. इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट में दान रु 10,000
4. राजीव गांधी फाऊंडेशन में दान रु 10,000

उत्तर: धारा 80G के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना।

गत वर्ष: 2018—19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019—20**

विवरण	राशि	राशि	राशि
– अध्याय VI के अंतर्गत 80 की कटौती			
80G की कटौती			
बिना सीमा वाले दान जिनकी 50 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है	दान राशि	पात्र राशि	
जवाहरलाल नेहरु स्मृति कोष में दान	10,000	5,000	
प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में दान	10,000	5,000	
इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट में दान	10,000	5,000	
राजीव गांधी फाऊंडेशन में दान	10,000	5,000	
(क) बिना सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती है	40,000	20,000	20,000

उदा. 16: निम्न जानकारी के आधार पर धारा 80G के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना कीजिए—

1. इंडियन हॉकी फेडरेशन में दान रु 20,000 चेक द्वारा
2. परिवार कल्याण के लिए यवतमाल नगर पालिका को दान रु 10,000 चेक द्वारा
3. साई बाबा ट्रस्ट, शिर्डी को दान रु 10,000 चेक द्वारा करदाता की गत वर्ष की आय रु 3,50,000 है।

उत्तर: धारा 80G के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना।

गत वर्ष: 2018—19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019—20**

विवरण	राशि	राशि	राशि
– अध्याय VI के अंतर्गत 80 की कटौती			
80G की कटौती			
सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती है: (सीमा आय के 10 प्रतिशत अर्थात् 35,000)			
(क) सीमा वाले दान जिनकी शतप्रतिशत कटौती प्राप्त होती है:	दान राशि	पात्र राशि	
इंडियन हॉकी फेडरेशन में दान चेक द्वारा	20,000	10,000	

(ख) सीमा वाले दान जिनकी 50 प्रतिशत कटौती प्राप्त होती है:			
परिवार कल्याण के लिए यवतमाल नगर पालिका को दान चेक द्वारा	10,000	5,000	
साई बाबा ट्रस्ट, शिर्डी को दान चेक द्वारा	10,000	5,000	
		10,000	
सीमा वाले दान–			
(क) शत प्रतिशत कटौती	10,000		
(ख) 50 प्रतिशत कटौती	10,000		
कटौती के लिए पात्र दान		20,000	
अधिकतम कटौती सीमा आय के 10 प्रतिशत अर्थात् 35,000		35,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य			35,000

धारा 80QQB के संबंध में उदाहरण

उदा. 17: श्री. नितिन एक लेखक हैं। वे अपनी आय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देते हैं, उस आधार पर कर देय आय की गणना कीजिए–

1. कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों पर अधिकार शुल्क रु 10,00,000 @ 10% प्राप्त 1,00,000
2. अधिकार शुल्क से आय प्राप्त करने के लिए रु 10,000 खर्च किए।
3. अन्य साधनों से आय रु 5,00,000

उत्तर: श्री. नितिन की कुल कर देय आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
प्राप्त अधिकार शुल्क	1,00,000	
– अधिकार शुल्क की आय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय	(–) 10,000	
		90,000
अन्य आय		5,00,000
सकल कुल आय		5,90,000
– धारा 80QQB के अंतर्गत कटौती		
(अधिकार शुल्क पुस्तकी मूल्य के 15 प्रतिशत से ज्यादा हो, तो अतिरिक्त शेष राशि की कटौती प्राप्त नहीं होगी तथा अधिकतम रु 3,00,000 इन दोनों में से कम की कटौती प्राप्त होती है।)		
वास्तविक प्राप्त 1,00,000 – 10,000	90,000	
अधिकतम	3,00,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		90,000
कर देय आय		5,00,000

टिप्पणी

उदा. 18: श्री. अक्षय की वेतन से आय रु 7,00,000 है, वे अपने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में योगदान 20,000, मान्यता प्राप्त भविष्य निर्वाह निधि में रु 1,20,000 तथा अपनी पुत्री की ट्यूशन फीस के लिए रु 18,000 का भुगतान करते हैं तथा वे भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फण्ड 80CCD के अंतर्गत रु 30,000 जमा करवाते हैं तथा गत वर्ष वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर ब्याज रु 70,000 देते हैं।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए अक्षय की कर देय आय की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. अक्षय की कर देय आय की गणना।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय		7,00,000
अध्याय VI के अनुसार धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ		
धारा 80C के अंतर्गत कटौती	पात्र राशि	
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान	20,000	
प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान	1,20,000	
पुत्री की ट्यूशन फीस का शोधन	18,000	
80C के लिए कुल पात्र राशि	1,58,000	
– धारा 80C की अधिकतम कटौती	1,50,000	
(उपर्युक्त दोनों में से कम राशि कटौती योग्य।)	1,50,000	(–)1,50,000
80CCD के अधिकतम कटौती रु 50,000 तक		
वास्तविक शोधन 30,000 तथा अधिकतम 50,000 इन दोनों में से कम कटौती योग्य।	30,000	(–) 30,000
कर देय आय		4,20,000

उदा. 19: श्री. सदानंद एक निवृत्त कर्मचारी हैं जिनकी आयु 62 वर्ष है। उनकी सकल कुल आय रु 8,00,000 है। उनको बैंक में जमा बचत खाते से रु 12,000 का ब्याज प्राप्त होता है तथा बैंक में स्थायी निक्षेप पर रु 60,000 ब्याज के प्राप्त होते हैं। उनकी पुत्री जो गंभीर निःशक्त है, उसकी देखभाल सदानंद करते हैं। उपरोक्त जानकारी से शुद्ध कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री सदानंद की कर देय आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
सकल कुल आय		8,00,000
अध्याय VI के अनुसार धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ		
धारा 80TTB के अंतर्गत कटौती		
(वरिष्ठ नागरिक को बैंक से बचत खातों से प्राप्त आय अधिकतम 50 हजार रु तक कटौती योग्य है।)		
बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	12,000	
स्थायी निक्षेप पर प्राप्त ब्याज	60,000	
बैंक से कुल प्राप्त ब्याज	72,000	
अधिकतम कटौती	50,000	
उपरोक्त दोनों में से कम कटौती योग्य		(–) 50,000
80U के अंतर्गत कटौती पुत्री जो गंभीर निःशक्त है		(–) 1,25,000
कर देय आय		6,25,000

उदा. 20: श्री. विश्वनाथ की सकल कुल आय रु 8,00,000 है जिनकी आयु 58 वर्ष है। उनको बैंक में जमा बचत खाते से रु 12,000 का ब्याज प्राप्त होता है तथा बैंक में स्थायी निक्षेप पर रु 60,000 ब्याज के प्राप्त होते है। उनकी पुत्री जो निःशक्तता गंभीर नहीं है, उसकी देखभाल विश्वनाथ करते हैं। उपरोक्त जानकारी से शुद्ध कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तरः श्री. सदानंद की कर देय आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
सकल कुल आय		8,00,000
अध्याय VI के अनुसार धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ		
धारा 80TTA के अंतर्गत कटौती (बचत खातों की अधिकतम ब्याज 10,000 रु. तक कटौती योग्य) जो गत वर्ष किसी भी समय वरिष्ठ नागरिक नहीं है।		
करदाता को बचत खाते पर प्राप्त ब्याज		(–) 12,000
80U के अंतर्गत कटौती पुत्री जो निःशक्तता गंभीर नहीं है		(–) 75,000
कर देय आय		7,13,000

उदा. 21: श्रीमती गीता की सकल कुल आय रु 7,25,000 है। उसने प्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में रु 80,000 जमा कराए तथा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को रु 10,000 तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में रु 15,000 चेक द्वारा दान किए तथा अपने जीवनसाथी जिसकी आयु 57 वर्ष है, उनका स्वास्थ्य बीमा प्रव्याजी का चेक द्वारा रु 38,000 का भुगतान किया।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए शुद्ध कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तरः श्रीमती गीता की कर देय आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
सकल कुल आय		7,25,000
अध्याय VI के अनुसार धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ		
धारा 80C के अंतर्गत कटौती मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान		(–) 80,000
धारा 80D जीवनसाथी के चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का चेक द्वारा शोधन रु 38,000 जिनकी आयु 57 वर्ष है। अधिकतम रु 25,000 तक सीमित		(–) 25,000
धारा 80G दान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान रु 15,000 बिना सीमा वाले शतप्रतिशत कटौती योग्य दान है		(–) 15,000
धारा 80GGC मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दान शतप्रतिशत कटौती योग्य		(–) 10,000
कर देय आय		5,95,000

4.4 आय का मिलान (Clubbing of Incomes) धारा 60 से 64

4.4.1 आय मिलान का अर्थ (Meaning of Clubbing of Income)

भारत में आयकर के लिए प्रगतिशील कर दर प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए करदाता अपनी आय को अपने पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों में इस तरह विभाजित कर आयकर का भार कम करने का प्रयास करता है। इसे ही कर–अपवंचना कहते हैं। इस अपवंचना को रोकने के लिए आयकर अधिनियम धारा 60 से 64 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, जिससे करदाता को स्वयं ही वास्तविक आय के अतिरिक्त ऐसी आय पर भी कर देना होता है, जो दूसरों के नाम पर सुव्यवस्थित की गई है या कानूनी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त की है। इन प्रावधानों के अंतर्गत आय को प्राप्तकर्ता की आय सम्मिलित न कर अन्य व्यक्ति की आय सम्मिलित की जाती है। ऐसी आय का मिलान करदाता की आय में किया जाता है, जो आय निम्नलिखित हैं–

1. करदाता की स्वयं की आय
2. अन्य व्यक्तियों की आय
3. मानी गई है
4. व्यक्तियों का संघ तथा व्यक्तियों के समूह की आय में सदस्य का हिस्सा।

टिप्पणी

4.4.2 आय की मिलान के संबंध में आयकर अधिनियम में प्रावधान (Income Tax Act Provision Regarding Clubbing of Income)

1. आयकर अधिनियम धारा 60 के अनुसार करदाता अपनी संपत्ति का बिना प्रतिफल से अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों अथवा अन्य किसी व्यक्तियों को स्थानांतरण करता है, तो उसे करदाता की आय में मिलान किया जाएगा।
2. आयकर अधिनियम धारा 61 तथा धारा 63 के अनुसार करदाता अपनी आय तथा संपत्ति का हस्तांतरण इस तरह से करता है कि जो अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण किया जाता है तथा उसे पुनः करदाता प्राप्त कर सकता हैं। ऐसी स्थानांतरित आय तथा संपत्ति का मिलान करदाता की आय में किया जाएगा।
3. आयकर अधिनियम धारा 64(1)(i) के अनुसार जीवनसाथी की ऐसी आय जो जीवनसाथी को व्यापारिक संस्था से मिलने वाला वेतन, कमिशन, फीस अथवा किसी प्रकार का पारिश्रमिक जिसका जीवनसाथी के पास सारवान हित ही है। (सारवान हित संबंधित जीवन साथी के पास या उसके रिश्तेदारों के पास कम-से-कम 20% पूँजी में हित संबंध हो।)
4. आयकर अधिनियम धारा 64(1)(vi) के अनुसार पुत्रवधू को बिना उचित प्रतिफल से स्थानांतरण संपत्ति की आय करदाता के आय में शामिल की जाएगी।
5. आयकर अधिनियम धारा 64(1)(vii) के अनुसार जीवनसाथी के लाभार्थ किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को संपत्ति का हस्तांतरण।
6. आयकर अधिनियम धारा 64(1)(viii) के अनुसार पुत्रवधू के हित के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को स्थानांतरित की गई संपत्ति से आय।
7. कोई करदाता किसी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवनसाथी को अथवा पुत्रवधू को स्थानांतरित कर दे।
8. आयकर अधिनियम धारा 64(1A) के अनुसार अवयस्क बच्चे की रु 1,500 प्रति बच्चा से अधिक की आय।
9. आयकर अधिनियम धारा 64(2)(a)(b) के अनुसार कोई करदाता अपनी संपत्ति को अपनी सदस्यता वाले हिंदू अविभाजित परिवार को स्थानांतरित कर दिया जाता है या परिवर्तित करता है।
10. करदाता के बेनामी व्यवहार
11. करदाता की आय में उपरोक्त आय मानी गई आय है तथा उन आयोग को करदाता की आय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक उसी तरह, आयकर अधिनियम 60 से 70 के प्रावधान के अनुसार हस्तांतरित की गई संपत्तियों की हानि को भी घटाया जाता है।

विशेष सूचना

1. आय के मिलान करने के पश्चात् करदाता की कुल आय में से अध्याय VI के अंतर्गत 80C से 80U की कटौती का लाभ करदाता को प्राप्त होता है।
2. करदाता की जो आय मानी गई है, उसमें से उद्गम स्थान पर कटौती की गई हो, तो उसका लाभ करदाता को प्राप्त होगा।
3. आय के मिलान में ऋणात्मक आय का भी समावेश होता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

20. एक अवयस्क बच्चे की आय अभिभावक करदाता की आय में _________ की स्थिति में जोड़ी जाएगी।

 (क) 1,500 से अधिक आय (ख) 5,000 की आय

 (ग) रु 3,000 की आय (घ) इनमें से कोई नहीं

21. आय मिलान के संबंध में आयकर अधिनियम की __________ धाराओं में प्रावधान दिए गए हैं।

 (क) 60–69 (ख) 60–64

 (ग) 60–67 (घ) 68–69

22. विकलांग अवयस्क बच्चे की आय __________ की आय में शामिल की जाएगी।

 (अ) माता

 (ख) पिता

 (ग) माता–पिता इनमें से जिनकी आय अधिक है

 (घ) इनमें से कोई नहीं

4.4.3 व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problem)

उदा. 22: श्रीमान सोहनसिंह राठोड़ जो एक व्यापारी है, उनकी तथा परिवार के सदस्यों की आय निम्नलिखित है जो 31 मार्च 2019 समाप्त होने वाले गत वर्ष से संबंधित है–

1. श्रीमान सोहनसिंह की व्यवसाय से आय रु 6,90,000 है।
2. श्रीमती आशा सोहनसिंह राठोड (करदाता की जीवनसाथी) वह एक शैक्षणिक संस्था में कार्यरत् हैं, जिनकी वेतन से आय रु 7,20,000 है।
3. दीपाली सोहनसिंह राठोड़ (अवयस्क पुत्री) को पोस्ट ऑफिस में जमा कराई गई राशि पर प्राप्त ब्याज रु 12,000 है जो उसके दादा ने उसके नाम पर 6 वर्ष पूर्व जमा कराए थे।

4. दीपाली सोहनसिंह राठोड़ (अवयस्क पुत्री) जो एक ख्यातनाम बाल कलाकार है, उसे अपने कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त आय रु 60,000 है।
5. देवेंद्रसिंह राठोड़ (अवयस्क पुत्र) को लॉटरी से आय रु 10,000 है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर सोहनसिंह राठोड़ के सकल कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तरः सोहनसिंह राठोड़ की सकल कुल आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

विवरण	राशि	राशि
करदाता की व्यवसाय से आय		6,90,000
+ करदाता की आय में अन्य व्यक्तियों की आय का मिलान		
दीपाली सोहनसिंह राठोड़ (अवयस्क पुत्री) को पोस्ट ऑफिस में जमा कराई गई राशि पर प्राप्त ब्याज रु 12,000 है जो उसके दादा ने उसके नाम पर 6 वर्ष पूर्व जमा कराए थे।	12,000	
– धारा 10(32) के अनुसार कर मुक्त आय	(–) 1,500	
		10,500
देवेंद्रसिंह राठोड़ (अवयस्क पुत्र) को लॉटरी से आय रु 10,000 है।	10,000	
– धारा 10(32) के अनुसार कर मुक्त आय	(–) 1,500	
		8,500
सकल कुल आय		7,09,000

क्रियात्मक टिप्पणी

1. श्रीमती आशा सोहनसिंह राठोड़ (करदाता की जीवनसाथी) वह एक शैक्षणिक संस्था में कार्यरत् है, जिनकी वेतन से आय रु 7,20,000 है। यह आय श्रीमती आशा सोहनसिंह राठोड़ की व्यक्तिगत आय है, इसलिए करदाता की आय में उसका मिलान नहीं होगा।
2. दीपाली सोहनसिंह राठोड़ (अवयस्क पुत्री) जो एक ख्यातनाम बाल कलाकार है, उसे अपने कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त आय रु 60,000 है। दीपाली सोहनसिंह राठोड़ की यह आय उसके व्यक्तिगत हुनर के कारण प्राप्त हुई, इसलिए उस आय का मिलान करदाता की आय में नहीं होगा।

4.5 एक व्यक्ति (व्यष्टि) की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना (Computation of Total Income and Tax Liability of Individuals Assessee)

4.5.1 कुल आय/कर देय आय (Total Income/ Taxable Total Income) धारा–2(45)

सकल कुल आय से 80(C) से 80(U) तक कटौतियाँ घटने के बाद जो आय शेष रहती है, उसे कर देय/कुल आय कहते हैं। इस आय पर निर्धारित/करदाता पर आयकर की गणना होती है। कुल आय को 10 के निकटतम गुणक के रूप पूर्णांक करते हैं।

सारणी क्र. 4.6: .... की कुल आय की गणना

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण		राशि
	वेतन से कर योग्य आय	XXX
Add	गृहसंपत्ति से कर योग्य आय	XXX
Add	व्यापार एवं पेशे से कर योग्य आय	XXX
Add	पूँजी लाभ से कर योग्य आय	XXX
Add	अन्य साधनों से कर योग्य आय	XXX
	विभिन्न स्त्रोत से कर योग्य आय का योग	XXX
Less	हानि की पूर्ति	XXX
		XXX
Add	आय का मिलान	XXX
	सकल कुल आय	XXX
Less	धारा 80(C) से 80(U) की कटौतियाँ	XXX
	कर देय/कुल आय Taxable Total Income	XXX

4.5.2 गणना करने की प्रविधि (Process of Computation)

एक व्यक्ति की आय निम्न प्रकार से आगणित की जाती है–

(i) एक व्यक्ति की कुल आय की गणना के लिए सर्वप्रथम 5 शीर्षकों के आय की गणना की जाएगी। अर्थात् एक व्यक्ति की वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय + मकान संपत्ति के शीर्षक के अंतर्गत आय + व्यापार तथा पेशे के शीर्षक अंतर्गत आय + पूँजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत आय + अन्य साधनों से शीर्षक के अंतर्गत आय।

(ii) आय का मिलान

(iii) किसी शीर्षक से हानि, अग्रेषित लाई हानि, अशोधित आय का समायोजन।

(iv) सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अंतर्गत कटौतियाँ घटाने के बाद जो आय शेष रहती है, उसे कर देय आय कहते हैं।

हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना...

टिप्पणी

विशेष सूचना

धारा 288A के अनुसार कुल आय को 10 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। कुल आय को 10 के निकटतम गुणक के रूप पूर्णांक करते हैं।

4.5.3 कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर दर (Income Tax Rate for Assessment Year 2019-20 Individual Assessee)

सारणी क्र. 4.7

	सामान्य करदाता	वरिष्ठ करदाता	अतिवरिष्ठ करदाता
करदाता आयु	गत वर्ष किसी भी समय 60 वर्ष से कम	गत वर्ष किसी भी समय 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कमी	गत वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक
कर मुक्त आय	रु 2,50,000	रु 3,00,000	रु 5,00,000
आय स्तर व आयकर	प्रथम रु 2,50,000 आयकर दर शून्य	प्रथम रु 3,00,000 आयकर दर शून्य	प्रथम रु 5,00,000 आयकर दर शून्य
	अगले रु 2,50,000 आयकर दर 5%	अगले रु 2,00,000 आयकर दर 5%	अगले रु 5,00,000 आयकर दर 20%
	अगले रु 5,00,000 आयकर दर 20%	अगले रु 5,00,000 आयकर दर 20%	
	शेष आय आयकर दर 30%	शेष आय आयकर दर 30%	शेष आय आयकर दर 30%

4.5.4 धारा 87(A) के अनुसार कर कटौती (Deduction a per Section 87(A))

यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति जिसकी कुल आय, रु 3,50,000 से अधिक नहीं है, तो देय कर में से रु 2,500 तक कर कटौती प्राप्त होगी।

4.5.5 अधिभार (Surcharge)

अधिभार यह कुल आय के आयकर पर लगाया जाता है–

(a) एक व्यक्ति की कुल आय 50 लाख से अधिक है, किंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं, तो @10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।

(b) एक व्यक्ति की कुल आय 1 करोड़ से अधिक है तो @15 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।

4.5.6 सीमांत राहत (Marginal Relief)

(a) यदि एक व्यक्ति की कुल आय 50 लाख से अधिक है, किंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित 50 लाख रु से अधिक आय की राशि पर उस आय से अधिक नहीं होगी।

(b) जब एक व्यक्ति की कुल आय 1 करोड़ से अधिक है, तब कर की राशि अधिभार सहित 1 करोड़ रु से अधिक आय की राशि पर उस आय से अधिक नहीं होगी।

विशेष सूचना

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर पर सीमांत राहत नहीं मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (HEC – Health and Education Cess): यह 4% की दर से आयकर एवं अधिभार की राशि पर लगाया जाता है।

विभिन्न आय पर आयकर की दर–

(i) आकस्मिक् आय (लॉटरी, घुड़दौड़, सट्टा, पत्ते के गेंद आदि से प्राप्त आय) पर आयकर 30 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(ii) अल्पकालीन पूँजी लाभ धारा 111A (कंपनी के साधारण अंश या इक्विटी ओरिएंट फंड के यूनिट या व्यवसायिक ट्रस्ट के युनिट के अंतरण)

उपर्युक्त वर्णित से अल्पकालीन पूँजी लाभ है, तो 15% दर से आयकर लगेगा तथा नियमानुसार अधिभार तथा स्वास्थ्य व शिक्षा कर लगेगा।

(iii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ धारा 112

एक व्यक्ति निवासी करदाता को दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 20 प्रतिशत दर से आयकर लगेगा। (अगर कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है, तो कुल आय में से दीर्घकालीन पूँजी लाभ सहित न्यूनतम कर योग्य सीमा की राशि घटाकर जो शेष राशि बचेगी, उस पर 20 प्रतिशत दर से कर लगेगा।)

सूचीकृत प्रतिभूतियों (किंतु यूनिट को छोड़कर) अथवा 0 कूपन बॉण्ड के अंतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर निम्न दर से कर लगेगा–

(क) प्राप्ति की लागत को बिना सूचकांकित किए @ 10% दर से आयकर अथवा प्राप्ति की लागत को सूचकांकित कर @ 20% दर से आयकर, इन दोनों में जो कम हो, उस दर से आयकर लगेगा।

(ख) दीर्घकालीन पूँजी लाभ धारा 112A (किसी कंपनी के साधारण अंशोन्मुख निधि के यूनिट या किसी कारोबार न्यास के यूनिट के अंतरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ) दीर्घकालीन पूँजी लाभ में रु 1,00,000 घटाकर शेष राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा। अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर नियमानुसार लगेगा।

(iv) अस्पष्टीकृत (Unexplained) कैश क्रेडिट, विनियोग राशि एवं खर्च पर @ 60% अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर नियमानुसार लगेगा।

4.5.7 अनुविकल्पी न्यूनतम कर (AMT – Alternative Minimum Tax)

4.5.7.1 अनुविकल्पी न्यूनतम कर किसे देना होता है? (Who is Liable for Payment under Alternative Minimum Tax?)

1. धारा 115JC से 115JF के प्रावधानों के तहत् कंपनी को छोड़कर सभी व्यक्तियों को अनुकल्पित न्यूनतम कर देना होगा यदि–
   (i) यदि जिन्होंने 80IA, 80IAB, 80IAC, 80 IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80QQB, 80RRB या 80AA, या 35AD अंतर्गत कटौती ली है।
   (ii) किसी गत वर्ष की नियमित आय पर नियमित देय कर अनुकल्पित न्यूनतम कर (AMT) से कम है।

अपवादः यदि एक व्यक्ति या हिंदू अविभाज्य परिवार या व्यक्तियों का संघ या समूह या कृत्रिम व्यक्ति की समायोजित कुल आय (Adjusted Total Income) रु 20,00,000 से अधिक नहीं है, तो अनुविकल्पी कर देना नहीं होगा।

4.5.7.2 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व (Alternative Minimum Tax Liability)

समायोजित कुल आय पर 18.5 प्रतिशत से आयकर लगाया जाएगा तथा उस पर नियमानुसार अधिभार व स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया जाएगा।

4.5.7.3 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व के लिए समायोजित कुल आय की गणना (Calculation of Adjusted Income for Alternative Minimum Tax Liability)

सारणी क्र. 4.8

विवरण	राशि	राशि
लाभालाभ लेखा के अनुसार लाभ		XXX
+ 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80QQB, 80RRB कटौती की राशि		XXX
+ 10 AA के अंतर्गत SEZ के अंतर्गत नई इकाई के लाभ की कटौती		XXX
+ धारा 10AD के अंतर्गत कटौती की राशि		XXX
समायोजित कुल आय		XXX

4.5.8 अनुविकल्पी न्यूनतम कर दायित्व का निर्धारण (Calculation of Alternative Minimum Tax Liability)

सामान्य कर तथा अनुविकल्पी न्यूनतम कर, इनमें से जो ज्यादा होगा, वह करदाता का करदायित्व होगा। अगर अनुविकल्पी न्यूनतम कर सामान्य कर से ज्यादा है, तो इस स्थिति में, अनुविकल्पी न्यूनतम कर यह करदाता का करदायित्व होगा। अनुविकल्पी न्यूनतम कर का सामान्य कर पर आधिक्य 15 कर निर्धारण वर्षों तक पूर्ति के लिए आगे ले जा सकता है।

4.5.9 व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

उदा. 23: अमर की कुल आय रु 3,40,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

उत्तर: अमर की कुल आय पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए।

विवरण	आगणन	देय आयकर
अमर की कुल आय	3,40,000	
प्रथम रु 2,50,000 पर आयकर दर शून्य	(–) 2,50,000	शून्य
शेष आय	90,000	
अगले रु 2,50,000 पर आयकर दर 5% शेष राशि रु 2,50,000 से अधिक नहीं है, इसलिए रु 90,000 पर 5% दर से आयकर लगेगा।	90,000	4,500
शेष आय	–	
आगणित आयकर		4,500
घटाएँ: धारा 87(A) के अनुसार करदाता की आय रु 3,50,000 से अधिक नहीं हो तो, आयकर में से अधिकतम रु 2,500 की कटौती प्राप्त होती है।		(–) 2,500
आयकर		2,000
+ अधिभार		–
आयकर + अधिभार		2,000
+ स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 2,000 पर 4 प्रतिशत		80
कुल देय कर		2,080

उदा. 24: श्रीमती ज्योति की कुल आय रु 5,20,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

उत्तर: श्रीमती ज्योति की कुल आय पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए।

विवरण	आगणन	देय आयकर
अमर की कुल आय	5,20,000	
प्रथम रु 2,50,000 पर आयकर दर शून्य	(–) 2,50,000	शून्य
शेष आय	2,70,000	
अगले रु 2,50,000 पर आयकर दर 5% दर से लगेगा	(–) 2,50,000	12,500
शेष आय	20,000	
अगले रु 5,00,000 तक आयकर दर 20% दर से लगेगा, यहाँ करदाता की आय अगले रु 5,00,000 में 20,000 ही है, इसलिए आयकर रु 20,000 पर 20% दर से लगेगा	(–) 20,000	4,000
शेष आय	–	
आगणित आयकर		16,500
+ अधिभार		–
आयकर + अधिभार		16,500
+ स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 16,500 पर 4 प्रतिशत		660
कुल देय कर		17,160

उदा. 25: श्री. अभिषेक जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी कुल आय रु 6,00,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

उत्तर: श्री. अभिषेक जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी कुल आय पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए।

विवरण	आगणन	देय आयकर
अमर की कुल आय	6,00,000	
प्रथम रु 5,00,000 पर आयकर दर शून्य	(–) 5,00,000	शून्य
शेष आय	1,00,000	
अगले रु 5,00,000 पर आयकर दर 20% दर से लगेगा, यहाँ करदाता की आय 5,00,000 से अधिक नहीं है, ऐसी स्थिति में, जो शेष आय बची है, उस पर कर लगेगा।	(–) 1,00,000	20,000
शेष आय	–	
आगणित आयकर		20,000
+ अधिभार		–
आयकर + अधिभार		20,000
+ स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 20,000 पर 4 प्रतिशत		800
कुल देय कर		20,800

टिप्पणी

उदा. 26: श्री. प्रकाश जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी कुल आय रु 6,00,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

उत्तरः श्री. प्रकाश जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी कुल आय पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए।

विवरण	आगणन	देय आयकर
अमर की कुल आय	6,00,000	
प्रथम रु 3,00,000 पर आयकर दर शून्य	(–) 3,00,000	शून्य
शेष आय	3,00,000	
अगले रु 2,00,000 पर आयकर दर 5% दर से लगेगा	(–) 2,00,000	10,000
शेष आय	1,00,000	
अगले 5,00,000 पर 20 प्रतिशत दर से यहाँ शेष आय 5,00,000 से अधिक नहीं है, इसलिए शेष आय पर 20 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा	1,00,000	20,000
शेष आय	–	
आगणित आयकर		30,000
+ अधिभार		–
आयकर + अधिभार		30,000
+ स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 20,000 पर 4 प्रतिशत		1,200
कुल देय कर		31,200

उदा. 27: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. योगेंद्रनाथ के कुल आय की गणना कर, उस पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के आयकर दर के अनुसार आयकर दायित्व का निर्धारण कीजिए–

1. सकल वेतन – रु 3,00,000
2. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम से अर्जित ब्याज – रु 8,000
3. बैंक में जमा स्थायी निःक्षेप पर प्राप्त ब्याज – रु 77,000
4. विकलांग पुत्र (गंभीर निःशक्तता) के पुनर्वास पर खर्च रु 10,000
5. प्रमाणित भविष्य निधि में योगदान रु 15,000
6. जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का शोधन – रु 5,00

उत्तरः श्री. योगेंद्रनाथ की कुल आय की गणना।

टिप्पणी

गत वर्ष: 2018–19 कर निर्धारण वर्ष: 2019–20

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	वेतन से सकल आय		3,00,000	
–	धारा 16 के अनुसार कटौती			
	मानक कटौती (सकल वेतन अथवा अधिकतम रु 40,000 इन दोनों में से कम)		(–) 40,000	
	वेतन से शुद्ध आय			2,60,000
+	अन्य साधनों से आय:			
	राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम से अर्जित ब्याज		8,000	
	बैंक में जमा स्थायी निःक्षेप पर प्राप्त ब्याज		77,000	
	अन्य साधनों से कुल आय			+ 85,000
	सकल कुल आय			3,45,000
–	अध्याय VI के अंतर्गत 80C से 80U की कटौतियाँ			
	80C की कटौती	1	28,000	
	+ 80DD की कटौती गंभीर निःशक्तता		1,25,000	
	धारा 80 अंतर्गत कुल कटौती			1,53,000
	शुद्ध कर देय आय			1,92,000

क्रियात्मक टिप्पणी

1. धारा 80C की कटौती की गणना।

विवरण	भुगतान	पात्र राशि
राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम से अर्जित ब्याज	8,000	8,000
प्रमाणित भविष्य निधि में योगदान	15,000	15,000
जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का शोधन	5,000	5,000
कुल पात्र राशि		28,000
धारा 80C की कटौती (कुल पात्र राशि अथवा अधिकतम रु 1,50,000 इन दोनों में से कम)		28,000

2. बैंक में जमा स्थायी निःक्षेप पर प्राप्त ब्याज रु 77,000 है, बचत खाते पर नहीं, इसलिए धारा 80TTA की कटौती प्राप्त नहीं होगी।

आयकर की गणना: यहाँ करदाता की करदेय आय रु 1,92,000 है जो कर मुक्त सीमा के भीतर है, इसलिए करदाता पर कोई भी आयकर नहीं लगेगा।

टिप्पणी

उदा. 28: निम्न जानकारी के आधार पर श्री. प्रवीण के कुल आय की गणना कर उस पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के आयकर दर के अनुसार आयकर दायित्व का निर्धारण कीजिए–

1. सकल वेतन – रु 6,00,000
2. मकान संपत्ति से प्राप्त किराया – रु 60,000
3. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम से अर्जित ब्याज – रु 12,000
4. बैंक में जमा राशि पर बचत निःक्षेप पर प्राप्त ब्याज – रु 12,000
5. विकलांग पुत्र (निःशक्तता) के पुनर्वास पर खर्च रु 10,000
6. प्रमाणित भविष्य निधि में योगदान रु 15,000
7. जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का शोधन – रु 5,000

उत्तरः श्री. योगेंद्रनाथ की कुल आय की गणना।

गत वर्षः 2018–19 **कर निर्धारण वर्षः 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	वेतन से सकल आय		6,00,000	
–	धारा 16 के अनुसार कटौतीः			
	मानक कटौती (सकल वेतन अथवा अधिकतम रु 40,000 इन दोनों में से कम)		(–) 40,000	
	वेतन से शुद्ध आय			5,60,000
+	मकान संपत्ति से आयः			
	वार्षिक मूल्य		60,000	
	– धारा 24 के अंतर्गत कटौतीः			
	मानक कटौती वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत		18,000	
	मकान संपत्ति से शुद्ध आय			42,000
+	अन्य साधनों से आयः			
	राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम से अर्जित ब्याज		12,000	
	बैंक में बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज		12,000	
	अन्य साधनों से कुल आय			+ 24,000
	सकल कुल आय			6,26,000
–	अध्याय VI के अंतर्गत 80C से 80U की कटौतियाँ			
	धारा 80C की कटौती	1	29,000	
	+ धारा 80DD की कटौती निःशक्तता		75,000	

	+ धारा 80TTA के अनुसार बैंक में बचत खाते पर प्राप्त ब्याज रु 10,000 तक कटौती योग्य है। (प्राप्त ब्याज या अधिकतम रु 10,000 इन दोनों में से कम) प्राप्त ब्याज रु 12,000		10,000	
	धारा 80 के अंतर्गत कुल कटौती			1,14,000
	शुद्ध कर देय आय			5,12,000

क्रियात्मक टिप्पणी

1. धारा 80C की कटौती की गणना

विवरण	भुगतान	पात्र राशि
राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम से अर्जित ब्याज	12,000	12,000
प्रमाणित भविष्य निधि में योगदान	12,000	12,000
जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का शोधन	5,000	5,000
कुल पात्र राशि		29,000
धारा 80C की कटौती (कुल पात्र राशि अथवा अधिकतम रु 1,50,000 इन दोनों में से कम)		29,000

आयकर की गणना

विवरण	आगणन	देय आयकर
अमर की कुल आय	5,12,000	
प्रथम रु 2,50,000 पर आयकर दर शून्य	(–) 2,50,000	शून्य
शेष आय	2,62,000	
अगले रु 2,50,000 पर आयकर दर 5% दर से लगेगा	(–) 2,50,000	12,500
शेष आय	12,000	
अगले रु 5,00,000 तक आयकर दर 20% दर से लगेगा, यहाँ करदाता की आय अगले 5,00,000 में रु 12,000 ही है, इसलिए आयकर रु 12,000 पर 20% दर से लगेगा	(–) 12,000	2,400
शेष आय	–	
आगणित आयकर		14,900
+ अधिभार		–
आयकर + अधिभार		14,900
+ स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 14,900 पर 4 प्रतिशत		596
कुल देय कर		15,496
कुल कर देयता का पूर्णांकण धारा 288(A)		15,500

टिप्पणी

उदा. 29: निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए नरेश के कर दायित्व की गणना कीजिए–

1. अस्पष्टीकृत व्यय – रु 10,00,000
2. अंशोन्मुख निधि के यूनिट के अंतरण पर धारा 112A के अंतर्गत दीर्घकालीन पूँजी लाभ – रु 2,50,000
3. घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश – रु 20,00,000
4. अन्य साधनों से आय – रु 5,00,000

उत्तर: श्री. नरेश के करदायित्व का आगणन।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	WN	राशि	राशि
	अस्पष्टीकृत खर्च रु 10,00,000 पर आयकर धारा 115BBE के अनुसार @ 60% (10,00,000 × 60)		6,00,000	
+	अधिभार @ 25% (6,00,000 × 25%)		1,50,000	
	आयकर + अधिभार		7,50,000	
+	स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर @ 4%) (7,50,000 × 4%)		30,000	
	(A) अस्पष्टीकृत खर्च रु 10,00,000 पर आयकर, अधिभार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर			7,80,000
	अंशोन्मुख निधि के यूनिट के अंतरण पर धारा 112A के अंतर्गत दीर्घकालीन पूँजी लाभ*		2,50,000	
	– कर मुक्त		1,00,000	
	कर योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ		1,50,000	
	10 प्रतिशत दर से आयकर (1,50,000 × 10%)			15,000
	घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश		20,00,000	
	– कर मुक्त		10,00,000	
	कर योग्य लाभांश		10,00,000	
	कर योग्य लाभांश पर धारा 115 BBDA के अनुसार आयकर @ 10% (10,00,000 × 10%)			1,00,000
	अन्य साधनों से आय यह रु 2,50,000 की कर मुक्त सीमा से अधिक नहीं है। इसलिए आयकर नहीं लगेगा		–	–

टिप्पणी

	आयकर			1,15,000
+	अधिभार			–
	आयकर + अधिभार			1,15,000
+	स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर @ 4% (1,15,000 × 4%)			4,600
	(B) अस्पष्टीकृत खर्च छोड़कर अन्य आय पर आयकर, अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर			1,19,600
	कर दायित्व (A + B) 7,80,000 + 1,19,600			8,99,600

उदा. 30: निम्न सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उमेश के कर दायित्व की गणना कीजिए–

1. नगद (68 के अंतर्गत मानी गई आय) – रु 40,00,000
2. कार्बन क्रेडिट के अंतरण से आय – रु 16,00,000
3. लॉटरी से प्राप्त ईनाम राशि – रु 5,00,000
4. अन्य साधनों से आय – रु 5,00,000

उत्तर: श्री. उमेश के कर दायित्व का आगणन।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

+ –	विवरण	W N	राशि	राशि
	नगद (68 के अंतर्गत मानी गई आय) रु 40,00,000 पर धारा 115BBE के अनुसार @ 60% (40,00,000 × 60%)		24,00,000	
+	अधिभार @ 25% (24,00,000 × 25%)		6,00,000	
	आयकर + अधिभार		30,00,000	
+	स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर @ 4%) (30,00,000 × 4%)		1,20,000	
	(A) अस्पष्टीकृत खर्च रु 10,00,000 पर आयकर, अधिभार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर			31,20,000
	कार्बन क्रेडिट के अंतरण से आय – रु 16,00,000 धारा 115BBG के अनुसार @ 10% (16,00,000 × 10%)		1,60,000	
				1,60,000
	लॉटरी से प्राप्त ईनाम राशि रु 5,00,000 धारा 115BB के अनुसार @ 30% (5,00,000 × 30%)			1,50,000

	अन्य साधनों से आय 5,00,000			
	प्रथम रु 2,50,000 पर शून्य		शून्य	
	अगले रु 2,50,000 पर @ 5%		12,500	
				12,500
	आयकर			3,22,500
+	अधिभार			–
	आयकर + अधिभार			3,22,500
+	स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर @ 4% (3,22,500 × 4%)			12,900
	(B) अस्पष्टीकृत खर्च छोड़कर अन्य आय पर आयकर, अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर			3,35,400
	करदायित्व (A + B) 31,20,000 + 3,35,400			34,55,400

उदा. 31: गत वर्ष 2018–19 के लिए अमोल की आय निम्न प्रकार से है।

विवरण	राशि
लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	80,00,000
घटाएँ धारा 10AA के अनुसार SEZ में इकाई का लाभ	75,00,000
शुद्ध लाभ	5,00,000

अनुविकल्पि न्यूनतम कर के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए अमोल के करदायित्व की गणना कीजिए।

उत्तर: श्री. अमोल के सामान्य लाभ (लाभालाभ लेखानुसार लाभ के आधार पर) के कर दायित्व का आगणन।

गत वर्ष: 2018–19 **कर निर्धारण वर्ष: 2019–20**

विवरण	आगणन	कर दायित्व राशि
लाभ-हानि लेखा के अनुसार लाभ	5,00,000	
प्रथम 2,50,000 पर आयकर दर शून्य	(–) 2,50,000	–
शेष लाभ	2,50,000	
प्रथम 2,50,000 पर आयकर दर 5%	(–) 2,50,000	12,500
शेष लाभ	–	
कुल आयकर		12,500
+ अधिभार		–
आयकर + अधिभार		12,500
+ स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर 4% (12,500 × 4%)		500
कुल कर दायित्व (सामान्य)		13,000

लाभ का निर्धारण अनुकल्पि न्यूनतम कर के प्रावधानों के अनुसार।

विवरण	आगणन
लाभ-हानि लेखा के अनुसार लाभ	5,00,000
+ धारा 10AA के अनुसार SEZ में इकाई का लाभ	75,00,000
समायोजित कुल आय	80,00,000

अनुकल्पि न्यूनतम कर का आगणन।

विवरण	कर दायित्व आगणन
लाभ-हानि लेखा के अनुसार लाभ 80,00,000 × 18.5%	14,80,000
+ अधिभार 14,80,000 × 10%	1,48,000
आयकर + अधिभार	16,28,000
स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर 16,28,000 × 4%	65,120
अनुकल्पी न्यूनतम कर	16,93,120

सामान्य लाभ पर आयकर रु 13,000 तथा अनुकल्पी न्यूनतम कर 16,93,120 इसमें से जो ज्यादा होगा, वह कर निर्धारण वर्ष 2019–20 का कर दायित्व होगा। अर्थात् रु 16,93,120 होगा।

करदाता को नियम के अनुसार अनुकल्पि न्यूनतम कर के प्रावधानों के अनुसार 16,93,120 – 13,000 = रु 16,80,120 का अनुकल्पि न्यूनतम कर का क्रेडिट 15 कर निर्धारण वर्ष तक मिलेगा।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

23. यदि एक व्यक्ति की 1 करोड़ से अधिक आय है, तो उसे __________ प्रतिशत दर से अधिभार देना होगा।

    (क) 15 (ख) 5

    (ग) 2.5 (घ) 20

24. भारतीय निवासी जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी आय रु __________ तक कर मुक्त है।

    (क) 2,50,000 (ख) 3,00,000

    (ग) 3,50,000 (घ) 5,00,000

25. भारतीय निवासी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी आय रु __________ तक कर मुक्त है।

    (क) 2,50,000 (ख) 3,00,000

    (ग) 3,50,000 (घ) 5,00,000

टिप्पणी

26. भारतीय निवासी जो अति वरिष्ठ तथा वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, उनकी आय रु __________ तक करमुक्त है।

(क) 2,50,000 (ख) 3,00,000

(ग) 3,50,000 (घ) 5,00,000

27. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर __________ प्रतिशत है।

(क) 2 (ख) 3

(ग) 4 (घ) 5

28. कर योग्य आय रु 7,00,000 होने पर अधिभार की दर __________ प्रतिशत है।

(क) 5 (ख) 2

(ग) 3 (घ) शून्य

29. धारा 87A के अनुसार एक निवासी व्यक्ति की कुल आय रु 3,50,000 से अधिक नहीं होने पर देय कर में रु __________ की कटौती मिलती है।

(क) 4,000 (ख) 3,0000

(ग) 2,500 (घ) इनमें से कोई नहीं

30. लॉटरी की जीत की राशि पर आयकर की दर __________ प्रतिशत है।

(क) 5 (ख) 20

(ग) 30 (घ) 15

31. आय के विभिन्न शीर्षकों का योग __________ कहलाता है।

(क) सकल कुल आय (ख) कुल आय

(ग) समायोजित आय (घ) कर योग्य आय

32. __________ में से धारा 86C की कटौती नहीं मिलती।

(क) वेतन से आय (ख) व्यापार तथा पेशे से आय

(ग) मकान संपत्ति से आय (घ) दीर्घकालीन पूँजी लाभ

33. यदि कुल आय रु 10,22,292.80 हो, तो पूर्णांकित आय रु __________ होगी

(क) 10,22,293 (ख) 10,22,295

(ग) 10,22,290 (घ) 10,22,300

4.6 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1.	(ग)	12.	(ग)	23.	(क)
2.	(क)	13.	(घ)	24.	(घ)
3.	(क)	14.	(ख)	25.	(ख)
4.	(ख)	15.	(क)	26.	(क)
5.	(ग)	16.	(घ)	27.	(ग)
6.	(घ)	17.	(ग)	28.	(घ)
7.	(ख)	18.	(क)	29.	(ग)
8.	(ग)	19.	(क)	30.	(ग)
9.	(ख)	20.	(क)	31.	(क)
10.	(घ)	21.	(ख)	32.	(घ)
11.	(ग)	22.	(घ)	33.	(ग)

4.7 सारांश (Summary)

हानियों की पूर्ति जिस गत वर्ष में होती है, उसी गत वर्ष में सर्वप्रथम उसी शीर्षक में से की जाती है (कुछ अपवाद छोड़कर)। उसके पश्चात् अगर हानि की पूरी पूर्ति नहीं होती है, तो उसी गत वर्ष के अन्य आय में से की जाती हैं। आकस्मिक् हानि की पूर्ति अन्य किसी भी आय में से नहीं की जाती। जिस हानि की पूर्ति उसी गत वर्ष में नहीं होती, जिस गत वर्ष में वह हानि उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति में वह हानि अग्रेषित की जाती है तथा उसका नियमानुसार समायोजन होता है।

करदाता अपना करभार न्यूनतम रखने के हित से अपनी संपत्ति तथा आय का स्थानांतरण ऐसे करता है कि जिससे उसका करभार कम हो, ऐसे स्थानांतरण को आयकर के प्रावधानों के अनुसार करदाता की आय में मिलाया जाता है।

आय में से अध्याय VI के अनुसार धारा 80C से 80U की कटौतियाँ दी जाती हैं जो कटौतियाँ भुगतान तथा आय के संबंध में हैं। वह कटौतियाँ सकल कुल आय में से घटाने के पश्चात् जो आय बचती है, उसे कर देय आय या कुल आय कहते हैं, जिस पर वार्षिक वित्तीय अधिनियम में दिए गए आयकर दरों के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है।

टिप्पणी

4.8 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **हानि की पूर्तिः** हानि की पूर्ति से तात्पर्य है कि जिस वर्ष आय के किसी स्त्रोत से हानि हो, उसकी पूर्ति उसी वर्ष की जाए, तो उसे हानि की पूर्ति कहते हैं।
- **हानि को आगे ले जानाः** जिस वर्ष आय के किसी स्त्रोत से हानि हो उसकी पूर्ति उसी वर्ष की आय में से नहीं हो, तो उस हानि को संबंधित हानि में से ही समायोजित करने के लिए आगे ले जाने की क्रिया को हानि को आगे ले जाना कहते है।
- **आय का मिलानः** आय का मिलान करदाता की आय में जो आय करदाता अपना करभार न्यूनतम रखने के लिए आय का इस प्रकार निपटारा करता है कि जिससे वह कर दायित्व से बच जाए। वह आय को आयकर अधिनियमानुसार करदाता की आय में समाविष्ट करना ही आय का मिलान है।
- **सकल कुल आयः** धारा 80C से 80U की कटौतियाँ देने के पूर्व की आय को सकल कुल आय कहते हैं।
- **कुल आयः** धारा 80C से 80U की कटौतियाँ देने के पश्चात् जो आय शेष रहती है, उसे कुल आय कहते हैं।
- **कर निर्धारणः** कुल आय पर कर निर्धारण होता है, जिसमें सर्वप्रथम आयकर तथा नियमानुसार अधिभार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर आयकर लगाया जाता है। आयकर का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम कर मुक्त आय को घटाने के पश्चात् आयकर का निर्धारण होता है।

4.9 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. हानियों की पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. अंतरस्त्रोत हानि की पूर्ति की प्रविधि स्पष्ट कीजिए।
3. अंतरशीर्षक हानि की पूर्ति की प्रविधि बताएँ।
4. आय के मिलान का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
5. धारा 80C के अंतर्गत किस भुगतान के लिए कटौती दी जाती है, उनके 5 पद लिखें।
6. धारा 80D के संबंध में स्वास्थ्य निवारक जाँच पड़ताल के संबंध में प्रावधान लिखें।
7. निःशक्त आश्रित के चिकित्सा व्यव्य के संबंध में प्रावधान लिखें।
8. उच्च शिक्षा के संबंध में लिए गए ऋण के संबंध में प्रावधान लिखिए।

9. निवासी लेखक के अधिकार शुल्क के संबंध में प्रावधान लिखिए।
10. धारा 80TTA के संबंध में जानकारी लिखें।
11. धारा 80TTB के संबंध में प्रावधान लिखें।
12. धारा 80U के संबंध में जानकारी लिखें।

व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

13. कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में व्यवसाय से लाभ रु 5,00,000 है तथा उस वर्ष का चालू ह्रास रु 3,00,000 है तथा अशोधित ह्रास रु 3,00,000 है। इस स्थिति में, सकल कुल आय की गणना कीजिए तथा अशोधित ह्रास कितना शेष होगा, यह बताएँ।

    (**उत्तरः** सकल कुल आय शून्य, अशोधित ह्रास रु 1,00,000)

14. कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में व्यापार से हानि रु 2,00,000 है, मकान संपत्ति से आय रु 5,00,000 है तथा चालू वर्ष का ह्रास रु 40,000 है। साथ ही, अशोधित ह्रास रु 1,00,000 है। इस स्थिति में, सकल कुल आय की गणना कीजिए।

    (**उत्तरः** सकल कुल आय रु 1,60,000)

15. मिस्टर अशोक ने अपने जीवन पर रु 20,00,000 की बीमा पॉलिसी 2011 में ली तथा उसने गत वर्ष में उस पॉलिसी पर रु 2,00,000 की प्रव्याजी का शोधन किया, तो 80C के अंतर्गत कटौती योग्य राशि आगणित कीजिए।

    (**उत्तरः** रु 1,50,000)

16. निम्न भुगतान में से 80C के लिए पात्र भुगतान के मद लिखें–
    (i) स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी की प्रव्याजी का भुगतान
    (ii) माँ के जीवन पर बीमा पॉलिसी प्रव्याजी का भुगतान
    (iii) राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गम II में विनियोग
    (iv) अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान
    (v) राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गम VIII में विनियोग
    (vi) निवासी मकान क्रय करने के लिए, लिए गए ऋण के मूल धन का भुगतान।

    (**उत्तरः** पात्र भुगतान– (i), (v), (vi))

17. करदाता ने अपने जीवन पर चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का शोधन रु 27,000 किया तथा अपने माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक) के लिए चिकित्सा बीमा प्रव्याजी का शोधन रु 52,000 किया, तो धारा 80D के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए।

    (**उत्तरः** कटौती योग्य राशि रु 75,000)

18. नारायण ने अपने भाई जो उस पर आश्रित है तथा वह गंभीर निःशक्त है, उसके चिकित्सा उपचार के लिए रु 1,50,000 अनुमोदित स्कीम में राशि

टिप्पणी

जमा कराई, तो उसे 80DD के अंतर्गत मिलने वाली कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए।

(**उत्तर**: कटौती योग्य राशि रु 1,25,000)

19. जयनारायण ने जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष में रु 10,000 इंदिरा गांधी ट्रस्ट में रु 5,000 चेक द्वारा दान दिया, तो उसे प्राप्त होने वाली 80G के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए।

    (**उत्तर**: कटौती योग्य राशि रु 7,500 यह दोनों दान बिना सीमा वाले दान हैं, जिनका दान 50 प्रतिशत कटौती योग्य है)

20. सोनम शर्मा की सकल कुल आय 10 लाख रु है। उनकी कटौतियाँ धारा 80C से 80U के अंतर्गत रु 2,00,000 है (80G की कटौती छोड़कर) उन्होंने गत वर्ष में साईं बाबा ट्रस्ट को रु 50,000 तथा अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था को रु 1,50,000 का दान दिया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर अंतर्गत 80G के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए।

    (**उत्तर**: साईं बाबा ट्रस्ट, शिर्डी तथा पुण्यार्थ अनुमोदित संस्था में दिए गए दान सीमा वाले दान के अंतर्गत समाविष्ट होते है, जो 50 प्रतिशत कटौती योग्य है। सीमा 8,00,000 के 10 प्रतिशत रु 80,000 तथा दिए गए दान 50,000 + 1,50,000 = रु 2,00,000। रु 2,00,000 के 50 प्रतिशत रु 1,00,000 तथा अधिकतम सीमा 80,000 इन दोनों में से कम कटौती योग्य अर्थात् रु 80,000)।

21. गत वर्ष 2018–19 में श्रीमान् योगी जो गंभीर निःशक्तता से पीड़ित हैं, उनकी सकल कुल आय रु 7,25,000 है। वह किराए के मकान में रहता है तथा रु 6,000 किराया प्रति माह देता है, तो उसकी सकल कुल आय कितनी होगी।

    (**उत्तर**: रु 5,88,000 संकेत – किराया के भुगतान के संबंध में कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया किराया धारा 80C से 80U की कटौती करने के पश्चात् किंतु धारा 80GG की कटौती छोड़कर तथा 111 में वर्णित अल्पकालीन पूँजी लाभ घटाने के बाद शेष रही राशि)

    रु 7,25,000 – 1,25,000 (80U की कटौती) = रु 6,00,000

    (i) आय के 10 प्रतिशत से अधिक देय किराया 72,000 – 60,000 = रु 12,000

    (ii) वास्तविक किराया = रु 72,000

    (iii) अधिकतम किराया प्रति माह 5,000 × 12 = रु 60,000

    (i), (ii) एवं (iii) में से कम कटौती योग्य राशि रहेगी। अर्थात रु 12,000

    (80GG की कटौती)

    कुल आय 7,25,000 – (80GG की कटौती 12,000 + 80U की कटौती 1,25,000) = रु 5,88,000

22 वित्तीय वर्ष 2018–19 में श्रीमान् जुगल किशोर की आय रु 7,40,000 थी, उन्होंने 2015–16 में अधिकोष से अपने बच्चे को एम.बी.ए. कराने हेतु 6,00,000 रु का ऋण लिया। गत वर्ष 2018–19 में उन्होंने प्रथम किश्त 1,50,000 रु अदा की जिसमें से 70,000 रु. मूल धन के थे। कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

(**उत्तरः** रु 6,60,000)

23. निम्न सूचना के आधार पर एक लेखक की कुल आय की गणना कीजिए–

(i) कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक पर अधिकार शुल्क रु 4,00,000 उस पर 25 प्रतिशत दर से अधिकार शुल्क रु 1,00,000

(ii) अधिकार शुल्क कमाने के लिए व्यय – रु 25,000

(iii) अन्य आय – 5,00,000

(**उत्तरः** रु 5,40,000)

24. श्री. रमन की कुल आय रु 3,00,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

(**उत्तरः** शून्य)

25. श्री. रमन की कुल आय रु 3,50,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

(**उत्तरः** 2,700)

26. श्री. चमन की कुल आय रु 5,50,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

(**उत्तरः** रु 23,400)

27. श्री. राजेंद्र जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी कुल आय रु 6,50,000 है, उस पर आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

(**उत्तरः** रु 31,200)

28. श्री. गजेंद्र जो वरिष्ठ नागरिक है, उनकी कुल आय रु 6,50,000 है, उस पर आयकर की गणना करनिर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए की गई है।

(**उत्तरः** रु 41,600)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. हानियों को आगे ले जाने की तथा उनकी पूर्ति के प्रावधानों को समझाएँ।

व्यवहारिक उदाहरण (Practical Problems)

2. 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री. संतोष जैन की आय का विवरण निम्न प्रकार से है–

(i) कान संपत्ति से आय (हानि) : रु 6,000

(ii) विविध ऋणों पर ब्याज की आय : रु 3,000

टिप्पणी

(iii) अनाज के व्यापार से लाभ : रु 2,90,000

(iv) सार्थ में हानि का हिस्सा : रु 18,000

(v) सट्टे की हानि : रु 3,200

(vi) लाभांश सकल : रु 5,000

(vii) अल्पकालीन पूँजी लाभ : रु 3,000

(viii) लघु उद्योग से हानि : रु 6,000

(ix) कृषि भूमि से आय : रु 4,500

(x) दीर्घ कालीन पूँजी लाभ : रु 14,000

विविध हानियों की आयों से पूर्ति करते हुए सकल कुल आय की गणना कीजिए तथा अग्रेषित हानि की राशि बताएँ।

(**उत्तर**: रु 2,80,500)

3. गत वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए श्रीमान् विष्णु की आय का विवरण निम्न प्रकार से है।

विवरण	गत वर्ष	
	2017–18	**2018–19**
व्यापारिक लाभ-हानि ऱ्हास पूर्व	(–) 55,000	35,000
चालू ऱ्हास	20,000	18,000
अन्य साधनों से आय	30,000	40,000

उपरोक्त जानकारी से कर निर्धारण वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के लिए श्रीमान् आर्य की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

(**उत्तर**: कर निर्धारण वर्ष 2018–19, सकल कुल आय NIL कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए अग्रेषित व्यवसाय की हानि रु 25,000 तथा अशोधित ऱ्हास रु 20,000 कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए सकल कुल आय रु 20,000 तथा अग्रेषित अशोधित व्यवसाय से हानि कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए रु 8,000)

4. कर निर्धारण अधिकारी ने श्रीमान् चंदन की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कुल आय रु 3,50,000 निर्धारित की, बाद में ज्ञात हुआ कि उसने कर निर्धारण वर्ष के समय निम्न बातों पर विचार नहीं किया–

(i) चालू वर्ष का ऱ्हास– रु 12,000

(ii) अग्रेषित अशोधित ऱ्हास– रु 15,000

(iii) कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से अग्रेषित व्यापार की अशोधित हानि– रु 3,000

उपरोक्त जानकारी से कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए श्रीमान् अमर की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

(**उत्तर**: रु 3,20,000)

5. श्रीमान् योगेंद्र एक निजी बैंक में प्रबंधक पद पर कार्यरत् हैं। उनके विवरण से धारा 80C के अंतर्गत कटौती ज्ञात कीजिए–

   (i) स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी की प्रव्याजी (पॉलिसी 2011 में ली गई) रु 22,000 का शोधन। (बीमा पॉलिसी मूल्य 2,00,000)

   (ii) अप्रमाणित भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 1,000

   (iii) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 95,000

   (iv) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII में विनियोग रु 18,000

   (v) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) VIII पर अर्जित ब्याज रु 8,000

   (vi) धनंजय के पिता की जीवन बीमा पॉलिसी के प्रव्याजी का धनंजय द्वारा भुगतान रु 5,000

   (vii) मकान निर्माण के लिए बैंक से लिए ऋण का भुगतान रु 21,000

   (**उत्तरः** कटौती के लिए पात्र राशि रु 1,64,000, कटौती योग्य राशि रु 1,50,000)

6. धारा 80G के अंतर्गत कटौती की गणना कीजिए–

   (i) सकल कुल आय – रु 3,00,000

   (ii) 80C से 80U में कटौती (80G छोड़कर) – रु 50,000

   (iii) राष्ट्रीय बाल कोष में दान – रु 30,000

   (iv) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान – रु 20,000

   (v) तकनीकी विकास और उपयोजन निधि – रु 10,000

   (vi) कोकिलाबेन अंबानी पुण्यार्थ संस्था (अनुमोदित) में दान– रु 10,000

   (vii) स्थानीय संस्था को परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु दान– रु 15,000

   (viii) खेलकूद संस्था को दान रु 20,000

   (**उत्तरः** रु 85,000)

7. हेमलता की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए सकल कुल आय रु 8,00,000 हैं जिन्होंने धनादेश द्वारा निम्न दान दिए है–

   (i) इलाहबाद विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय प्रतिष्ठित) में दान – रु 50,000

   (ii) महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूचाल से राहत कोष में दान – रु 20,000

   (iii) इंदिरा गाधी स्मृति ट्रस्ट में दान – रु 15,000

   (iv) प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में दान – रु 30,000

   हेमलता की कुल आय की गणना कीजिए। यदि उसकी सकल आय में अल्पकालीन पूँजी लाभ रु 5,000, दीर्घकालीन पूँजी लाभ रु 50,000 शामिल है, उसमें स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा प्रव्याजी के रु 4,000 तथा अपने जीवन पर जीवन बीमा प्रव्याजी के रु 6,000 का भुगतान धनादेश द्वारा किया है।

   (**उत्तरः** रु 6,97,500)

टिप्पणी

8. डॉ. रवि वर्मा जो एक शिक्षक हैं, गत वर्ष 2018–19 के संबंध में उनकी निम्न सूचनाएँ हैं–
   (i) मूल वेतन – रु 12,000 प्रति माह
   (ii) महंगाई भत्ता वेतन के 45 प्रतिशत
   (iii) वार्डनशिप भत्ता रु 400 प्रति माह
   (iv) परीक्षक पारिश्रमिक रु 3,000
   (v) स्कूलों के पुस्तकों से अधिकार शुल्क रु 22,500
   (vi) सरकारी प्रतिभूतियों पर सकल ब्याज रु 5,000
   (vii) कर मुक्त ऋणपत्रों पर सकल ब्याज रु 3,000 (ऋणपत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्गमित एवं अधिसूचित है।)
   (viii) विदेशी कंपनियों से अंशों पर लाभांश – रु 2,500
   (ix) मकान संपत्ति से आय आगणित – रु 1,50,000
   (x) वैधानिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 5,000
   (xi) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान रु 12,000
   (xii) पिता के स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा के प्रव्याजी का शोधन चेक द्वारा रु 5,000
   (xiii) साईं बाबा ट्रस्ट, शिर्डी को धनादेश द्वारा दान रु 20,000

   (**उत्तर**: रु 3,22,000)

9. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर गोपालनाथ की कुल आय की गणना कीजिए–
   (i) वेतन से आय – रु 2,08,000
   (ii) मकान संपत्ति से आय – रु 76,000
   (iii) अंश पर दीर्घकालीन लाभ – रु 81,000
   (iv) बिल्डिंग पर दीर्घकालीन लाभ – रु 1,90,000
   (v) अन्य साधनों से आय – रु 24,000
   (vi) घुड़दौड़ से प्राप्त ईनाम की राशि (सकल) – रु 68,000

   निम्न कटौतियाँ धारा 80C से 80U के संबंध में दी है–
   (i) 80C के संबंध में कटौती रु 86,000
   (ii) धारा 80D के संबंध में कटौती रु 5,000
   (iii) धारा 80G के संबंध में कटौती रु 10,000

   (**उत्तर**: रु 4,65,000)

10. श्री सुरेंद्र एक व्यापारी हैं, कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उनकी आय निम्न है–
    (a) व्यापार से आय रु 5,44,500
    (b) मकान संपत्ति की आय (गणना की गई) रु 24,000
    (c) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज रु 20,000
    (d) दीर्घकालीन पूँजी लाभ – रु 12,000

    उन्होंने गत वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम का रु 5,000 का भुगतान किया।

    उपर्युक्त जानकारी के आधार पर श्री सुरेंद्र के कर दायित्व की गणना कीजिए।

    (**उत्तर:** शुद्ध कर दायित्व रु 35,050)

11. निम्नलिखित विवरण से श्री. सूरदास के कर निर्धारण वर्ष के लिए कर दायित्व की गणना कीजिए–
    (a) वेतन – रु 1,89,000
    (b) व्यापार से आय – रु 4,70,000
    (c) कॉलेज पुस्तकों से प्रति लिपिकाधिकार शुल्क – रु 30,000
    (d) मकान संपत्ति से किराया – रु 20,000
    (e) लाभांश से आय – रु 15,200
    (f) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज – रु 8,800
    (g) अवयस्क पुत्र की आय – रु 15,000
    (h) दीर्घकालीन पूँजी लाभ – रु 30,000
    (i) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा – रु 30,000
    (j) जीवन बीमा प्रव्याजी का भुगतान – रु 10,000
    (k) स्वास्थ्य बीमा प्रव्याजी चेक द्वारा शोधन – रु 8,000
    (l) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान – रु 5,000

    (**उत्तर:** कुल आय रु 6,32,300, कर दायित्व रु 40,518)

4.10 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. आयकर विधान एवं लेखे – डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, डॉ. एस.पी. गोयल, (प्रकाशक–साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 60वां संशोधित संस्करण)
2. आयकर – डॉ. ए.के. धगट, संजय भार्गव, (प्रकाशक–रमेश बुक डिपो, जयपुर)
3. Taxation Laws Simplified – Tarun Bansal, Dr. Monika Tushar Bohra, (Publisher – Tax Guru Publication House, Delhi.).

टिप्पणी

4. Income Tax: AY 2019-20 - CS K.K. Agrawal
5. Handbook on Income Tax - CA. Raj K. Agrawal, (Publisher – Bharat Law Publishers)
6. Income Tax Act 1961
7. Income Tax Rules 1962
8. Law and Practice of Income Tax in India , Bhagwati Prasad.
9. Direct Tax Law – Dinkar Pagare (Publisher – Sultan Chand and Sons, New Delhi).

इकाई 5 कर निर्धारण की कार्य विधि, उद्गम स्थान पर कटौती, कर अग्रिम भुगतान, आयकर पदाधिकारी, अपील, पुनर्विचार व अर्थदंड (Assessment Procedure, Tax Deduction at Source, Advance Payment of Tax, Income Tax Authorities, Appeal, Revision and Penalties)

संरचना (Structure)

5.0 परिचय

5.1 उद्देश्य

5.2 कर निर्धारण कार्य विधि

5.3 आय विवरणी

- 5.3.1 आय विवरणी का अर्थ
- 5.3.2 आय विवरणी की प्रस्तुति
  - 5.3.2.1 ऐच्छिक आय विवरणी प्रस्तुत करना धारा 139(1)
  - 5.3.2.2 अनिवार्य आय विवरणी दाखिल करना धारा 142(2)
  - 5.3.2.3 आय विवरणी तथा करदाता दर्शक सारणी
  - 5.3.2.4 आय विवरणी प्रस्तुत करने के अपवाद
  - 5.3.2.5 आय विवरणी प्रस्तुत करने की पद्धति
    - 5.3.2.5.1 हस्तलिखित आय विवरणी प्रस्तुति
    - 5.3.2.5.2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल हस्ताक्षर समेत एवं समंकों का इलेक्ट्रॉनिकली तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेरीफिकेशन कोड के साथ आय विवरणी प्रस्तुति
  - 5.3.2.6 आय विवरणी (रिटर्न) ई–फाइल करने की प्रविधि
  - 5.3.2.7 आय विवरणी ई–फाइल करने के लाभ
  - 5.3.2.8 आय विवरणी ई–फाइल करने के लिए आयकर विभाग द्वारा दी गई सुविधाएँ
  - 5.3.2.9 आय विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि सारणी
  - 5.3.2.10 आय विवरणी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता
  - 5.3.2.11 आय विवरणी देरी से प्रस्तुत करने के परिणाम
  - 5.3.2.12 आय की संशोधित आय विवरणी धारा 139(5)
  - 5.3.2.13 आय की दोषपूर्ण आयकर विवरणी धारा 139(9)

5.4 कर निर्धारण के प्रकार

- 5.4.1 स्वयं कर निर्धारण धारा 140(A)
- 5.4.2 नियमित कर निर्धारण धारा 143(1)
- 5.4.3 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण धारा 144
- 5.4.4 पुनः कर निर्धारण धारा 147
- 5.4.5 संरक्षणात्मक कर निर्धारण

5.5 स्थायी खाता क्रमांक धारा 139(A)

- 5.5.1 प्रस्तावना
- 5.5.2 पॅन कार्ड की अनिवार्यता

5.6 उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती धारा 190
- 5.6.1 प्रस्तावना
- 5.6.2 उद्‌गम स्थान पर कटौती
- 5.6.3 उद्‌गम स्थान पर कर कटौती के उद्देश्य
  - 5.6.3.1 कर चोरी की रोकथाम करना
  - 5.6.3.2 आयकर का दायरा व्यापक करना
  - 5.6.3.3 केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाना
  - 5.6.3.4 कर वसूली की गति बढ़ाना
  - 5.6.3.5 आयदाता के उत्तरदायित्व निर्धारित करना
- 5.6.4 उद्‌गम स्थान पर कटौती के शीर्षक दर तथा छूट की सारणी
- 5.6.5 उद्‌गम स्थान पर कर कटौती की संकलित कर राशि राजस्व कोष में जमा करने की मियाद
- 5.6.6 उद्‌गम स्थान पर कर कटौती के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रावधान
- 5.6.7 कर कटौती एवं संग्रहण खाता क्रमांक
- 5.6.8 उद्‌गम स्थान पर कर संकलन का अर्थ
- 5.6.9 उद्‌गम स्थान पर कर संकलन दर सारणी

5.7 अग्रिम कर
- 5.7.1 प्रस्तावना
- 5.7.2 आयकर अधिनियम के अनुसार अग्रिम कर के संबंध में विशेष प्रावधान
  - 5.7.2.1 अग्रिम कर चुकाने के लिए आय का निर्धारण धारा 207
  - 5.7.2.2 अग्रिम कर दायित्व धारा 208
  - 5.7.2.3 अग्रिम कर की गणना धारा 209
  - 5.7.2.4 अग्रिम कर की किश्तें तथा देय तिथियाँ
  - 5.7.2.5 अग्रिम कर के लिए जमा धारा 219
  - 5.7.2.6 सरकार द्वारा देय ब्याज धारा 214
  - 5.7.2.7 करदाता का दोषी होना धारा 218
  - 5.7.2.8 अग्रिम कर जमा कराने में दोषी हो जाने पर ब्याज
  - 5.7.2.9 कर वसूली एवं कर वापसी
    - 5.7.2.9.1 कर वसूली धारा 122
    - 5.7.2.9.2 कर वापसी धारा 237

5.8 आयकर प्राधिकारी
- 5.8.1 प्रस्तावना
- 5.8.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
  - 5.8.2.1 प्रस्तावना
  - 5.8.2.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की संरचना
  - 5.8.2.3 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार
- 5.8.3 आयकर महानिदेशक
  - 5.8.3.1 प्रस्तावना
  - 5.8.3.2 आयकर महानिदेशक के अधिकार एवं कार्य
- 5.8.4 संयुक्त कमिश्नर, उप–निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त
  - 5.8.4.1 प्रस्तावना
  - 5.8.4.2 संयुक्त कमिश्नर के कार्य
  - 5.8.4.3 संयुक्त कमिश्नर के अधिकार
- 5.8.5 कर निर्धारण अधिकारी धारा 2(7A)
  - 5.8.5.1 प्रस्तावना
  - 5.8.5.2 आयकर निर्धारण अधिकारी के कार्य एवं अधिकार

5.9 अपील, पुनर्विचार एवं अर्थदंड
- 5.9.1 अपील
- 5.9.2 आयुक्त द्वारा पुनर्विचार धारा 263 तथा 264
- 5.9.3 आयुक्त अपील
- 5.9.4 अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 252

5.9.5 उच्च न्यायालय में अपील
5.9.6 सर्वोच्च न्यायालय में अपील
5.10 अर्थदंड तथा प्रावधान
5.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
5.12 सारांश
5.13 मुख्य शब्दावली
5.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.15 सहायक पाठ्य सामग्री

5.0 परिचय (Introduction)

कर निर्धारण प्रक्रिया एवं उसकी कार्यविधि करदाता द्वारा आयकर विवरणी आयकर विभाग में प्रस्तुत करने के पश्चात् आरंभ होती है। यह विधि देय कर की गणना एवं माँग की नोटिस जारी होने तक जारी रहती है। आयकर निर्धारण के लिए करदाता होना अनिवार्य है।

आयकर विवरणी के विभिन्न प्रारूप हैं, इनमें से उचित प्रारूप का चयन कर आयकर विवरणी आयकर विभाग में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। आयकर विवरणी से करदाता को आयकर विवरणी शीघ्रता से प्रस्तुत करना संभव होता है तथा कर वापसी शीघ्र मिलती है। आयकर विवरणी करदाता द्वारा देय तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कर निर्धारण के विभिन्न प्रकार हैं–

- स्वयं कर निर्धारण
- नियमित कर निर्धारण
- सर्वोत्तम कर निर्धारण
- पुनः कर निर्धारण
- संरक्षणात्मक कर निर्धारण

आयकर विभाग करदाता को स्थायी खाता क्रमांक से पहचानता है। आयदाता को आयकर अधिनियम के तहत् उद्‌गम स्थान पर कर कटौती तथा उद्‌गम स्थान पर जो राशि प्राप्त होती है, उस पर कर संकलन करना होता है। साथ ही, उसे राजस्व कोष में मियाद के भीतर जमा करना आवश्यक होता है, इसलिए उन्हे TAN नंबर लेना अनिवार्य है।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत् करदाता को गत वर्ष की आय पर अग्रिम कर चुकाना होता है। उसके विशेष प्रावधान हैं तथा अग्रिम कर के किश्तों के भुगतान की तिथियाँ भी निर्धारित की गई हैं।

आयकर अधिनियम 1961 को प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए आयकर प्राधिकारियों की व्यवस्था की गई है, इनमें से प्रत्यक्ष केंद्रीय कर बोर्ड, सर्वोच्च संस्था है। इस संस्था के अंतर्गत विभिन्न अधिकारी कार्य करते हैं। आयकर भुगतान में चूक हुई, तो जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी मुद्दों को

विस्तारपूर्वक, विवेचनात्मक प्रस्तुत इकाई में किया गया है, ताकि कर निर्धारण प्रक्रिया कैसी होती है? कर निर्धारण की प्रविधि क्या है? यह आसानी से समझ सकें।

5.1 उद्देश्य (Objectives)

इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि–

- कर निर्धारण प्रक्रिया समझने में सहायक।
- आय विवरणी का अर्थ तथा विभिन्न प्रकार की आय विवरणीयाँ समझने में सहायक।
- कर निर्धारण के विभन्न प्रकार समझने में सहायक।
- उद्‌गम स्थान पर कर कटौती तथा कर संकलन समझने में सहायक।
- अग्रिम कर तथा उसके प्रावधान समझने में सहायक।
- आयकर प्राधिकरण का ढाँचा समझने में सहायक।

5.2 कर निर्धारण कार्य विधि (Assessment Procedure)

आयकर कर निर्धारण प्रक्रिया/कार्य विधि किसी करदाता के द्वारा अपनी आयकर विवरणी, आयकर विभाग में दाखिल करने के पश्चात् आरंभ होती है तथा यह विधि देय कर की गणना एवं माँग की नोटिस जारी होने तक चलती है। यह कार्य विधि विशेष कर निर्धारण वर्ष के लिए होती है। उसे कर निर्धारण वर्ष बदलने के पश्चात् पुनः दोहराया जाता है।

5.3 आय विवरणी (Return of Income)

5.3.1 आय विवरणी का अर्थ (Meaning of the Return of Income)

आयकर दायित्व के निर्धारण के लिए प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो, उन्हें एक निर्धारित प्रारूप में निर्धारण तिथि तक आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। एक कंपनी अथवा फर्म को आय विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, चाहे गत वर्ष में कंपनी करदाता को हानि हुई हो। अन्य किसी व्यक्ति के लिए (कंपनी अथवा सार्थ को छोड़कर) अपनी आय विवरणी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयकर विभाग में प्रस्तुत करना होता है। सहकारी संस्था, स्थानीय संस्था को आय विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बशर्ते उनको गत वर्ष कुछ आय प्राप्त हुई हो। आयकर विवरणी के लिए आय का अर्थ अध्याय VI-A की कटौती देने के पूर्व की आय।

5.3.2 आय विवरणी की प्रस्तुति (Filling the Return of Income)

आय विवरणी प्रस्तुति स्वइच्छा तथा अनिवार्यता से करदाता को प्रस्तुत करना होता है।

5.3.2.1 ऐच्छिक आय विवरणी प्रस्तुत करना धारा 139(1) (Voluntary Filling the Return of Income Section 139(1))

कर निर्धारण अधिकारी के आय विवरणी प्रस्तुत करने की नोटिस के बगैर जो करदाता स्वयं अपनी इच्छा से आय विवरणी प्रस्तुत करता है उसे ऐच्छिक आय विवरणी प्रस्तुत करना कहते हैं। यह विवरणी वह करदाता प्रस्तुत करता है, जिसकी आय कर मुक्त आय सीमा से अधिक होती है तथा करदाता को आयकर प्रावधानों के तहत उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस स्थिति में करदाता स्वइच्छा से आय विवरणी आयकर विभाग को प्रस्तुत करता है, उसे स्वइच्छा से आय विवरणी प्रस्तुत करना कहते हैं।

स्वइच्छा से आय विवरणी एक व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी, फर्म, साधारण निवासी करदाता तथा जिस व्यक्ति की भारत के बाहर संपत्ति हो। साथ ही, पुण्यार्थ संस्था, स्थानीय संस्था, राजनीतिक दल आदि व्यक्ति अपनी आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

5.3.2.2 अनिवार्य आय विवरणी दाखिल करना धारा 142(2) (Mandatory Filling the Return of Income Section 142(2))

कर निर्धारण अधिकारी उन करदाताओं को आय विवरणी दाखिल करने को कहते हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है, लेकिन इसके बावजूद मियाद में आय विवरणी दाखिल नहीं की हो, तब कर निर्धारण अधिकारी विवरणी प्रस्तुत करने की नोटिस जारी करता है। उसे अनिवार्य आय विवरणी दाखिल करना कहते है।

अर्थात् करदाता को आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत करने को कहता है, उसे अनिवार्य आय विवरणी प्रस्तुत करना कहते हैं।

5.3.2.3 आय विवरणी तथा करदाता दर्शक सारणी (Table of the Return of Income and Assesse)

सारणी क्र. 5.1

आयकर विवरणी प्रारूप	आयकर विवरणी प्रयुक्त करने वाले करदाता
ITR-1 सहज	ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत में साधारण निवासी हो– वेतनभोगी तथा पेंशनधारी करदाता जिसकी आय वेतन तथा पेंशन से हो तथा उसके पास एक मकान संपत्ति हो तथा अन्य साधनों से आय (आकस्मिक् आय छोड़कर) हो, उनकी कुल आय 50 लाख रु तक है, उन्हें ITR-1 सहज का भुगतान करना होता है। **अपवादः** 1. वह किसी कंपनी के संचालक हैं। 2. उनके पास गत वर्ष में कभी भी असूचिबद्ध साधारण अंश थे। 3. भारत के बाहर संपत्ति हो। 4. उनकी आय शेयर बाजार से हो। 5. कृषि आय पाँच हजार रुपए से अधिक हो। 6. उसे लॉटरी तथा घुड़दौड़ से आय हो तथा अन्य।
ITR-2A	जिस एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार करदाता की आय कर निर्धारण वर्ष 2018–19 में व्यवसाय व पेशा, पूँजी लाभ का समावेश न हो, ऐसे व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार जिन्होंने विदेशी कर क्रेडिट तथा उनकी संपत्ति भारत के बाहर स्थित है और कर्ता तथा करदाता भारत के बाहर हैं, तो उन्हें वह ITR-2 का उपयोग नहीं कर सकते।
ITR-2	जिस एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार करदाता की आय विभिन्न स्त्रोत व्यापार व पेशा को छोड़कर है। अर्थात् वेतन, गृह संपत्ति से आय, शेयर से आय हो तथा जो करदाता ITR-1 नहीं भर सकते, वह करदाता इसका उपयोग कर सकते हैं।
ITR-3	एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार करदाता को व्यवसाय तथा पेशा तथा सार्थ से आय प्राप्त हुई हो (एकल व्यापारी संस्था तथा पेशा से आय छोड़कर)।
ITR-4	एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार जो एकल व्यापार में कार्यरत् है।
ITR-4S सुगम	एक व्यक्ति तथा हिंदू अविभाजित परिवार करदाता तथा भागिता सार्थ जिन्होंने अनुमानित कर योजना धारा 44AD तथा 44AE अपनाई है, उन्हें ITR-4S सुगम का उपयोग करना होता है।

टिप्पणी

ITR-5	स्थानीय संस्था, व्यक्तियों का संघ (BOI), व्यक्तियों का समूह (BOP), सार्थ, सीमित दायित्व भागीदारी (LLP), कृत्रिम व्यक्ति सहकारी संस्था निम्न को छोड़कर जिनकी आय धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) या 139(4E) या 139(4F) में हो, वे ITR-5 का उपयोग नहीं कर सकते। (**उदा.** ट्रस्ट, राजनीतिक दल, संस्था, महाविद्यालय, विनियोग निधि आदि ITR-5 प्रयुक्त नहीं कर सकते।)
ITR-6	ITR-6 वह कंपनियाँ प्रयुक्त कर सकती हैं, जिन्होंने धारा 11 के अंतर्गत छूट नहीं पाई हो।
ITR-7	कंपनी जिन्होंने विवरणी धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) या 139(4E), 139(4F) के तहत् प्रस्तुत की हो। उनमें न्यास राजनीतिक दल, कॉलेज, विनियोग निधि का समावेश होता है।
ITR-V	आयकर विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी की अभिस्वीकृति (एक्नॉलेजमेंट)

5.3.2.4 आय विवरणी प्रस्तुत करने के अपवाद (Exception for Filling the Return of Income)

जिनकी न्यूनतम आय कर योग्य सीमा से कम हो, उन्हें आय विवरणी भरना आवश्यक नहीं, वह निम्न हैं।

सारणी क्र. 5.2

क्र.	भारत में निवासी करदाता	कर मुक्त सीमा
1	वरिष्ठ नागरिकः जिनकी आयु गत वर्ष में कभी भी 60 वर्ष से अधिक, परंतु 80 वर्ष से कम	3 लाख रु
2	अति वरिष्ठ नागरिकः जिनकी आयु गत वर्ष में कभी भी 80 वर्ष या उससे अधिक	5 लाख रु
3	अन्य व्यक्ति (अति वरिष्ठ तथा वरिष्ठ नागरिक छोड़कर) स्त्री–पुरूष, हिंदु अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समूह एवं व्यक्तियों का संघ	2 लाख 50 हजार रु

5.3.2.5 आय विवरणी प्रस्तुत करने की पद्धति (Modes of Filling the Return of Income)

आयकर विवरणी निम्न पद्धतियों से जमा की जा सकती हैं–

1. हस्तलिखित आय विवरणी प्रस्तुति।
2. इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल हस्ताक्षर समेत एवं समंकों का इलेक्ट्रॉनिकली तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेरीफिकेशन कोड के साथ आय विवरणी प्रस्तुति।

5.3.2.5.1 हस्तलिखित आय विवरणी प्रस्तुति (Filling the Return of Income by Handwritten)

टिप्पणी

करदाता किस श्रेणी में आता है, उस संबंधित आयकर विवरणी प्रारूप का चयन करना चाहिए। तथा उस संबंध में आवश्यक जानकारी संकलित कर आय विवरणी को इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है तो, वह इसे हाथ से भरकर तथा सत्यापित कर आयकर विभाग में जमा कर सकता है। यदि करदाता को अपनी आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना आवश्यक है तो उसे पहले, आय विवरणी को हाथ से भर देना चाहिए, ताकि ऑनलाइन आवेदन भरते समय दिक्कत नहीं आए।

5.3.2.5.2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल हस्ताक्षर समेत एवं समंकों का इलेक्ट्रॉनिकली तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेरीफिकेशन कोड के साथ आय विवरणी प्रस्तुति (Filling the Return of Income by Electronics Digital Signature and Electronic Data with Electronics Verification Code)

सारणी क्र. 5.3

करदाता	एक व्यक्ति करदाता या एक हिंदू अविभाजित परिवार ITR-1 व ITR-2
शर्त व पद्धति	(i) धारा 44AB के तहत् खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है। ऐसे करदाता को इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल हस्ताक्षर कर आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए।
	(ii) अति वरिष्ठ भारतीय नागरिक जिनकी आयु गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष या उससे ज्यादा हो। ITR-1 (सहज) अथवा ITR-4 (सुगम) दाखिल किया है। आय का रिटर्न दाखिल करने की पद्धतियाँ– (A) इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल हस्ताक्षर या (B) समंकों का इलेक्ट्रॉनिकली स्थानांतर इलेक्ट्रॉनिकली व्हेरीफिकेशन कोड के साथ या (C) इलेक्ट्रॉनिकली – तत्पश्चात्, ITR–V फॉर्म को सत्यापित कर भेजना या (D) पेपर प्रारूप में
किसी अन्य स्थिति में	(iii) किसी अन्य स्थिति में जैसा– ऊपर (A) या (B) या (C) में बताया गया है।
कंपनी करदाता	कंपनी ITR6 सभी स्थितियों में इलेक्ट्रॉनिकली डिजीटल हस्ताक्षर

राजनीतिक दल करदाता	राजनीतिक दल ITR7 इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल हस्ताक्षर
फर्म या सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का समूह जिन्हें ITR5 में रिटर्न दाखिल करना है।	(i) ऐसे करदाता जिन्हों धारा 44AB के अंतर्गत खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। ITR5 इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल हस्ताक्षर
	(ii) अन्य स्थिति में, जैसा– ऊपर (A) या (B) या (C) में बताया गया है।

5.3.2.6 आय विवरणी (रिटर्न) ई–फाइल करने की प्रविधि (Process of e-filling the Return of Income)

वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ।

↓

अपेक्षित ITR प्रारूप चुनें और चुने हुए प्रारूप के लिए तैयार करने का सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करें।

↓

करदाता ने अपनी आय विवरणी अपनी सुविधा के अनुसार हाथ से भरकर तैयार कर लें तथा आय विवरणी को अपलोड करने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाएँ।

↓

यदि आय विवरणी पर डिजिटल हस्ताक्षर हैं या आय विवरणी सत्यापन कोड द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हैं, तो सफल अपलोड के रसीद की प्रिंट लें।

↓

एक ITR-V प्रारूप पर हस्ताक्षर कर भलीभाँति सत्यापित कर आयकर विवरणी दाखिल करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से आयकर विभाग CPC पोस्ट बैग नं. 1 इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु – 560110 (कर्नाटक)।

5.3.2.7 आय विवरणी ई–फाइल करने के लाभ (Advantages of e-filling the Return of Income)

1. इस विधि से करदाता को अपनी आय विवरणी शीघ्र गति से प्रस्तुत करना संभव है।
2. इस विधि से करदाता को कर वापसी (रिफंड) जल्द मिलता है।
3. आय विवरणी ई–फाइल की सुविधा कहीं भी उपलब्ध होती है।
4. यह विधि सुविधाजनक एवं सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन है।
5. इस विधि में समंकों की उच्चतर सत्यता रहती है।
6. यह विधि पर्यावरण पूरक है, क्योंकि यह कागज रहित होती है।

5.3.2.8 आय विवरणी ई–फाइल करने के लिए आयकर विभाग द्वारा दी गई सुविधाएँ (Facility for e-filling the Return of Income by Income Tax Department)

1. आयकर विवरणी तैयार करने का सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है।
2. कर पर उचित ब्याज की शीघ्र गणना करना संभव।
3. ई–फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध।
4. कर वापसी करदाता के संबंधित बैंक खाते में जमा।
5. आयकर विवरणी पुनश्च जाँच करने के लिए ऑनलाइन (24 × 7) उपलब्ध।
6. बिना पंजीकरण किए करदाता द्वारा अदा किए गए एवं कटौती हुए सभी करों के विवरण के लिए टॅक्स जमा विवरण (प्रारूप – 26AS) देखने के लिए उपलब्ध होता है।

5.3.2.9 आय विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि सारणी (Table: Due Date for Filling the Return of Income)

सारणी क्र. 5.4

क्र.	करदाता	देय तिथि
1	कंपनी करदाता	30 सितंबर (कर निर्धारण वर्ष की)
2	अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार 92E के अंतर्गत	30 सितंबर (कर निर्धारण वर्ष की)
3	कंपनी के अतिरिक्त जिन्हें अपने खाते अंकेक्षत कराना होता है	30 सितंबर (कर निर्धारण वर्ष की)
4	अन्य स्थिति में	31 जुलाई (कर निर्धारण वर्ष की)

5.3.2.10 आय विवरणी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता (Necessity of Filling the Return of Income)

वार्षिक वित्तीय अधिनियम 1998 के अंतर्गत एक बटा छह (One by Six) योजना को अमल में लाया गया। इस योजना के तहत् करदाता की आय न्यूनतम कर सीमा से अधिक नहीं है, लेकिन वह निम्न छह आर्थिक आधारों पर किसी एक आधार के अंतर्गत आ रहा हो, तो उसे आय विवरण जमा करवाना अनिवार्य है–

1. वह ऐसे क्लब का सदस्य है, जिसका प्रवेश शुल्क 25 हजार रुपए या उससे अधिक है।
2. एक ऐसा व्यक्ति जिसका गत वर्ष में बिजली उपभोग व्यय 500 रुपये या उससे अधिक है।
3. वह व्यक्ति बैंक या किसी संस्था द्वारा क्रेडिट कार्ड का धारक है, लेकिन जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं है।
4. करदाता ने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर व्यय किया हो तो।
5. करदाता का निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाली स्थायी संपत्ति का स्वामी हो।
6. करदाता के पास मोटार कार है या मोटर कार को पट्टे पर लिया है।

यह सभी शर्तें अनिवासी करदाता के लिए लागू नहीं है। इन छह शर्तों में से 4 थी शर्त उन करदाताओं के लिए लागू नहीं है, जो गत वर्ष के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष से हो गए है या जिनकी आयु उससे अधिक है और जो किसी प्रकार के व्यवसाय एवं पेशे से नहीं जुड़े हैं।

5.3.2.11 आय विवरणी देरी से प्रस्तुत करने के परिणाम (Effects of Belated Filling the Return of Income)

1. कराधान अधिकारी करदाता को उचित अवसर देने के पश्चात् एक पक्षीय कर निर्धारण कर सकता है जिसको सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर निर्धारण भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे कर निर्धारण में कराधान अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सर्वोत्तम निर्णय लेकर कर की राशि निर्धारित करता है। इस प्रकार एक पक्षीय कर निर्धारण अनुमान के आधार पर किया जाता है परंतु न्यायालयों के निर्णय के अनुसार इस प्रकार का अनुमान समुचित होना चाहिए।
2. इसके अतिरिक्त करदाता को देय राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देना पड़ता है। यह ब्याज निर्धारित तिथि से विवरणी जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए या यदि एक पक्षीय कर निर्धारण कर दिया गया हो, तो विवरणी की निर्धारित तिथि से एक पक्षीय कर निर्धारण पूर्ण होने तक निकाला जाता है। यह ब्याज कर निर्धारण पूरा हो जाने पर

टिप्पणी

देय आयकर की राशि पर निकाला जाता है तथा यह अग्रिम कर की राशि पर देय ब्याज के अतिरिक्त होता है।

3. इसके अतिरिक्त आयकर विभाग करदाता के विपरीत उपयुक्त मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकद्दमा भी चला सकता है जिसके निर्णय के आधार पर करदाता को कड़ी कैद की सज़ा हो सकती है। इसके तहत् 3 माह से 3 वर्ष तक कारावास की सजा तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

5.3.2.12 आय की संशोधित आय विवरणी धारा 139(5) (Revised Return of Income Section 139(5))

जब करदाता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की विवरणी के पश्चात् उसे ऐसा लगता है कि उससे कुछ भूल हो गई है, तब करदाता द्वारा संबंधित कर निर्धारण वर्ष समाप्ति के पहले तथा कर निर्धारण के पूर्व (दोनों में से जो पहले हो) संशोधित आयकर विवरणी दाखिल कर सकता है। अगर संशोधित आयकर विवरणी असत्य पाई गई, तो उसे धारा 277 के तहत् दंडित किया जा सकता है।

5.3.2.13 आय की दोषपूर्ण आय विवरणी धारा 139(9) (Defective Return of Income Section 139(9))

करदाता द्वारा दाखिल की गई आय विवरणी में यदि कर निर्धारण अधिकारी दोष या कमियाँ पाता है, तो वह करदाता को सूचनापत्र भेजकर सूचित करेगा तथा करदाता को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का अवसर देगा। समय सीमा के भीतर करदाता द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर उसके पश्चात् विवरणी प्रस्तुति की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

निम्न परिस्थितियों में आय विवरणी दोषपूर्ण मानी जाती है

1. यदि विवरणी के साथ कर की गणना का विवरण संलग्न नहीं हो।
2. विवरण के साथ सूचित किए गए दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई हो।
3. धारा 44AB के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं जोड़ा हो।
4. संकिलत किए गए TDS या अग्रिम कर या स्वयं कर निर्धारण प्रमाण पत्र नहीं जोड़ा हो।
5. ITR के साथ अंतिम विवरण नहीं संलग्न किया हो।
6. जिस व्यवसाय को परिव्यय अंकेक्षण की आवश्यकता है, ऐसे व्यवसाय के ITR के साथ परिव्यय अंकेक्षण का प्रतिवेदन नहीं जोड़ा हो।
7. एकल व्यापारी तथा साझेदारी के व्यवसाय को ITR के साथ एकल व्यापारी तथा साझेदार का पूँजी लेखा संलग्नित नहीं हो।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. अति वरिष्ठ नागरिक के आय की कर मुक्त सीमा __________ है।
   (क) रु 2,50,000 (ख) रु 3,00,000
   (ग) रु 5,00,000 (घ) इनमें से कोई नहीं
2. रमेश जिसकी आयु 58 वर्ष है, को आय रिटर्न दाखिल करना होगा, बशर्ते उसकी सकल कुल आय __________ से अधिक होनी चाहिए।
   (क) रु 2,50,000 (ख) रु 3,00,000
   (ग) रु 5,00,000 (घ) इनमें से कोई नहीं
3. एक व्यक्ति करदाता की आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि __________ है।
   (क) 30 जून (ख) 31 अगस्त
   (ग) 31 जुलाई (घ) 30 सितंबर
4. एक व्यक्ति जिसकी वेतन या पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आय है, उन के लिए ITR __________ फार्म निर्धारित है।
   (क) 1 (ख) 2
   (ग) 2 (घ) 4
5. __________ योजना के अंतर्गत जिन करदाता की न्यूनतम आय कर सीमा से अधिक नहीं है, आयकर विवरणी जमा करवाना अनिवार्य है।
   (क) 1/6 (ख) 1/2
   (ग) 1/5 (घ) इनमें से कोई नहीं
6. __________ किसी करदाता के द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करने के पश्चात् आरंभ होती है तथा यह प्रविधि देय कर की गणना एवं माँग नोटिस जारी करने तक चलती रहती है।
   (क) उद्‌गम स्थान पर कर कटौती
   (ख) अग्रिम कर
   (ग) अर्थदंड
   (घ) कर निर्धारण कार्य विधि

5.4 कर निर्धारण के प्रकार (Types of Assessment)

कर निर्धारण के प्रकार निम्न हैं–

1. स्वयं कर निर्धारण
2. नियमित कर निर्धारण
3. सर्वोत्तम कर निर्धारण

4. पुनः कर निर्धारण
5. संरक्षणात्मक कर निर्धारण

टिप्पणी

5.4.1 स्वयं कर निर्धारण धारा 140(A) (Self Assessment Section 140(A))

जब करदाता स्वयं कुल आय की गणना कर, उस पर आयकर की गणना करता है तथा स्वयं आयकर का निर्धारण कर राशि का भुगतान करता है, तो उसे स्वयं कर निर्धारण कहते हैं। यह विवरणी दाखिल करने के पूर्व आगणित कर में से अग्रिम कर को घटाने के पश्चात् शेष कर तथा अग्रिम कर भुगतान में देरी हुई हो, तो उस राशि पर ब्याज का शोधन करना होगा।

5.4.2 नियमित कर निर्धारण धारा 143(1) (Regular Assessment Section 143(1))

करदाता द्वारा जमा की गई आय की विवरणी के आधार पर, आयकर अधिकारी कर का निर्धारण कर सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए–

(i) आय की विवरणी के आधार पर यदि कोई कर अथवा उस पर ब्याज की राशि करदाता पर और निकली है, तो उन्हें भुगतान हेतु करदाता को सूचना भेजी जाएगी।

(ii) यदि करदाता ने अधिक रकम जमा कर दी है, तो इसके लिए वापसी भेजी जाएगी। समायोजन – प्रस्तुत कर की अतिरिक्त रकम अथवा वापस की रकम की गणना करने से पूर्व कुछ समायोजन किए जाएँगे–

- गणितीय अशुद्धियों एवं अशोधित हानि में सुधार।
- आगे लाई गई हानियाँ, कटौतियाँ व छूटें जिनकी माँग की गई है।

5.4.3 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण धारा 144 (Best Judgment Assessment Section 144)

कर निर्धारण अधिकारी सभी संबंधित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आय अथवा हानि का अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर का निम्न स्थिति में निर्धारण करेगा–

1. जब व्यक्ति आय विवरणी जमा नहीं करता है।
2. जब व्यक्ति नोटिस की शर्तें पूरी नहीं करता है।

सर्वात्तम निर्णय कर निर्धारण के परिणाम

1. कर की वापसी अस्वीकृत की जा सकती है।
2. करदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
3. उप आयुक्त की पूर्व अनुमति से उसका पंजीयन रद्द किया जा सकता है।

5.4.4 पुनः कर निर्धारण धारा 147 (Revised Assessment Section 147)

टिप्पणी

यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी कारण से यह विश्वास हो जाए कि करदाता का कर निर्धारण करते समय किसी गत वर्ष की आय, कर लगने से छूट गई है, तो वह पुनः कर का निर्धारण कर सकता है। पुनः कर निर्धारण करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी करदाता को अपनी आय की विवरणी जमा करने हेतु एक नोटिस जारी करेगा। कर निर्धारण अधिकारी को ऐसा करने के लिए आवश्यक कारणों को रिकार्ड करना होता है।

5.4.5 संरक्षणात्मक कर निर्धारण (Protective Assessment)

जब प्रथम दृष्टिकोण में यह मालूम न हो सके कि वास्तव में आय किस व्यक्ति ने प्राप्त की है और यह प्रतीत हो कि या तो आय 'ए' ने अथवा 'बी' ने या दोनों ने प्राप्त की है, तो कर निर्धारण अधिकारी 'ए' एवं 'बी' दोनों के खिलाफ आय का कर निर्धारण करने की कार्यविधि प्रारंभ कर सकता है ताकि वह उसमें से किसी एक को कर चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहरा सके। इस प्रकार के कर निर्धारण में करदाता से कर की वसूली नहीं की जा सकती।

5.5 स्थायी खाता क्रमांक (PAN – Permanent Account Number) धारा 139(A)

5.5.1 प्रस्तावना (Introduction)

स्थायी खाता क्रमांक 10 अंकीय वर्णात्मक संख्या या अक्षरांकीय (Alphanumeric) संख्या है, जो एक निर्धारिती (करदाता) का आयकर विभाग में परिचय देती है। पॅन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी करदाता को आबंटित की जाती है, ताकि उस करदाता की विशेष पहचान उस संख्या से की जाती है। पॅन कार्ड के लिए IT पॅन आवेदन पत्र (प्रारूप 49–A) में नए पॅन कार्ड तथा पॅन कार्ड की जानकारी में बदलाव के लिए आवेदन देना होता है। आवेदन पत्र के साथ एक रंगीन तस्वीर स्टैम्प आकार की (3.5 cm × 2.5 cm) देनी चाहिए।

यह आवेदन आयकर विभाग को प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के आयकर निर्धारण अधिकारी पॅन क्रमांक आबंटित करेंगे तथा विभाग द्वारा उस क्रमांक का लैमिनेटेड पॅन कार्ड करदाता को दिया जाएगा। एक से अधिक पॅन कार्ड प्राप्त करना कानून के तहत अपराध है।

पॅन कार्ड के पहले तीन अक्षर A से Z तक वर्णमाला में रहते हैं। चौथा अक्षर कार्ड धारक की स्थिति के बारे में वर्णन करता है, यह अक्षर सबसे अहम् होता है। जबकि पाँचवा अक्षर पॅन कार्ड धारक के उपनाम का पहला अक्षर होता है। 6 से लेकर 9 अक्षर अंकों में होते हैं। यह संख्या न्यायदर्श आधारित रहती है जबकि दसवाँ अक्षर वर्णमाला जाँच अंक होता है, जो एक सूत्र के आधार पर

संगणक द्वारा निर्धारित किया जाता है। चौथे अक्षर के लघुरूप का स्पष्टीकरण निम्न है–

टिप्पणी

P – एक व्यक्ति (Individual) को सूचित करता है।

F – सार्थ (Firm) को सूचित करता है।

C – कंपनी (Company) को सूचित करता है।

H – हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को सूचित करता है।

A – व्यक्ति समूह (AOP) को सूचित करता है।

I – न्यास (Trust) को सूचित करता है।

उदा. AGQPS9605M

- **प्रथम तीन वर्णः** AGQ – AAA से ZZZ अंग्रेजी वर्णमाला से न्यायदर्श पद्धति पर दिया जाता है।
- **चौथा वर्णः** P करदाता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहाँ P यह एक व्यक्ति (Individual) करदाता से संबंधित है।
- **पाँचवा वर्णः** S यह करदाता के उपनाम (सरनेम) प्रथम अक्षर है।
- **छह से नौ तकः** 9605 यह न्यायदर्श पद्धति से संगणक द्वारा निकाला जाता है, जो 0001 से 9999 में से है।
- **दसवाँ वर्णः** M यह संकणकीय सूत्र के आधार जाँच वर्ण है।

5.5.2 पॅन कार्ड की अनिवार्यता (Necessity of PAN Card)

1. जब किसी भी करदाता की आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो।
2. करदाता अन्य व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी हो।
3. करदाता की व्यापार तथा पेशे से सकल प्राप्तियाँ पाँच लाख से अधिक हों या उसकी संभावना हो।
4. पूण्यार्थ संस्था।
5. भारत में निवासी एक व्यक्ति करदाता छोड़कर किसी भी वित्तीय वर्ष में ढाई लाख या उससे अधिक का व्यवहार करता हो।
6. केंद्रीय उत्पाद/आबकारी शुल्क अधिनियम 1994 के तहत्।
7. बैंक खाता खोलने के लिए।
8. बैंक तथा डाक घर में 50 हजार रुपये से अधिक राशि जमा कराने के लिए।
9. किसी भी समय 25 हजार रुपए से अधिक होटल तथा रेस्टारेंट के बिल का भुगतान करने के लिए।

5.6 उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Tax Deduction at Source) धारा 190

5.6.1 प्रस्तावना (Introduction)

आय के स्त्रोंतों के उद्गम स्थान पर ही जो कटौती की जाती है, उसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। आयकर अधिनियम धारा 190 के अनुसार कर की कटौती की जाती है। उद्गम स्थान पर आय की कटौती के लिए कर की कटौती करने वाले आयदाता के पास TAN (Tax Deduction and Collection Number) नंबर होना अनिवार्य है। संकलित किया गया कर, कर की कटौती करने वाले को वह राशि सरकारी कोष में निर्धारित तिथि के पूर्व चालान पर TAN नंबर के उल्लेख के साथ तथा जिनकी आय में से कर की कटौती की गई है, उनके पॅन तथा नाम के उल्लेख के साथ विवरणी प्रस्तुत करना होता है।

5.6.2 उद्गम स्थान पर कटौती (Tax Deduction at Source)

आयकर अधिनियम द्वारा निम्न आय में से उद्गम स्थान पर कटौती की जाती है धारा 192 से 196 के अनुसार–

1. वेतन के शोधन पर धारा 192
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान पर धारा 193
3. अन्य प्रकार के ब्याज के भुगतान पर धारा 194A
4. लॉटरी, वर्ग पहेली से जीत की आय, 194B (10 हजार रुपए की ईनाम की राशि में से TDS नहीं काटा जाता, तत्पश्चात् 30 प्रतिशत की दर से कटौती की जाती है।)
5. घुड़दौड़ में जीत से प्राप्त आय 194BB (10 हजार रुपए की ईनाम की राशि में से TDS नहीं कॉंटा जाता, तत्पश्चात 30 प्रतिशत की दर से कटौती की जाती है।)
6. ठेकेदार तथा उपठेकेदारों को भुगतान धारा 194(1)
7. बीमा कमिशन का भुगतान 194D
8. अनिवासी खिलाड़ियों तथा खेल संस्थानों को भुगतान 194E
9. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) में से भुगतान धारा 194EE
10. पारस्परिक कोष (म्युच्यूयल फंड) या भारती यूनिट ट्रस्ट के पुनः क्रय पर भुगतान धारा 194F
11. लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमिशन धारा 194G
12. कमिशन दलाली की आय का भुगतान धारा 194H
13. पेशेवर अथवा तकनीकी सेवा के लिए शुल्क का भुगतान धारा 194J

14. भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण का भुगतान धारा 194
15. अनिवासियों के आय का भुगतान धारा 195

इसके अलावा भी आय में से उद्गम स्थान पर कटौतियाँ की जाती है।

5.6.3 उद्गम स्थान पर कर कटौती के उद्देश्य (Objectives of Deduction of Tax at Source)

1. कर चोरी की रोकथाम करना।
2. आयकर का क्षेत्र व्यापक करना।
3. केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाना।
4. कर वसूली की गति को बढ़ाना।
5. आयदाता के उत्तरदायित्व को निर्धारित करना।

5.6.3.1 कर चोरी की रोकथाम करना (To Prevent Tax Evasion)

उद्गम स्थान पर कर कटौती से कर चोरी पर लगाम लगती है, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत् उस कर की वसूली करने का दायित्व आय देने वाले पर निर्धारित किया है जिस कारण आय का शोधन करने वाला व्यक्ति आय देने के पूर्व आवश्यकता के अनुसार कटौती करता है।

5.6.3.2 आयकर का दायरा व्यापक करना (To Increase Scope of Income Tax)

देश में आयकर दाता की संख्या सीमित है, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए उद्गम स्थान पर कटौती अनिवार्य करने से आयकर दाता की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

5.6.3.3 केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाना (To Increase Revenue of Central Government)

उद्गम स्थान पर कर कटौती से कर चोरी पर लगाम लगता है तथा आयकर दाताओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे केंद्र सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है।

5.6.3.4 कर वसूली की गति बढ़ाना (To Increase Rate of Tax Collection)

उद्गम स्थान पर कर कटौती में आय के शोधन में से आयकर कटौती करने का उत्तरदायित्व आय देने वाले का होता है जिससे कर वसूली की गति बढ़ती है।

5.6.3.5 आयदाता के उत्तरदायित्व को निर्धारित करना (To Determined Liability of Income Payee)

आयदाता को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आय देते समय आय में से निर्धारित दर से कर कटौती करना अनिवार्य होता है, अगर यह कटौती नही की गई, तो वह उसके लिए उत्तरदायी होता है।

टिप्पणी

5.6.4 उद्गम स्थान पर कर कटौती के शीर्षक दर तथा छूट की सारणी (Table: Tax Deduction at Source as per Source, Tax Rate and Relaxation)

सारणी क्र. 5.5

क्र.	शीर्षक	धारा	छूट की राशि जिस पर TDS नहीं लगता	TDS की दर छूट के अलावा
1	वेतन	192	–	कुल आय / 12
2	समय के पहले मान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि से निकासी	192–A	50 हजार रु तक	50 हजार रु से अधिक राशि पर PAN नंबर दिया हो, तो 10 प्रतिशत की दर PAN नंबर नहीं दिया हो, तो 20 प्रतिशत की दर
3	प्रतिभूति पर ब्याज	193	10 हजार रु	10 प्रतिशत
4	असूचित कंपनी से प्राप्त लाभांश	194	2 हजार 500 रु	10 प्रतिशत
5	अधिकोष तथा डाकघर में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	194–A	10 हजार रु	10 प्रतिशत
6	पंजीकृत सार्थ से प्राप्त ब्याज	194–A	5 हजार रु	10 प्रतिशत
7	घुड़दौड़, शब्द पहेली, लॉटरी, ताश खेल से प्राप्त राशि	194–B 194–BB	10 हजार रु	30 प्रतिशत
8	ठेकेदार से प्राप्त राशि	194–C	1 लाख रु कुल वार्षिक प्राप्ति	सीमा से अधिक होने पर व्यक्ति तथा HUF 1 प्रतिशत अन्य के लिए 2 प्रतिशत
9	बीमा कमिशन	194–D	15 हजार रु	5 प्रतिशत
10	बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि	194–IA	1 लाख रु	1 प्रतिशत
11	राष्ट्रीय बचत पत्र से निकासी	194–EE	2 हजार 500 रु	10 प्रतिशत
12	लॉटरी टिकट की बिक्री से कमिशन	194–G	15 हजार रु	5 प्रतिशत
13	अन्य कमिशन	194–H	15 हजार रु	5 प्रतिशत

टिप्पणी

14	अचल संपत्ति स्थानांतरण तथा बिक्री	194–IA	50 लाख रु	PAN नंबर दिया हो तो 10 प्रतिशत की दर PAN नंबर नहीं दिया हो तो 20 प्रतिशत की दर
15	एक व्यक्ति को किराए का शोधन	194–I	50 हजार रु प्रति माह	5 प्रतिशत
16	पेशे का शुल्क अथवा तांत्रिक शुल्क	194–J	30 हजार रु	10 प्रतिशत
17	अचल संपत्ति की प्राप्त क्षतिपूर्ति	194–LA	2 लाख 50 हजार रु	10 प्रतिशत

5.6.5 उद्गम स्थान पर कर कटौती की संकलित कर राशि राजस्व कोष में जमा करने की मियाद (Time Limit for Collected Tax Deduction at Source Deposited to Government Treasury)

सारणी क्र. 5.6

विवरण	सरकारी कार्यालय	गैर सरकारी कार्यालय
चालान बिना	उसी दिन जिस दिन TDS काटा गया	–
चालान के साथ	जिस माह में TDS काटा गया, उस माह की समाप्ति के पश्चात् सात दिनों के भीतर	जिस माह में TDS काटा गया, उस माह की समाप्ति के पश्चात् सात दिनों के भीतर
विशेष	–	यदि राशि मार्च माह में काटी गई है, तो 30 अप्रैल तक

वेतन प्रतिभूति पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज, बीमा कमिशन या दलाली के भुगतान के समय काटौती किया गया कर 7 जुलाई, 7 अक्तूबर, 7 जनवरी एवं 30 अप्रैल तक भुगतान करने की सहूलियत कर निर्धारण अधिकारी दे सकता है।

5.6.6 उद्गम स्थान पर कर कटौती के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रावधान (Important Provision Regarding Tax Deduction at Source)

1. TDS का प्रमाण पत्र जारी करना। धारा 203 TDS की कटौती करने वाला आयदाता द्वारा आय प्राप्त करने वाले को कटौती किए TDS का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए प्रारूप–16 और अन्य स्थिति में प्रारूप 16A में दिया जाएगा।

2. TDS कटौती के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी कर दाता को कर की माँग नहीं कर सकता।
3. उद्‌गम स्थान पर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करना होता है। वेतन की दशा में फॉर्म नं. 16 तथा अन्य दशाओं में फॉर्म नं. 16A (धारा 203)।

5.6.7 कर कटौती एवं संग्रहण खाता क्रमांक (TAN – Tax Deduction and Collection Number)

आयकर अधिनियम धारा 203 के अनुसार जो व्यक्ति उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती अथवा संग्रह करता है, तो उसके पास TAN नंबर होना अनिवार्य है। यह नंबर PAN नंबर की तरह ही वर्णनात्मक संख्या होती है। अगर TAN नंबर नहीं है, तो प्रारूप 49-B में आवश्यक जानकारी भरकर उसे आयकर विभाग में प्रस्तुत करना चाहिए। उसके पश्चात कर निर्धारण अधिकारी कर कटौती एवं संकलन कर्ता को TAN निर्गमित करेगा। TDS के लिए TAN नंबर नहीं हो, तो संबंधित संकलन कर्ता को 10 हजार रुपए का जुर्माना TDS राशि के साथ बैंक में चालान द्वारा भुगतान करना होगा।

5.6.8 उद्‌गम स्थान पर कर संकलन का अर्थ (Meaning of Tax Collection at Source)

जब कोई करदाता भुगतान करता है, तो उसमें से भुगतान पर जो कर लिया जाता है, उसे उद्‌गम स्थान पर कर संग्रह कहते हैं। उद्‌गम स्थान पर कर संकलित कर संकलन कर्ता को सरकारी कोष में जिस माह वह संकलित की गई है, उसकी समाप्ति के पश्चात् सात दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है, किंतु केंद्र सरकार के विभागों द्वारा आयकर चालान के बिना भरना है, तो उसी दिन अन्यथा जिस माह में उक्त संकलित किया है, उस माह के समाप्ति के पश्चात सात दिनों के भितर जमा करना आवश्यक है। आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उद्‌गम स्थान पर कर वसूल करना तथा निर्धारित समय में राजकोष में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कानून के तहत् कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई संकलनकर्ता देरी से संकलित कर राशि जमा करता है, तो उसे प्रति माह 1 प्रतिशत साधारण दर से ब्याज देना होगा।

अधिकर संग्रहण जमा नहीं किया हो, तो आयकर अधिनियम धारा 267(BB) के अनुसार तीन माह से 7 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने की सजा हो सकती है।

5.6.9 उद्गम स्थान पर कर संकलन दर सारणी (Table: Rate of Tax Collection at Source)

टिप्पणी

सारणी क्र. 5.7

विवरण	क्रेता द्वारा कर संकलित करने की दर
मनुष्य के उपभोग के लिए शराब	1 प्रतिशत
तेंदुपत्ता	5 प्रतिशत
जंगल पट्टे के अतिरिक्त ली गई लकड़ी	2.5 प्रतिशत
जंगल पट्टे के अतिरिक्त अन्य प्रकार से ली गई लकड़ी	2.5 प्रतिशत
तेंदुपत्ता तथा लकड़ियों के अलावा अन्य जंगली उत्पाद पर	2.5 प्रतिशत
अवशेष	1 प्रतिशत
खनीज, कोयला, लिग्नाइट व लौह अयस्क	1 प्रतिशत
पार्किंग, पथकर या खदान	2 प्रतिशत

5.7 अग्रिम कर (Advance Tax)

5.7.1 प्रस्तावना (Introduction)

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गत वर्ष की आय पर करदाता को कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाना होता है लेकिन व्यवहारिक रूप में जिस गत वर्ष की आय है, उसी गत वर्ष में आयकर को चुकाना होता है, उसे ही अग्रिम कर कहते हैं। यह जैसे कमाओ वैसे चुकाओ नीति पर आधारित है। अर्थात् चालू वर्ष की आय पर चालू वर्ष में किश्तों में कर चुकाना ही अग्रिम कर कहलाता है। आयकर अधिनियम धारा 208 से 2019 के अनुसार करदाता को कुल आय पर अग्रिम कर का शोधन करना होता है। अर्थात् गत वर्ष 2018–19 के लिए कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के कर दर के आधार पर गत वर्ष 2018–19 में कर अग्रिम चुकाना होता है।

5.7.2 आयकर अधिनियम के अनुसार अग्रिम कर के संबंध में विशेष प्रावधान (Special Provision Regarding Advance Tax as per Income Tax)

टिप्पणी

5.7.2.1 अग्रिम कर चुकाने के लिए आय का निर्धारण धारा 207 (Determination of Income for Payment of Advance Tax Section 207)

अग्रिम कर किसी वित्तीय वर्ष में करदाता को अपनी उस कुल आय पर चुकाना होता है, जिस पर इस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कराधान होगा और उसे चालू आय कहते हैं।

उदा. गत वर्ष/वित्तीय वर्ष 2018–19 की कुल आय पर 2018–19 में ही अग्रिम कर करदाता को राजकीय कोष में भरना होता है। संक्षेप में, अग्रिम कर यानि गत वर्ष के कर निर्धारण वर्ष के कर दरों के आधार पर कर भरना होता है।

अपवादः ऐसा एक व्यक्ति (Individual) करदाता जो निम्न शर्तें पूरी करता हो, उसे अग्रिम कर भरना आवश्यक नहीं–

(i) जिस करदाता की आय व्यापार अथवा पेशे के स्त्रोत से नहीं है

तथा

(ii) जिस करदाता की आयु गत वर्ष में कभी भी 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

उपरोक्त शर्तें जो पूरी करता है, उन्हें अग्रिम कर भरना आवश्यक नहीं हैं।

5.7.2.2 अग्रिम कर दायित्व धारा 208 (Liability of Advance Tax Section 208)

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता का देय आयकर 10 हजार रुपए अथवा उससे अधिक हो, तो करदाता को अग्रिम कर भरना होगा।

5.7.2.3 अग्रिम कर की गणना धारा 209 (Calculation of Advance Tax Section 209)

वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा अग्रिम कर की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी–

(i) करदाता द्वारा अग्रिम कर की गणना– अग्रिम कर की गणना करदाता स्वयं चालू वर्ष की अनुमानित आय की गणना कर, संबंधित कर निर्धारण वर्ष के आय कर दरों से कर का अनुमान लगाकर किश्तों में सरकारी कोष में करदाता स्वयं कर जमा करता है, उसे ही करदाता द्वारा अग्रिम कर की गणना कहते हैं।

(ii) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना– जिस करदाता का चालू वर्ष के पूर्व कर निर्धारण हो चुका हो और उसने अग्रिम कर सरकारी कोष में नहीं भरा हो, ऐसी स्थिति में, जिस वित्तीय वर्ष के बाद आयकर भुगतान नहीं

टिप्पणी

किया, तब निम्न आय पर अग्रिम कर की गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाएगी–

- सबसे अंत में हुए कर निर्धारण में निर्धारिती की आय

  अथवा

- उपरोक्त कर निर्धारण वर्ष के पश्चात् दाखिल की गई आय विवरणी में की आय

उपरोक्त दोनों में से अधिक राशि के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में अग्रिम करों की दरों से अग्रिम कर की गणना की जाएगी।

(iii) पूँजीगत लाभ एवं आकस्मिक् आय आदि पर अग्रिम कर का भुगतान– विशेष परिस्थितियों में करदाता को पूँजीगत लाभ एवं आकस्मिक् आय आदि पर अग्रिम कर का शोधन संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में, करदाता ने जो आय वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक हुई है, उस पर अग्रिम कर करदाता को 15 मार्च तक सरकारी कोष में जमा करना होता है। 15 मार्च के पश्चात् प्राप्त पूँजीगत लाभ एवं आकस्मिक् आय आदि प्राप्त हुई है, तो उस पर अग्रिम कर 31 मार्च तक सरकारी कोष में जमा करना होता है।

5.7.2.4 अग्रिम कर की किश्तें तथा देय तिथियाँ (Table: Installment and Due Date of Advance Tax)

सारणी क्र. 5.8

किश्त क्रमांक	अग्रिम कर के किश्तों की देय तिथियाँ	अग्रिम कर राशि का प्रतिशत
1	15 जून अथवा उससे पूर्व	15%
2	15 सितंबर अथवा उससे पूर्व	45% (पहली किश्त में चुकाई गई राशि घटाकर) अर्थात् 30%
3	15 दिसंबर अथवा उससे पूर्व	75% (पूर्व किश्तों में चुकाई गई राशि घटाकर) अर्थात् 30%
4	15 मार्च अथवा उससे पूर्व	100% (पूर्व किश्तों में चुकाई गई राशि घटाकर) अर्थात् 25%

5.7.2.5 अग्रिम कर के लिए जमा धारा 219 (Deposit for Advance Tax Section 219)

करदाता द्वारा गत वर्ष में/वित्तीय वर्ष में जो कर चुकाया जाता है, वह नियमित कर निर्धारण पर देय राशि का भुगतान माना जाता है और नियमित कर निर्धारण में उस राशि की जमा दी जाती है। वह जमा राशि निर्धारित कर में समायोजित की जाती है।

5.7.2.6 सरकार द्वारा देय ब्याज धारा 214 (Payable Interest by Government Section 214)

यदि करदाता द्वारा चुकाए गए अग्रिम कर की राशि निर्धारित कर राशि से अधिक हो, तो ऐसे शेष राशि पर सरकार द्वारा 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देती है। यह ब्याज संबंधित कर निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से कर निर्धारण तिथि तक की अवधि का दिया जाता है।

5.7.2.7 करदाता का दोषी होना धारा 218 (Guilty of Assesse Section 218)

(i) यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम धारा 211(1) के तहत् निर्धारित मियाद में अग्रिम कर की किसी ऐसी किश्त का भुगतान नहीं करे जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी धारा 210(3)।

अथवा 210(4) के अंतर्गत आदेश जारी कर चुका है तथा उस करदाता ने धारा 210(5) के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी को उस किश्त के देय होने की तिथि तक कोई भी सूचना नहीं दी हो।

(ii) यदि करदाता ने अपनी चालू आय की अनुमानित राशि पर धारा 210(4) के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता हो।

5.7.2.8 अग्रिम कर जमा कराने में दोषी हो जाने पर ब्याज (Interest on Guilty of Assesse Regarding Deposit Advance Tax)

यदि कोई करदाता जो धारा 208 के अंतर्गत अग्रिम कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है तथा ऐसा कर न चुकाए या धारा 210 के तहत् उसके द्वारा चुकाया गया कर निर्धारित कर से 90 प्रतिशत से कम हो, तो करदाता एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (ब्याज के लिए अधूरे माह को पूरा माह माना जाएगा) यह ब्याज निर्धारित कर की रकम पर या निर्धारित कर में से अग्रिम चुकाया गया कर घटाने से प्राप्त शेष राशि पर, जैसी भी स्थिति हो, लिया जाएगा। ब्याज की गणना कर निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की जाएगी, जिस स्थिति को धारा 143(1) के अंतर्गत कुल आय का निर्धारण किया है या नियमित कर निर्धारण होने की स्थिति में ऐसा नियमित कर निर्धारण हुआ है।

5.7.2.9 कर वसूली एवं कर वापसी (Tax Recovery and Refund)

5.7.2.9.1 कर वसूली (Tax Recovery) धारा 122

आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारिती/करदाता को ब्याज या जुर्माना की कोई भी राशि देय होती है, इस कर बकाया की वसूली निर्धारिती/करदाता से आयकर वसूली अधिकरी आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत वसूली कर सकता है तथा वसूल आयकर राशि को आयकर वसूलीं अधिकरी सरकार के खाते जमा करता हैं।

5.7.2.9.2 कर वापसी (Tax Refund) धारा 237

कर वापसी का अर्थ निर्धारिती/करदाता द्वारा गत वर्ष के दौरान अदा किए गए आयकर की अतिरिक्त राशि की वापसी (To pay back) से हैं। अर्थात यदि कोई भी निर्धारिती/करदाता कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करता है कि, उसने गत वर्ष के दौरान उसके द्वारा शोधन किए गए कर की राशि कर निर्धारण राशि से अधिक है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त कर राशि की वापसी आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती/करदाताकों ब्याजके साथ की जाती हैं अथवा धारा 245 के अनुसार निर्धारिती/करदाता पर देय आयकर से समायोजित/पूर्ति की जाती है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

7. सुनील को 22 मार्च को आकस्मिक् आय की प्राप्ति हुई है, तो उसे __________ तक अग्रिम कर चुकाना होगा।

   (क) 15 सितंबर (ख) 15 दिसंबर

   (ग) 15 मार्च (घ) 31 मार्च

8. अग्रिम कर की दूसरी किश्त __________ तिथि को देय होती है।

   (क) 15 सितंबर (ख) 15 दिसंबर

   (ग) 15 मार्च (घ) 31 मार्च

9. स्थायी खाता क्रमांक __________ अक्षरांकीय संख्या है।

   (क) 10 (ख) 6

   (ग) 4 (घ) इनमें से कोई नहीं

10. पॅन कार्ड का चौथा अक्षर __________ बताता है।

    (क) करदाता की स्थिति (ख) करदाता की आयु

    (ग) करदाता की आय (घ) करदाता का उपनाम

11. पॅन कार्ड का पाँचवा अक्षर __________ बताता है।

    (क) करदाता की स्थिति

    (ख) करदाता की आयु

    (ग) करदाता की आय

    (घ) करदाता का उपनाम

12. T.D.S. का पूर्ण रूप __________ है।

    (क) उद्गम स्थान पर कर संकलन

    (ख) उद्गम स्थान पर देय कर

    (ग) उद्गम स्थान पर कर की कटौती

    (घ) इनमें से कोई नहीं

13. लॉटरी वर्ग पहेली से जीत की आय रु __________ से कम हो, तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती।

(क) 10,000 (ख) 20,000

(ग) 3,000 (घ) 5,000

14. प्रतिभूति पर ब्याज रु 10,000 से ज्यादा है, तो __________ दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है।

(क) 10% (ख) 20%

(ग) 30% (घ) 15%

15. जब करदाता अपने कर का निर्धारण स्वयं करता है, तो उसे __________ कहते हैं।

(क) नियमित कर निर्धारण (ख) सर्वोत्तम कर निर्धारण

(ग) स्वयं कर निर्धारण (घ) पुनः कर निर्धारण

16. जब करदाता द्वारा जमा किए गए विवरणी के आधार पर कर अधिकारी जो कर निर्धारण करता है, उसे __________ कहते हैं।

(क) नियमित कर निर्धारण (ख) सर्वोत्तम कर निर्धारण

(ग) स्वयं कर निर्धारण (घ) पुनः कर निर्धारण

17. स्वयं कर निर्धारण की धारा __________ है।

(क) 140 (ख) 140(A)

(ग) 144 (घ) 147

18. सर्वोत्तम कर निर्धारण की धारा __________ है।

(क) 140 (ख) 140(A)

(ग) 144 (घ) 147

19. पुनः कर निर्धारण की धारा __________ है।

(क) 140 (ख) 140(A)

(ग) 144 (घ) 147

20. तेंदुपत्ता पर उद्गम स्थान पर __________ दर से कर संकलित किया जाता है।

(क) 10% (ख) 1%

(ग) 2.5% (घ) 5%

21. मनुष्य के उपभोग के लिए शराब बिक्री पर __________ दर से कर संकलित किया जाता है।

(क) 10% (ख) 1%

(ग) 2.5% (घ) 5%

22. 15 दिसंबर या उसके पूर्व कुल आय कर में से __________ प्रतिशत दर तक कर का अग्रिम शोधन अनिवार्य है।

(क) 15% (ख) 45%

(ग) 75% (घ) 100%

5.8 आयकर प्राधिकारी (Income Tax Authorities)

5.8.1 प्रस्तावना (Introduction)

आयकर अधिनियम 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु धारा 116 में आयकर प्राधिकारियों की व्यवस्था की गई है जो निम्न हैं–

(1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(1A) आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर प्रधान मुख्य कमिश्नर

(2) आयकर प्रमुख निदेशक या मुख्य आयकर कमिश्नर

(2A) आयकर प्रधान निदेशक या आयकर प्रधान कमिश्नर

(3) आयकर निदेशक या आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर (अपील)

(4) अतिरिक्त आयकर निदेशक या अतिरिक्त आयकर कमिश्नर

(5) संयुक्त आयकर निदेशक तथा संयुक्त आयकर कमिश्नर

(6) उपनिदेशक आयकर या उप–कमिश्नर आयकर

(7) सहायक निदेशक आयकर या सहायक कमिश्नर आयकर

(8) आयकर अधिकारी

(9) कर वसूली अधिकारी

(10) आयकर निरीक्षक

5.8.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT – The Central Board of Direct Taxes)

5.8.2.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस बोर्ड का गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत हुआ है। यह बोर्ड आयकर विभाग का संचालन करता है। इसलिए यह बोर्ड इस विभाग की सर्वोच्च संस्था है। इस बोर्ड द्वारा सरकार की ओर से सभी प्रत्यक्ष करों के प्रशासन

का कार्य किया जाता है। यह बोर्ड भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह बोर्ड आयकर अधिनियम धारा 295 के अनुसार आयकर विभाग के संबंध में समूचे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र के लिए नियम बनाता है, इन नियमों के बनने के बाद संसद इसका अनुमोदन करती है।

5.8.2.2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की संरचना (Structure of Central Board of Direct Taxes (CBDT))

इस CBDT में एक अध्यक्ष तथा पाँच सदस्य होते हैं जिनका चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

CBDT मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर आयुक्तों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करती है। CBDT की सहायता उससे संलग्नित कार्यालयों द्वारा होती है जो निम्न हैं–

- विभिन्न महानिदेशक (DG) के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस प्रकार के महानिदेशनालय निम्न हैं–
    1. आयकर निदेशालय
    2. लेखा परीक्षा निदेशालय
    3. अनुसंधान, सांख्यिकी
तथा
जनसंपर्क निदेशालय
    4. प्रबंध सेवा निदेशालय
    5. व्यवस्था निदेशालय
    6. अन्वेषण निदेशालय
    7. वसूली निदेशालय

5.8.2.3 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार (Power of Central Board of Direct Taxes)

CBDT के अधिकार निम्न हैं–

1. आयकर अधिनियम 1961 को सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु नियम बनाना, आदेश व निर्देश देने के साथ में स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है।
2. CBDT आयकर अधिनियम के क्रियान्वयन की कठिनाइयों को दूर करना।
3. यदि कोई कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण वर्ष के चार वर्षों के पश्चात् पुनः कर निर्धारण करना चाहता है, तो उसे सहमति प्रदान करना।
4. CBDT को आयकर कमिशन पद के आयकर पदाधिकारी तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

5. CBDT को किसी भी संस्थान, संगठन तथा समुदाय को किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी घोषित करने का अधिकार है।
6. पाँच लाख से अधिक छिपाई गई या गलत दिखाई गई आय के संबंध में मुख्य कमिश्नर द्वारा अर्थ दंड को माफ करने के आदेश तथा उसकी पुष्टि करने का अधिकार CBDT को है।
7. CBDT दो या दो से अधिक कर निर्धारण अधिकारी को एकसाथ कार्य करने का आदेश दे सकती है।
8. CBDT अधिनस्थ आयकर विभाग के किसी भी प्राधिकारी या पदाधिकारी को जनहितार्थ सूचना प्रदान करने का आदेश दे सकता है।

5.8.3 आयकर महानिदेशक (DG – Director General)

5.8.3.1 प्रस्तावना (Introduction)

DG की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 117(1) के अंतर्गत की जाती है। महानिदेशक CBDT के अंतर्गत कार्य करते हैं। DG के निम्न प्रकार हैं–

1. आयकर महानिदेशक
2. आयकर महानिदेशक अन्वेषण
3. आयकर महानिदेशक अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन।

हर DG के अधिनस्थ निदेशक, उप–निदेशक, सहायक निदेशक कार्यरत् रहते हैं।

5.8.3.2 आयकर महानिदेशक के अधिकार एवं कार्य (Powers and Functions of Director General of Income Tax)

1. केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात् सहायक उपायुक्त के नीचे के पद के अधिकारियों तथा आयकर विभाग के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार, धारा 117(B)।
2. DG को अधिकारियों के आयकर मामले एक–दूसरे अधिकारियों से स्थानांतरित करने के अधिकार हैं, धारा 127।
3. DG को अधिनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने का अधिकार है, धारा 119(2)।
4. DG अपने अधिनस्थ अधिकारियों को आयकर मामले में तलाशी अथवा लेखा–पुस्तकों को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, धारा 132।
5. आयकर अधिनियम के संबंध में किसी भी प्रकार की जाँच करने जो अधिकार कर निर्धारण अधिकारियों के पास है, वह सभी अधिकार DG के पास होते हैं, धारा 135।
6. DG को करदाता की याचिका पर पुनर्विचार करने का अधिकार, धारा 264।

7. DG को कर निर्धारण वर्ष के बाद चार कर निर्धारण वर्ष बीतने के पश्चात् पुनः कर निर्धारण की नोटिस को स्वीकृति देने का अधिकार, धारा 151(1)।
8. DG को अर्थ दंड घटने या माफ करने का अधिकार है, धारा 273A।
9. DG को कुर्की की अनुमति देने का अधिकार धारा, 181B।

5.8.4 संयुक्त कमिश्नर, उप–निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त (Joint Commissioner, Additional Director, Assistant Director Additional Commissioner)

5.8.4.1 प्रस्तावना (Introduction)

संयुक्त कमिश्नर, उप–निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त, यह सभी महानिदेशक के अधिनस्थ कार्य करते हैं। उनका कार्यक्षेत्र महानिदेशकों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

5.8.4.2 संयुक्त कमिश्नर के कार्य (Function of Joint Commissioner)

1. कर वंचन (Tax Evasion) या कर–चोरी का पता लगाना।
2. अपने क्षेत्र के निर्धारण अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, देखरेख करना एवं निर्देश देना।
3. कई मामलों में निर्धारण अधिकारी को किसी करदाता को आदेश देने से पूर्व इसकी स्वीकृति उपयुक्त से लेना।
4. पेचिदा तथा अहम् मामलों में आयुक्त के आदेश के तहत् कर–निर्धारण अधिकारी का कार्य करना।

5.8.4.3 संयुक्त कमिश्नर के अधिकार (Rights of Joint Commissioner)

1. आयकर अधिकारी को निर्देश देना। (धारा 119)
2. निदेशक को किसी भी मुकदमे की कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो Code of Civil Procedure 1908 के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त है, (धारा 131)।
3. तलाशी एवं कब्जे में लेने का अधिकार, (धारा 132)।
4. सभी आवश्यक सूचनाएँ मँगाने का अधिकार, (धारा 133)।
5. अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान में प्रवेश करने, जाँच–पड़ताल करने तथा उपयुक्त सूचनाएँ संकलित करने का अधिकार, (धारा 133–A)।
6. किसी भी कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों अथवा बंधक के रजिस्टरों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियाँ स्वीकारने का अधिकार, (धारा 134)।
7. पूछताछ करने के लिए उसे वे सब अधिकार प्राप्त हैं, जो एक अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत पूछताछ के संबंध में है, (धारा 135)।

टिप्पणी

8. वह किसी कर निर्धारण अधिकारी के पास विचाराधीन मामले के दस्तावेज या प्रलेख माँगकर उसकी जाँच कर सकता है और आवश्यक निर्देश देने के भी अधिकार हैं, (धारा 119)।

5.8.5 कर निर्धारण अधिकारी धारा 2(7A) (Assessing Officer Section 2(7A))

5.8.5.1 प्रस्तावना (Introduction)

CBDT तथा DG द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की क्षेत्रों के अनुसार नियुक्ति की जाती है। यह अधिकारी आयकर विभाग का महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है। इन अधिकारियों में धारा 2(7A) के अनुसार निम्न अधिकारियों का समावेश होता है–

1. अतिरिक्त आयुक्त
2. अतिरिक्त निदेशक
3. संयुक्त आयुक्त
4. संयुक्त निदेशक
5. सहायक आयुक्त
6. उपनिदेशक
7. उपकमिश्नर
8. सहायक निदेशक
9. आयकर अधिकारी

संक्षेप में, कर निर्धारण अधिकारियों में अतिरिक्त आयुक्त तथा निदेशक से आयकर आयुक्त तथा निदेशक से आयकर अधिकारी तक सभी अधिकारियों का समावेश होता है।

5.8.5.2 आयकर निर्धारण अधिकारी के कार्य एवं अधिकार (Power and Functions of Assessing Officer)

यह इस विभाग का सबसे अहम् अधिकारी है। इसके कार्य एवं अधिकार निम्न हैं–

1. करदाता के भवन का स्वयं के व्यापार या व्यवसाय में आंशिक प्रयोग करने की स्थिति में कटौती योग्य व्ययों के विभाजन का निर्धारण। (धारा 38)
2. संपत्ति के उचित बाजार मूल्य की जानकारी हेतु मूल्यांकन अधिकारी को संप्रेषित करना। (धारा 55A)
3. एक से अधिक वर्षों से संबंधित वेतन का बकाया या अग्रिम राशि का भुगतान प्राप्त करने की अवस्था में राहत प्रदान करना। (धारा 89(1))
4. खोज कार्य करना तथा सबूत प्रस्तुत करवाना एवं लेखा–पुस्तकों को प्रस्तुत करना। (धारा 131)

टिप्पणी

5. तलाशी और कब्जे में करना। (धारा 132)
6. लेखा–पुस्तकों की मांग करना। (धारा 132–A)
7. सूचना हासिल करना। (धारा 133)
8. सर्वे करना। (धारा 133A)
9. कंपनी के रजिस्टरों की जाँच करना। (धारा 134)
10. आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करना एवं उसके समय में वृद्धि करना। (धारा 139)
11. स्थायी खाता संख्या आबंटित करना। (धारा 139A)
12. स्वयं कर निर्धारण के आधार पर कर चुकाने में भूल। (धारा 130A)
13. कर वापसी के लिए अस्थायी कर निर्धारण करना। (धारा 141A)
14. करदाता को अपने लेखों के अंकेक्षण करवाने के आदेश। (धारा 142)
15. कर निर्धारण करना। (धारा 143, 144, 171 से 178, 182, 183 व 189)
16. देय कर की माँग करना। (धारा 156)
17. कर की वापसी करना। (धारा 137)
18. कर निर्धारण से छूटी हुई आय का पुनः कर निर्धारण करना। (धारा 273A)
19. भूल सुधार करना। (धारा 154)
20. उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए मुक्त करने हेतु प्रमाण पत्र देना।
21. अग्रिम कर माँगने हेतु नोटिस जारी करना। (धारा 2010)
22. बकाया कर की वसूली के लिए देय कर वापसी का समायोजन करना। (धारा 241 और 245)
23. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करना। (धारा 253)

5.9 अपील, पुनर्विचार एवं अर्थदंड (Appeal, Revision and Penalty)

5.9.1 अपील (Appeal)

कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण एवं उस संबंध में दिए गए निर्णयों से संतुष्ट नहीं हो, तो करदाता उस निर्णय के खिलाफ न्याय के लिए अपील कर सकता है अथवा उसे पुनर्विचार करने का अनुरोध कर निर्धारण अधिकारी से कर सकता है। कर निर्धारण के खिलाफ अपील करने की कार्य प्रणाली निम्न है–

टिप्पणी

अपील करने की प्रवाह सारणी

↓

आयुक्त अपील

↓

अपीलेट ट्रिब्यूनल

↓

उच्च न्यायालय

↓

सर्वोच्च न्यायालय

5.9.2 आयुक्त द्वारा पुनर्विचार धारा 263 तथा 264 (Revision by Commissioner Section 263 and 264)

करदाता कर निर्धारण अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने से पूर्व करदाता चाहे, तो उस निर्णय को पुनर्विचार करने की याचिका आयुक्त को अपील का आवेदन दे सकता है। यह आवेदन निम्न प्रकार है–

1. राजस्व के लिए अहित कर आदेशों का पुनर्विचार करना धारा 263
2. अन्य आदेशों का पुनर्विचार धारा 364

5.9.3 आयुक्त अपील (Commissioner (Appeal))

यह कर निर्धारण अधिकारी आदेश के खिलाफ इंसाफ माँगने का प्रथम चरण है। आयुक्त अपील यह CBDT के अंतर्गत कार्य करता हैं। आयुक्त अपील के पास करदाता, आयकर अधिनियम, धारा 246A में निहित सूची के संबंध में न्याय माँग सकता है जो निम्न हैं–

1. निवासस्थान के निर्धारण के खिलाफ।
2. फ्रिंज बेनिफिट के मामले में।
3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर वृद्धि तथा कर वापसी में कमी के मामले में।
4. TDS न काटने तथा मियाद में सरकारी कोष में कर जमा नही करने के मामले में।

5. उचित लेखा–पुस्तक एवं प्रपत्र आदि न रखने का दोषी मानने पर।
6. अग्रिम कर भरने में चूक का दोषी मानने पर।
7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता पर अर्थदंड का अधिरोपण करने के मामले में।
8. कर काटने के आदेश को अस्वीकार करने के मामले में आदि।

आयुक्त अपील की मियाद धारा 249

करदाता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ अपील प्रारूप क्रमांक 35 उचित तरह से भरकर तथा आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक शुल्क के साथ कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि या आयकर भुगतान की तिथि या कर निर्धारण तथा दंड का नोटिस प्राप्त होने की तिथि आदि तिथियों में से 30 दिनों के भीतर आयुक्त अपील के कार्यालय में पेश कर सकता है। इस अपील के दस्तावेज में अपील का कारण उल्लेखित होना चाहिए। अगर वह कारण आयुक्त अपील को उचित नहीं लगे, तो करदाता की अपील को वह अस्वीकृत कर सकता है। अपील स्वीकृत करने के पश्चात् अपीलकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं कर निर्धारण अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए निर्धारित अवधि देता है। यह अवधि अपील कर्ता की स्वीकृति के पश्चात् दूसरे पक्ष को सूचना अपील आयुक्त प्रेषित करता है। अपील आयुक्त कानूनी प्रक्रिया के तहत् फैसला सुनाता है। अपील आयुक्त के फैसले के खिलाफ संबंधित पक्ष अपीलेट न्यायाधिकरण में अपना पक्ष रख सकता है।

5.9.4 अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 252 (Appellate Tribunal Section 252)

अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन केंद्र सरकार द्वारा धारा 252 के तहत् किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार आवश्यकता के अनुसार जिन्हें वह उचित समझती है, उतने न्याय तथा लेखा क्षेत्र के विशेष तज्ञों की नियुक्ति करती है। न्यायिक क्षेत्र का विशेषज्ञ अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष तथा उनके सहयोग के लिए एक या उससे अधिक सदस्यों को केंद्र सरकार उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। आयकर के न्याय संबंधी पदाधिकारियों में यह ट्रिब्यूनल का स्थान सर्वोच्च होता है। इस ट्रिब्यूनल संबंधी का फैसला अंतिम माना जाता है। अगर इस फैसले के संबंध में विधि का प्रश्न उपस्थित हो जाता है, तो उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील आयुक्त का निर्णय होने के पश्चात् असहमत पक्ष निर्णय की प्रति प्राप्ति के पश्चात् 60 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फॉर्म 36 में उचित तरह से तैयार कर तीन प्रतियों में आवश्यक शुल्क के साथ दायर करना होता है। अपील स्वीकृत होने के पश्चात् प्रतिपक्ष को नोटिस जारी की जाती है तथा प्रतिपक्ष को नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों में अपना पक्ष अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेश करना आवश्यक होता है। ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित समय देता है तथा उसके पश्चात् न्याय प्रक्रिया शुरू की

जाती है। अंत में अपीलेट अपना फैसला सुनाती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया अधिनयम धारा 255 के अनुसार संचालित होती है।

अपील के परिणामस्वरूप निर्णय करदाता के पक्ष में लगता है, तो आयकर अधिनियम धारा 267 के अनुसार कर निर्धारण संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश कर निर्धारण अधिकारी को दिया जाता है।

5.9.5 उच्च न्यायालय में अपील (Appeal to High Court)

अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ न्याय के संबंध में जो पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, वह उच्च न्यायालय में फेसले की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् 120 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष द्वारा आवश्यक शुल्क के साथ अपील मेमोरेण्डम उच्च न्यायालय में दायर किया जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार न्याय प्रक्रिया की जाएगी तथा फैसला सुनाया जाएगा।

5.9.6 सर्वोच्च न्यायालय में अपील (Appeal to Supreme Court)

उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय से माँगता है, अगर उच्च न्यायालय ने वह प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो संविधान अनुच्छेद 156 के तहत् सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई कानूनी मुद्दों पर अपना फैसला सुनाती है। इस फैसले में उन तर्कों का उल्लेख करती है, जिस आधार पर यह फैसला दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का फैसला पलट देती है तो उस फैसले को आधार मानकर अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपना फेसला देना चाहिए।

5.10 अर्थदंड तथा प्रावधान (Penalty and Provision)

जब कोई करदाता आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है या चूक करता है, तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है तथा मुकदमा चलाकर कारावास की सजा भी दी जा सकती है। अर्थात् करदाता को आयकर अधिनियम 1961 के प्रवधानों का अनुपालन करना चाहिए।

करदाता आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में त्रुटि करता है, तो उस पर विभिन्न प्रकार के अर्थदंड लगाने का प्रावधान है–

1. स्वयं कर निर्धारण पर कर व उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं करना। धारा 221(1) के अनुसार कर की राशि के बराबर का अधिकतम दंड कर सकता है।
2. छापे की स्थिति में आय का विवरण निश्चित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया हो, धारा 158BFA के अनुसार कर अधिकारी देय कर के तीन गुणा राशि के बराबर अधिकतम दंड कर सकता है।

टिप्पणी

3. निर्धारित समय में कर भुगतान नहीं करने पर धारा 221(1) के अनुसार कर की राशि के बराबर का अधिकतम दंड कर सकता है।
4. सबूत प्रस्तुत नहीं करना, लेख प्रपत्र आदि प्रस्तुत न करना तथा कर अधिकारी द्वारा दी गई नोटिस का पालन न करना धारा 271(1)(b) के अनुसार प्रत्येक चूक पर हजार रुपए जबकि अधिकतम 10 हजार रुपए।
5. आय को छिपाना या आय का गलत विवरण प्रस्तुत करना धारा 271(1)(c) के अनुसार छिपाई गई आय पर लगने वाले कर के तीन गुना के बराबर अधिकतम अर्थदंड।
6. साझेदार द्वारा फर्म की आय में अपना हिस्सा गलत दिखाना। धारा 271(4) के अनुसार बचाई कर राशि के डेढ़ (1.5) गुणा अधिकतम अर्थदंड किया जाता है।
7. लेखा–पुस्तकें रखने में चूक करना 271(A) के अनुसार 25 हजार रु का अर्थदंड आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है।
8. विदेशी लेनदेन के विवरण को न रखना धारा 271AA के अनुसार लेनदेन की राशि पर 2 प्रतिशत अर्थदंड किया जाता है।
9. लेखा–पुस्तकों का अंकेक्षण अनिवार्य होने पर भी अंकेक्षण न करना। धारा 271(B) के अनुसार आयकर अधिकारी महत्तम 1 लाख रु तक अर्थदंड कर सकता है।
10. उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करना या जमा नहीं करना धारा 271(C) के अनुसार बकाया कर राशि के बराबर आयकर अधिकारी आर्थिक दंड कर सकता है।
11. विभिन्न दस्तावेजों या विवरण प्रस्तुत करने में त्रुटि करना, धारा 271(G) के अनुसार हर त्रुटि पर व्यवहार मूल्य के 2 प्रतिशत तक अर्थदंड आयकर अधिकारी कर सकता है।
12. समन्स का पालन न करते हुए तिथि पर आयकर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं होना 272A(1)(C) के अनुसार 10 हजार रु तक महत्तम दंड आयकर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
13. व्यापार बंद करने की सूचना आयकर विभाग को 14 दिनों के भीतर न देना धारा 272A(2) के अनुसार न्यूनतम प्रतिदिन रु 100, महत्तम प्रतिदिन रु 200, अर्थदंड लगाने की तिथि तक आयकर अधिकारी दंडित कर सकता है।
14. उद्गम स्थान पर कर की कटौती का निर्धारित समय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना धारा 272A(2) के अनुसार दंडित तिथि तक प्रति दिन रु 100 महत्तम कटौती किए गए या संग्रहित किए गए कर राशि के बराबर अर्थदंड आयकर अधिकारियों द्वारा अधिरोपित किया जा सकता है।

टिप्पणी

15. कंपनी के किसी भी लेखा–पुस्तक तथा दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं करने देना तथा उसकी प्रतिलिपि देने से मना कर देना धारा 272A(2) के अनुसार दंडित तिथि तक प्रति दिन रु 100 की दर से अर्थदंड कर अधिकारियों द्वारा लगाया जा सकता है।
16. PAN का आवेदन नहीं करने या उल्लेख नहीं करने पर धारा 272B के अनुसार 10 हजार रु का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
17. TDS की कटौती करने के लिए TDS नंबर के लिए आवेदन नहीं करना तथा संबंधित प्रपत्रों पर TDS संख्या न लिखना धारा 272BB के अनुसार 10 हजार रु का अर्थदंड किया जा सकता है, आदि।

अर्थदंड संबंधी प्रावधान

1. आयकर अधिकारी द्वारा अर्थदंड लगाने से पूर्व करदाता को उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। धारा 271(1)
2. आयकर अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपए से अधिक अर्थदंड लगाया जाता है तथा सहायक आयुक्त द्वारा 20 हजार रुपए से अधिक राशि का अर्थदंड लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। धारा 274(2)
3. अर्थदंड आदेश की प्रतिलिपि स्वयं को छोड़कर कर निर्धारण अधिकारी के पास भेजना चाहिए।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

23. कर निर्धारण अधिकारी में __________ का समावेश होता है।

    (क) सहायक कमिश्नर (ख) प्रधान निदेशक

    (ग) संयुक्त आयकर निदेशक (घ) इनमें से सभी

24. आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी __________ है।

    (क) आयकर वसूली अधिकारी (ख) आयकर अधिकारी

    (ग) आयकर निरीक्षक (घ) आयकर आयुक्त

25. आयकर विभाग __________ विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

    (क) आयकर विभाग (ख) वाणिज्य विभाग

    (ग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (घ) इनमें से कोई नहीं

26. आयकर प्राधिकारी में __________ यह सर्वोच्च पदाधिकारी है।

    (क) प्रधानमंत्री (ख) वित्तमंत्री

    (ग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (घ) मुख्य कमिश्नर

27. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना __________ के अंतर्गत हुई है।
    (क) आयकर अधिनियम 1961
    (ख) सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963
    (ग) आयकर नियम 1962
    (घ) वार्षिक वित्तीय अधिनियम

28. नए आयकर दाताओं को खोजने का कार्य __________ है।
    (क) आयकर वसूली अधिकारी (ख) आयकर अधिकारी
    (ग) आयकर निरीक्षक (घ) आयकर आयुक्त

29. कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण एवं उस संबंध में दिए गए निर्णयों से संतुष्ट नहीं हो, तो करदाता उस निर्णय के खिलाफ न्याय के लिए __________ कर सकता है।
    (क) अपील (ख) शिकायत
    (ग) रियायत (घ) इनमें से कोई नहीं

30. आयुक्त अपील के निर्णय के विरोध में सर्वप्रथम करदाता __________ में अपील करता है।
    (क) उच्च न्यायालय (ख) सर्वोच्च न्यायालय
    (ग) जिल्हा न्यायालय (घ) अपीलेट ट्रिब्यूनल

31. यदि कोई करदाता कर कटौती एवं कर संग्रह खाता के आबंटन के लिए प्रार्थनापत्र नहीं देता, तो उस पर __________ अर्थदंड लगेगा।
    (क) 5,000 (ख) 10,000
    (ग) 15,000 (घ) 20,000

5.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (ग)	12. (ग)	23. (घ)
2. (क)	13. (क)	24. (ग)
3. (ग)	14. (क)	25. (ग)
4. (क)	15. (ग)	26. (ग)
5. (क)	16. (ग)	27. (ख)
6. (घ)	17. (ख)	28. (ग)
7. (घ)	18. (ग)	29. (क)
8. (क)	19. (घ)	30. (घ)

9. (क)	20. (घ)	31. (ख)
10. (क)	21. (ख)	
11. (घ)	22. (ग)	

टिप्पणी

5.12 सारांश (Summary)

आयकर निर्धारण प्रक्रिया, आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् आरंभ होती है तथा यह विधि देय कर की गणना एवं माँग की नोटिस जारी होने तक चलती रहती है। इस विधि में आयकर निर्धारण के लिए करदाता होना अनिवार्य है। जिसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है, उन्हें देय तिथि के पूर्व आयकर विवरणी दाखिल करनी होती है। आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए स्थायी खाता क्रमांक होना अनिवार्य है।

कर निर्धारण के–

1. स्वयं कर निर्धारण
2. नियमित कर निर्धारण
3. सर्वोत्तम कर निर्धारण
4. पुनः कर निर्धारण
5. सरंक्षणात्मक कर निर्धारण, यह पाँच प्रकार के हैं।

आयकर प्रावधानों के तहत गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष के आयकर दर से आयकर का शोधन गत वर्ष में किश्तों में करना होता है, उसे अग्रिम कर कहते हैं। अग्रिम कर 'जैसे कमाओ वैसे चुकाओं के तत्व पर आधारित है।

आयकर अधिनियम 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयकर प्राधिकारियों की व्यवस्था की गई है जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सर्वोच्च होता है तथा उसके तहत विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होती है जिसमें आयकर प्रधान महानिदेशक, आयकर प्रमुख निदेशक, आयकर निदेशक, आयकर अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त आयकर निदेशक, उप–निदेशक आयकर, सहा. निदेशक आयकर, आयकर अधिकारी, कर वसूली अधिकारी तथा आयकर निरीक्षक का समावेश होता है।

आयकर विभाग में आयकर कर निर्धारण अधिकारियों के कर निर्धारण से करदाता संतुष्ट नहीं हो, तो उस फैसले के विरोध में करदाता अपनी अपील कर सकता है। वह अपील आयुक्त अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में क्रमशः कर सकता है।

आयकर अधिनियम 1961 में आयकर के संबंध में करदाता कोई चूक करता है, तो उसे अर्थदंड लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान आयकर अधिनियम में किया गया है।

5.13 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **आय विवरणी (ITR – Income Return)**: गत वर्ष की आय को करदाता जिस विवरणी में आयकर विभाग में प्रस्तुत करता है, उसे आयकर विवरणी कहते हैं। आयकर विवरणी विभिन्न करदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। आयकर विवरणी कर मुक्त आय से अधिक आय के लिए भरना अनिवार्य है।
- **स्वयं कर निर्धारण**: जब करदाता स्वयं कुल आय की गणना कर उस पर आयकर की गणना करता है, तथा स्वयं ने निर्धारित की आय पर आयकर राशि का भुगतान करता है उसे स्वयं कर निर्धारण कहते है।
- **नियमित कर निर्धारण**: करदाता द्वारा जमा की गई आय की विवरणी के आधार पर आयकर अधिकारी कर का निर्धारण करता है, उसे नियमित कर निर्धारण कहते हैं।
- **सर्वोत्तम कर निर्धारण**: कर निर्धारण अधिकारी सभी संबंधित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आय अथवा हानि का अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर का जब कोई व्यक्ति आयकर विवरणी जमा नहीं करता तथा आयकर निर्धारण अधिकारियों की नोटिस की शर्तें पूरी नहीं करता, इस स्थिति में, जो कर निर्धारण किया जाता है, उसे सर्वोत्तम कर निर्धारण कहते हैं।
- **पुनः कर निर्धारण**: यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी कारण से यह विश्वास हो जाता है कि गत वर्ष कर निर्धारण करते समय कोई चूक हो गई हो, तो कर निर्धारण अधिकारी जो निर्धारण पुनः करता है, उसे पुनः कर निर्धारण कहते हैं।
- **संरक्षणात्मक कर निर्धारण**: जब प्रथम दृष्टि में यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि आय किसकी है। इस स्थिति में, कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को उस आय का उत्तरदायी ठहराकर उससे कर की वसूली की जाती है, उसे संरक्षणात्मक कर निर्धारण कहते है।
- **स्थायी खाता क्रमांक (PAN)**: आयकर विभाग करदाता को स्थायी खाता क्रमांक से पहचानता है। यह 10 अंकीय वर्णनात्मक संख्या है।
- **उद्गम स्थान पर कटौती (TDS)**: आयकर अधिनियम के तहत् आयदाता को आयकर प्रावधानों के अनुसार उद्गम स्थान पर भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से आयकर की कटौती करना अनिवार्य होता है। उसे उद्गम स्थान पर कटौती कहते हैं।
- **कर कटौती एवं संग्रहण खाता क्रमांक (TAN)**: आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की कटौती अथवा संग्रहण करने वाले व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित क्रमांक दिया जाता है। वह पॅन नंबर की तरह ही 10 अंकीय वर्णनात्मक संख्या है। उसे राजकोष में भरते समय उसका उल्लेख चालान पर करना अनिवार्य होता है।

- **अग्रिम करः** गत वर्ष में प्राप्त आय पर कर निर्धारण वर्ष की आयकर दर के अनुसार निर्धारित तिथियों को निर्धारित दरों से आयकर का शोधन गत वर्ष में करना होता है, उसे अग्रिम कर कहते हैं।
- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT):** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर प्राधिकरण की सर्वोच्च संस्था है। इसके अंतर्गत आयकर विभाग कार्यरत् रहता है।

5.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. कर निर्धारण कार्य विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. आय विवरणी का अर्थ एवं संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
3. ऐच्छिक आय विवरणी प्रस्तुत करने का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
4. अनिवार्य आय विवरणी प्रस्तुत करने का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
5. ITR-1 सहज किसे भरना होता है?
6. ITR-2 किसे भरना होता है?
7. ITR-2A किसे भरना होता है?
8. ITR-3 किसे भरना होता है?
9. ITR-4 किसे भरना होता है?
10. ITR-4S किसे भरना होता है?
11. ITR-5 किसे भरना होता है?
12. ITR-6 किसे भरना होता है?
13. ITR-7 किसे भरना होता है?
14. आय विवरणी ई–फाइल करने लाभ स्पष्ट कीजिए।
15. आय विवरणी ई–फाइल करने के लिए आयकर विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा लिखिए।
16. विभिन्न करदाता को आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि सारणी लिखें।
17. आय की संशोधित आय विवरणी का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
18. स्वयं कर निर्धारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
19. नियमित कर निर्धारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
20. सर्वोत्तम कर निर्धारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

21. पुनः कर निर्धारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
22. संरक्षणात्मक कर निर्धारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
23. स्थायी खाता क्रमांक का अर्थ लिखें।
24. पैन कार्ड की अनिवार्यता बताएँ।
25. उद्‌गम स्थान पर कर कटौती का अर्थ लिखें।
26. उद्‌गम स्थान पर कर कटौती के उद्देश्य लिखें।
27. कर कटौती एवं संग्रहण खाता क्रमांक का अर्थ लिखें।
28. उद्‌गम स्थान पर कर संकलन का अर्थ लिखें।
29. अग्रिम कर का अर्थ लिखें।
30. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कार्य लिखें।
31. कर निर्धारण अधिकारी का अर्थ स्पष्ट करें।
32. अपिलेट ट्रिब्यूनल की प्रविधि स्पष्ट करें।
33. अर्थदंड का अर्थ लिखें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. कर निर्धारण की विभिन्न प्रविधियों को संक्षेप में समझाए।
2. आय विवरणी के विभिन्न प्रकार विस्तार के साथ स्पष्ट करें।
3. स्थायी खाता क्रमांक से आप क्या समझते हैं तथा उसकी अनिवार्यता लिखें।
4. उद्‌गम स्थान पर कटौती का अर्थ स्पष्ट कर उसके उद्देश्य तथा किस आय में से कटौती की जाती है, वे लिखें।
5. अग्रिम कर का अर्थ स्पष्ट कर अग्रिम कर का दायित्व, अग्रिम कर की किश्तों की देय तिथियाँ एवं राशि का प्रतिशत लिखें।
6. विभिन्न आयकर प्राधिकरण की विस्तृत जानकारी लिखें।
7. अपील एवं पुनर्विचार के संबंध में कार्यप्रणाली स्पष्ट कीजिए।
8. अर्थदंड का अर्थ स्पष्ट करें, वह कब लगाया जाता है तथा उसके संबंध में प्रावधान लिखें।

5.15 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. आयकर विधान एवं लेखे – डॉ. एच.सी. मेहरोत्रा, डॉ. एस.पी. गोयल, (साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 60 वां संशोधित संस्करण)
2. आयकर – डॉ. ए.के. धगट, संजय भार्गव, (रमेश बुक डिपो, जयपुर)
3. Taxation Laws Simplified – Tarun Bansal, Dr. Monika Tushar Bohra, (Tax Guru Publication House, Delhi.)
4. Income Tax: AY 2019-20 – CS K.K Agrawal
5. Handbook on Income Tax – CA. Raj K. Agrawal, (Bharat Law Publishers)